

श्रेष्ठ निबन्ध-सागर

विजय कुमार - ---
कृष्णदेव शर्मा

अमिल-प्रकाशन

२६१६ २०, न्यू मार्केट, नई सडक दिल्ली ११०००६

६ प्रकाशकाधीन

मूल्य १००-०० / सजिन्द प्रथम सत्स्वरण १९८६ / एकमात्र वित्त
मनिल प्रकाशन, २६१६-२०, न्यू मार्केट, नई सडक, दिल्ली ६ / प्रकाशक अ
प्रकाशन, दिल्ली ६ / मुद्रक ग्लोब प्रिंटिंग प्रेस दिल्ली

दो शब्द

नाना नदियों, सरावरों आदि के रहते हुए भी विशाल जल राशि-सागर का अपना महत्त्व है। निबन्ध-संग्रहों की भरमार होते हुए भी श्रेष्ठ निबन्ध सागर की अपनी अलग ही पहचान है। इसमें साहित्यिक, सामाजिक, समसामयिक आदि विविध विषयों पर अधिकाधिक निबन्धों को स्थान दिया गया है। विषय प्रतिपादन एवं भाषा-शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट निबन्ध-कला का निर्वाह किया गया है। पुस्तकालयों के लिए ऐसे श्रेष्ठ निबन्ध-सागर की आवश्यकता अनिवार्य है। सच्चाई तो यह है कि इसके बिना पुस्तकालय की संपूर्णता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। जिज्ञासु छात्रों एवं शिक्षकों की ज्ञान-पिपासा को शान्त करने के लिए ही प्रस्तुत ग्रंथ की रचना की गई है।

—प्रकाशक

विषय-सूची

प्रथम खण्ड

साहित्यिक निबन्ध

निबन्ध लेखन	
१ साहित्य का स्वरूप	१०
२ साहित्य और समाज	१७
३ साहित्य और राजनीति	२२
४ साहित्य और विज्ञान	२६
५ कला कला के लिए या जीवन के लिए	३१
६ साहित्यकार का दायित्व	३५
७ छायावाद	३६
८ प्रगतिवाद	४४
९ प्रयागवाद	५३
१० रहस्यवाद	५७
११ हिन्दी साहित्य में गद्य शैली का विकास	६२
१२ हिन्दी नाटक और रंगमंच	६६
१३ हिन्दी में गीत काव्य का विकास	७२
१४ हिन्दी काव्य में धीरे-धीरे और राष्ट्र-प्रेम	७६
१५ हिन्दी-कविता में प्रकृति चित्रण	८०
१६ नई कविता	८५
१७ अमरगीत-परम्परा	९०
१८ हिन्दी साहित्य की स्त्रियाँ की स्त्रियाँ	९७
१९ हिन्दी-साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव	१०७
२० हिन्दी-कविता का नवीनतम प्रयोग	११३

२१	क्रांतिकारी कवि कबीर	११८
२२	जायसी की काव्य-साधना	१२३
२३	भक्तशिरोमणि सूरदास	१२७
२४	गोस्वामी तुलसीदास	१३२
२५	सूर-सूर तुलसी ससी उड्डगन	१३६
२६	विहारी और उनकी सतसई	१४१
२७	भूषण का वीर-काव्य	१४६
२८	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	१५०
२९	राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त	१५४
३०	प्रसाद की काव्य-साधना	१५८
३१	नाटककार प्रसाद	१६२
३२	सुमित्रानन्दन पन्त और उनका काव्य	१६८
३३	श्रीमती महादेवी वर्मा	१७५
३४	महाप्राण 'निराला'	१७८
३५	कथाकार प्रेमचन्द	१८२
३६	बाचाय शुक्ल व्यक्तित्व और कृतित्व	१८७
३७	युग-कवि रामधारीसिंह 'दिनकर'	१९२
३८	नई कहानी	१९७

11, 148
25492

द्वितीय खण्ड

राजनीतिक एव आर्थिक निबन्ध

३९	प्रजातन्त्र और राजनीतिक दल	२०५
४०	स्वतन्त्र भारत का संविधान	२१०
४१	तानाशाही और जनतन्त्र	२१६
४२	भारत में जनतन्त्र-प्रणाली की उपादेयता	२२०
४३	भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य	२२४
४४	भारत-अमेरिका सम्बन्ध	२२९
४५	भारत रूस सम्बन्ध	२३४

४६ भारत-चीन सम्बन्ध	२४०
४७ भारत-पाक सम्बन्ध	२४६
४८ भ्रष्टाचार उन्मूलन	२४२
४९ अणुबम और भारत	२५६
५० कमरतोड महगाई समस्या और समाधान	२६२
५१ गरीबी हटाओ भारतीय अर्थतंत्र	२६६
५२ राष्ट्रीय एकता दिवस	२७३
५३ राष्ट्र निर्माण और दल-बदल की राजनीति	२७८
५४ राजभाषा समस्या	२८४
५५ समाजवाद और गांधीवाद	२९०
५६ राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता	२९६
५७ समुक्त राष्ट्रसंघ	३०१
५८ अहिंसा और विश्व शांति	३०६
५९ भारत की विदेश-नीति	३११
६० समाचार-पत्रों का महत्त्व	३१६
६१ निःशस्त्रीकरण	३२१
६२ प्रदूषण की समस्या	३२५
६३ कुटीर उद्योग	३२९
६४ विज्ञान और शिक्षा	३३२
६५ शिक्षण के लिए माध्यम	३३५
६६ विद्यार्थी और राजनीति	३४०
६७ बाला घन	३४५
६८ सक्कट में हम एवम् हैं	३५१
६९ मोक्षतन्त्र और चुनाव	३५६

तृतीय खण्ड

सामाजिक एवं विविध विषय

७० अस्पृश्यता	३६१
७१ विज्ञान वरदान है या अभिशाप ?	३६५

- ७२ धर्म और विज्ञान
 ७३ कम्प्यूटर
 ७४ भारत में जनसंख्या की वृद्धि
 ७५ नई शिक्षा-नीति
 ७६ प्रौढशिक्षा
 ७७ दहेज प्रथा एक अभिशाप
 ७८ भारत २१वीं सदी की ओर
 ७९ पंजाब-समस्या और आतंकवाद
 ८० देवनागरी लिपि के गुण-दोष
 ८१ अणु शक्ति
 ८२ भारतीय संस्कृति
 ८३ भारतीय समाज में नारी का स्थान
 ८४ नारी और नौकरी
 ८५ यातायात-समस्या
 ८६ नारी का आभूषण सौन्दर्य नहीं, सौम्य गुण है
 ८७ मद्य निषेध
 ८८ प्रेस की स्वतंत्रता
 ८९ अनुशासन की महत्ता
 ९० श्रीमती इंदिरा गांधी
 ९१ ओलम्पिक खेल
 ९२ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत
 ९३ जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान
 ९४ पराधीन सपने हैं सुख नाही
 ९५ वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे
 ९६ करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान
 ९७ अपना हाथ जगन्नाथ
 ९८ अब पछताये होत का
 ९९ वन-संरक्षण आवश्यकता और महत्त्व

३७०
३७५
३८०
३८५
३९०
३९५
४०४
४०९
४१५
४२०
४२५
४३०
४३३
४४०
४४३
४४७
४५०
४५६
४६१
४६७
४७०
४७३
४७७
४८०
४८३
४८६
४८९

१००	हरिजन समस्या और समाधान	४६३
१०१	संसद में प्रतिपक्ष	४६८
१०२	दूरदर्शन जन शिक्षण का माध्यम	५०३
१०३	प्रान्तवाद और राष्ट्रीयता	५०८
१०४	कमप्रधान विश्व रचि राधा	५१३
१०५	दैव दैव आलसी पुकारा	५१३
१०६	जहाँ सुमति तह सम्पति नाना	५१८
१०७	अपनी करनी पार उतरनी	५२१
१०८	हानि-लाभ, जीवन मरण, मश-अपमश विधि हाथ	५२४

निबन्ध-लेखन

निबन्ध की परिभाषा — डा० जॉनसन ने निबन्ध की परिभाषा इस प्रकार की है "A Loose sally of mind an irregular undigested piece, not a regular and orderly performance" प्रस्तुत परिभाषानुसार निबन्ध मानसिक-जगत का एक ढीला-ढाला बुद्धि-विलास है, कोई क्रमपूर्ण तथा नियमित रचना नहीं है। परन्तु आज हम इस परिभाषा से सहमत नहीं हैं। आज के निबन्धों में तर्क-पूर्ण क्रमिक विकास, शैली की गम्भीरता तथा प्रौढता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। वास्तव में निबन्ध शब्द का अर्थ है 'बन्धन'। यह बन्धन विविध विचारों का होता है, जो एक दूसरे से गुंथे रहते हैं और किसी विषय की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार आज हम साधारणतया निबन्ध का अर्थ उस गद्य-रचना से ले सकते हैं जिसमें भावों और विचारों की लड़ियाँ गूथी जाएँ और साथ ही-साथ भाषा की शक्ति तथा शैली की गम्भीरता और प्रौढता के कारण निबन्ध में एक 'कसावट' बनी रहे। "

निबन्ध के तत्त्व—जहाँ तक निबन्ध के तत्त्वों का प्रश्न है, निबन्ध के लिए भी भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों का सुन्दर समन्वय अपेक्षित है। भाव पक्ष से हमारा तात्पर्य विषयानुकूल भावों विचारों से है। जहाँ तक कला-पक्ष का सम्बन्ध है भाषा की प्रौढता तथा शैली की गम्भीरता भी निबन्ध के लिए आवश्यक है। परन्तु यहाँ निबन्ध के तत्त्वों से हमारा तात्पर्य लेखक की 'आत्मीयता तथा 'व्यक्तित्व' से है। "The true essay is essentially personal" (Hudson) कहा गया है कि "शैली ही व्यक्तित्व है।" निबन्ध पढ़ने के उपरान्त यदि लेखक का व्यक्तित्व हमें प्रभावित न कर सका, तो वह निबन्ध सफल नहीं कहा जा सकता।

सामग्री और शैली—निबन्ध की उत्कृष्टता और सफलता दोन्नों पर आधारित है—सामग्री और लेखन शैली। सामग्री निबन्ध की आत्मा और शैली निबन्ध का शरीर है। निबन्ध का महत्त्व निबन्ध में प्रस्तुत की गई सामग्री पर निर्भर होने के साथ ही इस बात पर भी है कि वह सामग्री कौसी शैली में

उपस्थित की गई है। यदि सामग्री का सचय तो अच्छा हुआ, किन्तु शैली अच्छी न हो, तो निबन्ध असफल ही कहा जाएगा। इसी प्रकार भाषण शैली के होते हुए भी अच्छी सामग्री के अभाव में निबन्ध आत्महीन शरीर के समान है।

सामग्री का सचयन—अध्ययन सचयन का प्रधान अंग है। साहित्य और विज्ञान के उत्कृष्ट प्रयोगों का अध्ययन कर व्यक्ति उस विषय से सुपरिचित हो सकता है, जिस पर निबन्ध लिखना उसे इष्ट है। अध्ययन के साथ निरीक्षण भी वाछनीय है। अध्ययन द्वारा हम दूसरों से कुछ प्राप्त करते हैं और निरीक्षण के द्वारा स्वयं अपने ज्ञान का प्रसारण करते हैं। जो बात स्वयं निरीक्षण से ग्रहण की जाती है उसका महत्त्व उस बात की अपेक्षा से कहीं अधिक होता है जो अध्ययन के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि निरीक्षण में प्रत्यक्षानुभव के कारण किसी बात को समझने और उसे स्मृति-पटल पर अंकित करने की शक्ति अन्तर्निहित रहती है। अतः हमें निरीक्षण से अवश्य सहायता लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष घटित घटना ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए। हम जहाँ कहीं जाएँ वहाँ के व्यक्तियों के स्वभाव सामाजिक रीति-रिवाज भौगोलिक विशेषताएँ पशुओं और वन-स्पतियों के विशिष्ट गुण आदि से परिचय प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ सदैव सजग रखनी चाहिएँ, जिससे हमारे आस-पास की वस्तुएँ हमारे निरीक्षण से बाहर न रह सकें।

मनन—अध्ययन और निरीक्षण के साथ ही मनन भी निबन्ध का आवश्यक गुण है। जो विचार या अनुभव उसे अध्ययन व निरीक्षण द्वारा उपलब्ध हुए हैं, उन्हें मनन द्वारा संवारना सजाना आवश्यक होता है। यदि अध्ययन द्वारा कोई समस्या और गम्भीर प्रश्न लेखक के सामने उपस्थित हुआ है, तो मनन के द्वारा उसका समाधान-अनुसंधान आवश्यक है। जो निबन्धकार जितना अधिक मनन-शील होगा उमकी रचना उतनी ही अधिक उत्कृष्ट और सफल कही जाएगी।

शैली—शैली निबन्ध का शरीर या बहिरंग है। भाषा का स्वरूप भी शैली के अन्तर्गत ही है।

प्रत्येक लेखक की अपना शैली होती है। कुछ लेखक सरल एवं सुबाध भाषा में छोटे-छोटे वाक्यों में अपने विचार प्रकट करते हैं, तो कुछ लेखकों को गुरु-गभीर शब्दों का चयन और दीर्घ वाक्य अधिक पसन्द होते हैं। कुछ लेखकों की रचनाएँ

अभिधा प्रधान होती हैं, तो कुछ की ध्येय-प्रधान। कुछ विषयों की भाषा चलती हुई मुहावरेदार होती है तो कुछ अथ लेखक लेखित और कोमल पदावली द्वारा पाठक के मन को मुग्ध करने का प्रयास करते हैं।

प्रत्येक शैली में उत्कृष्ट रचना लिखी जा सकती है, परन्तु रचना को उत्कृष्टता और निष्कृष्टता लेखक के अपनी निजी कौशल पर आश्रित है। यह कौशल कुछ तो जन्मजात प्रतिभा का परिणाम होना है और कुछ अथ लेखकों की शक्तियों के अध्ययन से और कुछ अभ्यास द्वारा। शैली का जो परिष्कार लेखक की प्रतिभा द्वारा होना है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, न तो कि प्रतिष्ठा शिक्षण की लीक पर नहीं चलती। हा, अभ्यास के द्वारा शैली का परिष्कार करने के सम्बन्ध में अवश्य ही बहुत से नियम बताए जा सकते हैं, जिनके द्वारा बहुत से दापों से बचा जा सकता है और अपनी शैली का बहुत कुछ परिष्कृत और परिमार्जित रूप दिया जा सकता है।

निबन्ध का स्वरूप—निबन्ध के तीन अंग होते हैं—१ प्रस्तावना २ उपपत्ति या विषय प्रतिपादन और ३ उपसंहार। इन तीनों अंगों में आकार की दृष्टि से प्रस्तावना और उपसंहार बहुत छोटे होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से उपपत्ति का भाग बहुत बड़ा रहता है। इसके बाद निबन्धकार को प्रस्तावना और उपसंहार का ही सबसे अधिक संवाग्ना हाता है। उपपत्ति के भाग में यदि वही थोड़ी-थोड़ी शिथिलता रह भी जाए, तो वह छिप जाती है किन्तु प्रस्तावना या उपसंहार भाग में इस प्रकार की शिथिलता अक्षम्य है।

प्रस्तावना का प्रधान गुण यह है कि पाठक का ध्यान तुरन्त अपनी ओर आकर्षित कर ले। एक बार पाठक यदि निबन्ध को पढ़ना प्रारम्भ कर दे, तो समाप्ति तक उसे पढ़ता ही चला जाए। इसके लिए पाठक के मन में किसी प्रकार का कौतूहल जगाना आवश्यक होता है। कभी कोई सामान्य सिद्धान्त बतला कर और कभी कोई प्रश्न उपस्थित कर अथवा कोई विवाद खड़ा करके निबन्ध का आरम्भ किया जाता है। उससे भी निबन्ध के विषय में पाठक की उत्सुकता जागृत हो उठती है।

'Well begun is half done' के अनुसार यदि निबन्ध का आरम्भ ठीक हो जाए तो निबन्ध का पूरा करना सरल हो जाता है। इसलिए निबन्ध की

प्रस्तावना को अधिनाधिक आवश्यक और सजीव बनाने का यत्न करना चाहिए।

विषय प्रतिपादन के विषय में इतना कहना आवश्यक है कि जो कुछ लिखा जाए, वह शृङ्खलाबद्ध और सुगठित एवं सुविद्यमान होना चाहिए। निबन्ध में असम्बद्धता के लिए स्थान नहीं है। निबन्ध में विचारों का क्रम ऐसा रहना चाहिए कि सारी रचना प्रारम्भ से अन्त तक एक ही सूत्र में बद्ध जान पड़े, बिखरी बिखरी न हो। यह तभी सम्भव हो सकेगा, जबकि लयक भावों या विचारों को पहले से एक क्रम में रख ले और उन्हें उसी रूप में निबन्ध में उपस्थित करे। ऐसा न होने से निबन्ध उधड़ा-सा लगने लगता है।

प्रस्तावना की भाँति उपसंहार को संवारना और सजीव बनाना आवश्यक है। यदि प्रस्तावना आवश्यक न हो तो पाठक निबन्ध को पड़ेगा ही नहीं और यदि उपसंहार ठीक न हो, तो निबन्ध को पढ़कर भी पाठक को मन्तोष न होगा। उसे निबन्ध अधूरा सा जान पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि निबन्ध के अन्त में कोई याय-संगत निष्कर्ष समुपस्थित किया जाए। पाठक का ऐसा लगे कि समस्त निबन्ध पढ़कर वह सुखद और सन्तोषप्रद अन्त तक पहुँच गया। इसके लिए कभी तो निबन्ध का निष्कर्ष सरल, किंतु सुसंगठित वाक्यों में प्रस्तुत किया जा सकता है और कभी किसी लोकोक्ति या सूक्ति द्वारा निबन्ध का निष्कर्ष निकालते हुए अंत किया जा सकता है।

उत्तम शैली की विशेषताएँ—बाबू गुलाबराय ने निबन्ध की शैली की विशेषताएँ इस प्रकार बतलाई हैं—क्रम, संगति सगठन और अन्विति शैली के आन्तरिक गुण हैं। शैली में अनेकता में एकता उत्पन्न करना वांछनीय रहता है। निबन्ध के एक एक वाक्य में भी आकांक्षा हो, (एक शब्द दूसरे की प्रतीक्षा-सा करता मालूम हो और वाक्य की पूर्ति अन्त में हो। ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में Period अर्थात् वाक्योच्च कहते हैं), योग्यता (शब्द एक दूसरे के अनुकूल हो, सींचना पानी से ही होता है अग्नि से नहीं) आदि गुण अपेक्षित होते हैं। साथक उपयुक्त शब्दों की पद मैत्री और क्रम से उतार चढ़ाव (भाव का भी उतार-चढ़ाव और ध्वनि का भी जैसे बड़े शब्द पीछे आवे) ये गुण शैली को प्रसादमय बना देते हैं और मुहावरों का प्रयोग और हास्य-व्यंग्य का पुट उसे चलतापन प्रदान करता है। लवणा-

व्यंजना के प्रसादन जो कि काव्य को उत्तमता प्रदान करते हैं, गद्य-शैली में भी उचित मात्रा में आदरणीय समझे जाते हैं। शैली को न तो अलंकारों से बोझिल बनाना चाहिए, न उसमें तुकबंदी लाकर उसे पद्य का आभास देना चाहिए। अधिक भावुकता प्रदर्शन आजकल के युग को मान्य नहीं है। प्रभावोत्पादन एक विशेष कला है, जो अभ्यास से ही प्राप्त होती है। जो बात थोड़े समय में शब्दों में कही जा सकती है, उनके लिए शब्दों का विस्तार-बाहुल्य वाछनीय नहीं है। लाघव का गुण गद्य में भी प्रशंसनीय है। 'नावक के तीर चाहिए, जो देखने में छोटे लगे घाव करें गभीर।' एक अच्छे निबन्धकार में शैली के उपरोक्त गुणों का होना आवश्यक होगा।

निबन्धों का वर्गीकरण

निबन्ध को निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त किया जाता है—

(१) विवरणात्मक या इतिवृत्तात्मक निबन्ध—विवरणात्मक निबन्ध वे कहलाते हैं जिनमें किसी कहानी या घटना का व्योम प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के निबन्ध में कथा का अंश किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, जिसके कारण उसमें सरसता और रोचकता बनी रहती है। इस प्रकार के निबन्धों में युद्धों, यात्राओं इत्यादि का विवरण रहता है।

(२) वर्णनात्मक निबन्ध—वर्णनात्मक निबन्धों में प्राकृतिक दृश्यो अथवा अथ महत्त्वपूर्ण स्थानों, मेलों इत्यादि का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार के निबन्धों में घटनाओं पर उतना बल नहीं होता, जितना कि किसी भी दृश्य या परिस्थिति के वर्णन पर होता है। वैसे घटनाओं के वर्णन में भी कुछ-न कुछ दृश्यो का वर्णन हो ही जाता है।

(३) विचारात्मक या विवेचनात्मक निबन्ध—इस प्रकार के निबन्धों में किसी साहित्यिक या नैतिक सिद्धान्त, किसी राजनीतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक समस्या पर अपने तथा अन्य विचारकों के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। निबन्धकार तटस्थ भाव से उस विषय में और प्रतिकूल पक्षों का प्रतिपादन करता है। यदि उसका कोई एकपक्षीय मतव्य भी होना है, तो भी वह विरोध पक्ष का धैर्यपूर्वक प्रतिपादन करता है और फिर उसके दोष बतला कर उन पक्षों का

खण्डन करके अपने पक्ष की स्थापना करता है। अपना पक्ष चाहे कुछ भी क्यों न हो, किंतु अच्छा निबन्धकार अपने विरोधी पक्ष की अवहेलना नहीं करता।

(४) भावात्मक निबन्ध — भावात्मक निबन्ध विचारों से प्रेरित नहीं होते अपितु भावनाओं से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार निबन्धों की गणना गद्य-काव्य में की जाती है। भावात्मक निबन्ध में लेखक अपने हृदय को खुली छट देता है और प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में तर्क वितर्क प्रस्तुत न करके पाठक के मन को प्रसन्न करने के लिए कोमल भावनाओं का आश्रय लेता है। इस प्रकार कई बार किसी प्रसंग विशेष में पाठक के मन में घणा या रोष को जागृत करने के लिए भी भावनाओं का अवलम्बन लिया जाता है। भावात्मक निबन्ध में प्रायः गम्भीरता का अभाव रहता है, किंतु प्रभावोत्पादकता की कमी उनमें नहीं होती। प्रायः इस प्रकार के निबन्धों का मूल्य सामयिक होता है।

प्रथम खण्ड
साहित्यिक निबन्ध



ब्रह्माण्ड की रहस्यपूर्ण रचना में मूम का तेज अद्वितीय है, सागरो की अनन्त गायी में भीर-सागर की महिमा अपरम्पार है, वसवशाली देवों के दिव्य स्वरूप में त्रिदेवों का गौरव सर्वोपरि है, इस धरती के असंख्य प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है, और मानव की असीम उपलब्धियों में साहित्य सर्वोच्च कीर्ति-ध्वज है।

साहित्य क्या है ? इस विषय पर शतान्दियों से विचार होता आया है। आज साहित्य की सभी परिभाषाओं का अनुशीलन-विवेचन करें तो हम किसी निश्चय पर न पहुँच सकेंगे क्योंकि किसी भी वस्तु का चरम और निम्नान्त परिचय देना कोई सरल कार्य नहीं, फिर साहित्य तो अजस्र विकसित होने वाली धारा है। मनुष्य अध्ययनप्रिय प्राणी है अतएव वह निरन्तर साहित्य-साधना में रत रहता है। यही देखकर देश काल के अनुरूप प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों ने साहित्य की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है उनमें से यहाँ कुछ प्रसिद्ध परिभाषाओं का परिचय देना अनुचित न होगा। राजशेखर ने साहित्य की परिभाषा इस प्रकार की है—

“शब्दाद्ययोर्यथैवत्सहभावेन विद्या साहित्य विद्या।”

अर्थात् ‘शब्द और अर्थ के यथायोग्य सहयोग वाली विद्या ही साहित्य विद्या है।’ ‘शब्दकलपद्रुमकार’ ‘श्लोकमय ग्रन्थ’ को ही साहित्य की संज्ञा देते हैं। भारतीय विद्वान् महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार “ज्ञानराशि के सचित्र कोष का नाम साहित्य है।” साहित्य की यह परिभाषा अत्यधिक व्यापक है।

महाकवि रवीन्द्र ने बंगला में ‘साहित्य’ शीघ्रक ग्रन्थ में साहित्य के स्वरूप की सुन्दर व्याख्या की है—“सहित शब्द से साहित्य की उत्पत्ति हुई है, अतएव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में मिलन का एक भाव दृष्टिगोचर होता है। वह केवल भाव का भाव के साथ, माया का माया के साथ, ग्रन्थ का ग्रन्थ के साथ मिलन ही नहीं, वरन् यह भी बतलाता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का मिलन कैसा होता है।” उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट है कि साहित्य में समत्व और असमत्व के सामञ्जस्य विधान की शक्ति रहती है। इस प्रकार साहित्य विरोधात्मक तत्वों में अविरोध स्थापित कर सबको एक-एक सूत्र में बाँधने का प्रयास करता

है। कवि और भालोचक मॅथ्यू आनल्ड ने साहित्य की परिभाषा या की है "Literature is the best that has been thought and said in the world हडसन साहित्य की परिभाषा देता हुआ कहता है—“It is fundamentally an expression of life through the medium of language” इससे आगे वह लिखता है—“Behind every literature lie the character of the race which produces it and behind the literature of any period lies the combined forces personal and impersonal which made the life of that period Literature is only one of the channels in which the energy of the age discharges itself”

उपयुक्त परिभाषाओं से अध्ययन विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्य जीवन और जगत के गत्यात्मक सौन्दर्य की वह भावमयी भाँकी है जिसके सहारे नित्य नवीन आनन्द और बल्याण का विधान होता है। उपचार के सहारे कभी-कभी उन वस्तुओं को, जिनमें उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, साहित्य कहते हैं।

साहित्य-रूपणकार के मतानुसार वह प्रत्येक रचना काव्य या साहित्य कहलाने की अधिकारिणी है, जिसे देख या सुनकर सहृदय पाठको या श्रोताओं को आनन्द की उपलब्धि होनी है। इस पर आदशवादी भालोचक साहित्य में रसात्मकता के साथ-साथ लोक-मगल की भावना का होना भी परम आवश्यक समझते हैं। इनके विचार से यदि कोई रचना पढ़ने या सुनने में आनन्द की अनुभूति को तो जगाती हो पर साथ ही वह सामाजिक या व्यक्तिगत चरित्र को पतन की ओर ले जाती हो तो उस रचना को साहित्य नहीं कहा जाएगा। जैसे लोक शास्त्र जैसी पुस्तकें परन्तु यदि अत्यधिक आदशवादी न बना जाए तो इस प्रकार की पुस्तकें भी साहित्य तो अवश्य बनी जाएँगी चाहे उन्हें हानिकारक या अश्लील साहित्य का नाम दिया जाये। किसी भी रचना के साहित्य कहलाने के लिए हमारे विचार में उसमें केवल रसात्मकता अर्थात् पाठक के मन में आनन्द की अनुभूति जगा सकने का गुण होना पर्याप्त है। साहित्य यदि लोक मगल की भावना से भी युक्त हो, तो उस अधिक अच्छा और उपादेय साहित्य कहा जाएगा किन्तु शिव या मगल को साहित्य की परिभाषा या अनिर्वाय अंग नहीं बनाया जा सकता।

हमारे इस मन्तव्य की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साहित्य शास्त्रियों में एक दल है। एक विचारक वगैरह यह मानता है कि कला जीवन के लिए है और दूसरा इस बात पर जोर देता है कि कला केवल कला के लिए है। इस दूसरे दल का कथन है कि जीवन के लिए उपादेय होना कला के लिए आवश्यक नहीं। इस मत के समर्थक आस्कर वाइल्ड, वाल्टर पेटर

और स्पिनगान जैसे प्रमुख साहित्यकार हैं। इस तरह का साहित्य भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसे लगभग सभी समालोचकों ने उत्कृष्ट काटि का साहित्य माना है, किन्तु उसे किसी भी प्रकार उच्च भावनाओं का प्रेरक अथवा जीवन के लिए उपयोगी साहित्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य तो उस प्रत्येक रचना को कहा जाएगा, जिससे हृदय को रस की अनुभूति होती हो, किन्तु इसके साथ ही जो साहित्य जीवन के लिए उपयोगी होगा, उसे और भी अधिक उत्कृष्ट साहित्य माना जाएगा।

साहित्य की परिभाषा जान लेने के उपरान्त अब हम साहित्य के स्वरूप पर विचार करते हैं। सबसे तो पहले हम साहित्य और विज्ञान में अन्तर समझ लेना चाहिए। प्राचीन संस्कृत आचार्य विज्ञान को साहित्य कहते थे और साहित्य को काव्य। इस प्रकार साहित्य और काव्य अर्थात् विज्ञान और साहित्य दोनों एक वस्तु हैं। विज्ञान का सम्बन्ध केवल मस्तिष्क से है, उसका कार्य किसी भी विशिष्ट विषय में नियमों का यथावत् प्रतिपादन करना है। वैज्ञानिक अपने विषय के बारे में बिल्कुल तटस्थ होता है। वह सत्य को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसका प्रतिपादन कर देता है। उसके वर्णन में न तो कल्पना का अंश रहता है और न किसी रूचि अथवा अर्चि का। परन्तु साहित्य या काव्य इससे विपरीत वस्तु है। कवि सत्य को अपनी रचना का आधार अवश्य बनाता है किन्तु वह उस सत्य को ही सब कुछ मान कर नहीं बैठ जाता। वह अपनी कल्पना से उस सत्य पर सौन्दर्य का सुनहला आवरण चढ़ा देता है। वह निर्जीव सत्य में भी अपनी प्रातिभा से प्राण फूँक देता है। साहित्य में कवि की भावनाएँ सत्य को सुन्दर रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं।

इस बात को एक उदाहरण द्वारा भली भाँति समझा जा सकता है। वैज्ञानिक की दृष्टि में चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जो अट्ठारह दिन में पृथ्वी को परिभ्रमण कर लेता है। वैज्ञानिक चंद्रमा के सम्बन्ध में और भी बहुत-सी नीरस बातें बता सकता है। किन्तु कवि की दृष्टि में चंद्रमा प्रेयसी के मुख का उपमान है। वह निशा नायक है। इष्ट जन से मिलन के समय वह हृदय में आह्लाद की तरंगें उठाता है और प्रिय व्यक्ति के वियोग में उसकी शीतल किरण अंगारे वरसाने लगती है। यदि वैज्ञानिक का चित्रण कवि को सुनाया जाए और कविकृत वर्णन वैज्ञानिक का, तो बहुत सम्भव है कि दोनों में सिर फुटवेल की नौबत आ पहुँचे।

इस स्पष्ट है कि साहित्य और विज्ञान दोनों की दिशा बिल्कुल अलग-अलग है। वैज्ञानिक सत्य का अनुसंधान करता है और कवि उसमें सौन्दर्य का अंगार करता है। कवि की रचनाओं में उसका व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है,

जबकि वैज्ञानिक की रचनाओं में उससे व्यक्तित्व का अभाव नहीं रहता। उसमें केवल उस विषय का वर्णन भर रहता है। यही कारण है कि कवि की रचना का आनन्द लेने के लिए हम कवि की मूल पुस्तक की ही पढ़ना पड़ता है जबकि किसी वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उसी वैज्ञानिक की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। उस वैज्ञानिक के पश्चात् किसी भी अन्य वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई पुस्तक से भा हम उस सिद्धान्त के बारे में उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जितना कि वैज्ञानिक की मूल पुस्तक से।

मनुष्य के शरीर और आत्मा की भाँति साहित्य के भी दो पक्ष हैं एक कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। भाव पक्ष साहित्य की आत्मा है और कला पक्ष उसका बाह्य शरीर। भाव पक्ष को अनुभूति पक्ष और कला पक्ष को अभिव्यक्ति पक्ष भी कहा जाता है। जिस प्रकार आत्मा शरीर के अभाव में अपनी चेतना प्रदर्शित नहीं कर सकती और आत्मा के अभाव में शरीर मृत और जड़ होता है उसी प्रकार भाव पक्ष-रहित साहित्य निरर्थक प्रलाप है और कला पक्ष शून्य साहित्य सहृदयों में मनोरंजन कर पाने में असमर्थ रहता है। भाषा के अभाव में तो भाषा का अस्तित्व ही टिक पाना कठिन है। इस प्रकार साहित्य के लिए उत्कृष्ट भावों के साथ-साथ परिमार्जित और भावाभिव्यक्ति में समर्थ भाषा का होना भी आवश्यक है।

व्यक्ति सत्कार में रहते हुए भाँति भाँति के अनुभव प्राप्त करता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल सके जिसने जीवन में अनेक बार तीव्र सुख या तीव्र-दुःख का अनुभव न किया हो। किन्तु उन अनुभूतियों को ऐसे रूप में प्रकट कर पाना, जिससे वे पाठक या श्रोता के मन में भी उसी प्रकार की अनुभूतियाँ जगा सकें, हर किसी के वश में नहीं होता। यह काय प्रतिभा शाली लेखकों का ही होता है। वे जिन तीव्र अनुभूतियों का अनुभव करते हैं उन्हें अपनी रचनाओं में ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि वे सहृदय पाठकों को उसी प्रकार अनुभव होने लगती हैं, जैसे किसी समय लेखक को हुई थी।

जिस प्रकार अभिव्यक्ति का सामर्थ्य लेखक और पाठक की अपेक्षा अधिक होता है उसी प्रकार अनुभूति को ग्रहण करने की क्षमता भी प्रतिभाशाली लेखक में पाठक की अपेक्षा अधिक होती है। उसकी निरीक्षण शक्ति बहुत सूक्ष्म होती है जिससे वह सूक्ष्म अनुभूतियों को भी अत्यन्त तीव्र रूप में ग्रहण कर सकता है जिस साहित्यकार में अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों की पूरी क्षमता होती है वही सहृदय को रसमग्न कर सकता है।

साहित्य के चार तत्त्व हैं—बुद्धि तत्त्व कल्पना तत्त्व, भाव तत्त्व और शैली रूप तत्त्व। सत्साहित्य में सभी तत्त्व किसी न किसी मात्रा में वतमान रहते

हैं। - ई भी तत्त्व एक से विरहित होकर साहित्य अभिधान को प्राप्त नहीं हो सकता है। यद्यपि साहित्य मानव की मधुमयी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है किन्तु उस अभिव्यक्ति को क्रमिक, सयत और गम्भीर रूप प्रदान करने का श्रेय बुद्धि तत्त्व को ही है। कल्पना उसमें सौन्दर्य का सचय करती है। यदि हम कहना चाहें तो बुद्धि, हृदय और कल्पना तत्त्व को क्रमशः सत्य शिव, सुंदरम् का प्रतीक कह सकते हैं। साहित्य में इन तीनों का होना परमावश्यक है। बुद्धि तत्त्व से साहित्य में शिव तत्त्व की प्रतिष्ठा होती है भाव तत्त्व उसे लाकहित की वस्तु बना देता है, कल्पना उसके स्वरूप को सवार कर सौन्दर्य प्रदान करती है। श्रेष्ठ साहित्य में सत्य, शिव सुंदरम् के समान ही बुद्धि, हृदय और कल्पना तीनों तत्त्वों का सुंदर सामंजस्य पाया जाता है। शैली तत्त्व इन तीनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य का वाह्य रूप शैली है अतः हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में बुद्धि तत्त्व भाव तत्त्व और कल्पना तत्त्व के सघात को साहित्य के रूप में ढालन का श्रेय शैली को ही होता है।

शैली के आधार पर काव्य या साहित्य के दो भेद किये जाते हैं—दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। नाटक इत्यादि अभिनय योग्य रचनाएँ दृश्य काव्य के अंतर्गत आती हैं और पढ़ने या श्रवण करने योग्य रचनाएँ श्रव्य काव्य के अंतर्गत। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि पदा भी दृष्टि द्वारा ही जाता है फिर भी वे रचनाएँ, जिनका रस पढ़कर लिया जाता है, दृश्य काव्य के अंतर्गत नहीं आती।

श्रव्य काव्य के भी गद्य-पद्य और चम्पू ये तीन भेद किये जाते हैं। छन्दो-बद्ध रचना पद्य छन्द-रहित रचना गद्य और गद्य-पद्य मिश्रित रचना चम्पू कहलाती है। कामायनी पद्य है गोदान गद्य और यशोधरा चम्पू काव्य हैं। गद्य रचना कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना इत्यादि के रूप में उपलब्ध होती है। पद्य रचना के दो भेद हैं—मुक्तक और प्रबंध। कथा-सूत्र युक्त रचना प्रबंध काव्य और कथा सूत्र रहित रचना मुक्तक काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के भी खण्ड काव्य और महाकाव्य नाम से दो उपभेद किये जाते हैं।

इस प्रकार साहित्य का स्वरूप भावा से सरस, रसात्मकता से आनन्दमय, कला से सुंदर, सौन्दर्य से मोहक जीवन सत्य से समृद्ध सामाजिकता से व्यापकता, शिवत्व में मंगलमय शैली से परिपुष्ट, कल्पना से सजीव, अनुभूति से मार्मिक अभिव्यक्ति से परिष्कृत और कलाकार के व्यक्तित्व से निजत्व ग्रहण करता है। ऐसे स्वरूप से युक्त साहित्य युगों की कसौटी पर खरा उतरता है विश्व की समूल्य सम्पत्ति बनना है जन-मानस का कठहार कहलाता है। ऐसे

साहित्य को रचकर कलाकार युग युगान्तर की निधि बन जाता है, ज विकास तथा प्रगति का अग्रदूत बहनाता है। देश को सुसंस्कृत वाणी साहित्य में ही मुखरित होती है।

२ | साहित्य और समाज

समान विचारों सुख दुःखों तथा समान परम्पराओं वाले मनुष्य-समुदाय को समाज कहा जाता है। भले ही इस प्रकार के लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हों फिर भी एक ही समाज के अंग कहे जाते हैं। विस्तृत अर्थ में समस्त मानव-जाति को ही मनुष्य समाज कहा जा सकता है क्योंकि ससार के सभी भागों में मनुष्य की कुछ न कुछ परम्पराएँ तथा विचार तो भी समान होंगे, परन्तु साधारणतया विचारों तथा परम्पराओं की अपेक्षा सुदृढ़तर सूत्र में बंधे हुए मनुष्य समुदायों को ही समाज कहा जाता है। इस प्रकार हिन्दुओं का एक अलग समाज है यूरोप के ईसाइयों का अलग और मुसलमानों का अलग इन सभी समाजों की परम्पराएँ एक-दूसरे से भिन्न हैं किन्तु उन समाजों के सदस्य व्यक्ति उन परम्पराओं और विचारों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। कई बार एक देश के निवासियों का अलग अलग ही समाज बन जाता है और उसकी अपनी ही परम्पराएँ होती हैं जिनके कारण उसे अन्य समाजों से पृथक् समझा जाता है।

साहित्य किसी भी समाज के लिखित या संकलित अनुभवों की क्रमशः विकसित परम्परा का नाम है। समय समय पर प्रत्येक समाज में प्रतिभाशाली कलाकार जन्म लेते रहते हैं। वे अपने अनुभवों को कविताओं, कृतियों या उपदेशों के रूप में प्रस्तुत करते हैं यदि ये अनुभव उस समाज की परिस्थितियों तथा मनोदशा के अनुकूल होते हैं तो इनका प्रचार शीघ्र ही सारे समाज में हो जाता है। कलाकार मर जाता है किन्तु उसकी रचनाएँ उसके बाद भी जीवित रहती हैं और न जाने कब तक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती रहती हैं। ऐसी ही रचनाओं का सग्रह किसी समाज या जाति का साहित्य कहा जाता है।

इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि जब-जब किसी समाज या जाति में उन्नति की उस जाति का साहित्य भी अत्यन्त उन्नत हो गया। इससे हमें स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज की उन्नति और साहित्य के उत्कर्ष में परस्पर अनिष्ट सम्बन्ध है। समाज उन्नत होता है तो साहित्य भी उत्कृष्ट हो जाता साहित्य भी उत्कृष्ट हो जाता है तो समाज भी उन्नत होता है।

साहित्य और समाज

यही बात अपने वपरीत धर्म में भी सत्य है। जब-भारत का पतन होता है तो उसके साहित्य का भी पतन होने लगता है और इस प्रकार साहित्य और समाज का अवनति में भी परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिबिस्त को लीजिये। इस काल में हिन्दू समाज जैसा दुदशाग्रस्त था, वंसा ही उस काल का साहित्य भी दृष्टिगोचर होता है। हिन्दू राजा परास्त होकर शक्तिहीन हो गये थे। महत्वाकांक्षा उनके हृदय में उसाह का संचार नहीं करती थी। वे विलासी और रसिक जीव थे। उनके आश्रम में पलने वाला तत्कालीन साहित्य भी नग्न शृंगार के पक में डूब गया और जाति में नवजीवन का संचार करने में असमर्थ रहा।

अब प्रश्न यह उठता है कि समाज की उन्नति या अवनति से साहित्य का विकास और ह्रास होना है या साहित्य के विकास या ह्रास से समाज का? इसके लिए हम साहित्य-सजना की प्रक्रिया और समाज पर होने वाले उसके प्रभाव की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। कोई भी श्रेष्ठ कलाकार जब कोई साहित्यिक रचना रचता है तो वह अपने चारों ओर की परिस्थिति और सामाजिक दशा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वह द्रष्टा होता है अर्थात् जो कुछ वह देखता है उसे अपनी रचनाओं में प्रकट करता है। इसी कारण हम हिन्दी साहित्य के वीरगाथाकाल की रचनाओं में उस समय होने वाले युद्ध, पारस्परिक बन्ध ईर्ष्या और द्वेष की सजीव भाँकी पाते हैं। इसी प्रकार कबीर की रचनाओं में हम उस काल में फले हुए पाखंडों बाह्याडंबरों और विप्या विधि विधानों का जीताजागता चित्र दिखाई पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि साहित्यकार जो कुछ लिखता है उस पर तत्कालीन समाज की छाया अवश्य रहती है।

इसलिए यह स्वाभाविक है कि यदि समाज आर्थिक और नैतिक दृष्टि से उन्नत होगा, तो उस काल के साहित्य में उदारता और परोपकार की भावनाएँ प्रभूत मात्रा में पाई जाएंगी। यदि किसी समाज में वीरता और आत्म बलिदान की परम्पराएँ विद्यमान होंगी तो उस काल के प्रतिभाशाली साहित्यकार अपनी रचनाओं में वीरत्व और बलिदान के आकर्षक चित्र प्रस्तुत करेंगे। इस अंश तक समाज साहित्य को प्रेरणा देता है और साहित्य का उत्पन्न सामाजिक उन्नति पर निर्भर है। किन्तु साहित्यकार का यह कर्तव्य नहीं है कि समाज को यथावत् अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करे। यदि साहित्यकार जीवन का जिस रूप में देखता है उसे उसी रूप में उपस्थित करना है, तो वह मानो कुछ नहीं कहता —

‘हो रहा है जो जहाँ वह हो रहा,
यदि यही हमने कहा तो क्या कहा?’

किन्तु होना चाहिए कब, क्या, कहाँ,
 व्यक्त करती है कला ही वह यहाँ ॥"—मैथिलीशरण गुप्त

मनुष्य अनुकरणप्रिय है। जो वस्तु या विचार उसे अच्छा लगता है, उसका वह अनुकरण करना चाहता है। इसलिए साहित्यकार अपनी रचनाओं में जिन वस्तु का उल्लेख कर जाते हैं आने वाली सन्ततियों उन्हीं का अनुकरण करके अपना जीवन ढालती हैं। यही कारण है कि जिस समाज या जाति के साहित्य में वीरत्व की कहानियाँ अधिक प्रचलित हैं, उस जाति के लोग अधिक वीर होते हैं। हमारे भारतीय साहित्य में आत्मा को अजर अमर माना गया है। शरीर का स्थान केवल कपड़े जैसा बताया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भवसर पडने पर हमारे देश के वीर योद्धा गण भी विचार किये बिना अर्द्धा के लिए जीवन का दलिदान करने को उद्यत रहे हैं। जमनी और जापान का साहित्य भी वीरता और देशभक्ति की अगिनत गथाओं से भरा है। जिन जातियों के साहित्य में वीरता की ऐसी गाथाएँ विद्यमान नहीं हैं, उनके बालकों में ऐसी वीरता के भाव मुश्किल से ही जाग सकते हैं।

साहित्यकार द्रष्टा होता है यह ठीक है। परन्तु वह केवल द्रष्टा ही नहीं होता, वह क्रान्तदर्शी भी होता है। अपनी कल्पना की विलक्षण शक्ति से वह अतीत वतमान और भविष्यत तीनों को ही देख पाता है। वह साथ ही स्रष्टा भी होता है। वह अपनी कल्पना से एक ऐसे नये और उत्कृष्ट जगत का चित्रण करता है जिसका पहले से कहीं अस्तित्व नहीं होता। वह ऐसे चरित्रों की सृष्टि करता है जैसे कहीं देखे-सुने नहीं होते। उसकी ये कल्पनाएँ यदि समाज को रच जाती हैं तो समाज को अपनी ओर खींचने लगती हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि एक ऐसे राम का चित्रण करते हैं जैसा उन्होंने कहीं देखा-सुना नहीं है जितने भी गुणों की कल्पना की जा सकती है वे सब राम में हैं। उनका प्रत्येक क्रिया-कलाप आदर्श से प्रेरित है। इस प्रकार का महान चित्रण समाज की अक्षय सम्पत्ति बन जाता है। कवि मर जाता है परन्तु उसकी रचनाएँ जीवित रहती हैं। वाल्मीकि आज नहीं हैं परन्तु उन्होंने राम का जो चरित्र भक्ति किया था वह कितनी ही शतान्तियों के बाद भी लोगों को आत्मविकास की ओर प्रेरित करता आ रहा है। इस विस्तृत भूखण्ड में न जाने कितने बड़े नाद्यों ने राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया होगा। इसी प्रकार बड़े-बड़े साहित्यकार जिन चरित्रों आदर्शों का सृजन करते हैं उनका प्रभाव युग युगांतरों तक आगामी सन्ततियों पर पड़ता है।

साहित्यकार समाज की परम्पराओं और विचारों को आधार बनाकर

साहित्य और समाज

साहित्य की सृष्टि करता है। उस साहित्य में मनुष्य के जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है और अपने जीवन को उसने अनुभूत करता है। फिर किसी भी प्रकार के प्रतिभा-दासी बलाकार जन्म लेता है जो अपनी प्रेरणा बलाकारों को प्रेरित करता है। साहित्य के इस विकास का परिणाम यह भी हो सकता है कि मनुष्य को उस बलाकार की कल्पना से प्रेरणा प्राप्त करने दो मनुष्य-प्रकार मिल जायें। उस समय समाज की उन्नति से प्रेरणा प्राप्त करने फिर साहित्य-अपना विकास कर सकता है।

समाज मनुष्यों से निर्मित है और साहित्य मनुष्यों के विचारों और मनुष्यों का सग्रह है। इसलिए दोनों एक-दूसरे से पृथक् या भ्रमभावित नहीं रह सकते। जब मनुष्य में उत्थान-पतन होगा, तभी साहित्य में भी विकास-हास होगा जब साहित्य कुछ ऊँचे आदर्श या गन्दे भावपक चरित्र प्रस्तुत करेगा तब समाज को भी उनके पीछे चलना होगा। अमेरिका में हत्या और व्यभिचार इत्यादि के सम्बन्ध में जितना रोचक और भावपक साहित्य तैयार किया गया है उसका परिणाम वहाँ के समाज पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। वहाँ जनता का नैतिक दृष्टि से अत्यधिक पतन हो गया है।

साहित्य जो सच्चे चित्र उपस्थित करता है, वे तो जनता को आकृष्ट करते ही हैं साथ ही यदि कुछ बिल्कुल मिथ्या और निराधार, रोचक सरस कहानियाँ प्रस्तुत कर दी जाएँ तो समाज पर उनका भी बसा ही प्रभाव पड़ता है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग बरोडों की सख्या में हैं जो पुराणा में वर्णित कथाओं को अक्षरशः सत्य मानते हैं। स्वर्ग-नरक और यहाँ तक कि भूत-प्रेत उनके लिए काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य वस्तु हैं। य विश्वास उनकी मज्जा तक में रम गए हैं। किसी समय इसी प्रकार की धारणाएँ यूरोप की जनता में भी प्रचलित थी और अशत आज भी प्रचलित हैं। यह साहित्य की समाज को प्रभावित कर सकने की शक्ति का एक और रोचक उदाहरण है।

साहित्य को समाज का रूप बहा जाता है क्योंकि समाज की अच्छी बुरी सब दशाएँ साहित्य में ज्या कीं त्यो प्रतिबिम्बित रहती हैं। कालिदास के 'अभिज्ञान शाकुन्तल' में हम उस काल के समाज की मनोरम भाँकी मित्राई पढ़ती हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में भी तत्कालीन समाज का विशद अवन है। जब स आधुनिक यथायवादी प्रवृत्ति न जोर पकड़ा है तब स साहित्य का दण्डरूप और भी स्पष्ट तथा महत्वपूर्ण हो उठा है। पुराने भारतीय साहित्यकार अपने ग्रन्थों में पाप की विजय नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि वे जनता को समाज पर चलाना चाहते थे। इसीलिए सदा

पाप का फल बुरा और पुण्य का फल अच्छा प्रदर्शित किया जाता था। परन्तु यथाथवादी लेखकों ने समाज का यथातथ्य वर्णन किया है कि जो ठीक भी है। जब समाज का बुरा रूप भी साहित्य में प्रतिबिम्बित होता है, तो उसे देखकर जनता को विचारने और आत्मसुधार करने की आवश्यकता अनुभव हो सकती है। फ्रांस में रूसी और वाल्टेयर ने, रूस में टालस्टाय और गोंकी ने अपना साहित्य द्वारा यही काम किया। समाज का कलुषित और अन्यायपूर्ण रूप अपनी रचनाओं में प्रतिबिम्बित किया। फलस्वरूप दो भ्रान्तियों हुई— एक फ्रांस में और दूसरी रूस में। भारत में भी आधुनिक काल में अनेक कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में देश की दासता और दरिद्रता के भयानक चित्र अंकित किए जिनसे देश के स्वाधीनता संग्राम को बल मिला।

दशम और भी शोणित वय है जिनकी दुरावस्था एक दयनीय स्थिति का चित्रण आज के प्रगतिवादी साहित्य में हो रहा है और इस बात की पूरी सम्भावना है कि साहित्य का इस प्रयत्न का भी अभीष्ट परिणाम निकलेगा।

इस प्रकार साहित्य और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। यह निश्चय कर पाना तो बहुत कठिन है कि समाज से साहित्य प्रभावित होता है अथवा साहित्य से समाज। यह ठीक वक्ष और बीज का-सा ही प्रश्न है। बीज से वक्ष उत्पन्न होता है और वक्ष बीज से। बीज की अच्छाई पर वक्ष का विकास निभर है और वक्ष की अच्छाई पर बीज का उत्पन्न। इसी प्रकार साहित्य और समाज अयोयाश्रित है। एक के विकास या ह्रास का दूसरे के विकास या ह्रास पर प्रभाव अनिवाय रूप से पड़ता है।

३ | साहित्य और राजनीति

साहित्य मानव की युग युग से चली आ रही भाव विचार परम्परा का लिखित रूप है। उसमें मानव की इच्छाएँ और आकांक्षाय आशाएँ और निराशाय भाव और विचार, चिन्तन और मनन—जीवन और दशन—तात्पर्य यह है कि मनुष्य और उसके वातानुगमन का सम्पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है। आधुनिक युग से लेकर आज तक मानव जो साधना या विचार करता आया है उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी वह उतना ही व्याकुल और सजग रहा है। अभिव्यक्ति की यही अनिवाय आवश्यकता कला और साहित्य के रूप में अपना दाह्य गरीर प्राप्त करती रहती है। मानव का ज्ञान विज्ञान अभिव्यक्ति पाकर साहित्य बनता रहता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि ज्ञान-राशि का भण्डार का नाम ही साहित्य है।

व्यापक अर्थ में मानव का सम्पूर्ण ज्ञान ही साहित्य की परिधि में आ जाता है। साहित्य का अर्थ है—जो हितकर है। नला और काव्य, इतिहास और दशन सभी में मानव का ज्ञान संचित है—सभी हितकर हैं अतएव ये सभी साहित्य के अंतर्गत स्वीकार किए जा सकते हैं। साहित्य के लिए 'वाङ्मय' शब्द का व्यवहार भी होता है। उसका अर्थ है कि जो कुछ वाणी का विधान है, सभी 'वाङ्मय' कहा जाएगा। इस प्रकार काव्य और नाटक, उपन्यास और कहानी, गद्य काव्य और रेखाचित्र ही साहित्य या 'वाङ्मय' नहीं इतिहास राजनीति, दशन, समाज-शास्त्र, भूगोल, प्राणिशास्त्र विभिन्न विज्ञान और यहाँ तक कि ज्योतिष आर धर्मग्रन्थ भी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। कुछ सीमित अर्थ में साहित्य का अर्थ है—वाणी का रसात्मक विधान अर्थात् शब्दाद्य की रसात्मक योजना। इस अर्थ में उपन्यास और कहानी, नाटक और एकाकी कविता रेखाचित्र, हास्य-व्यंग्य आदि आनन्द लेने वाली वाणी का शब्दमय रूप ही साहित्य है। संस्कृत में इसके लिए 'काव्य' शब्द का प्रयोग होता है। इस अर्थ में वाणी का वही विधान साहित्य है जो हृदय को एक विशिष्ट प्रकार के आनन्द से श्रोत प्रोत कर दे। इस प्रकार साहित्य विशिष्ट प्रकार के आनन्द का सजन करने वाली वाणी का शब्दबद्ध रूप है।

राजनीति राज्य के शासन से सम्बंधित ज्ञान का नाम है। राजा या शासन के प्रमुख अधिकारी या शासन में सलग्न दूसरे व्यक्तियों को किस प्रकार अपनी प्रजा या राष्ट्र की जनता से व्यवहार करना चाहिए, यह राजनीति का विषय है। राजनीति एक यौगिक शब्द है जिसका अर्थ है—राजा की नीति। प्राचीन काल में राजकुमारों को राजनीति की विशेष प्रकार से शिक्षा दी जाती थी। साधारण व्यक्तियों के लिए राजनीति के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। इसका भार राजा तथा उनके मंत्रियों तक ही सीमित रहता था। आज के व्यापक अर्थ में, जब राजा लोग नहीं रहे, राज्य के शासन से सम्बंधित सभी प्रकार का ज्ञान राजनीति की सीमा में आ जाता है और कॉलेजों में इसे राजनीति-शास्त्र के नाम में पढ़ाया जाता है। जब यह कहा जाता है कि विद्यार्थियों को सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए तो राजनीति का आशय शासन की नीति से ही रहता है।

साहित्य के व्यापक अर्थ में राजनीति भी साहित्य की सीमा में आ जाती है और राजनीति के ज्ञान से सम्बंधित सारी पुस्तक साहित्य कही जा सकती हैं। साहित्य का अधशास्त्र राजनीति का अर्थ है परन्तु साहित्य की अमूल्य निधि भी है। उसमें राज्य के शासन से सम्बंधित सब प्रकार की ज्ञातय सामग्री हमें मिल जाती है। आज यदि हम साहित्य या वाङ्मय का कोई सूचीपत्र उठाए तो उसमें राजनीति की पुस्तकों के लिए भी निश्चित स्थान

होगा। इस प्रकार राजनीति को साहित्य के व्यापक अर्थ में समाविष्ट करना नितान्त उपयुक्त प्रतीत होता है।

जब हम साहित्य और राजनीति' शब्द-समूह का व्यवहार करते हैं तो साहित्य शब्द का व्यवहार उसके सीमित अर्थ में होता है। उसका तात्पर्य यह होता है कि साहित्य और राजनीति का परस्पर क्या सम्बन्ध है और साहित्य या काव्य में राजनीति का समावेश किस सीमा तक किया जा सकता है। यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि साहित्य का स्वरूप इतना व्यापक है कि उसमें चिरकाल से दशन और धर्म समाज, नीति और राजनीति तथा जीवन के शाश्वत मूल्यों की अभिव्यक्ति होती आई है। काव्य या साहित्य कोरे मनोविनोद की वस्तु नहीं उसमें मानव की विचार-निधि की अभिव्यक्ति भी रहती है। तुलसी का राम चरित मानस जीवन के शाश्वत मूल्यों का स्पष्ट निदर्शन है। सस्कृत का 'दशकुमार चरित' राजकुमारों के चरित्र का ही तो वर्णन है।

राजनीति का स्पष्ट समावेश भी साहित्य में होता आया है। ऊपर यह कहा गया है कि सस्कृत साहित्य का अमर ग्रन्थ कौटिल्य का अर्थशास्त्र' राजनीति का ही ग्रन्थ है। पञ्चतन्त्र की रचना राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य में ही की गई थी। उसमें कहानियों के माध्यम से राजनीति की शिक्षा में समाविष्ट हुई। सस्कृत का मुद्राराक्षस' नामक राजनीति के दावपेचा का सुन्दर निदर्शन है। वास्तविकता यह है कि जो साहित्य—चाहे वह नाटक है या उपन्यास काव्य ही या निबन्ध ऐतिहासिक विषय वस्तु में सम्बन्ध रखेगा—उसमें राजनीति का पुट भी अपने आप आ जाएगा। कोई भी साहित्यिक कृति अपने युग के प्रभाव युग की परिस्थितियाँ तथा तत्कालीन राजनीति वातावरण आदि नानाविध परिस्थितियों से अछूती नहीं रह सकती। अतः युग का प्रभाव तो साहित्य पर पड़ता ही है। इसलिए कहा जाना है कि साहित्य समाज का दर्पण है। राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण भी साहित्य में इस रूप में अपने आप हो जाता है।

आधुनिक हिन्दी साहित्य ही नहीं आदिकाल से लेकर आज तक के स हिन्दी साहित्य में अपने अपने युग की राजनीति की स्पष्ट छाप है। चदवरदा और जर्गानक की रचनाओं का विषय ही राजनीति है। भक्तिकाल में भी यकी प्रचुरता का कारण राजनीति प्रायः उपेक्षित रही। रीतिकाल में श्रृंगार साहित्य के साथ-साथ इस प्रकार के साहित्य की भी रचना होती रही। नवजातीय राजनीति पर प्रकाश डालता है। भूषण की रचनायें इस प्रवृत्ति का उदाहरण हैं।

आधुनिक काल में आकर राजनीतिक वातावरण और राजनीति

मामांय बातों का अच्छा समावेश साहित्य में हुआ। भारत की रचनाओं में राजनीति की स्पष्ट छाप है। उनका 'भारत दुर्दशा नाटक' तत्कालीन राजनीतिक स्थितियों का ज्वलन्त उदाहरण है। इस नाटक में अंग्रेजों के शासन, उनकी अत्याचारपूर्ण नीतियाँ, टैंक्स और मंहगाई आदि का अच्छा चित्रण हुआ है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में भी राजनीति का पर्याप्त पुट है। यहाँ तक कि प्रसाद की 'कामायनी' में भी इसके कुछ सकेत मिलते हैं। कुछ पक्तियाँ देखिये—

"आह प्रजापति, यह न हुआ, कभी न होगा।
निर्बाधित अधिकार आज तक किसने भोगा।"

आजकल के उपयासों में राजनीतिक वातावरण भी चित्रित होता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के 'बैशाली की नगर वध', सोमनाथ' सत्यकेतु विद्यालंकार का 'आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य', बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के 'माधव जी सिंधिया', 'झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई' आदि बहुत से उपयासों में तत्कालीन राजनीतिक वातावरण का स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। इस दृष्टि से बाबू वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास बहुत अधिक सफल हुए हैं। छुट-पुट प्रसंगों में तो राजनीति का चित्रण या उसकी छाप तो उपन्यासों या काव्यों में सबत्र देखी जा सकती है।

इस प्रकार सन्देह नहीं कि साहित्य में राजनीति की अभिव्यक्ति भी स्पष्ट रहती है। यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि साहित्य में राजनीति की अभिव्यक्ति किस रूप में हो सकती है या होनी चाहिए। इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि साहित्य की रसात्मकता और कलात्मकता की रक्षा और निर्वाह करते हुए, राजनीति भी साहित्य का विषय बन सकती है। किसी भी कलाकृति में राजनीति का समावेश या राजनीतिक वातावरण का चित्रण उसी सीमा तक होना चाहिए, जहाँ तक वह साहित्य पर हावी न हो जाए।

साहित्य का गुण है रसवत्ता और आनन्द। राजनीति एक ज्ञान है और वह ज्ञान नीरस है। दूसरी बात यह है कि राजनीति जीवन के प्रश्नों का समाधान शासन की दृष्टि से खोजती है वह प्रायः अधी होती है, अपनी यथायता में उसमें सत्य और न्याय का स्थान प्रायः कम ही रहता है परन्तु साहित्य जीवन के शाश्वत आदर्शों की प्रतिष्ठा करता है और सत्य और न्याय, प्रेम और विश्वास आदि मानव वृत्तियों की रसात्मक व्याख्या करके उन्हें प्रेयणीय और 'सहित' बनाता है, अतएव यदि राजनीति मात्र एक भावधारा के रूप में धूल मिल सके तो कोई हानि नहीं, परन्तु उसकी अति कमी स्वीकार नहीं की जा सकती।

साहित्य में राजनीति का अवाध प्रवेश ग्राह्य नहीं कहा जा सकता है। इस

से वह सामायिकता के दोष से तो बच नहीं सकेगा, साथ ही वह साहित्य न रहकर राजनीतिक प्रचार का साधन मात्र बन जायेगा। किसी देश की राजनीति के भावित रूप की अन्तर्धारा का समावेश ही साहित्य में हो सकता है। इस प्रकार की साहित्यिक कृतियाँ जसी आजकल राजनीतिक दलों द्वारा संचालित पत्र-पत्रिकाओं में देखने में आती हैं कुछ विशेष राजनीतिक विचारों की शुष्क अभिव्यक्ति हैं साहित्य नहीं। शासन की ओर से भी इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए।

आज के साहित्य में प्रगतिवादी विचारधारा, जहाँ अपने में प्रगतिवादी दमन को पचाकर चली है वहाँ वह साहित्य की उच्च कोटि का सामग्री मानी जा सकती है परन्तु विहीन विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करने वाली कृतियाँ साहित्य से बहिष्कृत होनी चाहिए। राजनीतिक नारेबाजी को साहित्य कभी नहीं कहा जा सकता। आज यदि कोई साहित्यिक रचना आधुनिक राजनीतिक वातावरण को लेकर लिखी जाती है, तो उसका उद्देश्य प्रचार और निष्पक्ष चित्रण होना चाहिए ताकि वह पाठक को युग की गतिविधि का परिचय दे सके।

साहित्य द्वारा राजनीति की शिक्षा का प्रश्न आज के युग के लिए स्वीकार्य नहीं है। भले ही कभी राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कोई ग्रंथ लिखा गया हो पर आज न राजकुमार हैं न किसी व्यक्ति-विशेष का राज्य। फिर साहित्य मानुषमती का पिटाग नहीं है जिसमें समाजशास्त्र दशन या राजनीति आदि ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का निदर्शन या व्याख्यान रहे। साहित्य जीवन की व्याख्या है। इस व्याख्या में सामयिकता के स्थान पर शाश्वत की अभिव्यक्ति को ही अधिक महत्त्व मिलना चाहिए। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि किसी रचना में राजनीतिक वातावरण का चित्रण भी हो परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि साहित्य राजनीति की पुस्तक ही बन जाए।

साहित्य और राजनीति ता पथक-पथक धाराएँ हैं और उनके मूल में ही अन्तर्गत पाताल का अन्तर है। यदि राजनीति के सम्बन्ध में साहित्य के आचार्यों या साहित्यकारों के मनोबोधों पर दृष्टि डाली जाए तो यह प्रतीत होगा कि राजनीति के सम्बन्ध में इन आचार्यों के विचार अशुद्ध नहीं हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि राजनीति मूला पानी है जो अपनी उदगी को दूसरा पर फेंकता है। राजनीति एक मनन वेश्या है, जो भले भले लोगों को पसानी और उन्हें माग भ्रष्ट करती है। साहित्य शाश्वत मानव मूल्यों की रक्षा में सतत प्रयत्नशील रहता है। उमका गुण है—सत्य शिव सुन्दर की रक्षा। कहने की आवश्यकता नहीं कि राजनीति में इन तीनों गुणों के

साहित्य और विज्ञान

लिए कोई स्थान ही नहीं। वह तो शासन की सफलता की ध्वजपाटिका है, चाहे वह कैसे भी साधना से हो।

इस प्रकार साहित्य एक पवित्र धरोहर है—मानव की सुन्दर और पावन वृत्तियों की अभिव्यक्ति जो पूजा की वस्तु है परन्तु राजनीति बुद्धि के दाव-पेचों का खेल है। साहित्य में राजनीतिक अभिव्यक्ति उसी सीमा तक प्राण-रक्षा होती रहे, जहाँ तक साहित्य हमें भ्रूलौकिक आनन्द प्रदान करता रहे। प्रचार साहित्य का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए साहित्य द्वारा राजनीतिक वक्तव्यों का प्रचार आत्महत्या करना है। साहित्य की शिवता मानव-वक्तव्यों के प्रसार में है शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा में है न कि दलगत प्रचार की सोद्देश्यता में। साहित्य की इस पावनता की रक्षा हर स्थिति में होनी ही चाहिए।

४ | साहित्य और विज्ञान

अपने मूल रूप में साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र, उनकी गतिविधियाँ एक दिशाएँ, जीवन के प्रति उनकी दृष्टियाँ सबथा भिन्न हैं। साहित्य मन की कोमलकान्त भावनाओं को सूक्ष्म एवं अदृश्य समार प्रदान करता है, जबकि विज्ञान का मन की कोमल-कान्त एवं सूक्ष्म भावनाओं के साथ वहीं दूर का भी सम्बन्ध नहीं रहा करता। वह जीवन के स्पूल भौतिक एवं ठोस तत्वों पर आधारित रहता है। साहित्य के आधार रूपा का कोई तोल-माप नहीं होता, जबकि विज्ञान उन्हीं तत्त्वों पर आधारित रहा करता है कि जिन्हें नापा-तोला जा सकता है या फिर कम से कम गणित की सहायता से जिन तत्त्वों को हिसाब किताब की सीमा में बाधा जा सकता है। विज्ञान ने उन्हीं को ही अपना आधार बनाया है। इस प्रकार प्रत्यक्ष साहित्य और विज्ञान में कोई सम्बन्ध दिव्याई नहीं देता। हाँ जहाँ तक दोनों के चरम उद्देश्यों का प्रश्न है, उन दृष्टियों से हम दोनों को एक ही लक्ष्य बिन्दु की ओर अग्रसर कर सकते हैं। वह लक्ष्य बिन्दु है जीवन के चरम सत्य का अन्वेषण और उस व्यावहारिक दृष्टियों से मानव-जीवन के लिए उपयोगी बना देना। इसके अतिरिक्त साहित्य और विज्ञान दोनों मूलतः अपने आस-पास के व्यवहार जगत से ही प्रेरणा लेकर अपने अपने कलेवर और प्राण-तत्त्व का विनिर्माण करते हैं। साहित्य का रूपायन एक प्रत्यक्ष भाषा लिपि में हुआ करता है जबकि विज्ञान की भाषा-लिपि एक यन्त्र के रूप में रूपाकार ग्रहण करके

साहित्य और विज्ञान

सभी रूपों से मानव की बौद्धिक चेतनाओं एवं प्रवृत्तियों को ही प्रथम दिया है, प्रभावित किया है। इसी बात का यह प्रमाण है कि वैज्ञानिक उन्नति के इस प्रतिवादी युग में ममत्व प्रायः हृदयहीन होता जा रहा है। चारों ओर घनास्था, भविष्यवादी युग का प्रयत्न करता है वहाँ विज्ञान है। साहित्य जहाँ टूटे हृदयों को जोड़ने का प्रयत्न करता है वहाँ विज्ञान जुड़े हृदयों में भी दरारें डालने का सतत और सफल प्रयास कर रहा है। अतीत में भी जब ज्ञान-विज्ञान का अति की सीमा तक विकास हुआ इसी प्रकार के प्रमाण सामन्य भाए—इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है।

विज्ञान का प्रभाव किसी युग में चाहे कौसा भी क्यों न रहा हो, उसके परिणाम चाहे कितने भी सचालक क्यों न हुए और हो रहे हों, फिर भी इस बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि व्यवहार जगत के समान ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियों ने साहित्य के अन्त देश में भी एक प्रत्यक्ष हलचल मचा दी है। तभी तो आज साहित्य के समान अन्यान्य सभी कलाएँ भी सूक्ष्म से अनवरत स्थूल की ओर अग्रसर होती जा रही हैं। साहित्य में आज हृदय-देश के स्थान पर बुद्धि-देश अधिकाधिक उजागर होता जा रहा है। साहित्य में आज हृदय-कल्पना का स्थान पटांगी यथाय ने ले लिया है। साहित्य में आज हृदय-अनेक प्रकार की मान्यताएँ, रुढ़ियाँ एवं उक्तियाँ प्रचलित चली आ रही थी, विज्ञान ने उनके अन्त देश पर सीधी चोट पहुँचाई है। उसने साहित्य के उपमानों, प्रतीक-विधानों और विम्ब-योजनाओं तक में आमूल-बूल परिवर्तन लाकर रख दिया है। आज यदि हम प्रेयसी के मुख की उपमा चाँद से देना चाहें, तो सहसा हमारे सामने राख से काले उबड़-खाबड़ का विम्ब उभर कर रह जाएगा। यदि 'कनक छठी-सी कामिनी' कहना चाहें तो सारा कचन किन्हीं रासायनिक प्रक्रिया में पड़ कर पिघलता नजर आएगा। यदि प्रेयसी को हम नवनीत (मासुन) भ्रगी कहना चाहें तो हमारे सामने जाने किस प्रकार के मिलावटी स्वाद वाली एक पुढिया या पैन्केट-वा ता उभार उभारने लगेगा कि जिसमें न तो वास्तविक कोमलता ही है और न स्निग्ध तरलता ही। इस प्रकार विज्ञान के प्रभावों ने साहित्य-कलाओं के लालित्य-तत्त्व के सारे शीरीजे को ही बिखरा कर रख दिया है।

यह विज्ञान का ही प्रभाव है कि आज कविता गद्य, चित्रकला भाड-टेढ़ी अबूझ रेखाएँ और गद्य कुछ सवेत मात्र बन कर रह गया है। पहले साहित्य को अपने सजन कर्ता के व्यक्तित्व का परिचायक माना जाता था, पर आज वह उसके भिदेस का ही परिचय दे पाता है, वास्तविक स्वरूप का नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि विज्ञान की किसी उपलब्धि में वैज्ञानिक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष दर्शन कभी भी नहीं हुए या होते, पर साहित्य में कुछ वर्षों

हमारे सामने आती है। साहित्य सूक्ष्म एव सम्भावित साहित्य का अन्वेषक होता है जबकि विज्ञान स्थूल एव ठोस सत्य का। साहित्य के अन्वेषित साहित्य को भावना के स्तर पर केवल अन्तरात्मा या अन्तर्मन में धनुष किया जा सकता है, जबकि विज्ञान द्वारा अन्वेषित सत्य के ठोस रूप को प्रत्यक्ष रूप से भोगा जा सकता है। इस प्रकार साहित्य और विज्ञान में स्वरूपगत, प्रवृत्तिगत और आत्म-तत्त्व की दृष्टियों से एक महद् अन्तर रहते हुए भी आज का साहित्य विवश है कि वह विज्ञान की उपलब्धियों की उपेक्षा न करे, जबकि विज्ञान के समक्ष इस प्रकार की कोई भी विवशता नहीं है। वह साहित्य से सर्वथा निरपेक्ष रहकर अपनी अनवरत दौड़ में निरत है। उसके पास इस बात का न तो अवसर ही है और न वह दृष्टियाँ ही कि जिससे वह यह देख सके, कि उसकी दौड़ मानवता का हित-साधन किस सीमा तक कर पा रही है और किस सीमा तक वह मानवता को विनाश के कगारों तक ढकेलत लिए जा रहा है। दूसरी ओर साहित्य में यह सब देखने-जाँचने का समय और अवकाश तो रहते ही हैं, इस प्रकार की सूक्ष्म दृष्टियाँ भी रहा करती हैं। इसी कारण साहित्य का प्रभाव सावजनीन, सावकलिक और शाश्वत माना जाता है जबकि विज्ञान की उपलब्धियाँ दिन प्रतिदिन पुगेनी पडती जाती हैं। एक उपलब्धि का स्थान दूसरी उपलब्धि ले लेती है।

साहित्य का मन्व-घ जीवन के शाश्वत तत्त्वों, रूपों एव चेतनाओं के साथ रहा करता है, इसी कारण वह अपनी उपलब्धियों पर नाज कर सकता है, वह अपनी अमरता का दम भी भर सकता है। निश्चय ही साहित्य में सावकलिकता ही अधिक होती है। किन्हीं कारणों से सब कुछ विनष्ट हो जाने के बाद भी अपने रूप में साहित्य कभी नष्ट नहीं होता। स्थूल रूप में विनष्ट होकर भी सूक्ष्म रूप में साहित्य कभी भी विनष्ट नहीं होता। इसके विपरीत स्थूल स्वरूप वाला विज्ञान तब-सा भी पथभ्रष्ट होकर सृष्टि के दृश्य प्रदत्त रूपाकार को तो नष्ट भ्रष्ट कर ही देता है या भद्दा एव कुरूप बना ही देता है स्वयं भी समूल नष्ट हो जाया करता है। हजारों लाखों वर्ष पहले जो साहित्य रचा गया था वह आज भी किसी न किसी रूप में सुरक्षित है जबकि सक्ठो वर्षों पहले के वैज्ञानिक उपकरण यंत्र या शस्त्रास्त्र रूप भी आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि साहित्य में स्थाय रहता है जबकि विज्ञान में इसका अभाव।

साहित्य और विज्ञान में इन सूक्ष्म अन्तरों को जान लेने के बाद अब इनके परस्पर पडने वाले प्रभावों की चर्चा कर लेना भी समत रहेंगे। साहित्य का क्षेत्र हृदय है। वह हृदय से उत्सृत होकर हृदयों पर ही अपना गहरा प्रभाव डालता है। इसके विपरीत विज्ञान बुद्धि की उपज है। उमने अपने स्थूल-सूक्ष्म

१। सभी रूपों से मानव की बौद्धिक चेतनाओं एवं प्रवृत्तियों को ही प्रश्रय दिया है, प्रभावित किया है। इसी बात का यह प्रमाण है कि वैज्ञानिक उन्नति के इस प्रतिवादी युग में ममत्व प्रायः हृदयहीन होता जा रहा है। चारों ओर अनास्था, अविश्वास एवं पराएपन का वातावरण छा रहा है। साहित्य जहाँ टूटे हृदयों को जोड़ने का प्रयत्न करता है वहाँ विज्ञान जुड़े हृदयों में भी दरारें डालने का सतत और सफल प्रयास कर रहा है। प्रतीत में भी जब ज्ञान विज्ञान का अति की सीमा तक विकास हुआ, इसी प्रकार के प्रमाण सामन आए—इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है।

विज्ञान का प्रभाव किसी युग में चाहे कौंसा भी क्यों न रहा हो, उसके परिणाम चाहे कितने भी सचालक क्यों न हुए और हो रहे हों, फिर भी इस बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि व्यवहार जगत के समान ज्ञान-विज्ञान की उपलब्धियों ने साहित्य के अन्त देश में भी एक प्रत्यक्ष हलचल मचा दी है। तभी तो आज साहित्य के समान अन्यान्य सभी कलाएँ भी सूक्ष्म से अनवरत स्पूल की ओर अग्रसर होती जा रही हैं। साहित्य में आज हृदय-देश के स्थान पर बुद्धि-देश अधिकाधिक उजागर होता जा रहा है। माय की कल्पना का स्थान पठारी यथाय ने ले लिया है। साहित्य में परम्परा से जो अनेक प्रकार की मान्यताएँ, रूढ़ियाँ एवं उक्तियाँ प्रचलित चली आ रही थी, विज्ञान ने उनके अन्त देश पर सीधी चोट पहुँचाई है। उसने साहित्य के उपमानों, प्रतीक-विधानों और बिम्ब-योजनाओं तक में आमूल-चूल परिवर्तन लाकर रख दिया है। आज यदि हम प्रेयसी के मुख की उपमा चाँद से देना चाहें, तो सहसा हमारे सामने राख से काले उबड़-खाबड़ का बिम्ब उभर कर रह जाएगा। यदि 'कनक छठी-सी कामिनी' कहना चाहें तो सारा कचन किन्हीं रासायनिक प्रक्रिया में पड़ कर पिघलता नजर आएगा। यदि प्रेयसी को हम नवनीत (भाखन) अग्री बहना चाहें, तो हमारे सामने जाने किस प्रकार के मिलावटी स्वाद वाली एक पुडिया या पैकेट-का सा उमार उमारने लगेगा कि जिसमें न तो वास्तविक कोमलता ही है और न स्निग्ध तरलता ही। इस प्रकार विज्ञान के प्रभावों ने साहित्य-बलाओं के लालित्य-तत्त्व के सारे शीरीजे को ही बिखरा कर रख दिया है।

यह विज्ञान का ही प्रभाव है कि आज कविता गद्य, चित्रकला भाइ-टैडी अबूक रेखाएँ और गद्य कुछ सकते मात्र बन कर रह गया है। पहले साहित्य को अपने सृजन कर्ता के व्यक्तित्व का परिचायक माना जाता था, पर आज वह उसके भिदेस का ही परिचय दे पाता है, वास्तविक स्वरूप का नहीं। यह भी ध्यान देने की बात है कि विज्ञान की किसी उपलब्धि में वैज्ञानिक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष दृशन कभी भी नहीं हुए या होते, पर साहित्य में कुछ वर्षों

पहले तर तो कम से कम सर्जक बलाकार का व्यक्तित्व प्रत्यक्षत भंगना रहा है। इस प्रकार विज्ञान का प्रभाव हमारी स्पृह इन्द्रिया तक ही साधित होकर रह जाता है, जबकि साहित्य का प्रभाव रोम रोम के अन्तस्तर को झुंझोड़ कर रख देने की अद्भूत शक्ति रखता है। विज्ञान का साहित्य पर एक महत्वपूर्ण उपकार भी है। यह वास्तव में अत्यधिक सराहनीय है। विज्ञान की एक शाखा मनोविज्ञान भी है। उस शाखा के सिद्धान्तों को अपना कर ही आज का साहित्य मानव मन की अन्तश्चेतनाओं के उदघाटन की अद्भूत क्षमता प्राप्त कर सका है। इसी प्रकार एक अन्य दृष्टियों से भी विज्ञान का महत्व स्वीकार किया जा सकता है। उसमें आज साहित्य को अपना वष विषय बनाने के लिए अनक नए-नए क्षितिज प्रदान किए हैं। ज्ञान विज्ञान के आधारभूत विषयों को अपना कर आज अनक प्रकार का समृद्ध साहित्य रचा जा रहा है। इसी प्रकार विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने साहित्य को कौपी कल्पनाओं के आल-जाल से निवृत्त कर जीवन के प्रति व्यावहारिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना देने की भी प्रेरणा प्रदान की है। इसी कारण साहित्य अब केवल मनोरंजन और तयाकथित अलौकिक रस या आनन्द का पोषक न रहकर जीवन-समाज का सच्चा पथ प्रदर्शक बन पाने की क्षमता से भी सम्पन्न हो सका है। तभी तो वह विगत कुछ शकितियों से विश्व मर में अनेक प्रकार की अद्भूतपूर्व शक्तियों का सृजन कर चुका है। साहित्यकार के दृष्टिकोण को सन्तुलित एवं वैज्ञानिक परिवेश प्रदान करने में भी विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस सारे विवेचन के निष्कर्ष स्वरूप अंत में हम यह कहना चाहते हैं यदि साहित्य अपने जसी कोमलता और शान्त चित्तता विज्ञान को भी कर पाता तो निश्चय ही वह दिन मानव-संसार के लिए सर्वाधिक होता। पर मात्र बौद्धिक व्यायाम और आयाम का परिणाम होने के विज्ञान से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। हाँ साहित्यकार अवश्य ही रूप से विज्ञान और उसकी समस्त उपलब्धियों को आत्मसात् करके वातावरण अवश्य तैयार कर सकता है कि जिससे विज्ञान की मात्र उपलब्धियाँ भी मानवता का अधिकाधिक हित-साधन कर सकें। ऐसा ही सकता है कि जब साहित्यकार तो विशुद्ध मानवीय दृष्टिकोण तो अपना ही विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए करे। इसी में आज के सन्दर्भों में साहित्य और विज्ञान दोनों सापेक्षता है।

कला कला के लिए या जीवन के लिए

५

कला कला के लिए या जीवन के लिए

चित्त को आह्लादित करने वाली रचना कला कही जाती है, चाहे यह कोई सुन्दर कविता हो, या कोई रमणीय चित्र हो, या फिर वीणा का मादक संगीत हो। कला के इसी गुण को ध्यान में रखते हुए सस्कृत आचार्यों ने काव्य का लक्षण बताते हुए 'रसात्मक वाक्य' को ही काव्य बतलाया था। जिस रचना को पढ़कर आनन्द आ जाए, वह उनकी दृष्टि में काव्य थी।

चिर-यौवना कला युगा से शृंगारित होती आ रही है। कलाकारों ने अपनी कलाकृतियों के फूलों से कला की देवी की शाश्वत आराधना की है और कर रहे हैं। कुछ कृतियाँ ऐसी भी रची गईं कि जिनमें सहृदय में आनन्द की अनुभूति नहीं होती। ऐसी कृतियों को कला की दृष्टि में रखा ही नहीं गया। पर जो रचनाएँ लोगों को आनन्दित करती थी, वे भी दो प्रकार की थीं। एक आनन्ददायक हान के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को उन्नत करने वाली और दूसरे प्रकार की कला-कृतियाँ रसपूर्ण होने पर भी या तो जीवन को पतित करने वाली थी, अथवा जीवन से उनका कोई भी सम्बन्ध न था। वहाँ जा सकता है कि वे जीवन-निरपेक्ष थीं। इन दो प्रकार की रचनाओं के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ कि कला का लक्ष्य क्या है? वह केवल चित्त को आह्लादित करे या उसे जीवन को मंगलमय बनाने की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।

यह विवाद शायद किसी पुराने समय में हमारे देश में भी उत्पन्न हुआ होगा। पर भारतीय आचार्यों ने तो अपनी सम-वय बुद्धि के अनुसार काव्य के प्रयोजन गिनाते हुए 'काव्य यशसे अथकृते व्यवहारविदे, शिवेतरक्षये, सद्य परनिवृत्तये, वातासम्मिमतयापदशयुजे' कहकर इस विवाद का गला ही घोट दिया था। उनके कथनानुसार काव्य का प्रयोजन यश की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा, अमंगल की शान्ति, शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति और पत्नी की भाँति प्रेम भरी रीति से उपदेश देना था। इस प्रकार यद्यपि भारतीय आचार्यों की दृष्टि में काव्य का एक प्रयोजन पत्नी की भाँति प्रेमभरी रीति से उपदेश देना भी था, किन्तु उसका स्थान अन्य सब प्रयोजनों की तुलना में गौण रहा। इसको भी एक प्रयोजन स्वीकार कर लेने से विवाद समाप्त हो गया।

आधुनिक काल में यह विवाद चला यूरोप में और वही से यह आधुनिक हिन्दी साहित्य में भी आया। वहाँ साहित्यशास्त्रियों के दो दल बन गये थे। एक का कथन था कि कला की कसौटी केवल उसका उत्कृष्ट होना ही है। अर्थात्

यदि कोई रचना चित्त को आह्लादित करती है, तो वह भ्रवश्य ही उत्कृष्ट कला है मले ही उससे लोगो का वैयक्तिक और सामाजिक जीवन पतित और भ्रष्ट होता हो। इस विचारधारा के समर्थक वाल्टर, आँस्कर वाइल्ड, स्पिनगान और ब्रँडले इत्यादि रहे। परन्तु इसने ठीक विपरीत एक और विचारधारा भी जिसके समर्थक जान रस्किन, टॉलस्टॉय, मैथ्यू आनल्ड, आई० ए० रिचर्ड्स इत्यादि थे। इनका कथन था कि यदि कोई कला कृति वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है तो वह चाहे कितना ही चित्त को आह्लादित करने वाली क्यों न हो, उसे उत्कृष्ट कला नहीं माना जा सकता। इन विचारको के कथनानुसार सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उन्नत करना भी कला का एक अनिवार्य उद्देश्य है। जो रचना इस कसौटी पर खरी न उतर, उसे कला नहीं कहा जा सकता। जो कलाकृति चित्त को आह्लादित करने की छाड मे मनुष्य को पतन के भाग पर चलने की प्रेरणा देती है, उसे कला कहना कला का मूल्य गिराना है।

इस प्रकार ये दो परस्पर-विरोधी विचारधाराएँ जोर-शोर के साथ चलीं। दोनों के समर्थक उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में भी ये विचारधाराएँ प्रतिबिम्बित होती रही। उदाहरण के लिए आँस्कर वाइल्ड ने अपनी रचनाओं का लक्ष्य केवल चित्त की आह्लादकता रखा जबकि टॉलस्टॉय की रचनाएँ समाज को उन्नत करने का ध्येय लेकर चलीं।

'कला कला के लिए सिद्धान्त के समर्थक कहते हैं कि जिन लोगो को शिक्षा और उपदेश की आवश्यकता है, वे धम-ग्रन्थ पढ़ें। उन पर मुसीबत क्या पड़ी है कि वे कविता या उपन्यास पढ़कर ही शिक्षा ग्रहण करें? ब्रिसे ज्वर की चिकित्सा करनी है वह कुनीन पिये, शरबत के गिलास भी और जाये ही क्यों? शरबत तो मुँह मीठा करने के लिए है, मुखार उतारने के लिए नहीं।

स्पिनगान न कहा कि कला और आचार-शास्त्र दो बिल्कुल पृथक वस्तुएँ हैं। कला मे सदाचार को ढूँढना ठीक ऐसा ही है जैसे कोई गणित मे सदाचार ढूँढने लगे और कहे कि त्रिभुज का चित्र दुराचारपूर्ण है और चतुर्भुज का सदाचारपूर्ण।" इस तरह कला की परीक्षा केवल उसके चित्त को आह्लादित कर सकने की शक्ति के आधार पर होनी चाहिए उसके द्वारा सदाचार के प्रचार को मात्रा के आधार पर नहीं।

इस दृष्टिकोण मे सत्य का अर्थ बिल्कुल न हो, यह बात नहीं है। सदाचार का प्रचार जीवन के लिए उपयोगी हो सकता है परन्तु यह उपयोगिता १ दृष्टियों ही ता जीवन का सबस्व नहीं है। शरीर और चमेली के फूल होते हैं उन्हें सूँघकर मन प्रफुल्लित हो जाता है परन्तु उनकी सच्ची

कला कला के लिए या जीवन के लिए

नहीं बन सकती है। सब्जी बड़हल, सेमन और मुहाजने के फूलों की बंन सकती है। तो क्या शिरीष और चमेली को इसलिए फूल ही न माना जाए, क्योंकि वे सब्जी बनाने के लिए उपयोगी नहीं। या फिर इस कारण बड़हल, सेमन और मुहाजने को शिरीष और चमेली से भ्रच्छा फूल मान लिया जाए।

स्पष्ट है कि सदाचार के प्रचार और जीवन के लिए उपयोगिता को कला का अनिवार्य प्रयोजन नहीं माना जा सकता। यदि मान लिया जाए तो 'चना जोर गरम' के पद्या को अथ बहुत-सी कविताओं की अपेक्षा ऊँचा स्थान देना होगा क्योंकि वे अधिक उपयोगी हैं।

हम यह माने बिना नहीं रह सकते कि जीवन में आनन्द या एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। उस आनन्द के लिए बहुत कुछ त्याग किया जाता है, बहुत कुछ गवाया जाता है। जो लोग आतिशबाजी छोड़ते हैं, वे इसका स्पष्ट उदाहरण हैं। मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्षण भर बाद रास हो जाता है। पर आतिशबाजी का आनन्द लोग लेते ही हैं और उन्हें कोई भूल नहीं कहता। इसी तरह भ्रशत यह बात सत्य है कि कोई रचना सचमुच चित्त को आह्ला दित करती है, तो उसका अपना महत्त्व है, भले ही वह जीवन को पतित भी करती हो।

किन्तु इसकी भी कोई सीमा बनानी होगी। लोग आतिशबाजी में पैसा फेंक कर आनन्द लेते हैं यह सच है, किन्तु आतिशबाजी देखने के लिए कोई अपना घर नहीं फूक देता। इसी तरह यह भी ठीक है कि शिरीष और चमेली के फूल बहुत मुर्गा घत होते हैं और पोस्त के फूल बहुत सुन्दर होते हैं। परन्तु यदि सब लोग शिरीष, चमेली और पोस्त की ही खेती करने लगें, तो 'कला को कला के लिए' बताने वालों का जीना भी मुश्किल हो जाए।

कलाकृतियाँ समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कोई भी अच्छी कविता देखते-देखते लोगों की जबान पर चढ़ जाती है। अच्छे उपन्यासों के पात्र लोगों के सामने सजीव से चित्रित रहते हैं। जो रचना कला की दृष्टि से जितनी अधिक उत्कृष्ट होती है, उसका जनता पर उतना ही अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि सभी या अधिकांश उत्कृष्ट कलाकृतियाँ मानव-जीवन को पतन की ओर ले जाने वाली हो, तो समाज का भविष्य कदापि उज्ज्वल नहीं कहा जा सकता। चित्त को आह्लादित कर सबने को शक्ति कला की बहुत बड़ी शक्ति है और उसका प्रयोग यदि समाज के कल्याण के लिए किया जाए, तो यह अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यदि इस शक्ति को उल्टे रास्ते लगा दिया जाए तो यह समाज का सर्वनाश भी उतनी ही सरलता से कर सकती है।

अब प्रश्न आनन्द और कल्याण में से चुनाव करने का है, दूसरे

प्रेय और श्रेय में से एक के चुनाव का। जिस प्रकार कोई भी विवेकशील युवक केवल सौन्दर्य पर रीझ कर विषय-या से विवाह करने को तैयार न होगा, या कोई भी व्यक्ति मीठे के लोभ में जहरीली मिठाई खाने को तैयार न होगा, उसी प्रकार कोई भी स्वस्थ समालोचक, अमंगलकारिणी—चाहे वह चित्र को कितना ही आह्लादित क्यों न करती हो—कला का स्वागत न करेगा। आनन्द बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, किन्तु स्वास्थ्य उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो आनन्द स्वास्थ्य के मोल पर मिले वह तो साक्षात् विष है।

इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि यदि कला चित्र को आह्लादित भी करे और साथ ही मंगलकारिणी भी हो, तो वह सबसे अच्छी है। यदि हमारा सामने दो रचनाएँ हों, जिनमें चित्र को आह्लादित करने की शक्ति तो समान हो, पर एक से अच्छी शिक्षा मिलती हो और दूसरी से बुरी, तो निःसन्देह अच्छी शिक्षा देने वाली रचना ही अच्छी कही जाएगी।

कलावादी और आदेशवादी दोनों ही सिद्धांत इस दृष्टि से अपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। उनमें से कोई भी अकेला सही नियम करने में हमारी सहायता नहीं कर सकता। संस्कृत आचार्यों का समन्वययुक्त दृष्टिकोण ही हमारा ठीक पथ प्रदर्शन कर सकता है। उसके अनुसार कलाकृति का मुख्य उद्देश्य चित्र को आह्लादित करना और गौण उद्देश्य मंगलकारी उपदेश देना है।

हमारे भारतीय कलाकार इसी बात को सामने रखकर चलते रहे हैं। बाल्मीकि व्यास, कालिदास, सूर और तुलसी की रचनाओं में शिक्षा और उपदेश की ओर ध्यान अवश्य रखा गया है किन्तु उन रचनाओं में चित्र की आह्लादित करने की शक्ति को अधिकतम बढ़ाने की चेष्टा की गई है। इसीलिये सफल हैं। आधुनिक युग में प्रेमचन्द जी ने अपने उपन्यासों में यही सफलता प्राप्त की है। वे एक शिक्षा मन में लेकर चल रहे होते हैं किन्तु उनके उपन्यासों में वह शिक्षा कला के तले दबी रहती है। जहाँ कला शिक्षा के तले दबी जाती है, वहाँ साहित्यकार उपदेशक बन जाता है।

वस्तुतः कला में सौन्दर्य और मंगल दोनों ही गुण अभीष्ट हैं, परन्तु जहाँ तक बिगुड़ कला का प्रश्न है, मंगल का स्थान सौन्दर्य की अपेक्षा गौण है। मंगल के बिना भी कला 'कला' कही जा सकती है किन्तु सौन्दर्य के अभाव में कला की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सौन्दर्यमयी कला का सुरसरिता में समान हितकर होना ही बांछित है—

‘कीरति भनिति भूति भलि सोई
सुरसरि सम सब कहँ हित होई।’

६ साहित्यकार का दायित्व

प्रत्येक युग का साहित्य युगीन-समाज-सापक्ष हुआ करता है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य में युगीन समाज और समाज तथा जीवन के शाश्वत मूल्य ही प्रतिबिम्बित रहा करते हैं। साहित्य समाज से ही अपनी भाव और विचार मामूरी सकलित करके, उसे अपने परिवेश में ढाल कर, सजा-सवार कर फिर समाज और जीवन को ही उसके चिरन्तन हित के लिए अर्पित कर दिया करता है। साहित्य समाज और जीवन का सच्चा हित चिन्तक और पथ-प्रदर्शक हुआ करता है। साहित्य और समाज तथा जीवन में अग-अग्नि-भाव है। इस प्रकार की अनेक बातें हमें साहित्य और समाज के विभिन्न तथा विविध क्षेत्रों में, आरम्भ से ही सुनने को मिलती आ रही हैं। वास्तव में इस प्रकार की उक्तियों द्वारा साहित्य-समाज में सापेक्षता की जो प्रतिष्ठा की जाती है उसके मूल में साहित्यकार का दायित्व स्वतः ही अन्तर्हित दिखाई देने लगता है। क्योंकि यह सापेक्षता साहित्य में तभी आ सकती है कि जब प्रत्येक युग का साहित्यकार अपने जीवन-सम्बन्धी मूल्यों और कृत्यों के प्रति सजग रहा हो। यह एक निखरा हुआ तथ्य है कि प्रत्येक युग के सच्चे और निरपेक्ष साहित्यकार ने जीवन और समाज के प्रति अपने इस दायित्व को पूरा सजगता से निभाया है। तभी तो साहित्य में जीवन के उन शाश्वत तत्त्वा एव मूल्यों का समावेश हो सका है कि जो आज भी मानव-सम्पत्ता-संस्कृति को मानवता के मूल उत्स से तो जोड़े हुए ही हैं उसकी विकास की गतियों को भी उचित तट-बंध प्रदान करते हुए अग्रसर कर रहा है। नहीं तो जीवन वही वा वही रह जाता, जहाँ से उसका अरबों वर्ष पहले आरम्भ हुआ था।

प्रत्येक युग की अपनी समस्याएँ होती हैं। अपनी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ रहा करती हैं। मूल्य एव मान भी अपने ही रहा करते हैं। उनमें गतिशीलता या गत्यावरोध उस युग की परिस्थितियों, युगीन मान्यताओं के उदार या अनुसार दृष्टिकोणों के आधार पर ही उपस्थित हुआ करते हैं। किंतु यह एक निखरा हुआ तथ्य है कि किसी भी युग का साहित्यकार व्यथ के और गत्यावरोधक मानो एव मूल्यों के प्रति हमेशा विद्रोही रहा है। उसने उन्हीं तत्त्वों एव मूल्यों को अपनी सूझ-बूझ की हवा प्रदान की है कि जो जीवन के विकास और गतिशीलता के लिए उपयोगी तो रहे ही हैं साथ ही सहज एव शाश्वत मानवीय मानों को प्रतिष्ठापित कर पाने में भी निरन्तर महायत्न हा सके हैं। तभी तो अतीत के अंध कुहासे से निखरकर जीवन एव समाज और

साहित्य भाज के शुमालोक में पहुँच सका है। सत्य तो यह है कि किसी भी युग का साहित्यकार उस जीवन के प्रति अपने दायित्वों से विमुक्त रह ही नहीं सकता कि जिसमें वह निवास कर रहा होता है। इससे भी भागे बढ़कर सच यह है कि प्रत्येक युग का सच्चा साहित्यकार भगीत और वनमान के मानव मानवीय मूल्यों के साथ अनवरत जुड़ा रह करके भविष्य के खेता म नी मानवीय विकासशील मूल्यों के बीज बोने के प्रयत्न किया करता है। इसी कारण साहित्य और साहित्यकार का युग-द्रष्टा और स्रष्टा कहा जाता है। महान् साहित्यकारों द्वारा अपनी रचना-प्रक्रिया में की गई भविष्यवाणियाँ हमेशा सत्य हुई हैं और आज भी सत्य हो रही हैं।

अब तनिक ऐतिहासिक दृष्टियों से इस बात पर विचार कर लेना सगत होगा कि किसी भी युग के साहित्यकारों ने युगीन भावनाओं को वहाँ तक समझा, परखा और उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किस रूप में और किस सीमा तक किया। विश्व-साहित्य में ऋग्वेद लिखित साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम उपलब्ध साहित्य माना जाता है। वही से मानवीय प्रयत्नों की इस महान् उपलब्धि साहित्य-संज्ञा के इतिहास का विकास भी आरम्भ माना जाता है। उसके वैदिक साहित्य सहिताओं और उनकी व्याख्याओं से सम्बन्धित साहित्य की एक लम्बी प्रक्रिया चलती है। उस सब में ऐतिहासिक परिवेश में वर्णित-विषयों में आखिर है क्या इसका उत्तर तत्कालीन समाज के ऐतिहासिक परिवेश को जान लेने के बाद ही उचित रूप में मिल सकता है। तब का मानव-समाज आज के समान साधन-सम्पन्न उन्नत एवं भौतिक दृष्टियों से विकसित नहीं था जबकि बौद्धिक और मानसिक दृष्टियों से उसे कदापि अवनत या अविकसित नहीं कहा जा सकता। प्रायः वन्य प्रदेशों में रहने वाले लोगों का जीवन पूर्णतया प्रकृति और प्राकृतिक साधनों पर ही आश्रित था। इसी कारण उनका जीवन प्रकृति के समान ही निमल शुभ्र शान्त और सुन्दर भी था। आज के समान अविश्वास भाषा धारी का वातावरण या स्वाय-लोलुपता वहाँ कतई नहीं थी। सघष और दृन्द न यह रूप भी नहीं था। वे पूर्णतया प्राकृतिक जीवन ही जीते थे। यही कारण है कि उस युग के साहित्यकारों ने उषा अग्नि सूर्य वरुण, चन्द्र पवन आदि के गीत गाए। इतना ही नहीं इन सब को देवत्व तक प्रदान कर दिया जो कि आज भी उसी रूप में मान्य चला आ रहा है। मानव को आश्रय दान वाले पर्वतों नदियों और वनों तक को उस युग के साहित्यकारों ने देवत्व प्रदान कर दिया। युगानुरूप भावनाओं विचारों जीवन की रीति-नीतियों आचार विचारों का यथातथ्य वर्णन किया। उसमें यदि रहस्यात्मक आध्यात्मिकताओं हो गया है तो यह युगीन साहित्यकार की ईमानदारी का ही द्योतक

है क्योंकि जीवन था ही ऐसा। प्रकृति में जबत-स्वत-समूत रहस्यमयता विद्यमान है तो उसके सहारे पलने वाले जीवन और, उस जीवन का चित्रण करने वाले साहित्य में वह सब कैसे न आ पाता? उस साहित्य को पढ़ने से युगीन समाज के रहन सहन, खान-पान, दैनिक जीवन-की समस्त क्रिया-प्रक्रियाओं और गतिविधियों का एक यथाथ लेखा जोखा सहज ही उपलब्ध हो जाता है। उसी के आधार पर ही तो आज मानवता और मानव-समाज के विकास के आँकड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में मानव-समाज की अन्त प्रवृत्तियों का चित्तरा साहित्य ही होना है इतिहास तो वाह्य रूप-रेखाएँ ही प्रस्तुत किया करता है। इस दृष्टि से वैदिक काल के साहित्यकार ने निश्चय ही अपने दायित्व का निर्वाह भली-भाँति किया है।

अग्रे चलिए। वैदिक साहित्य के बाद 'ब्राह्मण-साहित्य' का युग आता है। इन 'ब्राह्मण-ग्रंथों' के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन और समाज अब नव्य निर्माण की प्रक्रिया में पड़ चुका था। पहले का समवित जीवन अब वर्णों, जातियों और वर्गों में अपने कर्मों के अनुसार ही विभाजित होना प्रारम्भ हो गया था। बौद्धिक विकास के कारण प्रकृति के अभेद्य माने जाने वाले एगो के साथ मानव जाति का सघष बौद्धिक आधार पर ही प्रारम्भ हो गया था। व्यक्ति को स्वत्व-बोध के साथ-साथ सघष के लिए सामूहिक बोध भी होने लगा था। परिणामस्वरूप जीवन के समस्त क्षेत्रों में अनेक प्रकार के सघष आरम्भ हो गए थे। कुछ विशिष्ट वर्ग भी बनने लगे थे। उनका रूप आगे चलकर 'अरण्यकों' और 'उपनिषदों' की सजना प्रक्रिया में स्पष्ट निखरता हुआ दिखाई देता है। धीरे-धीरे जीवन में मानवीय समाज के अनेक वर्ग बन गए थे और वे अपनी अपनी मायताओं का प्रचार करने लगे थे। य मारी बात हमें अरण्यक और उपनिषद साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात हो जाती है। उन्हें रचने वाले युग परिस्थितियों के सदम में साहित्यकार ही ता थे। उनके अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि युगीन चेतनाओं के यथाथ भवन और चित्रण के प्रति वे लोग कितन सजग थे? उन्होंने निश्चय ही अपने दायित्वों को निरपेक्ष सजगता के साथ निभाया।

इसके बाद जब हम पौराणिक रचनाओं के काल में आते हैं, रामायण और उसके बाद महाभारत के युग में कदम रखते हैं, तब भी यही पाते हैं कि युगीन साहित्यकार अपने दायित्वों के निर्वाह के प्रति पूणतया सजग हैं। पुराणा रामायण और महाभारत का अध्ययन करने से इन युगों की सजीव भावियाँ अपने समूचे आशय के माय, समग्र परिघेद में हमारे समक्ष उजागर हो जाती हैं। बाल्मोकि ने अपनी रामायण में राम का यदि यथातथ्य वर्णन किया है तो विश्वसनीय महाकाव्य महाभारत के रचयिताओं ने भी किसी प्रकार की

साग लपेट से काम नहीं लिया। यह प्रवश्य है कि उनका दृष्टिकोण जीवन के विविध आदर्शों में आच्छादित रहा है, पर जीवन के शिव और 'सुन्दर' की रक्षा करने के लिए ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है क्या? वहाँ 'सत्य' के सुन्दर रूप ही नहीं घिनौने रूप भी मिलते हैं और यह इसलिए मिलते हैं कि तब भी जीवन में घिनौना रूप विद्यमान था। युगीन साहित्यकारों की यह विशेषता है कि उन्होंने सत्य के सुन्दर और घिनौने रूपों का समानान्तर पर वर्णन करवाया तो उनमें से उचित रूप का चुनाव करने का दायित्व पाठकों पर छोड़ दिया है या फिर अपनी ओर से भी कुछ कह दिया है। उनका वह कथन ही वास्तव में आदर्श है—वह आदर्श कि जिसके माचे में वे लोग जीवन और समाज को ढालना चाहते थे क्योंकि साहित्यकार का दायित्व केवल वर्णन करना ही नहीं पर प्रदर्शन करना भी होता है अतः कहा जा सकता है कि वे लोग अपने दायित्वों के प्रति पूर्य सजग थे।

संस्कृत भाषा के लौकिक महाकाव्यों की रचना के काल में भी हमें जीवन और समाज के चित्रण की इन्हीं विविध प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कालिदास के शाकुन्तलम तक में जीवन और समाज के यथाय का सुन्दर तथा घिनौना बोध एक साथ मिलता है। यद्यपि शकुन्तला नाटक प्रकृति के समान ही कोमल कान और सुन्दर भावनाओं का उदबोधक है तो भी कवि ने अनेक ऐसे चित्रण किए हैं कि जो उसके रचयिता को सामाजिकता के दायित्वों के प्रति पूर्य सजग बताते हैं। वहाँ शादी से पूर्व और कवारेपन के प्रेम पर जो व्यंग्य है वह आज भी उतना ही सत्य है जितना कि उस युग में था। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत खोरी का वर्णन वहाँ किया गया है पुलिस की जो जवदस्ती दिखाई गई है वह आज में किसी भी बात में कम नहीं है मृच्छ कटिक जैसे नाटक में तो समाज के सामान्य वर्गों और उनकी प्रवृत्तियों परिस्थितियों और समस्याओं का चित्रण और के यथायवादी, समस्या मूलक रचयिताओं से भी कहीं अधिक प्रखर एवं प्रबल है। यही बातें इस युग की अन्य सजनाओं के बारे में भी कही जा सकती हैं।

इसके बाद पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं के अपने-अपने युग आते हैं। साहित्य के सभी विद्वान् समीक्षक और इतिहासकार एकमत से स्वीकार करते हैं कि उन भाषाओं के साहित्यकारों ने अपनी सजनाओं में जीवन और समाज के प्रत्येक पक्ष का बड़ा ही सजीव एवं उत्तरदायित्वपूर्ण चित्रण किया है। यहाँ तक कि विवरण के आधार पर स्पष्टतः कहा जा सकता है कि प्रत्येक युग का साहित्यकार अपने युग के प्रति ईमानदार रहा है। हिन्दी साहित्य के इतिहास के चारों कालों और उनके अन्तर्विभागा के साहित्यकारों के सम्बन्ध उपरोक्त बातें उतनी ही सत्य हैं जितनी कि युगीन साहित्यकारों के

सदमों में। आदि काल या वीर गाथा काल वीरता की प्रमुख प्रकृति के साथ अन्य विविध प्रवृत्तियाँ का भी युग था, अतः सजग साहित्यकारों ने उन सबका सांगोपाग वणन किया है। इसी प्रकार भक्ति काल की विविध प्रवृत्तियाँ और धाराएँ जीवन की समग्रता का प्रतिपादन तो करती ही हैं, उसे दिशा-बोध कराने वाली भी हैं। इसी कारण आज भी उनका उतना ही महत्त्व बना हुआ है। प्रवृत्तियों पर स्थितियाँ और रीति नीतियाँ का ही परिचायक है। आधुनिक काल के विगत चार चरणों में और आज के परिवेश में जो कुछ भी साहित्य रचा गया या रचा जा रहा है, वह जीवन और समाज के यथातथ्य रूपा का निश्चय ही चितेरा है। जीवन और समाज में यदि गत्यावरोध है तो साहित्य में भी है। जीवन में यदि अनेक प्रकार की कुण्ठाओं ने ढेर जमा लिए हैं तो साहित्य में भी वही स्थिति है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक युग का साहित्य और साहित्यकार जीवन और समाज के समस्त प्रवृत्त्यात्मक मूल्यों को साथ लेकर ही चला और चल रहा है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या साहित्यकार का दायित्व अपने युगीन मूल्यों और परम्परागत मानों के चित्रण तक ही सीमित है? यदि साहित्यकार के दायित्व की सीमा केवल यही मान ली जाए तो निश्चय ही इसे स्वस्थ तथा शुभ परम्परा और मान्यता नहीं कहा जा सकता। साहित्यकार वास्तव में अपने दायित्व का उचित निर्वाहक नहीं माना जा सकता है कि जब वह जीवन में आ गए गत्यावरोधों एवं कुण्ठाओं का निराकरण कर उसे प्रगति और विकास की गति तथा दिशा प्रदान करें। क्या साहित्यकार ने ऐसा किया है। इसका उत्तर ढूँढने के लिए हमें केवल भारतीय या हिन्दी भाषा के साहित्यकारों की दृष्टियों से ही प्रयास नहीं करना है, ऐसा करना एकांगी ही होगा। हम समूचे विश्व के साहित्य और उसके सजकों की दृष्टियों एवं क्रिया-कलापों के परिवेश में विचार करना है। तभी यह पता चल सकता है कि युगीन साहित्यकार अपने दायित्वों के निर्वाह में कहाँ तक सफल-असफल हुए हैं। विश्व की मानव-सम्पत्ता के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि समूचे मानव-समाज का जीवन अनेक प्रकार की श्रम परम्पराओं, रूढ़ियों और यथे वादों सिद्धान्तों से भ्रान्त रहा है। यह भी एक सबमाय और निखरा हुआ सत्य है कि उन भ्रान्तियों में मानव-समाज को मुक्ति दिलाने के लिए प्रत्येक युग के साहित्यकार और साहित्यकारों ने पहल की है। धार्मिक पोष-लीलाओं और आडम्बरो के विरुद्ध साहित्यकारों ने ही सवप्रथम अपना भ्रात्रोश मरा स्वर मुखरित किया। इसी प्रकार शोषण प्रधान अमानवीय राजतन्त्रों, सामन्ती प्रणामा पूँजीवादी आक्रमणों से मुक्ति दिलाने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जिन बड़ी-बड़ी

छायावाद

छायावाद के नाम से प्रसिद्ध है। उसके मत ने स्वतंत्र विमल, हिन्दू सूत्र के प्रति भाव प्रहं या।" इस 'मात्मवाद' मत में ही साधना तथा सुलभ के प्रति भाव प्रहं वाली उद्बुद्ध चेतना ने अपनी प्रतिमा द्वारा जिसे चर्चाने, स्वच्छन्दता तथा गहरी अनुभूतियों से परिपूर्ण रोमांटिक कल्पना और सृष्टि, भक्तिव्युत्पत्ति का परिचय दिया, उसके फलस्वरूप हिन्दी कविता में एक और फिर भक्तिवादी को माति स्वयं-युग उपस्थित हुआ, हिन्दी-साहित्य का भाव-पक्ष समृद्ध तथा कला-पक्ष परिष्कृत हुआ, जिससे वह सहृदयों को नूतन रस-रंग में डुबो सका।

भारत प्रथम महायुद्ध के बाद जीवन की अनेक आशाएँ लिए बँटा था। किन्तु हुआ इसके विपरीत। युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटिश सत्ता ने स्वतंत्रता प्रदान करना तो दूर भत्याचार तथा भ्रातक की धार और तेजकर दी। परिणाम-स्वरूप आशाओं के सुनहले स्वप्न छिन्न भिन्न हो गए, असतोष की ज्वाला ने अन्तमन में सुलग कर अवसाद, कुप्टा, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिनके ताने-बाने में इन टूटे-स्वप्नों के धूमिल छाया-चित्र दृष्टिगोचर होने लगे। छायावाद इन धूमिल छाया-चित्रों की पूजी मान कर अपनी कविता की हाट लगा बँटा।

इधर सामाजिक क्षेत्र में जनता के नेता समाज की कुरीतियों को सुधार के द्वारा दूर कर फिर से भारतीय सस्कृति और वैदिक-यम की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। उधर पश्चिमी साहित्य सभ्यता तथा सस्कृति के सम्पर्क में आकर भारतीय-चिंतकों की विचारधारा में स्वच्छन्दता दृष्टिगोचर होने लगी थी। पर इन स्वच्छन्द विचारों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति की राह नहीं मिल रही थी। सुधारवाद का आदेश तथा नैतिकता की कठोरता के कारण स्वच्छन्दता में अपनी रोमांटिक तथा मधुर भावनाएँ सीधी तथा सरल अभिव्यक्ति का मनोवाञ्छित आधार न पा रही थी।

साहित्यिक परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही थी। महादेवी ने इस जागरण युग की परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि "एक दीघाल से कवि के लिए सम्प्रदाय अक्षयवट और दरबार कल्पवृक्ष और वनता आ रहा था और इस स्थिति का बदलना रक्तव्यापक उलट-फर के बिना सम्भव ही नहीं था जो समय से सहज हो गया। रीति काल की सौंदर्यभावना स्थूल और यथाप्य एकांगी या परतु उचितों में चमत्कार की विविधता, अलंकारों में कल्पना की रगीनी और भाषा में आधुय का ऐश्वर्य इतना अधिक रहा कि उसकी धोर किसी की दृष्टि का पहुँचना कठिन था। ऐसे ही उत्तमजक स्कूल को च्युत करने के लिए जब कवि उपदेशपूर्ण आदेश और इतिवृत्तात्मक यथार्थ के साधन लेकर आया तब उसका प्रयास स्वयं उसी को थकाने लगा। छायावाद के जन्म से प्रथम

छायावाद

छायावाद के नाम से अभिव्यक्त हुई। उसके मूल में 'सूक्ष्म के प्रति आग्रह या।' इस 'आत्मवाद' भावना को 'सूक्ष्म के प्रति आग्रह' वाली उद्बुद्ध चेतना ने अपनी प्रतिभा द्वारा जिसे 'सूक्ष्म के प्रति' तथा गहरी अनुभूतियों से परिपूर्ण रोमांटिक कल्पना और सुलभ, शीघ्र-सुलभ का परिचय दिया, उसके फलस्वरूप हिन्दी कविता में एक 'नई' और 'नव' की भाँति स्वयं-युग उपस्थित हुआ, हिन्दी-साहित्य का भाव-पक्ष परिकृत हुआ, जिससे वह सहृदयों को नूतन रस-रग में डुबो सका।

भारत प्रथम महायुद्ध के बाद जीवन की अनेक आशाएँ लिए बैठ गया। किन्तु हुआ इसके विपरीत। युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटिश सत्ता ने स्वतंत्रता प्रदान करना तो दूर भत्याचार तथा भ्रातृक की धार और तेजकर दी। परिणाम-स्वरूप आशाओं के सुनहले स्वप्न छिन्न-भिन्न हो गए, असतोष की ज्वाला ने अन्तमन में सुलग कर अवसाद, कुण्डा, अप्रति जसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिनके ताने-बाने में इन टूटे-स्वप्नों के धूमिल छाया-चित्र दृष्टिगोचर होने लगे। छायावाद इन धूमिल छाया-चित्रों की पूजी मान कर अपनी कविता की हाट लगा बैठा।

इधर सामाजिक क्षेत्र में जनता के नेता समाज की कुरीतियों को सुधार के द्वारा दूर कर फिर से भारतीय सस्कृति और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। उधर पश्चिमी साहित्य सभ्यता तथा सस्कृति के सम्पर्क में आकर भारतीय चित्तों की विचारधारा में स्वच्छन्दता दृष्टिगोचर होने लगी थी। पर इन स्वच्छन्द विचारों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति की राह नहीं मिल रही थी। सुधारवाद का आदेश तथा नैतिकता की कठोरता के कारण स्वच्छन्दता में पनपी रोमांटिक तथा मधुर भावनाएँ सीधी तथा सरल अभिव्यक्ति का मनोवाञ्छित आघार न पा रही थी।

साहित्यिक परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही थी। महादेवी ने इस जागरण युग की परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि "एक दीघकाल से कवि के लिए सम्प्रदाय अक्षयवट और दरबार कल्पवृक्ष और बनता आ रहा था और इस स्थिति का बदलना रक्तव्यापक उलट-फेर के बिना सम्भव ही नहीं था जो समय से सहज हो गया। रीति काल की सौन्दर्यभावना स्थूल और यथाय एकगो या परतु उक्तियाँ म चमत्कार की विविधता, अलंकारों में कल्पना की रगिनी और भाषा में आधुय का ऐश्वर्य इतना अधिक रहा कि उसकी ओर किसी की दृष्टि का पहुँचना कठिन था। ऐसे ही उत्तर्जक स्थूल को च्युत करने के लिए जब कवि उपदेशपूर्ण आदेश और इतिवृत्तात्मक यथार्थ के साधन लेकर आया तब उसका प्रयास स्वयं उसी को थकाने लगा। छायावाद के जन्म से प्रथम

कविता के बंधन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाह्यकार पर इतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छन्द छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उच्यते ही था और आज भी उपयुक्त ही लगता है।

उधर हिन्दी का कवि इस प्रकार हिन्दी कविता को नया रूप दे देना प्रयत्नशील था कि उधर एक विशेष घटना घटी। महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का गीताजलि पर नोबल पुरस्कार मिला तथा उनके छायावादी गीता का चारा और धूम मच गई। हिन्दी कवि पहले ही माग खाज रहे थे, अतएव वे एकवारगी ही इस ओर झुक पड़े तथा देखते-ही देखते हिन्दी में ऐसी कविता का ढेर लग गया। जब ऐसी कविताओं पर ध्यान टिक गया और ऐसी काव्य परम्परा को लेकर प्रसाद, पंत, निराला आदि नए कवि सामने आने लगे तो ऐसी कविताओं को एक वाद का रूप मिल गया।

छायावाद नाम कैसे पड़ा? इस सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा कि रूपात्मक आभास को योरूप में छाया कहते थे। इसी से बंगाल के ब्रह्म समाज के बीच उक्त वाणी के अनुकरण पर जो आध्यात्मिक गीत का मजन ये वे छायावाद कहलाने लगे। धीरे-धीरे यह शब्द धार्मिक क्षेत्र से वहीं के साहित्य-क्षेत्र में आया और फिर रवीन्द्र बाबू की धूम मचने पर हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। पर आज विद्वान् आचार्य शुक्ल के इस कथन से सहमत नहीं। इस सम्बन्ध में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के विचार से यह भ्रम ही है कि इस प्रकार के काव्यों को बंगला में छायावाद कहा जाता था और वहीं से वह शब्द हिन्दी में आया। वास्तव में उनके विचार से छायावाद शब्द केवल चल पढ़ने के जोर से ही स्वीकार हो सका, नहीं तो इस श्रेणी की कविता की प्रकृति को प्रकट करने में यह शब्द एकदम असमर्थ है। वास्तव में छायावादी कविता को यह नाम व्यग्र उपहास रूप में ही दिया गया। किन्तु महादेवी वर्मा की दृष्टि में छायावाद नाम उपयुक्त ही था।

छायावाद को आरम्भ से ही आलोचकों की सहानुभूति नहीं मिली। वास्तव में महारथी आलोचकों ने इस कविता का स्वागत करना तो दूर, इसका परिहास किया व्यग्र वसे तथा सक्तीय व्यवहार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि छायावाद की परिभाषा तथा व्याख्या के सम्बन्ध में कई भ्रातियों फली। अतएव आज भी जब छायावाद की विवेचना की जाती है तो इन कविता के काव्य वैभव तथा अदभुत देन की चर्चा न करके आलोचकगण प्रायः इन मूल प्रश्नों पर ही अधिकतर दृष्टिपात करते हैं कि छायावाद की वास्तविक भावभूमि लौकिक है अथवा अलौकिक? यह कविता कहाँ तक आध्यात्मिक और इसकी आध्यात्मिकता वास्तविकता अथवा स्वभावगत है या स्मरणीय

छायावाद

कल्पना ? रहस्यवाद को छायावाद में सम्बद्ध करके कहा जा सकता है ? और फिर छायावादी कविता में दूसरा सोपान कहा जा सकता है ? और फिर छायावादी कविता में मिलने वाली रहस्य प्रवृत्ति कहाँ तक कवीर और ज्ञानियों की परम्परा कहाँ जा सकती है और कहाँ तक पश्चिमी रहस्यशास्त्र (Mysticism) प्रवृत्ति की छाया ?

यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी काव्य की महानता को प्रकट करने में असमर्थ रहे और उनके द्वारा दी गई छायावाद की परिभाषा के कारण आगे चल कर छायावाद के सम्बन्ध में भ्रान्तियाँ भी फैलीं किन्तु सदेह नहीं कि आचार्य शुक्ल की परिभाषा इतना होते हुए भी विशेष महत्ता रखती है। उन्होंने छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में होना बताया। काव्य-वस्तु के विचार से जहाँ यह रहस्यवाद है, वहाँ काव्य शैली के विचार से यह प्रतीकवाद है। उस अनन्त तथा अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यन्त चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यञ्जना करना रहस्यवादी अर्थों में छायावाद है तथा प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यञ्जना करने वाली छाया के रूप में अस्तुत का कथन प्रतीकवादी अर्थों में छायावाद है। फिर भी आचार्य शुक्ल को इस काव्य की आध्यात्मिकता के पदों के पीछे छिपी काम-वासनाओं, सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री को पहचानने में कठिनाई नहीं हुई।

आचार्य शुक्ल के उपरान्त छायावाद के समय व्याख्याता इसी कविता के प्रमुख स्तम्भ श्री जयशंकर 'प्रसाद' कहे जा सकते हैं। उन्होंने छायावाद की भावभूमि पर अपनी दृष्टि डालते हुए कहा कि छायावाद मूल में रहस्यवाद की नही है। प्रकृति विद्वात्मा की छाया या प्रतिबिम्ब है इसीलिए प्रकृति से तादात्म्य काव्यगत व्यवहार में लेकर छायावाद की सृष्टि होती है—यह सिद्धान्त भी आत्मक है। यद्यपि प्रकृति का आलम्बन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य-धारा में होने लगा है किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता ही छायावाद नही कहा जा सकता। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भूमि पर अधिक निमग्न करती है। ध्वयात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमयता, प्रतीक विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ स्वानुभूति का विवर्तित छायावाद की विशेषताएँ हैं। इस प्रकार श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने व्यवहार में यद्यपि रहस्यात्मकता का आशय लिया किन्तु सिद्धान्त रूप में उन्होंने छायावाद को न रहस्यवाद से सम्बद्ध किया और न ही प्रकृतिवाद से अपितु छायावाद को अनुभूति सामग्री का अधिक निमग्न करने वाला माना है।

छायावाद की दूसरी गम्भीर चर्चा महादेवी वर्मा द्वारा हुई। महादेवी वर्मा ने छायावाद की एक सर्वांगपूर्ण परिभाषा देते हुए कहा—'छायावाद का कवि धर्म के आध्यात्म से अधिक दशन के दृष्ट का श्रेणी है बुद्धि के सूक्ष्म

धरातल पर कवि ने जीवन की झलकता का भावन बिया, हृदय की भावभूमि पर उसने प्रकृति में विखरी सौंदर्य-सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के साथ स्वानुभूत सुख-दुःखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य-सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामा का भार समाल सकी ।

इस प्रकार महादेवी की छायावाद सम्बन्धी व्याख्याओं की छायावादी कविता के गौरव की स्थापना की । छायावाद का उत्स उपनिषदों से चली आ रही भारतीय प्रकृतिवाद और सर्ववाद की परम्परा में खोजा और छायावाद तथा रहस्यवाद में अटूट सम्बन्ध की घोषणा की ।

छायावादी आलोचकों में श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने छायावादी कविता में आध्यात्मिकता की विविध अवस्थाएँ खोजी और इस कविता के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि "विश्व की किसी वस्तु में एक प्रकृत संप्राण छाया की भाँकी पाना भयवा उसका आरोप करना ही छायावाद है । छायावादी कवि प्रकृति के पुजारी की भाँति विश्व के कण-कण में अपने सर्व व्यापक प्राणों की छाया देखता है ।" इस प्रकार श्री नन्ददुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य को आध्यात्मिकता के रंग में ही देखा ।

छायावाद की पहली तटस्थ व्याख्या डा० नगेन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गई । यद्यपि डा० नगेन्द्र ने पहले छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा किन्तु फिर शायद विद्रोह की प्रेरणा का अभाव पाकर उन्होंने विद्रोह के स्वभाव पर आग्रह शब्द का प्रयोग किया और इस प्रकार उन्होंने छायावाद को स्थूल से विमुख होकर सूक्ष्म के प्रति आग्रह कहा । उन्होंने छायावाद की अपरिमित भावभूमि को लौकिक बताया तथा इस कविता का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा— छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है, इसका आधार नव जीवन के स्वप्न और कृष्णों के सम्मिश्रण से बना है, प्रवृत्ति अतमुखी और वायवी (अशरीरी) है, अभिव्यक्ति प्रकृति के प्रतीकों द्वारा होती है, विचार पद्धति तत्त्व सर्वात्मवाद मानी जा सकती है पर वहाँ से इसे सीधी प्रेरणा नहीं मिली ।

प्रगतिवादी आलोचक श्री शिवदानसिंह चौहान ने छायावाद की समाजवादी दृष्टियाँ स व्याख्या करत हुए कहा कि छायावादी कविता में जो इतना अन्दन रुदन इतनी निराशावादिता तथा असंतोष की भावना है वह इसलिए कि उसकी चेतना मानवता का प्रतिनिधित्व नहीं करती और इसके सुख स्वप्न टूट चुके हैं तथा उसमें पलायन की प्रवृत्ति है ।

इस सम्बन्ध में एक और महत्वपूर्ण व्याख्या डा० देवराज ने प्रस्तुत की ।
 ७ - वस्तुतः छायावादी काव्य की प्रेरक शक्ति प्रकृति के कोमल

रहेगा। चौथे छायावादी कविता भ्रालोक स्तम सुश्री महादेवी वर्मा हैं, जिन्होंने छायावाद को पढा नहीं है अनुभव किया है। यद्यपि उनकी कविता में छायावाद की समस्त विशेषताएँ मिल जाती हैं किन्तु अधिकांश में उनका काव्य छायावाद के दूसरे सोपान पर ही स्थित है जिसे उन्होंने रहस्यवाद कहा है। पर इनके काल को डा० नगेन्द्र ने छायावाद का शुद्ध अभिश्रित रूप कहा है और उसके मूल में काल का स्पन्दन मानते हुए स्वीकार किया है कि उसके ऊपर कवियत्री ने जूरुरत से ज्यादा दर्शन का बोझ लाद दिया है, चिन्तन और कल्पना के प्राण चढा दिये हैं।

छायावादी कविता की प्रथम विशेषता है प्रेम-अनुभूति या श्रृंगारिकता। छायावाद का जगत अतर्भावनाप्रा का है और प्रमुख भावना है प्रेम। वही कही तो इस प्रेम की वासना इतनी बढ गई है कि सारी कविता प्रेम की मधु चर्या सी लगती है। जैसे 'प्रसाद' की भरना सग्रह की अधिकारा कविताओं पर धीरे धीरे यह अनुभूति जीवन की ओर उभूख होती गई है। इस प्रेम में भोगवादी तथा शरीरी प्रवृत्ति न होकर सौंदर्यवादी और अशरीरी प्रवृत्ति है प्रेम की अभिव्यक्ति नग्न नहीं सलज्ज तथा अवगु ठन से युक्त है। प्रेम की इस अभिव्यक्ति का मूल आधार नारी है जिसके आकषण के पीछे काम वासना होकर अछूने सौंदर्य का पावन रूप है।

छायावाद की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता प्रकृति-चित्रण है। महादेवी अनुसार तो छायावाद की कविता जीवन का ऐसा उद्गीन है जो प्रकृति प्राण में ही गया गया है। छायावादी कवि प्रकृति के मोह जाल में बधा ना सौंदर्य को हय समझ बठा है—

छोड द्रुमों की मृदु छाया,
तोड प्रकृति से भी माया,
बाले ! तेरे बाल जाल में,
कसे उलझा दूँ सोचन ?'

छायावाद में प्रकृति रूपी विदव सुन्दरी का विशेष महत्व आका गया और कवियो ने प्रकृति के साथ अपनी आत्मा के ताद्रात्म्य का अनुभव किया। प्रकृति के रग में रग कर कमी इन कवियो ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्र अंकित किये जैसे—

बासों का भुरमुट सध्या का झुटपुट,
हैं चहक रही चिड़ियां टी-बी-टी-टुट-टुट।”
कहीं प्रकृति भावों का भ्रालम्बन बनकर आती है—

'भ्रभा भ्रकोर राजन था, बिजली की नीरख माला,"

और कमी प्रकृति का वणन भावनाओं के द्वारा होता है—

“गिरिवर के उर से उठकर उच्च आकाशों के तरुवर”

कमी प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है जैसे प्रसाद की ‘किरण,’ पत की ‘छाया’ और निराला की ‘जूही की कली’ में। महादेवी ने तो वसत रजनी का बड़ा मोहक, गत्यात्मक तथा सजीव चित्र अंकित किया है—

“धीरे-धीरे उतर सितिज ले आ वसत-रजनी !

तारकमय नव वेणी बघन,

शोशफूल कर शशि का नूतन,

रश्मिवलय सित घन अबगु ठन,

मुक्तादल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी !

पुलकती आ वसत रजनी !”

अधिकांश में छायावादी कवियों ने प्रकृति के सुकुमार और सुन्दर रूप का ही चित्रण किया है और इसी में ही उन्हें अकथनीय आनन्द की अनुभूति हुई है। प्रकृति के मयकर, विस्फोटकारी तथा तोड़-फोड़ वाले रूपों की ओर इनकी दृष्टि कम तथा प्रसंगवश ही गई है। जैसे पत की परिवर्तन’ कविता में और ‘प्रसाद’ की कामायनी में।

छायावादी काव्य की तीसरी प्रमुख विशेषता उसका चिन्तन है। यद्यपि कहा गया है कि आरम्भ में इन्हें किसी दशन से सीधी प्रेरणा नहीं मिली किन्तु सदेह नहीं कि छायावादी कवि आरम्भ से ही चिन्तनशील रहा है। यद्यपि आरम्भिक कविताओं में अनुभूति तथा कल्पना का प्रसार अधिक है किन्तु ज्यो-ज्यो कवियों में प्रौढता आती गई है, चिन्तन की मात्रा बढ़ती गई है। कवि पत ‘गु जन’ में आकर चिन्तक हो गए हैं और महादेवी ने कहा है कि ‘रश्मि’ को तब आकार मिला जब मुझे अनुभूति से अधिक उसका चिन्तन प्रिय था। आगे चलकर इन कवियों ने अपनी कविता पर किसी न किसी दशन का बोझ लाद लिया है तथा आध्यात्मिक-दशन से अपनी कविता का नाता जोड़ा है। जैसे प्रसाद की कामायनी में शैव-दशन की समरसता तथा आनन्दवाद, महादेवी का सर्वात्मवाद, पत की उत्तरा में अरविन्द-दर्शन। निराला का तो आरम्भ से ही अद्वैतवाद से सम्बन्ध रहा है।

छायावादी कविता यद्यपि अन्तर्मुखी है किन्तु इसके वर्णन का प्रमुख कारण है इसकी कल्पना-शीलता। कवि की रुच्छ-दता उसे कोलाहल की अबनी से दूर एक ऐसे सप्तार में ले जाना चाहती है जहाँ के निर्जंत सप्तार में निश्चल प्रेम-कथा चलती है—

“ले चल वहाँ मुलाका देकर मेरे नाबिध धीरे-धीरे,

जिस निजम मे सागर सहरी, अवर के कानों में गहरी
निश्चल-प्रेम-कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनो रे।”

कल्पना तत्त्व तो हर कविता का आवश्यक अंग होती ही है। किन्तु छायावादी कविता में इस पर विशेष आग्रह रहा है। कल्पना की अतिशयता के कारण ही इन कवियों को पलायनवादी भी कहा गया। महादेवी की दृष्टि से यह प्रवृत्ति पलायन की न होकर यथाथ की प्रति है, एक आवश्यक प्रेरणा है।

छायावादी कविता की शैली हिन्दी की पूर्व लिखित कविताओं से भिन्न प्रतीकवाद है और अधिकांश में इसी से छायावादी कला का शृंगार हुआ है उपा आशा की प्रतीक है सध्या निराशा की कली प्रेयसी है तथा मधुप प्रियतम भ्रमा क्षेत्र है तो विषाद अधरी रात, दुःख की बदली में विजली का फूल अर्थात् भुस्कानो मरा सुख है। ये प्रतीक केवल गुण या धर्म साम्य तक ही सीमित नहीं प्रभाव-साम्य भी रखते हैं। पुरानी कविता की भाँति यहाँ कटि की उपमा मीठ या सिंहनी की कमर से नहीं दी जाती। पर जहाँ इन प्रतीकों का सफल प्रयोग नहीं हुआ वहाँ कविता में अस्पष्टता आ गई है। कहीं-कहीं प्रयुक्त हुए अशक्त उपमानों को देखते हुए यह कहना सवथा अन्याय होगा कि छायावादी कविता ही वही है जिसमें अस्पष्टता हो।

छायावादी कविता अपने भाषा-सालित्य के लिए प्रसिद्ध है। भाषा की इस शक्ति के कारण बहुत कुछ इसके चित्रमयतापूर्ण, लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक प्रयोग हैं। पत ने पल्लव की भूमिका में शब्दों के इस अग्रगौरव तथा अथाह शक्ति की बड़े विस्तार से चर्चा की है। वास्तव में छायावादी कविता का सम्बन्ध जिन गहन भावा से है, उसे देखते हुए भाषा के ऐसे प्रयोग उचित ही हैं यद्यपि उनसे भाषा में दुरहता आई और आगे चलकर शीघ्र ही हिन्दी कविता सरल अभिव्यक्ति के लिए शाकुल हो उठी।

छायावादी कविता विषयी-प्रधान थी अतएव उसमें व्यक्तिगत भावनाओं को ही प्रमुख आशय मिलने के कारण इसका स्वरूप मुक्तको का रहा। छायावादी की अधिकांश कविता यद्यपि प्रगति मुक्तक है, किन्तु इसमें कुछ प्रबंध रचनाएँ भी मिलती हैं—‘वामायनी’ और ‘तुलसीदास’ को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं।

छायावादी कवियों ने भाषा और रचना-पद्धति की दृष्टि से ही नहीं, छन्दों के विचारों से भी स्वच्छन्द प्रयोग किये। प्रसाद की कविता तुकात, अनुकात, स्वच्छन्द मिश्रित हर प्रकार के छन्द से युक्त है। पत ने पल्लव की भूमिका में भी नई परिपाटी पर पर्याप्त सुझाव भी दिये हैं और उसी तरह की में प्रयोग भी किये हैं। उनका विचार है कि ‘वाणिज्य छन्दों में जो है। उसके लिए तुक का अंकुश अनुभूल नहीं। सदैव तथा

प्रगतिवाद

कवित्त छन्द हिन्दी-कविता के अधिक उपयुक्त नहीं हैं। प्रगतिवाद ने तो 'परिणत' की भूमिका म यहाँ तक बह दिया कि 'मनुष्य की मुक्ति' के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छन्दों के शासन से छुटकारा हो जाना। निराला ने अपनी प्रारम्भिक कविता म छन्दों की छोटी उह त्याग कर अपनी स्वच्छन्दता वा परिचय दिया।

इसी प्रकार छायावादी काव्य सूक्ष्म साँदय अनुभूति से परिपूर्ण, स्पदन-शील प्रकृति की सप्राणता लेकर, चिन्तन की अन्तमु खी खोज में तेजोमय, कल्पना की रगीन-छवियों के अदभुत छाया चित्र लिए हुए आया, जिसमें विश्व-वाणी का अदान भी था, विपाद का नीला तन्तु भी था। परिणाम यह हुआ कि इसे विश्व-काव्य का अश्रु कण तक बह दिया गया।

प्रगतिवाद

प्रगति का साधारण अर्थ है आगे बढ़ना। यदि साधारण अर्थों में विचार कर तो हर युग का साहित्य और साहित्यकार प्रगतिशील कहा जाएगा क्योंकि वे कोई न कोई युगीन नई दृष्टियाँ लेकर आते हैं। इस प्रकार कबीर तथा भार-सेन्दु और उनके साहित्य की प्रगतिशीलता तो नितात निश्चित ही है, तुलसी और मैथिलीशरण गुप्त भी प्रगतिशील कहे जाएँगे। किन्तु आधुनिक काल में छायावाद क उपरान्त साहित्य में जो नई धारा प्रवाहित हुई वह 'प्रगति' के सामान्य अर्थों से भिन्न एक विशेष तत्त्ववाद पर आधारित है। इसी कारण आज तक के अर्थ साहित्यकार प्रगतिशील तो कहे जा सकते हैं पर प्रगति-वादी नहीं। प्रगतिवाद के नाम से प्रचलित साहित्य में भी कई साहित्यकार ऐसे हैं जो साहित्य के माक्सवादी दृष्टिकोण को मुख्यत न अपनाते हुए भी प्रगतिवादी कहे जा सकते हैं। जैसे श्री इलाचन्द्र जोशी।

प्रगतिवादी साहित्य वह साहित्य है जो साम्यवादी भावनाओं से प्रेरित होकर लिखा गया हो। जिस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में साम्यवाद की अपनी एक विशेष विचारधारा है उसी प्रकार साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद की। वस्तुतः प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक मोर्चा' कहना ही उचित होगा क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है साहित्यिक क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। जिस प्रकार द्विवेदी युग की शुष्क इतिवत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में छायावादी का जन्म हुआ था, उसी प्रकार छायावादी साहित्य की नितान्त आत्मसीमित हो जाने की चेतना की प्रतिक्रिया प्रगतिवाद के रूप में हुई।

छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है, और यह प्रगतिवाद छायावाद की बेपर की कल्पनाओं के विरुद्ध कठोर वास्तविकताओं का विरोह है ।

यह बड़ी मनोरंजक बात है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक सघ की स्थापना १९३५ में फ्रांस में हुई । श्री मुल्कराज भानुद, सज्जाद जहीर इत्यादि लेखक इसके प्रवक्तव्य थे । प्रगतिशील लेखकों का भारत में पहला सम्मेलन सन् १९३६ में उपन्यास-सम्राट् प्रेमचन्द जी की अध्यक्षता में हुआ । उसके बाद एक और सम्मेलन विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में बलकृष्ण में हुआ । इसके बाद से प्रगतिवादी साहित्य की सजना निरन्तर हो रही है ।

प्रगतिवादी साहित्य की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं जिनके कारण यह श्रेष्ठ साहित्य से अलग पहचाना जा सकता है । सबसे पहली और बड़ी विशेषता तो यह है कि साहित्य साम्यवादी भावनाओं से अनुप्राणित रहता है । जिस प्रकार साम्यवादी पूँजीपतियों का विरोध करते हैं और श्रमिकों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं उसी प्रकार प्रगतिवादी साहित्य भी श्रमिकों और कृषकों के जीवन का चित्रण करता है । इसमें या तो पूँजीवादी बग का चित्रण होता ही नहीं और यदि होता भी है तो उसका कुत्सित और शोषक रूप ही प्रदर्शित किया जाता है ।

प्रगतिवादी लेखकों की मान्यता यह है कि कला जीवन का ही एक अंग है और इसी कारण साहित्य जीवन से अलग नहीं रह सकता । जो कला केवल कला के लिए है और जिसका सम्बन्ध जीवन से बिल्कुल नहीं है, वह निर्जीव अतएव त्याज्य है । वह केवल शोषक बग का मनोरंजन मात्र है । उसके मानवता का किसी प्रकार का कल्याण सम्भव नहीं हो सकता । प्रगतिवादी लेखकों के मतानुसार साहित्य में जन-साधारण के जीवन का चित्रण होना चाहिए । साहित्य में जीवन की विषम समस्याओं का निरूपण तथा उनका यथोचित समाधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए । तभी साहित्य का कोई मानवीय एवं सामाजिक मूल्य हो सकता है ।

साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप ही प्रगतिवादी लेखक बग-संघ में विश्वास रखते हैं । पूँजीपतियों तथा अन्य शोषकों ने मानवीय अधिकारों को बड़ी दुर्दृष्टता से जकड़ रखा है । जब तक संघ द्वारा उन्हें विवश नहीं किया जाएगा तब तक वे मानवता के शोषितों के, अपहृत अधिकारों को बढ़ापि सौटाने को तैयार न होंगे । शोषक बग साधन-सम्पन्न हैं । सेना, पुलिस तथा राज्य का सम्पूर्ण यंत्रजाल उसके ही इशारे पर नाचता है । ऐसी दशा में शोषकों से मोहा सेने के लिए शोषित बग का संगठन किया जाना आवश्यक शोषित संगठित होकर शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे—और यह संघर्ष

प्रगतिवाद

प्रतिवायत हिंसात्मक और रक्तपूण होगा, क्योंकि शीघ्र ही महाभारत के दुर्योधन की भाँति युद्ध के बिना मुँह की नोक बराबर भी अधिकांशों को छोड़ने को तयार न होंगे—तब गोपित वग की विजय प्रयत्न होगी और पहले जन-साधारण के अधिनायकत्व की स्थापना की जाएगी, और उसके पश्चात् वगहीन समाज का निर्माण होगा। रूस, चीन आदि शीघ्र दस इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं—

इसीलिए प्रगतिवादी कवि 'दिनकर ने यहाँ है—

“देल बलेजा फाव, कृपक दे रहे हृदय शोणित की धारें ।
बनती हो उन पर जाती है यमय की ऊँची बोधारें ॥
पन पिशाच-कृपक मेघ मे नाच रही पशुता मतवाली ।
प्रतिपि मग्न पीते जाते हैं दोनों के शोणित की ध्याली ॥
उठ भ्रूषण की भाव रगणि! सेनित के बिन की चिनगारी ।
पुग-मुदित घोवन की ज्वाला! जाग जाग रो, क्रांतिकुमारो ॥”

प्रगतिवादी साहित्य निरपेक्ष रूपनामो और आदर्शवाद का विराधी है। वह यथायथा का पक्ष-योधक है। प्रगतिवादी साहित्यकार जीवन के अछ्ये-बुरे सभी रूपों का यथावत् चित्रण कर देना आवश्यक समझते हैं। जीवन के कुरूप और कुत्सित पक्षों का चित्रण करने में वे हिचकिचाते नहीं।

साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक काल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक आधार पर ध्यास्या की है और उसका दार्शनिक दृष्टिकोण पूण रूप से भौतिकतावादी है। प्रगतिवादी में भी भौतिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गई है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में से आर्थिक पहलू को सबसे अधिक प्रमुख माना गया है क्योंकि वर्तमान जगत में अर्थ ही सर्वांगीण उत्तति या अवनति का मूल है।

प्रगतिवादी लेखकों की मान्यता है कि साहित्य जन-साधारण के लिए लिखा जाना चाहिए और यदि साहित्य जन-साधारण के लिए लिखा जाना हो तो उसकी भाषा अनिवाय रूप से सरल रखनी होगी। यही कारण है कि प्रगतिवादी लेखक हिंदी और उर्दू के शब्दों के मेल से सरल भाषा लिखने का यत्न करता है। वस्तु सरल भाषा में लिखा गया साहित्य ही जनता का कठहार हो सकता है। छायावादी कवियों के क्लिष्ट और दुर्बोध भाषा को समझन और उसका आनन्द लेने वाले गिनती के बुजुर्ग लोग ही हो सकते हैं, जिन्हें ऊँची से ऊँची शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला हो।

प्रगतिवाद की एक और बड़ी विशेषता यह है कि उसने साहित्य को व्यष्टि के स्तर से उठाकर समष्टि के स्तर पर ला रखा है। छायावादी कविता

अत्यधिक व्यष्टिवादी हो गई थी। परन्तु प्रगतिवादी साहित्य में हम सामाजिक भावनाओं के दशन अधिक होते हैं और व्यष्टिगत भावनाओं के कम। छायावादी कवि पलायनवादी थे। वे जीवन से क्रमशः दूर भागते गये। इन्हींलिए उनके साहित्य में सामाजिकता का अंश हो ही नहीं सकता था। इसके विपरीत प्रगतिवादी जीवन से दूर नहीं भागता। यह जीवन का साहित्य है।

प्रगतिवाद का सही-सही मूल्यांकन करने में कई बाधाएँ हैं। वस्तुतः मनुष्य के रूप में किसी एक वाद का मूल्यांकन करना उचित भी नहीं। मूल्यांकन अलग-अलग रचनाओं का हो सकता है। यही कारण है कि सिद्धांत की दृष्टि से सर्वांग सम्पूर्ण होने पर भी प्रगतिवादी रचनाओं में बहुत से दोष बताये जाते हैं।

प्रगतिवादी रचनाओं पर सबसे पहले आक्षेप यह किया जाता है कि प्रगतिवाद की मूल भावना विदेशी है और प्रगतिवादी साहित्यकार अपनी रचनाओं में कुछ विदेशी के ही गीत गाते रहते हैं। जहाँ भावना के विदेशी होने का प्रश्न है यह आक्षेप निरर्थक है क्योंकि किसी भावना का विदेशी होना या स्वदेशी होना तनिक भी महत्त्व की वस्तु नहीं है। यदि कोई भावना विदेशी होने पर भी अच्छी है तो वह ग्राह्य है और यदि अच्छी नहीं है तो केवल स्वदेशी होने के कारण ग्राह्य नहीं हो सकती। वास्तव में भावनाएँ स्वदेशी विदेशी न होकर सावजनित होती हैं सावकालिक होती हैं और युगीन परिस्थितियों के प्रत्येक देश काल में उनका स्वरूप बनाती हैं। रही यह बात कि प्रगतिवादी लेखक अपनी रचनाओं में विदेशी का राग अलापते हैं तो यह प्रगतिवाद का दोष नहीं है यह तो किसी किसी विशेष लेखक की रुचि का ही प्रश्न हो सकता है। यद्यपि अकारण दूसरे देश के स्तुति-गीत गाना बहुत आक्षेपक बात नहीं है फिर भी किसी लेखक पर यह प्रतिबंध क्यों हो कि वह किसी देश विदेश के गीत गाये या न गाये।

प्रगतिवाद पर एक और बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि प्रगतिवादी लेखक श्रमिकों के साथ अवास्तविक सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। वे अपनी रचनाओं में ऐसे जीवन का चित्रण करते हैं जिसे उन्होंने निकट या दूर में भी कभी नहीं देखा। वे स्वयं बुजुर्गों या लोगों की तरह जीवन व्यतीत करते हुए शोषितों की सहानुभूति में पन्ने-के-पन्ने रगते चले जाते हैं। यह पाखण्ड तो है ही साथ ही ऐसी रचनाओं में जीवन का चित्रण भी यथार्थ नहीं होता है इसलिए ऐसी रचनाओं से प्रगतिवाद का मूल उद्देश्य ही उपेक्षित रह जाता है यह आक्षेप एक सीमा तक सत्य है। प्रगतिवादी साहित्यकार यदि जनजीवन के उतने ही घनिष्ठ सम्पर्क में आकर साहित्य का सजन करते जितना कि श्रमिकों में उनकी रचनाओं का आदर कहीं अधिक होता। प्रेमचन्द और शरत्चन्द

प्रयोगवाद

के उपन्यासों की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है। परन्तु यह आक्षेप भी वस्तुतः प्रगतिवाद पर न होकर कुछ ऐसे साहित्यकारों पर है, जो प्रगतिवाद की भाँड में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उसे राजनीति का हथकड़ा बनाना चाहते हैं।

प्रगतिवाद को प्राचीन सस्कृति का विरोधी कहा जाता है। परन्तु मूल्य यह है कि प्रगतिवाद प्राचीन या किसी भी सस्कृति का विरोधी नहीं अपितु सस्कृति के साथ जुड़ गई या जोड़ दी गई शोषक, उत्पीड़क और पूँजीवादी मनोवृत्तियों का विरोधी है जिन्होंने मानवता को वृथ्णित करके रख दिया हुआ है।

इसी प्रकार यथाय चित्रण की आँड में कुत्सित, दूषित और अश्लील पत्र का चित्रण इतना अधिक किया जाता है कि जैसे ससार में उसके अतिरिक्त और कुछ यथाय है ही नहीं। यह मानना बहुत कठिन है कि सारा ससार या हमारा समाज केवल सड़ाध का एक विशाल ढेर है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यदि यथाय का ही चित्रण अभीष्ट हो, तो सुन्दर यथाय का चित्रण भी होना चाहिए।

यह सत्य है कि रोटी के बिना मनुष्य नहीं जी सकता, परन्तु रोटी का मूल्य तभी तक है, जब तक उसका अभाव या न्यूनता है। जब रोटी से पेट भर जाता है तब मनुष्य को रोटी के अतिरिक्त और बहुत कुछ अभीष्ट होना है। इसलिए मार्क्स का द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दशन सर्वांग सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता। जितनी अपूर्णता मार्क्स के भौतिकवाद में है उतनी ही प्रगतिवाद में भी है।

इन सब आक्षेपों के पश्चात् भी प्रगतिवाद ने हिन्दी साहित्य को बहुत कुछ प्रदान किया है। उसमें अनेक प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। हिन्दी साहित्य को उसका सार प्राप्त होना अभी तोप है। प्रगतिवाद ने साहित्य की दिशा ही मोड़ दी है। जीवन का दृष्टिकोण आमूल चूल परिवर्तित कर दिया है और साहित्य को व्यष्टि से हटाकर समाज की घोर अभिमुख किया है जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

प्रयोगवाद

बीसवीं शताब्दी के पचम दशक में हिन्दी साहित्य में भी देशी विदेशी अथ भाषाओं के साहित्य के समान एक नवीन काव्य प्रवृत्ति का उदय हुआ है। इसको

‘प्रयोगवाद’ नाम से अभिहित किया जाता है। जो दशा साहित्य के अग्र्य वादों की होती रही है, वही प्रयोगवाद की भी हो रही है। इसे भी गूढ़ अर्थ में ही ग्रहण किया गया। प्रयोग का व्यापक अर्थ बड़ा उपयोगी है और साहित्य के अन्तर्गत प्रत्येक युग में नये प्रयोग होते रहे हैं और होने भी चाहिये। किन्तु आज का तथाकथित ‘प्रयोगवाद’ स्वस्थ एवं विकासोन्मुख प्रयोगों की उपेक्षा करके सकीर्ण मनोवृत्ति का परिचय दे रहा है।

प्रयोगवाद का ऐतिहासिक आरम्भ प्रथम तार सप्तक’ से माना जाता है। या तो किसी वाद विशेष के आरम्भ की कोई निश्चित तिथि नहीं होती, किन्तु किसी रचना के सहारे उसके प्रवर्तन का उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम तार सप्तक का सम्पादन ‘अज्ञेय जी के द्वारा सन १९४३ में किया गया था और उनके सहित इसमें छ अन्य कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं। वे हैं—गगन नन मुक्तिबोध नेमिचन्द्र भारत भूषण प्रभाकर भाचवे गिरिजाकुमार माथुर डॉ० रामविलास शर्मा। इसके पश्चात् सन १९४१ में द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, जिसमें अग्र्य सात प्रयोगवादी कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। इन कवियों के नाम इस प्रकार हैं—भवानीप्रसाद मिश्र, शत्रु तला माथुर हरिनारायण व्यास शमशेरबहादुर सिंह नरेशकुमार मेहता रघुवीरमहाय तथा धमवीर भारती। इन संग्रहों के अतिरिक्त प्रयोगवादी कविताओं का प्रकाशन में कुछ पत्रों ने भी योग दिया। ‘प्रतीक पाठ’, दृष्टिवाण नामक पत्रिकाय इसी श्रेणी की है। सन १९५४ से नई कविता नाम से एक अर्द्धवार्षिक संग्रह भी प्रकाशित होना लगा। इस प्रकार की कविताओं को अनेक तीखी आलोचनाएँ सहन करनी पड़ी और आज भी सहन करनी पड़ रही है।

युग की परिस्थितियाँ और प्रयोगवाद—प्रत्येक युग में समाज अपने विकास के अनुकूल मनोवृत्तियों को महत्त्व दिया करता है। प्रयोगवादी कविताओं के भावपक्ष के विषय में इसी आधार पर विचार करने के पश्चात् विद्वानों ने इन कविताओं को वर्तमान समाज की गतिविधि से दूर रहने वाला सिद्ध किया है। किन्तु प्रमुख प्रयोगवादी कवि इसके विरुद्ध युक्तियाँ देते हैं। अज्ञेय जी कहते हैं—‘प्रयोगशील कविता में नये सत्यो या नई यथाथताओं का जीवित बोध भी है उन सत्यो के साथ नये रागात्मक सम्बन्ध भी और उनको पाठक या सहृदय तक पहुँचाने यानी साधारणीकरण करने की शक्ति है।’ गिरिजाकुमार माथुर की दृष्टि में प्रयोगवादी कविता का लक्ष्य व्यापक सामाजिक सत्यों की अनुभूति और अभिव्यक्ति है। धमवीर भारती प्रयोगवाद में एक सांस्कृतिक परिवर्तन की भूलक पाठ है और कहते हैं—‘प्रयोगवादी कविता में भावना है, प्रभावना के सामने एक प्रदत्त चिह्न लगा हुआ है। इसी प्रदत्त चिह्न

को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और यह प्रश्न चिह्न उसी की ध्वनिमात्र है।

आलोचकों की दृष्टि में प्रयोगवादी कविता वर्तमान सामाजिक समस्याओं की ओर से मौन है और कुछ आलाचन तो इसे पूंजीवाद की पोषिता कहते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार छायावाद जीवन से पलायन था उसी प्रकार प्रयोगवाद भी। अन्तर केवल इतना ही है कि छायावादी काव्य भाव-प्रधान था और उसकी पदावली सरस थी किन्तु प्रयोगवादी काव्य बुद्धि प्रधान है और पदावली भी अस्त-व्यस्त है। अन्य दृष्टियों से जैसे छायावाद सामाजिक सघष से दूर रहने की चेष्टा करता था उसी प्रकार प्रयोगवाद भी जैसे छायावादी काव्य के ग्रथ अनेक स्थानों पर दुर्दृष्ट हो गए हैं वैसे ही प्रयोगवादी काव्य के भी। अज्ञेय जी ने तो स्पष्ट लिखा है कि प्रयोगवादी लक्षकों की रूचि ऐसे विषयों में अधिक है जिनका वर्तमान से कोई सम्बन्ध नहीं हो। डॉ० जगदीश गुप्त का कहना है कि यह साहित्य केवल उन्हीं के लिए लिखा गया है जो इसी प्रकार की मानसिक उलझना में पड़े हुए हैं जिनमें स्वयं कवि। वे ही इस कविता के अर्थ का बोध कर सकते हैं। इस प्रकार यह साहित्य सावजनीन न होकर एक वग विशेष का साहित्य है।

प्रयोगवादी काव्य-धारा की विशेषताओं को निम्नलिखित उपशीपकों के अन्तर्गत अविवृत किया जा सकता है।

१ सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव—प्रयोगवाद की कविताओं में अधिकांशतः सामाजिकता का अभाव है। जब इतनी उलझी हुई कविता होती है कि जन-साधारण उसे समझ ही नहीं सकता तब उसे सामाजिक क्यों कह सकते हैं। वास्तव में इस प्रकार के काव्य का आरम्भ यूरोप में प्रथम महायुद्ध के पश्चात् वहाँ के अनास्थामूलक वातावरण में हुआ था। इसी कारण वास्तव में प्रयोगवादी काव्य में सामाजिक जीवन की अवहेलना हुई है।

२ कला के बंधनों का त्याग—इसमें कोई सन्देह नहीं कि कलागत रूढ़ियों को छायावाद और प्रगतिवाद ने भी तोड़ा और अपनी स्वच्छन्द प्रवृत्ति का परिचय दिया, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि नवीनता के मोह में साहित्य की समस्त अतीत-साधना को धूल में मिला दिया जाए। वास्तव में ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि प्रयोगवादी कवि कला को जीवन के लिए ही मानते हैं। ये विलक्षण अद्भुत दुर्दृष्ट तथा चकित कर देने वाली पदावली का प्रयोग करते हैं। उसका कोई अर्थ भी निकले, यह आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए एक प्रयोग देखिए, जहाँ त्रियाहीन शिवावली के द्वारा क्रिया को ध्वनित किया गया है—

‘मेढक पानी भृष्य’

भाग्ये सुन्दर शब्दों का प्रयोग भी दक्षिण किन्तु अथ फिर भी अस्पष्ट ही रहेगा—

“निविडाघकार को मृत रूप दे देने वाली

एक अकिंचन निष्प्रभ अनाहूत

अज्ञात द्युत किरण

आसन्न पतन, विन जमी ओस की अतिम

ईषत्कण स्निग्ध, फालत, शीतलता

अस्पष्ट किन्तु अनुभूति”

भारतीय प्रयोगवादी काव्य पर टी० एस० इलियट तथा आई० रिचर्ड्स का स्पष्ट प्रभाव है। इसा से नवीनता के साथ-साथ इसमें अस्पष्ट और दुरूहता आ गई है। डॉ० नगेन्द्र न प्रयोगवाद के मूल्यांकन मञ्जताया है यह शैलीगत विद्रोह है। वे कहते हैं—‘एक गहन बौद्धिकता इन कवियों’ शीशे के पत्त की तरह जमती जाती है। छायावाद के रगिन कल्पना-व्यभव प्र सूक्ष्म तरल भावना-चित्तन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्त्व का वासी पन है।”

3 अनुभूति और विषय-वस्तु का असामञ्जस्य—प्रयोगवाद के विषय यह ध्यान देने की बात है कि प्रयोगवादी कवि किसी भी विषय की अनुभूति इस प्रकार नहीं करता जिस प्रकार साधारण मानव। उसका कहना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु की निम्न अनुभूति होगी। इसलिए य कवि को कविता का साधारणीकरण नहीं होता तो इसमें कवि का दोष नहीं है प्रत्येक शब्द का अर्थ भी कवि जैसा चाहे ग्रहण कर सकता है। किन्तु इस तो साहित्य में अराजकता फल जाएगी, कोष व्यर्थ हो जाएँगे और जितन व्यक्ति है उतने ही एक एक शब्द के अर्थ हाने। जो वस्तुएँ अधिकांश समाज क द्वा जिम रूप में ग्रहण की जाती हैं, उसी रूप की मान्यता होती है। अत साधारण करण भी काव्य के लिए आवश्यक है। किन्तु प्रयोगवादी रचनाया म का अभाव है। वसे सभी प्रयोगवादी कवियों की रचनाएँ ऐसी नहीं है। डॉ रामविलास शर्मा की ‘सिलहार’ नामक कविता जो ‘नार सप्तक’ में संकलित है मापा तथा अविश्वव्यक्ति की सहजता की दृष्टि से सुन्दर है—

पूरी हुई बटाई अब खलिहान में पीपल के नीचे है राशि सुबो हुई,

बानों भरी पकी वालों वाले बड़े पत्तों पर पत्तों के अम्बार हैं॥

ऐस प्रयोग ता काव्य में किए जा सकते है कि जन जीवन के जिन चित्र का काव्य में उपस्थित होने का अवसर नहीं मिला है या कम मिला है उन्हें उपस्थित किया जाए। जैसे—

छेती की मेढी पर बंठी मजदूरिन बजती गाती है—

दिन घान सगाने में बीता, धा गया याद भन का बीता ।
वह बते गाँव छोड़ जाए बातम परदेसी घर रीता ॥”

इसलिए भबेली बंठ इन्हीं गीतों में मन बहलाती है ।

फिर भी ऐसी कविताएँ कम हैं । ‘अज्ञेय’ भादि ने तो उन कविताओं का महत्त्व दिया है जो पाठक को चौंका दें, मते ही उनका भय-बाध उसे न हा ।
यथा—

“भोर की प्रथम फीकी विरण,
अनजाने जागी हो याद किसी की
अपनी मोठी मोकी ।
धीरे धीरे उचित रवि का सात सात गोसा,
छाँह कहीं पर छिपा भुवित धन-भाषी बीता ।”

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भोर की विरण में फीकापन अर्थात् निराशा है पर धन पासी मुदित है । यह अवचेतन मन की कोई विचित्र प्रवृत्ति है । साधारणीकरण का तो यहाँ प्रदन ही नहीं उठता ।

उपयुक्त विवेचन की दृष्टि में कुछ विद्वानों की उक्तियों उपयोगी सिद्ध होंगी । आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद के विषय में निम्नलिखित निष्कप प्रस्तुत करते हैं—

१ प्रयोगवादी रचनाएँ पूरी तरह काव्य की चौहद्दी में नहीं आती । वह अतिरिक्त बुद्धिवाद से ग्रस्त है । २ प्रयोगवादी रचनाएँ वचिन्मय प्रिय हैं, वृत्ति का सहज अभिविवेक उनमें नहीं, ३ प्रयोगवादी रचनाएँ अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं, और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करती ।

डॉ० नेगेद्र प्रयोगवादी कविताओं के विषय में लिखते हैं—

१ भाव-तत्व और काव्यानुभूति के बीच रागात्मक के बजाय बुद्धिगत सम्बन्ध, २ साधारणीकरण का त्याग, ३ उपचेतन मन के अनुभव-क्षणों के यथावत् चित्रण वा आग्रह ४ काव्य के उपकरणों एवं भाषा का एकान्त वैयक्तिक और अनगल प्रयोग ।

प्रयोगवाद की दुर्दृष्टता के उपयुक्त कारणों के साथ ही एक ही मुख्य कारण है नवीनता वा आत्मन्तिक मोह ।

प्रयोगवादी काव्य धारा बहुत पुरानी नहीं है किन्तु युगानुगुल न होने के कारण उसका भविष्य अन्धकारमय है । नवीन प्रयोग तो प्रत्येक युग में आएँ हैं, किन्तु उनका प्रयोजन भाष्यवत् या सामयिक जनहित ही रहा प्रकार के प्रयोग सर्वथा व्यर्थ होते हैं जो केवल प्रयोग के शोक के

जाते हैं। भविष्य में हिन्दी-काव्यो में भी नवीन प्रयोगों का होना अनिवार्य है। किन्तु यह ध्यान रखना होगा कि 'प्रयोग, शब्द कही किसी वाद या शैली विशेष के लिए रूढ़ न बन जाए। प्रयोगवाद को यदि उसके सच्चे अर्थ में ग्रहण किया जाए तो निश्चय ही उसका भविष्य उज्ज्वल बन सकता है।

१० | रहस्यवाद

आधुनिक काव्य के छायावादी और रहस्यवादी चेतना में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। कारण कि छायावादी कवि ही रहस्यवादी रचना करते रहे हैं। काव्य में इन दोनों प्रकार की कविताओं की शैली भी एक ही रही है। बगला साहित्य से प्रभावित होकर जो ललित-मधुर पदावली हिन्दी साहित्य में आई, उसका प्रयोग दोनों प्रकार की कविता में हुआ है। प्रतीक शैली, चित्रमयी भाषा, कल्पना की उड़ान, नये अंग्रेजी अलंकारों का प्रयोग दोनों प्रकार की कविता का विशेषता है।

परन्तु छायावाद जहाँ हिन्दी साहित्य के लिए बिल्कुल नई वस्तु है, वहीं रहस्यवाद नई वस्तु नहीं है। रहस्य-साधना भारतीय साहित्य की अनादि और शाश्वत चेतना है। यह रहस्यवादी चेतना हमें भक्ति काल में कबीर और जायसी के काव्यों में भी यथेष्ट दिखाई पड़ती है। परन्तु आधुनिक काल में हिन्दी में रहस्यवादी काव्य का प्रारम्भ अपनी भक्ति काल परम्परा से प्रेरणा पाकर नहीं हुआ बल्कि अंग्रेजी और बगला साहित्य से प्रेरणा पाकर हुआ है। अंग्रेजी का 'मिस्टिसिज्म' (Mysticism) ही हिन्दी में आकर रहस्यवाद बन गया है।

जब बगला के श्रेष्ठ कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को उनकी पुस्तक 'गीतावलि' पर नोबल पुरस्कार मिला, तब से हिन्दी कवियों को भी उसी प्रकार की रचनाएँ लिखने की प्रेरणा मिली और अर्थ अन्वय का बहुत विवेक किए बिना अनेक कवियों ने अनेक रहस्यवादी रचनाओं का सृजन किया जिनमें से अधिकांश शीघ्र ही काल के प्रवाह में बहकर समाप्त हो गईं। केवल गिनती के दो चार कवि इस क्षेत्र में टिक पाए।

परम्परागत अर्थों में रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध में रचित काव्य है। पर आज की रहस्यवादी रचनाओं को समग्रतः ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस सृष्टि में आकर मनुष्य अपने चारों ओर जो कुछ देखता है, वह विभिन्न रहस्य से आवृत है। बड़े-बड़े मनीषी भी युगों तक खोज करके इस

रहस्यवाद

1-17
रह
का

समस्त विश्व प्रपञ्च के रहस्य का उदघाटन नहीं कर पाए हैं। किन्तु त्रीषु काल तक विचार और साधना करन के पश्चात् उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि इस समस्त ससार का संचालन किसी अदृश्य सत्ता द्वारा हो रहा है। उस अदृश्य सत्ता को ब्रह्म या परमात्मा भी कहा जा सकता है। उस-अदृश्य-सत्ता को सोजने और उससे मिलने के लिए वे साधक बेचन हो उठे। जब एक बार उस सत्ता का ज्ञान हो गया, फिर उससे मिले बिना चैन कहाँ ? ऐसी दशा में विरह की व्याकुलता का वर्णन अनेक साधकों ने बड़े ममस्पर्शी शब्दों में किया है। किन्तु इसमें कठिनाई यह है कि जिस ब्रह्म या अज्ञात सत्ता के प्रेम में वे पागल हो उठे हैं, उसके गुणों का या रूप का कुछ भी वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है। समी साधक ने एक स्वर से यही बात कही है कि वह बुद्धि और तक से परे है। उसे इन्द्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। किन्तु हृदय द्वारा उसका अनुभव अवश्य किया जा सकता है। परन्तु वह अनुभव गूँगे के गुड के समान है। उस अनुभव का आनन्द तो लिया जा सकता है, किन्तु उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके उपयुक्त शब्द ही भाषा में नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि उसे अपने भाव को व्यक्त करने के लिए प्रतीक शैली का सहारा लेना पड़ता है। इन प्रतीकों के द्वारा भी कवि अपने भाव को पूरा तो स्पष्ट नहीं कर पाता, पर फिर भी उसकी कुछ-कुछ भूलव अवश्य दे पाता है।

यही रहस्यवाद है—आत्मा और परमात्मा या दुश्य जगत और अदृश्य अन्वय सत्ता के सम्बन्धों का काव्य रूप में वर्णन। विचार के क्षेत्र में इसे अद्वैतवाद कहा जाता है और काव्य के क्षेत्र में रहस्यवाद। इसमें तीन दशाएँ मानी जाती हैं। पहली दशा जिज्ञासा की है, जिसमें आत्मा को परमात्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मनुष्य देखता है कि यह विस्तृत विचित्र ससार कैसे बना ? किसने बनाया ? ये रवि शशि और तारे किसका सकेत मानकर नियम से घूम रहे हैं ? समुद्र गजना करके किसकी वन्दना किया करता है ? और हिमकिरीट धारण किए पर्वत शिखर किसके द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति निश्चल और निबन्ध खड़े हैं ? इस कुतूहल से भर कर जब रहस्यवादी कवि अपनी रचनाएँ लिखता है तो वे जिज्ञासा की प्रथम कोटि के अन्वय गतों हैं।

रहस्यवाद की दूसरी कोटि है खोज और ज्ञान की। इसमें कवि साधना की खोज द्वारा उस रहस्यमयी सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह सारे ससार में उसी सत्ता के सौन्दर्य को अनुभव करने लगता है और उस सौन्दर्य पर मुग्ध हो उठता है। तत्पश्चात् मिलन की कोटि आती है। कवि उस रहस्यमय सत्ता या परमात्मा से मिलने के लिए अर्पण हो उठता है। उसकी आत्मा-परमात्मा के

विरह में वेचैन होकर तड़पने लगती है। यह मिलन से पूर्व की अवस्था है। उसके बाद समय आने पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। इस मिलन के समय आत्मा को अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है। इस आनन्द का वर्णन भी कबीर जैसे रहस्यवादी कवियों की कविता में प्राप्त होता है। मिलन के उपरांत आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। दोनों में एकात्मकता स्थापित हो जाती है। इसे मिलन के पश्चात् की अवस्था कहा जा सकता है। इस तरह मिलन कोटि की भी तीन उपकोटियाँ की जा सकती हैं। मिलन पूर्व कोटि, मिलन और मिलनोत्तर कोटि।

(क) जल में कुम्भ, कुम्भ में जल, बाहर भीतर पानी।
फूटा कुम्भ जल जलार्ह समाना यह तथ्य कयो गियानी।”

—कबीर

(ख) “विप्रित तू में हूँ रेखा-क्रम,
मधुर राग तू में स्वर सगम,
तू भसीम में सीमा का भ्रम
काया छाया में रहस्यमय प्रेयसि-प्रियतम का अभिनय क्या ?”

—महादेवी वर्मा

कबीर के रहस्यवाद पर दृष्टि डालने से वह ज्ञान-प्रधान या साधनात्मक रहस्यवाद दिखाई पड़ता है। उसमें भावुकता का अंश कम और बुद्धि का अंश अधिक है। इसीलिए कबीर के रहस्यवाद को विचारात्मक रहस्यवाद भी कहा गया है। इसके विपरीत जायसी का रहस्यवाद प्रेम भावना से सराबोर है। इसमें प्रेमात्मक या भावात्मक रहस्यवाद कह सकते हैं। वैसे कबीर के पदों में भी विरह और मिलन सम्बन्धी पदों में भावुकता और मम को स्पर्श करने की शक्ति कम नहीं है, परन्तु जायसी का सा भावना-बहुल रहस्यवाद उनका नहीं है। जायसी ने प्रेम के आवेग में सत्तार के कण-कण में उसी रहस्यमय सत्ता के सौन्दर्य की भाँकी पाई है और इस निखिल विश्व को उसी सत्ता के विरह के प्रचण्ड दावानल में जलता हुआ अनुभव किया है। जायसी का रहस्यवाद कविता की दृष्टि से भी अधिक सुन्दर बन पड़ा है। उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पर नहीं अपितु हमारे हृदय पर होता है।

आधुनिक काल के रहस्यवादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मूलवात त्रिपाठी 'निराला के नाम उल्लेखनीय हैं। कुछ लोग सुमित्रामन्न पन्त की रचनाओं में भी रहस्यवाद की भ्रुक पाते हैं, परन्तु पन्त की मुख्यतया छायावाद के कवि हैं। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों की खोज नहीं की। वे तो प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप सन्तुष्ट रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, वर्मा तथा निराला के कुछ उदाहरण

नीचे दिए गए हैं—

- (क) "ले चल यहाँ मुलाया बेकर, मेरे नायिक धीरे-धीरे ।" — प्रसाद
 (ख) "तुमको पीडा मे दूँ बा, तुममे दूँ दूँगी पीडा ।" — महादेवी वर्मा
 (ग) "तुम तु ग हिमालय शृंग और मे घचलगति सुरसरिता ।"
 तुम विमल हृदय उच्छ्वास और में कान्त कामिनी कविता ।"

—निराला

प्रसाद और निराला की रचनाओं में दार्शनिक रहस्यवाद दृष्टिगोचर होगा है। इनकी रचनाओं पर बौद्ध साहित्य, उपनिषदों तथा रामाकृष्ण परमहंस के अद्वैतवादी दशन का प्रभाव स्पष्टतया लक्ष्य होता है। 'पन्त' और 'एक' भारतीय आत्मा की कविताओं में जहाँ-तहाँ अनन्त परोक्ष सत्ता की झलक भी दिखाई पड़ती है। इसे आध्यात्मिक रहस्यवाद का नाम दिया गया है।

प्राचीन काल के रहस्यवादी कवियों और आधुनिक काल के रहस्यवादी कवियों में बहुत अन्तर है। कबीर और जायसी का जीवन भी उनकी रचनाओं के सदृश ही साधनामय था। वे लोग जिस भाव को अनुभव करते थे, उसे ही अपने काव्य में प्रस्तुत कर देते थे। फिर प्राचीनों की रहस्य-साधना का लक्ष्य परमतत्त्व—भी स्पष्ट है, जबकि नवीनों में यह स्पष्टता नहीं है। इस अर्थ में आधुनिक कवि अधिक रहस्यवादी प्रतीत होते हैं। परन्तु फिर भी नए रहस्यवादी कवियों में मन, वचन और क्रम का वह सामञ्जस्य हमें दिखाई नहीं पड़ता कि जो प्राचीनों में विद्यमान है। यदि यह मान लिया जाए कि उनकी कवि-ताएँ आत्मा और परमात्मा के मिलन को लक्ष्य करके लिखी गई हैं, तो यह अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा कि वे कोरी कल्पनाएँ हैं। वर्तमान कवियों में से किसी की अध्यात्म साधना ऐसी दिखाई नहीं पड़ती कि जिसके कारण उनकी रचनाओं को सच्ची अनुभूतियों पर आधारित माना जाए। ऐसी दशा में इस युक्ति में कोई बल प्रतीत नहीं होता कि रहस्यवादी रचनाएँ इसलिए क्लिष्ट करनी हैं, क्योंकि उनमें अलौकिक लोकोत्तर अनुभूतियों या भावों का वर्णन नहीं है और विषुद्ध कल्पना का घेन है, तो अलौकिक भावों का प्रश्न ही नहीं उठता।

छायावादियों की बात फिर भी समझ भ्राने योग्य है। कोई भी सहृदय भावुक किसी भी फूस में या तितली में चेतन सत्ता का भ्रामास पा सकता है और उसमें मानवीय भावनाओं का आरोप ही नहीं कर सकता, बल्कि उनमें न भावनाओं को सचमुच हृदय से अनुभव भी कर सकता है। इसलिए छाया-वादी कवि की अभिव्यक्ति सच्ची कही जायगी। परन्तु उन रहस्यवादी कवियों की अभिव्यक्तियाँ, जिन्होंने कभी स्वप्न में भी आत्मा और परमात्मा के विच्छ

या मिलन के दुःख, सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं की, सच्ची अभिव्यक्ति नहीं कही जा सकती। इस दृष्टि से हिन्दी का आधुनिक रहस्यवादी साहित्य अपना महत्व खो बैठा है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपनी 'काव्य में रहस्यवाद' नामक पुस्तक में ऐसे रहस्यवादी कवियों को अच्छी तरह लताड़ा है, जो असीम, अनन्त क्षितिज के पार, अदृश्य सगीत इत्यादि शब्द-जाल और अस्पष्ट भावनाओं को श्रेष्ठ रहस्यवादी रचनाओं के नाम से प्रचारित कर रहे थे। इन लोगों ने क्लिष्ट दुर्बोध और अस्पष्ट रचनाओं को ही रहस्यवाद मान लिया था, शायद इसलिए क्योंकि उनका अर्थ अन्त तक रहस्य ही बना रहा जाता था।

यदि कोई व्यक्ति किसी अत्यन्त सूक्ष्म और गम्भीर अर्थ को प्रकट करने का प्रयास करे और उसमें उसकी भाषा क्लिष्ट हो जाए, तो वह सही है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति बिना किसी श्रेष्ठ भाव या अर्थ के केवल जटिल शब्द-जाल में पाठकों को उलझा कर उन पर यह प्रभाव डालना चाहे कि वह किसी बहुत ही सूक्ष्म और दुरूह भाव को प्रकट करना चाहता है, परन्तु सफल नहीं हो पा रहा, तो वह असम्यक् है। इसी प्रकार के साहित्य-महारथियों की शुक्ल जी ने अपने निबन्ध में अच्छी तरह खबर ली थी और इसी का यह फल हुआ कि हिन्दी के साहित्य-क्षेत्र से ऐसे अनेक लेखक एकाएक लुप्त हो गए, जो केवल शब्द-जाल के सहारे उच्च कोटि के रहस्यवादी कवि कहलाने लगे थे। केवल वही कवि अब साहित्य क्षेत्र में शेष रहे हैं, जिनकी कविताओं में कुछ बल और जीवन या आज काव्य की यह धारा महादेवी की कविताओं में ही जीवित देखी जा सकती है। अन्यत्र सबत्र इसका प्रायः विलोप हो चुका है।

११ | हिन्दी साहित्य में गद्य शैली का विकास

हिन्दी साहित्य में गद्य का चतुर्मुखी विकास आधुनिक काल की देन है। प्रेस का आविष्कार राजनीतिक आन्दोलन का चलन पत्र-पत्रिकाओं का पत्रिक प्रचलन और बौद्धिकता का विकास आदि अनेक ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप आधुनिक युग में पद्य के स्थान पर प्रायः सभी जातियों के साहित्य में पद्य का हिस्सा, हिन्दी साहित्य भी इसका अपवाद नहीं।

हिन्दी साहित्य में हमें गद्य का अत्यन्त भाषाओं ब्रज और राजस्थानी में

प्रथम गद्य का

शोकुलनाथ की लिखी 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता और 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता' तथा नामादास कृत 'अष्टयाम' में उपलब्ध होता है इसके अतिरिक्त अनेक टीका ग्रन्थों की रचना भी गद्य में ही की गई। किन्तु शुक्ल जी के विचार में टीका-गद्य बहुत ही अध्ववस्थित और अशक्त था। वास्तविक रूप में हिन्दी साहित्य में गद्य का प्रादुर्भाव खड़ी बोली में लिखे गये गद्य से माना जाता है।

खड़ी बोली गद्य के आदि लेखक अकर के दरबारी कवि गण कहे जाते हैं। इनकी लिखी चन्द छन्द बरतन की महिमा नामक पुस्तक की माया भाषुनिक खड़ी बोली के आस पास है जो कि १६वीं शताब्दी में लिखी गई थी। गद्य में लगभग पौन दो सौ वर्ष पश्चात् खड़ी बोली गद्य दो के महत्त्वपूर्ण लेखक हुए। इनमें रामप्रसाद निरजनी ने 'माया योग वासिष्ठ' लिखी और प० दौलत राम ने जैन 'पद्यपुराण' का भाषानुवाद किया। किन्तु माया की दृष्टि से निरजनी के 'माया योग वासिष्ठ' को खड़ी बोली का प्रथम ग्रन्थ तथा निरजनी को खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ लेखक मान सकते हैं।

१६वीं शताब्दी के आरम्भिक काल में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने का प्रयास किया गया। इस काय में चार प्रमुख महानुभावों—मुशी सदा-मुखलाल, इशा अल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र का योगदान सराहनीय है। इन्हीं के उद्योग से हिन्दी-गद्य ने साहित्यिक रूप ग्रहण करने में सफलता प्राप्त की। इनमें से लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष जॉन गिलक्राइड की प्रेरणा से हिन्दी गद्य में पुस्तक लिखी। इशा अल्ला खाँ का अध्ययन फारसी तक ही सीमित था। अतः इनकी माया में संस्कृत के शब्दों का अभाव है जिसका हिन्दुओं की प्रचलित माया में होना अनिवार्य है। लल्लूलाल की माया भी विकास के योग्य न थी। इनकी लिखी प्रेमसागर नामक पुस्तक में ब्रज भाषा का पुट और पण्डिताऊपन है। इनकी लिखी भी गन्धीर विषयो के उपयुक्त न थी। सदल मिश्र और मुशी सदामुखलाल की व्यवहारोपयोगी माया तत्सम और तद्भव शब्दों से पूर्ण होते हुए भी मुन्दीजी की माया में अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का बहिष्कार तथा मिश्रजी की माया में शुद्धता, प्रौढता और परिभाजन का अभाव होने से विकास के योग्य न रही। फिर भी आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं दोनों के गद्य को आधुनिक गद्य का प्रादुर्भाव मानते हैं।

ईसाइयो द्वारा भी हिन्दी के गद्य-साहित्य की पर्याप्त मात्रा में सेवा हुई। बनता तक अपने धर्म को पढ़ाने के लिए उन्होंने बाइबिल अनुवाद हिन्दी में करवाया। मुख्यतः उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था, हिन्दी-गद्य की उन्नति करना नहीं था, फिर भी अमिश्रित के इस माध्यम की ओर

लोगों का ध्यान तो इन्होंने भाङ्गपित किया ही। अंग्रेजी गिणा के प्रचार के लिए इन दिनों अनेक स्कूल खोलने लगे थे। ईसाई पादरियों ने भी अपने छोटे मोटे मिशन स्कूल खोलने शुरू कर दिए। गिणा-सम्बन्धी पुस्तकों की माँग को पूरा करने के लिए इन्होंने सिरामपुर तथा आगरा आदि विभिन्न स्थानों पर स्कूल, बुक सोसायटीज कायम कीं। इनके अपने बहुत से छात्रवर्ग भी थे।

इसी समय साम्प्रदायिकता के शिकारों ने कुछ मुसलमानों के प्रभाव में आकर सरकार की नीति हिन्दी के प्रति बदली। हिन्दी का अस्तित्व निम्नने का जोर जोर से प्रयत्न किया गया एव उर्दू को उससे स्थान पर प्राथमिक कर दिया गया। धीरे धीरे स्कूलों तथा सरकारी कार्यालयों से हिन्दी का अस्तित्व हटाया जाना लगा था। पहले शिवप्रसाद सितारे हिन्दी हिन्दी के समर्थक थे। परन्तु शिवा विभाग में इन्स्पेक्टर के पद पर प्राथमिक होत ही उर्दू के समर्थक बन गये। इनका विरोध राजा सहायसिंह ने किया। वे निरगुण हिन्दी के पक्षपाती थे। आपने ससृष्ट भाषा के तत्सम और तद्भव शब्दों की आवश्यकतानुसार अपनाकर भाषा को सरल, सरस और स्वभाविक बनाने का प्रयास किया। इनके 'शकुन्तला नाटक' में भाषा का ऐसा रूप ही दृष्टि गोचर होता है। फिर भी इन्होंने कुछ विदेशी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसी समय अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने की प्रवृत्ति चल रही थी। भाषा समाज की स्थापना के द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हिन्दी का प्रचार करना भी आरम्भ कर दिया। स्वामी की अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' हिन्दी में तो लिखी थी। उन्होंने समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए हिन्दी पढ़ना अनिवार्य कर दिया था। श्रद्धाराम फुलौरी का गद्य भी परिमार्जित एव प्रौढ है। इन्होंने कठिन दासानिक तथ्या को सरल भाषा के द्वारा हृदयपत्र बनाने का प्रयत्न किया है जिसमें वे सफल भी हुए हैं इस प्रकार इस युग में हिन्दी गद्य को विकसित करने तथा उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भाषा समाज को है।

अब तक हिन्दी गद्य का निर्माण तो मली प्रकार से हो चुका था किन्तु उसे साहित्य के क्षेत्र में लाने का कार्य शेष रह गया था। साहित्यिक गद्य का उदभव एक प्रकार से १९वीं शताब्दी के अन्तिम काल में हुआ। तब से लेकर अब तक का जो काल है उसे गद्य के विकास के अध्ययन की सुविधा के लिए चार युगों में विभाजित किया जा सकता है—भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग, छायावाद युग तथा वर्तमान-युग।

हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु के आगमन के साथ ही हिन्दी गद्य तथा पद्य के दर्शन होते हैं। भारतेन्दु-युग राष्ट्रीय-जागरण का काल था। १८८५ में इण्डियन नेशनल काँग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। युग की

चेतना को जनता तक पहुँचाने में साहित्यिकों ने बड़ा योग दिया। नाटक, पत्र-पत्रिकाओं आदि के द्वारा लेखक जनता तक अपना सन्देश पहुँचा सके। इसी-लिए आधुनिक युग की गद्य-काल की सजा दी जाती है क्योंकि इस युग में गद्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ।

भारतन्दु हरिश्चन्द्र बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कवि वचन सुधा' का सन् १८६७ में तथा 'हरिश्चन्द्र चरित्र' का सन् १८७६ में प्रकाशन काय आरम्भ किया। हमारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में "भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने और उनके सहयोगियों ने जिस प्रकार की भाषा में अपने लेख और ग्रन्थ लिखे, वह बहुत स्वाभाविक और भाव प्रकाशन में समझ भाषा थी।" हरिश्चन्द्र मंगजीन के प्रकाशन से हिन्दी में नई भाषा शैली की नींव पड़ी। भारतन्दु जी ने उर्दू फारसी-बहुल हिन्दी और तत्सम-बहुल विद्युद्ध हिन्दी का अपनी भाषा में समन्वय स्थापित करके एक व्यावहारिक भाषा-शैली को जन्म दिया। उन्होंने खड़ी बोली के गद्य-क्षेत्र में इस नई शैली का प्रवर्तन करके युगान्तर उपस्थित किया। उनकी भाषा-शैली में सहजता एवं भावों को अनुसरण कर सके के जो गुण हैं, उनके द्वारा भारतन्दु जी ने हिन्दी गद्य को खूब समृद्ध किया।

बालकृष्ण मट्ट और प्रतापनारायण मिश्र हमारे समस्त गद्य-साहित्य के स्वतंत्र शनीकार के रूप में आते हैं। मट्ट जी ने भारतन्दुजी की गम्भीर निबन्धा की शैली का अपनी रचनाओं में विकास किया है। किन्तु उन्होंने भाषा की शुद्धता के प्रति अपना आग्रह अधिक नहीं दिखाया। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू फारसी आदि अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया। इसके विपरीत प्रताप नारायण मिश्र ने कहावतों का प्रयोग तथा व्यंग्य और हास्य के पुट से भारतन्दु की सामान्य शैली को सजीव बना दिया। एक प्रकार से इनकी भाषा जन प्रिय बन सकी है।

जहाँ हिन्दी में गद्य-शैली का विकास हुआ, वहाँ गद्य-साहित्य के विविध अंग तथा नाटक, उपन्यास और निबन्ध का विकास हुआ। भारतन्दु-युग में बहुत से मौलिक नाटक उपन्यास एवं निबन्धा की रचना की गई तथा अनुवाद का कार्य भी जोरों से चला।

द्विवेदी-युग में चतुर्दश गद्य के विभिन्न अंगों का जो उद्भव एवं विकास हुआ उनके प्रभाव में आकर गद्य-शैली की भाषा तत्सम-प्रधान हो गई और उसमें अनेकरूपता आ गई। यों तो समीक्षा का सूत्रपात भारतन्दु-युग में ही हुआ था, परन्तु उसका वास्तविक विकास इसी युग में आरम्भ हुआ। आधुनिक कहानी का जन्म भी इसी युग में हुआ। गद्य शैली को सवारने तथा निवारने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा हाथ है। 'सरस्वती' के द्वारा

उन्होंने गद्य-साहित्य की बहुत सेवा की। इस युग में बहुत से प्रसिद्ध लेखकों ने न्यूनाधिक भाषा में द्विवेदी जी की भाषा शैली को अपनाया है। इस कारण यह है कि द्विवेदी जी की भाषा शैली प्रसाद एवं भोज गुण से परिपूर्ण है तथा उत्तम समय भी है। प्रवाह और सजीवता भी उनकी शैली का प्रमुख प्रदर्शित करती है। प० परसिप शर्मा की शैली में उद्गार शैली की सी तुल्यता तथा चलताऊपन है। श्यामसुन्दर दास ने उत्तम शब्दों को अपनी भाषा में प्राधान्य दिया है। इस युग में प्रेमचन्द जी भी अपनी विशिष्ट प्रकार का भाषा शैली लेकर आए। उन्होंने खड़ी बोली के चलते हुए रूप को अपनाया है। अपने अद्वितीय उपन्यासों तथा कहानियों के द्वारा उन्होंने हिन्दी के गद्य साहित्य के मण्डार को खूब मरा है।

भाषाय रामचन्द्र शुक्ल ने गम्भीर विषयों का विश्लेषण करने वाली भाषा-शैली को अपनाया है। इनकी विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में गम्भीर समय और सौष्टव्य है। उन्होंने अपनी भाषा को अपूर्व शक्ति प्रदान करके सभी प्रकार के विषयों का प्रतिपादन करने में समर्थ बनाया है। इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा का शब्द चयन और वाक्य विन्यास घड़ी सतकृत किया है।

छायावादी कवि प्रसाद ने भी प्रौढ़ भाषा-शैली को प्रथम दिया। उनका क्षेत्र में भी कुछ नवीन शैलियों का प्रवर्तन हुआ। उदाहरणार्थ में विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार, व्यंग्यभूलक अर्थात् साम्यवादी विचारों को बताने वाले नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी नवीन शैली के प्रवर्तक हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र उपद्रनाम अक्षक इत्यादि का नाम आधुनिक नाट्य-शैली का मेधाता है।

छायावाद-युग में भी गद्य शैलियों का विकास हुआ। गद्य में साक्षात्कारता अलङ्कार काव्यात्मकता इत्यादि तत्त्वा का विकास हुआ। महादेवीजी के मातृवाच नात्मक निबन्ध छायावाद रहस्यवाद मथाथवाद आदि काव्य और साहित्य के विविध रूपों को लेकर बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। अपने गद्य में भी कविता की भाँति उन्होंने सृष्टि-गमित खड़ी बोली को अपनाया है। भाषा में इतनी तीव्रता है कि पाठक कलाकार के भावों के साथ बहता हुआ चलता है। सक्षम में माधुर्यता, विदग्धता मधुरता और साहित्य महादेवीजी का भाषा शैली के विशिष्ट गुण हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति महादेवी जी ने बड़ी अलङ्कारिक भाषा एवं व्यञ्जना-शैली में की है। माखनलाल चतुर्वेदी भी वर्तमान युग के श्रेष्ठ शैलीकार हैं। इनका गद्य भी काव्यात्मक है। इनकी भाषा-शैली के तीन विशेष गुण हैं—समयता, रागात्मकता एवं सुबोधता।

प्रसाद जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पौराणिक वातावरण को नवीन युग के

हिन्दी साहित्य में गद्य शैली का विकास

७५

भालोक से आलोकित किया है और भारतेन्दु-युगीन पौराणिक नाट्य-शैली से प्रयुक्त एक नवीन नाट्य-शैली की उदभावना की है। इसके प्रतिरिक्त पौराणिक नाटकों के क्षेत्र में सुदर्शन भास्करलाल चतुर्वेदी, उदयशंकर मट्ट ने भी नवीन शैली विधान का संयोजन किया है। इसने प्रतिरिक्त कहानी निबंध उपन्यास आदि गद्य के विभिन्न भ्रमों का भी समुचित रूप से विकास हुआ। इस युग में क्या भाषा क्या शैली क्या विषय सभी क्षेत्रों में एक अभिनव कलात्मकता, मसृणता विविधता और गहराई आई।

गद्य के विकास की दृष्टि से वर्तमान-युग अपना अलग महत्त्व रखता है। इस युग में गद्य का इतना अधिक प्रयोग हुआ है और हो रहा है कि कुछ विद्वान् प्राधुनिक-काल के गद्य-काल के नाम से पुकारने लगे हैं। भावात्मकता, विचारात्मक शैलियों के साथ ही-साथ वर्तमान युग अनुसंधानात्मक और वैज्ञानिक शैलियों का भी विकास करने वाला कहा जा सकता है। आचार्य हजारी-

सद द्विवेदी के 'गद्य-व्य', कबीर मध्यकालीन धर्म-साधना आदि ग्रन्थों में अनुसंधानात्मक शैली का सुन्दर उदाहरण मिलता है। वैज्ञानिक विवेचन की शैली का परिचय डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के भाषा के इतिहास में मिलता है। डॉ० नगेन्द्र का भी अपनी विशिष्ट भाषा शैली के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने प्रौढ़ चिंतन, मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति और आलोचना के मौलिक सिद्धान्तों द्वारा हिन्दी के आलोचना साहित्य को बड़ा समृद्ध बनाया है। इनकी भाषा शैली की विशेषता भावात्मक, विचारात्मक एवं कलात्मक तत्त्व हैं। इन्होंने आलोचना में अपनी सरस शैली के द्वारा तथ्य-निरूपण को बहुत सरल बना दिया है।

वर्तमान युग में शैली की दृष्टि से कुछ प्रगतिशील लेखकों ने भी प्रयोग किये हैं जिनका अपना विशेष महत्त्व है। डॉ० रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी समालोचना में चलती हुई अोजपूर्ण गद्य-शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। डॉ० रागेय राघव गम्भीर-विचार-विरलेपण एवं मनोवैज्ञानिक तकपूण शैली को लेकर गद्य के क्षेत्र में अग्रणी हुए। उनकी शैली में पाठकों को उदबुद्ध करने की शक्ति है। ज्ञान की गरिमा एवं सयमित व्यंग्य भी इसी शैली की अन्वय विशेषताएँ हैं। यशपाल ने गद्य-साहित्य में भी एक नवीन भाषा शैली के दर्शन होते हैं। यशपाल ने अपनी साम्यवादी विचार-धारा को अपनी भाषा-शैली के द्वारा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। प्रभाकर माचवे, नामवरसिंह प्रमति अथ प्रगतिशील लेखकों ने नवीन गद्य-शैली को अपनाया है जिसका प्रवर्तन यशपाल ने किया था। इस शैली में व्यंग्य एवं कटुक्तियों की प्रधानता है तथा डॉ० रागेय राघव की भी व्यक्ति निष्ठा को भी लिए हुए है। वर्तमान चरणों में हिन्दी गद्य के विधात्मक रूपों में समी प्रवार से सूक्ष्मता, सन्केतिकता का समावेश हो गया है।

अतः जगत् गद्य रूपों में महीन निगार एव विकास का रहा है।

संदेह में हम कह सकते हैं हिन्दी गद्य का जब से उद्भव हुआ, तब से मेजर धर तब उत्तरे प्रत्यक्ष उन्नति की है। गद्य साहित्य की विविध विधाओं पर यथा नाटक विषय, उपन्यास, कहानी, समीक्षा आदि पर सुन्दर तथा उच्च कोटि का साहित्य उपलब्ध है। आज भी गद्य की विभिन्न शक्तियों से बालन-युग का गद्य-साहित्य भरा जा रहा है। वर्तमान-युग का मेजर करने हुए के पाठकों के सम्मुख उठते देने के लिए नई-नई शक्तियाँ गड़ता जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान-काल में हिन्दी गद्य उन्नति के चरम निगार पर पहुँच गया है। क्या भाव क्या भाषा-शैली सभी दोनो में यह प्रगतिशील है। सरल तो यह है कि आज कविता भी गद्य के अधिष्ठतम निकट आती जा रही है। वास्तव में यह युग गद्य-साहित्य के चरम विकास का युग है।

१२

हिन्दी नाटक और रगमद्य

न केवल भारतीय, बल्कि समस्त विश्व की साहित्यिक परम्पराओं में नाटक को प्राचीनतम विधा स्वीकारा जाता है। इस दृष्टि से नाटक साहित्य बहुत पुराना है उसने दृश्य विधान के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले रगमद्य का इतिहास भी उतना ही अधिक पुराना एव परम्परागत है। भारतीय साहित्य में सस्कृत के नाटक अपना विशेष महत्त्व एव विकास की एक समुन्नत परम्परा रखते हैं। यहाँ नाट्य का महत्त्व पंचम वेद के समान माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि विश्व-साहित्य के आदिम माने जाने वाले महान् श्वेद ऋग्वेद में ही हमें नाटक के तत्त्व उपलब्ध होने लगते हैं। इसमें जो सर्वाङ्ग-रमक सूत्र हैं अनेक विद्वान् उन्हीं से नाटक और रगमद्य की उत्पत्ति तथा विकास मानते हैं। इतना ही नहीं, भारत में तो नाटक को एक अलौकिक कला के रूप में मान्यता मिलती रही है। शिव-पार्वती ब्रह्मा, नारद आदि देवों को इसके स्वरूप का विधायक स्वीकारा जाता है। जो हो, इतना निश्चित है कि लौकिक सस्कृत के काल में काव्य के रूप में यहाँ सर्वाधिक रचना नाटकों की ही हुई होगी। तभी तो भारतीय काव्य-शास्त्र के प्रथम प्रणेता आचार्य भरत ने काव्य शास्त्र का जो विवेचन किया है वह वास्तव में नाट्य एव नाट्य शास्त्र का ही विवेचन किया है।

नाटक के समान इस देश में रगमद्य की कथा भी अत्यन्त प्राचीन मानी

जाती है। ऐसी मान्यता है कि सवप्रथम देवताओं ने समुद्र-मथन की पौराणिक कथा सुव्यवस्थित रगमच पर प्रस्तुत की थी। इस मायता में सत्य कितना है, इस विवाद में न पड कर हम केवल यह मानकर चलना चाहते हैं कि सस्कृत के नाट्य-रचना-काल में निश्चय ही भारत में अभिनेयता की दृष्टि से उन्नत रगमच रहा होगा तभी तो सस्कृत में काव्य या नाट्य शास्त्रों में रगमच रचना के छोटे-बड़े अनेक प्रकार के विधान उपलब्ध होते हैं। रगमच के साथ-साथ साज-सज्जा गृह (Green rooms), प्रेक्षण-गृह नपथ्य आदि के भी समुन्नत विधान मिलते हैं। नाटकों के कथानकीय स्रोतों के आधार पर ही नहीं, दशकों की विविध और विभिन्न कोटियों के आधार पर भी यहाँ रगमच-विधान की एक सुव्यवस्थित एवं समुन्नत परम्परा रही है। पर खेद का विषय है कि सस्कृत-काल की समाप्ति के साथ ही साथ उन सब का प्रमत्त ह्रास होता गया। सस्कृत की परवर्ती प्राकृतों और अपभ्रंशों के काल में न तो कोई विशेष नाटकों की परम्परा ही मिलती है और न रगमच की ही। फिर भी १९वीं शताब्दी के छठे-सातवें दशकों तक यहाँ रगमच यत्र तत्र बिखरे रूप में उपलब्ध रहा है ऐसे प्रमाण हमें इतिहास में मिलते हैं। अवध के नवाबों ने तो रगमच को प्रश्रय दिया ही, भर्तृहरि के राज्य में भी एक सुव्यवस्थित रगमच था, जिसे अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था। इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। जब सामान्य रूप से रगमच के होने के प्रमाण मिलते हैं तो विविध बोलियों या भाषाओं में सामान्यतः नाटक भी रचे जाते रहेंगे, ऐसा मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

यह तो हुई समग्र रूप से भारतीय नाटक और उसके रगमच की सामान्य कथा। इस आलोचन में हिन्दी नाटक और उसके अपने रगमच का क्या स्थान एवं महत्त्व है, यह देखना अब बाकी रह जाता है। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक काल (सम्बत १९०० से) के आरम्भ होने तक—अर्थात् सम्बत १०५० से लेकर सम्बत १९०० वि० तक हिन्दी-साहित्य के इतिहास के जो आदि, भक्ति और रीति नाम के तीन काल माने गये हैं उन कालों में हिन्दी नाटक-रचना की दृष्टियों से सवथा अकाल रहा है। जब नाटक रचे ही नहीं गये, या इस और साहित्यकारों एवं जन-मानस की रुचि ही न थी तो किसी रगमच की कल्पना ही कैसे की जा सकती है अनेक विद्वानों का यह मत है और हमारा अपना भी विचार यही है कि यह काल-खण्ड भ्रान्तरिक एवं बाह्य सभी दृष्टियों से अनेक प्रकार के संक्रमणों एवं संघर्षों के काल रहे हैं। दूसरे, जैसे ही सस्कृत काल का अयसान होता जाता है भारत पर विदेशी शक्तियों एवं उनके संक्रमणों का दबाव भी बढ़ता जाता है। यह भी एक सवमान्य तथ्य है कि नाटक इस्लामी सस्कृति-सम्भता की मूल प्रवृत्तियों से मेल

नहीं गाते और ये बाल वास्तव में भारत पर इहीं सम्पन्न-मस्त्रियों के भावमणा एव राजत्व का बाल है। अतः नाटक रचने और उनके अभिनय की ओर झिगी का ध्यान ही नहीं गया, फिर रगमच का उभय एव विकास वहाँ न हो जाता? हाँ, इन तीन बाल-मण्डल म देण के कुछ विविष्ट भागों पर प्रमाणों म रास लीला राम-लीला एव भोटनिया आदि के रूप में अम्पायी एव मामाय रगमच रहने के प्रमाण कुछ न कुछ अवश्य मिल जाते हैं।

यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भवध के नवाबों का ध्यान प्रायः रगील स्वभावा के कारण भवश्य ही नाटकों और रगमच की ओर प्राकटित हुआ। उनमें से कुछ नवाबों ने नाटक लिखवाए और उनका अभिनय भी करवाया। इतना ही नहीं इन नाटकों में नारी पात्रों का अभिनय नारियों ने ही किया ऐसा माना जाता है। इसका कारण यह है कि नवाब और उनके चट्टे अहलकार पुरुष-यात्रा की भूमिका म स्वयं भवतरित होने थे। रगीले नवाब वाजिद अली शाह का स्व-रचित एक नाटक भी उपलब्ध होना है, जो राधा-कृष्ण और गोपिया की प्रेम-लाला पर आधारित है। इसमें कृष्ण की भूमिका में नवाब स्वयं और राधा तथा गोपियों की भूमिका म उनकी चहेती ननवियों आदि भवतरित हुई थी। इनके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक नाटक मण्डलों के होने का उल्लेख भी मिलता है जो नाटकों के समान इधर उधर घूमकर अस्थायी एव स्व-निमित्त मंच पर अभिनय किया करती थी। इस प्रकार के सारे प्रयत्नों को समग्रतः हिन्दी नाटक और रगमच की परम्परा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ मापायी लिचडी अधिच है। विशुद्ध नाटकीयता का सतत अभाव है।

हिन्दी नाटका और रगमच की वास्तविक परम्परा का समारम्भ हमारे विचार में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से ही होता है। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतेन्दु जी को इस सब की प्रेरणा अंग्रेजी नाट्य मंचों और बंगला नाट्य मंचों से ही प्राप्त हुई थी। अपनी जगन्नाथ पुरी की यात्रा के दौरान भारतेन्दु जी जब कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि पहले अंग्रेजी रगमच और उससे प्रेरित होकर बंगला रगमच का सतत विकास हो रहा है। वहाँ रहकर उन्होंने दोनों मंचों पर अभिनीत किये जाने वाले नाटकों को गहरी एव एक अध्ययन की दृष्टियाँ से देखा। अभिव्यक्ति के इस माध्यम ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। हिन्दी में भी नाटका और रगमच की स्थापना का निश्चय लेकर ही वे वापिस अपने घर आये। वापिस आकर उन्होंने अनेक मौलिक नाटक लिखे कुछ अनुवाद किये और कुछ का रूपांतरण किया। फिर भारतेन्दु मण्डल के सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने एक रगमच की स्थापना की। उसी मण्डल के सदस्यों के साथ मिलकर अपने प्रायः समस्त नाटकों का

हिंदी नाटक और रंगमंच

भ्रमिनय प्रस्तुत किया। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अपने नाटकों को प्रमुख भूमिकाओं में भारतेन्दु जी स्वयं रंगमंच पर अवतरित होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में नाटका की रचना हिन्दी रंगमंच और हिन्दी-नाटका के भ्रमिनय का वास्तविक इतिहास यही सही और मूल्यवाना होता है। पर यह खेद का विषय है कि भारतेन्दु जी की यह स्थापना और परम्परा उनके बाद जारी नहीं रह सकी। उनके बाद एक बार फिर हिन्दी-नाटक और उसके स्थापित रंगमंच पूणतया अस्त व्यस्त बल्कि ध्वस्त होकर रह गया।

भारतेन्दु जी के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग आता है। अपने युग में द्विवेदी जी ने विशिष्ट दृष्टिकोण एवं ढंग से साहित्य की अन्य विधाओं के विकास की ओर तो समुचित ध्यान दिया पर जाने क्यो नाटक रंगमंच की ओर उनका ध्यान गया ही नहीं। परिणामस्वरूप हिन्दी के नाम पर नाटक के क्षेत्र में अनेक व्यावसायिक मण्डलियाँ उतर आईं। अनेक पारसी थियेट्रीकल कम्पनियाँ सामान्य स्तर के नाटक लेकर रंगमंच और भ्रमिनय के क्षेत्र में काम करने लगीं। ये कम्पनियाँ जो कुछ भी कर रही थीं, विगुड अथवा अधिक एवं व्यावसायिक दृष्टियों से ही कर रही थीं। अतः इनके प्रयासों से न तो हिन्दी नाटक को ही कुछ लाभ पहुंच सका और न हिन्दी रंगमंच का ही कोई रूपाकार रूपापित हो सका।

उसके बाद हिन्दी नाट्य-साहित्य के क्षेत्र में श्री जयशंकर प्रसाद का आग-मन हुआ। प्रसाद जी ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं राष्ट्रीय चेतनाओं से अनुप्राणित होकर अनेक साहित्यिक नाटक रचे, पर सखेद स्वीकार करना ही पड़ता है कि उनके अन्तिम नाटक 'ध्रुव स्वामिनी' को छोड़कर अन्य किसी म भी रंगमंचीय सम्भावनाओं का कतई ध्यान नहीं रखा गया। हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते कि प्रसाद जी के नाटकों के उपयुक्त रंगमंच का अभाव रहा या प्रसाद जी ने कहा कि रंगमंच की योजना उपलब्ध नाटकों के आधार पर होनी चाहिए। हमारा यह निश्चित मत है कि यदि प्रसाद जी कुछ वष और जीवित रहते, 'ध्रुव स्वामिनी' के वास्तविक और भी नाटक रचने की निश्चय ही वे नाटक उपलब्ध रंगमंच की सभी प्रकार की सम्भावनाओं के स्वरूप होत, ऐसा हम 'ध्रुव स्वामिनी' के स्वरूप विधान को निहार कर नेषठक कह सकते हैं। तापय यह है कि प्रसाद जैसा प्रतिभाशाली नाटक-कार भी विगुड सुपाठ्य साहित्यिक नाटक ही हमें प्रदान कर सका, रंगमंचीय नहीं। अतः हिन्दी रंगमंच के निर्माण में हमें उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं बन सका। तभी तो आज भी हिन्दी का कोई एवान्त अपना रंगमंच नहीं बन सका है। अभी तक हम अनवरत प्रयत्न का गलिया में ही निरन्तर मटक रहे हैं।

हिन्दी नाटकों का आज जो बोझ-बहुत रगमंचीय रूप उभर रहा है वह हिन्दी रगमच का कुछ-कुछ घपना विनिर्माण हो रहा है इन्हे हम तत्स्य रूप से एवदम हिन्दी एकांकी और उसके रगमच को देना बह सवत है। वहाँ जो यह घप्रेजी, बगला और मराठी नाटकों की देगा-देगी ही आई यह एक निष्ठात सत्य है। हिन्दी में इसका धारण स्वता-भातेजों के बाकिर विशेष उतसयो के घयगग पर घेते जाते के लिए हुआ। स्वतंत्रता-भातेजों के घपने घणो हॉल एव सीमित मन घे 'उही को घ्यान में रगवर पहते-मत्न छोटे बडे घमिनय एकांकी रचे जाते सगे। फिर योरूप में तथा भारत के घने भागो में भी सिलमा की तुलना में नाटक और उसके रगमच की घोर सती या घ्यान जाते सगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 'पष्वी थियेटर' ने भी निरव ही हिन्दी नाटक और रगमच के विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त बगला मराठी, पञ्जाबी घानि देगी और घपजी घानि विने मापाघो के घमिनय नाटका की बाढ़-सी घाने सगी। इनके लिए उचित रच बर्मी सामने घाये। उनकी प्रतिभा और प्रयामो से उन मापाघा के उन्नत रगमचो का निर्माण होने सगा। सबसे मुख्य बात तो यह है कि उन मापाघों में रगमच की समस्त सम्भावनाघो को घ्यान में रगवर नाटक रचे जा लने। हिन्दी घालो को भी दन्वा-दन्वी प्रेरणा मिली। परिणामस्वरूप हिन्दी में रगमच की समस्त सम्भावनाघा को घ्यान में रगवर नाटक रचे जान तथा जब नाटक रचे जाने लगे तो उाके घमिनय के लिए रगमच का भी उचित निमाण होने लगा। सो आज हम दाये के साथ कह सकते हैं कि हिन्दी नाटक और उसका रगमच अपने सतत विनिर्माण की प्रक्रिया में से द्रुत गति से घुबर रहा है। अत हम एक उन्नत मविष्य की घाना कर सकते हैं।

आज हिन्दी नाटक और उसके रगमच दोनों में ही घनेक प्रकार के नये नये प्रयोग हो रहे हैं। शिल्प रग-योजना विषय एव उनका विन्यास घानि सभी में द्रुत विकास हो रहा है। हिन्दी के नाटक देश विदेश के रगमच पर अमिनीत होकर घेरो प्रशसा अजित कर रहे हैं। फिर भी अभी तक हम यह कहने की स्थिति में नहीं आ पाये कि हिन्दी नाटकों के लिए अभी तक किनो नितान्त निजी रगमच का विनिर्माण नहीं हो पाया है।

१३

हिन्दी में गीति काव्य का विकास

जीवन के एकात भावुक क्षणो की लयात्मक अमिब्यक्ति ही गीति है। से ही मानव हृदय में दुःख और विषाद के भाव तरंगित होते आ

हिन्दी में गीति काव्य का विकास

रहे हैं। जब मानव हृदय पर कठोर प्राघात उठता है, तो वह व्याकुल, उदास सुब्ध भ्रमवा प्रसन्न हो उठता है। उस समय प्रसन्नता भ्रमवा दुःख से पूण वाग्यारा उसके मुख से फूट पड़ती है। यही वाग्यारा प्राय गीति-काव्य का रूप ग्रहण कर लेती है।

गीति काव्य में भाव-पक्ष ही प्रधान होता है। इसमें कवि अपने उठते हुए भसीमित भावों को समेटने तथा उनमें मूल चास्त्व को प्रस्फुटित करने का प्रयास करता है। भाषा छंद, लय और भावों का अचिरल सगुम्फन ही गीति-काव्य का सौली सम्बन्धी भादश है। गीति-काव्य में कवि के लिए निर्बाध क्षेत्र खुला हुआ नहीं होता है। उसको कल्पना में तो अपने विषय से इधर-उधर हो सकती है और न ही वह अधिक दूर जाकर 'विभिन्न' सामग्री एक-नित कर पाती है।

काव्य में संगीत नाद और लय का होना आवश्यक है यदि इनमें से किसी का अभाव होता है, तो फिर उसे काव्य कहने में सकोच होता है। परन्तु अन्य विद्यार्त्मक काव्य से भी गीति-काव्य में इनका महत्त्व बहुत अधिक है। संगीत भावों को ताल और लय में बांध गीति-काव्य को माधुय एव सौन्दर्य स करता है।

गीति-काव्य की अपनी प्राचीन परम्परा है। सबप्रथम इसवे दशम वैदिक ऋचाओं में प्राप्त होते हैं। हमारे वेद-मंत्र गेय थे। 'सामवेद' में विणैय रूप में ऐसे मंत्र ही मिलते हैं। वैदिक काल के परवर्ती साहित्य में भी गीति का रूप उपलब्ध होता है। जयदेव के 'सगीति गोविन्द' ने मस्त्रुत के गीति काव्यों की परम्परा को बँसब की चरम सीमा तक पहुँचाया। जयदेव ने विभिन्न यग-रागनियों में बहुत ही मनोहर रग से नापा का बना है। ऐसा मूल्य गीति-काव्य अन्यत्र दुलभ है।

विद्यापति ने मस्त्रुत गीति-काव्यों की परम्परा का स्वर की पूरा मधुरता एवं पद के सालित्य के साथ हिन्दी में ज्ञान का प्रयत्न किया। बगला गीति-काव्य का भी इनन पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई। गंगात्मक भावों की व्यक्तता तो इनके गीतों में जयदेव से भी अधिक है। गीतों में स्वर की प्रधानता तथा एक-कवीर के अन्त वर भी देय है। गीतों में स्वर की प्रधानता तथा एक-कवीर के अन्त वर भी देय है।

विद्य प्रेमी की बेवनी कवि की वाणी की विभिन्नता है। स्वल्प ही भी प्रेम की विद्वानता, प्रायमानियक्ति के गीतों में कवीर के सौन्दर्य की व्यक्तता तीव्र आकषण उत्पन्न कर दिया है।

नवित काल में 'मीराबाई' गीति काव्य की सबसे बड़ा

हिन्दी नाटकों का आज जो बोझ-बहुत रगमंचीय रूप उभर रहा है वह हिन्दी रगमच का कुछ-कुछ अपना विनिर्माण हो रहा है। इसे हम तत्काल से एवढम हिन्दी एकांकी और उसके रगमच की देना बहुत जरूरत है। वहाँ यह अंग्रेजी, बंगला और मराठी नाटकों की देगा-देगी ही आई यह निश्चित सत्य है। हिन्दी में इनका पारंगत स्तुति-नास्तुति के अतिरिक्त विशेष उत्सवों के अवसरों पर लेने जाते हैं लिए हुआ। स्तुति-नास्तुति के रूप में ही एव सीमित मंच पर उड़ी जो ध्यान में रखकर पहले-पहले छोटे-बड़े अभिनय एकांकी रचे जाने लगें। फिर यो रूप में तथा मातृ के रूप में भागा में भी सितमा की तुलना में नाटक और उसके रगमच की ओर ध्यान जायेगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 'पृथ्वी पिपट्टर' ने भी हिन्दी ही हिन्दी नाटक और रगमच के विनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त बंगला मराठी, पंजाबी धार्मिक देगी और अंग्रेजी धार्मिक विनिर्माणों के अभिनय नाटक की बाढ़-सी आने लगी। इनके लिए उचित तन्त्र-सामाने धार्ये। उनकी प्रतिभा और प्रयासों से उन भाषाओं के उन रगमचों का निर्माण होना लगा। सबसे मुख्य बात तो यह है कि उन भाषाओं में रगमच की समस्त सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर नाटक रचे जायेंगे। हिन्दी वालों को भी देखा-दोगी प्रेरणा मिली। परिणामस्वरूप हिन्दी में रगमच की समस्त सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर नाटक रचे जाने लगें। जब नाटक रचे जाने लगें तो उनके अभिनय के लिए रगमच का भी उचित निर्माण होने लगा। सो आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हिन्दी नाटक और उसका रगमच अपने सतत विनिर्माण की प्रक्रिया में से द्रुत गति से दुर रहा है। अतः हम एव उनत भविष्य की आशा कर सकते हैं।

आज हिन्दी नाटक और उसके रगमच दोनों में ही अनेक प्रकार के नये प्रयोग हो रहे हैं। शिल्प, रण-योजना विषय एव उनका विन्यास धार्मिक सभी में द्रुत विकास हो रहा है। हिन्दी के नाटक देगा विदेश के रगमच पर अभिनीत होकर डेरो प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं। फिर भी अभी तक हम यह कहने की स्थिति में नहीं आ पाये कि हिन्दी नाटकों के लिए अभी तक कितने नितान्त निजी रगमच का विनिर्माण नहीं हो पाया है।

१३

हिन्दी में नीति काव्य का विकास

जीवन के एकात भावुक क्षणों की लयात्मक अभिव्यक्ति ही नीति है। प्राचीन काल से ही मानव हृदय में दुःख और विषाद के भाव तरंगित होते आ

हिन्दी में गीति काव्य का विकास

रहे हैं। जब मानव हृदय पर कठोर धाघात हुआ है तो वह व्याकुल, उदास
 क्षुब्ध भ्रमवा प्रसन्न हो उठता है। उस समय प्रसन्नता भ्रमवा दुःख से पूर्ण
 वाग्धारा उसके मुख से फूट पडती है। यही वाग्धारा प्रायः गीति-काव्य का रूप
 ग्रहण कर लेती है।

गीति काव्य में भाव-पक्ष ही प्रधान होता है। इसमें कवि अपने उठते हुए
 असीमित भावों को समेटने तथा उनके मूल चारुत्व को प्रस्फुटित करने का
 प्रयास करता है। भाषा छंद, लय और भावों का अविरल सगुम्फन ही गीति-
 काव्य का शली सम्बन्धी आदेश है। गीति-काव्य में कवि के लिए निर्बाध
 क्षेत्र खुला हुआ नहीं होता है। उसकी कल्पना न तो अपने विषय से इधर-
 उधर हो सकती है और न ही वह अधिक दूर जाकर विभिन्न सामग्री एक-
 त्रित कर पाती है।

काव्य में संगीत, नाद और लय का होना आवश्यक है यदि इनमें से किसी
 का अभाव होता है, तो फिर उसे काव्य कहने में सकोच होता है। परन्तु
 अन्य विधात्मक काव्य से भी गीति-काव्य में इनका महत्त्व बहुत अधिक है।
 संगीत भावों को तात् और लय में बाँध गीति-काव्य को माधुर्य एव सौंदर्य से
 रता है।

गीति-काव्य की अपनी प्राचीन परम्परा है। सवप्रथम इसके दशन वैदिक
 साखों में प्राप्त होते हैं। हमारे वेद-मन्त्र गेय थे। 'सामवेद' में विशेष रूप से
 मन्त्र ही मिलते हैं। वैदिक काल के परवर्ती साहित्य में भी गीति का रूप
 प्रचलित होता है। जयदेव के संगीति गोविन्द' ने संस्कृत के गीति काव्यों की
 परम्परा को बमव की चरम सीमा तक पहुँचाया। जयदेव ने विभिन्न राग-
 रागनियों में बहुत ही मनोहर ढंग से मापा को ढाला है। ऐसा सुन्दर गीति-
 काव्य अन्यत्र दुर्लभ है।

विद्यापति ने संस्कृत गीति-काव्यों की परम्परा को स्वर की पूर्ण मधुरता
 एव पद के लालित्य के साथ हिन्दी में लाने का प्रयत्न किया। बगला गीति-
 काव्य को भी इनसे पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई। रागात्मक भावों की व्यञ्जना
 तो इनके गीतों में जयदेव से भी अधिक है। गीतों में स्वर की प्रधानता तथा एका-
 कवीर के अनेक पद भी गेय हैं। गीतों में स्वर की प्रधानता तथा एका-
 न्तिक प्रेम की बेचनी कवि की वाणी की विशेषता है। रहस्य की अनुभूति,
 प्रेम की विह्वलता आत्मानिव्यक्ति के सौंदर्य ने कवीर के गीति-काव्य में आसा-
 तीत आक्षेप उत्पन्न कर दिया है।

नक्ति काल में 'मीराबाई' गीति काव्य की सबसे महान् कलाकार हुई हैं

उनके पद उच्च कोटि के गीति-काव्य का सुन्दर निदर्शन हैं। मीरा के पंनों में अपने प्रियतम (कृष्ण) के चरणा में आत्म-समर्पण का तमयकारी सौन्दर्य है। जैसे—

‘कोई कष्ट है मैं मन सागा ।
ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, ज्यों सोने में सुहागा ।
जनम जनम को सोयो मनुष्यो सतगुरु शब्द गुण जागा ॥
माता पिता मुल बुदुम बयोला टूट गया ज्यों तगा ।
‘मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाग हमारा जागा ॥’

सूरदास और तुलसीदास की सगुण भावना ने गीति-काव्य के माध्यम से भी अपनी अभिव्यक्ति प्राप्त की। सूरदास जी का ‘सूर सागर’ एक विशाल ग्रंथ है। यह आदि से अन्त तक अतमुखी प्रयत्न के रूप में हो गया है। परन्तु आलोचकों ने इस गीति-काव्य का ही प्रयत्न स्वीकार किया है। सूरदास के विभिन्न भागों को एक-दूसरे से पथक कर दिया जाय तो अमरगीत वाला भाग उच्च-कोटि के उपालम्भ काव्य में स्थान पाएगा। तुलसीदास जी की ‘विनय-मंत्रिका’ में आत्म-निवेदन तो है, परन्तु मावी का उच्छल भावेण नहीं, जिसका गीति-काव्य में होना नितान्त आवश्यक है। तुलसीदास की ‘गीतावली’ को गीति-काव्य का अच्छा उदाहरण माना जा सकता है।

रीतिकालीन कवि हिन्दी गीति काव्य की परम्परा को आगे न बढ़ा सके, यद्यपि उन्होंने मुक्तक रचनाएँ कीं। रीतिकालीन कवि तो नायक-नायिकाओं के शारीरिक सौंदर्य और स्थूल शृंगारिक चोटियों को व्यक्त करने में लीन रहे। इसके अतिरिक्त उनके कवित्तो-सर्वयों में उस तमयता तथा आत्म-लीनता का अभाव है जो कि गीति-काव्य के लिए आवश्यक है। रीतिकालीन कवियों में केवल घनानन्द के छन्दों में ही गीति-तत्त्व प्राप्त होता है। घनानन्द ने बन्धु वस्तु का घनन न कर उसके प्रभाव का निरूपण किया है। विरह-वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति १. कविताओं में १।

हिन्दी में गीति काव्य का विकास

है। 'आँसू' कविना का एक उदाहरण नीचे दिया गया है—
छिल छिलकर छाले फोड़े मल-मलकर मडुल घरण से ।
धूल धूलकर वह रह जाते, आँसू करुणा के कण से ॥
मादकता से आये थे सजा से चलें गये थे ।
हम व्याकुल खड़े बिलखते थे उतरे हुए नगे से ॥

कवि प्रसाद की काव्य रचना 'लहर' के गीत बहुत ही सुंदर हैं। इसमें सगीत और कल्पना का सम्मिश्रण है। कवि किसी की खोज में मटकता हुआ उत्सुक हो वह उठता है—
मेरी आँखों की पुतली में, तू बनकर प्राण समा जा रे ।
जिसके कण-कण में स्पंदन हो, मन में मलयानिल घदन हो ।
करुणा का नव अभिनंदन हो वह जीवन गीत मुना जा रे ॥

सूयवान्त त्रिपाठी निराला' के गीतों में तो एक निराला सगीत रहता है। इनकी कविताओं का सगीत प्राचीन राग-रागणियों पर आधारित नहीं, उसका समूचा व्यक्तित्व नितान्त नवीन और अपना है। 'गीतिका' इनके गीतों का सुंदर संग्रह है जिसके प्रायः सभी गीत मधुर और हृदयग्राही बन पड़े हैं। इससे कितने ही गीत तो 'राष्ट्रगीत' होने की क्षमता रखते हैं और रवींद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीय गीत—जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता' को भी मात दे जाते हैं। निराला जी के 'भारत वन्दना' का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है—

'भारती जय विजय करे, धनकशस्य कमल धरे ।
सका पदतल शतदल गजितोमि सागर जल ॥
गंगा ज्योतिजय-कण, धवलधार हार गले ।
मुकट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव धौंकार ॥
परिचित विशाएँ उवार, शतमुख शत रव मुखरे ॥'

महादेवी वर्मा का तो समूचा व्यक्तित्व और काव्य ही गीति-काव्य है। इनके ५१ गीत और ५१ ही चित्र 'दीपशिखा' में संगृहीत हैं। इनमें विरह और वंदना का चरम विकास हुआ है। इसी रचना के कारण इनको 'प्राधुनिक भीरा' कहा जाता है। इसके गीत और चित्र इतने मनोहारी हैं कि देखते ही बनते हैं। चित्रकार की कृति का और कवि की वाणी दोनों के सुन्दर संयोग में कविता सिल उठी है चमक उठी है।
डॉ० हरिवंशराय बच्चन की रचनाओं में व्यंग्य-गीत के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। बच्चन की चुनौती का तीक्ष्णपन देखने योग्य है—
जग मुझे साधु समझता ।

शत्रु भेरा घन गया है
छल रहित व्यवहार भेरा।”

आधुनिक युग की हिन्दी कविता में अनेक शक्तियाँ प्रचलित हैं। इन शक्तियों में गीति-काव्य की रचना भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। उपरोक्त प्रौढ़ कवियों के अतिरिक्त श्री शम्भूनाथ सिंह श्री हंसकुमार तिवारी श्री गोपालदास नीरज, श्री जानकीवल्लभ शास्त्री आदि अनेक गीतिकार हिन्दी गीति-काव्य का सजन कर काव्य के मण्डार को भर रहे हैं। आधुनिक युग हिन्दी गीति-काव्य पर पश्चिम का प्रभाव बहुत पडा है परन्तु अब वह प्रभाव धीरे-धीरे दूर होता जा रहा है और इसका स्वतंत्र रूप से विकास हो रहा है। भाषा है कि निकट भविष्य में ही कविता का यह क्षेत्र बहुत ही विकसित जायेगा। परम्परागत भाव प्रवण गीति ने आज नव-गीत के क्षेत्र में कदम रखा है। मन्द ही सही, यह नव गीत गीति-काव्य को निश्चय ही नव दिशा और दिशा प्रदान कर रहा है।

१४ | हिन्दी काव्य में वीर रस और राष्ट्र

साहित्य शास्त्र में यद्यपि नौ रस माने गए हैं परन्तु मुख्य रस अर्थात् वीर और करुण ही हैं। शृंगार और करुण रस में कविता सबसे अधिक लिखी गई है। इनके बाद वीर रस का स्थान है। संस्कृत भाषायों में वीरता के चार प्रकार माने हैं। उनके अनुसार वीर रस के आश्रय चार प्रकार के लगते हैं—युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इस दृष्टि से वीरता काल के पृथ्वीराज रासो इत्यादि काय युद्ध वीरता के काव्य कहे जाते हैं और आधुनिक काल के वे वीर काव्य जिनमें गाँधी जी के सत्याग्रह का अहिंसा इत्यादि का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है दयावीर अथवा धर्मवीर काव्यों की श्रेणी में आयेंगे।

हिन्दी काव्य का प्रारम्भ वीर काव्य से तो हुआ है। जिस समय अथवा भाषाएँ परिवर्तित होकर हिन्दी का रूप धारण कर रही थी, उस समय देश स्थापत्य पर युद्ध हो रहे थे। राजपूत राजा आपस में भी लडा करते और विदेशी मुसलमान आक्रान्ताओं का भी मुकाबला करते थे। कविगण ने दिनों राजपूत राजाओं की प्रशंसा और उनके शत्रुओं की निन्दा में वीर और धर्मवीर कविता लिखी करते थे। इस काल के प्रसिद्ध ग्रन्थ पृथ्वी

रासो, 'सुमान रासो', 'विजयपाल रासो' 'भालू खण्ड इत्यादि हैं। इनमें से 'पृथ्वीराज रासो' साहित्यिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

वीरगाथा काल में जिस वीर-काव्य की रचना हुई, उसमें अपने आश्रय-दाता राजाजी की बुरा बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है। कई बार इन ग्रन्थों को पढ़ने से ऐसा भ्रम भी होता है कि य प्रथ ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य भी है। किन्तु स्थिति इसके विपरीत है।

इस काल के वीर काव्यों में युद्धों का अत्यन्त रोमांचकारी और उत्साह-वद्धक वर्णन प्राप्त होता है। इस काल के वीर काव्यों में राष्ट्रीयता की वंसी-भावना दृष्टि-गोचर नहीं होती, जैसी आज के युग में पाई जाती है। उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों की जातीय भावना भी उतनी नहीं पनप पाई थी जितनी रीतिकाल तक में भाकर पनपी। वीरगाथा काल में व्यक्तित्व वीरता और व्यक्तिगत शत्रुता का ही वर्णन प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्णन अत्यन्त काव्यपूर्ण है। इस काल में अधिकांश प्रबंधकाव्य ही लिखे गए हैं।

सदाई भिड़ाई का युग समाप्त हो जाने के साथ-साथ वीरगाथा काल वीर काव्य रचना भी समाप्त हो गई। किन्तु भक्तिकाल में नवीन प्रकार के वीरता का वर्णन भक्त कवियों ने किया। वीरगाथा काल के चारणों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता के गीत गाये थे, किन्तु भक्तिकाल में सूर और तुलसी जैसे कवियों ने दीन-दुखियों के आश्रयदाता कृष्ण और राम की वीरता का वर्णन किया। इनके काव्य में चारण काल की-सी चाटुकरिता का भ्रम नहीं है। सूरदास ने पूतना-बध, कंस-बध, कालियदहन इत्यादि घटनाओं द्वारा कृष्ण की वीरता का वर्णन किया और तुलसी का 'रामचरितमानस' तो भक्ति-काव्य होते हुए भी इस दृष्टि से वीर काव्य कहा जा सकता है कि उसमें दुष्टों का संहार करने और अपहृता सीता का उद्धार करने के लिए रामचन्द्र जी ने भ्रूय वीरता का प्रदर्शन किया। इस वीरत्व की कथा का वर्णन ही 'राम चरित-मानस' का मुख्य सूत्र है। प्रेममार्गी कवि जायसी, सूर और तुलसी के भक्ति-वीर रस के अनेक सुन्दर प्रसंग गाये हैं। जायसी, सूर और तुलसी के भक्ति-कवि प्राचाय वैशवदेव ने भी अपनी 'रामचन्द्रिका' में वीर रस का अच्छा परिपाक किया है। श्री रामचन्द्र जी भस्वमेघ-यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं। वह घोड़ा घूमते-घूमते बाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँच जाता है। तब और कुछ उसे बांध लेते हैं। श्री रामचन्द्रजी की सेना उस घोड़े को उनसे छुड़ाने के लिए युद्ध करती है। उस युद्ध में उन बालकों की वीरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है—

पृथ्वीराज
रामचन्द्र
गदगद
राम
रस
इस
कवि

बोली उठे सब—“मैं यही बांध्यो,” यों कहि कैं धनु सायक साध्यो ।
मारि भगाई किये सिंगरे यों मन्मथ के शर ज्ञान ने ध्यों ।”

भक्तिकाल के वीर काव्य में हमे नायकों की वीरता व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित न होकर किसी महान् भावार्थ से प्रेरित दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि पद्मावत में रत्नसेन पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है, किन्तु यहाँ जायसी का आध्यात्मिक रूपक रत्नसेन के स्वार्थ को गौण बना देता है। गूरु, तुलसी और केशव ने अपने नायक सवगुण सम्पन्न चुने हैं। इसलिए उन नायकों की वीरता और विजय सत्य पक्ष की विजय प्रतीत होती है। भक्तिकाल में रचित वीर काव्य में पाप और भत्याचार के विरुद्ध किए जाने वाले संघर्ष का वर्णन था। इन नायकों के साथ पाठक का साधारणीकरण अत्यन्त सफलता पूर्वक हो जाता है।

केशवदास ने केवल राम की वीरता का ही वर्णन नहीं किया, अपितु उन्होंने महाराज वीरसिंहदेव की वीरता का भी सुन्दर वर्णन किया है। केशवदास ने काव्य प्रतिभा थी और उसका उपयोग उन्होंने भक्ति-काव्य और भर-काव्य दोनों के लिए किया। वैसे तो केशव के राम भी भावार्थ राजा ही हैं मगवान् नहीं।

भक्तिकाल के उपरान्त हिन्दी साहित्य में रीतिकाल का अभ्युदय हुआ। इस काल में या तो रीतिग्रन्थों की रचना हुई और या शृंगार प्रधान काव्यों की। परन्तु रीतिकाल में वीर कवि भूषण ने जैसी भोजमयी कविता लिखी, वैसी हिन्दी साहित्य में और कहीं नहीं मिलती। यों तो रीतिकाल में जोषराज लाल कवि सूदन और गुरु गोविन्दसिंह आदि ने भी वीर रस की रचनाएँ लिखीं किन्तु भूषण की रचनाएँ इन सबकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध और लोक प्रिय हुईं। इसका कारण यह था कि भूषण की रचनाएँ तत्कालीन हिन्दुओं की जातीय विचारधारा के अनुरूप थीं। कहने को कहा जा सकता है कि वीरगाथा काल के कवियों के भाति भूषण ने भी अपने आश्रयदाता शिवाजी की स्तुति में चाटुकारिता से भरा हुआ काव्य लिखा। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। भूषण का काव्य धर्म लालसा या चाटुकारिता से प्रेरित नहीं था। शिवाजी अपने युग में उसी प्रकार लोक-रक्षक नेता के रूप में प्रकट हुए थे, जैसे किसी समय राम और कृष्ण हुए थे। हिन्दू जाति अपना रक्षक मानती थी और भत्याचारी और मजबूत की क्रूरताओं से प्राण पाने के लिए वह शिवाजी की ओर ही दृष्टि लगाये थी। शिवाजी इस वीरत्वपूर्ण चरित्र के भूषण की कविता में चुभसरी की-सी समझता है। भूषण की कविता में रीतिकालीन कवियों की भांति बुद्धि का व्यापार नहीं अपितु हृदय का सन्ना उभरता है। यही कारण है कि वह कविता अताबियों से जनता के मन का हार

बनी रही है। भूपण के वीर काव्य का उदाहरण नीचे दिया गया है—

“इन्द्र जिमि जभ पर घाइव सुधम पर,
रावन सबभ पर रघुकुल राज है ।
पौन धारिबाह पर समु रतिनाह पर,
ज्यो सहस्रबाहु पर राम द्विजराज है ।
बाबा ब्रह्म-बण्ड पर धीता भुग-भुण्ड पर,
भूपण वितुड पर असे भुगराज है ।
तेज तम भस पर, कान्ह जिमि कस पर,
स्यो म्नेच्छ बस पर सेर सिवराज है ।”

भूपण की कविता के पीछे शिवाजी और औरंगजेब की व्यक्तिगत घटना की ध्वनि नहीं है, अपितु उसमें जातीय सघष की भावना विद्यमान है। औरंगजेब विदेशी अत्याचारी आक्रान्ता के रूप में इस देश में विद्यमान था और शिवाजी हिन्दू जाति और भारत देश को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए प्रयत्नशील थे। भूपण की कविता में जातीयता और राष्ट्रीयता का उल्लेख रूप दृष्टिगोचर होता है। सभी-सभी भूपण पर यह भ्रूलोप किया जाता है कि साम्प्रदायिक कवि थे, राष्ट्रीय नहीं किन्तु यह धारणा दूषित दृष्टिकोण का परिणाम है। भूपण के काल में राष्ट्रीयता का वह स्वरूप नहीं था, जो आज है। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति भी आज सी नहीं थी। अत्याचारी विदेशी आक्रान्ता की निन्दा करना और उसे परास्त करके देश को मुक्ति प्रदान करने वाले वीर की स्तुति करना ही सच्ची राष्ट्रीय कविता कहि जा सकती है और इस दृष्टि से भूपण पूणतया राष्ट्रीय कवि थे।

‘साल’ कवि की रचनाओं में भी हमें जातीय भावना सुन्दरे रूप में दिखाई देती है। यह महाराज छत्रसाल के राजकवि थे। महाराज छत्रसाल भी छत्र-पति शिवाजी की भाँति हिन्दू जाति के उद्धार के लिए औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध सघष कर रहे थे।

रीतिवालों में वीर रस की कविता हुई तो थोड़ी, किन्तु जितनी भी हुई, वह उल्लेख कोटि की थी और उसमें राष्ट्रीयता की भावना पर्याप्त रूप में विद्यमान थी। प्रायः सभी कवियों ने रसों के वणन की दृष्टि से दो-एक वीर-रस-भूषण पद्य अवश्य रचे हैं। अतः अन्य अत्याचरो के रहते हुए भी वीर-रस के वणन में अत्याचरोध नहीं पाया था।

भाषुनिक काल में राष्ट्र-प्रेम की भावना का विकास नये रूप में, और बहुत अधिक हुआ है। इस काल के प्रारम्भकर्ता मारोन्दु हरिश्चन्द्र थे। उन्होंने देश और समाज की दुर्दशा से व्यथित होकर हिन्दी काव्य की धारा को रीतिकालीन विषयों से हटाकर नये समाज-सुधार और देश-प्रेम के विषयों

की धोर लगाया था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत की आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत अधिक बिगड़ गई थी। उसे देखकर प्रत्येक सहृदय राष्ट्र-प्रेमी व्यक्ति का दुःखी होना स्वाभाविक था। भारतेन्दु जी की यह व्याख्या होने उनकी 'भारत दुदशा' इत्यादि रचनाओं में स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होती है। वस्तुतः आधुनिक काल में वीर रस की कविता उतनी नहीं हुई जितनी राष्ट्र-प्रेम की हुई है। यहाँ तक कि भक्ति-सम्बन्धी रचनाओं में भी राष्ट्रीयता का भाव सबत्र समन्वित हो गया है।

एक धोर बात ध्यान देने योग्य है कि इस युग में वीरता की धारणा में ही आघात भूत परिवर्तन हुआ गया है। अंग्रेजों के भजबूत चंगुल से भारत को छुड़ाने के लिए महात्मा गाँधी ने सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह और अहिंसक योग जैसे नवीन शस्त्रों का प्रबलम्बन किया। इसलिए इस युग में वीरता दूसरे की गदन काट लेने में न होकर स्वयं कष्ट सहने में समझी जाने लगी। गाँधी जी ने बताया कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दूसरा को नहीं देना, अपितु स्वयं कष्ट सहन करना है। इसीलिए आधुनिक हमें युद्ध वीरता के वर्णन बहुत कम मिलते हैं। आधुनिक वीर धर्मवीर और दयावीर काव्य के अन्तर्गत रखा जा सकता है यद्यपि साहित्यकारों की दृष्टि में धर्मवीरता और दयावीरता का जो अर्थ था, कसौटी पर भी सम्भवतः यह खरा न उतर सकेगा।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने आधुनिक काल में सबसे पहले भारत की कठणाजनक वर्णन अपनी रचनाओं में किया। उनके युग के अर्थ देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा पर अश्रु बहाए। देशवासियों के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उन्होंने अपने देश के गौरवमय अतीत का भी चित्रण किया। राष्ट्रीयता की भावना को जवाने लिए ऐसा चित्रण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है—

अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी

पै धन विदेश चलि जात इहै अति खबारी।”

वर्तमान युग में श्यामनारामण पांडेय का महाकाव्य 'हल्दी घाटी' की सर्वोत्तम काव्य-रचना है। मथिलीशरण गुप्त ने अपने 'अय्यद्रय दध', विवेक हरि ने अपनी 'वीरसतसई', श्री रामनरेश त्रिपाठी ने अपने 'पथिक' और भगवानदीन दीन ने अपने 'वीर पचारत्न' में रस की जहाँ-तहाँ सुन्दर व्याख्या की है। चतुर्वेदी ने अपने 'भारतीय आत्मा' नाम की सायक करते हुए की अभिज्ञाया को निम्नलिखित ढंग से उपस्थित किया है—

‘मुझे तोड़ लेना बन माली ! उस पथ पर तुम देना कंक ।
भारत-भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ।’

नवीन जो की वीर रस तथा राष्ट्रीय कविता का एक उदाहरण निम्न-लिखित है—

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उपल-मुपल भव जाये ।

एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आये ।

वस्तुतः आधुनिक युग में राष्ट्रीय काव्य में वीरता के बजाय कष्ट-सहिष्णुता का वर्णन अधिक है। इसका कारण यह है कि गाँधीजी की विचार-धारा के कारण पशु बल की अपेक्षा आत्म बल को अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाने लगा है। कुछ प्रगतिवादी कवियों ने भी वीरता की कविता लिखी है। 'इधर-कविवर' दिनकर' की सजनाओ में शीघ्र और वीरता का औदात्य सर्वत्र देखा जा सकता है। आज के जन-मानस का आकाश भरा वीरत्व वास्तव में इन्हीं की कविता में स्वर और रूप पा सका है।

हमारे अधिकांश वर्तमान कवि जन जीवन से बहुत दूर हैं, इसीलिए उन्हें वीरत्व की रेखा प्रान करने के लिए कठिनाई होती है। अपने देश में हुए वीरकृत्य उनकी प्रतिभा को सजग नहीं कर पाते। काश्मीर में भारतीय सेनाओं ने जिन विषम परिस्थितियों में अदभुत वीरता प्रदर्शित करके विजय प्राप्त की उससे किसी कवि को प्रेरणा मिलनी प्रतीत नहीं होती। ज्यों-ज्यों हमारे कवियों का सम्पर्क जनता के जीवन के साथ-साथ बढ़ेगा, त्यों-त्यों उनका काव्य अधिक-अधिक राष्ट्रीय होता जाएगा, और वीरत्व के वर्ण्य विषय देश में भी दिखाई पढ़ने लगेंगे।

हिन्दी कविता में प्रकृति चित्रण

मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। आज भले ही मनुष्य नदी-पर्वतों और नदी-सरोवरों का साहचर्य त्याग कर बड़े-बड़े नगरों में आ बसा है, परन्तु उसका प्रकृति के प्रति अनुराग किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ है। आज भी जब उपवनो में नव वसन्त के फूल खिलते हैं, तब उसका मन आनन्द से विमोर हो उठता है। जब ग्रीष्म के प्रचण्ड ताप के उपरान्त श्रावण की घटाएँ उमड़ती हुई आती हैं, तब नगर में रहते वाले मनुष्य का मन भी एक प्रकार की विचित्र शान्ति अनुभव करने लगता है। प्रकृति आज भी हमारे सुन-सुख की वंसी ही सगिनी बनी हुई है, जैसी आज से हजारों वर्ष पहले थी। जिस प्रकार मानव के मन में प्रकृति का अनुरागमय स्थान है, उसी प्रकार

साहित्य में भी है। पुराने सस्कृत कवियों ने अपनी रचनाओं में अत्यन्त स्मरणीय चित्र उपस्थित किये हैं। महाकवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में विभिन्न स्थान पर सराबरो से खिले हुए कमलो, वर्षा ऋतु में मनो के कारण होती हुई धूप-छाँह इत्यादि के अत्यन्त चित्ताकषक चित्र प्रकृत हैं। महाकवि कानिदास के कुमारसम्भव रघुवश और ऋतुसंहार में भी प्रकृति का मनोरम चित्रण है। उनकी भ्रमर रचना अभिज्ञान शाकुन्तल में तो प्रकृति का स्थान लगभग उतना है, जितना मानव का। वहाँ वन, लताएँ, मनोहर सहकार तरु, भ्रमर और पाले हुए हिरन महर्षि कण्व के तपोवन के उतने ही सजीव सदस्य प्रतीत होते हैं जितने शकुन्तला, प्रियवदा और अनसूया। सस्कृत आचार्यों ने महाकाव्य में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दृश्या का वर्णन करना अनिवार्य बताया है। वस्तुतः जिस व्यक्ति ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का तमय होकर भालोकन नहीं किया, जिसने प्रकृति की शोभा में अपने चित्त को रमा नहीं लिया, उसे महाकाव्य लिखन का अधिकार ही नहीं दिया गया है।

हिन्दी कवियों में प्रकृति-चित्रण के प्रति वैसा अनुराग दिखाई नहीं पड़ा। सस्कृत के कवियों का प्रकृति-निरीक्षण जितना सूक्ष्म था, उसकी भूलक हिन्दी कवियों में दिखाई नहीं पड़ती है। हिन्दी कवियों के लिए मानव ही सब कुछ बन गया है। प्रकृति उपेक्षिता-परिचारिका के समान एक घोर कोने में खड़ी रह गई है। परन्तु इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि हिन्दी के कवियों में प्रकृति का चित्रण किया ही नहीं। यदि वे चाहते भी तो भी प्रकृति के वर्णन के बिना अपनी कविता की गाड़ी को आगे नहीं चला सकते थे। इसलिए प्रकृति-वर्णन तो हमें उनकी रचनाओं में अवश्य दिखाई पड़ता है, किन्तु वैसा मनोरम नहीं है, जैसा सस्कृत कवियों का प्रकृति वर्णन।

कविता में प्रकृति का वर्णन कई रूपा में किया जाता है। सबसे पहला और सबसे अधिक प्रचलित रूप उद्दीपन विभाव के रूप में है। उद्दीपन विभाव के रूप में जब प्रकृति को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका कार्य केवल आशय के मनोभावों को उद्दीप्त करना होता है। जैसे किसी सुन्दर नायिका को देख कर नायक के मन में प्रेम उत्पन्न हो और वह प्रेम यमन्त के फूलों को देखकर और अधिक उद्दीप्त हो जाए। या किसी विरहिणी नायिका का विवाह-दुःख चन्द्रमा की चाँदनी को देखकर घोर तीव्र हो उठे। इस प्रकार उद्दीपन के रूप में हिन्दी कविता में प्रकृति का वर्णन पर्याप्त गुभा है और यह बहुत कुछ सस्कृत कविता के अनुकरण पर ही है। फिर भी उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

प्रकृति का एक अन्य रूप में वर्णन आलम्बन रूप में होता है। जब प्रकृति आलम्बन रूप में किया जाता है, तब कवि प्रकृति के रूपों को देख

कर ही भावातुर हो उठता है और उन रूपों को देखकर अपने मन में उत्पन्न हुए विभिन्न भावों को अपनी रचना में प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रकृति भावों को स्वयं जगाती है। यहाँ उसका स्थान प्रमुख होता है। कलाकार साक्षात् प्रकृति से ही प्रभावित होकर रचना करता है। इस प्रकार की रचनाएँ भी हिन्दी में हुई हैं, किन्तु बहुत कम। श्री सुमित्रानन्दन पन्त, रामचन्द्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण देखने को मिलता है।

प्रकृति का तीसरे रूप में चित्रण एक सहानुभूतिपूर्ण चेतन सत्ता के रूप में किया जाता है। कालिदास के अभिज्ञान शकुन्तल में प्रकृति का इसी रूप में चित्रण है। वहाँ शकुन्तला के दुःख में सताएँ पत्ते गिरने लगते हैं, जैसे भाँसू गिरा रहे हों, हिरनियाँ अथर्वबाई घास उगल कर खड़ी रह जाती हैं, प्यार से पाला हुआ हिरन भाकर शकुन्तला के आचल का छोर खींचने लगता है, जैसे उसे जाने से रोचना चाहता हो। इस प्रकार का वर्णन सबसे अधिक मर्मस्पर्शी होता है। हिन्दी में ऐसा प्रकृति-वर्णन महाकवि जायसी ने किया है। उनके पद्मावत में प्रकृति का उद्दीपन रूप में तो वर्णन हुआ है, परन्तु सहानुभूतिपूर्ण चेतन सत्ता के रूप में भी प्रकृति का बहुत सरस वर्णन हुआ है। वहाँ नागमती के दुःख में सारी प्रकृति जलने लगती है। उसका विलाप सुनकर वन के पक्षियों की नोंद समाप्त हो जाती है। जायसी का प्रकृति-वर्णन इस दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट है। रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक संकेतों ने उसे और भी अधिक मर्मस्पर्शी बना दिया है।

प्रकृति के वर्णन का एक और प्रकार यह है, जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है। इसमें प्रकृति के विभिन्न रूप जैसे फूल, बादल, सरोवर, निम्बर, शैल इत्यादि को मानववत् ही मान लिया जाता है और उनमें मानवोचित भावों की कल्पना करके कविता लिखी जाती है। इस प्रकार की प्रकृति के मानवीकरण से युक्त रचनाएँ आधुनिककाल में छायावाद में लिखी गई हैं। इस प्रकार की रचनाओं में बहने को तो प्रकृति-चित्रण रहता है और नाम भी प्राकृतिक वस्तुओं के ही होते हैं परन्तु भावनाएँ सब मानवीय होती हैं। प्रकृति के मानवीकरण का इस प्रकार को लेकर छायावाद में असह्य रचनाएँ मिलती हैं।

हिन्दी कविता में इन चार प्रकार के प्रकृति-वर्णनों में से दो ही अधिक पाये जाते हैं। प्रकृति का उद्दीपन के रूप में वर्णन भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आधुनिक कवियों ने पर्याप्त किया है। भक्तिकाल के कृष्ण-भक्त कवियों ने यमुना कुंज, वसन्त, पावस इत्यादि का वर्णन कृष्ण और गोपियों के संयोग और वियोग शृंगार के उद्दीपन के रूप में किया है। तुलसी की रचनाओं में

भी प्रकृति का वणन उद्दीपन और उपदेशात्मक के रूप में ही है।

'सरिता सर निमल जल सोहा। सत हृदय जमि गत भदमोहा।
रिस रिस सूख सरित सर पानी। ममता त्याग करहि जिम जानी।
सूत्र नदी भगी चलि उतरेई। जिमि थोरे घन खल बौराई।'

रीतिकालीन कवियों के लिए प्रकृति उद्दीपन विभाव के रूप में अवश्य ही परन्तु रीतिकालीन कवि इतने रुढ़िग्रस्त हो गये थे कि वे काव्य-रचना के लिए प्रकृति के निरीक्षण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझते थे और परम्परा से चले आ रहे उपमानों को रखकर ही अपने काव्य कर्म की इतिश्री मान लेते थे। इसलिए रीतिकालीन कविताओं में प्रकृति का सजीव चित्रण नहीं है। परन्तु सेनापति और बिहारी की रचनाओं में कहीं-कहीं प्रकृति के ऐसे सश्लेष चित्र मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि उन्होंने सचमुच प्रकृति का निरीक्षण किया था।

सन्त कवियों की रचनाओं में हमें प्रकृति-चित्रण का एक और रूप देखने को मिलता है। वैसे इसे प्रकृति-चित्रण नहीं कहा जाए, तो मला है। उन्होंने कमल शख सूय, चंद्र इत्यादि को अपनी आध्यात्मिक तथा साधना-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलियों का रूपक बना डाला था। केवल उन रूपकों के तौर पर ही प्रकृति के रूपों के नाम उनकी रचनाओं में आ गये हैं, इसे प्रकृति का अच्छा वर्णन न मानते हुए भी उद्दीपन प्रकार के अन्तर्गत ही परिचित किया जा सकता है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक उपादान उपमानों के रूप में ही प्रयुक्त किये गये हैं और उनका प्रयोजन केवल आध्यात्मिक विषय को स्पष्ट करना मात्र है।

मानवीकरण के रूप में प्रकृति का वणन आधुनिक काल के कवियों ने किया है। इसमें छायावादी कवि प्रमुख हैं। वैसे श्रीधर पाठक की कविताओं में भी हमें प्रकृति का मानवी रूप दृष्टिगोचर होता है परन्तु इनका निस्तार सुमित्रानन्दन पन्त निराला और महादेवी वर्मा की मधुर और कोमल रचनाओं में पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। निराला की जुड़ी की कली, महादेवी की 'बसन्त रजनी' और पन्त की 'छाया तथा ज्योत्सना' कविताएँ इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं परन्तु इन छायावादी कवियों ने कहीं-कहीं प्रकृति के मानवीकरण में प्रति कर दी है, जिसके कारण प्रकृति का अनुरागमय रूप बहुत कुछ छिप-सा गया है।

हिन्दी में भालम्बन के रूप में प्रकृति का वर्णन कम हुआ है। छायावादी कवि प्रकृति का मानवीकृत रूप भालम्बन होते हुए भी वसा चित्ताकषक उत्पन्न नहीं कर पाता, वैसे प्रकृति का सहज रूप भालम्बन बनने में असमर्थ है। रामचन्द्र शुक्ल श्रीधर पाठक और सेनापति की रचनाओं

मे हूँ प्रकृति का आलम्बन रूप वर्णन सुन्दर रूप में दिखाई पड़ता है। सेनापति के इस कवित्त में शीघ्र का कैसा सखिलष्ट चित्र उपस्थित किया गया है—

“वृष को तरनि तेज सहसा किरन धरि,
ज्वासन के जाल विकराल बरसत है।
तचित धरनि, जग जलत भरनि, सीरी,
छाँहि कौं पकरि पथी पछी बिरमत हैं।
सेनापति' नेक दूधहरी के ढरत, होत,
धमका विषम, ज्यों न पात खरवत हैं।
मेरे जान पौनो सीरी ठोर को पकरि कौनो,
धरी एक बंठि कहूँ बधामे वितत हैं।”

परन्तु साधारणतया हिन्दी कवियों ने प्रकृति को आलम्बन मान कर कम ही रचना लिखी है। हिन्दी के बहुत से प्रसिद्ध कवियों को प्रकृति के घनिष्ठ ससग में आने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

सस्कृत ही नहीं, बल्कि यूनान के 'इलियड' और 'ओडीसी' जैसे महाकाव्यों में भी हम प्रकृति के सौम्य और विकराल दोनों ही रूपों के वर्णन पढ़ने को मिलते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि 'जो व्यक्ति केवल प्रकृति के सौम्य रूप पर ही रीझता है वह सच्चा प्रकृति प्रेमी नहीं कहा जा सकता।' दस्तुत प्रकृति के विकराल रूप, जैसे प्रचंड आंधियाँ, मयानक तूफान, दावानल, बाढ़, धनघोर वृष्टि, विद्युत्-पतन इत्यादि भी उतने ही हृदय को रसमग्न करने वाले हैं, जितने कि वसन्त के विकसित फूलों से भरे हुए उपवन और मलय-सौरभ से मयूर वायु का स्पश। हिन्दी कवियों में हमें जैसे-तैसे प्रकृति के सौम्य रूप की तो कुछ-न-कुछ भाँकी मिल जाती है, परन्तु प्रकृति के विकराल रूप का चित्रण बहुत कम दिखाई पड़ता है। मूरदास की रचनाओं में एक-आध स्थान पर दावानल या आंधी का वर्णन अवश्य है। परन्तु मूरसागर के विदाल आकार की देखते हुए वह एक बूँद से भी कम है। इसी प्रकार प्रसाद जी की रचनाओं में भी एकाध स्थान पर प्रकृति का विकराल रूप चित्रण करने का प्रयत्न किया गया है किन्तु उन्हें सफन चित्रण किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता। पत की 'परिवतन' जैसी कुछ कविताओं में अवश्य ही ऐसे सुपठ रूपों के दान हो जाते हैं।

प्रकृति का मुख्य रूप से उपयोग उपमान समूहित करने के लिए किया गया है। बूँद, बमल, पत्र, मेघ इत्यादि शरीरागों के उपमान के रूप में ही प्रयुक्त होते रहे हैं। मुससीदास जी ने प्राकृतिक ध्यापारों के आधार पर गिनाएँ

दो की चेष्टा भी की है, जैसे—

‘दामिनी बमक रही घन माही ।
खल की प्रीति यया फिर नहीं ।’

ऐसे स्थलो पर प्रकृति गौण हो जाती है और शिक्षा प्रधान । प्रकृति वणन की दृष्टि से ऐसे स्थलो को रमणीय नहीं कहा जा सकता ।

आजकल के कवियों में प्रकृति-वणन का उत्साह पहले महत्त्वपूर्ण मानकर चल रहे हैं । इसलिए प्रकृति-वणन का प्रयत्न मानव को प्रकृति के सश्लिष्ट और रसमग्न करने वाले चित्र भ्रमी तक प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं । ज्यों-ज्यों कवियों में प्रकृति के सूक्ष्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्यों-त्यों प्रकृति-वणन उत्कृष्ट और उत्कृष्टतर होते पर नई कविता और प्रतीक-प्रयोग जैसे वादो के रहने अभी तो ऐसी बहुत कम ही दिखाई देती हैं ।

१६ | नयी कविता

मध्ययुगीन भावप्रवणता तथा रुढ़िवादिता की केचुल उता साहित्य ने प्राधुनिकता के चरण चूमे तो वह यथाय का धरदा तब से लेकर अब तक की कविता वस्तुतः यथाय को छूने का, पाकर उसे निर्वाच्य अभिव्यक्ति देने का ही प्रयास मात्र है । कविता ने यथार्थ को विमिन्न स्तरों पर छुपा है और इसमें यथाय का धूलि-धूसरित बाना पहन खड़ी हुई है तो कभी उस अपना कल्पना अनुरजित एवं भाव-स्पन्दित बाना पहनाया है यथाय को गले लगाकर उसे साथक कर दिया है तो कभी उससे ज छे विमुख हो गई है । इस समस्त प्रयास के फलस्वरूप का छायावाद रहस्यवाद प्रगतिवाद प्रयागवाद आदि कितने ही बहन करना पडा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि कविता प्रयाग विभीषिटी मायताओं और भ्रमशून्य प्रतीकों के बोझे लाद कर चलने में असमर्थ है । प्राधुनिकता के नाम पर हिन्दी-ध्वन्यारम्भता लाक्षणिकता आदि के सेवल चिपकाए गए थे हैं तथा यदने हुए मानव-मूल्यों को अभिव्यक्ति देने में असफल अतएव 'नई-कविता' ने घाँस खोती है । प्राधुनिक भाव-बोध

नई कविता

सच्चे अर्थों में नई-कविता ने ही अपनाया है।

नई कविता क्या है, इसका ऐतिहासिक दृष्टि से कवे प्रवचन नुसार इसके प्रतिमान क्या है, इस कविता का परम्परा से क्या सम्बन्ध है, इसकी साहित्यिक उपलब्धि क्या है, आदि असह्य प्रश्न हैं जो नई कविता को खेतर उठ खड़े हुए हैं। नई कविता के स्वरूप में अभी स्थिरता नहीं आई है अतएव इन प्रश्नों को लेकर मतवय सम्भव नहीं। और फिर छायावाद को अपने जन्मकाल में जैसे आलाचको की सहानुभूति प्राप्त न हुई थी और अत में छायावादी कवियों को ही अपनी वकालत करनी पड़ी थी, इसी प्रकार की स्थिति 'नई कविता' के कवियों के सामने भी उपस्थित है।

यसे हम ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए भले ही इस कविता का आरम्भ नवीन-काव्य प्रवृत्तियों को देखते हुए १९४३ में प्रकाशित प्रथम 'तार सप्तक' से मान लें, किन्तु वास्तव में नई-कविता का आरम्भ सन् १९५० से ही समझा जाना चाहिए। इस समय तक अत-आते प्रयोग की प्रवृत्ति कम हो गई थी, प्रतिक्रिया का आक्रोश भी कुछ-कुछ ठंडा पड़ गया था और एक नए क्षणमुक्त अनुभव की कविता सामने आने लगी थी जो तयाकथित प्रयोगवाद से भिन्न थी। प्रयोगवादी सत्य के अन्वेषक द्वन्द्ववादी और प्रतिक्रियावादी थे, उनमें नई कविता की सश्लेषण-पद्धति तथा सामाजिक का अभाव था। प्रयोगवाद केवल बौद्धिक प्रतिक्रिया थी और उसका लक्ष्य भी अनिर्दिष्ट था। किन्तु नई कविता ने समस्त बौद्धिक धारणाओं, आदेशवादी मान्यताओं, सांस्कृतिक, सामाजिक रूढ़ियों, वजनाओं आदि के विरुद्ध मानव-मुक्ति की त्रातिकारी घोषणा की तथा सत्य मात्रे की अभिव्यक्ति को अपना अभीष्ट बनाया। इस प्रकार प्रयोगवादी धारा के अन्तगत आने वाले सप्तको के कवि ही यद्यपि 'नई कविता' के आधार स्तम्भ कहलाए किन्तु सदेह नहीं कि नई कविता अपने रूप शिल्प, म-व-बोध, मानव मूल्यों और काव्य प्रतिमानों की दृष्टि से प्रयोगवाद से भिन्न प्रकार की व्यापक परिप्रेक्ष्य वाली कविता है।

आज नई-कविता का प्रचलन है और इसके कवियों के अनेक सग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु सामान्य पाठक आज भी इसे कविता कहने में अपने धारको असमय पाता है। यह कविता विर-परिचित एव रूढ़ प्रतिमानों से इतनी बड़ी हुई है कि साधारण पाठक में लोकप्रिय होने के लिए इसे अभी काफी समय चाहिए।

नई कविता के प्रतिमान क्या है? आधार और स्वरूप क्या है, दृष्टि और सोमार्ण क्या है? इस पर प्रकाश डालने से पूर्व नई कविता के कुछ उदाहरणों का अवलोकन समीचीन होगा। नई कविता के उल्लेखनीय कवियों में सद्मौकात वर्मा, जगदीश गुप्त, विपिनकुमार अग्रवाल, अशोक वाजपेयी,

श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी आदि विशेष ध्यान देने योग्य हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'बुछ घोपणाएँ' कविता में जीवन की स्थितियों का कितनी सरलता से मूल्यांकन किया है? वह लिखते हैं—

"मैं अभिनेता हूँ किराये का
 मुझसे ईमानदारी की माग मत करो।
 क्योंकि मैं अभी अभी जमात से निकला हूँ
 मुझे एक स्थिति दो उस स्थिति का वातावरण दो
 मैं उसके अनुकूल
 उस प्रवाहित क्षण के दायित्व को
 वहन कर लूँगा
 मैं कागज की नाव पर नदी के पार उतर सकता हूँ
 मैं युद्ध क्षेत्र में अपने को हाथी के पर के नीचे कुचलवा सकता हूँ
 किसी ऊँची छोटी पर से हजारों फिट नीचे
 किसी भी झंघरे खड्ड में कूब सकता हूँ

घोर

वह सब करने के बाद
 बिना किसी हीरो के रोल किये
 शाम को थका माँदा
 अपनी सतान के लिए गस भरे गुम्बारे लेकर
 अपने घर को जिंदा वापस जा सकता हूँ
 मैं किसी स्थिति का पूरक हूँ
 नियन्ता या निर्वेशक नहीं
 मुझसे स्थितियों की असगतियों की माग करो
 ईमानदारी की नहीं"

यदि इस कविता में श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने स्थितियों की असगतियों का यथार्थ अनुभव दिया है तो निम्नलिखित कविता में श्री जगदीश गुप्त ने शर घोर धर्म के बीच में मटकती वाय्व आकाशा का सच्चा अनुभव उपस्थित किया है—

"मैं कवि हूँ स्वाभिमानी,
 शब्दों में मया घोर सच्चा
 धर्म भरना चाहता हूँ
 जोसली ध्वनियों की
 बेरहम जज़ीद से बँपकर

कुत्ते को मौत
नहीं भरना चाहता है ।”

शब्दों को नया और सच्चा भय देने वाली, रूढ़ियों से मुक्त, निस्सार परम्पराओं के बंधन से रहित कविता ही आज के कवि की 'नई कविता' है।

इस प्रकार सन् १९५५ तक आते आते एक और प्रयोगवाद की घुटन, भनास्था तथा अति बौद्धिक परिधि में चलने वाले कुछ प्रतिभाशाली कवि एक नये पथ के पथिक बन गये, जिसे प्रायः नई कविता के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। इसके साथ कुछ नये कवि-व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आये हैं और इनकी नई कविताएँ हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं जैसे—'नई कविता', 'निकप', 'ज्ञानोदय', 'कल्पना' आदि में प्रकाशित होती रही है। यद्यपि इन नये कवियों में एक विशेष उत्साह तथा नई सम्भावनाओं के प्रति आश्वस्त करने वाला एक अदम्य कवि-व्यक्तित्व है किन्तु कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शीघ्र ही इस नई उपज में अपने कृतित्व द्वारा कुछ विशिष्ट दिया है। ऐसे कवियों का नई कविता के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बन गया है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं कुंवर नारायण, कीर्तिचौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, राजेन्द्रकिशोर, अजितकुमार, रमेश कुतलमेघ' इत्यादि।

जहाँ तक इस नई-कविता के प्रतिमानों का सम्बन्ध है सबसे प्रथम है सत्य की अभिव्यक्ति। वास्तव में नई-कविता का आंदोलन केवल प्रतिक्रियावादी आंदोलन नहीं अपितु जीवन और उसकी नई तथा सच्ची अभिव्यक्ति से सहज जुड़ा है। जीवन का यह सय निपट यथाय है—मले ही वह खुरदरा है, रूढ़ियों में कलाहीन है, उसमें अभ्यस्त शिल्प का रचाव नहीं, रस की मधुमति भूमिका नहीं, श्लील और अश्लील का कोई सक्क नहीं, पुनजन्म, परमेश्वर, मोह, अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा जैसे तथाकथित पारश्वत मूल्यों जैसे पिचके, गुठ मुड़े कटे-फटे जीवन आदर्शों की कोई प्रतिष्ठा नहीं कोई मान्यता नहीं। नई कविता का यथाय दिया-स्वप्नो वाली कल्पनाजीवी प्रवृत्ति के हास का उद्घापक है जिसे पूरापिया कहते हैं। इस यथाय की केवल शत यह है कि उमका कथ्य अनुभूत या भोगा हुआ हो और जहाँ उसे किसी रमणीय कल्पना से युक्त करके उपस्थित न किया जाए वहाँ यह भी आवश्यक है कि उसे किसी बौद्धिक जटिलताओं पूर्वाग्रहों और धारणाओं से आच्छन्न न किया जाये। इसका अभिप्राय यह नहीं कि नई कविता प्रयोगवादी कविता की प्रतिक्रिया में अबौद्धिक होने की प्रकृति लिये है। वास्तव में आज के बौद्धिक युग में ऐसा सम्भव भी नहीं। युग का यथाय ही जब बौद्धिक धरातल पर स्वीकार किया जा रहा है तो अबौद्धिकता यथाय ही होगी। इसीलिए नई कविता भी बौद्धिक प्रबुद्धता की देन है, एक प्रबुद्ध और सजग कवि की देन है।

श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी आदि विशेष ध्यान देने योग्य हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा ने 'कुछ धोपणाएँ कविता में जीवन की स्थितियों का कितनी सत्यता मूल्यांकन किया है? वह लिखते हैं—

' मैं अभिनेता हूँ किराये का
 मुझसे ईमानदारी की माग मत करो ।
 क्योंकि मैं अभी-अभी जमात से निकला हूँ
 मुझे एक स्थिति दो उस स्थिति का वातावरण दो
 मैं उसके अनुकूल
 उस प्रवाहित क्षण के दायित्व को
 वहन कर लूँगा
 मैं कागज की नाव पर नदी के पार उतर सकता हूँ
 मैं युद्ध क्षेत्र में अपने को हाथों के पर के नीचे कुचलवा सकता हूँ
 किसी ऊँची चोटी पर से हजारों फिट नीचे
 किसी भी झपट्टे खड्ड में कूब सकता हूँ

और

वह सब करने के बाद
 बिना किसी हीरो के रोल किये
 शाम को थका-माँदा
 अपनी सतान के लिए गस भरे गुब्बारे लेकर
 अपने घर को जिंदा वापस जा सकता हूँ
 मैं किसी स्थिति का पूरक हूँ
 नियन्ता या निर्वेशक नहीं
 मुझसे स्थितियों की असगतियों की माग करो
 ईमानदारी की नहीं'

यदि इस कविता में श्री लक्ष्मीकांत वर्मा ने स्थितियों की असगतियों का यथाय अनुभव दिया है तो निम्नलिखित कविता में श्री जगदीश गुप्त ने शब्द और अर्थ के बीच में भटकती वाक्य आकाशा का सच्चा अनुभव उपस्थित किया है—

'मैं कवि हूँ, स्वाभिमानी,
 शब्दों में नया और सच्चा
 अर्थ भरना चाहता हूँ
 जोरती पवनियों की
 बेरहम लमीट से बँधकर

कुत्ते की मौत
नहीं भरना चाहता है।”

शब्दों को नया और सच्चा अर्थ देने वाली, रूढियों से मुक्त, निस्सार परम्पराओं के बंधन से रहित कविता ही आज के कवि की 'नई कविता' है। इस प्रकार सन् १९५५ तक आते आते एक और प्रयोगवाद की घुटन, अनास्था तथा प्रति बौद्धिक परिधि में चलने वाले कुछ प्रतिभाशाली कवि एक नये पथ के पथिक बन गये, जिसे प्रायः नई कविता के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। इसके साथ कुछ नये कवि-व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आये हैं और इनकी नई कविताएँ हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं जैसे—नई कविता, 'निकप', 'ज्ञानोदय' 'कल्पना' आदि में प्रकाशित होती रही हैं। यद्यपि इन नये कवियों में एक विशेष उत्साह तथा नई सम्भावनाओं के प्रति आश्वस्त करने वाला एक अदम्य कवि-व्यक्तित्व है किन्तु कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शीघ्र ही इस नई उपज में अपने कृतित्व द्वारा कुछ विशिष्ट दिया है। ऐसे कवियों का नई कविता के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बन गया है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय हैं कुंवर नारायण कीर्तिचौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, राजेन्द्रकिशोर, अजितकुमार, रमेश कुतलमेघ' इत्यादि।

जहाँ तक इस नई-कविता के प्रतिमानों का सम्बन्ध है सबसे प्रथम है सत्य की अभिव्यक्ति। वास्तव में नई-कविता का आदोलन केवल प्रतिक्रियावादी आदोलन नहीं अपितु जीवन और उसकी नई तथा सच्ची अभिव्यक्ति से सहज जुड़ा है। जीवन का यह सत्य निपट यथाय है—मले ही वह खुरदरा है, रूढ़ियों में कलाहीन है उसमें अम्यस्त शिल्प का रचाव नहीं, रस की मधुमति भूमिका नहीं, श्लील और अश्लील का कोई सक्त् नहीं पुनर्जन्म परमेश्वर मोह, अहिया, दया, क्षमा, करुणा जैसे तथाकथित शाश्वत मूल्यों जैसे पिचवे गुड मुडे कटे-फटे जीवन आदर्शों की कोई प्रतिष्ठा नहीं कोई मान्यता नहीं। नई कविता का यथाय दिवा-स्वप्नो वाली कल्पनाजीवी प्रवृत्ति के ह्रास का उद्घोषक है जिसे यूरापिया कहते हैं। इस यथाय की केवल शत यह है कि उसका कथ्य अनुभूत या भोगा हुआ हो और जहाँ उसे किसी रमणीय कल्पना में मुक्त करके उपस्थित न किया जाए वहाँ यह भी आवश्यक है कि उसे किसी बौद्धिक जटिलताओं पूर्वग्रहों और धारणाओं से आच्छन्न न किया जाये। इसका अभिप्राय यह नहीं कि नई कविता प्रयोगवादी कविता की प्रतिक्रिया में अर्बौद्धिक होने की प्रवृत्ति लिये है। वास्तव में आज के बौद्धिक युग में ऐसा सम्भव भी नहीं। युग का यथार्थ ही जब बौद्धिक धरातल पर स्वीकार किया जा रहा है तो अर्बौद्धिकता अथपार्थ ही होगी। इसीलिए नई कविता भी बौद्धिक प्रबुद्धता की देन है, एक प्रबुद्ध और सजग कवि की देन है।

श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी आदि विशेष ध्यान देने योग्य हैं। सहमीकांत वर्मा ने 'बुछ घोपणाएँ कविता मे जीवन की स्थितियों का कितनी सतमता से मूल्यांकन किया है? वह लिखते हैं—

"मैं अभिनेता हूँ किराये का
 मुझसे ईमानदारी की माग मत करो।
 क्योंकि मैं अभी अभी जमात से निकला हूँ
 मुझे एक स्थिति दो, उस स्थिति का घातावरण दो
 मैं उसके अनुकूल
 उस प्रवाहित क्षण के दायित्व को
 वहन कर लूँगा
 मैं कागज की नाव पर नदी के पार उतर सकता हूँ
 मैं युद्ध क्षेत्र में अपने को हाथी के पर के नीचे कुचलवा सकता हूँ
 किसी ऊँची घोटी पर से हजारों फिट नीचे
 किसी भी झरे खड्ड में कूब सकता हूँ

और

वह सब करने के बाद
 बिना किसी हीरो के रोल किये
 शाम को थका-माँदा
 अपनी सतान के लिए गस भरे गुरवारे लेकर
 अपने घर को जिंदा वापस जा सकता हूँ
 मैं किसी स्थिति का पूरक हूँ
 नियन्ता या निर्वेशक नहीं
 मुझसे स्थितियों की असगतियों की माग करो
 ईमानदारी की नहीं"

यदि इस कविता में श्री सहमीकांत वर्मा ने स्थितियों की असगतियाँ का यथाय अनुभव दिया है तो निम्नलिखित कविता में श्री जगदीश गुप्त ने शब्द और अर्थ के बीच' में भटकती वाच्य आकाशा का सच्चा अनुभव उपस्थित किया है—

"मैं कवि हूँ स्वाभिमानी,
 शब्दों में नया और सच्चा
 अर्थ भरना चाहता हूँ,
 खोलली ध्वनियों को
 बेरहम जमीन से बँधकर

कुत्त' की मौत
नहीं भरना चाहता हूँ ।”

शब्दों को नया और सच्चा अर्थ देने वाली, रूढ़ियों से मुक्त, निस्सारा परम्पराओं के बंधन से रहित कविता ही आज के कवि की नई कविता' है।

इस प्रकार सन् १९५५ तक आते आते एक और प्रयोगवाद की घुटन, अनास्था तथा अति बौद्धिक परिधि में चलने वाले कुछ प्रतिभाशाली कवि एक नये पथ के पथिक बन गये, जिम प्राय नई कविता के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। इसके साथ कुछ नये कवि-व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आये हैं और इनकी नई कविताएँ हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं जैसे—नई कविता', 'निकप', 'ज्ञानोदय' कल्पना आदि में प्रकाशित होती रही हैं। यद्यपि इन नये कवियों में एक विशेष उत्साह तथा नई सम्भावनाओं के प्रति आश्वस्त करने वाला एक अदम्य कवि-व्यक्तित्व है किंतु कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शीघ्र ही इस नई उपज में अपने कृतित्व द्वारा कुछ विशिष्ट दिया है। ऐसे कवियों का नई कविता के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बन गया है। इनमें से कुछ उल्लेख-नीय हैं कुंवर नारायण कीर्तिचौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह-राजेन्द्रकिशोर, अजितकुमार, रमेश कुंतलमेघ' इत्यादि।

जहाँ तक इस नई-कविता के प्रतिमानों का सम्बन्ध है सबसे प्रथम है सत्य की अभिव्यक्ति। वास्तव में नई-कविता का आंदोलन केवल प्रतिक्रियावादी आंदोलन नहीं अपितु जीवन और उसकी नई तथा सच्ची अभिव्यक्ति से सहज जुड़ा है। जीवन का यह सत्य निपट यथाय है—मले ही वह खुरदरा है रूढ़ियों में कलाहीन है उसमें अभ्यस्त शिल्प का रचाव नहीं रस की मधुमति भूमिका नहीं श्लील और अश्लील का कोई सवट नहीं, पुनजम, परमेश्वर, मोह, अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा जस तथाकथित धारवत मूल्यों जैसे पिचके, गुड़े मुड़े, कटे-फटे जीवन आदर्शों की कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई मान्यता नहीं। नई कविता का यथाय दिवा-स्वप्नों वाली कल्पनाजीवी प्रवृत्ति के हास का उदघोषक है जिसे यूरॉपिया कहते हैं। इस यथाय की केवल शत यह है कि उसका कथ्य अनुभूत या मोगा हुआ हो और जहाँ उसे किसी रमणीय कल्पना में युक्त करके उपस्थित न किया जाए वहाँ यह भी आवश्यक है कि उसे किसी बौद्धिक जटिलताओं पूर्वाग्रहों और धारणाओं से आच्छन्न न किया जाये। इसका अभिप्राय यह नहीं कि नई कविता प्रयोगवादी कविता की प्रतिक्रिया में अवैदिक होने की प्रवृत्ति लिये है। वास्तव में आज के बौद्धिक युग में ऐसा सम्भव भी नहीं। युग का यथाय ही जब बौद्धिक धरातल पर स्वीकार किया जा रहा है तो अवैदिकता भयपाय ही होगी। इसीलिए नई कविता भी बौद्धिक प्रवृद्धता की देन है, एक प्रवृद्ध और सजग कवि की देन है।

वास्तव में यथाय का अनुभव और उसका भाग्रह तब तक हो ही नहीं सकता जब तक कवि की बौद्धिक प्रबुद्धता पूरा रूप से सजग न हो।

खुरदरे यथाय और तत्सम्बन्धी सत्य की अनुभूति में सलग्न आज की नई-कविता का दूसरा प्रतिमान है नया व्यक्ति । नये मानव और नये व्यक्ति में अन्तर है । नये मानव की जड़ें यथाय के खुरदरे धरातल पर नहीं जम सकतीं । उसमें कल्पना, आदर्श और एक स्वप्निल मनोजगत् की आवश्यकता होती है । नई कविता आदर्श के मोह भग की, उससे मुक्ति की कविता है । अतएव नई-कविता निकवच व्यक्ति की कविता है जिस पर किसी आदर्शवाद, रुढ़ि, बजना, कल्पना इत्यादि का कवच नहीं भीना झिलमिला पर्दा भी नहीं । अतएव नई-कविता का सम्बन्ध यथाय से नहीं तो उसको जन्म देने वाले यथाय से तो ही है । परिवेश में व्यक्ति की सच्ची पहचान के लिए धना और समाज के नाम पर निर्मित कवच आज अव्यवस्थ की रही की टोकरी में फेंक दिये गये हैं । शास्वत मूल्य, नैतिक सदम, राष्ट्रीय स्वलन, धर्म दर्शन समाजवाद आदि के नारे अग्रहीन हो गए हैं और यथाय के विविध रोडों से निर्मित इस नई-कविता का कवि पीछे वाले व्यक्ति से भिन्न नया व्यक्ति बनकर सामने आ रहा है ।

इस नई कविता का तीसरा प्रतिमान उसकी सदमहीनता है । हर कवि व्यक्ति है—नया व्यक्ति । अतएव व्यक्ति के बाह्य परिवेश में अन्तर होना स्वभाविक ही है । इतना ही क्या, व्यक्ति के विभिन्न क्षणों में क्योंकि मानसिक स्तर भिन्न होंगे अतएव उनमें परिवेश के भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते हैं । अतएव यह आवश्यक नहीं कि निकवच निर्व्याज तथा नितात सहज में ही की गई अग्रिव्यक्ति में कोई ठोस सदमंगत अन्विति मिले और फिर लम्बी कविता में, जिसमें एकाधिक मानसिक स्तर होते हैं ऐसी सदमहीनता स्वभाविक ही है । पर इसका अनिप्राय यह नहीं कि सदम न होने से कविता में अग्रहीनता आ जाएगी । वास्तव में यदि अनुभूति यथाय है तो उसमें अग्रहीनता आ ही नहीं सकती । और यदि सदम को सायक बनाने तथा अन्विति लाने की दृष्टि से काट छाँट बग्नी पड़े, तो उसे अग्र की वास्तविक अनुभूति अर्थात् सहज यथाय न कहा जा सकेगा । अतएव नई कविता का कवि बाह्य परिवेश को अपने पर हावी होने नहीं देना चाहता । इसीलिए सदमहीनता उसकी कविता का महत्त्वपूर्ण प्रतिमान है ।

सदमहीनता की जब बात की जाती है तो परम्परा का प्रश्न एकदम सामने आ जाता है । परम्परा के सम्बन्ध में एक विचार तो श्री मुद्राराक्षस का है जिसमें उन्होंने कहा है कि परम्परा की उखाड़ फेंकने की, उस पर धूँ देनी की आवश्यकता है ।

प्रयोगवादी अज्ञेय जी ने भी कहा था कि परम्परा का कवि के लिए कोई

अर्थ नहीं जब तक वह उसे ठोस बनाकर, तोड़-मरोड़ कर, देस कर आत्मसात् नहीं कर लेता, उसे गहरा सस्कार बनाकर ग्रहण नहीं कर लेता।

इस प्रकार परम्परा पर तनिक ध्यान देने की आवश्यकता है न कि उस पर धुन देने की या उसे अर्थहीन बहुर उतसे छुटकारा पाने की। परम्परा अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी। उससे दोनों प्रकार के सम्बन्ध सम्भव हैं। आप उस परम्परा से या तो अपने आप को सम्बद्ध कर सकते हैं या उससे पृथक् रह सकते हैं। परम्परा को उखाड़ने की बात केवल योया बोस है।

इस प्रकार इन प्रतिमानों पर आधारित नई कविता आधुनिक भावबोध की कविता है जो उसे नित्य प्रति रसायन-शास्त्र, भौतिक-शास्त्र, प्राणि-विज्ञान समाज-शास्त्र, नृत्य शास्त्र की नवीनतम खोजों से प्राप्त होते हैं तथा जिनके कारण मानव-मन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों की प्रक्रिया होती रहती है। इसी कारण यह नई कविता वहाँ दूरूह बौद्धिक अनगत तथा सदमहीन सी लगने लगती है क्योंकि पहले तो सामान्य पाठ्य आधुनिक ज्ञान विज्ञान की नवीन उपलब्धियों तथा उनके द्वारा मानव-मन पर पड़े प्रभाव से पूणतया अनभिज्ञ है और दूसरे वह सस्कारवश अपनी पुरानी परिपाटियों में बँधा है।

इस कविता की अनुभूतियाँ जहाँ सत्य और अर्थ हैं वहाँ साथ ही चेतना की गहराई से भोगी हुई या अनुभूत होने के कारण मौलिक, प्रसाधारण तथा प्रामाणिक भी हैं और इनमें वही पिती-पिटी अनुकृति नहीं, परम्परा बढ़ता नहीं।

नई कविता ने भी प्रतीको और बिम्बों का प्रयोग किया है किन्तु उसने प्रतीक और बिम्ब ताजे और अग्रयुक्त हैं। कविता का पुराना ढांचा जो भाषा की अक्षरकरण प्रवृत्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति पर आधारित था, आज टूट गया है तथा नये ढांचे में आरोपित बातों का निषेध है। इसी कारण कविता से उस का साप-तो हो ही गया है साथ ही रोमांटिक प्रवृत्ति का भी ह्रास हुआ है मले ही इस कारण कविता किन्ही अंशों में सहज वक्तव्य का भी रूप लेती दिखाई देती है। मुडि उस ही आज की कविता का रस है।

नई कविता का रूप-शिल्प भी सवधा नया है। इसके छंद-विधान में गद्य की लय है पद्य की रूढ़ लय नहीं। अर्थात् नई कविता का कवि भावुक होने की बजाए प्रबुद्ध अधिक है। अतएव नाद की लय नहीं, उसके चरणों में अर्थ की लय है। इसके लिए नई-कविता का आग्रह है कि बिम्ब विधान के साथ-साथ लय और शब्द-संवेदना की बारीकियों पर अर्थात् ध्वनि-कल्पना पर भी ध्यान रखना चाहिए।

नई कविता सहज और बोलचाल की है, जिसमें स्थान-स्थान पर उद्ग के

मुहावरे और अंग्रेजी के पदा का प्रयोग भी रहता है। भाषा के इन मयार्थ प्रयोग से शब्द और अर्थ के बीच में जो दृश्य-व्यपत्ता की जाती है, धुरदरे मयाप का जो बिम्ब उभारा जाता है, उससे भाषा की व्यञ्जक शक्ति बढ़ी ही है।

इस प्रकार नई कविता बिम्बों की भाषा है, अर्थ को व्यञ्जित करने वाली ध्वनिया का सफल देकर यथायथा अनुभव देने वाली भाषा है और इसे कवि सहज ही उपयोग में लाता है न कि शरारत पर चढ़ाकर उसके शब्दों को ललित तथा सुशोभित बनाकर कला की छनी में सवार कर। पहले का अभिप्राय यह है कि भाषा के इस सहज प्रयोग से बिम्बों पर कोई नहीं जम पाती उनका अर्थ धूमिल नहीं हो पाता और दृश्य-व्यपत्ता का ताजापन तथा नवीनता बनी रहती है। इसीलिए नई कविता के बिम्ब विधान और भाषा के प्रयोग ने अभिव्यक्ति-शक्तता का अपरिमित विकास किया है।

इधर नई-कविता के आन्दोलन ने एक नया मोड़ लिया है। नई-कविता मिनन् मिनन् दिशाओं में चलती प्रतीत हो रही है। और तो और नामों में आधाधापी तथा भलगाव की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। कोई इसे अकविता कहता है तो कोई सवकविता, कोई इसे नूतन कविता कहता है तो कोई ताजी कविता, कोई इसे बोट-कविता कहता है तो कोई बांग्रीट (ठोस) कविता, कोई इसे एण्टी-कविता कहता है तो कोई इसे सही कविता। पहले का अभिप्राय यह है कि जब साहित्यिक जगत में नई-कविता को मान्यता प्राप्त होने लगी है और पत्र पत्रिकाओं में बड़े उत्साह से उसे छापा जा रहा है तब ऐसा लगता है कि नई-कविता में विघटन की स्थिति घा गई है, एक धावेग-हीनता और बिखराव के चिह्न दिखाई देने लगे हैं। पर इससे नई-कविता की शक्ति का भी परिचय मिलता है और प्रतीत होता है कि नई-कविता की यह मोचबन्दी केवल शक्ति को हस्तगत करने का ही प्रयास है जसा कि प्रायः हर आन्दोलन में होता है। अतएव आज की स्थिति विघटन की नहीं विकास की द्योतक है नई कविता की शक्ति की परिचायक है।

अन्त में यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस नई कविता की उपलब्धि क्या है? क्या पत्र पत्रिकाओं में छप जाना इधर-उधर कुछ कविता-समूहों का छप जाना या तस्सम्बन्धी दो चार गोष्ठ प्रस्था का निकल आना ही पर्याप्त है। आज पवित्रियों की गणना के विचार से नई कविताओं की संख्या अपरिमित है किन्तु इस अपार फल राशि की दन क्या है? क्या यह कविता महज इसलिये रची जानी चाहिए क्योंकि कविता को आविष्ट रखना जरूरी है। ये और कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज नई कविता से उत्तर की आकांक्षा लिये हैं और साथ ही आशा रखते हैं कि नई-कविता भी छायावाद की भाँति पत, प्रसाद, निराला

जैसे काव्य-व्यक्तित्व दे । पर विकास की भ्रवस्था में से गुजर रही नई-कविता के लिए शायद अभी कुछ कहना समभव नहीं । केवल भविष्य ही इन समावनाओं का ठीक-ठीक उत्तर दे सकेगा ।

१७

भ्रमरगीत परम्परा

‘भ्रमरगीत’ शब्द को सुनते ही सहृदय के मन में प्रेम और विरह की अत्यन्त मधुर कल्पनाएँ सजग हो उठती हैं । इसका कारण यह है कि हिंदी के कवि शिरोमणि सूरदास अपने ‘सूरसागर’ में ‘भ्रमरगीत’ नामक एक प्रसंग जोड़ गए हैं, जिसमें उद्धव और गोपियों के सयाद का वणन है । उद्धव गोपियों को ज्ञान-भाग का उपदेश करने आये थे, किन्तु गोपियों की प्रेम विह्वलता को देखकर उनका ज्ञानयोग भूल गया और स्वयं भी प्रेम-भाग के पथिक बन गये । भ्रमरगीत के इस प्रसंग में सूरदास ने जिस अलौकिक से दिखाई पड़ने वाले निस्वार्थ प्रेम का चित्रण किया है और गोपियों के वचनों में व्यंग्य, उपालम्भ और वाक्-चातुरी का जैसा कौशल-दिखावा है, उसके कारण ‘भ्रमरगीत’ हिन्दी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट निधियों में से एक बन गया है । भ्रमरगीत हृदय की सुकुमारतम भावनाओं का प्रतीक हो उठा है ।

भ्रमरगीत का प्रसंग परवर्ती कवियों को इतना अच्छा लगा कि बाद में अनेक कवियों ने भ्रमरगीत लिखकर आत्म-सन्तोष अनुभव किया । नन्ददास ने तो ‘भ्रमरगीत’ नाम से एक पृथक् पुस्तक ही लिख डाली । आधुनिक काल में जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ ने ‘उद्धव शतक’ की रचना की । ‘उद्धव-शतक’ का नाम भ्रमरगीत न होने पर भी इसमें उसी प्रसंग को उठाया गया है—जिसे लेकर सूरदास ने भ्रमरगीत की रचना की थी और इस प्रसंग का अत्यन्त कुशलतापूर्वक निर्वाह किया है । हरिऔध ने अपने ‘प्रियप्रवास’ में और द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने अपने ‘कृष्णायन’ में भी भ्रमरगीत के प्रसंग को चित्रित किया है । परन्तु ये दोनों ही इस प्रसंग का ऐसा रूप नहीं निखार सके, जिसमें इहे सूरदास, नन्ददास और रत्नाकर की कोटि में रखा जा सके । पर भ्रमरगीत-परम्परा में इनका नामोल्लेख तो किया ही जा सकता है । डा० रामशंकर शुक्ल ‘रसाल’ का ‘भ्रमरगीत’ भी अपनी परम्परा में एक उत्कृष्ट रचना कही जा सकती है ।

सूरदास ने अपने सम्पूर्ण सूरसागर की कथा श्रीमद्भागवत से ली है ।

भ्रमरगीत का मूल स्रोत भी श्रीमद्भागवत ही है। परन्तु श्रीमद्भागवत में यह सारा प्रसंग एक पृथक् रूप में है। सूरदास ने भ्रमरने काव्य की भावश्यकता के अनुसार भागवत के मूल प्रसंग में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया है। भागवत में भ्रमरगीत की कथा यह है—कृष्ण ने गोपियों को सान्त्वना देने के लिए उद्वेग को गोकुल भेजा। सायं बेला में उद्वेग गोकुल पहुँचे। रात्रि के समय नद और यशोदा को कृष्ण के समाचार सुनाते रहे और तरह-तरह के उपदेश देकर उन्हें धीम बँधाते रहे। दूसरे दिन प्रभात में गोपियों ने नन्द के घर के आगे रथ खड़ा देखा तो उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि रथ में कौन आया है। गोपिया उद्वेग के पास जाकर कृष्ण का कुशल-मंगल पूछने लगी। उद्वेग उन्हें उपदेश देने लगे। उसी समय एक भ्रमर उड़ता दिखाई पड़ा। उसे देखकर एक गोपी कुछ उमत्त-सी होकर प्रलाप करने लगी। उद्वेग ने उन सबको निगुण और निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं। गोपियों को भी यह बात पहले से ही ज्ञात थी परन्तु उद्वेग के मुख से सुनकर उन्हें बहुत सन्तोष प्राप्त हुआ। उद्वेग भी प्रसन्न होकर वापस लौट आया। एवं तरह से भागवत में निगुण ब्रह्म की उपासना का पक्ष विजयी प्रदर्शित किया गया है। सूरदास के भ्रमरगीत की भाँति उद्वेग-गोपिका संवाद और भ्रमर का लक्ष्य करके गोपियों द्वारा उद्वेग पर व्यथ्य-बाणा की वर्षा भागवत में नहीं की गई है।

भ्रमरगीत लिखते समय सूरदासजी के सम्मुख दो लक्ष्य थे। प्रथम तो यह कि उन्होंने शृंगार रस का वियोग पक्ष प्रस्तुत करना था और दूसरे यह कि निगुण ज्ञान माग पर उन्हे सगुण भक्ति माग की विजय दिखानी थी। इसलिए उन्होंने भ्रमरगीत की कथा में कुछ परिवर्तन कर दिया। सूर के भ्रमरगीत में कथा यह है कि कृष्ण के मित्र उद्वेग को यह अहंकार हुआ कि वे बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्होंने अपने ज्ञान द्वारा कृष्ण के परब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है। उनके इस अहंकार को कम करने और उनके मन में भक्ति भाव जगाने के लिए कृष्ण ने उद्वेग को गोपियों के पास गोकुल भेजा। उद्वेग गोपियों को ज्ञानमार्गी उपासना-पद्धति में दीक्षित करने गये थे। गोकुल पहुँचकर वे गोपिया से मिले और उन्हें समझाने लगे कि तुम लोग कृष्ण के विरह में व्यथ्य क्लेश न पाओ। कृष्ण तो घट-घट व्यापी हैं। योग-माग द्वारा उनकी उपासना करो। तुम्हें उनके दशन मन में होंगे, इत्यादि। परन्तु गोपियाँ तो कृष्ण के सगुण रूप पर मुख थीं। इसलिए उद्वेग का उपदेश उन्हें कसे अच्छा लग सकता था। वे उद्वेग को अपनी विरह-व्यथा सुनाने लगीं। उन्होंने बताया कि किस तरह कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज, यमुना, उसके तट के कुज और बृक्ष उदास हो उठे हैं। गोपियों के अपने मन में भी विरह की ज्वाला निरन्तर

भ्रमरगीत परम्परा

जलती रहती है। बिना सगुण कृष्ण ...

उद्धव गोपिया को फिर निगुण का उपदेश देने लगे, तो वे खीज उठी। उसी समय एक मोरा उड़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उद्धव कृष्ण के मित्र थे, इसीलिए गोपियो वे पूज्य थे। वे सीधे तौर पर कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसलिए उम मोरे को लक्ष्य करके अपने मन की कहने लगी। उन्होंने तरह-तरह से निगुणवाद की हँसी उड़ाई और उद्धव को खरी-खरी सुनाई। उनकी प्रेम भावना को देखकर उद्धव गद्गद हो गए। उनका ज्ञान का अहंकार समाप्त हो गया, और वे सगुण कृष्ण के भक्त बनकर वापस लौटे।

सूरदास के भ्रमरगीत का सौंदर्य मुख्य रूप से उनके विरह-वर्णनो, जिनके द्वारा गोपियो के उत्कृष्ट प्रेम की व्यञ्जना होती है और गोपियो से उगलमम भरे वचनो मे है जिनके द्वारा सगुण भक्ति की निगुण उपासना पर विजय प्रदर्शित की गई है। गोपियो की विरहावस्था के चित्रण मे सूरदास ने लगभग सभी संचारिया का चित्रण कर दिया है। इन पदो मे कवि न शब्द की अभिधाशक्ति पर आश्रित न रहकर व्यञ्जना का सहारा लिया है जिसके कारण काव्य के सौंदर्य मे चार चाद लग गए हैं। गोपियो की वाक्चातुरी भी इस प्रसंग मे बहुत आकर्षक है। स्त्री-मुलम कुशलता के साथ उन्होंने उद्धव को मूख ही बनाया है और रुष्ट भी नहीं होने दिया। अन्त मे उनके प्रेम की एकाग्रता का प्रभाव उद्धव पर पड़ता है और वे भी ज्ञान का अहंकार त्याग कर भक्त बन जाते हैं।

भ्रमरगीत के सम्बन्ध मे सूरदास के पश्चात् नन्ददास का नाम आता है। नन्ददास जी अष्टछाप के कवियों मे से एक थे। इन्होंने अपना 'भ्रमरगीत' प्रबन्ध रूप मे लिखा। इनके भ्रमरगीत की कथा लगभग वही है, जो सूर के भ्रमरगीत की है। अन्तर केवल इतना है कि सूर ने तो कृष्ण द्वारा उद्धव को गोबुल भोजने और उद्धव के नन्द, यशोदा और गोपियो से मिलन का भी वर्णन किया है किन्तु नन्ददास ने अपना भ्रमरगीत सीधा 'उद्धव को उपदेश सुनो, अज नागरी' से प्रारम्भ किया है। गोपियो और उद्धव दोनों प्रथम सगुण भक्ति और निगुण उपासना के पक्ष मे तक प्रस्तुत करते हैं। सूरदास की गोपिया तो सरल हृदय श्रमीण युवतियाँ हैं किन्तु नन्ददास की गोपियाँ बँसी अशिक्षित नहीं। वे उद्धव के तर्कों का युक्तियुक्त उत्तर देती हैं। परन्तु कवि ने वाद-विवाद का प्रम ऐसा रखा है, जिसमे उद्धव का पक्ष स्पष्ट रूप से दुबल दृष्टि-गोचर होता है। नन्ददास के 'भ्रमरगीत' मे भी विवाद के अन्त मे एक भ्रमर आता है और एक गोपी के पैर पर बठ जाता है। उसे लक्ष्य करके गोपियाँ उद्धव पर खूब व्यथ्य कमती हैं और तरह-तरह के उलाहने देती हैं। अन्त मे उद्धव पूरी तरह परास्त हो जाते हैं और ज्ञान-भाग का पक्ष छोडकर भक्ति-

माग के अनुगामी बन जाते हैं।

सूरदास और नन्ददास के भ्रमरगीत में थोड़ा अन्तर है। सूरदास का भ्रमरगीत मुख्यतया मुक्तक काव्य है, परन्तु नन्ददास के भ्रमरगीत में प्रबंध का पुट भी है। नन्ददास का भ्रमरगीत आकार में छोटा, किन्तु अधिक सुब्य-वस्थित है। सूरदास की गोपियाँ भावुक अधिक हैं, और तात्किक कम, परन्तु नन्ददास की गोपियाँ तब में परास्त नहीं करती, बल्कि अपनी प्रेम भावना द्वारा परास्त करती हैं। अपने अपने स्थान पर सूरदास और नन्ददास दोनों के ही भ्रमरगीत उत्कृष्ट काव्य-ग्रथ हैं।

अष्टछाप के और भी कई कवियों ने उद्धव और गोपियों के प्रसंग को लेकर थोड़े बहुत पद लिखे हैं। परन्तु किसी ने सुब्यवस्थित ग्रथ की रचना नहीं की। रीतिकाल में भी इस प्रकार के मुक्तक काव्य मिल जाते हैं। भ्रमरगीत को आधार मानकर आधुनिक युग में काव्य-रचना की बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने। उनका 'उद्धव शतक' भ्रमरगीत प्रसंग को लेकर लिखी गई अष्ट-काव्य रचना कही जा सकती है। रत्नाकर का 'उद्धव शतक, सूरदास और नन्ददास के भ्रमरगीत से सफलतापूर्वक टक्कर ले सकता है। यो भारतेन्दु की कविता में भी कुछ इस प्रकार के पद्य मिल जाते हैं पर उनका विशेष महत्त्व नहीं।

'रत्नाकर' के उद्धव शतक का प्रारम्भ भी अधिक कवित्वपूर्ण है। एक बार कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ यमुना में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक मुरझाया हुआ सा कमल का फूल पानी की धारा में बहता हुआ आया। उसी कमल की सुगंध में कृष्ण को राधा को स्मृति हो आई। वे अचेत हो गए। उसी समय एक तोते ने 'राधा-राधा' कहकर पुकारा तो उन्हें होश आया। गोकुल और गोपियाँ की स्मृति में वह विह्वल हो उठे। आँसू बहने लगे।

'रत्नाकर' का 'उद्धव शतक-काव्य-सौंदर्य में सूरदास से टक्कर लेता है, तो उक्ति प्रत्युक्ति क्रम में नन्ददास के भ्रमरगीत के समकक्ष है। नन्ददास ने अपने भ्रमरगीत नाटक की तरह उद्धव गोपी सवाद का क्रम रखा है। पहले एक बात उद्धव कहते हैं, अगले पद में गोपियाँ उसका उत्तर देती हैं। ऐसा क्रम न सूरदास में है और न 'रत्नाकर' में। कुछ पदों में उद्धव अपनी बात कहते हैं और कुछ में गोपियाँ। वास्तुलियाप का मुख्य भाग गोपियों के हिस्से में आया है। परिभाजन और अमिष्यक्ति की दृष्टि से 'रत्नाकर' का उद्धव-शतक हिन्दी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। उसमें अलंकार, रस और भाव-व्यञ्जना तथा अनुभवों का बड़ा समुचित प्रयोग किया गया है। भ्रमरगीत-परम्परा का अष्ट ग्रन्थ होते हुए भी उद्धव-शतक में न तो भ्रमर

का ही उल्लेख है और न इनकी रचना गीत शैली में ही हुई है। रत्नाकरजी ने गोपियों के मुख से कितने स्पष्ट शब्दों में उद्धव के निगुण भगवान का खण्डन करवाया है—

ऊधो मुक्ति माल वृषा मड़त हमारे गर ।
काह विन काकी कही मन मोहेंगी ? ”

हरिऔध जी ने अपने 'प्रियप्रवास' में उद्धव-गोपी सवाद का प्रसंग उठा कर कृष्ण की ब्रह्म बतलाया है और गमस्त विश्व को कृष्ण का रूप मानकर विश्व-सेवा को कृष्ण की सेवा कहा है। इस प्रकार कृष्ण से मिल पाने में असमर्थ होकर गोपिया विश्व-सेवा का व्रत ले लेती हैं और उसको कृष्ण की सेवा मानकर अपना जीवन सफल करने का यत्न करती हैं। 'प्रियप्रवास' में भ्रमरगीत व प्रसंग में उपदेशात्मकता अधिक है और हृदय को छूने वाली सरसता कम।

द्वारिणाप्रसाद मिश्र के 'कृष्णायन' में भी उद्धव गोपी सवाद प्रस्तुत किया गया है। परन्तु इसमें भी सूर, नन्ददास या रत्नाकर का सा काव्य सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ना। प्रसंग तो उठाया गया है, किन्तु निखारा नहीं जा सका।

इन प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं के अनिर्वक्त डॉ० रसाल का 'उद्धव-शतक', हरिविलास का 'विष्णु गीत', रसीले का 'ऊधो अजागमन' मुकुन्दलाल का 'मुकुन्द विलास', जगन्नाथ सहाय का 'कृष्ण-सागर', कवीन्द्र माहौर का 'अश्रु मास', चन्द्रमानु रत्न का 'नेह निकुंज', प्रद्युम्न दुगा का 'कृष्ण चरित मानस', लाला हरदेव प्रसाद का 'ऊधो पञ्चीसी और श्यामसुन्दरलाल दीक्षित का 'श्याम-संदेश' भ्रमरगीत काव्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। सतराम के 'भ्रमरगीत' में और राजेश्वरप्रसादसिंह मातादीन शुक्ल और विद्याभूषण विधु' के स्फुट पदा में हमें भ्रमराख्यान मिलता है।

डा० गुप्त के शब्दों में 'उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हिन्दी काव्य में भ्रमरगीत की तीघ परम्परा रही है। इस प्रसंग को लेकर हमारे कवियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण में ज्ञान, विरह और उपात्मन की याचना की है। इस प्रसंग को हिन्दी में प्रचलित करने का श्रेय एकमात्र महाकवि सूरदास को ही है—उनके भ्रमरगीत की भाविकता ने ही परवर्ती कवियों को प्रभावित एवं प्रेरित किया। यद्यपि परवर्ती कवियों ने इस प्रसंग को राचकता, तार्किकता एवं कलात्मकता में अभिवृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया है, किन्तु सूरदास से कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। भ्रमर की आठ में सूरदास की गोपिया ने विरह-वेदना, विषयता, रोष, उपात्मन, व्यग्य, उपहास एवं आत्मदैय आदि

विविध भावों से मुक्त जो उचितयाँ कही हैं वे युग-युगो तक भ्रमर रहने वाली हैं। उनका रस शताब्दियों तक सहृदय पाठकों के मन को आकर्षित, प्रवित एव आनन्द मग्न करता रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं। सूरमागर की गोपिया ने उद्धव से कहा था— 'ऊधो मन नाही दस-बीस एव हुतो सो गयो स्वाम सग " और यही बात सूर के भ्रमरगीत को पढ़ लेने पर पाठक को अनुभूति होती है, उसे लगता है मानो उसका मन सूर की काव्य गंगा में प्रवाहित हो गया है, उसके मन तर किसी अथ काव्य का रस लेने के लिए उसे दूसरा मन खोजना पड़ता है, किन्तु—

"मन नाही दस बीस ।"

१८

हिन्दी साहित्य को स्त्रियों की देन

स्त्रियों के विषय में जितना साहित्य लिखा गया है, उसकी तुलना में स्त्रियों द्वारा लिखे गये साहित्य का परिमाण बहुत कम है। इसका ठीक ठीक कारण क्या है यह तो बतला पाना सम्भवतः सरल हो, परन्तु हिन्दी साहित्य में स्त्रियों द्वारा लिखित साहित्य की अल्पता के बड़े कारण स्त्री शिक्षा का अभाव, स्त्रियों की सामाजिक दुदशा और अस्त-व्यस्त राजनीतिक परिस्थितियाँ कही जा सकती हैं।

हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ उस काल से हुआ, जब देश पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों की स्थिति सदा ही कुछ दुःख हो जाती है क्योंकि ऐसा सम्झा जाता है कि स्त्रियाँ आत्म रक्षा में असमर्थ होती हैं। पुरुष पर आश्रित रहने के कारण नारी में कुछ-न-कुछ आत्महीनता का भाव आ ही जाता है और जब पुरुष यह अनुभव करते हैं कि नारियाँ की रक्षा उन्होंने करनी है तो वे स्त्रियों पर मनमानी भी चलाते हैं। राजनीतिक उथल-पुथल के काल में उच्च शिक्षा स्त्रियों को तो दूर, पुरुषों तक को प्राप्त नहीं होती। इन सब कारणों से हिन्दी साहित्य में स्त्रियों की देन उतनी नहीं है जितनी कि आशा की जा सकती थी।

यह मानने का कोई कारण नहीं कि साहित्य सृजन की प्रतिभा शक्ति स्त्रियाँ में पुरुषों से किसी प्रकार कम होती है। इसे केवल सयोग ही कहना चाहिए कि सस्वृत साहित्य में श्रेष्ठ काव्य रचना स्त्रियों की नहीं मिलती। जो कहने को स्त्रियों द्वारा रचित बहुत-सा साहित्य सस्वृत हिन्दी तथा ससार

की अन्य भाषाओं में भी है, परन्तु उत्कृष्ट की दृष्टि से वह कुछ हल्का ही ठहरता है। आधुनिक काल में पाश्चात्य देशों में कुछ उच्छ्रित कवि की उपास-लेखिकाएँ अवश्य हुई हैं किन्तु उनके अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य में भी स्त्रियों की देन नगण्य-भी है।

भारतीय समाज में स्त्रियों को सावजनिक क्षेत्र में आने और प्रशंसा पाने का अवसर वैदिक काल में रहा हो तो रहा हो, किन्तु मध्य काल में बिल्कुल नहीं रहा। मीरा भी केवल इसीलिए ख्याति पा सकी क्योंकि उसने अपनी भक्ति और प्रेम के आवेश में परिवार और समाज के बंधनों को तिलाजलि दे दी थी। ऐसी दशा में यदि स्त्रियों ने कुछ उत्कृष्ट काव्य-रचना की भी हो, तो उसका प्रकाश में आना कठिन ही था। बहुत सम्भव है कि ऐसी बहुत-सी रचनाएँ लिखी जाने के बाद भी अज्ञात रूप में नष्ट हो गई हों। इतने पर भी अनेक कवयित्रियों और लेखिकाओं ने हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग दिया है।

हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक काल वीरगाथा काल है। इस काल में हमें किसी कवयित्री की रचनाएँ प्राप्त नहीं होती। परन्तु वीरगाथाकाल के तुरन्त बाद भक्ति-काल में हमें हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मीरा का साहित्य प्राप्त होता है। कृष्ण को लक्ष्य करके मीरा ने जैसी विरह की पीर और प्रेम की आतुरता से भरी हुई कविता लिखी है, वैसी हिन्दी में कम ही कवि लिख पाए हैं। अपने काल की अन्य स्त्रियों के समान मीरा भी सम्भवतः बहुत शिक्षित नहीं थी। उसने अपने पदों के लिए बहुत कुछ बाल-चाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा का परिष्कार और अलंकार का बुद्धिपूर्वक प्रयोग मीरा के पदों में दिखाई नहीं पड़ता। उसने तो केवल अपनी तीव्र प्रेमानुभूतियों को स्वभाविक भाषा में प्रस्तुत कर दिया है —

‘मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई ।

जाके सिर मोर-मुकुट मेरो पति सोई ।”

मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की भक्ति है। वह कृष्ण की अपना पति मानती थी और उसी रूप में उनकी उपासना करती थी। पति-पत्नी का प्रेम तीव्रतम अनुभूतियों का परिचायक होता है। मीरा स्वयं स्त्री थी और कृष्ण की उपासिका थी। इसीलिए उसने अपने-आपको पत्नी मानकर कृष्ण के विरह में जो दुःख भरे गीत गाये, वे बहुत स्वाभाविक और भ्रमस्पर्शी बन पड़े। मीरा का पारिवारिक जीवन भी विरह और बलह से पूरा था, इसलिए उसकी वेदना में मृत्यु की झलक है। कबीर आदि न अपने-आप में जो स्त्रीत्व का आरोप किया है उसमें स्वाभाविकता नहीं पाई। इसी में वह हृदय पर बसा प्रभाव नहीं छोड़ता, जैसा मीरा के पद छोड़ते हैं।

मीरा के पद लोक में बहुत प्रचलित हैं। इन पदों की इतनी लोकप्रियता का कारण यही है कि उनमें मीरा ने अपने हृदय की सच्ची और तीव्र प्रेमानुभूति प्रकट की है। कहीं उनमें विरह की व्याकुलता है, कहीं प्रतीक्षा और प्रेम की विह्वलता का भाव भरा हुआ है।

- (क) "बरब की भारी धन-धन डोलूँ" वद मित्यां नही कोय ।
 'मीरा' की प्रभु पीर मिट जब वैद सावलिमा होय ।"
- (ख) 'बाबुल वद मुताइया रे पकड दिसाई म्हाारी बाह ।
 मूरख वैद मरम नहीं जाने करक करेजे माह ॥

मीरा की मांति सहजोबाई और दयाबाई ने भी सन्त-काव्य की रचना की है। मीरा के पदों में निगुण ब्रह्म की उपासना के कुछ पद पाये जाते हैं, परन्तु मुख्य रूप से उसकी कविता सगुण भक्ति को लेकर चली है। इसके विपरीत सहजोबाई और दयाबाई की कविता निगुण ब्रह्म की उपासना की कविता है। ये दोनों महात्मा चरणदास की शिष्या थीं। वस्तुतः इन दोनों की कवयित्री न मानकर भक्ति न मानना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि इनकी रचनाओं में काव्य का अंश कम और सिद्धांत-प्रतिपादन का अंश अधिक है। केवल पद्य बढ़ होने से किसी भी रचना को काव्य मान लेना उचित नहीं।

भक्तिकाल में मुसलमान कवयित्री ताज ने कृष्ण भक्ति के कविता द्वारा अपने सरस हृदय का परिचय दिया है। कृष्ण के मनमोहक रूप का उन्होंने अत्यंत सुन्दर वर्णन किया है। उनका यह कविता अत्यंत प्रसिद्ध है—

"सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी,
 तेरे इस्म की बिकानी बदनामी भी सहेंगी मैं ।
 बंबपूजा ठानी, और निमाज हूँ भुलानी,
 तजे कलमा कुरानी सारे गुनन गहेंगी मैं ॥
 सांभला सलोना सिरताज सिर कल्लेदार,
 तेरे नेह वाघ में निदाघ हूँ दहेंगी मैं ।
 नद के कुमार कुरवान तापो सुरत प,
 हों तो भुगलानी, हिदबानी हूँ रहेंगी मैं ।"

ताज ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही काव्य रचना की है।

रीतिकाल में आलम की पत्नी शेख रगरेजिन ने भी अच्छी कविता लिखी। कहा जाता है कि शेख की प्रतिभा पर रीस कर ही आलम ब्राह्मण से मुसलमान बने थे। शेख की कविता परिमार्जित ब्रज भाषा में लिखी गई है। शख की प्रत्युत्पन्नमति व विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार बादशाह ने शेख से पूछा 'क्या आलम की पत्नी आप ही हैं?' शेख के पुत्र का नाम

जहान था। शेख ने तुरन्त उत्तर दिया—'हाँ जहापनाह जहान की माँ मैं ही हूँ।' बादशाह ने उसे सारे ससार की पत्नी कहकर धुटकी ली थी, उसने अपने भापको ससार की माँ बताकर उसका भरपूर बदला दे दिया।

हिन्दी में नीति की कुण्डलियाँ लिखने वाले प्रसिद्ध कवि गिरधर राय की पत्नी भी कवयित्री थी और उनकी कुण्डलियाँ गिरधर की कुण्डलियों को बँकर की ही हैं। गिरधर कविराय के नाम से जो कुण्डलियाँ प्रसिद्ध हैं, उनमें जे साईं को संबोधित करके लिखी गई कुण्डलियाँ गिरधर की पत्नी द्वारा रचित कही जाती हैं।

राजस्थान में बहुत-सी रानियों ने भी काव्य-रचना की थी। परन्तु यह काव्य-रचना सामान्य कोटि की है। इन कवयित्रियों में रसिक विहारी, प्रतापबु वर वाई जुगलप्रिया, चंद्रकलावाई इत्यादि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इसके बाद हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग प्रारम्भ होता है। मराठों दुर्गेश्वर ने स्त्री शिक्षा के लिए जोरदार आन्दोलन चलाया था। उसके फल-स्वरूप द्विवेदी युग में हमें साधारण कोटि की कवयित्रियों के दशन होत है। श्रीमती रघुवशकुमारी, श्रीमती बुन्देलबाला, श्रीमती कीरतिकुमारी, श्रीमती राजदेवी इत्यादि कवयित्रियों ने देश प्रेम तथा समाज सुधार सम्बन्धी अनेक कविताएँ लिखीं। इन कवयित्रियों में श्रीमती तारनदेवी 'लली' की रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हुईं। तारनदेवी जी की रचनाओं में वहाँ वहाँ रहस्यवादी भावना भी है।

श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिन्दी साहित्य में अपना विशेष स्थान बना लिया है। जा आदर और गौरव भक्तिवाली की कवयित्रियों में मीरा को प्राप्त है, वह आधुनिक युग की कवयित्रियाँ में श्रीमती महादेवी वर्मा का है। महादेवी की रचनाओं में वरुणा और विरह की बड़ी मधुर और सजल अभिव्यक्ति हुई है। उनका काव्य मुख्य रूप से पीडा का काव्य है

'विछाती थी सपना के जाल तुम्हारी वह करुणा की कोर।
गई वह अघरो की मुस्कान मुझे मधुमय पीडा में धार ॥'

×

×

×

'इन सलवाई पलकों पर पहरा था जब झीडा का।
साम्राज्य मुझे द डाला उस चितवन ने पीडा का।
उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते।
झाँसों के कोरा हुए हैं मोती बरसा कर रोते ॥'

उनकी रचनाओं में एक अद्भुत व्याकुलता विद्यमान है, जो रहस्यमयी

सत्ता की ओर सकत-सी कनी प्रतीत हाती है। महादेवी की कविताया मे मीरा की तरह अनुभूतिमा की प्रधानता नही। इनमे प्रधानता है कल्पना की। ये कल्पनाएँ कई जगह अत्यन्त मनोरम बन पडी है। महादेवी कवयित्री होने के साथ-साथ कुशल चिन्तार भी है और अपनी निजी भावनाया को उन्होने गीतो म व्यक्त किया है, उह तुलिका के राना मे भी अंकित कर दिया है।

महादेवी वमा के बाद श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान का नाम हिन्दी कवयिनिमा मे सबसे प्रमुख दिखाई पडता है। सुमद्राकुमारी ने वीरत्व और वात्सल्य की सुंदर कविताएँ हिन्दी को दी ह। उनकी 'भासी वाली रानी' और 'मेरा बचपन' कविताएँ अत्यन्त लोकप्रिय हुई हैं। 'भासी वाली रानी' कविता अत्यन्त ओजमयी रचना है। 'मेरा बचपन' कविता मे कवयित्री का वात्सल्यपूर्ण हृदय मुखर हो उठा है।

'वह भोलापन मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्ठाप।
 दया फिर आकर मिटा सकेगा, तू मेरे मन का सताप ?
 मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी।
 नदन बन सी फूल उठी वह छोटी-सी कुटिया मेरी।' (मेरा बचपन)

× × ×
 चमक उठी सन् सत्तावन मे वह तलवार पुरानी थी।
 बुंदेसे हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी।
 खूब लडी मर्दानी वह तो भासी वाली रानी थी॥

(भासी वाली रानी)

आधुनिक युग म पद्य का महत्त्व दिना दिन घटता जा रहा है और गद्य का महत्त्व बढ रहा है। आजकल अनेक लेखिकायें कहानियाँ, उपन्यास, निबन्ध इत्यादि लिखकर हिन्दी की महत्त्वपूर्ण सेवा कर रही हैं। महादेवी वर्माने कई निबन्ध लिखे हैं। 'श्रुतला की कडियाँ', 'अतीत के चलचित्रो' और 'पय के साथी नामो स उनके निबन्ध-संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। श्रीमती उपादेवी मिश्रा श्रीमती शिवरानीदेवी, श्रीमती कमलादेवी चौधरी, श्रीमती सानखिस्ता 'छाया अपनी सुंदर कहानियो के लिए हिन्दी जगत म प्रसिद्ध है। श्रीमती कचनलता सच्चरवाल के कई उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। समद की सदस्या श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल भी उच्च बोटि की लेखिका हैं। उनकी शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखिन पुस्तक का हिन्दी-जगत मे बहुत आदर हुआ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनेक विघ्न बाधाया और असुविधाया के होत हुए भी स्त्रियाँ यथाशक्ति साहित्य-संजन द्वारा हिन्दी की सेवा करती रही हैं। उनकी रचनाया स यह स्पष्ट है कि साहित्य-संजन की प्रतिभा एव क्षमता का उनम अभाव नही है। आजकल स्त्री शिक्षा का प्रचार दिना दिन बढ रहा

है और स्त्रियाँ जीवन के सभी क्षेत्रों में भागे आ रही हैं। साहित्य-सृजन के लिए जीवन के विविध रूपा के अवलोकन और निरीक्षण की आवश्यकता होती है। उसका अवसर अब महिलाओं को भी दसा ही मिल सकेगा जैसा अब तक पुरुषों का मिलता रहा है। यह आशा की जा सकती है कि निवृत्त भविष्य में हिन्दी साहित्य को स्त्री-कलाकारों की ओर से और भी उत्कृष्ट कोंटि की साहित्य कला-कृतियाँ प्राप्त होंगी जो न केवल स्त्री-साहित्यकारों के नाम को उज्ज्वल करेंगी बल्कि हिन्दी साहित्य की बहुमूल्य सम्पत्ति बनकर रहेगी।

१६

हिन्दी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव

जब दो देश या दो जातियाँ दीर्घ काल तक पारस्परिक सम्पर्क में बनी रहती हैं तो पारस्परिक प्रभाव भी अवश्यम्भावी हो जाता है। इस आधार पर कई सौ वर्षों तक निवृत्त सम्पर्क में बने रहने के कारण धर्म हिन्दी पर अंग्रेजी का प्रभाव पडा तो आश्चर्य ही क्या! अंग्रेजी भारत के शासकों की भाषा थी और हिन्दी मुलाम देश की भाषा। इसलिए भी अंग्रेजी का प्रभाव हिन्दी पर पडा। अंग्रेजी संबडा सातो की समृद्ध विद्वत् भाषा थी और हिन्दी को समृद्ध होना था, इसलिए हिन्दी ने अय प्रभावों को ग्रहण करने के साथ-साथ अंग्रेजी प्रभाव का भी ग्रहण करने में सवाच न किया और सचमुच हिन्दी साहित्य ने अंग्रेजी से काफी प्रभावित होकर अपना अयाधक विकास किया है।

यदि किसी भाषा का साहित्य अय भाषाओं के साहित्य में प्रभावित होता है तो यह कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम किसी समृद्ध भाषा के समृद्ध साहित्य से लाभ नहीं उठाते हैं और हम अपनी भाषा के साहित्य को सबर्धेष्ठ मानकर आत्म-सन्नुष्ट रहते हैं तो वह हमारी रूप मडकता ही होगी। आज के युग में कोई एक जाति, कोई प्रदेश या कोई राष्ट्र अपने-आप न पूण नहीं रह सकता। उसे दूसरों के सम्पर्क में आना ही पडता है। एक दूसरे की समृद्धि से प्रभावित होकर समृद्ध निधियों को अपनाना अनिवाय होता है। ये निधियाँ साहित्य और सस्कृति दोनों की हो सकती हैं। इसका अमिप्राय यह हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में एक साहित्य का दूसरे साहित्य पर प्रभाव स्वाभाविक और आवश्यक है। हम इसी रूप में हिन्दी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव को लेते - बात यह है कि किसी को नकल करना तो बुरा है किसी में मिल

बुरा है लेकिन किसी की श्रेष्ठ परम्पराओं, उन्नत विचारों का प्रपना सेना बुरा नहीं यदि अपनी मौलिकता नष्ट न हो।

पाश्चात्य साहित्य ने लगभग सौ वर्षों के हिन्दी साहित्य को प्रभावित किया है। यह प्रभाव अनेक रूपा में देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अंग्रेजी के श्रेष्ठ साहित्य का अनुवाद हिन्दी में भारत-भारत काल से ही होने लगा था। इससे एक बड़ा लाभ तो यह हुआ कि अंग्रेजी का श्रेष्ठ साहित्य हिन्दी में आया, जिससे हमारे हिन्दी साहित्यकार परिचित हुए और उन्हें भी वैसे ही उत्कृष्ट साहित्य लिखने की प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त उस साहित्य का अर्थ रूप में भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी के समृद्ध साहित्य में अनेक साहित्य विधाएँ विद्यमान हैं जो पहले हिन्दी में साहित्य में नहीं थी। लेकिन जैसे-जैसे हमारा साहित्यकार उन विधाओं से परिचित होता गया वैसे वैसे वह उन विधानों का ग्रहण भी करता गया। इस प्रकार हिन्दी साहित्य में अनेक साहित्य विधाओं का उदभव और विकास हुआ। जैसे हम यह कह सकते हैं कि कथा की प्रवृत्ति तो सस्कृत साहित्य में थी पर आधुनिक उपन्यास का स्वरूप सस्कृत साहित्य में नहीं मिलता है। इस साहित्य विधा पर अवश्य ही अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव है। प्रसिद्ध समालोचक श्री शिवदानसिंह चौहान के मतानुसार आधुनिक उपन्यास का विकास योरोप में हुआ, भारत में नहीं।

हमारे साहित्य पर जहाँ एक ओर पाश्चात्य साहित्य विधाओं का प्रभाव पड़ा है वहाँ पाश्चात्य विचारकों का भी प्रभाव काफी मात्रा में पड़ा है। हिन्दी साहित्य में भावसत्तावाद (साम्यवाद) का प्रभाव अंग्रेजी के माध्यम से ही आया। फ्रायड, एडलर और युंग जैसे मनोविदलेपकों का प्रभाव हिन्दी साहित्य पर काफी पड़ा है। टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, इब्सन, बर्नाड शा, टी० एस० इलिफ्ट डी० एच० लारेंस आदि का पर्याप्त प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा।

विधात्मक रूपों की दृष्टियों से हिन्दी नाटक पर विशेष रूप से अंग्रेजी नाटक साहित्य का प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव विशेष रूप से इन दो रूपों में पड़ा है (१) रोमांटिक नाटक का प्रभाव। इसके अंतर्गत विशेष रूप से शेक्सपियर और मोलियर का नाटक-साहित्य आता है। (२) अंग्रेजी के समस्या नाटकों का प्रभाव। इसके अंतर्गत इब्सन, शॉ, आस्कर वाइल्ड आदि के नाटक आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लक्ष्मीनारायण मिश्र पर अंग्रेजी प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा— 'नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मीनारायण जी योरोप से लाये हैं उमम काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है।' मिश्रजी ने पश्चिमी नाटककारों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए स्वयं कहा है— 'ऊपरी आकार प्रकार, भाषा सत्ताद-व्यंग्य आदि पर अवश्य ही थाड़ा प्रभाव इसन और उसके बाद के नाटककारों का मेरे नाटकों पर पड़ा है पर

भीतरी भावलोक उनका भारतीय है बालिदास और भास की परम्परा में ही।" मिश्रजी के नाटका पर मिफ प्रभाव है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। विशेष बात यह है कि उनके नाटकों के शिल्प-पक्ष पर ही प्रभाव पड़ा है, नाटका का भावलोक तो भारतीय ही है।

डॉ० रामचरण महेन्द्र के अनुसार हिन्दी एकाकी पर पाश्चात्य प्रभाव इस प्रकार पड़ा है—“इन्सन, डॉ, आदि पाश्चात्य एकाकीकारों का अनुकरण हमारे एकाकीकारों के लिए कई दृष्टियाँ से उपयोगी सिद्ध हुआ। इनके अनुकरण से उन्हें नए आदर मिले स्वामाबिकता और अभिनयशीलता की प्रवृत्ति जागृत हुई, किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्हें मनोवैज्ञानिक शैली प्राप्त हो गई तथा हिन्दी-एकाकियों में मानव-जीवन का आन्तरिक पक्ष सच्चाई से चित्रित होने लगा। एकाकी जीवन की सधी हुई भावी हो गया तथा उसकी व्यञ्जना इतनी स्पष्ट हो गई कि वह कुतूहल के साथ-ही-साथ स्वामाबिकता और जीवन की सच्चाई की ओर सबत भी कर सका। उसमें बर्णनात्मक तत्व की अपेक्षा अभिनयात्मक तत्व की प्रधानता होने लगी।”

भाचाय रामचन्द्र शुक्ल ने पत जी के नाटक 'ज्योत्स्ना' पर शैली के नाटक का प्रभाव बताते हुए लिखा है—“अंग्रेज कवि शैली के ढंग पर श्री सुमित्रानन्दन पत ने कवि-कल्पना को दृश्य रूप देने के लिए 'ज्योत्स्ना' नाम से एक रूपक लिखा है। 'शैली के नाटकों का नाम है 'Promethens Unbound' 'शैली के इस नाटक की तरह पतजी का नाटक भी प्रतीति नाटक है। इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य में स्वप्न नाटक 'अश्क' जी का छोटा बेटा, (गिनिकाव्य), श्री उदयशंकर मट्ट के 'मत्स्यगंधा' विद्वामित्र, राधा, (भावनाटय), श्री गोविन्द वल्लभ पन्त का अत पुर का छिद्र, (समस्या नाटक), श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिन्दूर की होली, सन्यासी आदि अनेक नाटय-रूप मिलते हैं और हमें इस बात को निस्सर्बोच रूप से स्वीकार करना चाहिये कि इन सभी नाटय रूपा पर किसी न किसी रूप में पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है।”

डॉ० नगेन्द्र के मतानुसार हिन्दी एकाकी के क्षेत्र में ये रूप मिलते हैं—
 १ सवाद या सम्भाषण रूप में। २ मोनोड्रामा, (एक पात्री नाटक)।
 ३ फ्रीचर। ४ फण्टेसी। ५ रेडियो प्ले। ६ भाकी। एकाकी के ये सभी रूप हिन्दी साहित्य में स्पष्टतः पाश्चात्य साहित्य से आये हैं। मोनोड्रामा का परिष्कृत रूप सठ गोविन्ददास के 'चतुष्पथ' में मिलता है जिसमें आकाश-मापित के चार प्रयोग हैं। रेडियो के विकास के साथ-साथ रेडियो नाटक ने भी पर्याप्त विकास किया है। श्री उपेन्द्रनाथ अश्क का ये बात की बात एक प्रहसन है और श्री सुमित्रानन्दन पन्त का 'छाया एकाकी', छाया नाटक। (Shadow Play) का सुन्दर नमूना है। 'अश्क' का 'अधी गली' एक नवीन

हिन्दी साहित्य पर पश्चात्य प्रभाव

१११

नागर के महाकाल' में देखने को मिला। इसके बाद हिन्दी-उपन्यास साहित्य में एक अग्र प्रवृत्ति आ गई जिसे आचलिकता कहा जाता है। श्री उदयशंकर मट्ट ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'सागर लहरें' और मनुष्य में बम्बई के समुद्र के किनारे रहने वाले मछुओं के जीवन का अंकन किया। फणीश्वरनाथ रेणु ने 'भला आचल और परती परिकथा' जिस सशक्त उपन्यासों में विशेष अंकन का चित्रांकन किया है। शलश मट्टियानी ने भी आचलिक उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास के इन रूपों पर पश्चात्य प्रभाव स्पष्टतः मिलता है।

आधुनिक हिन्दी आलोचना भी पश्चात्य प्रभाव से युक्त है। रीतिकालीन आलोचना पर तो सस्कृत का प्रभाव है पर आधुनिक आलोचना सस्कृत प्रभाव के साथ-साथ पश्चात्य प्रभाव को भी लेकर चली और चल रही है। हिन्दी से व्यावहारिक आलोचना का उदय ही पश्चात्य प्रभाव को लेकर हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पर सस्कृत का प्रभाव था, पर वे पश्चात्य आलोचना से भी प्रभावित हुए। उन्होंने 'कवि और कविता' नामक निबंध में मिल्टन के कवि आदर्श के आधार पर विवेचन किया है। आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना के विकास पर भी अंग्रेजी आलोचना का प्रभाव था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो पूर्णतः भारतीय आदर्श व सिद्धान्तों को लेकर चले किन्तु उनकी समीक्षा पर शिल्पगत प्रभाव तो पश्चात्य आलोचना का था। शुक्लजी ने अपनी आलोचना में अंग्रेजी के कई आलोचकों का उल्लेख यत्र-तत्र किया है और वह कई बार आई० ए० रिचर्ड्स से प्रभावित जान पड़ते हैं। डाक्टर श्यामसुंदर दास के साहित्यालोचन पर तो पूर्णतः पश्चात्य आलोचना का प्रभाव पड़ा है। लीलाधर गुप्त और ए० पी० खत्री ने पश्चात्य आलोचना का व्यापक परिचय प्रस्तुत किया है।

आज हिन्दी साहित्य में यह प्रवृत्ति मिलती है कि साहित्य की परख पश्चात्य आलोचना सिद्धान्तों के आधार पर की जाती है। नाटक उपन्यास व कहानी के तत्त्व पश्चात्य समीक्षा से लिए गए हैं। उनके आधार पर ही किसी विशेष वृत्ति की समीक्षा की जाती है। शोध के अभिव्यजनावान् प्ररम्भ के रचन सिद्धान्त आदि का विवेचन हिन्दी साहित्य में हुआ है। डॉ० नगेंद्र ने ता रस-सिद्धांत की परख अरस्तू के सिद्धान्त के आधार पर ही की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी की सिद्धांतिक व व्यावहारिक समीक्षा पर पश्चात्य समीक्षा का प्रभाव पड़ा है और काफी गह्रा अग्र पर है।

आलोचना की एक महत्वपूर्ण देन है प्रगतिवादी दृष्टिकान् का अंकन प्राप्ति अनुसार हिन्दी आलोचना समाजवादी दृष्टिकान् का अंकन प्राप्ति अनुसार साहित्य विशुद्ध कलात्मक अभिव्यक्ति मात्र थी है। उनका है समाज को बदलना। इस आलोचना पर अग्र काय प्राप्ति

है। श्री शिवदानसिंह चौहान और डॉ० रामविलास शर्मा ने इस दिशा में विशेष योगदान दिया है। मनोविश्लेषणात्मक आलोचना भी नयी आलोचना की देन है। यह व्यक्तिवादी आलोचना है। इस आलोचना में एकांगी दृष्टिकोण है और यह साहित्य की भाषा व्यापक आधारों पर नहीं कर सकती। इस आलोचना पर विरोध फॉयड का प्रभाव है पर एसडर व युंग का भी काफी प्रभाव है।

हिन्दी कविता भी पाश्चात्य साहित्य से बराबर प्रभावित रही है। अंग्रेजी कविताओं का हिन्दी अनुवाद भारतेन्दु काल से ही होने लगा था जो क्रम धारण तक जारी है। श्रीधर पाठक पर गाल्टस्मिय का विशेष प्रभाव है। भारतेन्दु युग में नए काव्य रूप शोक-गीति (Elegy) का प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी के सैनिट शोध लिरिक व अन्य काव्य-रूपों को भी हिन्दी काव्य में स्थान मिला। हिन्दी काव्य में बुद्धिवाद मानवतावाद राष्ट्रीयतावाद के उदय व विकास का बहुत कुछ श्रेय पाश्चात्य काव्य को है। द्विवेदी-युग की तीन विशेषताओं पर व प्रकृति चित्रण पर पाश्चात्य विचारधारा एवं अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। अवधारणा की ऐतिहासिक व्याख्या अलौकिक एवं कपोलकल्पित कथानकों का परित्याग, मनुष्य का मनुष्य के रूप में समुचित आदर स्त्री-स्वातंत्र्य सम्बन्धी आन्दोलन, जन-सेवा द्वारा ईश्वर-प्राप्ति की भावना एवं राष्ट्रीयवाद के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्वरूपों का उदय और विकास, प्रतिवतनवादी दृष्टिकोण और अंत में प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन आदि द्विवेदी-युगीन हिन्दी कविता को इन विशेषताओं की मूल प्रेरणा पाश्चात्य विचारधारा तथा अंग्रेजी साहित्य से ही मिला है।

अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म ही कुछ अर्थ प्रभावों और कारणों से प्रेरित होकर हिन्दी में छायावाद बनकर आया और अंग्रेजी का मिस्टिसिज्म ही हिन्दी में रहस्यवाद बन गया। अंग्रेजी काव्य का निराशावादी स्वर हिन्दी काव्य में भी सुनाई पड़ता रहा है। श्री सुमित्रानन्दन पन्त अपने काव्य पर पड़े हुए प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहते हैं— 'पल्लवकाल में मैं उन्नीसवीं शती के अंग्रेजी कवियों मुख्यतः शेली, बह सवथ, कीटस और टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ क्योंकि इन कवियों ने मुझे मशीनयुग का सौन्दर्य-बोध और मध्यवर्गीय सस्कृति का जीवन-स्वप्न दिया है।

डा० रवीन्द्र सहाय वर्मा का अभिमत है कि 'हिन्दी काव्य की शैली और रूप पर भी अंग्रेजी का इतना ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। काव्य की भाषा और शैली में अधिक अभिव्यञ्जना शक्ति लाने का प्रयास किया गया है। प्राचीन काव्य रूपों में परिवर्तन होने के साथ-साथ अंग्रेजी के नये काव्य-रूपों को भी अपनाया गया है। महाकाव्य और गीति-काव्य दोनों अंग्रेजी काव्य के

हिन्दी कविता की नवीनतम प्रवृत्तियाँ

प्रभाव के परिणाम स्वरूप श्रान्तिकारी परिवर्तन किए गए हैं। इसके प्रतिश्वित अंग्रेजी के सम्बन्धन गीत (Odes) सानेट और शोक गीत (Elegy) पर भी हिन्दी कवियों ने प्रयोग किये हैं। छन्द विधान में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं और अतुकात एवं मुक्त छन्दों का प्रयोग अबाध रूप से होने लगा है।

छायावादी कविता के बाद हिन्दी में प्रगतिवादी कविता का उदय हुआ जो स्पष्टतः काल माक्स के साम्यवादी प्रभाव को लेकर हुआ। इसके बाद प्रयोगवादी कविता आयी। प्रयोगवादी कवियों का नेतृत्व श्री अर्जुन ने किया। अर्जुन व अन्य प्रयोगवादी कवि कई आधुनिक अंग्रेज कवियों से प्रभावित रहे हैं। उन पर विशेषतया टी० एस० इलियट, डी० एच० लार्स का श्रोडन व स्पेण्डर का प्रभाव है। जहाँ तक विचारधारा का सम्बन्ध है, वे माक्सवाद और मनो विरलेपणवाद से प्रभावित हुए हैं। अर्जुन और गिरिजा-कुमार मायूर की कविता में अंग्रेजी कविता की भाँति श्री घाट एसीसिएशन और स्वप्न पद्धति का प्रयोग मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधायों पर पार्श्वालय साहित्य का प्रभाव कई रूपों में पड़ा है। यह प्रभाव है अनुकरण नहीं। अतः कोई त्याज्य नहीं है। पार्श्वालय प्रभाव को ग्रहण करके हिन्दी साहित्य बराबर बढ़ता रहा है और उसमें मौलिक सृजन भी हुआ है। आज तो यह प्रभाव कहीं अधिक वृद्धि पर दृष्टिगोचर होने लगा है।

२० | हिन्दी कविता की नवीनतम प्रवृत्तियाँ

काल के प्रवाह के साथ-साथ हिन्दी कविता भी अपना रूप बदलती रही है। वीरगाथाकाल में रणभेरी का निताद डिंगल भाषा में सुनाई पड़ता था, भक्तिकाल में राम और कृष्ण की सगुण भक्ति तथा निगुणियों की ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी उपासना के स्वर ब्रज और अवधि भाषा में सुनाई पड़े, ऐतिहासिक काल में प्रविष्ट होकर सड़ी बोलों में देसोदार और समाज-मुषार आधुनिक काल में प्रविष्ट होकर सड़ी बोलों में देसोदार और समाज-मुषार के गीत गाए। आधुनिक काल में भावर हिन्दी कविता का रूप इससे पूर्व की कविता की अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न हो गया है।

आधुनिक युग का प्रारम्भ भारतेंदु हरिश्चन्द्र से हुआ है। भारतेंदु ने

समय हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण प्राप्ति हो रही थी। पुरानी रूढ़िवादी बंधन प्रायः समाज और ब्रह्मसमाज की छोटी-छोटी कारण-एक-एक करके टूट रहे थे। प्रजेजी के सम्पर्क में आने के बाद हमारे देश में शिक्षित वर्ग की भी प्रगतिशील धारणा थी और लोग नवीन शिक्षा के प्रकाश में प्राचीन अंधविश्वासों और कुुरीतियों को हटाने के लिए बमर बत कर जुट गए थे। इस दिशा में बंगाल में राजा राममोहनराय ने और उत्तर-पश्चिमी भारत में महर्षि दामोदर सरस्वती ने अत्यन्त उपयोगी काम किया। साहित्य के क्षेत्र में यही काम भारतेन्दु ने किया।

भारतेन्दु काल में हिन्दी कविता में समाज-सुधार की भावना ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। सामाजिक कुुरीतियों के विरुद्ध तीव्र विद्रोह का स्वर हमें भारतेन्दु युग में सुनाई देता है। स्वयं भारतेन्दु तथा उनके सहयोगी मंडल के अन्य सभी लेखक बड़े जिन्दादिल लोग थे। यद्यपि उस समय खड़ी बोली का बहुत परिष्कृत और व्याकरणसम्मत रूप तैयार नहीं हो पाया था, फिर भी उनकी भाषा भावामिष्यवित में अत्यन्त समय है।

भारतेन्दु युग में काव्य-सर्जन खड़ी बोली में होने लगा था, परन्तु अभी प्रधानता ब्रज भाषा ही की थी। परन्तु भारतेन्दु के पश्चात् द्विवेदी युग में काव्य में पूर्ण रूप से ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया था। इसी प्रकार यद्य की अपेक्षा गद्य का महत्व अधिक होता जा रहा था और गद्य के लिए ब्रज भाषा वैसे ही अत्यन्त अनुपयुक्त थी।

भारतेन्दु युग के बाद द्विवेदी युग प्रारम्भ हुआ। द्विवेदी युग में समाज-सुधार और देश प्रेम की भावना ने और भी अधिक जोर पकड़ा। कविता का उपयोग प्रचार और उपदेश के लिए अधिक होने लगा। इस काल में मयिली-धारण गुप्त ने 'भारत-भारती', 'जयद्रथ वध' इत्यादि इतिवृत्तात्मक काव्य ग्रन्थों की रचना की। दूसरी ओर अयोध्यासिंह उपार्ज्याय हरिऔध ने 'प्रिय प्रवास' और 'वैदेही वनवास' जैसे रचनाएँ लिखीं।

द्विवेदी युग में यद्यपि हिन्दी कविता में भाषा का परिष्कार हुआ व्याकरण के नियमों का भी पालन किया जाने लगा, किन्तु इस काल की कविता में शुष्कता और उपदेशात्मकता बहुत बढ़ गई थी। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया के रूप में प्रसाद युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता सूक्ष्म का स्थूल के विरुद्ध विद्रोह कहा जा सकता है। इस काल के कवियों ने भाषा छन्द और भाव सभी दृष्टियों से पुरानी परम्पराओं का परि-त्याग कर दिया। द्विवेदी युग की भाषा यदि शुष्क नोरस और व्याकरण सम्मत थी तो इन नये कवियों ने जिन्हें छायावादी कवि कहा जाता है बगला। इस प्रेरणा लेकर हिन्दी में बोमल-कान्त पदावली का प्रयोग प्रारम्भ

हिन्दी कविता की नवीनतम प्रवृत्तियाँ

११५

किया। इससे भाषा में पर्याप्त सरस्ता आ गई।

छायावादियों ने व्याकरण की भाँति छन्द के बन्धन को भी तोड़ डाला। भारतेन्दु युग में कवित्त, सर्वयो, दोहो तथा हिन्दी के ग्रन्थ मात्रिक छन्दों में कविता होती थी। द्विवेदी युग में संस्कृत के वणवृत्तो और हिन्दी के मात्रिक छन्दों में कविता होती रही। परन्तु इन सभी में छन्द का काफी बन्धन रहता था। छायावादी कवियों में से कुछ ने, जिनमें सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' प्रमुख थे, केवल अनुकान्त छन्दों की रचना प्रारम्भ की अपितु इस प्रकार के मुक्त छन्दों का भी आविष्कार किया, जिनमें मात्रा, यति और गति का कोई बन्धन न था। केवल लय ही इस प्रकार के छन्द की प्राण थी और केवल कवि ही अपने ढंग से गाकर सुना सकता था।

भावों के क्षेत्र में भी छायावादी कवियों ने क्रांति की। रवि बाबू की गोताजलि तथा अन्य रहस्यवादी रचनाओं से प्रभावित होकर इन्होंने हिन्दी में विषयी प्रधान भुवत्क काव्य-रचना प्रारम्भ की। इन कविताओं में कवि अपनी सुख-दुःख की भावनाओं और मनोरम कल्पनाओं का चित्रण करता है। कई बार इन छायावादी कवियों की भावनाएँ और कल्पनाएँ इतनी सूक्ष्म होती हैं उन्हें सामान्य भाषा में प्रकट नहीं कर पाते इसलिए वह प्रतीक शैली का सहारा लेते हैं। प्रतीक-शैली का प्रयोग हिन्दी में नवीन नहीं है। कबीर इत्यादि सत कवियों ने भी प्रतीकों के प्रयोग किये हैं, किन्तु छायावादी कवियों ने नये-नये प्रतीक चुने हैं। अनेक बार इनके प्रतीक दूर की कौड़ी बन जाते हैं और उनकी रचना का अर्थ बिना किसी प्रतिमाशाली टीकाकार की सहायता के समझ में आ पाना असम्भव होता है।

छायावादी कवियों ने हिन्दी कविता को जो एक और नई वस्तु प्रदान की, वह थी—अमूर्त उपमाना का प्रयोग। छायावादी कवियों से पहले तक केवल मूर्त उपमानों का ही प्रयोग होता रहा था क्योंकि साहित्य शास्त्र का यह नियम था कि उपमान लोक प्रसिद्ध होना चाहिए जिनके काव्य में पर्याप्त सौन्दर्य-वृद्धि प्रतीक गुण सहृदय पाठक के मन में चित्रित-सा हो उठें। छायावादी कवियों ने अमूर्त उपमानों का प्रयोग किया, जिससे उनके काव्य में पर्याप्त सौन्दर्य-वृद्धि हुई। किन्तु इस सौन्दर्य का आनन्द अत्यन्त उच्च शिक्षित वास्तविक लोग उठा सकते थे, जो पहले उन अमूर्त उपमानों की मूर्ति अपने मन में कल्पित करते और उस मूर्ति के सौन्दर्य द्वारा उपमेय के सौन्दर्य का विम्ब ग्रहण करने में समय थे। उदाहरण के लिए प्रसाद जी ने 'विस्मय अलकें ज्या तक-जात' लिखकर बिस्मरी हुईं भलवों की उपमा अमूर्त तब-जाल से दी। अब सामान्य कौटिक के पाठक के लिए इस उपमा का आनन्द उठा पाना कठिन है। प्राचीन कवि वाले बालों की उपमा बादलों से या भग्ने से दे देते थे। उसमें सहृदय

पाठ्य को मस्तिष्क का ध्यायाम नहीं करना पड़ता था। केवल उपमान को सुनते या पढ़ते ही उपमेय का चित्र ग्रहण हो जाता था। अमृत उपमाना के कारण छायावादी कविता जन-साधारण के लिए दुर्बोध्य हो गई और कही-वही इसके फलस्वरूप कविता का रस ले पाना विज्ञ सहृदयो के भी बस की बात न रही।

छायावादी काव्य की एक विशेषता यह थी कि यह सारी कविता दुःख, रुदन और पीड़ा से भरी हुई थी, आंसुओं से तर थी। भालोचको ने इसे पलायनवादी कविता भी इसी कारण कहा है। इसका यथाय से सम्बन्ध नहीं के बराबर था। जिस समय देश स्वाधीनता संग्राम में जुझ रहा था उस समय छायावादी कवि आहें भर रहे थे और आंसुओं की धाराएँ बहा रहे थे। छायावादी रचनाओं में कल्पनाओं को उठान तो बहुत ऊँची थी परन्तु उसका सत्य जगत से सम्बन्ध नहीं था। इसलिए बहुत शीघ्र छायावादी कविता अपना आवरण खो बैठी।

छायावादी कविया में केवल प्रसाद और पत ने ही एक एक प्रबंध काव्य लिखा—'कामायनी' और 'लोकायतन'। अन्य सभी कवियों ने निर्बाध रूप से मुक्तक काव्य ही रचे।

छायावादी युग में भी अत्यन्त बहुत से कवि छायावाद से भिन्न रचना कर रहे थे। इन कवियों ने छायावाद के फलस्वरूप हिन्दी में ललित-मधुर भाषा का ता सद्बुपयोग किया, किन्तु छन्दों और भावों के सम्बन्ध में वे स्वतन्त्र ही रहे। मथिलीशरण गुप्त का साकेत और यशोधरा इसी प्रकार की रचनाएँ हैं जिनमें छायावादी भाषा का सा परिष्कार तो है, किन्तु भावों की अस्पष्टता नहीं है। श्यामनारायण पाण्डेय की हल्दी घाटी भी इसी काल की उत्कृष्ट काव्य रचना है जो भावों की दृष्टि से छायावाद से प्रभावित नहीं है।

छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति-वर्णन को प्रधानता दी। इन्होंने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया। प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप करने से प्रकृति-वर्णन अधिक सुन्दर और सजीव हो सक्ता है जसा जायसी के पद्यावत में हुआ है। किन्तु छायावादी कवि अनुभूति प्रधान कवि थे निरीक्षण प्रधान नहीं। इसीलिए उनके प्रकृति वर्णनों में प्रकृति की मनोरम छटा दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि प्रकृति को सम्बोधित करके उनकी अपनी भावनाओं का अन्वय लगा दिखाई पड़ता है।

वर्तमान युग के कुछ कवियों ने अपनी रहस्यवादी रचनाओं में आध्यात्मिक प्रेम की व्यञ्जना का दावा किया है। ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी कवियों ने भी आध्यात्मिक प्रेम की कविताएँ लिखी हैं। किन्तु उन कवियों का जीवन उनकी

हिंदी कविता की नवीनतम प्रवृत्तियाँ

११७

रचनाओं में वर्णित भावनाओं के अनुरूप ही साधनामय या जबकि हमें प्राधु-
निक रहस्यवादी कवियों में उस साधना का नितात अभाव दिखाई पड़ता है।
इसलिए कई बार यह सदेह होता है कि इनके ये आध्यात्मिक प्रेम के वर्णन
केवल कल्पना की उड़ानें हैं। फिर भी वही-कही ये कलना की उड़ानें भी
सुन्दर बन पड़ी हैं।

प्रसाद युग की समाप्ति पर कुछ समय तक बच्चन ने अपनी मस्ती भरी
कविताओं द्वारा हिन्दी पाठकों को सम्मोहित-सा किये रखा। बच्चन की
कविताएँ तीव्र अनुभूति से भरी हुई थी। उनकी भाषा स्फटिक की भाँति स्वच्छ
और सरल थी। उनका अर्थ सुनने के साथ ही स्पष्ट हो जाता था और पाठक
के हृदय को आच्छन्न कर लेता था। बच्चन की रचनाओं पर 'उमर खैय्याम'
का गहरा प्रभाव था। कुछ आलोचकों ने 'बच्चन' की रचनाओं को 'हालावाद'
का नाम दिया है और लिखा है कि 'उमर-खैय्याम' की तरह बच्चन भी हाला,
य. रा और नघुवाला के गीतों में मस्त रहे।

छायावाद की प्रतिक्रिया अत्यन्त तीव्र हुई। जनता ऐसा साहित्य चाहती
थी कि उनके जीवन की समस्याओं से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो। इस माँग की
पूर्ति के लिए प्रगतिवादी चेतना सामने आयी। प्रगतिवाद जीवन की कठोर
समस्याओं को उनके नग्न रूप में चित्रित करने का ध्येय लेकर चलता है।
प्रगतिवाद न केवल छायावाद की प्रतिक्रिया है, अपितु यह समस्त प्राचीन
रूढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह है। अतः जो कुछ राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में
समाजवाद है वही साहित्य में आकर प्रगतिवाद बन गया है।

प्रगतिवादी रचनाओं की विशेषता यह है कि वे जन-साधारण के लिए
लिखी जाती हैं। प्रगतिवाद से पूर्व साहित्य सामन्ती परम्पराओं में पले शोषक
वर्ग के मनोरंजन का साधनमान रहा है। प्रगतिवादी साहित्य जनता का
साहित्य है। इसलिए वह जनता की सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया
ह मले ही उसमें परिष्कार और परिभाजन कम हो। इस साहित्य में जनता
के वास्तविक जीवन का चित्रण हुआ है मले ही वह कितना ही बुद्धित और
रूप बना न हो। छायावादी कवि दुःख और दैन्य के मध्य रहता हुआ भी
दुःख और मौन्द्य के स्वप्न देखा करता था किन्तु प्रगतिवादी वास्तविक जगत
के दुःख और दैन्य को ही स्पष्ट रूप में अंकित करता है, यह यथार्थवादी है।
छायावादी कवि 'कला को कला के लिए मानते थे प्रगतिवादी लेखक
कला को जीवन के लिए मानता है। किन्तु आजकल अनेक प्रगतिवादी लेखक
ऐसे हैं जो कृपको और अर्थिकों के जीवन से बिना घनिष्ठ सम्पर्क में आए ही
उस जीवन के बड़े दुःख और दद भरे चित्र प्रस्तुत करते हैं। इनमें से अधि-
कास चित्र लेखक ने अपने ऐश्वर्य से भरे घर में बैठकर अंकित किये होते हैं।

ऐसे प्रगतिवादी साहित्य में यथाय का नाम भी नहीं होता। इसलिए वह पाठको को रसमग्न नहीं कर पाता।

कविता में छन्दों के सम्बन्ध में प्रगतिवादी कवि, छायावाद से भी एक कदम आगे हैं। छायावादी कवि मात्रा, यति, गति के बन्धन को तोड़कर भी लय का तो ध्यान रखते थे, परन्तु प्रगतिवादी कवि मानते हैं कि इस एक बन्धन को रखने की भी क्या आवश्यकता है? प्रगतिवाद के कारण कविता का बलापक्ष बहुत विकृत हो गया है। प्रगतिवादी लेखकों में काव्य-साधना का अभाव है। वे केवल प्रतिभा के बल पर उठना चाहते हैं।

आधुनिक काल में आकर प्राचीन मूलकारों का प्रयोग बहुत कम हो चला है। इसका कारण अशत यह है कि आधुनिक लेखक प्राचीन काव्य ग्रन्थों और रीति ग्रन्थों का अवगाहन किये बिना ही काव्य रचना प्रारम्भ कर देते हैं। साथ ही अशत यह कारण भी कहा जा सकता है, कि हमारा आधुनिक साहित्य पश्चिमी साहित्य से अधिक प्रभावित हो रहा है और अपने प्राचीन साहित्य से कम।

बिना पर्याप्त अध्ययन और काव्य-साधना के काव्य-रचना प्रारम्भ करने का दुष्परिणाम यह होता है कि भाषा में ध्याकरण की त्रुटियाँ पर्याप्त रहती हैं यहाँ तक कि विराम चिह्नों तक का प्रयोग समुचित नहीं होता। आजकल हिन्दी कविता के क्षेत्र में एक से एक नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। इस प्रकार की कविताओं को प्रयोगवादी कविता कहा जाता है। इनमें से बहुत सी तो विदेशी साहित्य का अनुकरण भर होती हैं।

हिन्दी कविता को यदि सुषय पर लगाना अभीष्ट है तो उसके लिए नई पीढ़ी के लेखकों से हमारा अनुरोध है कि वे कुछ भी काव्य रचना करने से पूर्व पुराने साहित्य-ग्रन्थों का भली भाँति अध्ययन करें, और उसके उपरान्त चाहे जैसे नये-नये प्रयोग करें। उसी दशा में उनके नवीन प्रयोग साहित्य के लिए मूल्यवान् सिद्ध होंगे।

एक लाकोक्ति है कि 'जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फसल की कुशलता की कोई भाशा रोप नहीं रह जाती।' ठीक यही दशा थी हमारी सामाजिक व्यवस्था की, जब कबीर जनसाधारण के सामने आए। जो सिद्धांत और

नियम धम के रसाय बने थे वही भ्रव उसके ध्वंस का कारण बन रहे थे। धम की आत्मा कमी भी जाने कहीं प्रस्थान कर चुकी थी। किन्तु समाज उसकी व्यवस्था तथा मान्यताओं को ठीक उसी प्रकार कलेजे से चिपकाए था जिस प्रकार ममता की मारी गाय अपने मूत बछड़े की खाल को भी चाटती रहती है। 'निबल के बल राम' का भ्रव धनिको और पाखण्डियों के बल के रूप में प्रयोग हो रहा था। बलेश-युवत था मानव। वह मटक रहा था अपनी उसकी पीड़ा को। ऐसे समय में कबीर सामने आए। कबीर ने अनुभव किया मानव भी पीड़ा को। उसके दुखों को स्वयं अनुभव करके कबीर उसका निदान खोजने की चिन्ता में ही जाग और रोए जबकि ससार मुख में मस्त खाता और साता था। समाज की फसल के इस कुशल रखवाले कबीर ने पानी दष्टि से तत्कालीन अव्यवस्था को देखकर धोपणा कर दी कि यह बाढ़ अब खेत को खाने लगी है भ्रत इसे उखाड़ कर फेंक दो। इस प्रकार आरम्भ में ही एक प्रश्न उठता है कि-कबीर क्रान्तिकारी रूप में ससार के सामने क्यों आए ?

जहाँ तक कबीर की व्यक्तित्व परिस्थितियों का प्रश्न है, चाहे उनका जन्म के विषय में विषवा ब्राह्मणी के गम से उत्पन्न होने और जुलाहा दम्पती द्वारा पाले जाने वाली क्या सत्य हो अथवा यह सत्य हो कि वह भ्रष्ट हिन्दू और भ्रष्ट मुसलमानों की बनी जुगी जाति में उत्पन्न हुए किन्तु इतना निश्चय दोनों ही घटनाएँ करती हैं कि उन्हें अपने जन्म के विषय में समाज से घृणा, तिरस्कार, अपमान व भ्रवहेलना ही मिली। इन सबने मिलकर तत्कालीन समाज के प्रति घृणा विद्रोह की भावना को कबीर के हृदय में गहराई से जमा देने में सहारा दिया। कबीर की शिराओं में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जातियाँ का रक्त प्रवाहित हो रहा था। उन्हें उमय सस्कार प्राप्त थे। वे दोनो जातियों की दुबलताओं को जानते थे। भ्रत जब दोनो ही जातियों ने उन्हें ठुकराया तो कबीर मला चुप कैसे रहते। दोनो को ही कुछ ऐसे जोरदार शब्दों में फटकारा मानो कबीर स्वयं इन दोनो से ऊँचे घरातल पर सडे हो

"हिन्दुन की हिन्दुभाई बेसी तुरकन की तुर्काई।"
 "भरे इन बोजन राह न पाई।"

"जो तू तुरकीन जाया। तो भीतर लतना क्यों न कराया।"

"जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया। तो भ्रान बाट से क्यों नहीं भ्राया।"

कबीर जानते थे समाज से बहिष्कृत व्यक्ति की पीड़ा को। कितनी ही बार समाज के द्वारा ठुकराये जाने के कारण वह इस पीड़ा को गहराई स्वयं अनुभव कर चुके थे। भ्रत इन्होंने साफ कहा कि मानव जाति ही ससार में

मनुष्या के लिए एकमात्र जाति है। केवल ईश्वर ही हमें इस जाति से बहिष्कृत कर सकता है। वह मनुष्यों को मनुष्य ही मानते थे। इससे कम बढ़ कुछ नहीं। यही कारण था कि उनका भुकाव अधिक अद्भुत की ओर था। बिल्कुल क्या कबीर की केवल व्यक्तिगत परिस्थितियाँ ही उनके श्रातिकारी बनने के लिए उत्तरदायी हैं ?

वास्तव में बात ऐसी नहीं है। कबीर ने जब मनुष्य मनुष्य को एक ही माना तो सभी की पीड़ा उनके लिए अपनी पीड़ा बन गई और वह उसका निदान करने में लग गये। समाज में त्राहि-त्राहि मची थी। रीतियाँ जीवन के लिए विवास और रक्षक होती हैं, अब समय वह था जब जीवन का बलिदान रीतियाँ के लिए हो रहा था। कबीर ने देखा कि सदाचार केवल कल्पना का विषय रह गया था। धर्म पुस्तकों का मनमाना अर्थ निकलकर साधारण वग को बहकाया जा रहा था। भगवान का शासन सूत्र ब्राह्मणों और मुल्लाओं के हाथों में था। अतः वे उसे जिस ओर चाहे मोड़ सकते थे। पण्डित और मुल्ला अपने-अपने धर्म के बाह्याडम्बरों के आधार पर लोगों को अपने बस में किए हुए थे। ब्राह्मणत्व के मद्दे में मत्त ब्राह्मण और राजसत्ता के नशे में मदहोश मुल्ला साधारण वग को कुचलन में लगा था। कबीर ने यह सब देखा। जन जन की पीड़ा का अनुभव किया। यही था कबीर के जीवन का वह अध्याय जिसके विषय में कबीर स्वयं ही कह उठे—

‘ दुखिया दास कबीर है जाग अरु रोव । ’

पर रो धोकर ही चुप रह जाने वाले कबीर न थे। उन्होंने इसका उपाय सोचा। कबीर जानते थे कि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की नई व्यवस्था को लागू करना और झुंझट फलाने के अतिरिक्त कुछ न होगा। अतः उन्होंने सहज मानव धर्म के मंदिर के निर्माणार्थ इस भांड भग्नाड को साफ करने का निश्चय किया।

मुल्लाओं और पण्डितों में आचरण हीनता थी। कबीर ने शेर का उसकी माद में पछाड़ा—आचरण पर बल दिया। इस बहाने पण्डितों और मुल्लाओं को वह फटकार दी कि उनसे उत्तर न बन पड़ा बेचारे तिलमिलाकर रह गये। कबीर के व्यंग्य इतने तक्ष्ण और सबल होते थे कि उत्तर देना सम्भव ही न हो पाता होगा। कबीर ने जनसाधारण को उसकी भेद चाल के लिए फटकारा। अधानुकरण कबीर को असह्य था। उन्होंने किसी को धर्म पुस्तकों का मनमाना अर्थ निकालने का अवसर ही नहीं दिया। साफ कह दिया कि पुस्तकों में पान नहीं जान तो अनुभव का विषय है। जीवन पुस्तकों में अनुभवों के अध्यायों को उन्होंने स्वयं पढ़ा और दूसरों को भी उसी ओर जाने का निर्देश

पोधि पढ़ि पंि जग मुझा पड़ित भया न कोय ।
 ढाईं आखर प्रेम का, पड सा पड़ित होय ।'

कबीर ने उस समय के तथाकथित धर्मों के मूल आधारों पर चोट की। उन्होंने देखा कि हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा नींव का पत्थर है— वण-व्यवस्था। यह व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन थी तथा समाज को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न वण दे दिए गए थे। समाज को एक जीवित मनुष्य का ढांचा मानकर यह व्यवस्था बनाई गई थी। किंतु कालान्तर में यह सब वण कम से नहीं माने जान लगे। क्योंकि ब्राह्मण समाज के मुख्य थे अतः जो उन्होंने कह दिया वह मान लिया गया और उस प्रकार दशा विगड चली।

कबीर एक अनुभव की डाक्टर बनकर समाज के रोगी को देखने आए किन्तु उन्होंने बड़ी विचित्र अवस्था पाई। उन्होंने देखा कि एक नहीं सभी भ्रम इस शरीर के निस्पन्द हो गए हैं। पर (शूद्र) वाट भी डाले जाएँ ता मुख (ब्राह्मण) से उफ तक नहीं निकलती। न भुजा आदि ही उसकी रक्षाथ आगे बढ़त है। लिनी भी भ्रम की कुछ दशा ही दूसरे भ्रम निश्चिष्ट हैं। ऐसी स्थिति देखकर कबीर नामक समाज के नये डाक्टर न इस समाज रूपी पुरुष के मृत्यु होने की घोषणा कर दी और स्वयं ही दाह कम की भी तैयारी शारम्भ कर दी।

हिन्दू धर्म की नींव का एक और पत्थर था आश्रम-व्यवस्था। किन्तु कबीर ने देखा कि यह व्यवस्था भी कुछ कम बाधक नहीं है मनुष्यता के मार्ग में। जीवन के पचास वर्ष भ्रममय रहकर समाज के ऊपर भार बनकर रहना कबीर का दृष्टि में नहीं जचा। कबीर के अनुसार तो जीवन भर कमरत रहना चाहिए। जीवन कम करने के लिए बना है। अतः इसका क्षण मात्र भी व्यर्थ खोने के लिए नहीं है। कबीर ने समाजियों के गैरिक वस्त्रों को भी धाड़म्बर में ही स्थान दिया—

मन न रगाये रगाये जोगी कपरा
 कपरा रगाये जोगी जटवा बड़ौले ।'

इस प्रकार उन्होंने आश्रम व्यवस्था को भी व्यर्थ मानकर उनका स्पष्ट विरोध किया।

हिन्दू धर्म में ईश्वर प्राप्ति की साधना के अंग में व्रत उपयाम मूर्ति पूजा आदि का महत्त्व था। य मायताएँ जीवन के भादश को लक्ष्य मानकर आदि साधन रूप में बनाई गई थी। किंतु बाद में लोग इसके सही प्रयोग को

भूल बैठे और लक्ष्य भ्रष्ट होकर इन्हीं को अपना लक्ष्य मानकर चलने लगे। कबीर ने एक ओर तो देखा लक्ष्य से मटके हुए लोगों का यह घोया कमकाष्ठ और दूसरी ओर देखा शाक्तों के विभिन्न प्रकार के बाह्याङ्गमयों और वामाचारों का। एक ओर प्रतिमा-पूजक घण्टी की टन-टन तथा कीतन की भाँक म मस्त होकर अपने लक्ष्य को भुला बैठे थे तो दूसरी ओर मदिरा पी-पीकर मतवाले हुए शाक्त वग धम की भाँड में वामाचार और दुराचार में ही जीवन के आदर्श की मिट्टि का दशन कर रहे थे। कबीर ने ऐसे मतवालों को अपने तीव्र व्यंग्य की ठाकर मारकर जगाने का व्रत लिया। उन्होंने अपने पदों और साहित्यों द्वारा इन व्रत-उपवास, भूति पूजा आदि के खोखलेपन को स्पष्ट किया।

कबीर ने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा। कुरान, रोजा नमाज आदि का जी खोलकर विरोध किया। उन्होंने देखा ऐसा लोगा की बड़ी सख्या को जो कोई कुछम करके भी रोजा, न ताज आदि के निवाह के पश्चात स्वयं को इस्लाम की छत्र-छाया में सुरक्षित समझते थे। कबीर यह सत्र सहन न कर सके और मुसलमान समाज को जी भर कर बुरा-भला कहने के अतिरिक्त उनके पास चारा ही क्या था।

इस प्रकार हम देखत हैं कि कबीर न समाज अथवा धम की किसी भी व्यवस्था को वैसा नहीं रहने दिया जैसे कि वह चली आ रही थी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विप्लव की एक लहर दौड़ा दी। समाज की प्रत्येक पुरानी व्यवस्था को तोड़ा और उस समाप्त करने का अनवरत प्रयत्न किया। किन्तु यह सब किस लिए? क्या वह कोई अपनी ओर ही से नई योजना लेकर आए थे। नहीं ऐसा तो नहीं पाते कि कबीर ने अपनी कोई नई धम-व्यवस्था दी हो तो फिर क्या कबीर केवल तत्कालीन समाज और धर्म के नष्ट करने के विचार से आगे बढ़े थे? ऐसा भी नहीं है। उनके द्वारा किए गए विनाश में निर्माण की भलक स्पष्ट मिल रही थी। निर्माण हुआ भी, किन्तु किसी पन्ध विशेष अथवा धम विशेष रूप में कोई नया ढांचा नहीं बनाया गया। कबीर धम बनाने के पक्ष में भी नहीं थे। उनका कहना था कि धम ईश्वर प्रदत्त है। धम को किसी से सीखने जाने की आवश्यकता नहीं। सहज कम ही, जो हम मनुष्य होने के नाते करते हैं सबसे बड़ा धम है। कबीर ने बताया कि मनुष्य ही एकमात्र जीवन का साध्य विषय है। अतः हमारा प्रत्येक काम, हमारी हर व्यक्तिगत साधना उस उच्चतम जीवन के साधनस्वरूप होनी चाहिए। कबीर ने कुछ नई बात नहीं कही अपितु सहज धम पर वेद पुराण आदि का जो आवरण पड़ गया था उसे हटाकर मानव मात्र को उस सहज धम के दशन भर कराने हैं। यही उनकी सफलता का चरम सार और रहस्य है।

जायसी की काव्य साधना

जब ईश्वर के दरबार में भावुकता, कल्पना और कवित्व बट रहे थे तब ही रूप-सौन्दर्य से तिरस्कृत कवि ने हाथ बढा दिया, उसका भ्रूल ऊपर तक भर गया कल्पना के रत्नों, भावुकता ने मोतियों और कवित्व के माणिक्या से। वह कवि या कौन ? वह था एक सरवन एक भ्रांति' तज देने वाला जायसी।

जायसी मुसलमान होकर भी हिन्दी के कवि ही नहीं महाकवि हैं। उनकी प्रतिभा देकर हम आश्चर्यान्वित होना पड़ता है। यों तो समय-समय पर अनेक मुसलमान कवियों ने भारतीय काव्य संगीत की स्वर साधना की है किन्तु इतना ऊँचा, सुरीला, मधुर और मोहक कण्ठ किसी भय को नहीं मिला।

जायसी कुशल प्रबन्धकार थे। विरह ही सूफी कवियों की साधना है और कथा ही उनकी शैली है। कथा में भी विशेष रूप से प्रेम कथा और वह भी एक सघन-सकटो वाली कथा ही घपनाते हैं जो भाष्यात्मिक सवेतो में सहायक हो सके। जायसी नैसर्गिक कथाकार थे—उनकी कथा में श्रौतसुक्य, रोचकता वगण कौतूहल, जिज्ञासा, भय, शका आदि तत्त्वा का सुन्दर समावेश है। शुक्ल जी की 'भामिक स्थलो की पहचान' वाली कसौटी पर भी वे खरे उतरते हैं।

पदमावत के महाकाव्य पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह काव्य लगभग सभी विशेषताओं को पूरा करता है। उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय धीर ललित धीरोदात्त दक्षिण नायक है महान कथा है छन्द के नियम का निवाह है अष्टाधिक प्रसंग और विषयानुसृत शीपको के रूप में संग है, काम मोक्ष की प्राप्ति उसका लक्ष्य है एक महान् भूमियान है महान् धर्म्युदय है, सज्जन प्रशंसा और खल निन्दा है, स्तुति है नाट्य सधियाँ हैं रसरज प्रधान तथा ग्रन्थ रस क्रोड में हैं प्रमात, रजनी, सध्या, शल, सरिता, नगर, वन, दुग आदि का वर्णन भी है और सबके बाद एक महान् उपसंहार है। किन्तु फिर भी उसमें महाकाव्य जैसी महान् प्रेरणा नहीं है, युग के और-छोर को छू लेने वाली, देशकाल की सीमाओं से परे चिरन्तन शाश्वत हिलोर भरने वाली सघनत समयन चेतना नहीं है। ग्रन्थ में ऐसे कुछ भ्रमाव हैं जो उसे महाकाव्य नहीं बनने देते उसमें एक महती, महिमामयी आन्तरिक चेतना की कमी है। उद्देश्य वैयक्तिक भ्रत सकुचित है। महान् राष्ट्रीय या सांस्कृतिक सन्देश उसमें नहीं मिलता है। रत्नसन के चोरी-चोरी दुर्गारोहण और राम के स्वेद सिंचित मुख मण्डल से भव तानकर सेतु बघन के लिये सागर का ललकारने में कोई समता ही नहीं है। न पद्मावत में, मानस की भाँति मिन मिन धग, न व्यापक लक्ष्य, न वैसी

विराट पृष्ठभूमि है। अतः सुन्दर प्रबंध काव्य होकर भी वह मानस जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य नहीं है।

जायसी के दशन में उनकी मायताओं सूफी होकर भी इस्लाम से प्रभावित हैं। आखिर सूफी मत इस्लाम की ही तो एक शाखा है। बाह्याढम्बरा में न मही कुरान और पैगम्बर में उनका भ्रष्ट विश्वास है। 'सुदा की मल्पना उन्होंने सब शक्तिमान् अनाति अनात अजमा और निर्विकल्प के रूप में की है। जीव को ईश्वर अथवा जीव अविनाशी की भाँति 'सोई अक घट पर भेला भी बहा है और इसी तत्व का पोषक मूल है पिण्ड हृदय में भेंट न हुई। जायसी माया को भी मानते हैं और उसके तीन रूप हमारे सामने रखे हैं ऐंद्रिय भोग, विष्णु अहंकार जिन्हें क्रमशः नागमति राघवचतन और अलाउद्दीन पर घटाया गया है।

जायसी ने प्रकृति का चित्रण विनाद और व्यापक रूप में किया है। यहाँ वे वदात की अपेक्षा साँख्य के अधिक समीप खिचाई पढ़ते हैं, जिसमें पुरुष और प्रकृति की महिमा समान है। यहाँ प्रकृति अपने अनौचित्य रूपों में चित्रित है। जब रूप में प्रकृति को उस अलौकिक सत्ता का दपण माना गया है और चेतन रूप में प्रकृति सुन्दरी को उस परम पुरुष की प्रतीक्षा में उत्सुक शृंगारमयी, अनुरागमयी नायिका के रूप में और विरह में तड़पते खदन करते हुए भी। प्रकृति वणन की शक्तियों में आतम्बन उद्दीपन उपदेश रूप के अनिश्चित जायसी की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव रूप में उसे घटाना है। जायसी के पङ्क्तु वणन और बारहमासा तो अद्वितीय है ही जिसमें प्रतिमास होने वाले ऋतुगत वणन का सुन्दर चित्रांकन किया गया है और विरहिणी के मानस पट पर उसकी सूक्ष्म प्रतिनियामा को भी प्रबट किया गया है।

विरह जायसी की साधना का एक अंग है। अतः विरह के लिए उनके हृदय में आंतरिक श्रद्धा है, दार्शनिक प्रेरणा है और साहित्यिक अभिरुचि भी। यह विरह इतना व्यापक और विराट है कि कभी हम इसके व्यापकत्व पर चकित विस्मित होते हैं कभी मुग्ध हो उठते हैं और कभी वस्तु और भयभीत। यह विरह मानव के पिंजर में ही बद्ध न रह कर समस्त सृष्टि के अंग-उपांगों में फल जाता है—इसका ताप असह्य है। उदतनशीलता अपरिमित है। विरह के शास्त्रीय पक्ष में पूर्वराग मानहुँक्य और प्रवाम हेतुक तीनों प्रकार उपलब्ध हैं। विरह का मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है और उत्तम विभिन्न मनाशाएँ चित्रित की गई हैं। पद्मावती, नागमती और अनसन सबका विरह अलग-अलग कोटि का है। मातृ हृदय की वेदना भी है जिसमें मूर तुलसी जैसी मार्मिकता और मृदुलता न होती हुए भी एक बार हमें यगोरा और कौशल्या की याद आए बिना नहीं रहती, जायसी ने भारतीय और फारसी पद्धति का समन्वय करके

स्त्री-पुंष्य दोनों का विरह चित्रित किया है। प्रेम उमय पक्षीय है। विग्हर-निरूपण में चमत्कारिता होते हुए भी स्वाभाविकता और मार्मिकता है। जायसी का विरह ताप प्रधान है और उन्ह उसका आधिक्य प्रकट करन के लिए अत्युक्ति का सहारा लेना पडा है किन्तु यह विरह अत्युक्ति पूर्ण होकर भी हास्यास्पद नहीं हो गया है। यह विरह अकमण्य और हाथ-पर हाथ धरे रहन वाला विरह नहीं है सात समुद्र पार करा देने वाला और पालकी में बैठकर छल बल से शठ शठय समाचरेत् का पाठ दोहराकर पति को कारागृह से छुड़ा लाने वाला कमण्य विरह है। जाने या अनजान विरह की शास्त्रानुमोदित एकादश अवस्थाएँ भी इसमें आ गई हैं। इस विरह की त्रिवेणी में लोक, शास्त्र और दशन 'अध्यात्म' की तिरगी रसधारा है।

गुलजी ने जायसी के रहस्यवाद को रमणीय और सुन्दर अद्वैती रहस्य-वाद कहकर सम्मानित किया है। नि सदेह यह रहस्यवाद अनेक स्थलों पर उच्च-कोटि की भावना तक पहुँचा देता है। दाशनिकों द्वारा निरूपित तीना तत्व जीव, ब्रह्म और प्रकृति को उन्होंने माना है और योग को भी अपनाया है। इस प्रकार उनका रहस्यवाद भी दो प्रकार का है—साधनात्मक और भावात्मक। किन्तु जायसी में योग का बहुत अधिक आग्रह नहीं है वह प्रबन्ध का अंग बनकर क्याक्रम में पच गया है और प्रसंगों को रोचकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग से बचे रहने के कारण दुरूहता और जटिलता के दोष से भी दूर है। उनका यह साधनात्मक रहस्य-वाद सहज और सरल है अधिक उल्टवासिया के जाल में फसा हुआ नहीं है। रहस्यवाद की व्यञ्जना सभी कवियों ने माधुर्य भाव से की है, जायसी ने भी इसे ही अपनाया है किन्तु फारसी शैली या पद्धति के अनुसार जीव को पुरुष रूप और ब्रह्मा या प्रज्ञा बुद्धि को नारी रूप में अंकित किया है। प्रबन्धकार होने के नाते उन्होंने अपना रहस्यवाद कथा के सहारे और उसमें भी रूपक शैली और प्रतीक शैली के माध्यम से प्रकट किया है। जायसी के प्रतीक दो प्रकार के हैं—एक तो स्थिर जो आदि से अन्त तक एक से रहते हैं दूसरे अस्थिर जो प्रसंगानुसृत नये अर्थ दन लगते हैं। प्रतीक की इस अस्थिरता के कारण जायसी में दुरूहता और जटिलता का दोष आ गया है। रूपक शैली में उन्होंने साग निरग अन्वोक्ति, समाप्तोक्ति, रूपकांत्योक्ति और साध्यवसान रूपक को अपनाया है।

जायसी की प्रेम-भावना अत्यन्त गहन और मधुर तथा सौंदर्य भावना अत्यन्त निखरी हुई है। प्रेम के क्षेत्र में वे लौकिक प्रेम अलौकिक तक इस्क-मजाजी से इस्क हकीकी तक पहुँचते हैं। सौंदर्य के क्षेत्र में वे लौकिक सौंदर्य (हुस्नमिजाजी) से पारलौकिक (हुस्न हकीकी) का आभास देते हैं।

पद्यावती के लौकिक सौंदर्य के द्वारा वे उस भ्रूलौकिक सौंदर्य को प्रतिभासित करते हैं जिस तक पहुँचना साधक का लक्ष्य है। जायसी का ध्यान सीलगत या स्वभावगत सौन्दर्य की ओर ही अधिक रहा है। लौकिक के दो रूपा— नारी और पुरुषों में नारी सौन्दर्य का चित्रण ही प्रधान है, पुरुष का नहीं। नारी सौन्दर्य में भी केवल गौर वण का सौन्दर्य है श्यामल सौन्दर्य की कुछ भ्रवहलना सी कर दी गई है यद्यपि रत्नसेन ने अपनी सावरी गोरी जोड़ी को सोने और चाँदी के महलो में रखा है। सौन्दर्य के लौकिक वण ही वे भ्रूलौकिक सकेत करते चलते हैं— बेनी छोर झार जो बारा सगर पतार मयेठ अधियारा और 'जग डोलत नैनाहा' कहकर वे हम एक भ्रतीन्द्रिय, भ्रूलौकिक सौन्दर्य की भावना में निमज्जित कर देते हैं।

सौन्दर्य-प्रेम का प्रेरक बनकर आया है। जायसी में प्रेम की तीन कोटिया स्पष्टतः परिलक्षित होती हैं—रूप, लोभ, रूपनिष्ठ या विशेषो-मुख प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम की अत्यन्त उच्च स्थिति। यहाँ प्रेम सूर, विद्यापति के सदृश साहचर्यजय रूप में न होकर गुण श्रवण द्वारा उत्पन्न हुआ प्रेम है। भ्रत रत्नसेन का एकदम दौटना आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक होकर भी लौकिक दृष्टि से भ्रस्वाभाविक हो गया है। प्रेम की भावना का साहित्य में परिपक्व रूप ही शृंगार रस है। जायसी के काव्य में शृंगार का उभय पक्ष है किन्तु विप्रलम्भ का प्राधान्य है। संयोग में नाना मन स्थितियों का भ्रकन नहीं।

जायसी ने नख शिख निरूपण न करके फारसी पद्धति के अनुसार शिख-नख निरूपण किया है। एक-एक व्रग का क्रम पूरा वर्णन तो है किन्तु पुनरुक्ति अधिक है जिससे प्राय ऊब-सी हो जाती है। इस क्षेत्र में उनकी उत्प्रेक्षाएँ अनूठी हैं पुरानी उक्तियों में भी नया चमत्कार है। कुछ नवीन उक्तियाँ भी हैं। नख-शिख के वण में प्रकृति के सौंदर्य ने भी झलक कर मानो सुवण को सुगणित कर दिया है। उनकी यह छवि विन्यासी तूलिका, काव्य कला की उच्चता और सौन्दर्यानुभूति, दोनों ही दृष्टियों से सराहनीय है।

जायसी की रुचि भ्रलकारों के प्रयोग की ओर भी अधिक दिखाई देती है। छंद का प्रवाह निर्दोष और सुन्दर है। प्रबंध के लिए एक छंद का निर्वाह उपयुक्त ही है। यथा के रस से यह सरस बना रहा है। रसों में रसरस तो प्रधान है ही वीर, शांत, भ्रदभूत कर्ण, भीमत्स और स्मित हास्य के भी स्थल हैं। जायसी रससिद्ध कवि थे इसमें कोई सदेह नहीं। रस की परिपक्वता के बिना उनका काव्य आध्यात्मिक सदेश ही कैसे दे सकता था।

जायसी के भाषा-सौंदर्य न श्रेष्ठ भाषाविद डा० ब्रियसन को भी, लोक भाषा में इतनी भावामिध्यजकता देकर भाष्यव्यक्ति कर दिया था।

में ग्राम-सरस्य के साथ एक भ्रनोखी भ्रलहृदता है मार्मिक भावा-

मिथ्यजन है। भाषा तीनों गुणा—ओज, माधुय और प्रसाद से पूण है और मुख्यतः अभिधेयाथ होते हुए भी लक्षण-व्यजना का पूण उत्कप भी उसमें है। देशज और प्रांतीय शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक विशेष माधुय फट पडा है। भाषा में फारसी प्रयोग भी है और क्रियापदों का प्रयोग भी कहीं-कहीं उसी के अनुसार है अतः उनकी भाषा बोल चाल की होकर भी साहित्यिक है—पाण्डित्यपूण है।

जायसी ने यहाँ की संस्कृति को पचाने का जो प्रयत्न किया, उसमें उह सफलता भी मिली है और असफलता भी। भारतीय कथा और उपकथाओं का ज्ञान प्रकट करने की लालसा में ही वे रत्नसेन सूलीखड में हनुमान को भी घसीट लाये हैं, अगद को भी हाजिर होना पडा है। कैलास, रावण और नारद का तो वे सही भाव ही नहीं समझ पाये। ऐसी ही अनेक भ्रान्तियाँ उनके ज्ञान की अपरिपक्वता की घोषणा करती हैं।

किन्तु इन सब दुबलताओं के बाद भी उनका व्यक्तित्व अप्रतिम है। झालोचना-सम्राट शुक्लजी ने तुलसी के बाद और सूर से पहले जो इन्हें स्थान दिया है, वह सोच समझकर ही। उनका पद्यावत हिन्दी का सर्वाधिक सरस प्रबन्ध काव्य है, जिसका स्थान रामचरितमानस के बाद ही है। हिन्दी काव्य की पुरातन परम्पराओं का वह एक ऐतिहासिक शिखर है। रहस्यवाद की लता फारसी और भारतीय जलवायु के सुखद सस्पेंशों से, उन्हीं की वाणी में फैल-फूटकर भागे बढी है। प्रकृति का माधुय और सजीवता उनमें मनोखी है। वाणी की सरलता और मिठास पर राह चलता ठिठक जाता है। उनका बाराहमासा श्रवण के मावुक ग्रामीणों का जन काव्य है। उनकी कला में लोक और शास्त्र का सयत सामंजस्य है। निस्सन्देह वे एक श्रेष्ठ कवि हैं और काव्य है वाटिका का एक चिर-तरुण नूतन प्रसून।

हिन्दी-साहित्य की काव्य भूमि में कितने ही कवियों ने अपनी कविता की आनन्दमयी रस धाराएँ बहाई हैं। परन्तु रस का सागर सूरदास ने अपने 'सूर सागर' के रूप में ही प्रस्तुत किया है। हिन्दी-साहित्य में सूरदास की टक्कर के केवल तुलसीदास ही एक कवि हैं और जहाँ वास्तव्य और शृंगार का क्षेत्र आता है वहाँ हिन्दी का कोई सबश्रेष्ठ कवि भी सूरदास की बराबरी नहीं कर

सबता ।

सूरदास के वणनो को पढ़कर, जिनमें सूक्ष्मता और विस्तार अपनी चरम सीमा तक पहुँचा दिखाई पड़ता है यह मानने को मन नहीं होता कि सूरदास जन्माध थे । बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि जन्माध व्यक्ति के लिए इस प्रकार के वणन लिख पाना असम्भव है । यह निम्बदन्ती है कि उन्होंने किसी सुन्दरी के रूप की माया में फँसकर अपने नयन फाड़ लिए थे । पर यह निम्बदन्ती ही मालूम पड़ती है । क्योंकि सूरदास ने अपने नश्वरी होने के कारण भगवान को उलाहना दिया है— सूरदास को कौन निहारो ननन हूँ की हानि । ' यदि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आँखें फोड़ डाली होती तो उलाहने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसलिए उनकी नश्वरीता का इतिहास निश्चय से ही नहीं बताया जा सकता ।

सूरदास कृष्ण के भक्त थे । कृष्ण का लाकरजन और मनमोहक रूप उन्हें प्रिय था । यह शायद उनकी अपनी प्रवृत्ति के भी अनुकूल रहा हो, परन्तु उसके लिए सुनिश्चित प्रेरणा उन्हें अपने गुरु बल्लभाचार्य से मिली थी । बल्लभाचार्य ने 'पुष्टि-भाग' का प्रवृत्तन किया था और वह मुक्ति पाने के लिए दास्यभाव की भक्ति को पसन्द न करके सास्यभाव की भक्ति को अधिक महत्त्व दत्त थे । सूरदास के किसी विनय-भरे पद को सुनकर उन्होंने टोका था— 'इस तरह गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं ।' उन्होंने सूरदास को श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध में वर्णित कृष्ण लीला की कथा गेय पदों में लिखने का आदेश दिया था । उसी आदेश को स्वीकार करके सूरदास ने 'सूरसागर' की रचना की । परन्तु दशमस्कंध की कथा में उन्हें बाल-लीला और यौवन में जागृत होने वाले प्रेम के प्रसंग ही अधिक रुचे । इस प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष उनकी रचना में अपूर्व आभा के साथ अंकित हुए हैं । वात्सल्य और शृंगार इन दो रसा के अतिरिक्त अथ रसा के वणन में सूरदास की प्रतिभा चमक नहीं सकी ।

उन दिना निगुणवाद और सगुणवाद का विवाद जोरो पर था । नबीर, दादू सिद्ध और नाथ सम्प्रदायो के कवियों ने प्राचीन कमवाण्ड का पाखण्ड बताकर निगुण ब्रह्म की उपासना और योग-साधना इत्यादि के उपदेश दे रहे थे । इसका परिणाम यह हुआ कि कमवाण्ड की विधियों पर स जनता की श्रद्धा उड़ गई और निगुण ब्रह्म की उपासना पर उनका विश्वास जमा नहीं । यह यौगिक साधना सबके बस की नहीं थी । फल यह हुआ कि सामाजिक जीवन में एक अभाव सा उत्पन्न हो गया । उस समय सूरदास ने माधुम-पूर्ण सगुण भक्ति का प्रचार किया जिससे जनता के हृदय को विश्राम करने के लिए एक उपयुक्त आश्रय स्थान मिल गया ।

कृष्ण की माधुय भाव से भरी भक्ति के गीतों की परम्परा बंगाल में संस्कृत के कवि जयदेव से प्रारम्भ हुई थी जिन्होंने अपने सरस गीतों में हरि-स्मरण और विलास-कलाओं का अद्भुत सम्मिश्रण किया था। उसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुए मैथिलकोकिल विद्यापति ने भक्ति और शृंगार से भरे पदों की रचना की। उसी परम्परा की अगली कड़ी सूरदास हैं।

सूरदास की रचना को देखकर आलोचक कुछ असमजस में पड़ जाता है। 'सूरसागर' ब्रज भाषा-साहित्य की प्रथम उपलब्ध गेय पद-रचना है। परन्तु क्या भाषा क्या भाव, क्या अलंकारों के प्रयोग तथा रसपरिपाक, सभी दृष्टियों से यह रचना अत्यन्त परिमार्जित दिखाई पड़ती है। किसी साहित्य की पहली ही रचना इतनी उत्कृष्ट हो कि उसके बाद की सारी रचनाएँ उनकी जूठन-सी जान पड़े यह इतना आश्चर्यजनक है कि इस पर विश्वास करने को मन नहीं होता। यही अनुमान किया जाता है कि सूरदास से पहले ही ब्रजभाषा में इस प्रकार के गीतों की परम्परा चली आ रही होगी और उसी को परिमार्जित रूप देकर सूर ने इन पदों की रचना की होगी।

जब हम सूरदास के काव्य पर दृष्टिपात करते हैं तो विस्मयविमुग्ध रह जाना पड़ता है। यद्यपि इस समय सूरदास के पूरे पद उपलब्ध नहीं हैं, पर कहा जाता है कि, 'सरसागर' में सवा लाख पद थे। सवा लाख पदों की रचना कर पाना अपने आप में एक विलक्षण सफलता है। केवल परिमाण की दृष्टि से भी यह रचना अत्यन्त विशाल है। इसके बाद जब अलग-अलग पदों पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रत्येक पद भाषा, भाव और अभिव्यक्ति की दृष्टि से अद्भुत प्रतीत होता है। बहुत से पदों में एक ही भाव की आवृत्ति ना दृष्ट है, पर सवा लाख पदों के विशाल ग्रंथ के लिए यह बात विन्वृत्त स्वभाविक है। दोष होते हुए भी यह दोष इसलिए नहीं है क्योंकि वे सदा पद अन्त-अन्त राग-रागिनियों में बंध हुए हैं और शास्त्रीय संगीत के नियमों के अनुसार गाये जा सकते हैं। इसीलिए कवि ने एक ही भाव का एक ही पद विम्वन के बाद दूसरे राग में भी पद लिख दिया है। इसमें काव्यशास्त्री को संभवतः पुनरुक्ति प्रतीत हो परन्तु संगीत-शास्त्री को पुनरुक्ति प्रतीत न होगी। जैसा कि सर्व-विदित है ये पद श्रीनाथ जी के मन्त्रों में लीने जाने के लिए रचे गये हैं। इसलिए इनका मुख्य उद्देश्य गाना जाना का काव्य-सुन्दरता नहीं।

परन्तु गौण उद्देश्य काव्य की दृष्टि से भी वे पद निर्जने बने हैं। कल्पना ने अत्यन्त सचेत होकर पद-पद में अनेक प्रयोगों की रचना की है। बाल-सीता का प्रकटन प्रकृतियों पर निर्माणात् संप्रयोजन और निरप्रयोजन रस-सिद्धि और अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें कृष्ण के अद्भुत रूप में

भोते भोते उनके अघर पडवने लगते हैं। दूध के दातो का निक्लना घूटना चलना सायियों के साथ स्पर्धा करना इत्यादि कितनी ही छोटी-छोटी, किन्तु हृदय को छूने वाली बातें बाल-नीला के इन पदो में वर्णित हुई हैं। जैसे—

(क) 'भीतर ते बाहर लों धावत ।

घर आगन अति चलन सुगम भयों देहरी बेह अटकावत ।

गिरि-गिरि परत जात नहीं उलधी अति धम होत न धावत ॥'

'अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनि धरं पया ॥'

(ख) "जसोदा हरि पालने भुलाव ।

हलराव डुलराव मल्हाव जोई सोई कछु गाथ ।"

इसमें सदेह नहीं कि जितना सुन्दर बाल-वर्णन सूरदास ने किया है उतना हिन्दी साहित्य में क्या, विश्वसाहित्य में भी अग्रे कोई कवि नहीं कर पाया है। इसलिए सूरदास को वात्सल्य रसावतार कहा जाता है।

वात्सल्य रस के अन्तर्गत केवल बालक कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन नहीं है, बल्कि कृष्ण के प्रति नन्द, यशोदा और गोकुल की गोपियों के स्नेह पूण मावो की व्यञ्जना भी अत्यन्त मनोरम रूप में हुई है। जिस कारण इन पदो की ममस्पर्शिता बहुत बढ़ गई है।

वात्सल्य रस में पाठक को आकर्षण भग्न करने के उपरान्त सूरदास उनके सामने शृंगार का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। यह शृंगार भी अपने ढंग का अनोखा ही है। गोकुल की गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करने लगती हैं। यह प्रेम एवाएक प्रथम दृष्टि में उत्पन्न हो जाने वाला जादू का सा प्रेम नहीं है यह केवल बाह्य रूप आसक्ति नहीं है, यह तो वर्षों के निरन्तर परिचय और एक जगह निवास के कारण उत्पन्न प्रेम है, जिसमें यौवन की सहज आकांक्षाएँ विचित्र ढंग में धूल मिल गयी हैं। कल तक के बाल-श्रीढाओं के सगी आज प्रेमी प्रेमिका बन बैठे हैं। इस प्रेम में बालुप्य का बिन्दु भी नहीं है।

सूरदास के शृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष अति सुन्दर बन पडे हैं। अग्रे किसी भी कवि को शृंगार के दोना पक्षों में इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक दिन कृष्ण खेल रहे थे कि इसी समय राधा भी वहाँ आ पहुची। कृष्ण उससे पूछते हैं—

'बुभुक्षत स्थाम कौन तू गोरी ?

'वहाँ रहत बाकी है बेटो ? देखो नाहिं कबहुँ ब्रज खोरी ।'

राधा भी तुरन्त ही वितना चुमता हुआ उत्तर देती है—

बाहे को हम ब्रज तन आवाति खेलत रहत अघनी पौरी ।

मुनत रहत इक नद को ढोटा करत रहत माखन की चोरी ॥'

भक्त शिरोमणि सूरदास

कृष्ण राधा के घर आने जाने लगते हैं। दोनों में घनिष्ठता बढ़ती जाती है। कृष्ण राधा की गायो का दूध दुहते हैं, परन्तु उनका ध्यान राधा की ओर होता है और दूध की धार भूमि पर गिरती है। यह गोरों की हानि वहाँ तक सहन होती। अन्त में एक दिन राधा ने कह ही दिया—

“तुम से कौन दुहाव गया ?

इत चितवन उत धार चलावत यही सिलाओ मया ।”

इस तरह प्रेम के सयोग-पक्ष को चरम कोटि तक पहुचाने के उपरान्त प्रेम का वियोग पक्ष प्रारम्भ होता है। कृष्ण कस के बुलावे पर मयुरा चले जाते हैं और फिर कमी मुडकर गोपियों की सुध नहीं लेते। विरह का उत्ताप भीषण दावानल की भांति समस्त गोकुल को व्याप्त कर लेता है। जमुना, मधुवन, गोएँ और गोपियाँ सभी विरह की व्यथा से तडपने लगती हैं। शृगार की पूणता वियोग में जाकर ही होती है। सूरदास के इस वियोग-वर्णन में शृगार की जैसी ममस्पर्शी व्यजना हुई है, वैसी हिन्दी साहित्य में अद्यत्त कही नहीं दिखाई देती।

‘भ्रमरगीत’ इस विरह-वर्णन का ही एक महत्त्वपूर्ण भाग है। कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को गोपियों के पास इसलिए भेजा था, कि उह जाकर समझाएँ कि कृष्ण घट घट व्यापी हैं। उनके निगुण रूप की उपासना करो। व्यथ उनके विरह में दुखी न होओ। उद्धव ने गोपियों को समझाया, परन्तु वे तो कृष्ण के सगुण रूप पर मुग्ध थी। उहे उद्धव की बात क्यों समझ में आती ? अपने प्रेम के आवेश में उन्होने उद्धव और उनके निगुणवाद की तरह-तरह से खिल्ली उड़ाई। यहाँ तक कि अन्त में गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव अपना निगुणवाद भूल बैठे और स्वयं भी सगुण के ही भक्त बन गए। ‘भ्रमरगीत’ का महत्त्व इसलिए तो है ही कि इसमें सगुण और निगुण का विवाद खडा करके अन्त में निगुण-पक्ष की पराजय दिखाई गई है, साथ ही काव्य सौन्दर्य, वाग्वैदग्ध्य और उक्ति-वचित्र्य की दृष्टि से भी ‘भ्रमरगीत’ के पद बेजोड हैं।

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास ने कवित्व-प्रदर्शन के लिए कविता की है, किन्तु यह मानना पडेगा कि साहित्य-शास्त्र की कसौटी पर उनका काव्य बिल्कुल खरा उतरता है। उनकी भाषा अत्यन्त प्रवाहमयी और माधुर्य गुण-युक्त है। उसमें थोडे बहुत शब्द अरबी फारसी और प्राकृत के भी आ गये हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है और प्रवाह में खटकते नहीं हैं। सूर की रचना में अलकारो का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है और अधिकांश स्थलो पर अलकारो ने उनकी अमिव्यक्तियों को विशद और प्रभावोत्पादक बना दिया है। पर कुछ स्थल ऐसे भी ढूँढे जा सकते हैं, जहाँ अलकारों का प्रयोग अपने आप में लक्ष्य बन गया है। उससे भावामिव्यक्ति में सहायता न

होकर कुछ थापा ही पड़ी है। वही-वही उसके रूपका और रचनात्मकयोगियों ने उसकी रचना को निरूपित कर दिया है। परन्तु 'गूर सागर' में धनुषाक्ष की दृष्टि से ऐसी रचना बहुत पड़ी है।

गूरदास ने अपनी सारी रचना पद-शाली में ही की है। यमना इन पदों की बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसी रचना में माधुर्य और प्रभाव गुणा का घा जाना स्वाभाविक है। भोजपूर्ण रचना लिखने का तो गूरदास को प्राण ही रहा है और वे उसमें सफल ही हुए हैं।

गूरदास के वाक्य का सामाजिक दृष्टि से महत्त्व यह है कि उन्होंने अपने समय में विद्यमान हिन्दुओं की निराशाजनक स्थिति में उन्हें अपनी माधुर्यभाव की भक्ति द्वारा एक नया मार्ग दिखाया। त्रिगुणवाक्यों के शुद्ध उपयोग से व्याकुल जनता को समुच्च भक्ति का सरल सम्बन्ध प्रदान किया। उन्होंने भक्ति का मुँदर और प्राणिक रूप दिया।

वाक्य और संगीत के प्रेमियों में गूरदास के पदों का प्रभाव बहुत समय से होता आया है और विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार होत, रहेगा।

२४ | गोस्वामी तुलसीदास

हिन्दी साहित्य में महाकवि तुलसीदास का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। यद्यपि गूरदास और मलिन मुहम्मद जामसी हिन्दी के उत्कृष्ट कवि हैं और तुलसीदास के साथ इनकी तुलना भी की जाती है, परन्तु प्रायः सभी भारतीय इस बात पर सहमत हैं कि तुलसीदास इन दोनों की अपेक्षा उत्कृष्ट कवि हैं।

तुलसीदास को यह गौरव प्रदान करने के कई कारण हैं। कवि के बाह्य रूप की दृष्टि से तुलसीदास की रचना का क्षेत्र अत्यन्त भी हिन्दी कवि की अपेक्षा विस्तृत है। उन्होंने अपने बाल में प्रचलित सभी शक्तियों में रचना की। उन्होंने 'प्रबंध और मुक्त' दोनों प्रकार के वाक्य लिखे। इससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने भक्तियों और ब्रज दोनों भाषाओं में पूर्ण अधिकार के साथ सफल वाक्य-रचना की। छन्दों की विधिवता का भी उन्होंने ध्यान रखा और पंचम से अधिक छन्द उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। साहित्य शास्त्र का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इसलिए अलंकारों का बहुत ही समीचीन प्रयोग उनकी रचना में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वाक्य के बाह्य पक्ष की दृष्टि से तुलसीदास अपने प्रतिद्वन्द्वियों की अपेक्षा अधिक समर्थ और सफल दिखाई पड़ते हैं।

वाक्य के अन्तरंग पक्ष अर्थात् भाव पक्ष की दृष्टि से तुलसीदास की स्थिति

और भी सुदृढ़ है। अपने महाकाव्य 'रामचरितमानस' में उन्होंने मानव-जीवन के समग्र रूप का लेकर उसमें आने वाली विविध परिस्थितियाँ और जीवन के विविध पहलुओं का चित्रण किया है। कथा के प्रवाह में उन्होंने अनेकानेक ममस्पर्शी प्रसंगाँ की उद्भावना की है और उनमें अद्भुत और उच्च कोटि के भावों का चित्रण किया है। उनके चित्रण आदर्श की भावना से प्रेरित हैं। इसीलिए वे समाज के लिए उपयोगी भी हैं। तुलसी के अन्य प्रतिद्वन्द्वियों में हमें भावा की ऐसी आदर्श प्रेरित विविधता के दर्शन नहीं होते।

तुलसी का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ और उनका बालकपन जिन कठिन स्थितियों में बीता उन्हें देखते हुए शायद ही किसी ने आशा की होगी कि यह बालक किसी दिन एक ऐसे काव्य-ग्रन्थ की रचना कर जाएगा जो शताब्दियों तक करांडा व्यक्तियों के लिए धर्म ग्रन्थ का काम देता रहेगा। तुलसी का जीवन दुःख और विपत्तियों की एक कहानी है। जन्म होते ही उनके माता-पिता ने उन्हें अशुभ समझकर त्याग दिया था। भुनिया नाम की एक दासी ने अपने पास रखकर उनका पालन किया परन्तु दुर्भाग्य ने भुनिया की भी जीविन न रहने दिया, भुनिया मर गई। तुलसी फिर निराश्रय हो गए। कुछ समय तक इधर-उधर अनाथ भटकते रहे। शायद पेट भरने के लिए शीव भी मगनी पड़ी। अंत में बाबा नरहरिदास ने अपने पास रखकर उन्हें पढाया-लिखाया। समय आने पर उनका विवाह हुआ। ससुरार में अनेक विवाह इस लिए अतफल होते हैं कि पति-पत्नी में परस्पर प्रेम नहीं होता। परन्तु तुलसी का विवाह इसलिए असफल रहा क्योंकि पति-पत्नी में अत्यधिक प्रेम था। पत्नी मायबे गई, तो प्रेमातुर तुलसी भी पीछे-पीछे वही जा पहुँचे। पत्नी ने लज्जित होकर कहा—

'साज न लागत आपको, दोरे सायहु साय ।
धिक् धिक् ऐसे प्रेम को, का कहौ मैं नाय ॥
अस्मि चम मय देह मम तामे जसो प्रीति ।
तैंसो जो श्री राम भँह होति, न तौ भव भीति ॥''

पत्नी के इन शब्दों की चोट तुलसी के हृदय पर गहरी लगी। प्रेम विरक्ति में परिणत हो गया और उन्होंने पत्नी के साथ-साथ सारे ससुरार को त्याग दिया। जीवन के पिछले दिनों में भी तुलसीदास को शारीरिक कष्ट काफी सहना पड़ा। शायद प्लेग उन्हें हुई थी। प्लेग में तो बच गये किन्तु उसके कुछ ही समय बाद उनका स्वर्गवास हो गया। उनका जन्म संवत् १५५५ में और मृत्यु १६०० में हुई।

या तो तुलसीदास ने हिंदी-साहित्य को बारह से अधिक रचनाएँ प्रदान की, परन्तु इनकी कौत्ति का मुख्य आधार 'रामचरितमानस' और 'विनयपत्रिका'

हैं। 'रामचरितमानस' उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह एक महापाठ्य है। इसकी मुख्य कथा बाल्मीकि रामायण से ली गई है, जिसे तुलसीदास ने कुछ जोड़-तोड़ अपनी भाव से और कुछ भाग संशुद्ध प्रथा के आधार पर किया है। 'रामचरितमानस' को पढ़ना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तुलसीदास ने अनेक शास्त्रों का भली भाँति अध्ययन किया था और उन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन अपनी काव्य रचनाओं में किया है।

'रामचरितमानस' में तुलसीदास ने रामचन्द्र जी के लोचरक्षक स्वरूप का चित्रण किया है। तुलसी के राम स्वयं भगवान् हैं। सीता वरन के लिए उन्होंने देह धारण किया है। इन सीताओं का उद्देश्य दुष्टों का दमन और सज्जनों का परित्राण है। राम के स्वरूप में अवतरित होकर भगवान् ने मानव-जीवन की मर्यादाओं की स्थापना की है। इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। किन्तु इतने महान् स्वामी की शरण में जाने के लिए प्रतिगम्य विनय की आवश्यकता है। इसीलिए तुलसी में एक तुच्छ दास की-सी विनय लिखाई पड़ती है। जिस राम का गौरव असीम है उसी तरह माना तुलसी की सधुता की भी कोई सीमा नहीं है। क्या 'रामचरितमानस' और क्या विनय पत्रिका दोनों में ही तुलसी की यह दास्य भाव की भक्ति प्रधान स्वर बनकर गूँज रही है। 'विनय-पत्रिका' तो स्पष्ट रूप से भक्ति काव्य है ही, रामचरितमानस भी मुख्य रूप से भक्ति ग्रन्थ है और गौण रूप से काव्य है।

राम की सगुण भक्ति का प्रचार निगुणवाद की प्रतिद्वन्द्विता में सामने आया। निगुणपथी सत्ता की विचारधारा सण्डन प्रधान थी। पुराने विधि-विधानों को तोड़ने का तो उनमें आग्रह था किन्तु कोई महत्त्वपूर्ण नई परंपरा वे नहीं दे रहे थे। इसलिए समाज में अव्यवस्था बढ रही थी। इस बात को पहचान कर ही तुलसी ने निगुण भक्ति का विरोध किया और भगवान् के सगुण लोचरक्षक स्वरूप का प्रतिपादन किया। परन्तु सण्डनात्मकता तुलसी में नहीं थी। इसलिए निगुणवाद के विरोधी होते हुए भी उन्होंने सूरदास की तरह उग्रता से निगुणियों का विरोध नहीं किया। बल्कि शोभन उत्पन्न करना नहीं चाहते थे, बल्कि समन्वय द्वारा जनमत को एक ही दिशा में केन्द्रित करना चाहते थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में हमें सब जगह समन्वय दिखाई पड़ता है। उन्होंने लोक और शास्त्र का, भक्ति और ज्ञान का, बराबर और ग्राह्य का, निगुण और सगुण का समन्वय करने का प्रयास किया है।

तुलसीदास ने साम्प्रदायिक कट्टरता का अभाव था। वे स्वयं कृष्ण थे और एकमात्र राम के भक्त थे। परन्तु राम की भक्ति के आवेश में अन्य देवताओं की निन्दा करना तो दूर उपेक्षा भी उन्होंने नहीं की है। शिव, गणेश, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं की उन्होंने स्तुति की है जो उनकी

१
/

उदारता का परिचायक है। अपनी इस सहिष्णुता और उदारता के कारण भी तुलसी का आदर जनता में बहुत हुआ है।

कथा के समुचित सम्बन्ध निर्वाह के अतिरिक्त तुलसीदास को मार्मिक प्रसंगों की पहचान भी खूब थी। सीता स्वप्नदर, राम वनवास, कैंकेयी की वर-याचना, सीता के विरह में राम का दुःख, लका-दहन, युद्ध इत्यादि सभी रोचक प्रसंगों का उन्होंने विस्तार से रसमग्न होकर वणन किया है। एक भी मार्मिक प्रसंग बिना विस्तृत वणन के छूटने नहीं पाया है। इन वणनों में कवि की प्रतिभा मनोहारी रूप में प्रकट हुई है।

जसा पहले कहा जा चुका है, तुलसी की प्रतिभा बहुमुखी थी। महाकाव्य लिखने के लिए ऐसी ही प्रतिभा की आवश्यकता होती है। सूरदास की भाँति तुलसीदास केवल एक या दो रसों के वणन तक ही सीमित नहीं रहें हैं उन्होंने यथास्थान सभी रसों का विस्तार से वणन किया है। जनकपुर की वाटिका में राम और सीता के पारस्परिक-दशन के अवसर पर सयोग शृंगार की, सीता-हरण के अवसर पर वियोग-शृंगार की, राक्षसों के साथ युद्ध के प्रसंग में वीर-रस की दशरथ-विलाप या लक्ष्मण मूर्च्छा के समय कृष्ण-रस की, नारद मोह के प्रकरण में हास्य की, सीता-स्वयंवर के समय लक्ष्मण के क्रुद्ध होने पर रौद्र-रस की, लका-दहन के समय मयानव-रस की और उत्तर-कांड में शांत-रस की ध्वजता हुई है।

तुलसी ने अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में भी आश्चर्यजनक कुशलता दिखाई है। 'रामचरितमानस' में सभी प्रकार के चरित्र पाए जाते हैं, एक और राम, भरत, कौशल्या और सीता जैसे श्रेष्ठ चरित्र हैं तो दूसरी ओर रावण और मयरा जैसे दुष्ट चरित्र भी हैं। कवेयी और मारीच जैसे भी कुछ चरित्र हैं जो स्वभावतः बुरे नहीं हैं, परन्तु बुरे लोगों की प्रेरणा पर बुरा काम करने को उद्यत हो जाते हैं। शबरी, निपादराज गृह जैसे दीन, किन्तु सेवा-भावयुक्त चरित्र भी हैं।

'रामचरितमानस' में तुलसी ने अपने विस्तृत शास्त्र ज्ञान के आधार पर सामाजिक सम्बन्धों को मर्मदाह्य प्रस्तुत की है जो सशय उपस्थित होने पर पथ निर्देश कर सकती हैं। पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, इत्यादि सभी सम्बन्धों के बारे में विभिन्न परिस्थितियों में उचित कर्तव्य का निर्देश कर दिया गया है।

इस प्रकार तुलसी की कला उपयोगी कला है। सूरदास की तरह इनकी कला केवल कला के लिए नहीं। सूरदास की कला मुख्यतया सौंदर्य और आनन्द की भावना से प्रेरित है जबकि तुलसी की कला में सौन्दर्य का स्थान गौण

है और प्रमुखता मगलमय-भादश को ही दी गई है। तुलसी की इस विशेषता ने उनका महत्त्व अथ किसी भी हिन्दी-कवि की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ा दिया है। क्योंकि ऐसी मगलमय रचना तुलसी ने अतिरिक्त अथ किसी कवि ने नहीं की।

'रामचरितमानस' के अतिरिक्त 'विनयपत्रिका' में भी तुलसी का भक्ति भावपूर्ण कवित्व विलक्षण रूप में दृष्टिगोचर होता है। विनय और भक्ति की जितनी सुकुमार भावनाएँ इस अथ में दिखाई पड़ती हैं, वसी अन्यत्र कहीं नहीं हैं। भगवान् की सर्वशक्तिमत्ता तथा भक्त की प्रार्थना 'विनय पत्रिका' में अत्यन्त मनोरम रूप में चित्रित हुई है। 'विनयपत्रिका' में तुलसी ने जहाँ-तहाँ अपने दार्शनिक विचार भी प्रकट किए हैं।

तुलसीदास जी ने 'दोहावली', 'गीतावली', 'रामलला महर्ष', 'पावती मंगल', इत्यादि और भी अनेक काव्य रचनाएँ की हैं, जिनसे उनका अनेक शैलियों और भाषाओं में रचना करने का सामर्थ्य प्रकट होता है।

काव्य सौष्ठव, भादश की स्थापना और समन्वय बुद्धि के कारण तुलसी का स्थान हिन्दी साहित्य में अथ सभी कवियों की अपेक्षा ऊँचा ठहरता है। उनके सर्वोच्च स्थान का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके 'रामचरितमानस' का जितना प्रचार जनता में हुआ है उसका दशांश भी अन्य किसी हिन्दी काव्य-ग्रन्थ का नहीं हुआ।

२५ सूर सूर तुलसी ससी उद्दगन केशवदास

सूर सूर तुलसी ससी उद्दगन केशवदास ।

अथ के कवि लघोत्तम सम जहें तट्टे करत प्रकास ॥”

यह सूक्ति मध्यकाल में किसी सहृदय आलोचक ने लिखी थी। 'अथ के कवि से आलोचक का सकेत किस काल के कवियों से है यह ठीक ठीक तमी निर्धारित हो सक्ता है जब इस सूक्ति के लेखक का काल निर्धारित हो जाए। पर इतना स्पष्ट है कि उस काल में इस आलोचक की दृष्टि में हिन्दी-साहित्य गगन में तीन ही ज्योतिमय विभूतियाँ थीं। जिनकी तुलना उसने सूर, शशि और तारो से की है। यह सूक्ति पर्याप्त सीमा तक सहृदय समाज में मान्य हुई। इसीलिए इसका अस्तित्व आज तक बना रहा है।

सूरदास और तुलसीदास दोनों ही हिन्दी साहित्य के महान् कवि हैं। अस्तुत दो महाकवियों की तुलना करना बहुत-कुछ निरर्थक होता है, विशेष

सूर और तुलसी सती उद्गम केशवदास

रूप से तब, जबकि उन दोनों की शैली और काव्य का क्षेत्र अलग-अलग हो। सूर और तुलसी के विषय में भी यह बात है। दोनों में समानताएँ इतनी कम और विभिन्नताएँ इतनी अधिक हैं कि उनकी तुलना हम किसी सुनिश्चित परिणाम पर पहुँचा सकती है, इसमें बहुत सन्देह है। परन्तु बहुत समय से शालोचक इन दोनों की तुलना करके किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचने का यत्न करते आ रहे हैं। उसी प्रयास पर एक दृष्टि डालना यहाँ अभीष्ट है।

केशवदास की इन दोनों कवियों से समानता नहीं है। शालोचक ने स्वयं ही केशवदास को तारो की कोटि में रखा है अर्थात् वह मानता है कि केशव की काव्य प्रतिभा की चमक सूरदास और तुलसीदास की तुलना में बहुत कम है। इस बात से प्रायः सभी लोग सहमत हैं कि विद्वता और पांडित्य पर्याप्त होने पर भी केशव का काव्य सूर और तुलसी की रचनाओं की टक्कर में नहीं ठहर सकता।

सूरदास और तुलसीदास दोनों ही हिन्दी-साहित्य के स्वर्ण-युग कहे जाने वाले भक्ति काल में हुए हैं। इस काल के कवियों की काव्य-रचना किसी तुच्छ प्रयोजन से नहीं हुई थी। इन कवियों ने अर्थोपाजन के लिए काव्य नहीं लिखा। सम्भवतः यश के लिए भी नहीं लिखा। उनका प्रयोजन या तो केवल स्वागत-मुलायम था, अथवा अज्ञान में फँसी हुई जनता का उद्धार करने का प्रयास। ऐसी महद्भावना से मरी प्रेरणा के कारण जिस काव्य की रचना हुई, वह सचमुच ही संसार के किसी भी साहित्य की शीकड़ि बर सकता था। एक के बाद एक अनेक कवियाँ ने रस मग्न होकर रा- और कृष्ण की भक्ति के गीत गाये, परन्तु रस की जैसी धारा सूर और तुलसी के कण्ठ से बही, बसी और कहीं नहीं बही।

तुलसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोभ-रक्षक स्वरूप से प्रभावित हुए। उस महान् गौरवमय चरित्र के सम्मुख यत् जितना भी विनयशील हो जाय उतना ही कम है, इसलिए तुलसीदास ने रामचंद्र की भक्ति दाय्य भाव से की है। परन्तु सूरदास ने माधुय भाव को प्रमुखता देकर कृष्ण के लोकरजक स्वरूप का ही चित्रण किया है। वह बल्लभाचार्य के पुष्टिभाग के अनुयायी थे। बल्लभाचार्य को भगवान् के समुख पिडगिठाना पसन्द न था। फलतः सूरदास की भक्ति सखा भाव की रही। उनके लीलामय कृष्ण गोप-गोपियों के साथ सखामाव से यमुना तट पर वदावन के कुजों में विहार करते हैं। सूरदास भी उन्हीं सखामो में से एक बन गये और सख्य-भक्ति का सहारा लेकर उन्होंने काव्य रचा।

दोनों की भक्ति-प्रणाली में अंतर होने के अतिरिक्त दोनों के विषय निर्वा-

वन में भी बड़ा अन्तर है। तुलसीदास ने रामचंद्र जी के सम्पूर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय बनाया था। यह जीवन तरह-तरह की विघ्न-बाधाओं, सघर्षों और कठोर कृतव्यों से भरा हुआ है। इसमें राज्य-त्याग राक्षसों से युद्ध पत्नी वियोग और अन्त में प्रजा की प्रसन्नता के लिए सीता को वन भेजने तक के प्रसंग हैं। रामचंद्र जी के जीवन को सम्मुख रखकर तुलसीदास ने एक तरह से आदर्श जीवन की मर्यादा निर्धारित कर दी है। किसी परिस्थिति में किस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या आचरण करना होगा, यह उन्होंने बतला दिया है। पिता पुत्र, पत्नी, माता, बहन, गुरु, शिष्य—किसी का भी कृतव्य अनिदिष्ट नहीं रह गया। इसी कारण तुलसी का 'रामचरित मानस' करोड़ों हिन्दुओं के लिए काव्य ग्रन्थ न रहकर धर्म-ग्रन्थ बन गया।

परन्तु सूरदास ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो कृष्ण के लोकरजक लीलात्मय मधुर स्वरूप का ही चित्रण किया है। यह स्वरूप कितना सुन्दर, माधुर्य भरा और आकर्षक है, यह सूरसागर में डुबकी लगाये बिना जाना नहीं जा सकता। बचपन की भोली-भाली शोभाओं के सख्यातीत चित्र इसमें अंकित हैं। शिशु के अधर फड़कने से लेकर स्पर्धा, गव शरारत इत्यादि शशव की कितनी ही क्रियाएँ और भावनाएँ उन पदों में मूल हो उठी हैं। उसके बाद किशोरावस्था का प्रेम एक सुनहले सप्सार की भाँति आँखों के सामने प्रकट हो उठता है। इस प्रेम का चित्रण करने में सूर ने हिन्दी के सब कवियों को पीछे छोड़ दिया है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही पक्ष सूर की काव्य मन्दाकिनी के दो सरस तीर हैं। एक ओर यदि मिलन के सुख से भरे हुए वासन्ती फूला के उद्यान क्षितिज तक फैले चले गये हैं तो दूसरी ओर विरह की ज्वालाधरा में तपता हुआ निस्सीम मरुस्थल फला हुआ है। प्रेम और विरह के सम्बन्ध में तरह-तरह के अनगिनत प्रसंगों की कल्पना करके सूर ने उस प्रेम की ऐसी विलक्षण भाँकी दिखाई है कि उसकी तुलना कहीं नहीं है। शृंगार को रसराज माना गया है और शृंगार के सबसे बड़े कवि होने के नाते यदि सूरदास को हिन्दी-साहित्य-गगन का सूय कह दिया जाए तो यह उचित ही होगा।

सूरदास ने शृंगार-रस की भाँति ही वात्सल्य रस की रचना में भी अद्वितीय सफ़लता प्राप्त की है। उन्हें वात्सल्य रमावतार कहना अनुचित नहीं है। महान् संगीतज्ञ तानसेन ने सूर के वात्सल्य पर ही मुग्ध होकर कहा था—

किधौं सूर को सर लाग्यो किधौं सूर को पीर।

किधौं सूर को पद लाग्यो तन मन धुनत शरीर ॥”

सूरदास वात्सल्य और शृंगार के हिन्दी में सबसे बड़े कवि हैं, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। परन्तु उनका क्षेत्र वात्सल्य भी तक ही

सीमित है। तुलसी का काव्य क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत है। उसमें सब रसों का वर्णन है। तुलसी ने जीवन के एक अंश का नहीं, बल्कि समग्र जीवन का वर्णन किया है। तुलसीदास ने भी वात्सल्य और शृंगार का वर्णन किया है। परन्तु वह वर्णन मर्यादाओं में बंधा-बंधा सा दिखाई पड़ता है। उन्होंने मर्यादा का इतना ध्यान रखा है कि शृंगार में भी वह दूर नहीं हुई। वे सीता को राम के दशन कगन के नग की परछाईं में ही कराते हैं—

“दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुन्दर मंदिर माहीं ।
भावति गीत सब भिलि सुंदरी वेद जुषा जुरि विप्र पढ़ाहीं ॥
राम को रूप निहारित जानकि कगन के नग की परछाहीं ।
याते सभी सुध भूलि गई कर टेक रही पल टारत नाहीं ॥”

परन्तु सूरदास ने तुलसी की भाँति मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रखा है। वे तो अनेक स्थानों पर भक्ति और शिष्टता को भी सीमाओं का उल्लंघन कर गये हैं—

‘नीवी सलित गही यदुराई ।

जयहि सरोज धरमा श्रीफल पर तव जसुमति तहँ आई ॥

अब सूर और तुलसी का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। जहाँ तुलसी का प्रत्येक वाक्य किसी आदेश या शिक्षा को लेकर चल रहा होता है वहाँ सूरदास क पदा में मर्यादा या शिक्षा के लिए कुछ भी आग्रह नहीं रहता। तुलसी के लिए कला का मंगलमय होना एक आधारभूत बात है परन्तु सूरदास के लिए कला का सुंदर रूप ही सर्वस्व है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि उनकी कला सौन्दर्य का अधिक सचय कर सकी, जबकि तुलसी की कला सौंदर्य और मंगल दोनों से ही समन्वित है।

सूरदास न भी कालियदमन और गोवधन धारण इत्यादि प्रसंगों में कृष्ण का लोक रक्षक स्वरूप चित्रित करने का प्रयत्न किया है परन्तु ऐसे प्रसंगों में उनकी प्रतिभा चमकती नहीं। वे मुख्यतया माधुर्य के ही कवि हैं।

जहाँ तक भाषा और शैली का प्रश्न है, वहाँ भी सूरदास का क्षेत्र सीमित दिखाई पड़ता है और तुलसी का विस्तृत। सूर ने केवल ब्रजभाषा में रचना की, परन्तु तुलसी का ब्रज और अवधो दोनों पर अधिकार था। सूर ने केवल पद-शैली में रचना की, जबकि तुलसी ने दोहा चौपाई, पद, कवित्त, सबसे इत्यादि सभी प्रचलित शैलियों में काव्य रचना करके अपने अद्भुत सामर्थ्य का परिचय दिया। सूरदास ने केवल मुक्तक काव्य ही लिखा, परन्तु तुलसी मुक्तक और प्रबंध दोनों ही प्रकार के काव्य की रचना में सफल रहे।

एक बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि सूरदास अपने छोटे से क्षेत्र में पूरे

सम्राट् थे। शृंगार और वात्सल्य में उनकी काव्य-प्रतिभा अनुपम है। इस प्रकार ब्रजभाषा पर उनका विलक्षण अधिकार है। उनकी भाषा परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है। परन्तु तुलसीदास का क्षेत्र बहुत विम्बन है और उन् विस्तृत क्षेत्र पर उनकी काव्य प्रतिभा का भालोक सर्व जगह हल्की हल्की चाँदनी-सा छाया हुआ है। सम्भवत इसीलिए किसी पुराने घातोकक न सों को सूर और तुलसी को शशि कह दिया है। वैसे रचना की सवागीणता की दृष्टि से तुलसी अधिक प्रौढ और समय दिखाई पड़ते हैं। काव्य साध्य के अतिरिक्त उनकी रचनाओं का मंगल कारी स्वरूप भी उन्हें ऊँचा आसन प्रदान करने के पक्ष में एक बड़ी युक्ति है।

केशवदास इन दोनों ही कवियों से भिन्न प्रकृति के कवि थे। सूर और तुलसी ने भक्ति भावना से प्रेरित होकर काव्य रचना की, परन्तु केशव की मुख्य प्रेरणा भक्ति न होकर पाण्डित्य प्रदर्शन की थी। वैसे यह नहीं कहा जा सकता कि कविता की सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा भक्ति ही है या भक्ति के अनिर्गुण और कुछ। परन्तु तथ्य यह है कि केशवदास सरस कविता लिखन में उतनी दूर तक न पहुँच सके, जितनी दूर तक सूर और तुलसी पहुँचे थे। केशवदास ने भी 'रामचरित्रिका' नाम का महाकाव्य लिखा। इस दृष्टि से वे तुलसी की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत न कर एक आन्ध्र राजा के रूप में किया है। तुलसी के 'रामचरित मानस' में आधुनिक पाठक को यह बात बहुत अस्वस्थ है कि तुलसी बार बार यह स्मरण कराते रहते हैं कि राम मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान हैं। यह बात 'रामचरित्रिका' में नहीं है।

केशव को कविता में कई अभाव हैं। उनका कथा निर्वाह समुचित नहीं बन पाया है। कई मार्मिक प्रसंगों को वह बिना पूरा वर्णन किए ही लाय गए हैं। अनेक स्थानों पर पाण्डित्य प्रदर्शन की धुन में उन्होंने रस को धारा को खंडित कर दिया है। कई जगह वे श्लोकित्य का विचार भी भूल बैठे हैं, जैसे वन जाते समय राम द्वारा अपनी माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिलाने में उन्हें श्लोकित्य का ध्यान नहीं रहा है।

इस सबके होते हुए भी केशव हिंदी के महान कवि हैं। 'रामचरितमानस' और पदमावत के बाद हिंदी महाकाव्य में रामचरित्रिका का ही स्थान है। यह बात ठीक है कि बिहार के प्रदेश में लौंग और इलामची के वंश का वंश करके केशव न भूल की है परन्तु उसके अतिरिक्त जितना पाण्डित्य उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ता है वह प्रशंसनीय है। केशव विद्वान में साहित्य शास्त्र का उन्हें गम्भीर ज्ञान था और उसके द्वारा उन्होंने अपनी कविता का रूप सवारा है। अलंकार का उनकी रचना में भरपूर प्रयोग है। यह बात

2) बिहारी और उनकी सतसई

दूसरी है कि व अलवार कविता-वामनी के लिए भारस्वरूप हो उठे है। केशव के सवाद भी बड़े सजीव वाय-धातुय से भरे हुए हैं। उनके सवाद तुलसी के सवादों से वहीं अधिक अच्छे बन पडे हैं। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है जिसके कारण उनकी रचना में एकरसता का दोष नहीं आने पाया है। महाकाव्य की रचना अपने आप में एक बड़ी सफलता है जो सब दोषों के होते हुए भी सराहनीय है।

इस प्रकार यह सन्देह मल ही बना रहे कि हिन्दी-साहित्यकार के मूय तुलसीदास हैं या सूरदास, परन्तु तारा के रूप में केशव का स्थान सुनिश्चित है। तुलसी और सूर के उत्पत्त का निणय कर पाना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य है। सहृदय पाठक के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि ये दोनों ही हिन्दी के दो सर्वश्रेष्ठ आचार स्तम्भ कवि हैं।

२६ | बिहारी और उनकी सतसई

एक फूल और उसकी सुगंधी से उपवन का कोना-बोना महक उठता है, एक हीरा और अग-जग उसकी चमक के आगे हृत्प्रभ हो जाता है, एक गीत और उसके बोल गायक को तानसेन बना देते हैं, एक ताजमहल और उसकी ललित-बला प्रेम का अमर स्मारक बन जाती है, भाव की एक हिलोर और प्राणा में उत्साह, आँखों में मस्ती तथा पाँव में गति आ जाती है, एक रचना कवि की एकमात्र रचना, और रसिक रति रग रस में डूब जाते हैं, मन में लाल की बतरस का लालच समा जाता है आँखें लाज की लगाम नहीं मानती, तन रह रह कर प्रियतम के मुख पर भाँवरें मरता है अली कली से विघ्न जाता है और 'राधानागरी' की छवीली छवि में, श्याम' का अखियाँ-खियाँ डबकर ही मव-बाधा से छुटकारा पा लेती है। बिहारी सतसई ऐसी ही रचना है। उसके दोहे शृंगार मजूपा के चमकते-दमकते हीरे हैं वाक्य-वाटिका के सुरमित फूल हैं, प्रम-सागर की मुधामयी हिलोरें हैं विलासी मन के लिए पुष्प-वाण हैं, उमादी प्राणों के लिये पायल की मधुर रुनभुन हैं अनुराग की सरस्वती के चरणों की पूजा है। सतसई का जनता में इतना अधिक प्रचार हुआ है कि इसी कारण भाषाओं में बिहारी के दोहों का अनुवाद किया है, कुछ ने दोहों के भावों को हिन्दी में ही अथ छंदों में बाँधने का भी प्रयास किया। कहने को हिन्दी-काव्य-ग्रन्थों में 'रामचरितमानस' सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है किन्तु उसकी लोक-प्रियता का कारण उसकी आदशप्रियता और धार्मिकता है। विशुद्ध वाक्य

क गाते 'बिहारी सतसई' हिन्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य रचना है।

बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकाल में अपितर मुक्तक कवि ही रचना हुई थी। उसमें भी शृंगार का प्राधान्य रहा। राजदरबार में रचनाओं का आदर अधिक हो सकता था जिनमें थोड़े में बड़ी बात नहीं हो। इस दृष्टि से बिहारी के दोहों की गुलनाहिदी में और नहीं। मत्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति का उत्कृष्ट रूप बिहारी के दोहों में दिखाई पड़ता है।

बिहारी का जीवन-युक्त बहुत कुछ अपकार में ही है। केवल इतना है कि इनका जन्म ग्वालियर राज्य में बसुवा गोविन्दपुर नामक ग्राम में हुआ। विवाह के पश्चात् ये मपुरा में आकर रहने लगे। पर-जमाई बन रहने का कारण इन्हें कुछ तिरस्त्रित होना पड़ा था और वह म ये घर रोजत हुए जयपुर में महाराज जयसिंह के दरबार में जा पहुँचे थे, जहाँ इ उचित आश्रय मिला गया।

महाराज जयसिंह से इनकी भेंट होने की कथा भी मनोरंजक है। क जाता है कि उस समय महाराज जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे थे कि राज-काज देखने के लिए भी महल से बाहर नहीं आते थे। कि को कोई उपाय नहीं सूझता था। कहते हैं बिहारी ने यह दोहा लिखकर किसी प्रकार महाराज के पास भिजवा दिया—

नाहि पराग नाहि मधुर मधु नाहि विकास इहि काल ।
झली कली हो सौं बघ्यों, आगे बोन हवाल ॥”

इस दोहे की पढ़कर महाराज जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और तुरन्त बाहर चले आये। उन्होंने फिर राज-काज देखना प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने इसी तरह के और भी दोहे बनाने का बिहारी को आदेश दिया और आश्वासन दिया कि प्रत्येक दोहे पर उन्हें एक भ्रशर्फी दी जाये करेगी। इस प्रकार आश्रित दृष्टि से निश्चित होकर बिहारी ने अपनी सतसई रची।

बिहारी का अपनी सामर्थ्य पर अत्यधिक विश्वास था। तभी उन्होंने काव्य रचना के लिए दोहा जैसा छोटा छन्द चुना। दोहा बहुत छोटा छन्द है और इसमें लम्बे भाव का प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं रहता। इतनी असुविधा के बाद भी बिहारी ने बड़े बड़े भावों को अपने छोटे छोटे दोहों में सफलतापूर्वक बंध दिया है।

यद्यपि बिहारी ने रीतिकाल की परम्पराओं के अनुसार कोई लक्षण-ग्रन्थ नहीं लिखा, परन्तु उनके दोहों में हम विभिन्न रसों भक्तिकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं। भाव अनुभाव और सचारियों की जसो

सयोग शृंगार के वणन में सामान्यतया रूप-सौन्दर्य और उनके हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रेमी प्रेमिका की पारस्परिक वातचीत तथा हास्य विनोद इत्यादि का वणन हुआ करता है। बिहारी ने सबसे अधिक प्रधानता भालबन चेष्टाओं और मुद्राओं को ही दी है। ये अनुभाव के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने कहीं नायक के पतंग उड़ान और उस पतंग की परछाई छूकर नायिका के प्रसन्न होने की कल्पना की है तो कहीं शंख मिचौनी इत्यादि के खेलों की। पारस्परिक उक्ति-प्रमुक्ति का वणन बिहारी में बहुत कम है। पर जहाँ है, वहाँ अच्छा है। जैसे—

‘बाल कहा लाली भई, लोपन कोपन मांह ।
लाल तिहारे दृगन की, परी दृगन में छाह ॥”

बिहारी ने रूप-सौन्दर्य का तो वणन किया ही है, साथ ही उस रूप-सौन्दर्य के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का भी वणन किया है जिससे उनके दोहों की चोट अधिक जोरदार हो गई है। मन बाँधत बेनी बधे, नील छवीले बार में बाल बालों के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव का वणन है।

बिहारी ने शृंगार-रस के उद्दीपन के रूप में प्रकृति के भी वणन किए हैं। बादल, गिले हुए पत्तारा इत्यादि रति-भाव को उद्दीप्त करने के साधन के रूप में वर्णित हुए हैं। बिहारी का प्रकृति-निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्म था। उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी प्रकृति का वणन किया है जो कम होते हुए भी प्रभावी है।

बिहारी का विरह-वणन सयोग वणन सा मनोरम नहीं बन पड़ा। अनेक जगह वह हृदय को छूने में भी समय होता है, परन्तु बहुत जगह वह ऊहात्मक अधिक है। विरह की व्यथा गणित की नाप तोल की वस्तु भी बन गई है। उसका फल यह हुआ है कि उसमें हृदय की सच्ची अनुभूति नहीं रही और ऐसे दोहे अस्वभाविक और खिलवाड़ की सी वस्तु बन गये हैं। परन्तु सबत्र ऐसा नहीं है। उनके विरह के वणन में ममस्पर्श करने की शक्ति भी पर्याप्त है।

कल्पना अनुभूति और मनाविधान की दृष्टि से तो बिहारी के दोह उच्छृष्ट हैं ही सही साथ ही उनका कला-पक्ष भी अत्यन्त सुन्दर है। बिहारी की रचना में हम लगभग सभी प्रकार के अलंकार प्राप्त हो जाते हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष इत्यादि। इनके अतिरिक्त असंगति विरोधाभास, तदगुण जैसे कर्म-प्रयुक्त होने वाले अलंकारों का प्रयोग करके बिहारी ने अपने दोहों में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। बिहारी का अलंकार-विधान उनके सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। अलंकारों के प्रयोग से उनकी रचनाओं में चित्त को पुलकित कर देने की क्षमता आ गई है।

बिहारी का भाषा-पर-विलक्षण अधिकार है। उनकी भाषा का सबसे बड़ा

गुण सामासिकता है। उसमें एक शब्द भी व्यय नहीं होता, और योडे में अधिक बात कह दी जाती है। उनके दोहों की भाषा परिष्कृत साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनकी भाषा में जहाँ-तहाँ धरबी-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। किन्तु ऐसे शब्द कम हैं और वे भाषा के प्रवाह में ही समा जाते हैं, इसलिए खटकते नहीं। अयगमित होने पर भी बिहारी की भाषा चिल्लट और दुर्बोध नहीं हुई। उनकी भाषा के विषय में यह दोहा सुप्रसिद्ध है—

ब्रज भाषा धरनी सब कवियर बुद्धि विशाल ।
सबकी भूपण सतसई, रची बिहारी लाल ।

बिहारी की सतसई को देखने से इस बात में सन्देह नहीं रहता कि बिहारी को धनेक शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। उनके कई दोहों में ज्योतिष, घटक-शास्त्र, वेदान्त, दशन और विज्ञान के सिद्धान्तों का कविता में चमत्कारिक प्रयोग किया गया है। बिरह-ज्वर को उतारने के लिए सुदशन घृण देने वाला उनका दोहा प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार उनके ज्योतिष ज्ञान का परिचय इस दोहे से प्राप्त होता है—

'कुसह दुराज प्रजानि कौ, क्यो न बड़ दुख द्वन्द ॥
अपिक अघेरो जग करत, मिलि मावस रवि चव ॥''

अभावस्था के दिन रवि और चन्द्रमा एक ही दिशा में भाकर मिन जाते हैं तो सप्ताह में अघकार हो जाता है। इसी प्रकार दो राजाओं के राज्य में प्रजा का कष्ट बढ़ जाता है। इनके साम ही अगम्य वस्तु यह है कि शीशव और यौवन की वय संधि में नायिका का रूप इतना निखर उठता है कि सहृदयों के लिए उसका दशन अत्यन्त भाकृतताप्रद हो जाता है। इन्हीं दोहों के लिए बिहारी केवल कविता के क्षेत्र में ही रमे रहने वाले कवि नहीं थे, बल्कि अनेकानेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके उनका वाच्योचित प्रयोग अपनी रचना में करने में भी समर्थ थे।

रीतिकाल के शृंगारी कवि भी जीवन और राजनीति के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों में रूचि लेते थे। यदि बिहारी दबू स्वभाव के होते तो समभवत वे भी राजनीति से दूर ही रहते। किन्तु जिस कवि ने अपनी कविता की पट्टी चोट ही राजा को बिलास-मवन से निकालकर बाय-श्रेष्ठ में लाने के लिए की थी, वह राजनीति के सम्बन्ध में कैसे निश्चेष्ट रह सकता था? जयसिंह मुगलों का पक्ष लेकर मराठा के विरुद्ध लड़ रहे थे। उस समय बिहारी ने अपने एक दोहे द्वारा उनका पक्ष प्रदर्शन करने का अवसर न छोड़ा। वह दोहा यह है—

'स्वारण सुकृत म अम शृषा, बेतु बिहृष बिघारि ।
बाज पराये पानि पर, दू पछीनु न मारि ॥''

कहा जाता है कि यह दोहा व्यथ नहीं गया। उसके बाद से महाराजा जयसिंह का रस शिवाजी के प्रति बहुत परिवर्तित हो गया। उनके प्रयास से शिवाजी और औरंगजेब में संधि हो गई। जब औरंगजेब ने छल से शिवाजी को आगरे में बंद कर लिया, तब उन्हें चालाकी से बाहर निकलवा देने में महाराजा जयसिंह का ही हाथ रहा था।

इस प्रकार सभी दृष्टियों से देखने पर बिहारी का कवित्व और व्यक्तित्व अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का दृष्टिगोचर होता है। बिहारी ने रीति प्रथा की रचना नहीं की और न उनमें केशव का-सा पांडित्य ही था किन्तु अपन छोटे छोटे दाहों में वह जो रस का अमृत भर गये हैं, उसके कारण रीतिकाल के कविया में उनका स्थान सर्वोच्च कहा जायेगा।

२७

भूषण का वीर-काव्य

हिन्दी साहित्य में वीर-रस के कविया में भूषण का स्थान सर्वोच्च है। भूषण की जिस वीर वाणी ने अपने समय में छत्रपति शिवाजी और उनके सैनिकों में उत्साह का संचार किया था वह उनके पश्चात् भी अनेक शताब्दियों तक हिंदू जाति में आत्मगौरव और वीरता की भावनाएँ जगाती आ रही है। अत्याचारी मुगल-साम्राज्य पर पहली मर्मान्तक चोट शिवाजी ने ही की थी जिसमें महाकवि भूषण का सहयोग किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार भूषण ने अपनी कविता में शिवाजी को ऊँचा उठाया, उसी प्रकार वह इतिहास में ऊँचे उठते गये और जिस प्रकार भूषण ने औरंगजेब को अपने काव्य में नीचे गिराया उसी तरह वह इतिहास में भी नीचे गिरता चला गया।

भक्ति-काल के उपरान्त हिन्दी कविता के क्षेत्र में रीतिकाल प्रारम्भ हुआ, जिसमें रीति-श्रयो और शृंगार रस की रचनाओं की ही बहुलता रही। कविता का रस नग्न शृंगार की दलदल में फसकर रह गया। नायिकाओं के भेदों उप-भेदों, रसा तथा अलंकारों के निरूपण के अतिरिक्त किसी ऐसी भावना का चित्रण नहीं हुआ जिसे देश या जाति के लिए अथवा मानव-व्यक्तित्व के लिए महान् कहा जा सके।

इस काल के अधिकांश कवि राज-दरबारों में आश्रय पाकर अपने आश्रय दाताओं का मन-बहुलाव करने के लिए कविताएँ लिखते थे। इसीलिए बिहारी मतिराम और चिन्तामणि जैसे प्रतिभाशाली कविया की कला केवल शृंगार की रचनाएँ लिख पाने तक ही सीमित होकर रह गईं। इसी रीतिकाल में

महाकवि भूषण ने अपनी वीर-वाणी द्वारा इस काल की विलासमयी निस्तब्धता को भंग किया। इन दिनों औरंगजेब के अत्याचार दिनों-दिन उग्र और उग्रतर होते जा रहे थे और शिवाजी उनके विरुद्ध लोहा लेने के लिए उठ खड़े हुए थे। उस काल के कवियों की परम्परा की भाँति भूषण भी आश्रयदाता की खोज करते हुए औरंगजेब के दरबार में पहुँचे थे और उन्हें आश्रय मिल भी गया था किन्तु भूषण की नस-नस में जाति प्रेम कूट-कूटकर भरा था, इसीलिए औरंगजेब के साथ उनकी पटी नहीं। कहते हैं एक बार औरंगजेब ने भरी सभा में कहा—'मेरे सब दरबारी खुशामदी हैं। वे मेरे दोष मुझे नहीं बताते।' इस पर भूषण ने कहा, 'आपके क्रुद्ध हो जाने के मय से ही वे चुप रहते हैं। यदि आप अमय दें तो आपके दोषों को बताने वाले भी यहाँ विद्यमान हैं।' औरंगजेब के अमयदान देने पर भूषण ने एक कवित्त में औरंगजेब के सारे दाप गिनकर सुना दिये। इस पर औरंगजेब अत्यन्त क्रुद्ध होकर तलवार लेकर उन्हें मारने के लिए भपटा और भूषण बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचा सके।

उसके पश्चात् भूषण शिवाजी के आश्रय में चले गये। यह मिलन दोनों के लिए ही अत्यन्त लाभकारी रहा। भूषण को शिवाजी के वीरत्व और जाति प्रेम के कारण उन पर सच्ची श्रद्धा थी और शिवाजी को भूषण की कविता बहुत अच्छी लगती थी। भूषण शिवाजी की खुशामद करने के लिए सच्ची झूठी प्रशंसा नहीं करते थे। शिवाजी के जिन गुणों को देखकर हृदय पर सच्चा प्रभाव पड़ता था, उन्हीं से प्रेरित होकर वे अपनी काव्य-रचना करते थे। यही कारण है कि भूषण की अपनी काव्य-रचना खुशामदी विद्या की रचनाओं से बिल्कुल भिन्न है। न जाने कितने कवियों ने कितने राजाओं की स्तुति में कितने काव्य-ग्रन्थों की रचना की होगी। किन्तु आज उनका अस्तित्व कहाँ है? वे सभी ग्रन्थ काल के ग्रास बन गये हैं, और यदि कहीं किसी राज-परिवार में वे सुरक्षित भी हैं तो भी जनता में उनका आदर नहीं।

परन्तु भूषण का वीर-काव्य काल की तरंगों में विलीन नहीं हो गया। यही इस बात का प्रमाण है कि उस काव्य के पीछे कोई ऐसी प्रेरणा थी, जिसका सम्बन्ध भूषण और शिवाजी के निजी व्यक्तित्व से न होकर जातीय भावनाओं से था। उनके कवित्त आज किसी भी रीतिकालीन रचना की अपेक्षा जनता में अधिक लोकप्रिय हैं। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने रामचन्द्र जी के लोचरक्षक मर्यादापूण चरित्र से प्रभावित होकर अपने अनुपम काव्य-ग्रन्थ 'रामचरितमानस' की और वह रामचरितमानस उस काल की जनता की भावनाओं का सच्चा प्रतिनिधि होने के कारण देश में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ, उसी प्रकार शिवाजी भी अपने काल के जाति रक्षक नेता के रूप में सामने आये

ये। यद्यपि कुछ विदेशी या उनसे प्रभावित इतिहासकारों ने शिवाजी को विगुह राज्य-लोलुप सेनापति के रूप में ही चित्रित किया है, किन्तु उस काल की हिन्दू-जनता उन्हें अपना और अपने धर्म का रक्षक मानती थी। इसलिए साधन हीन होते हुए भी शिवाजी अपने प्रयास-में सफल हो सके। शिवाजी का यह जातिरक्षक और धर्मरक्षक रूप ही भूषण के लिए प्रेरणाप्रद रहा। भूषण के अपने हृदय की ही नहीं अपितु तत्कालीन हिन्दू जनता की भावनाएँ भी मुखरित हुईं। इसलिए भूषण का साहित्य इतना स्थायित्व प्राप्त कर सका।

भूषण की रचनाओं में हम तीव्र जाति-प्रेम के दर्शन होते हैं। मर्यादा और बल में अधिक होते हुए भी हिन्दू राजा आपस की फूट व काँटों से पराजित हो गये थे। इस बात को उन्होंने अच्छी तरह अनुभव किया था। अत्यन्त व्यथित होकर उन्होंने लिखा—'आपस की फूट ही त सार हिंदवान दूटे।'

शिवाजी के प्रतिरिक्त उस काल में मुगल-शक्ति से लोहा लने वाले एक और भी वीर थे महाराजा छत्रसाल। भूषण ने अपने कुछ कविता में छत्रसाल की भी स्तुति की है। इस दोनों के प्रतिरिक्त अन्य किसी भी राजा की स्तुति में उन्होंने कविता नहीं लिखी। इससे स्पष्ट है कि भूषण का काव्य सोने और चाँदी का मोल देखकर खरीदा नहीं जा सकता था। उनकी लेखनी से अपनी प्रशंसा कराने के लिए देश और जाति के हित के लिए अपना रक्त बहाने और प्राण होम करने की आवश्यकता थी।

भूषण ने अपने काल में चल रहा हिन्दुओं और मुसलमानों के सघष का सजीव वर्णन किया है। इसमें दो मत नहीं हो सकते कि उस काल में मुसलमान विदेशी थे और वे यहाँ के निवासियों पर तरह-तरह से अत्याचार कर रहे थे। मुख्यतः उनका उद्देश्य अपने राज्य का विस्तार करना था। किन्तु अपने राज्य की जड़ें दृढ़ करने के लिए उन्हे यह भी आवश्यक पतीत होता था कि जैसे भी हो, हिन्दुओं को बड़ी संख्या में मुसलमान बना लिया जाए। हिन्दू राजनीतिक दृष्टियाँ से पराजित होकर भी अपना धर्म किसी शत पर भी छोड़ने के लिए उद्यत न थे। इसीलिए आपसी सघष उग्र हो उठा था। यदि औरगजेब जैसे अदूरदर्शी शासक धर्म परिवर्तन का आग्रह न रखते तो वसी ही धार्मिक विचित्रता तक बनी रह सकती थी जैसी अकबर के समय विद्यमान थी। किन्तु औरगजेब के दुराग्रह के कारण हिन्दू-जाति के सम्मुख जीवन मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया था। ऐसे समय विश्व-अधुरत्व की भावना विनीत उपयोगी नहीं थी। इसलिए भूषण ने मुक्त-बन्ध से अपने पक्ष का उत्साहवर्धन और परपक्ष का दोष चित्रण किया। युग की मार्ग को देखते हुए भूषण के काव्य को पूर्णतया जातीय भयवा राष्ट्रीय काव्य कहा जा सकता है।

कुठ आलोचकों ने भूषण की कविता पर यह आक्षेप किया है कि वह साम्प्रदायिकता की भावना से भरा हुई है। ये आलोचक-वतमान में रहकर भूषण के काल की परिस्थितियों को भूल जाते हैं। उस समय राष्ट्र मुख्य रूप से हिन्दू राष्ट्र था और मुसलमान विदेशी आक्रांता के रूप में यहाँ आये थे और अपने पाव जमाने का यत्न कर रहे थे जबकि हिन्दू-जाति अपने छिने हुए साम्राज्य को फिर से जमाने के लिए प्रयत्नशील थी। ऐसी दशा में अपने पक्ष का समर्थन और उत्साहवधन किमी प्रकारे साम्प्रदायिक नहीं कहा जा सकता। भूषण को साम्प्रदायिक कहना ऐसा ही है जैसे कोई मैथिली-भरण गुप्त को इस आधार पर जाति द्वेषी कहने लगे कि उन्होंने अपनी-भारत-भारती द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लोग के मन में घृणा और विद्रोह के भाव जागृत किये। वस्तुतः विदेशी आक्रान्ताओं में आत्मरक्षा करने अथवा उनके शासन से मुक्ति पाने का प्रयत्न राष्ट्रीयता का अनिवार्य भ्रग है।

रीतिकाल की रीतिवद्ध परम्परा में रहते हुए भी रस की दृष्टि से अलग वीर-काव्य की रचना भूषण की साहित्यिक क्रांति कही जा सकती है। जिस समय अथ सभी कवि शृंगार की रुढ़ि-ग्रस्त रचनाओं के निर्माण में लगे थे, उस समय उन्होंने विलकुल नये विषय अपनी कविता के लिए चुने। अपने युग के प्रवाह के विरुद्ध चलना अथवा उस प्रवाह को मोड़ना प्रतिभाशाली आन्तिकारी कवियों का ही काम होता है। इस दृष्टि से भूषण का विशेष महत्त्व है।

भूषण के काव्य में एक ही रस प्रधान है वीर-रस। भयानक-रस का भी उन्होंने वीर के सहायक रस के रूप में मुखर चित्रण किया है। इन दोनों का वणन उन्होंने शिवाजी के शौर्य-प्रदर्शन के प्रसंग में किया है। शिवाजी के आतंक से उनके शत्रु मुगलों की कसी दुदशा हो जाती है, जगदा चित्रण करने में भूषण को जैसे विशेष आनन्द आता है। उदाहरण के लिए उनका यह कविता देखिए—

“धकित धकता चौकि उठे बार बार,
दिल्ली बहसति चित चाह करयनि है।
बिलखि बदन बिलखात बिजपुरपति
फिरति फिरिगिनी की नार फरकति है।
धर-धर कापत कुतुबगाह गोलकुडा
हहरि हबस भूप भोर भरकति है।
राजा शिवराज के नगादन की धाक सुनि
केते पातसाहन की छाति दरकति है।”

शिवाजी के अतिरिक्त भूषण ने महाराज छत्रपाल की वीरता का भी

बणन किया है। महाराज छत्रसाल के दरबार में कवि का आदर बहुत था। एक बार स्वयं महाराज छत्रसाल ने भूषण की पानकी अपने कंधे उठा ली थी। छत्रसाल की श्रद्धा और भक्ति देखकर कवि हृदय बोल उठे
 "शिव को सराहो या सराहो छत्रसाल को।"

वीर और मयानक रस के अतिरिक्त भूषण ने अपने शिवराज भूषण भृंगार रस के कुछ पद्य भी रचे हैं किन्तु इममें उन्हें सफलता प्राप्त हो सकी है। यह रस उनकी प्रकृति के भी तो अनुभूत न था।

भूषण की भाषा उनके काव्य विषय के अनुरूप ही ओजपूर्ण है। उभाषा के भाषो के अनुकूल ही ककश और कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। परिणामतः उनके कवित्तों को सुनने में ही हृदय में उत्साह का सँहोने लगता है, भले ही अर्थ पूरी तरह हृदयगमन में हुआ हो। यस्क ही उनकी भाषा में यह दोष भी है कि भाषा का रूप बहुत मध्यवर्ती है। शब्दों को बहुत तोड़ा-भरोड़ा गया है।

भूषण की भाषा अधिवाश स्थानों पर सरल और सुबोध है। उ प्रभावोत्पादकता और चित्रात्मकता का गुण पर्याप्त है। कवि जिस भी प्रकाश वर्णन करने लगता है, उसका चित्र सा आखा के सामने प्रस्तुत कर देता

भूषण के वीर-काव्य ने हिंदू-जाति को नवजीवन प्रदान किया है। उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें उस काल के इतिहास का भी अच्छा पता जाता है। यह बात इस काल के काव्य में अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती

भूषण सरस्वती के सच्चे उपासक थे। उस काल के अर्थ कवियों ने निप्रकार सरस्वती को लक्ष्मी के हाथों बेच दिया था, वँसा दुष्कर्म भूषण ने न किया। शिवाजी से भूषण को अर्थ प्राप्त हुई अवश्य थी, किन्तु अर्थ प्राप्ति लिए भूषण ने काव्य रचना नहीं की थी। उनके काव्य की मूल प्रेरणा जाँ और धर्म के रक्षक के रूप में शिवाजी के प्रति सच्ची भक्ति ही थी। जाती कवि के रूप में भूषण का स्थान चिरकाल तक अमर रहेगा।

२८

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

इस 'सुजलाम्, सुफलाम्, शश्व श्यामलाम्' धरती ने ऐसी असह्य प्रतिभा का जन्म दिया है कि जिनसे मानवता का कल्याण हुआ है जीवन के बंध टूटे हैं इतिहास को नई दशा मिली है देश का सांस्कृतिक विकास हुआ है सामाजिक-मूल्यों में परिवर्तन हुआ है और साहित्य में नए युग का आविर्भाव

हुआ है। भारतेन्दु ऐसे ही प्रतिभाशाली महापुरुष थे जिन्होंने हिन्दी साहित्य में नए युग का प्रवर्तन किया।

आधुनिक हिन्दी और उसके साहित्य के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कवि, नाटककार, लेखक सभी कुछ एक साथ थे। हिन्दी-भाषा को खड़ी बोली का रूप प्रदान करने का श्रेय इनको ही है। लोक-जीवन में हिन्दी को इन्होंने ही प्रतिष्ठित किया। वास्तव में इन्होंने हिन्दी को वर्तमान पद प्रदान करने के लिए बहुत परिश्रम किया। सर्वप्रथम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने ही यह मूल मंत्र दिया था—

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को मूल ॥”

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देश की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था। भारतीय जनता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रान्ति की थी, परन्तु दुर्भाग्यवश पारस्परिक फूट के कारण उसमें असफलता मिली और अंग्रेजों के पर यहाँ पर दृढ़ता से जम गए। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों में फूट डालकर शासन करने की नीति को अपना लिया। सरकारी कार्यालयों तथा न्यायालयों में अंग्रेजी तथा उर्दू को मान्यता दी गई और हिन्दी का बहिष्कार हुआ। विद्यालयों में भी उर्दू को ही उच्च स्थान दिया गया। इससे हिन्दी का विकास अवरूढ़ हो गया। ऐसे समय में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी साहित्य में पदापण कर एक नवीन युग का सूत्रपात किया।

भारत-दुजी को कविता करने का शौक बाल्यकाल से ही था। उनके पिता भी एक अच्छे कवि और नाटककार थे। घर के साहित्यिक वातावरण का बालक हरिश्चन्द्र पर प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पाँच वर्ष की आयु में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया था—

“ले ब्योड़ा ठाढ़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान।

बाणासुर के असुर को, हनन लगे भगवान ॥”

भारतेन्दु ने १६ वर्ष की अवस्था में साहित्य और सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश किया और निरन्तर अठारह वर्ष तक वे हिन्दी तथा हिन्दू-जाति की सेवा करते रहे। यद्यपि उन्होंने केवल चौतीस वर्ष की अल्प आयु ही प्राप्त की थी, परन्तु इस थोड़े से समय में भी उन्होंने इतनी अधिक रचनाएँ की कि उनको देखकर कवि की प्रतिभा पर आश्चर्य होता है।

कवि भारतेन्दु—भारतेन्दु साधारण कवि नहीं थे। उनको हिन्दी के महान् कवियों में विशेष स्थान प्राप्त है। उनका काव्य बहुत ही विस्तृत एवं विविधता-

पूर्ण है। उन्होंने ब्रजभाषा और सड़ीबोली दोनों में कविताएँ की हैं। परन्तु सड़ी बोली में उनकी कविता तुल्यबन्दी से भागे नहीं बढ़ सकी। उनकी कविताओं को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—। भक्ति सम्बन्धी, 2 शृंगार-सम्बन्धी, 3 देश प्रेम-सम्बन्धी, 4 समाज-मुधार-सम्बन्धी।

भक्ति-सम्बन्धी काव्य—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र राधा-वृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास की भाँति उन्होंने भी लगभग उँद हजार भक्ति के पद लिखे हैं। उनके भक्ति-सम्बन्धी ग्रंथों की संख्या लगभग इकतासीस है। सूर की छाप भारतेन्दु पर स्पष्ट दिखाई देती है। कवि ने बाल-लीला, बशी-वणन, भ्रमरगीत आदि भी लिखे हैं। उनसे काव्य में भक्ति छलकी पढ़ती है।

“हम तो मोल लिए या घर के।

बास-बास थी मत्स्य कुल के घाकर राधावर के।

गाता थी राधिका पिता हरि बधु दास धुनकर के।

हरिश्चन्द्र तुम्हरोई कहावत नहीं विधि के नहीं हरि के।

शृंगार सम्बन्धी काव्य—शृंगार-सम्बन्धी रचनाएँ कवि ने घनानन्द और रसज्ञान की भाँति कविता और सर्वथा में की हैं। शृंगार के दोनों पक्ष ही सुन्दर धन पड़े हैं। उनके शृंगार में रीतिकालीन शृंगार-जसी भद्रलीलाता नहीं है। यह सयत एक शिष्ट है। उसका शृंगार-रस का वणन भी पढ़ते ही बनता है—

‘तू केहि चितवत घकित मृगी सी।

के दू दति तेरो कहा खोयो, क्यों भकुलाती लखाति ठगी सी।

तन मुधिकर उधरत रौ भाँवर, कौन खयाल तू रहती खगी सी॥”

देश प्रेम सम्बन्धी काव्य—भारतेन्दुजी का अधिकांश साहित्य देश भक्ति से प्रोत प्रोत है। ‘भारत-दुदगा’ और ‘नीलदेवी’ नाटकों में उनको देश भक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। वे हिंदू और मुसलमानों की एकता के पक्षपाती थे—

जीवन ससरग जात बोसगत इनसों छूटें।

सब सुपय पय घले नित ही सुख सम्पति लूटें॥”

देशभक्ति भारतेन्दु जी के काव्य का प्राण है। भारत की दुदशा को देख कर उनका हृदय रो उठता है। वे कहते हैं—

‘आवहु सब रोवहु मिलि के भारत भाई।

हा ! हा ! भारत दुदशा न बेलि जाई॥’

अप्रेज भारतवप के धन को विदेश में ले जा रहे हैं। यह उन्हें सहन नहीं—

अप्रेज राज सुख साज सज सब भारी।

प धन विदेश घलि जात यहै भति ह्वारी॥”

समाज-सुधार सम्बन्धी काव्य—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र समाज-सुधारक कवि थे। उनका ध्यान समाज में प्रचलित दोषों की ओर भी गया और उन्होंने उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी किया। उन्होंने झाड़म्बरा व पाखण्डा का भी खण्डन किया—

“रचि बहुत विधि के बाध्य पुरानन मोहि घुसाये ।
शव, शावत, यदणव अनेक मत प्रकट घलाये ।
करि कुलीन के बहुत ब्याह बल घोरज मारयो,
विधवा ब्याह नितेध किमो, ध्यभिचार प्रचारयो ।”

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने प्रकृति-वर्णन भी किया परन्तु उसमें उन्हें विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनके प्रकृति-वर्णन का एक उदाहरण नीचे दिया गया है—

‘सोल लहर लहि पवन एक पर इक इमि ध्रावत ।
जिमि नागरन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥”

नाटककार भारतेन्दु—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी आधुनिक हिन्दी नाटकों के भी जन्मदाता हैं। नाटकीय तत्त्वा को लेकर हिन्दी में सर्वप्रथम हरिश्चन्द्र ही आये। इनके नाटकों में प्राचीन तथा नवीन दोनों शैलियाँ के ही दर्शन होते हैं। उन्होंने नाटकों की रचना ‘अभिनय’ की दृष्टि में रखकर की। भारतेन्दु जी के नाटक दो प्रकार के हैं—मौलिक, अनुवादित। सब तो यह है कि भारतेन्दु जी के नाटक हिन्दी की अमर सम्पत्ति हैं। पाण्डय ब्रह्मचर शर्मा ‘उद्य’ ने तो उनके विषय में कहा है—‘भारतेन्दु के बाद आज तक कोई नाटककार हिन्दी में पैदा नहीं हुआ।’

गद्यकार भारतेन्दु—भारतेन्दुजी जितने महान् कवि तथा नाटककार थे, उतने ही महान् गद्यकार भी। यह कहना सत्य ही है कि भारतेन्दुजी आधुनिक हिन्दी-गद्य के जन्मदाता हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा को शुद्ध किया। हिन्दी गद्य में हास्य और व्यंग्य का सूत्रपात सर्वप्रथम उन्होंने ही किया। भारतेन्दुजी ने कई पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित कीं। इनके अतिरिक्त भारतेन्दुजी ने इतिहास, निबंध, आलोचना और आख्यान भी लिखे। अपने उपन्यास लिखने का भी प्रयत्न किया। भारतेन्दुजी ने स्वयं ही साहित्य की सेवा नहीं का बल्कि हिन्दी साहित्य-सेवियों का एक मण्डल भी तैयार किया जो साहित्य के भण्डार को भरता रहा।

भारतेन्दुजी का हिन्दी साहित्य में स्थान—भारतेन्दुजी एक अपूर्व कवि, अद्वितीय नाटककार, सफल इतिहास-लेखक, कुशल निबंधकार और अपने के सुप्रसिद्ध लेखक थे। वे आधुनिक हिन्दी युग के निर्माता हैं, हिन्दी गद्य

दाता हैं और हिन्दी नाटका के नायक हैं। यदि अपने समकालीनो ५० बाल कृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवासदास आदि लेखको के पथ प्रदर्शक हैं और हैं हिन्दी के अमर गायक कवि, जिन्होंने सबप्रथम हमें देश भक्ति का पाठ पढ़ाया। कवि वर सुमित्रानन्दन पंत जी ने उनके विषय में सच ही कहा—

“भारतेन्दु कर गये भारती की वाणी निर्माण।”

२६ | राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के राष्ट्रकवि थे। उनकी रचनाओं में सर्वत्र राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। महात्मा गांधी के नतत्व में देश ने जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, उसकी काव्यमयी व्यंजना गुप्त की रचनाओं में हुई। गांधीजी के राजनीति और समाज-विषयक विचारों को गुप्तजी ने उसी प्रकार कविता में प्रस्तुत किया जिस प्रकार प्रमचन्द्रजी ने अपने उपवासों में किया है। जब देश की जनता स्वाधीनता के लिए छटपटा रही थी और हजारों-लाखों सत्याग्रही और अंग्रेजी नौकरशाही की लाठियों, गोलियों और जेलों की यंत्रणाएँ सह रहे थे उस समय गुप्तजी ने अपनी देश प्रसिद्ध काव्य पुस्तक 'भारत-भारती' रची। यह माँ के चरणों की पूजा का प्रथम पुष्प था। 'भारत-भारती' के बाद भी गुप्तजी ने गांधीजी के सत्याग्रह और प्रहिंसा की नीति, खादी और रचनात्मक कार्यक्रम हिन्दू मुसलमानों की साम्प्रदायिक एकता इत्यादि के समर्थन में कई काव्य-पुस्तक लिखी। अछूतों और स्त्री शिक्षा इत्यादि के आन्दोलनों का समर्थन भी गुप्तजी ने अपनी रचनाओं में किया। वस्तुतः गुप्तजी अपने सारे जीवन भर जनता के मन के साथ-साथ चलते रहें हैं। राष्ट्र की भावनाएँ उनकी वाणी द्वारा प्रकट हुईं। इसीलिए उन्हें राष्ट्रकवि का गौरव प्राप्त हो सका।

मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी-युग की काव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सच तो यह है कि द्विवेदीजी ने ही गुप्तजी को प्रोत्साहन दिया। गुप्तजी की रचनाएँ द्विवेदीजी के सम्पादकत्व में 'सरस्वती' पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं, जिससे हिन्दी के क्षेत्र में गुप्तजी का विशिष्ट स्थान बन गया। बाद में गुप्तजी ने बंगला भाषा से कई उत्तम काव्य-ग्रन्थों के अनुवाद किए और अपनी प्रतिभा एवं साधना द्वारा हिन्दी जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की।

द्विवेदी-युग की कविता की विशेषता उपदेशात्मकता, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता थी। उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता गुप्तजी की रचनाओं

की मुख्य विशेषता है। जहाँ तक नीरसता का प्रश्न है गुप्तजी की प्रारम्भिक रचनाएँ न तो अत्यधिक सरस होती थी और न अत्यधिक नीरस। गुप्तजी की रचनाओं में गद्यात्मकता पर्याप्त रहती थी। इतन पर भी उनकी पद्य-रचना निर्दोष थी। उनके छन्द, न केवल मात्रा यति और गति के दृष्टि से पूरे हैं, अपितु अन्त्यानुप्रास का प्रयोग भी उन्होंने बड़ी कुशलता से किया है। तुक मिलाने में वे इतने पटु हैं कि साधारणतया उनकी तुकों के आधार पर यह जाना जा सकता है कि अमुक रचना गुप्तजी की है। फिर भी शब्दों के चुनाव, भावा की अभिव्यक्ति और अत्यानुप्रास की जोड़-तोड़ के कारण गुप्तजी की रचनाओं में गद्यात्मकता छिप नहीं पाती। तुकबन्दी का मोह उन्हें उच्च कवि की श्रेणी तक नहीं पहुँचाने देता।

गुप्तजी ने तीन दर्जन से अधिक काव्य रचनाएँ हिन्दी-साहित्य को प्रदान की हैं। इनमें महाकाव्य, खण्ड-काव्य, गान्ति-नाट्य और चम्पू इत्यादि कई शैलियाँ मिली हैं। इनमें से 'साकेत और चम्पू' इत्यादि कई महाकाव्य हैं, 'पंचवटी जयद्रथवध' कावा और बरला इत्यादि खण्ड-काव्य हैं, 'अनघ' गीतिनाट्य है और 'यशोधरा' चम्पू-काव्य अर्थात् गद्य-पद्य मिश्रित रचना है।

गुप्तजी की कीर्ति का मुख्य आधार उनका महाकाव्य 'साकेत और चम्पू-काव्य यशोधरा' है। या तो 'भारत भारती' के कारण उन्हें अधिक स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है किन्तु 'भारत भारती' के द्वारा उनका राष्ट्र-प्रेम अधिक प्रकट हुआ है काव्य-कौशल कम। किन्तु 'साकेत' और 'यशोधरा' गुप्तजी की काव्य-रचना के उत्कृष्ट नमूने हैं।

'साकेत' की रचना उमिला के चरित्र को विकसित करने के लिए की गई है। किसी समय विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काव्य की उपशिक्षाओं 'दीर्घक' से एक निबन्ध लिखा था, जिसमें रामायण की उमिला और 'प्रसिद्धान् शाकुन्तलम्' की अनुसूया, प्रियम्बदा इत्यादि की उपशिक्षा बताने हुए उनका प्रति सहानुभूति प्रकट की गई थी और यह आशा प्रकट की गई थी कि यदि भारती कलाकार इन उपशिक्षाओं के प्रति न्याय करना। उगी निबन्ध में प्रसिद्धान् शाकुन्तलम् की उमिला को उपेक्षा के अभाव में न निकाले जाय तो रामायण के लिए 'साकेत' की रचना की। साकेत में गुप्तजी ने उपेक्षा का दूना दूना किया है उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इतने ही तब काव्य की उमिला बनकर रहना उमिला के लिए बुरा था। 'साकेत' को लिखते हुए रामायण के अन्तर्गत काव्य की उपशिक्षाओं की उमिला की भाँति। इतने ही तब काव्य की उमिला बनकर रहना उमिला के लिए बुरा था। 'साकेत' को लिखते हुए रामायण के अन्तर्गत काव्य की उपशिक्षाओं की उमिला की भाँति। इतने ही तब काव्य की उमिला बनकर रहना उमिला के लिए बुरा था।

दाता हैं और हिन्दी नाटका ये नायक हैं। यदि अष्ट समकालीनो ५० बान कृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवासदास आदि लेखको के पय प्रदशक हैं और हैं हिन्दी के अमर गायक कवि, जिन्हाने सबप्रथम हमे देश भक्ति का पाठ पढाया। कवि वर सुमित्रानन्दन पंत जी ने उनके विषय मे सच ही कहा—

“भारते-दु कर गये भारती की वाणी निर्माण।”

२६ | राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त

मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के राष्ट्रकवि थे। उनकी रचनाओं में सबसे राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी उसकी काव्यमयी व्यंजना गुप्त की रचनाओं में हुई। गांधीजी के राजनीति और समाज विषयक विचारों को गुप्तजी ने उसी प्रकार कविता में प्रस्तुत किया जिस प्रकार प्रमचंद्रजी ने अपने उपन्यासों में किया है। जब देश की जनता स्वाधीनता के लिए छटपटा रही थी और हजारों-लाखों सत्याग्रही वीर अंग्रेजी नौकरशाही की लाठियों, गोलीयों और जेलों की यंत्रणाएँ सह रहे थे उस समय गुप्तजी ने अपनी देश प्रसिद्ध काव्य पुस्तक 'भारत भारती' रची। यह माँ के चरणों की पूजा का प्रथम पुष्प था। 'भारत भारती' के बाद भी गुप्तजी ने गांधीजी के सत्याग्रह और प्रहिता की नीति, खादी और रचनात्मक कायन्म हिन्दू-मुसलमानों की साम्प्रदायिक एकता इत्यादि के समयन में कई काव्य-पुस्तक लिखी। अछूतोंद्वारा और स्त्री शिक्षा इत्यादि के आन्दोलनों का समयन भी गुप्तजी ने अपनी रचनाओं में किया। वस्तुतः गुप्तजी अपने सारे जीवन भर जनता के मन के साथ-साथ चलते रहे हैं। राष्ट्र की भावनाएँ उनकी वाणी द्वारा प्रकट हुईं। इसीलिए उन्हें राष्ट्रकवि का गौरव प्राप्त हो सका।

मैथिलीशरण गुप्त द्विवेदी-युग की काव्य-धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सच तो यह है कि द्विवेदीजी ने ही गुप्तजी को प्रोत्साहन दिया। गुप्तजी की रचनाएँ द्विवेदीजी के सम्पादकत्व में 'सरस्वती' पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं, जिससे हिन्दी के क्षेत्र में गुप्तजी का विशिष्ट स्थान बन गया। बाद में गुप्तजी ने बंगला भाषा से कई उत्तम काव्य-ग्रन्थों के अनुवाद किए और अपनी प्रतिभा एवं साधना द्वारा हिन्दी-जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की।

द्विवेदी-युग की कविता की विशेषता उपदेशात्मकता, नीरसता और इतिवृत्तात्मकता थी। उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता गुप्तजी की रचनाओं

की मुख्य विशेषता है। जहाँ तक नीरसता का प्रश्न है गुप्तजी की प्रारम्भिक रचनाएँ न तो अत्यधिक सरस होती थी और न अत्यधिक नीरस। गुप्तजी की रचनाओं में गद्यात्मकता पर्याप्त रहती थी। इतने पर भी उनकी पद्य रचना निर्दोष थी। उनके छन्द न केवल मात्रा, यति और गति के दृष्टि से पूर्ण है, अपितु अन्त्यानुप्रास का प्रयोग भी उहोने बड़ी कुशलता से किया है। तुक मिलाने में वे इतने पटु हैं कि साधारणतया उनकी तुकों के आधार पर यह जाना जा सकता है कि अमुक रचना गुप्तजी की है। फिर भी शब्दों के चुनाव, भावा की अभिव्यक्ति और अत्यानुप्रास को जोड़-तोड़ के कारण गुप्तजी की रचनाओं में गद्यात्मकता छिप नहीं पाती। तुकबन्दी का मोह उन्हें उच्च कवि की श्रेणी तक नहीं पहुँचने देता।

गुप्तजी ने तीन दर्जन से अधिक काव्य-रचनाएँ हिन्दी-साहित्य को प्रदान की हैं। इनमें महाकाव्य, खण्ड-काव्य, गीति नाट्य और चम्पू इत्यादि कई शैलियाँ में लिखी गई रचनाएँ सम्मिलित हैं। उनके साकेत और 'जयभारत' महाकाव्य हैं, 'पंचवटी', 'जयद्रथवध', 'बाबा और कबला' इत्यादि खण्ड-काव्य हैं, 'अनघ' गीतिनाट्य है और 'यशोधरा' चम्पू-काव्य अर्थात् गद्य-पद्य मिश्रित रचना है।

गुप्तजी की कीर्ति का मुख्य आधार उनका महाकाव्य 'साकेत और चम्पू-काव्य यशोधरा' है। यो तो 'भारत भारती' के कारण उन्हें अधिक ख्याति प्राप्त हुई है किन्तु भारत-भारती के द्वारा उनका राष्ट्र प्रेम अधिक प्रकट हुआ है, काव्य-कौशल कम। किन्तु 'साकेत' और 'यशोधरा' गुप्तजी की काव्य-कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।

'साकेत' की रचना उर्मिला के चरित्र को विकसित करने के लिए की गई है। किसी समय विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'काव्य की उपेक्षिताएँ शीपक से एक निबंध लिखा था, जिसमें 'रामायण की उर्मिला और 'अभिज्ञान-शाकुन्तलम्' की अनुसूया प्रियम्बदा इत्यादि को उपेक्षिता बताते हुए उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई थी और यह आशा प्रकट की गई थी कि कोई भावी कलाकार इन उपेक्षिताओं के प्रति न्याय करेगा। उसी निबंध से प्रेरित होकर गुप्तजी ने उर्मिला की उपेक्षा के अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाने के लिए 'साकेत' की रचना की। 'साकेत' में गुप्तजी ने उर्मिला का जैसा चित्रण किया है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि इतने दिन तक काव्य की उपेक्षिता बनकर रहना उर्मिला के लिए बुरा रहा हो। 'साकेत' की पढ़कर हमारे सम्मुख वाल्मीकि और तुलसी की उर्मिला नहीं आती। इन दोनों महाकाव्यों में उपेक्षित रहने पर भी उर्मिला का एक धुंधला-सा किन्तु गुदर चित्र पाठक के मन पर अंकित हो जाता है।

'साकेत' में गुप्तजी ने उर्मिला की विरह-शय्या को मुखरित करने का प्रयत्न किया है। इसमें उह कुछ सफलता भी मिली है किन्तु यह विरह का यदन बहुत लम्बा और इसानि प्रमत्तुलित-सा हा गया है।

मैथिलीशरणजी तुलसीदासजी की भाँति मर्यादावादी हैं और तुलसीदासजी से भी अधिक मर्यादावादी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि जहाँ तुलसीदासजी ने राम के मनका का दाप कवेयी के मिर स हटाकर भवना के मिर दात दिया, वहाँ भी वे कवेयी के मन म थोष्ट भावनाया का सचार प्रतीशन करने का साहम न कर गये क्योंकि एसा करना वाक्य के औचित्य के प्रतिकूल होता। परन्तु मैथिलीशरणजी ने कवेयी में भी उच्चतर भावनाया का विज्ञापन प्रदर्शित किया है और यह समझा है कि इस प्रकार उन्होंने कवेयी के चरित्र को उन्नत कर लिया है।

'साकेत' की रचना उर्मिला को संधवार में से निवालने के लिए की गई है। उर्मिला के साथ-साथ लक्ष्मण का चरित्र भी प्रमुख था जना स्वामाबिक है परन्तु मैथिलीशरणजी राम के इन अन्विक भवन है कि 'साकेत' में राम और सीता ही प्रधान बन गये हैं। लक्ष्मण और उर्मिला उनके गौरव से त्व प्रतीत होते हैं।

'यशोधरा' की रचना 'साकेत' की अपेक्षा अधिक सरस है। इसमें गुप्तजी ने एक पतिपरायणा किन्तु स्वामिमामिनी नारी का चित्रण किया है जो जितना प्राचीन है, उतना ही नवीन और मनोहर भी। गौतम यशोधरा को त्याग कर निर्वाण की खोज में चले गये। उस विरह को यशोधरा ने कितनी दबता और सहिष्णुता के साथ सहन किया और जब तक गौतम स्वयं ही चलकर उसके पास न आये, तब तक वह उनके पास नहीं गई, इसका चित्रण गुप्तजी ने बड़ी सफलता के साथ किया है। यशोधरा को दुख इस बात का नहीं है कि गौतम उसे त्यागकर क्या चले गये अपितु उसे ब्यथा इस बात की है कि वे उस बता कर क्यों नहीं गये। अगर बताकर जाते, तब भी तो वह उनकी सफलता के माग में बाधा न बनती। यशोधरा अपने पुत्र राहुल का लातन-पालन करने में ही अपने दुख को भुलाए रखती है। अन्त में यशोधरा की विजय हानी है। गौतम स्वयं उसके पास आते हैं और जो परम ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है वह यशोधरा को भी प्रदान करते हैं। यशोधरा पुत्र राहुल के साथ सध में दीक्षित हो जाती है।

'यशोधरा' में गुप्तजी ने बहुत कुछ स्वाधीनता से काम लिया है। यथा वसर उन्होंने छन्द का बंधन त्यागकर गद्य का सहारा लिया है और पद्य में भी कहीं कहीं अन्वयानुप्रास का बंधन छोड़ दिया है। इसका फल अच्छा हुआ है। भावनाएँ उन्मुक्त होकर अपने सहज रूप में प्रवाहित हो पाई हैं और इसी-

लिए पाठक के हृदय को सरलता से स्पष्ट कर लेती है। 'यशोधरा' की कुछ पवित्रता तो लोकोक्तिपों की भाँति प्रचलित हो गई हैं। जैसे—

'भ्रवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
भ्रात्रल मे है रूप और आँखो मे पानी।'

'यशोधरा' में प्रवचान्मकता का अंश अवश्य है किन्तु उसमें मुक्तक गीतों का भी अभाव नहीं है। यशोधरा के कुछ गीत भावनाओं की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर हैं। कुछ गीतों की शब्द-रचना भी उत्कृष्ट है। गीत में भाषा का ऐसा परिभाजन अमीष्ट होता है कि उसका जग सा अंश भी खुरदरा या गद्यात्मक न रहने पाए। गुप्तजी की भाषा में वंसी बोललता नहीं रहती जैसी गीतों के लिए अमीष्ट है। उनके गीतों में कोई-न कोई पक्ति ऐसी अवश्य आ जाती है जो फूलों के गुच्छे में सूखी हुई पत्ती के समान खटकनी है। मुक्तक-वाक्य-रचना में गुप्तजी को वंसी सफलता नहीं मिली जैसी प्रवच-काव्य लिखने में मिली है।

'साकेत और यशोधरा' के अतिरिक्त गुप्तजी ने जयद्रथ वध, 'पंचवटी', 'भ्रमण इत्यादि अनेक रचनाएँ लिखी हैं। उनका 'भ्राथ गाँधीजी के सिद्धांतों के समयन में लिखा गया है। इसमें उन्होंने सत्याग्रह के महत्त्व अछूतोद्धार और ग्राम-सुधार इत्यादि समस्याओं को उठाकर रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति पादन के प्रति आग्रह भाव प्रकट किया है।

'पंचवटी' में बाह्य प्रकृति और मानवीय भावनाओं का अत्यन्त सुन्दर चित्रण है। यद्यपि यह पुस्तक आकार की दृष्टि से छोटी ही है परन्तु उसमें राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास-जीवन की एक सुन्दर झलक हमें देखने को मिल जाती है। वास्तव में गुप्तजी की सर्वाधिक सफल रचना यही है।

गुप्तजी ने यत्नपूर्वक विभिन्न सम्प्रदाया और धर्मों के प्रसंगों को लेकर अपनी रचनाएँ लिखी हैं। उनका साकेत राम-चरित्र पर आधारित है 'द्वार' कृष्ण चरित्र पर 'यशोधरा' बुद्ध चरित्र पर 'गुरुवल सिक्क गुरुओं के चरित्र पर, कावा और बबला मुसलमानी इतिहास पर। इस प्रकार उन्होंने अपने काव्य में देश के सभी सम्प्रदाया को स्थान देकर उन सभी का प्रतिनिधित्व करने का यत्न किया है। उनकी प्रवृत्ति तुलसी की भाँति समन्वय की है। इसी कारण वे राष्ट्र-कवि के अधिकारी भी बन पाये हैं।

गुप्तजी की रचनाएँ द्विवेदी-युग की मनोवृत्ति से प्रेरित हैं उनमें इति-वृत्तात्मकता अधिक है। परन्तु द्विवेदी-युग के उपरान्त जब तक छायावाद का विवास हुआ उस समय गुप्तजी भी छायावाद से प्रभावित हुए और उन्होंने नो-स्पूल को छोड़कर सूक्ष्म भावनाओं और सौन्दर्य का चित्रण करना प्रारम्भ

किया। उनका प्रकृति-वर्णनो में भी जहाँ-तहाँ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है, जो छायावाद की विशेषता है। गुप्तजी के प्रकृति वर्णन सरल और सरस हैं।

जहाँ तक भाषा और शैली का सम्बन्ध है, गुप्तजी की भाषा अत्यन्त परिभाषित और सुगठित है। उनकी कविता में यथास्थान अलंकारों का भी उचित प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में शृंगार, करुण वीर और वात्सल्य रस की पुन्दर अभिव्यजना हुई है, किन्तु भयान्दाप्रिय होने के कारण उन्होंने शृंगार का वर्णन बहुत सतत और शिष्ट रूप में किया है।

गुप्तजी न विभिन्न प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है। तुकान्त, धतुकान्त और गीति छन्दों पर उन्होंने अच्छा अधिकार प्रदर्शित किया है। गुप्तजी की भाषा सस्वृतनिष्ठ है। कहीं-कहीं वे ऐसे क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग कर बैठते हैं जो सस्वृत से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए दुर्बोध हो जाते हैं और वही-कहीं वे प्राचीन बोलियाँ के शब्दों को भी जैसे 'कजो' 'दीजो' इत्यादि को अपनी कविता में स्थान दे देते हैं, जिसके कारण रचना अपरिष्कृत सी प्रतीत होने लगती है। कहीं-कहीं तत्सम और तद्भव शब्दों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण भी भाषा का रूप विकृत हो जाता है। इन सब दोषों के होते हुए भी गुप्तजी की भाषा अधिकांशतः सगत, परिष्कृत और अर्थभिव्यक्ति में समर्थ है।

दश प्रेम और राष्ट्रीयता गुप्तजी की नस-नस में रमी हुई है, वे सदा अपने देश और काल की भावनाओं के साथ चलते रहें हैं। गुप्तजी के सम्बन्ध में हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की यह सम्मति बिल्कुल सत्य है—

गुप्तजी सामजस्यवादी कवि हैं। मद में भूलन वाले या प्रतिश्रिया का प्रदर्शन करने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों उनमें हैं। यही राष्ट्रीय कवि के रूप में उनकी सफलता का मूल कारण और रहस्य भी है।

३०

प्रसाद की काव्य साधना

महाकवि प्रसाद युग प्रवक्तव्य युग द्रष्टा, युग प्रतिनिधि कवि थे। इसका कारण उनकी धार्मिक सत्यतामुखी प्रतिभा और विशाल दृष्टिकोण है। महा-गोस्वामी तुलसीदास के अतिरिक्त अथ कोई भी हिन्दी का कवि ऐसा जिसने देवकाल की सीमाओं को साधक-सम्पूर्ण मानवता के लिए

कह उठता है—

‘मेरी झालों की पुतली में, तू बनकर प्राण समा जा रे ।
जिससे कण कण मे स्पन्दन हो, मन में मलयानिस चन्दन हो ।
कहना का नव अभिनन्दन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे ॥”

‘कामायनी’ प्रसादजी का महान प्रबन्ध-काव्य है। अधिकांश विद्वान् तो ‘कामायनी’ को आधुनिक युग का महानतम महाकाव्य मानते हैं। कवि की यह काव्य-साधना आधुनिक हिन्दी कविता के विकास की साधना है। यह कवि की अन्तिम और सर्वोत्कृष्ट रचना है। प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात् इस पर बारह सौ रूपयों का मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी मिला था। इसमें पंद्रह सौ में सारी क्या दी गई है। ‘कामायनी’ में मानव सभ्यता के विकास का भाव से लेकर अत तक प्रतीकात्मक विश्लेषण किया गया है। कामायनी के वर्णन बड़े जारदार हैं फिर भी सकेतात्मक। चरित्र चित्रण की रेखाएँ एक दक्ष शिल्पी की तूलिका के सस्पर्श की परिचायक हैं। क्या रूप, क्या प्रभाव, क्या गुण सब ही कुछ शब्दा में छलके पड़ते हैं। गदराये सेव की भाँति ‘कामायनी’ के छन्दों का सौन्दर्य आन्तरिक भाव की मधुरिमा को प्रकट करता है कामायनी ‘राम चरित मानस’ के समान युग युग का काव्य है। कुछ पक्तियाँ यह प्रमाणित कर देंगी—

‘नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मुकुल अर्धकुला अग्र ।
खिला हो ज्यों विजली का फूल, मेघवत बाच गुलाबी रंग ॥”

X

X

X

‘नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजतनग पगतल मे ।
पीपूष झोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल मे ॥’

छायावादी कवियों की रचनाओं में रहस्यवादिता भी सबसे अधिक प्रसाद के काव्य में ही दिखाई पड़ी। कवि ने शब्दा के प्रत्यभिज्ञादशत को अपने चिंतन का मूल आधार बनाया और चरम आनन्द की साधना को जीवन का कर्तव्य माना।

जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्रीयता के भी दगन होने हैं। कवि ने साहित्य की अनन्य गलियाँ भी अपनी प्रतिभा का प्रसार लिखाया था। उनके नाटक राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत हैं तो उपन्यास और कहानियों में जनहित का पक्ष विशेष रूप से मुखरित हुआ है। परन्तु इसके साथ-साथ उनके काव्य में भी राष्ट्रीय भावना व्यापक रूप से उपस्थित है। प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक चन्द्रगुप्त में मलका का निम्नलिखित गान उल्लेखनीय है—

हिमाद्रि तुम शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ।
स्वयमभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती ॥

अमर्त्य वीर-पुत्र हो, बुढ़ प्रतिभा सोच लो।
प्रसादजी की कविता में 'छायावाद' के सभी बाह्यांग प्रौढ रूप में उपलब्ध हैं। उनकी अग्रस्तुत-योजना बहुत ही समृद्धिशाली एवं सशक्त है। उनकी साक्षात्कार भाषा में भाव-प्रेरित वचन-वक्रता का अनुपम सौन्दर्य है और उनकी कल्पनाएँ शब्दों की 'ध्वनियों' और अर्थों से रमणीय मूल विधान करने में सक्षम हैं।

महाकवि प्रसाद में मानवीकरण की प्रवृत्ति अथवा सभी छायावादी कवियों से सर्वाधिक पायी जाती है। कवि की इस प्रवृत्ति के मुक्तक उदाहरणों के अतिरिक्त कामायनी में भी ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं। इसमें कवि ने लज्जा श्रद्धा, सौन्दर्य आदि सूक्ष्म वृत्तियों के कई सुन्दर मानवीय रूप उपस्थित किये हैं। इस युग में गीति-काव्य का भी बहुत प्रचलन हुआ। इस दिशा में किये गए प्रसाद के प्रयोगों को भाव और कला की दृष्टि से बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त है।

प्रसाद भाव-लोक में जितने महान् हैं, शैली के क्षेत्र में भी उतने ही सक्षम हैं। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शक्तियों को अपनाया। मुक्तक शैली में तो केवल निराला ही उनसे टक्कर ले सकते हैं। 'प्रलय की छाया में' और 'पेशोला की प्रति-ध्वनि' उनकी स्वच्छन्द छंद की अद्भुत कृतियाँ हैं। प्रसाद ने अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी स्वामाविकता से किया है। उपमा और उत्प्रेक्षाएँ सर्वथा नवीन तथा मौलिक हैं। भाषा की दृष्टि से भी प्रसादजी का विशेष महत्त्व है। उनकी भाषा के भी दो रूप हैं—१ व्यावहारिक भाषा, २ सत्कृतनिष्ठ भाषा। प्रसादजी की भाषा में भी सभी स्थानों पर स्वामाविकता है। शब्द-चयन बड़ा अद्वितीय है। भाषा में प्रौढता सौन्दर्य-अवाह और सौष्ठव है। तुकात के लिए कवि ने भड़े तथा ग्रामीण शब्दों का प्रयोग नहीं किया। भाषा की तरह उनकी शैली भी ठोस, स्पष्ट और परिमार्जित है। उनकी शैली पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। छोटे वाक्यों में शमीर भाव पैदा कर देना और फिर उसमें सगीत तथा लय का विधान करना उनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। अोज, माधुर्य और प्रसाद सभी गुण उनकी शैली में हैं। चित्रमयता उनकी शैली का एक विशेष गुण है।

प्रसादजी हिन्दी के युगान्तरकारी कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में युग से ऊपर जीवन के महान् तत्त्वों में सामंजस्य लाने का सफल प्रयत्न किया है। दार्शनिक भाव भूमि पर धारक प्रसादजी ने वर्तमान युग के पीडित और जर्जरित मानव को जो राह दिखाई है, वह सवया अमिनन्दनीय है। हिन्दी के वे वस्तुव्यवस्था के उद्घान में अपने भावों तथा विचारों

के सम वय म अपने प्रकृति चित्रण मे, अपने भावो को गीतात्मक रूप दन म नवयुग के साहित्य मे मूधन्य पद के अधिकारी हैं ।

३१

नाटककार प्रसाद

श्री जयशकर प्रसाद हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ और युगान्तरकारी नाटककार हैं। उनकी नाट्यकला मे पुरातन और नूतन का अद्भुत मिलन हुआ है। उनके 'सज्जन' 'करुणालय' 'प्रायश्चित्त' आदि आरम्भिक नाटको पर प्राचीन भारतीय नाट्यशिल्प का प्रभाव पडा है, स्कन्दगुप्त, अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त का नाट्यशिल्प शेक्सपियर के नाट्यशिल्प से प्रभावित हैं। उनकी 'ध्रुवस्वामिनी' के नाट्य शिल्प पर शाँ और इन्सन का काफी प्रभाव है।

प्रसादजी विशेषत एतिहासिक नाटककार हैं। उन्होंने तेरह नाटक लिखे जिनमे से आठ एतिहासिक, तीन पौराणिक और दो प्रतीक नाटक हैं। 'एक घूट' और 'कामना' प्रतीक नाटक हैं एतिहासिक नहीं। पर हम यह भी कहे कहे कि आधुनिक युग की समस्याओं और उलझनों से कहानी ली गई है। अत हम कह सकते हैं कि प्रसाद जी मृत और पूणत अतीत के चित्रण के नाटककार हैं। विद्यास की भूमिका म प्रसाद जी ने अपने नाटकों की रचना का उद्देश्य इस प्रकार लिखा है— मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित प्रस म से उन प्रकाण्ड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है।'

हम जानते हैं कि प्रसादजी अपने इस उद्देश्य मे पूणत सफल हुए हैं। महाभारत से लेकर हयवर्द्धन तक के प्रमुख युग के इतिहास को उन्होंने प्रकाशित किया है। बौद्ध काल मौर्य काल और गुप्तकाल आदि की राजनीतिक उदयल पुयल का अकन उनकी सशक्त लेखनी न किया है। इतिहास के इतने युगो का इतना मार्मिक चित्रण गायद ही कोई दूसरा नाटककार कर सका हो। उन्होंने इतिहास के अप्रकाशित अंग का प्रकाशन किया और विदेशियों ने जो हमारा इतिहास विवृत कर दिया था उसको शुद्ध रूप म प्रस्तुत किया है। सांस्कृतिक चेतना सबन प्रमुख है।

प्रसादजी ने इतिहास का अवन रसात्मक ढंग से किया है। उन्होंने वस्त्र का प्रयोग इतिहास की बातों को एकमूर्तता मे पिरोने के लिए किया है और नाटकीय प्रभाव व उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्पित पात्रो की सृष्टि की है। उन्होंने इतिहास को तीव्र मरोड पर प्रस्तुत नहीं किया। उसका विद्युद रूप

हमारे सामने रखा है। उनके नाटकों के अधिकांश स्त्री-मात्र कल्पित हैं और अधिकांश पुरुष-मात्र ऐतिहासिक। उनकी कल्पना का एक रूप देखिए।

डा० सोमनाथ गुप्त के अनुसार, 'ऐतिहासिक घटनाओं के कारण प्रसादजी की सीमाएँ कुछ सकुचित हो गई हैं। यद्यपि नाटक इतिहास नहीं होता परन्तु फिर भी किसी नाटक-लेखक को यह अधिकार नहीं रहता कि वह घटनाओं की सत्यता में परिवर्तन कर सके। प्रसाद जी की स्थिति इस दृष्टि से और भी कठिन थी। उनकी घटनाओं के सम्बन्ध में निर्वाह की अनेक सूक्ष्म कठियाँ उन्हें प्राप्त नहीं थी। ऐसे स्थानों पर उन्होंने अपनी कल्पना की सजीवता से नाटक को और अधिक रुचिकर बना लिया है। स्त्री-यान्त्रों के सन्निवेश से वह कार्य अधिकांश में सफल हो सका है।'

प्रसादजी के नाटकों का सांस्कृतिक महत्त्व भी है। डा० नगेन्द्र ने प्रसाद के नाटकों का मूलधार भारतीय संस्कृति को बताया है। उनके शब्दों में, 'प्रसाद के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है। आर्य संस्कृति में उन्हें गहन आस्था थी, इसीलिए उनके नाटकों में भारत के इतिहास का प्रायः वह परिच्छेद है—चन्द्रगुप्त मौर्य, हर्ष—जिसमें उसकी संस्कृति अपने पूर्ण वैभव पर थी—ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृतियों के सघर्ष से जब उसका स्वरूप प्रखर हो उठा था। उनके नाटकों में ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति का घुप-छाँही आधार मिलता है।'

प्रसाद जी के नाटकों में निःसादेह अतीत का चित्रण है, उनमें ऐतिहासिक तत्व की सुरक्षा है किन्तु फिर भी उनमें आधुनिक युग की समस्याओं का चित्रण भी सशक्त और मुखर रूप से हुआ है। डा० सोमनाथ गुप्त ने लिखा है कि प्रसाद जी अपने युग से प्रभावित होकर इतिहास द्वारा अपने युग का चित्रण भी करते रहे हैं। उनके शब्दों में 'चन्द्रगुप्त' में जिस प्रकार के राष्ट्रीय जागरण का चित्रण उन्होंने किया है और उसका जैसा विस्तार सगठित हुआ है उसका मूल में आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप मिलता है। आय-पताका लेकर चलका देश-प्रेम की जो अलख जगाती फिरती है उनमें आधुनिकता का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है। चाणक्य, सिंहरण और चन्द्रगुप्त के बीच जिस राष्ट्रीय भावना की चर्चा होती है उसका भी यही रूप है स्कन्दगुप्त जिस सम्पूर्ण आर्यावत्त की रक्षा का भार लेकर चलता है वह अवश्य ही गुप्त-साम्राज्य से महत्तर वस्तु है। पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी जो इतना अधिक देशप्रेम का सकल्प लिए दिखाई पड़ती हैं और पुरुषों की चिरसगिनी बन कर उनके उद्योग में योग दे रही हैं उसके मूल में भी वर्तमान युग की प्रवृत्ति है। ध्रुवस्वामिनौ में जो पुनर्विवाह और नारी समस्या खड़ी है उसमें भी आधुनिकता ही ध्वनित हो रही है।

भाषार्थ रामचन्द्र शुक्ल ने भी प्रसाद जी के नाटकों में प्राधुनिकता को स्वीकार किया है। उनका कहना है, 'प्रसाद के नाटक यद्यपि ऐतिहासिक हैं पर उनमें प्राधुनिक आदर्शों और मानवार्थों का आभास इधर-उधर बिखरा मिलता है।' 'स्वदगुप्त' और 'चन्द्रगुप्त' दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्वप्रेम और प्राध्यात्मिकता का प्राधुनिक रूप-रंग बराबर झलकता है। भाजकल के मजहबों दलों का स्वरूप भी हम 'स्वदगुप्त' में देख सकते हैं।'

प्रसादजी के नाटकों की एक अन्य विशेषता है युग की सामाजिक और दार्शनिक विचारधाराओं का निर्देश करना। उनके सभी नाटकों में दार्शनिकता विद्यमान है। 'जनमेजय का नागयज्ञ' जैसे पौराणिक नाटक में एक विशेष प्रकार का दार्शनिक सघष है। 'चन्द्रगुप्त' में चाणक्य और दाण्ड्यायन प्रसादजी के दर्शन को उपस्थित करते हैं। प्रेममूलक दर्शन की अभिव्यक्ति के लिए प्रसादजी ने नारी-चरित्रों का सज्जन किया है। भजातशत्रु और विशाल में बौद्ध दर्शन की झलक है। कामना में मानवीय मनोवृत्ति को चित्रित किया है। या तो प्रसादजी के सभी नाटक मनोवैज्ञानिक आधार लिए हुए हैं परन्तु इसमें तो मन-सम्बन्धी वृत्तियों का ही सघष है। 'सतोष' और 'विवेक' मनोभाव 'विनोद' और 'विलास' के सघष में प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रकार प्रसादजी के नाटकों में तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अर्थ परिस्थितियों का सुन्दर चित्रण हुआ है।

डॉ० नगेन्द्र का दृढ़ मत है कि 'देशभक्ति का इतना शुद्ध और पवित्र रूप मैंने हिन्दी साहित्य में कहीं नहीं देखा'। आज की प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता पर भी 'चन्द्रगुप्त' में अनेक तीखे व्यंग्य हैं।

प्रसाद जी के नाटकों में दार्शनिक अभिव्यक्ति भी दर्शनीय है। उनके प्रत्येक नाटक में कोई न कोई पात्र दार्शनिक गुणधर्मों को प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत होता है। वही पर बौद्ध-दर्शन के दुःखवाद से प्रभावित होते हैं और वहाँ श्व दर्शन के आनन्दवाद को मानकर चलते हैं। डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के शब्दों में प्रसादजी के दर्शन की एक झलक इस प्रकार है—प्रेम के क्षेत्र में भी विषय दिखाई पड़ता है। परन्तु प्रकृत सम्बन्ध का मूलसूत्र अवश्य ही दिव्य और मंगलमय है। यदि उसमें किसी प्रकार की विकृति आई भी तो प्रकृति सुधार का प्रयत्न करती है, प्रयत्न सफल होता है, विकृति के स्थान पर प्रकृति की विजय हो जाती है। यह विकृति द्वारा जनित दुःखलता तभी उत्पन्न होती है जब स्त्री और पुरुष अपने-अपने माहात्म्य का सीमोल्लघन करते हैं। जब एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है तो नाना प्रकार की अवस्थाएँ उत्पन्न होकर प्राकृत-सौन्दर्य को विकृत बनाने लगती हैं। यदि उनमें प्रकृत सम्बन्ध बना रहे तो समाज में सुख, शान्ति और मंगल की विभूति बिखर

जाती है।'

प्रसादजी की नाट्यकला की एक विशेषता यह भी है कि वह अपनी मूल वेदना में न सुखात है और न दुःखात। डॉ० नगेन्द्र ने इसीलिए उनके नाटकों का 'प्रमादान्त' कहा है। प्रोफेसर शिलीमुख ने कहा है कि प्रसादजी की सुखात भावना प्रायः वैराग्यपूर्ण शान्ति है।

प्रसादजी के नाटकों में पात्रों की योजना और चरित्र-चित्रण का विशेष महत्त्व है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि उनके पात्र या सिर्फ अच्छे हैं या सिर्फ बुरे। सच बात यह है कि उन्होंने पात्रों का चरित्रांकन मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। पात्रों के गुणों के साथ-साथ उनकी कमजोरियाँ का चित्रण भी प्रसादजी ने किया है। पात्रों का अन्तर्द्वन्द्व भी दिखाया गया है। उनके पात्र परिस्थितियों से लड़ते हुए नजर आते हैं। 'स्कन्दगुप्त' की विजया मेधा ही पात्र है।

उनके नाटकों में पात्रों की बहुलता है। उनके नायक धीरोदात्त भी होते हैं। चन्द्रगुप्त नाटक का बाणक्य गूढ प्रकृति का पात्र है। नारी चित्रण में प्रसाद की विशेष क्षमता प्रकट हुई है। उन्होंने नारी की आदर्श कल्पना की है, परन्तु उसकी आकषक और विचपर रमणीक और भयावह कल्पना भी प्रस्तुत की है। नारी-चित्रण में प्रसादजी की अनुभूति और कल्पना को अधिक अवसर मिला है क्योंकि यहाँ उन पर इतिहास का बंधन नहीं है। डॉ० सोमनाथ गुप्त व अनुसार प्रसाद की चरित्र-चित्रण कला इस प्रकार की है—'अपनी चरित्र चित्रण कला में प्रसादजी ने एक नई प्रणाली का उपयोग किया। प्रत्येक नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ एक ऐसा भी मनुष्य है जो विपत्तियों में समता लाने का उद्योग करता है। सत्कारों में परिवर्तन अधर्म पर धर्म की वजय, कठोरता पर कोमलता का प्रभुत्व और विरोधी के प्रति कष्टनाश का भाव उत्पन्न करना उसका प्रधान कार्य है। कभी-कभी तो यह काम किसी पशु महात्मा से लिया गया है। जैसे दिवाकरमित्र, प्रेमानन्द व्यास, शैलम और मिहिरदेव आदि और कभी-कभी स्त्रियों ने गिरते हुएों को समाला अपनी स्त्री जय इच्छाओं का त्याग करके। अलका मालविका और रत्नेना ऐसी ही सतनारिणियाँ हैं। सच बात यह है कि प्रसादजी चरित्र निर्माण बहुत दुःख थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे चरित्र रखे हैं जो ऐतिहासिक परिस्थिति का चित्रित कर सकें और साथ ही जिनमें नाटकीय चरित्र बनाने की शक्ति हो। उन्होंने काल्पनिक पात्रों का ऐतिहासिक पात्रों से योग किया है। वे उनके नाटकों में अनुरक्तता का वातावरण मिलता है। चरित्रों की जीवता और बहुरूपता उनका सबसे प्रथम गुण है। चरित्र-निर्माण सम्बन्धी जो दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सभी पात्रों में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा

की है।'

तत्कालीन युगों की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास धारामों का चित्रण प्रसादजी ने किया है। यही कारण है कि उनके नाटकों में पात्र बहुत हैं। प्रसादजी के पात्र मृत अतीत के निर्देशन नहीं हैं, वर्तमान के लिए भाव सन्देश लिए हैं और भविष्य की छाया भी उनमें विद्यमान है। यदि उनके नाटक नई नाट्य-शैली का पूरी तरह अनुवर्तन नहीं करते, तो वे पुराने नाटकों के अनुकरण से भी दूर हैं।

प्रसादजी के नाटकों में कथोपकथन का सौंदर्य भी दशनीय और महत्वपूर्ण है। ये सवाद नाटक के कथानक को बराबर भ्रमसर करते हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण में पूरा योग देते हैं। उनके कथोपकथनों में सजीवता स्वाभाविकता और भाविकता मिलती है। उनके नाटकों के अनेक स्थलों के सवाद और विषय व्यावहारिक और विषय के अनुकूल हैं। पात्रों की प्रकृति के अनुकूल और कथा के अनुसार सवाद वहीं वेगयुक्त और मन्दगामी होते हैं। उनके नाटकों में प्रेम और भावुकता से युक्त कथोपकथन को प्रधानता मिली है और दूसरी ओर धीरे रस का उत्साह, जोश और भावेश मरा हुआ रहता है। उनके सवादों में सक्रियता का रूप भी मिलता है। ये सवाद मात्र सवाद ही नहीं हैं अपितु शारीरिक क्रियाओं का भ्रमन भी इनके द्वारा होता है।

प्रसादजी के नाटकों के सवादों में काव्यात्मक सौंदर्य विशेष-दशनीय है। उनका एक-एक सवाद गद्य-गीत का नमूना है। उनके सवादों में उपमाभा और रूपकों की ऋद्धि होती है। इतना ही नहीं उनके प्रारम्भिक नाटकों के सवादों में कविता का प्रयोग भी हुआ है और तुकान्त सवाद भी मिलते हैं। डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा का कहना है कि यों तो सवादों में कविता का प्रयोग भारतीय नाट्य-परम्परा की वस्तु है परन्तु 'प्रसाद पर नवीन युग की पारसी पद्धति का प्रभाव दिखाई पड़ता है क्योंकि 'उत्तररामचरित' या 'अभिज्ञान शाकुन्तल' वाली काव्य-प्रयोग प्रणाली उन्होंने ग्रहण नहीं की।

डॉ० सोमनाथ गुप्त ने इस सम्बन्ध में कहा है कि सवाद और पात्रों द्वारा वस्तु निर्देशन (Delivery) में प्रसाद ने एक नूतनता ला दी। भारत-नुकाल के सवादों का तक भी इनके सवादों में बना रहा और साथ ही उनमें भावुकता की भी छाप लग गई। प्रसाद ने इस सम्बन्ध में स्वगत और सूच्य दोनो शैलियों का समुचित उपयोग किया है। कहीं-कहीं पर उनके पात्रों के अनावश्यक भावुक भाषण बड़े अस्वाभाविक एवं अरुचिकर हो गए हैं। परन्तु यह त्रुटि कुछ सीमा तक क्षम्य हो सकती है। प्रसाद का हृदय भावुक कवि का हृदय था अतएव यदि किसी स्थल पर वह अपने नाटककार रूप में कवि रूप का भाषिक्य कर दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

प्रसाद के नाटका की एक विशेषता है गीत-योजना। प्रसाद के गीत तीन प्रकार के हैं जो पात्रों के तीन स्तर निश्चित करते हैं। एक प्रकार के गीत वे हैं जो कामुक और समयहीन व्यक्तियों के हैं। कंठी कड़ी रूप की 'ज्वाला' जैसे गीतों में विलासिया के रूप में बड़ी ज्वाला दिखाई पड़ती है। उन्हें पवित्र सुनहरी उषा भी मद्य पिलाती है। 'उषा सुनहली मद्य पिलाती। (भजात० क्यामा का कयन) उनके श्वातो से चिगारी उठती है। मादकता लाली के डोरे इधर फँस हो पलका से। इस प्रकार भोगासक्त और विलास प्रमत्त पात्र अपनी कुछ प्रवृत्ति की क्षुधा-वृत्ति को ही सौंदर्य-बोध की इतिथी समझ लेते हैं। इस प्रकार के गीत सरल हैं।

दूसरे प्रकार के गीत वे हैं जो समयी पात्रों के द्वारा गाये गए हैं। ऐसे गीतों के कण्ठ की अनुभूति की समयता में जो गीत फूट पड़ा है वह सुधा साधकों के कण्ठ की अनुभूति की तमयता में जो गीत फूट पड़ा है वह सुधा रस की वर्षा करता है—कल्याणी मालविका, देवसेना आदि द्वारा गाये गए गीत इसी श्रेणी के हैं। कल्याणी चन्द्रगुप्त की स्मृति में गाती है कि हे कुमुद बभ्रु (चन्द्र), अपने धर्म-कणों से बभ्रुधा को स्नान करा दो जिससे भवकार दूर हो जाये और सब्र प्राणिक छा जाये—'सुधा सीकर से नहला दो।

तीसरी कोटि में अध्यात्मवादियों के गीत हैं। प्रसाद के गीतों का विषय मुख्यतः विषय प्रधान नहीं व्यक्ति प्रधान है।

डा० सोमनाथ गुप्त के शब्दों में प्रसाद के गीतों की विशेषता यही है कि वे शुद्ध काव्य भी हैं और परिस्थिति विशेष का उदघाटन करने वाले भावचित्र भी। उनके द्वारा गद्य-समापण सुनते सुनते दशकों और पाठकों की एकरसता भी मग हो जाती है और वस्तु-वियास एव चरित्र भी स्पष्ट हो जाता है। वे संगीत के भी रसक हैं और मनोरञ्जकता के प्रचारक भी। उनमें मानवीय प्रेम भी है और ईश तया देश प्रेम भी। प्रसाद के पूर्ववर्ती नाटककारों में गीत-काव्य की ये विशेषताएँ और नाटक में उनकी उपयोगिता इन सीमा तक नहीं पहुँची। प्रसाद के गीतों ने नाटकों को वास्तविक 'दश-काव्य' का रूप दे दिया है।

डा० दशरथ घोषा ने प्रसादजी के नाटकों के गीतों की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

"इन गीत-काव्या में विरहिणी का प्रवृत्त प्रेम प्रेमीयत नारी का प्रेम-प्रताप, धसकल व्यन्ति के हृदयोद्गार, श्रद्धालु का विश्वास, सत्यासी का वैराग्य पिपासु की अनुनय विनय, नारी का आत्मसमर्पण, माष्टुन्नमि, ममत्व देशप्रेमी की सत्यनिष्ठा, पराजित के अश्रु, भतीत स्मृति की टीस और रसक, भावना का आरोह अध्यात्म का चिन्तन आदि लौकिक-पारलौकिक अनेक भावों और

विचारो का एक स्थल पर सम्मिलन दिखाई पड़ता है।”

प्रसादजी ने अपने नाटको में विशेष रूप से धीर रस को प्रधानता दी है। ‘चन्द्रगुप्त’, ‘स्कन्दगुप्त’, जैसे नाटको में धीर रस ही अग्री रस है। इसके प्रति रिक्त शृंगार, दान्त धीर हास्य रस का परिपाक भी हम बीच-बीच में मिलता है। ध्रुवस्वामिनी में हास्य व्यंग्य का जो उत्कृष्ट रूप मिलता है। वह अत्यन्त दुलभ है। इस नाटक का हास्य विद्रूपक-जसा हास्य नहीं है अपितु परिस्थितियों और व्यक्त का अकन करके उनके ऊपर एक तीव्र व्यंग्य है।

प्रसादजी के नाटको में रगमच सम्बन्धी कुछ दोष हो सकते हैं और भी, फिर भी अनेक गुण हैं जो हम मुग्ध करते हैं। उनके नाटको में अभिनय के उपयुक्त तत्त्व भी विद्यमान हैं यदि दृश्य-बोध की अपेक्षा कर दी जाय, तो उनके नाटको में घटनाएँ बहुत हैं। कार्य-व्यापार में बड़ी तीव्रता है, प्राकृतिक मोहो का चातुर्य है, नाटकीय मानव व्यापार का बाहुल्य है भावुकता प्रधान कवित्वमय यथोपकरण है। प्रसादजी के नाटकों के प्रथम और अन्तिम दृश्य बड़े मनोरंजन और आकर्षण से युक्त होते हैं। दृश्य विधान हम मुग्ध कर देता है। रसानुभूति अथवा प्रभावानुभूति इन नाटको का प्राण है। प्रसादजी के अन्तिम नाटक ध्रुवस्वामिनी में अभिनय सम्बन्धी सभी विशेषताएँ हैं जिनके कारण उसे उच्चकोटि का नाटक कहा जाता है। अन्त में हम डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में कह सकते हैं —

‘इस प्रकार इन नाटको का महत्त्व असीम है। एक ओर जहाँ पाठक उनके दोषों को देखकर विक्षुब्ध हो उठता है, दूसरी ओर उनकी सक्ति और कविता से अभिभूत हुए बिना भी नहीं रह सकता। ये नाटक अज्ञान में जितने महान हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं। प्रसादजी की टूँजेडी की भावना उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान् कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य उनका काव्य-स्पर्श हिन्दी में तो अद्वितीय है ही, अन्य भाषाओं और नाटकों की तुलना में भी उसकी ज्योति मलिन नहीं पड़ सकती।

३२ सुमित्रानन्दन पन्त और उनका काव्य

आधुनिक हिन्दी कविता को नया मोड़ और नई दिशा देकर उसे विचारों की नई शक्ति भावा का नवीन सौंदर्य कल्पना का नया ऐश्वर्य और अभि व्यक्त का नया शृंगार देकर नवीन व्यक्तित्व प्रदान करने वाला ये सुमित्रानन्दन पन्त का नाम बड़े आदर और प्यार के साथ लिया जायेगा।

पन्तजी हिन्दी के सुकुमार कवि हैं। इन्होंने प्रेम, सौन्दर्य और जीवन की

कोमलता के गीत गाये है। अपने भावना-सौन्दर्य, कल्पना-सौन्दर्य, भाषा-सौन्दर्य और शब्द-सौन्दर्य से इन्होंने हिन्दी कविता को सर्वांग सुन्दरी बनाया है। इनकी कविता के श्रीडा-कौतूहल, सौन्दर्यशील स्पन्दन तथा स्नेह-पुलक से हिन्दी कविता को नये जीवन-रस की उपलब्धि हुई है।

पतजी ने अनेक काव्य-ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को प्रदान किये हैं। यथा उच्छ्वास, वीणा, ग्रथि, पल्लव, गुजन, युगात् युगवाणी, ग्राम्या, स्वणधूलि, उत्तरा, अतिमा, रश्मि-बधु लोकायतन इत्यादि। इन रचनाओं का अध्ययन करने पर पतजी के काव्य-चेतना के विकास के तीन सोपान परिलक्षित होते हैं—१ रोमांटिक युग, २ बाह्य चिन्तन युग और ३ बहिरंग चेतना के समन्वय का युग।

रोमांटिक युग की ग्रथि, पल्लव और गुजन तीन प्रमुख रचनाएँ हैं। इनमें मधुर प्रणयानुभूति, मुदत कल्पना, सौन्दर्य चेतना, प्रकृति के प्रति असीम मोह, लाक्षणिक भूतिमत्ता, भाषा सगीत, दार्शनिक चिन्तन तथा अन्तमु खता के दर्शन होते हैं।

पतजी का शैशव प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत अल्मोडा जिले के पवतीय ग्राम कौसानी में बीता है। सुरम्य प्रकृति की गोद में रहने से प्राकृतिक सौंदर्य और सुपमा के द्वारा उनके हृदय में कविता का स्फुरण हुआ। स्वयं पत जी ने कहा है—'कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्म भूमि कूर्मांचल प्रदेश को है।' इसी सौंदर्य का वाणी और चेतना की तमयता को भूत रूप पतजी की कविताओं में दिया। अपनी प्रथम कलाकृति वीणा में पतजी ने प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूतियाँ का चित्रण किया है। उन्होंने निम्न पक्तियों में प्रकृति का एक चित्र प्रस्तुत किया है—

‘गिरि का गौरव गाकर भरभर, मद से नस-नस उल्लेखित कर।

गीतों की लट्टियों से सुंदर, भरते हैं भाग भरे निभर ॥

ग्रन्थि में कवि के पांडित्य और प्रतिभा का मणि-कांचन योग दर्शनीय है। 'वीणा' में प्रकृति-सौंदर्य निरीक्षण के पश्चात् कवि ग्रथि में प्रेम का कवि बन गया है। सयोग और वियोग से उत्पन्न तरुण हृदय की मार्मिक अनुभूतियों का ग्रन्थि में अच्छा सग्रह है।

'गुजन' में प्रथम प्रेम की अलौकिक भाव विभोरता और आत्मोल्लास का स्वर विशेष रूप से मोहक है। इसमें कहीं-कहीं चिंतन की भी प्रधानता हो गई है। वस्तुतः इन रचनाओं में कवि अतमु खी वृत्ति के कारण बाह्य जगत में प्रायः तटस्थ रहकर एक ऐसे मनोराज्य के निर्माण में व्यस्त है जहाँ सब कुछ

विचारों का एक स्थल पर सम्मिलन दिखाई पड़ता है।”

प्रसादजी ने अपने नाटकों में विशेष रूप से धीर रस को प्रधानता दी है। ‘चन्द्रगुप्त’, ‘स्कन्दगुप्त’, जैसे नाटकों में धीर रस ही अग्री रस है। इसके प्रति खिलत शृंगार, शांत और हास्य रस का परिपाक भी हमें बीच-बीच में मिलता है। ध्रुवस्वामिनी में हास्य-व्यंग्य का जो उत्कृष्ट रूप मिलता है। वह अन्य दुर्लभ है। इस नाटक का हास्य विदूषक-जैसा हास्य नहीं है अपितु परिस्थितियों और व्यक्ति का भ्रमन करके उनके ऊपर एक तीखा व्यंग्य है।

प्रसादजी के नाटकों में रगमच सम्बन्धी कुछ दोष हो सकते हैं और हैं भी, फिर भी अनेक गुण हैं जो हमें मुग्ध करते हैं। उनके नाटकों में अमिनय के उपयुक्त तत्त्व भी विद्यमान हैं यदि दृश्य-बन्धों की उपेक्षा कर दी जाय, तो उनके नाटकों में घटनाएँ बहुत हैं। कार्य-व्यापार में बड़ी तीव्रता है, प्राक्स्मिक मोड़ों का चातुर्य है, नाटकीय मानव व्यापार का बाहुल्य है। भावुकता प्रधान कवित्वमय यथोपकथन है। प्रसादजी के नाटकों के प्रथम और अन्तिम दृश्य बड़े मनोरंजन और भावपूर्ण से युक्त होते हैं। दृश्य विधान हम मुग्ध कर देता है। रसानुभूति अथवा प्रभावानुभूति इन नाटकों का प्राण है। प्रसादजी के अन्तिम नाटक ध्रुवस्वामिनी में अमिनय सम्बन्धी सभी विशेषताएँ हैं जिनके कारण उसे उच्चकोटि का नाटक कहा जाता है। अन्त में हम डॉ० नोद के शब्दों में कह सकते हैं —

“इस प्रकार इन नाटकों का महत्त्व असीम है। एक ओर जहाँ पाठक उनके दोषों को देखकर विक्षुब्ध हो उठता है, दूसरी ओर उनकी सक्ति और कविता से अभिभूत हुए बिना भी नहीं रह सकता। ये नाटक अशा में जितने महान हैं सम्पूर्ण रूप में उतने नहीं। प्रसादजी की दृष्टि की भावना, उनकी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चेतना, उनके महान् कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य उनका काव्य-स्पर्श हिन्दी में तो अद्वितीय है ही अन्य भाषाओं और नाटकों की तुलना में भी उसकी ज्योति मलिन नहीं पड़ सकती।”

३२ सुमित्रानन्दन पंत और उनका काव्य

आधुनिक हिन्दी कविता को नया मोड़ और नई दिशा देकर, उसे विचारों की नई शक्ति भावा का नवीन सौंदर्य, कल्पना का नया ऐश्वर्य और अमि व्यक्त का नया शृंगार देकर नवीन व्यक्तित्व प्रदान करने वाले में सुमित्रानन्दन पंत का नाम बड़े आदर और प्यार के साथ लिया जायेगा।

पंतजी हिन्दी के सुकुमार कवि हैं। इन्होंने प्रेम, सौन्दर्य और जीवन की

कोमलता के गीत गाये हैं। अपने भावना-सौन्दर्य, कल्पना सौन्दर्य, भाषा-सौन्दर्य और शब्द-सौन्दर्य से इन्होंने हिन्दी कविता को सर्वांग-सुन्दरी बनाया है। इनकी कविता के श्रीढा-कौतूहल, सौन्दर्यशील स्पन्दन तथा स्नेह-मुलक से हिन्दी कविता को नय जीवन रस की उपलब्धि हुई है।

पतजी ने अनेक काव्य-ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को प्रदान किये हैं। यथा उच्छ्वास, वीणा, ग्रथि, पल्लव, गुजन युगात युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, उत्तरा, अतिमा, रश्मि-बधु लोकायतन इत्यादि। इन रचनाओं का अध्ययन करने पर पतजी के काव्य चेतना के विकास के तीन सोपान परिलक्षित होते हैं—१ रोमांटिक युग, २ बौद्धिक-चिन्तन युग और ३ बहिरंग चेतना के समन्वय का युग।

रोमांटिक युग की ग्रथि, पल्लव और गुजन तीन प्रमुख रचनाएँ हैं। इनमें मधुर प्रणयानुभूति, मुक्त कल्पना, सौन्दर्य चेतना, प्रकृति के प्रति असीम मोह, साक्षणिक भूतिमत्ता, भाषा सगीत, दार्शनिक चिन्तन तथा अन्तमु खता के दर्शन होते हैं।

पतजी का शशव प्राकृतिक सौन्दर्य से अभिभूत अल्मोडा जिले के पवतीय ग्राम कौसानी न बीता है। सुरम्य प्रकृति की गोद में रहने से प्राकृतिक सौन्दर्य और सुषमा के द्वारा उनके हृदय में कविता का स्फुरण हुआ। स्वयं पतजी न बहा है—'कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्म भूमि कुमाँचल प्रदेश को है।' इसी सौन्दर्य को वाणी और चेतना की तमयता को भूत रूप पतजी की कविताओं ने दिया। अपनी प्रथम कलाकृति वीणा में पतजी ने प्रकृति के सुन्दर रूपों की आह्लादमयी अनुभूतियों का चित्रण किया है। उन्होंने निम्न पक्तियों में प्रकृति का एक चित्र प्रस्तुत किया है—

'गिरि का गौरव गाकर भरभर, मद से नस नस उत्तेजित कर।
गोतों की सरियों से सुन्दर, भरते हैं भाग भरे निभर ॥'

'ग्रन्थि' में कवि के पांडित्य और प्रतिभा का मणि काचन योग दर्शनीय है। 'वीणा' में प्रकृति-सौन्दर्य निरीक्षण के पश्चात् कवि ग्रथि में प्रेम का कवि बन गया है। सयोग और वियोग से उत्पन्न तरुण हृदय की मार्मिक अनुभूतियों का ग्रन्थि में अच्छा सग्रह है।

'गुजन' में प्रथम प्रेम की अलौकिक भाव विमोहता और आत्मोल्लास का स्वर विद्योप रूप से मोहक है। इसमें कहीं-कहीं चित्तन को भी प्रधानता हो गई है। वस्तुतः इन रचनाओं में कवि अतमु खी वृत्ति के कारण बाह्य जगत से प्रायः तटस्थ रहकर एक ऐसे मनोराज्य के निर्माण में व्यस्त है जहाँ सब कुछ

पवित्र, मधुर, आह्लादकारी, रहस्यावित, श्री-श्रीरमपूण एव स्वर्णिम चेतना के अक्षोक से आप्लावित है।

'पल्लव' की परिचित कविता में कवि की कोमल भावकता कठोर और कल्पना यथाथ बन गई है। विन्तु कवि जीवन के कट्टे एवं भयकर सत्य को देखकर भी निराश नहीं हुआ है। 'जग जीवन में उल्लास मुझे नव धाशा नव उल्लास मुझे' में उसका आशावादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। विन्तु उसमें इतना परिचित अवश्य हुआ है कि वह प्रकृति के उल्लास और उन्मुक्त सौन्दर्य का चित्रण छोड़कर जीवन-भरण जैसे चिरतन सत्य की ओर अप्रसर हुआ है। यहीं से पन्तजी के काव्य चेतना के विकास का द्वितीय-युग प्रारम्भ होता है। उसमें एक गहरी मानसिक प्रतिक्रिया प्रकट हुई है और वह एक सर्वथा नई भाव विचार-भूमि पर खड़ा दिखाई देता है। पल्लव की भाँति और ग्रिय में प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का कवि गुजन से आगे युगान्त, युगवाणी और ग्राम्या में जीवन का कलाकार बन गया है। प्रथम युग का आदर्शलोक जैसे एक स्वप्न मात्र था। यह बाहरी ससार, देश, प्रान्त, समाज और उसकी विषम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएँ और परिस्थितियाँ सब इतनी प्रत्यक्ष हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। पन्तजी का व्यक्तित्व सुकुमार है। अतः मानव-जीवन के अन्तुमु खी सौंदर्य की रक्षाएँ ही उनके काव्य का आधार बन पाई हैं।

काल्पनिक स्वर्ग के ऐश्वर्य के स्थान पर अब कवि को ग्राम, मिट्टी श्रमिक, पासी के नगे बच्चे, फल फूल, पशु-पक्षी, खेत-नूप आदि प्रिय हैं। कवि ने गाँवों के नित्यप्रति जीवन को, वहाँ के विविध रूपों सम्मत्ता तथा सस्कृति को गहराई से टटोला है और उन्हें अपने काव्य का विषय बनाया है। कवि प्रथम युग की तरह केवल आत्म-केन्द्रित भावाकूल सत्तामात्र नहीं रह गया है। उसके बौद्धिक दृष्टिकोण ने मौक्तिक और यथार्थ का महत्त्व भी हृदयगम किया है। कवि की वाणी दीन-हीन श्रमिकों के लिए भी मुखरित हुई है—

‘ये नाप रहे निज घर का मग,
कुछ धमजीवी घर डगमग डग,
भारी है जीवन भारी पग ॥”

इस प्रकार पन्तजी की कविताओं में मार्क्सवादी दशन का भी स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है। अपनी 'ग्राम्या' और युगवाणी' की कविताओं में पन्तजी निश्चित रूप से प्रगतिवादी कलाकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं।

तीसरा युग कवि के प्रौढतम चिन्तन और समन्वय-साधना का युग है। स्वर्ण विरण स्वर्ण धूलि, उत्तरा धृतिमा आदि परवर्ती रचनाओं में पन्तजी अन्तश्चेतना-

सुमित्रानन्दन पत और उनका काव्य

वादी कवि बन गए हैं। योगिराज अरविन्द ने अपनी चिन्तन-पद्धति में भौतिक आध्यात्मिकता का समन्वय करते हुए परिपूर्ण मानव-जीवन की कल्पना की है। योगिराज की यह विचारधारा ही पन्तजी के तृतीय युग के काव्य की स्फूर्ति और प्रेरणा है। अपने इस नये रूप में पन्तजी न मानव संस्कृति के अभ्युत्थान के गीत गाए हैं। वस्तुतः कवि के काव्य-विकास के प्रथम दो युगों की चिन्ता धारा का यह सहज परिणाम है जो संयोगवश अरविन्द-दशन की मूल समन्वय दृष्टि से मेल खा गया है। पन्तजी ने अत्यन्त पूज्य बुद्धि से श्री अरविन्द की इस समन्वय साधना को मानव के सर्वांगीण विकास के लिए कल्याणकारी समझा तो परन्तु कविता-कविता है, दशन नहीं। उपयुक्त विचार-सूत्र का कवि ने अपने पाठकों के मन में अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से उतारने का प्रयत्न किया है परन्तु उत्तरकालीन काव्य में दशन की माँग अधिक हो गई है। इतना सब होते हुए भी इन रचनाओं में काव्यत्व की मात्रा प्रचुर है—आकाश (आध्यात्मिक चेतना) और पृथ्वी (भौतिक चेतना) को प्रेमी प्रेमिका का रूप देकर प्रस्तुत करना, अन्य अनेक रमणीय प्रतीकों की कल्पना, विभिन्न मनोहारी कल्पना चित्र, प्रकृति चित्रण आदि। फिर भी उनके इस काल के काव्य में सरलता का लोप हो गया है।

इधर उत्तरा के उपरान्त पन्तजी की कई रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं जिनमें 'लोकायतन' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोकायतन विश्व जीवन को व्यापक षट पर सजोने की एक समग्र-दृष्टि है, यह 'सर्वांगीण चेतना' का काव्य है, मानव-चेतना का काव्य है। यह लेखक का सिद्ध काव्य है क्योंकि इसका आधार कल्पना नहीं, अनुभूत सत्य है जो किसी भी मनुष्य का अनुभूत सत्य होने की क्षमता रखता है। इसीलिए लोकायतन बाह्य दृष्टि से बौद्धिक काव्य दोखने पर भी अन्ततः भावना प्रधान अथवा रस प्रधान काव्य है और अपने व्यापक अर्थों में मानव प्रेम का वाच्य है जिसमें स्वयं पन्तजी ने अनुसार महत् सत्य अथवा अन्तः सत्य को ही प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया गया है।

“छन्द प्रथित कर स्रज धरा मानस को,
जीवन रचना करो, तत्र मे नूतन।

छायावादी कवियों में पन्तजी का अद्वितीय स्थान है। इन्होंने अपनी प्रकृति में एक प्रज्ञात गहराई से प्रकृति के प्राणों को पहचाना है। इन्होंने अपनी प्रकृति में एक प्रज्ञात चेतन-सत्ता का धामास प्राप्त किया है। अलौकिक छवि से मुक्त अखिल प्रकृति में व्याप्त इस अज्ञात चेतन-सत्ता की पन्तजी ने सुकुमार नारी के रूप में उपासना की है। अपने इसी रूप में पन्तजी छायावादी और रहस्यवादी हैं। सहरो का नृत्य देखकर उनका हृदय अपूर्व आह्लाद से भर उठता है।

गुजन में 'एकतारा' कविता में किसी एक नक्षत्र को देखकर वे कहते हैं कि वह अपनापन खोजता फिरता है। वीणा में अंधकार को रात का सहचर और पल्लव में छाया को वृक्ष की प्रियसी बतलाया गया है। इस प्रकार पन्तजी ने प्रकृति को चेतन मानकर उसके चित्र उतारे हैं। प्रकृति के प्रति यह भ्रमिन्व दृष्टिकोण बीसवीं शताब्दी की विशेषता है। संश्लेष में पन्तजी के छायावाद में रूढ़िगत साम्प्रदायिकता न होकर स्वच्छ-दत्ता, सरसता, सरलता और नसर्गिक मोलापन है।

रहस्यवादी बनने की प्रेरणा पन्तजी को रवीन्द्र-काव्य में मिली। गीता जलि के एक गीत के अनुकरण पर एक गीत वीणा में पन्तजी ने रचा है। सौन्दर्य के प्रति उनका भावपण उह प्रकृति, नारी और व्यापक जीवन की ओर खींच लाया। उनकी जिज्ञासा भावना न किसी भी समय उनका साधन छोड़ा। वीणा की आधी से अधिक रचनाएँ 'मा' को निवेदित हैं। यही श्लोकिक सत्ता 'मा' विराट विश्व की जननी है। भावों का निवेदन करने वाली बालिका बहुत छोटी है। इन रचनाओं में एक विलक्षण प्रकार का मोलापन पाया जाता है जो इस प्रारम्भिक रचनाओं की मार्मिकता का मुख्य कारण है।

इस प्रकार वीणा की रचनाएँ गहन पुनीत प्रेम से आन्वित हैं। एक बालिका का अपनी मा के प्रति जितना प्रेम हो सकता है वह इन कविताओं में पाया जाता है। माँ भाव की कुछ रचनाएँ पल्लव में भी हैं। जैसे बिनय, आकांक्षा और यावना। इसके उपरान्त माँ भावना पन्तजी के काव्य में एक प्रकार से दब सी जाती है। वे प्रकृति, प्रेम, प्रगति आदि में उलभ जाते हैं। गुजन युगात्, युगवाणी ग्राम्या स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगान्तर को पार कर तीस वर्ष के उपरान्त उत्तरा' में कवि एक बार माँ को फिर स्मरण करता है। पन्तजी की रहस्य-भावना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह घम मूलक न होकर बला मूलक है। उनकी इस भावना का चित्र निम्न कवित्तियों में स्पष्ट हो जाएगा—

"उस फली हरियाली में माँ, कौन अकेली खेल रही माँ।

यह अपनी घबघाली में सजा हृदय की घाली में ॥

युगात् के आरम्भ से ही प्रगतिवाद उनके काव्य में प्रारम्भ हो जाता है और युगवाणी एवं ग्राम्य तक पहुँचते-पहुँचते वे पक्के प्रगतिवादी कवि बन जाते हैं। गुजन में ही उन्होंने यह अनुभव किया था कि ससार अनवरत परिवर्तनशील है। युगान्त तक आते आते वे मधुवर्षी कवि से पाषक-कण बरसाने

सुमित्रानन्दन पत और उनका काव्य
को कहते हैं—

१७३

“मा, कोकिल, बरसा पावन-रुण ।
मष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन,

पन्तजी पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। ‘मार्क्स के प्रति’ रचना में कवि ने मार्क्स को प्रलयकारी शिव का तृतीय ज्ञान-चक्षु बत-साया है। पन्तजी ने साम्यवादी विचारधारा को जहाँ स्वीकार किया है, वहाँ उसकी कमियों पर भी दृष्टि डाली है। साम्यवाद की देन को वे बहुत बड़ी देन समझते हैं, परन्तु गांधीवाद, अरविदवाद और रवीन्द्र के सौन्दर्यवाद की देन को भी वे कम नहीं समझते। बाहर और भीतर का समविकास ही वे पूण मानव के लिए आवश्यक समझते हैं, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय उन्हें अत्यन्त प्रिय है।

पन्त जी से पूव प्रकृति या तो आध्यात्मिक भावों के प्रकाशन के लिए प्रयुक्त होती थी, या उससे उपदेश लिए जाते थे, या फिर उद्दीपन और अल-कार के रूप में वह आती थी। पन्त जी ने इन रुढ़ियों को छिन्न मित्त करके प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता को घोषित किया। उसमें चेतना का आरोप किया। अतः उनके काव्य में प्रकृति स्वयं बोलती है। प्रकृति को नारी रूप में चित्रित करना भी पत जी की अत्यन्त प्रिय कल्पना है। कवि ने इस क्षेत्र में अत्यन्त रम्य कल्पनाएँ की हैं—

“कहो, कौन हो बमयन्ती-सी, तुम तर के नीचे सोई ?
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्या, अलि ? नल-सा निष्ठुर कोई ?”

पतजी का द्रष्टा रूप वहाँ प्रकट होता है जहाँ वे शुद्ध सत्य का दर्शन करने के लिए दृश्य जगत की सत्ता को भेदकर, एक रहस्यदर्शी की दृष्टि से, उसकी तलवर्ती सतह में उतरते हैं। उत्तरा की प्रीति और ऐसी ही कुछ अग्र कवि-ताम्रों में उनका यह रूप अपने चरम उत्कण्ठ पर दिखाई पड़ता है।

कवि का दूसरा रूप स्रष्टा का है। अपनी अनुपम काव्य-प्रतिभा एवं कल्पना की सहायता लेकर जगत् जीवन के तथ्यों पदार्थों, व्यापारों, अनुभूतियों और परिस्थितियों की व्याख्या, वणन, निरूपण के द्वारा नयसजन करना, आनन्द की सृष्टि करना कवि के स्रष्टा रूप का द्योतक है।

पत जी की काव्य-कला भी बड़ी सुकुमार है। भावाविल कला का सौन्दर्य ही उनकी कविता में अधिक निखरा है। नगेन्द्रजी ने पत जी के सम्बन्ध में उचित ही कहा है— ‘पत जी प्रधान रूप से कलाकार ही हैं। इनके काव्य में सबसे प्रथम कला, उसके उपरान्त विचारों का, अन्त में भावों का स्थान रहता है।’

पत जी के व्यक्तित्व और उनके काव्य के भाव-पक्ष की भाँति ही पत जी का काव्य कला का प्रधान गुण है उसका कल्पना प्रधान होना । वैसे तो समस्त छायावादी काव्य कल्पनामूलक है, परन्तु पत जी के काव्य में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक है । कल्पना ही उनके काव्य का मेरुदण्ड है । चित्रमयता, ध्वन्यात्मक सौंदर्य, शब्द शिल्प सौंदर्य, वणन-योजना से पत जी का काव्य अनुरजित है । भाव, भाषा और स्वरक्य के सामजस्य से ध्वनि चित्रण करने में भी वे बड़े पटु हैं । 'शत शत फेनोच्छवासित स्फीत पुत्कार भयकर' में भयकरता चित्र की भाँति खिंच गई है ।

पत जी की कविता में अलंकारों का भी सुन्दर, प्रबुद्ध, सुस्वचिपूण विधान हुआ है । उनकी रचनाओं में अनुप्रास की मधुर ध्वनि निम्नलिखित पक्तियाँ से निसृत होती है —

“वन वन उपवन
आया उमन उमन गुजन
नव वय के अलियों का गुजन ।”

पत जी के काव्य में सादृश्यमूलक अलंकारों का सुन्दर चयन मिलता है । उपमा और रूपक उनकी रचनाओं में नगीने की भाँति जड़े हुए हैं । लाक्षणिक सौन्दर्य भी उनके काव्य का प्राण है ।

पत जी की छंद योजना अद्वितीय है । छंदों के विषय में पत जी का निजी दृष्टिकोण है— 'कविता हमारे प्राणों का संगीत है कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होना है । जिस प्रकार नदी के तट अपने वधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पन्दन, कम्पन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोडों में एक कोमल सजल, बल रव भर उह सजीव बना देते हैं ।' मात्रिक छंदों में उन्होंने षोडश वणन, रूप-माला सखी, रोला आदि का प्रयोग किया है । उन्हीं भाषा कोमलकांत पदावली मनोहर चित्रबाला और माधुर्य से भरपूर हैं । इसका कारण है उनके शब्द चयन की उत्कृष्टता ।

एह छंदों में एकत्रित न हामी नि भाषा के क्षेत्र में खड़ी बोली का जितना उपकार पत जी ने किया है उतना किसी अन्य साहित्यकार ने नहीं किया । मय मिथाकर पत जी का और भाषा शैली में भावनाओं की लहर है कल्पना का साहस है प्रवृत्ति व सुन्दर अलंकारों का स्पन्दन और धिरकन है मानव जीवन के उचावचालों की भाँति दृढ़ और गम्भीरता है । उनके काव्य में हमें युगान रूप जायककता की देखने को मिलती है । संक्षेप में काव्य चित्र संगीत तीनों की पुनीत त्रिवर्ण उनके काव्य में प्रवाहित होती है । छेदजनक तथ्य यह है

श्रीमती महादेवी वर्मा

कि इतनी विशेषताएँ होते हुए भी अपनी माया के अभिजात्य के कारण पन्त जी जन-कवि नहीं बन सके। काश कि व माया क स्तर पर भी सामान्य धरातल पर उतर पाते।

३३

श्रीमती महादेवी वर्मा

आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा ने ब्रज गापा म काव्य-रचना करनी आरम्भ की थी, परन्तु मैथिलीशरण गुप्त की रचनाम्रा ने प्रभावित होकर यह खड़ी बोली में लिखने लगी। वर्तमान युग म वर्माजी का खड़ी बोली हिंदी कविता में अपना विशिष्ट स्थान है। वर्मा जी भारते दु युग से लेकर अपने युग वी समस्त चेतना और विशिष्टताभा को लेकर चली हैं। हृदय मस्तिष्क, प्रेममक्ति, अनुराग विराग ममता-त्याग का जो सार्विक मर्मि-श्रण महादेवी के काव्य म हुआ है वह अय किसी भी हिन्दी कवि म नहीं मिलता है।

महादेवी का काव्य तीन रूपा म मिलता है— १. रहस्यवादी २. वदना प्रधान, ३. प्रवृत्ति-सम्बधी।

वर्मा जी का आधुनिक रहस्यवादी कविया म उच्च स्थान है। 'नीहार' से लेकर 'दीपशिखा' तक सभी म इसका रहस्यवाद छलका पडता है। इनकी रहस्यवादी कविताएँ दार्शनिकता से श्रोत श्रोत होने पर भी माधुय गुण से मरूपूर हैं। अपने प्रेम द्वारा परब्रह्म के साथ मिल जाना चाहती हैं—

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ।
दूर तुम से हूँ अटल मुहागिनी भी हूँ।"

जीवन म पग पग पर सट्टि के एक एक स्वन्दन म और उनके क्षण क्षण में बदलते हुए सौंदर्य म हम एक अज्ञात शक्ति की उपस्थिति का मान होता है। कवियित्री उस रहस्यमयी शक्ति का वणन करती हुई कहती है—

अवनि अम्बर की स्पहली सोंप मे।
तरल मोति सा जलवि जल काँपता ॥
तरले घन मडुल हिम के पुज से।
ज्योत्स्ना के रजत पारावार मे ॥
सुरभि बन जो थपकियाँ दता मुझे।
नौब के उच्छ्वास-सा वह धीन है ?

महादेवी जी के काव्य में जीवन की वेदना कूट-कूटकर मरी हुई है। इस

सम्बन्ध में इन्होंने लिखा है—“दुःख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे ससार को एक सूत्र में बाँध रखने की क्षमता रखता है।” वास्तव में विरह-वर्णन में मीरा को छोड़कर अन्य किसी कवि को इतनी सफलता नहीं मिली है, जितनी इनको। इन्हें विरह ही पसन्द है, ‘मिलन नहीं

“मेरे छोटे से जीवन में, देना न तृप्ति का क्षण भर।

रहने दो प्यासी झालें, भरती झालें के सागर ॥”

महादेवी जी का प्रियतम पीडा का रूप बनाकर हृदय में बस गया है—

“पर शेष नहीं होगी यह, मेरे प्राणों की क्रीडा।

तुमको पीडा में डूँडा, तुममें डूँगी पीडा ॥”

यह अपने जीवन-दीप को निरन्तर जलाते रहना चाहती हैं—

‘मधुर-मधुर मेरे दीपक जल।’

महादेवी जी के काव्य में स्थान-स्थान पर प्रकृति का भी सुन्दर वर्णन मिलता है। प्रकृति-वर्णन में यह किसी छायावादी और रहस्यवादी कवि से पीछे नहीं हैं। उन्होंने प्रकृति में मानवी चेतना देखकर बहुत ही सुन्दर रूपको का प्रयोग किया है। उनकी ‘साध्य-गान’ कविता छायावाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। ‘प्रकृति’ के द्वारा भी इन्होंने अपने मन की व्यथा को व्यक्त किया है—

(क) “सजनी ! मैं उतनी करुण हूँ करुण जितनी रात ॥”

(ख) “सुगम ! मैं उतनी मधुर हूँ मधुर जितना प्राप्त ॥”

(ग) ‘सजनी ! मैं उतनी सजल, जितनी सजल बरसात ॥”

एक ओर प्रकृति का मनोहारी वैभव है, दूसरी ओर ससार का करुण क्रन्दन और जर्जर जीवन। कवयित्री किसको अपनाये ? किसे अपने काव्य का विषय बनाये ? इस प्रकार ‘क्या देखूँ ?’ शीपक कविता में दो विरोधी चित्र-पटों का वैपम्य श्रीमती वर्मा ने बहुत ही सफलता पूर्वक प्रकृत किया है—

“देखूँ खिलती कलियाँ या

प्यासे सूखे अघरों को

तेरी चिर-यौवन

वेह

गीतकार की दृष्टि से श्रीमती का कही कहा जा सकता है। प्रसाद के गीत-चिन्तन और महादेवी के गीता में इन के साथ-साथ गीता में रूप-यौवन और प्रीति धुभवसना सम्पन्न महा मे चित्रा

का नाम भी सदा लिया जायेगा। आधुनिक हिन्दी के गीतकारों में भी महात्मी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भावपूर्ण गद्य-लेखन में उनके उत्कृष्ट को दूसरा कोई हिन्दी का साहित्यकार नहीं पहुँच पाया है।

३४ | महाप्राण निराला

किसी भालोचक ने निराला का व्यक्तित्व चित्रित करते हुए कहा है— निरालाजी के पास यूनानी एपलीटो जैसा बंद पहलवान की छाती, दाशानिक का मस्तिष्क, ऋषि का हृदय नारी की कृष्णा, शिशु का मोलापन और मस्त मोला फकीरो जैसा अक्लढपन है। इस हिमालय से शरीर वाले पहलवान कवि दाशानिक को देखकर वास्तव में कामामनी के मनु का चित्र साकार हो जाता है जिसके 'अवयव की दुःख माशपेशिया, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार' हैं।

आधुनिक युग के कवियों में महाप्राण 'निराला' सदा निराले रहे हैं। उनके अपने ही शब्दों में 'देखते नहीं, भेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलॉसफर (दाशानिक) के पैर हैं।' उन्होंने अपने और अपने वाक्य के विषय में सूत्र रूप में कह दिया था कि आज 'मयूर म्याल पूछ से जुड़े हुए हैं।' उन्होंने स्वरूप और विद्रूप दोनों से समान अनुराग और प्यार है। उनका 'निरालापन' इस बात में भी अन्तर्हित है कि 'वह आधुनिक कवियों में शलीगत आधुनिकता के कारण आधुनिकतम, किन्तु वेदान्त दर्शन तथा बीर-भूजा सम्बन्धी भावना के कारण पुरातन' बने रहे हैं। 'एक भार वे धोर ग्रहवादी हैं और दूसरी और अपनी उदार मन सम्बेदना के कारण वह पद-दन्तों के हिमायती हैं। 'वह तोड़ती थी पत्थर इलाहाबाद के पथ पर ऐसी भी है उनकी कविता। वह कविता एक और तो मार्गी है और दूसरी और वह पत्थर तोड़-तोड़कर नये युग का मार्ग भी बनाती है।

सन् १९१५ से उन्होंने कविता लिखनी आरम्भ कर दी थी, किन्तु उनका प्रथम काव्य संग्रह 'परिमल' सन् १९२९ में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य काव्य हैं—अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता बेना, नये पत्ते, भर्चना माराधना। परिमल और अनामिका में प्रायः छायावाद की सभी प्रवृत्तियाँ देखी जा सकती हैं। तुलसीदास के पश्चात् निरालाजी प्रगतिवाद से अनुप्राणित दृष्टिगोचर होते हैं अतः उत्तरकालीन रचनाओं की छायावादी-प्रवृत्तियाँ लुप्त हो गई हैं। स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद की छायावाद का ब्रह्मा माना जाता है। उनके काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ—प्रकृति चित्रण और रहस्यारमकता को क्रमशः पन्त और निराला ने विकसित किया। अतः यह कहा जा सकता है कि छाया-

वाद को अद्वैत दर्शन की दृढ़ मिति पर स्थित करने का सर्वाधिक श्रेय निराला जी को ही है।

छायावाद-काव्य के इतिहास में पन्त के 'पल्लव' के समान निराला के 'परिमल' का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे छायावाद का प्रतिनिधि काव्य-ग्रन्थ कहा जा सकता है। इसमें निराला जी की प्रौढ़ एवं श्रेष्ठ रचनाओं का सकलन है। इसमें प्रायःनात्मक, अध्यात्म-सम्बन्धी प्रेम सम्बन्धी, सौन्दर्य-सम्बन्धी प्रगतिशील रचनाएँ सग्रहीत हैं। 'मिथुन', 'वण', 'रास्ते के फूल से', 'विधवा' आदि रचनाएँ प्रगति की द्योतक हैं और कवि के करुण-हृदय की कहानी कहती हैं। यमुना के प्रति और 'पंचवटी' में प्राचीन सस्कृत के प्रति अनुराग अभिव्यक्त किया गया है। 'शिवाजी का पत्र' में हिन्दुत्व की प्रति अनुराग अभिव्यक्त मे राष्ट्रीय जागरण की छाया है। इसमें कवि के चिन्तन, कल्पना और अनुभूति के दर्शन होते हैं। 'कुल मिलाकर परिमल में छायावाद की अनेकमुखी प्रवृत्तियों की उदात्त भलक मिलती है। राष्ट्रीय चेतना की सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यञ्जना जितनी गम्भीर और प्रौढ़ स्वरों में परिमल में हुई है उतनी इस समय तक छायावाद के किसी अन्य कवि की वाणी में नहीं हो पाई है। परिमल की कविताओं में विषय की विविधता विभिन्नता को देखते हुए शुकलजी ने कहा कि 'निराला की बहुवस्तु-स्पर्शिणी प्रतिमा है।' इनकी गीतिका और 'अनामिका' दोनों रचनाओं में गीतों का सग्रह है।

लोकप्रियता की दृष्टि से 'अनामिका' को अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हो सकी। इसमें स्वच्छन्द की ओर विशेष आप्रह है। अनामिका में एक गीत 'सम्राट् एडवर्ड अष्टम के प्रति मे नारो के प्रति प्रेम की अत्यन्त दिव्य भाँकी प्रस्तुत की गई है—'आतिगित तुमसे हुई सम्पत्ता यह नूतन।' इसके अतिरिक्त अनामिका में सरोज स्मृति, तोडती पत्थर, वादल गरजो, आदि भी बहुत लोकप्रिय गीत सग्रहीत हैं।

निरालाजी एक सघे हुए सगीत विशारद थे। गीतिवा' इसका प्रमाण है। इसमें छायावादी, रहस्यवादी, शृंगारिक राष्ट्रीय सभी प्रकार के गीत सकलित हैं। अनेक गीत तो जनसाधारण में विशेष क्वाति प्राप्त कर चुके हैं। जैसे 'वर दे वीणा वादिनी वर दे। "निराला के गीतों में यद्यपि स्वर-ताल और नाद-सगीत के सभी ग्रन्थ विद्यमान हैं, फिर भी उनमें नाद-सौन्दर्य सर्वाधिक है। इन गीतों में अनुप्रासों एवं समासों की भरमार है। शब्द-योजना नादमयी एवं भलवृत्त है। महादेवी के गीत अनुराग सुहागपूण हैं, निराला के गीत प्रधान। पन्त के गीत में यदि वीणा विनन्दित स्वर है तो निराला के गीतों

पटहृध्वनि, बादल राग, भरनों का शोर धीर सागर का गम्भीर घोष है। 'निराला' के पुष्ट व्यक्तित्व के अनुरूप ही हैं उनके गम्भीर गीत। डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल ने निराला जी के गीतों में निबध स्वच्छन्दता और मस्ती के दर्शन किए हैं।

'तुलसीदास', 'निराला' की एक महत्वपूर्ण रचना है। 'निराला' जी की रचनाओं में इस शतदल का विशेष स्थान है। डॉ० रामविलास के शब्दों में "इसके पहले किसी भी छायावादी ने इस तरह की गाथा नहीं लिखी थी।" श्री रायकृष्ण के अनुसार "कथा को प्राधाय देने वाली कविताएँ हिन्दी में शतश हैं, मनोविज्ञान को आधार मान पद्य में लिखी जाने वाली कविताओं में यह एक ही है।" डॉ० रामरतन भटनागर के मत में कामायनी और तुलसीदास नये ढंग के ऐसे कथा-काव्य हैं जो सदैव हिन्दी के गौरव रहेंगे।" और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के कथनानुसार भी 'निराला' ने 'तुलसीदास' द्वारा नवीन मार्ग पर चलने की सूचना दी है। इसमें कविता के आरम्भ में अंकित किया है कि किस प्रकार प्रायः संस्कृति का सूक्ष्म भुगल-दल रूप मेघमाला में अच्छन्न हो रहा है। बाद में अकबर की शासन प्रणाली-रूपी अज्ञान एवं अंधकार से पूर्ण शीतल तथा सुषुप्त रात्रि का चित्रण है। इसके पश्चात् राजापुर का वणन है, फिर विवाह आदि का वणन है, फिर चित्रकूट पर तुलसीदास की मनोदशा, गृह लौटना, पत्नी का आदेश, तुलसी की मन स्थिति महाप्रयाण आदि का वणन है।

"इस काव्य की भाषा अलंकृत एवं लाक्षणिकतापूर्ण है। आरम्भ से अन्त तक इसमें विशेष वक्रता तथा सजीवता पाई जाती है। इसमें छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रतीक-पद्धति का भी विशेष प्रयोग है। इस काव्य में मानव हृदय के सूक्ष्म व्यापारों का गम्भीर विश्लेषण किया गया है। भाषा की अत्यधिक साक्षणिकता एवं अभिव्यजनात्मकता ने काव्य को असाधारण एवं साहित्य-रसिकों के उपयोग की वस्तु बना दिया है। कमनीय कल्पना-चातुरी ने काव्य का कलेवर सवार दिया है।" प्रो० जुगमन्दिर तायल के अनुसार सक्षेप में तुलसीदास हिन्दी साहित्य में अपने प्रकार की अकेली रचना है। इसका विषय सबका नवीन है। अपनी मनोवैज्ञानिकता, बौद्धिकता और सांस्कृतिक चेतना में यह अग्रगण्य है। काव्य में जो बौद्धिकता का प्राधाय देखना चाहेंगे उन्हें यह श्रेष्ठ रचना प्रतीत होगी।"

'तुलसीदास' के पश्चात् हम 'निराला' को एकदम प्रगतिवादी कवि के रूप में देखते हैं। कुकुरमुत्ता अणिमा नये पत्ते और अचना में प्रगतिशील कविता की सभी प्रवृत्तियाँ व विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। कुकुरमुत्ता गुलाब

से निःशक भाव से कहता है—

“अबे चुन बे गुलाब,
मूल मत गर पाई खुशबू रगो आब ।’

इसी प्रकार 'बेला' में हिन्दी काव्य क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग करते हुए हिन्दी को गजली के रूप में ढाल रहे हैं—

बिगड कर बनने और बनकर बिगडते एक युग बीता ।
परी और शमा रहने बे शराब और जाम रहने दे ॥”

हिन्दी के कतिपय आलोचकों ने 'निराला' के काव्य पर क्लिष्टता का आरोप करते हुए 'निराला' को भी केशव के समान 'कठिन काव्य का प्रेत' उपाधि से समलङ्घित किया है, किन्तु यह अनुचित है। यह सब कुछ निराला के जीवन के विकास-क्रम तथा उनके मानसिक सगठन को न समझने का दुष्परिणाम है। निराला की प्रतिमा बहुवस्तु-स्पर्शिनी है।

आचार्य शुक्ल के शब्दों में “संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निरालाजी ने किया है।” निराला जी ने हिन्दी को नवीन भाव, नवीन भाषा और नवीन मुक्तक-छन्द प्रदान किए हैं। हिन्दी के अधुनातन कवियों में से निराला जी का व्यक्तित्व सबसे अधिक विद्रोही और प्रखर है। निराला को छोड़कर शायद ही हिन्दी के किसी अन्य कवि को जीवन के इतने वैषम्यो और विरोधों का सामना करना पड़ा हो। निराला ने प्रलयकर शिव के समान वटु गरल पान करके हिन्दी काव्य सप्तार को पीयूष वितरित किया। निराला के व्यक्तित्व-कृतित्व का मूल्यांकन कविवर पन्त की निम्न पक्तियों में देखिए—

‘छन्द बाघ ध्रुव तोड फोड कर पवत कारा
अचल रुद्धियों की कवि, तेरी कविता धारा,
मुक्त, अबाध अमद, रजत निभर-सी नि सत,
गलित-ललित आलोक राशि चिर अकुलिष अविजित ।
स्फटिक शिलाओं में तूने वाणी का मन्दिर,
शिल्प, बनाया, ज्योति कलश निज यश वा घर चिर ।’

× × ×

‘अमृत पुत्र कवि, यश काय तब जरा मरण जित,
स्वयं भारती से तेरी हृत्तन्त्री भङ्गूत ।’

आजीवन सतत सघर्षों में जिसने जीवन की गहराई को देखा व समझा, निर्धनता के थपेड़ों में जिसने सहानुभूति का पाठ सीखा, उन मुंशी प्रेमचन्द का व्यक्तित्व स्वस्थ व सुलभा हुआ था। उस व्यक्तित्व में मनोप्रियियों से रति नहीं, सवधा ऋजु-सरलता विद्यमान थी, उसमें प्रवृत्तियों का स्वस्थ सन्तुलन, अतिचार तथा अविचार का अभाव एव जीवन के प्रति विवेकपूर्ण गाम्भीर्य सर्वत्र प्रतिभासित होता है। ऐसे अन्तिदर्शी व्यक्तित्व ने जीवन से टकराने वाली अथवा कहीं-कहीं स्पश तक करने वाली समस्याओं को सूक्ष्म तथा तीव्र दृष्टि से देखा, उनका विवेचन तथा विश्लेषण कर उन्हें साहित्यिक रूप प्रदान किया।

जीवन की इन विपमताओं का प्रभाव प्रत्येक चेतना-सम्पन्न व्यक्ति पर पड़ता है, प्रेमचन्द भी उससे अछूते न रह सके। मन्ना-सम्बन्धी विचारों में एक नई चेतना आने लगी। कला का जन-जीवन के साथ कोई सम्बन्ध न था, वह सीमित वर्ग की कामोत्तेजना अथवा मनबहुलाव का साधन मात्र थी। प्रेमचन्द जी ने उसे उड़ते आकाश से पकड़ कर इस यथार्थ की असमतल भूमि पर ला खड़ा किया और उसे जन-जीवन के लिए ग्राह्य बना दिया। उनकी कला समाज के लिए थी, व्यक्ति के लिए नहीं। उसका अरुण सामाजिक तत्त्वों के निरूपण, मान्यताओं के विश्लेषण तथा उनके द्वारा गृहीत निष्कर्षों के आधार पर किया जा सकता है। अपनी कला द्वारा प्रेमचन्द जी न समाज की मांगों को न केवल सामने ही रखा है, अपितु समय की आवश्यकतानुसार उनका निदान भी खोजा है। साहित्य में गांधीवाद को जन्म दे तथा उसे समाजवाद के तत्त्वों से आभूषित कर इन्होंने पददलित जनता की वकालत जोरदार शब्दों में की है। उनकी समस्त साहित्य-साधना के केंद्र में उनका मजदूरों और काश्तकारों के राज्य का सपना ध्रुव-सा अटल है।

वर्तमान समाज में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। अतः प्रेमचन्द ने उपन्यासों का जो क्षेत्र पकड़ा वह समयानुकूल तथा समाज की आवश्यकता अनुसार था। इन्होंने कुल मिलाकर लगभग ग्यारह उपन्यासों की रचना की। 'कायाकल्प' इनके उपन्यासों का अधिकाल है। कायाकल्प के पूर्व के उपन्यास 'सैक्यसदन', 'वरदान', 'प्रेमाश्रम' तथा 'रगभूमि' हैं और कायाकल्प के उपरांत क्रमशः 'निर्मला', 'प्रतिज्ञा गबन', 'कमभूमि' तथा 'गोदान' आते हैं। मंगल सूत्र उनकी अघूर्णी अंतिम कृति है।

उपन्यासों में प्रेमचन्द ने सभी सम-सामयिक परिस्थितियों को स्थान दिया है। राजनीति से भाराक्रान्त तो उनके उपन्यास हैं ही, साथ ही उनके पात्र अंग्रेजी राज्य में हुए जुल्मों की कथा कहते रहते हैं। 'कमभूमि' को देखिए 'मुन्नी' गोराराही गुण्डागर्दी की शिकार हुई, उसकी लाज लुटी, सतीत्व का अपहरण हुआ। 'कमभूमि' का नायक अमरकान्त गांधीवाद विचारधारा का प्रतीक है। चर्खा चलाने से लेकर अहिंसात्मक आन्दोलन तक वह पूरा गांधीवादी दिखाई पड़ रहा है। लोकमाय तिलक की हडतालों वाली नीति को 'रगभूमि' के सूर्यास ने आत्मसात् किया है। वह मजदूरों का प्रतिनिधि है, उसमें समाजवादी चेतना है। सलीम के द्वारा नौकरशाही मनोवृत्तियों से परिचय कराया गया है। वह जोशीला जवान कुर्सी पर बैठते ही इतना बदल जाता है कि देखकर आश्चर्य होता है। उसकी शासन प्रणालियाँ भी उसी अंग्रेजी आतंकवाद (Terrorism) से भरपूर हैं जिसके माध्यम से भारत की जनता को सभी राहों पर कुचला गया।

'गोदान' का होरी गाँव का एक साधारण किसान है, जिसको समाज ने शोषण का शिकार बनाया और वह अनजाने बनता रहा। जहाँ कहीं वह समझा भी वहाँ उसकी इतनी गहरी दिवशता है कि वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। महाजन का ब्याज द्रौपदी के चौर की भाँति बढ़ता रहा, आक्रान्त करता रहा। जमींदार का भीषण अत्याचार वह भाग्य को बलवान समझकर घुप-चाप सहता है आदश ग्रामीण की भाँति तटस्थ होकर काय करता रहता है। इस प्रकार ग्रामीण जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है।

मुन्नी प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में ऐसे पात्रों की सृष्टि की है जो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पात्रों में यदि एक ओर पैसे को ही सब कुछ समझने वाले सेठ अमरकान्त हैं, मान को ही सब कुछ समझने वाली सुखदा है, अनन्त सहन शक्ति के लिए होरी है तो दूसरी ओर क्रमशः पैसे की नितांत उपेक्षा करने वाला अमरकान्त खड़ा है, मान न करती हुई प्रेम के सबैत को ही अपना सबस्व समझने वाली सकीना और मुन्नी है तथा शोषण के प्रति प्रचण्ड मरदास खड़ा है। इसके अतिरिक्त वकील, मास्टर, विद्यार्थी, डाक्टर, बरिस्टर आदि सभी के चित्र इन्होंने चित्रित किये हैं।

उनके अंतिम उपन्यासों में आन्दोलन का जो प्रम चला है वही सब समस्याओं का निदान दीख पड़ता है। जमीन के लिए आन्दोलन, लगान माफी के लिए आन्दोलन, मजदूरों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन। इन आन्दोलनों के अनवरत आगमन को देखकर भय होने लगता है कि कहीं प्रेमचन्द समस्याओं के स्वाभाविक परिणाम लाने में अयाय तो नहीं कर बैठे ?

इसी पक्ष को लेकर लोग कह उठते हैं कि प्रेमचन्द जी चित्रण करते-करते

जब धक जाते तब वह सभी पात्रों और समस्याओं का गला घोट डालते हैं। यह आरोप चाहे 'कर्मभूमि' जैसे उपन्यासों में किसी भ्रष्ट तब सत्य हो किन्तु 'गोदान' इस भावना से बच गया है। उसमें घटनाएँ स्वामाविक परिणाम की आर उभस हैं। 'मंगलसूत्र' को छोड़कर 'गोदान' प्रेमचन्द जी की अन्तिम कृति है जिसे देखकर सहज आभास मिल जाता है कि प्रेमचन्दजी ने अपनी इस कमजोरी को समझा अवश्य होगा और यही कारण है कि 'गोदान' अन्य कृतियों से भिन्न है।

मुझी प्रेमचन्दजी के उपन्यासों में शील-वैचित्र्य का वजन अत्यधिक है। मौलिक उद्भावनाओं ने इसे सबल प्रथम दिया है। मनुष्य के अनेक पारिवारिक सम्बन्धों की मामिकता पर प्रधान लक्ष्य रखने वाले उपन्यासों में 'सेवा-सदन' 'निर्मला' और 'गोदान' हैं। समाज के भिन्न वर्गों की परिस्थितियों और उनके सस्कार विन्नित करने वाले उपन्यास रंगभूमि व 'कर्मभूमि' हैं जिसमें सर्वाधिक अन्तर्लक्षित और शील-वैचित्र्य का उनके विकास क्रम के साथ चित्रण किया गया है, वह है 'गबन'। सारांश में, प्रेमचन्दजी के उपन्यास समय की शिला पर सत्यो का निष्पन्न करते अविस्मरणीय सस्मरण हैं, जिसमें भविष्य की ओर सूत्रात्मक संकेत निहित है।

उपन्यासों की भाँति ही प्रेमचन्दजी की कहानियाँ भी अपना विशेष स्थान रखती हैं। इनकी सभू कथाओं में प्रभावोत्पादकता अधिक है, उपन्यासों की अपेक्षा मन को छू लेने की क्षमता अधिक है। घटनाओं की व्यञ्जना तो इनमें है ही, साथ ही पाठकों की अनुभूति के साथ लेखक अपनी भाविक व्याख्या करता चलता है। इनमें भिन्न वर्गों के सस्कार तथा उनका स्वरूप चित्रण अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है।

वातावरण उत्पन्न करने की कला इन छोटी कहानियों में अधिक स्पष्ट हो गई है। उपन्यासों का शील-वैचित्र्य इनमें भरा पड़ा है मनोव्यक्तिकता सर्वत्र दुष्प्रिय होती है। प्रसाद की भाकाशदीप तथा जैनेन्द्र की 'अपना अपना भाग्य' कहानियों में वातावरण की स्पष्ट एक विशिष्ट नाटकीय प्रकार की है जो मन को तुरन्त आकृष्ट कर लेती है, परन्तु यह नाटकीय वातावरण उनकी कहानियों को आच्छादित नहीं किये है, ठीक उसके विपरीत प्रेमचन्दजी की कहानी 'पूस की रात' है जिसमें वातावरण धारम्य में लेकर अन्त तक कहानी का एक मात्र स्वर बना हुआ है। उसमें वातावरण गम्भीर-से-गम्भीर तम एक सवेदनापूर्ण होता जाता है। 'बूढ़ी काकी' समाज के वय विशेष में व्यक्ति विशेष की चरित्र-सम्बन्धी आलोचना है। मध्यवर्गीय परिवार के सस्कार का सत्य उसमें निहित है। बालकों के शील-वैचित्र्य पर प्रकाश डालने वाली कहानी 'ईदगाह' है जिसमें कठोर-से-कठोर हृदय को स्पर्श करने की अद्भुत

दमता है। 'पंच परमेश्वर' उनकी सामाजिकता में घटल विश्वास प्रदर्शित करने वाली कहानी है जिसमें दो भिन्न विचारों का सघर्ष तथा सतुलन स्पष्ट प्रतिबिम्बित होता है।

उनकी कहानियों के पात्र उपन्यास की भाँति सभी वर्गों में से लिए गए हैं। भाषा भावानुकूल तथा सरल है। पात्रों के चित्रण स्वस्थ सामाजिकता लिए हैं, उनमें मीठे व्यंग्य हैं, जो पाठक को तडपाकर मरहम भी लगाते चलते हैं।

कुछ लोग तो उनके साहित्य को पूणत यथार्थवादी मानते हैं और कुछ आदर्शवादी। जहाँ तक उनके यथायत्नापूर्ण चित्रण का सम्बन्ध है। स्पष्ट कहा जा सकता है कि वे पूणत यथार्थवादी हैं। उनकी घटनाएँ चरित्र चित्रण तथा परिस्थितियों का विशद विवेचन यथायत्ना की अनछुई शुद्ध नींव पर किया गया है। हाँ, झलकता, उनमें अत आदर्शात्मक रूप से चित्रित किए हैं, जो भारतीय परम्पराओं और दशन की अमर देन हैं। उपन्यासों के आदर्शात्मक अंश को देखकर लोगों ने एक अर्थ नवीन धारणा को जन्म दिया। इस धारणा का साहित्यिक नामकरण 'आदर्श-मुख यथायत्नावाद' से किया गया अर्थात् उनकी रचनाओं में यथायत्ना से आदर्श की और उ-मुख होने की वृत्ति लक्षित होती है। अत आदर्शवाद यथायत्नावाद के स्वाभाविक विकास का परिणाम हुआ। इस यथायत्ना और आदर्श को छोड़कर कुछ लोग यह भी मानने लगे हैं कि प्रेमचन्दजी प्रगतिवादी थे। प्रगतिवाद विचारधारा उनके समस्त उपन्यासों व कहानियों में परिलक्षित होती है।

प्रेमचन्दजी के साहित्य में इन पयवसित तथ्यों के आधार पर यह तो कहा ही जा सकता है कि वह आदर्शवादी न होकर यथायत्नावादी अथवा प्रगतिवादो कहे जा सकते हैं। यो यथार्थवाद और प्रगतिवाद में बाह्य अन्तर दिखाई नहीं पड़ता किन्तु फिर भी उनकी आत्मा के तत्त्व भिन्न हैं। यथायत्नावाद समस्याओं की गहन उपस्थिति है तो प्रगतिवाद उसकी समाजवादी व्यवस्था। यथायत्नावाद में वस्तुओं का यथायत्ना चित्रण तो है पर उसमें निहित समस्याओं का निराकरण नहीं, जबकि प्रगतिवाद यथायत्ना निरूपण के साथ उनका निराकरण भी उपस्थित करता चलता है। अत मुन्शी प्रेमचन्द यथायत्नावादी नहीं हैं, उनमें प्रगतिवाद अपने विस्तृत क्षेत्र में हिलोरें मार रहा है।

यहाँ इतना और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मुन्शी प्रेमचन्द का प्रगतिवाद अक्षरशः राजनीतिक मार्क्सवाद का रूपान्तर नहीं है। जिन अर्थों में महात्मा तुलसीदास प्रगतिवादी हैं उन्हीं अर्थों में प्रेमचन्द भी हैं। अन्तर केवल सामयिक परिस्थितियों तथा आराध्य का है। तुलसी के आराध्य भगवान् राम हैं और प्रेमचन्दजी के दलितवर्ग के श्रमिक और कृषक।

प्रेमचन्द-साहित्य की वादो के माध्यम से विवेचना कर लेने के उपरान्त यह आवश्यक हो जाता कि उनके जीवन के लिए उनके साहित्य के साथ उनके द्वारा प्रेरित पात्रों को भी देखा जाना चाहिए। इनका अवलोकन कर लेने के पश्चात् लोगों की मन्त्रि धारणाएँ निम्न प्रकार हैं—

मुन्शी प्रेमचन्द कमवादी थे। उन्होंने कम को अपने साहित्य में प्रमुखता दी है। 'कायाकल्प' के आधार पर उन्हें अलौकिकतावादी भी ठहराया गया है। उप-यासों की विचारधारा तथा उनके निष्कप गांधीवादी हैं। इन वादो से ऊपर उठकर उन्होंने शुद्ध मानवतावाद का आश्रय लिया है।

यो थोड़े अंशों में समी वादो का उनके साहित्य में समावेश हुआ है, परन्तु देखना यह है कि किस प्रकार की विचार-सारिणी उनके साहित्य में, विशेष रूप से प्रवहमान हुई है। 'अलौकिकवाद' केवल 'कायाकल्प' तक सीमित है। अतः अपवाद है। कम को उन्होंने प्रधानता अवश्य दी है। कारण कि वह स्वयं आजीवन संघर्षों में रत रहे और परिणाम अपरिणाम की ओर तटस्थ हो जीवन का विवेचन करते रहे। उन्होंने ऐसे पात्रों को जन्म दिया है जो आजीवन कमशील दिखाई देते हैं मानो कम उनके जीवन का स्रोत हो। इन कर्मों के परिणाम प्रायः गांधीवादी विचारधारा से ओत प्रोत हैं। सभी पात्रों पर उनका अपना विश्वास है वग के अनुसार उनकी नैतिकता पर भी विश्वास है। निष्कृष्ट कोटि के पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी जो मानव जीवन के प्रति आस्था परिलक्षित होती है उन पात्रों के प्रति जा सहानुभूति नेखक के द्वारा दिखाई गई है वह शुद्ध मानव-भावताओं से परिनिप्त है, अतः गांधीवादी विचार होने के उपरान्त भी उसमें शुद्ध मानवतावाद के दर्शन स्वतः ही हो जाते हैं।

प्रेमचन्द जी के उप-यास पूर्णतः सामाजिक हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र को दारद धावू की भाँति परिवार तथा उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं रखा है उनका क्षेत्र विस्तृत है।

प्रेमचन्दजी की विरासत में, जो मिला वह सचमुच साहित्य कहलाने योग्य नहीं था, इसमें दो मत नहीं हो सकते। उन्होंने इस असाहित्यिक परम्परा को नष्ट कर नई विचार भूमि, वणन शैली तथा सरल भाषा में रोचकता एवं स्वस्थता की स्थापना की। इस परम्परा को उनके परवर्ती उप-यासकार अथवा कहानीकार अधिक अभिवृद्ध न कर सके।

सारासं, आरम्भकालीन सर्वांगीण दारिद्र्य से साहित्य को मुक्त कर प्रेमचन्द ने नया रत्नास्वरूप, नए उद्देश्य तथा नवीन विचारधारा को जन्म दे उपन्यासों और कहानियों में साहित्यिक गौरव प्रतिष्ठित किया। इस स्वस्थ

वें सरल मनोवृत्ति वाले लेखक का अनुगमन अब कोई हिन्दी कलाकार न कर सका। प्रेमचन्द हिन्दी साहित्याकाश के वह नक्षत्र हैं जो रात आते उदय हुआ और गमातकालीन किरणों जिसका हार्दिक स्वागत कर रही हैं।

३६ आचार्य शुक्ल : व्यक्तित्व और कृतित्व

'गद्य कवीनाम् निकष्य वदन्ति' अर्थात् गद्य कविया की कमीटी होता है। कवि म कविता की अभिव्यक्ति तो स्वामाविक रूप से, हार्दिक प्रेरणा से हो जाया करती है, पर गद्य लिखते समय कवि की भी परख हो जाया करती है। एक अच्छा कवि जो बहुत उच्च कोटि की कविता करता है आश्चर्य नहीं कि गद्य भी उसी स्तर का लिख दे। परन्तु शुक्लजी गद्य लिखने की कसौटी पर सबथा खरे उतरे हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य में जो स्थान उपन्यास-क्षेत्र में प्रेमचन्द का कवि-रूप में निराला का है वही समालोचना के क्षेत्र में शुक्लजी का।

विवास गति के प्रस्तर स्तम्भ—जिस प्रकार माग चलते व्यक्ति को मील, फर्लांग का परिचय मिल जाने के पश्चात् गतव्य के प्रति निश्चितता आती जाती है और वह यह भी अनुभव करता है कि वह मार्गों की कितनी वक्रताया का तय करके आगे बढ़कर आया है शुक्लजी भी ऐसे ही एक प्रस्तर-स्तम्भ हैं, जिनकी स्थिति बता देती है कि गद्य-क्षेत्र में उनके पीछे क्या माग रहा था और आग क्या होने की सम्भावना हुई।

उनके ज्ञान से पूव हिन्दी में भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक निबन्धा का अभाव-मा ही था। पण्डित बालकृष्ण मट्ट का 'आत्मनिर्भरता', प्रताप नारायण मिश्र का 'मनायोग', माधवप्रसाद मिश्र का 'धृति और क्षमा' नामक निबन्ध लिखे गए। इनमें आत्मनिर्भरता, क्षमा आदि भावों के गुण द्वाय ही गिनाये गये हैं। निबन्धों को अपने व्यक्तित्व से जवरन बांधा गया है। शुक्ल जी न इस क्षेत्र में आकर ज्ञाति ही उत्पन्न कर दी है। भारतेन्दु युग के बाद सच्चे अर्थों में ललित निबन्ध शुक्ल जी ने ही रचे।

उन्होंने विभिन्न मनोविकारों से सम्बन्धित निबन्धा में विचारपूर्वक मनो-वैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित किया है। विशिष्ट भाव की उत्पत्ति, विकास तथा अन्य भावों से उसका क्या सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में शुक्ल जी ने बड़ी सूक्ष्मता से विवेचन किया है, साथ ही सामाजिक प्रभाव की ओर भी सवेत दिया है। उन्होंने भावों का साहित्य और जीवन से सम्बन्ध भी बताया है। भावों के सम्बन्ध में जहाँ साहित्य और जीवन ही प्रमुख रहा है। वहाँ उस मनोवैज्ञानिक

बोलना, बड़ो का कहना मानना आदि नियम के अंतगत हैं, शील या सदभाव के अन्तगत नहीं।' (आधुनिक नेताओं पर व्यंग्य) "इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर धाग्वीरता का उल्लेख यदि न हो तो बात अचूरी ही समझी जायगी। ये धाग्वीर आजकल बड़ी-बड़ी समाजों के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठने हुए पारिवारिक प्रपंचा तक में पाये जाते हैं।" (देश प्रेम के सम्बन्धों में) 'मोट आदमियों! तुम जरा दुबले हो जाते—अपने अदेशों से ही सही, तो न जाने किसी ठठरियों पर मास चढ़ जाता।'

शुक्ल जी ने भावों के विश्लेषण में व्यवहार को ही प्रमुखता दी है तभी तो भावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हो सका है। पर वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति सहृदयता और साहित्यिकता के परिवेश का स्पर्श करते हुए प्रकट हुई है यही कारण है कि भावों पर लिखे गये शुक्ल जी के निबंध केवल शास्त्रीय निबंध ही नहीं हैं। विचार विवेचन के साथ साथ विषय की सरलता और सहजता के लिए शुक्ल जी निबंधों में बीच-बीच में आत्मपरक घटनाओं का भी सन्निधान हुआ है। जैसे 'लोभ और प्रीति' निबंध में लेखक के मित्र की चर्चा तथा 'श्रद्धा भक्ति' में काशी के दुकानदार का उदाहरण। पर यह वैयक्तिकता-प्रधान प्रवृत्ति कम ही स्थानों पर आई है।

शुक्ल जी ने तीन प्रकार के निबंधों की चर्चा की है, विचारात्मक, भावात्मक, वणनात्मक। विचारात्मक निबंधों के क्षेत्र में शुक्ल जी वैचारिकता को प्रमुख स्थान देते हैं। उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक ही हैं। एक श्रेष्ठ समालोचक के रूप में शुक्ल जी विचारात्मक निबंध-लेखक ही हैं। आपने-अपने 'हिंदी साहित्य के इतिहास' सातवें संस्करण में विचारात्मक निबंधों के सम्बन्ध में लिखा है— 'शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्पन्न वही कहा जाता है जहाँ एक पैराग्राफ में विचार दबाकर बसे गये हों और एक-एक वाक्य किसी सम्बद्ध विचारखण्ड को लिये हो।' इस कसौटी पर जब हम उनके निबंधों को कसते हैं तो वे खरे उतरते हैं। सामान्य रूप से उनके सभी निबंध विचारात्मक ही हैं। ऐसे निबंधों में ही उन्होंने सूत्रात्मक शैली को अपनाया है।

कुछ आलोचकों ने शुक्ल जी के निबंधों में शुष्कता और नीरसता का दोष लगाया है जो सवथा अभाय है। विषय विवेचन के कारण दुरुहता आ गई हो तो दूसरी बात है। मनुष्येतर प्राणियों और पदार्थों से उनका तादात्म्य देखिये—

"हम पेड़-पौधों और पशु पक्षियों से सम्बन्ध तोड़कर बड़े-बड़े नगरों में आ बसे हैं पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें पास न रखकर एक घेरे में बन्द करते हैं और कमी-बमी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते

हैं। कबूतर हमारे घर के छज्जो के नीचे मुख से सोते हैं और हमारे घर के भीतर घ्रा बँटते हैं, बिस्ली अपना हिस्सा या तो म्याँ-म्याँ करके माँगती है या घोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और घासुदेवजी कमी कमी दीवार फोड़-फोड़कर निकल पड़ते हैं।”

शुक्ल जी के निबन्धों के विशेष गुण—(अ) धौचित्य का ध्यान—विवेचनीय वस्तु का शुक्ल जी ने सीमा के भीतर ही सम्यक् विश्लेषण किया है। विषय को वातावरणानुबूल बनाने में शुक्ल जी कुशल हस्त हैं। मुसलमानी प्रसंग आने पर खुले धाम उद्ग प्रयोग करते हैं। (भा) मननशीलता की प्रवृत्ति—शुक्लजी के सभी निबन्धों में यह गुण भली प्रकार देखने को मिलता है। (इ) स्पष्टता या स्वभाव—विचारात्मक प्रवृत्ति का गुण है स्पष्टता। शुक्लजी वास्तव में सच्चे स्पष्टवादी निबन्ध-लेखक रहें हैं। जिस समस्या को उन्होंने उठाया है उसे सम्यक रूप से स्पष्ट करके ही छोड़ा है। (ई) गम्भीरता—जैसे शुक्ल जी के व्यक्तित्व में प्रखरता है ऊर्जा है, उसी प्रकार उनके निबन्धों में विचारों की गम्भीरता देखने को मिलती है। हास्य-व्यंग्य के समय भी उनके प्रतिपादन की गम्भीरता देखी जा सकती है (उ) तार्किक प्रवृत्ति—तर्क बुद्धि के पाख में ही निवास करता है और बुद्धि की प्रधानता शुक्ल जी के निबन्धों में प्रमुख है ही, अतः तार्किकता स्वभाविक रूप से ही आ गई है (ऊ) सक्षिप्तता से यहाँ तात्पर्य आकार प्रकार से नहीं है वरन् शली की सामासिकता से है। यह गुण उनके निबन्धों में सूत्रात्मक पद्धति में सजाजित हुआ है। इन गुणों के अतिरिक्त उनके निबन्धों में भादशप्रियता प्रकृत प्रेम भादि व गुण भी सन्निहित हैं।

शुक्ल जी की निबन्ध शली—भावों की दृष्टि से शुक्लजी के निबन्धों में तीन शलियों का उपयोग हुआ है—विशेष धारावाहिक और तरंग। विशेष शली के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है— उद्भ्रान्त प्रेम उस विशेष शली पर लिखा गया है जिसमें भावावेश द्योतित करने के लिए भाषा बाँच-बीच में असम्बद्ध अर्थात् उखड़ी हुई होती है।’ इस प्रकार की शली को शुक्ल जी ने अधिक प्रश्रय नहीं दिया। धारावाहिक शली में भावों का एक प्रकार का प्रवाह बना रहता है। शुक्लजी के भावात्मक निबन्धों की शली कुछ कुछ इसी प्रकार की है। तरंग शली के सम्बन्ध में उन्होंने इतिहास में लिखा है— श्री चतुरसेन शास्त्री के अन्तःकाल में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरे भावों की भी प्रबल व्यञ्जना अला-अला प्रवृत्ति न की गई जिनमें कुछ दूर तक ढग पर चलती धारा के बीच-बीच में भाव का प्रबल उत्थान दिखाई पड़ता था। इस प्रकार इन प्रवृत्तियों की भाषा तरंगवती धारा के रूप में चली जाती थी उसमें धारा और तरंग दोनों का योग था।’

शुक्लजी की शलीगत विशेषताएँ—शैली प्रत्येक व्यक्ति की पृथक् हुआ करती है। शुक्लजी की शैली विहारी और केशव की माँति सवया स्वतः सिद्ध है। उनकी शली में विचारों की कसावट और सवत्र विद्यमान है। जैसे विहारी ने 'सागर में सागर' मरने का प्रयास किया है उसी प्रकार शुक्लजी ने समास शैली के माध्यम से विचारों की गहनता प्रस्तुत की है। मोटे रूप में उनकी शली के छ गुण कहे जा सकते हैं—(१) शैली तत्सम प्रधान है पर मुहावरों का प्रयोग एवं विदेशी सरल शब्दों का भी अभाव नहीं है। उनकी शैली को सूत्रात्मक शैली कह सकते हैं। (२) स्थान-स्थान पर हृदय-यथ का प्रवाह उमड़ता है, जिसमें काव्यात्मकता के दर्शन होने लगते हैं। (३) व्यंग्य विनोद के छोटों से रसधारा की फुहारें छूटती चलती हैं। (४) वाक्य व्याकरणानुकूल वसे हुए हैं। उनकी तुलना शृङ्खला की कड़ियों से की जा सकती है जो एक-दूसरे से सुसम्बद्ध हैं। (५) बीच-बीच में कहीं-कहीं उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी उभर आई है। (६) शुक्लजी के जीवन का अध्यापकत्व भी शैली में प्रकट हुआ है। सूत्रात्मक शैली का उदाहरण देखिए—'वर त्रोध का अचार या मुरब्बा है।' यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण', "किसी मनुष्य में जनसाधारण के विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके सम्बन्ध में जा स्थायी आनन्द-पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं।' ऐसी ही सुगुफित वाक्य रचना से शुक्लजी अपने विचारों को लबालब भर देते हैं। वाक्यों में पूर्वापर सम्बन्ध अपेक्षित रहता है। निगमन शैली से उनका पैराग्राफ प्रारम्भ होता है और 'उदाहरण' तात्पर्य यह है कि 'अर्थात् आदि पर समाप्त होता है।

प्रायः उनकी वाक्य रचना सस्कृतनिष्ठ है और गम्भीर विवेचना में सस्कृत शब्दों की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। फिर भी उनके निबन्धों की भाषा में व्यावहारिकता लाने के लिए—इमारत नमूना बारीकी, तारीफ, खंड, खुशामद आदि उर्दू-फारसी शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। उनके निबन्धों में प्रचलित मुहावरों का घडल्ले से प्रयोग हुआ है।

शुक्लजी के व्यंग्य बड़े तीखे हुआ करते हैं ममभेदन की शक्ति उनमें स्वतः सभूत है। रुढ़िवादिता पर एक व्यंग्य देखिए—"भारतवासी यासना में प्रस्त होकर कम से तो इतने उदासीन हो बंठ और फल के पीछे इतने पडे कि गर्मी में बाह्य को एक पेठा देकर पुत्र की आशा करने लगे, चार माने रोज का अनुष्ठान कराके व्यापार में लाम, शत्रु पर विजय, रोग से मुक्ति, धन धाय की वृद्धि तथा और न जाने क्या-क्या चाहने लगे।"

शुक्लजी ने शलो को व्यक्ति का धर्मिन घग माना है। लक्ष्मी सागर वाष्णय ने शुक्ल जी की निबन्ध-शैली को 'बादाम तोड झेली' कहा है। जिस

प्रकार बादाम को तोड़ने में अवश्य ही कुछ प्रयास करना पड़ता है परन्तु टूट जान पर उसकी गिरी भावपक, सहज सुस्वाद बन जाती है, उसी प्रकार शुक्ल जी की शैली है, प्रयत्नपूर्वक थोड़ा समझ लेने पर रसपूण प्रतीत होती है।

शुक्ल जी का स्थान—निबन्ध-लेखक की दृष्टि से शुक्ल जी की तुलना अंग्रेजी लेखक जॉनसन तथा आलोचक की दृष्टि से आरनॉल्ड से की जा सकती है। क्योंकि शुक्लजी की भाँति वे दोनों भी 'सहज बुद्धि' (Common Sense) की आधार-भूमि का परित्याग नहीं करते। शुक्लजी के निबन्धों में प्राण-वत्ता है, उनके व्यक्तित्व में सहृदय विनोदी साहित्यकार के गुणा भी भँकी हैं—केवल मात्र पुस्तक-सेवी सयासी की ही भवगति नहीं है। शुक्लजी की निबन्ध-शैली एवं आलोचना-पद्धति का इतना प्रभाव हिन्दी-क्षेत्र में हुआ है कि उनके परचात् निबन्धों में एक भाँति ही घा गई है। शुक्ल जी अपने युग के प्रतिनिधि निबन्धकार हैं। परवर्तियों के लिए आलोक स्तम्भ हैं।

३७ | युग कवि रामधारी सिंह 'दिनकर'

छायावाद के उपरांत हिन्दी के काव्य-मंच पर तीन कवि विशिष्ट रूप लेकर अवतरित हुए। तीनों के स्वरो में मस्ती थी, उमंग थी, उल्लास था, तरुणार्थ का खुमार था, भावों का ज्वर था। इनमें से भगवतीचरण वर्मा की मस्ती तो 'भँसा गाड़ी की चू चू में ही कही खोकर रह गई। बच्चन की मस्ती पर 'मधुशाला' की हाला का रंग ऐसा चढ़ा कि वह व्यक्ति के 'माकुल-अंतर' एकान्त संगीत और 'मिथुन-यामिनी' के अवसाद-उल्लास में सीमित क्षितिज में ही खोकर रह गये और जब उनकी भाँति ने युग की और दृष्टि-पात किया तो कवि की भावुकता इस सीमा तक मर चुकी थी और बौद्धिकता इस सीमा तक छा चुकी थी कि उनके पूर्व-कृतित्व पर भी सदेहसा जागृत होने लगा। तीसरे कवि हैं श्रीरामधारी सिंह 'दिनकर' जो इसी युग की देन हैं। इन तीनों में दिनकर ही ऐसे हैं जिन्होंने युग-चेतना का हुंकार दी, भगारों भरी भाँति दी रसवती गान दिया, इतिहास के आसुओं से मानवता का स्वर खोजा, कुरक्षेत्र की तप्त भूमि से 'मनुज के लिए श्रेय' तत्त्व की खोज की और आज जब हिन्दी का पाठक प्रबुद्ध हो गया है तब कवि भी भावुकता की पुरानी बँचुल को उतार मनोवैज्ञानिक धरातल पर सड़ा आधुनिक नर-नारी में उसकी और पुरखा की भँकी देखता, इस स्थापना में तल्लीन है कि 'कोई शक्ति है, जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग नहीं रहने देती और जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी तृष्णा का संचार करती है, जिसकी

तृप्ति शरीर के घरातल पर अनुपलब्ध है।"

युग-कवि दिनकर के काव्य का समारम्भ सन् १९३५ में प्रकाशित 'रेणुका' नामक काव्य-रचना से होता है। इसमें आगे आने वाली 'रसवन्ती' की कोमल भावधारा भी है। जैसे —

"राजा वसन्त वर्षा-ऋतुओं की रानी,
लेकिन वीनों की कितनी भिन्न कहानी।
राजा के मुख में—हसी-कठ में माता—
रानी का अन्तर विकल दर्दों में पानी ॥"

और साथ ही 'हुंकार' जैसा भोज भरा सामाजिक चेतना का स्वर भी, जैसे—

"विद्युत छोड़ दीप साजूंगी महल छोड़ तूण कुटी प्रवेश।"
"तुम गाँवों के बनो भिखारी, मैं भिखारिणी का लूँ बेश।"

इस प्रकार आगे चलकर कवि के काव्य में जो मूल-स्वर निरंतर पल्लवित होते गये उसके बीज 'रेणुका' में ही मिल जाते हैं।

'हुंकार' कवि की वह रचना है जिसकी कविताओं ने कवि को ख्याति प्रदान की। कवि जिस पौरुषमय व्यक्तित्व, भोजस्वी वाणी तथा श्रान्ति के अंगारों के लिए प्रसिद्ध है, हुंकार उसका प्रतीक है, कवि की प्राणवान रचनाओं का प्रगतिवादी कविता का, राष्ट्रवादी भावों का प्रतिनिधि काव्य-संग्रह है। कवि 'नए प्रात के अरुण' युवकों का आह्वान करता है —

'नए प्रात के अरुण, तिमिर उर में मरोचि सधान करो।
युग के मूक शल उठ जागो, हुंकारो कुछ गान करो ॥"

कवि में अदम्य उत्साह तथा अगाध विश्वास है। वह जानता है कि विभा-पुत्रों का आलोक-दान ही कस्तूर्य, जागरण-गान ही मूल-मंत्र है।

प्रगतिवाद के प्रवाह में बहते हुए जहाँ कवि को झोपड़ियों में साम्य की वशी सुनाई देती है वहाँ कवि ने तत्कालीन दिल्ली को सम्बोधित करते हुए उसके शोषण का भी यथार्थ चित्र दिया है —

'अनाचार अपमान, व्यर्थ की चुभती हुई कहानी दिल्ली।'

इस संग्रह की प्रसिद्ध कविता "हाहाकार" है जिसमें दूध-दूध की पुकार है किसानों के बच्चे 'दूध-दूध करते विलख कर मर जाते हैं। उनकी कब्रा से भी दूध-दूध का हाहाकार सुनाई देता है —

"कदम-कदम में अशुभ आलकों की मूखी हड्डो रोती है।
दूध-दूध की कदम-कदम पर सारी रात टपटा होती है।"

इस प्रकार 'हुंकार' की कविताएँ कवि की भोजस्वी वाणी की हुंकार भरती.

प्रगतिवादी विचार धारा, यथाय वो सामने लाकर सामाजिक-चेतना का जगाती तथा ज्वलत स्वरो में क्रान्ति का पाठ पढाती है। भोज और भाषाओं में इन स्वरो ने ही कवि को ख्याति प्रदान की।

यदि 'रेणुका' के पौरुष भरे स्वर को बढावा मिला है 'हुकार' में तो कोमल स्वरो की मादक झरार को आधार मिला है 'रसवती' में। यही कवि का वाच्य के मूल स्वर है, जिसे कवि ने विकसित किया है। अतएव हुकार के आवेग के उपरान्त यदि रसवती की कल-कल वा मधुर स्वर सुनाई देता है, तो इसे कवि का पप-भ्रष्ट होना नहीं कह सकते। 'रसवती' काव्य-सग्रह की 'गीत अगीत' कविता अत्यन्त लोकप्रिय हुई।

यद्यपि 'रसवती' के साथ ही १९४० में 'द्वन्द्व-गीत' का भी प्रकाशन हुआ किन्तु उसका जीवन-मृत्यु सम्बन्धी द्वन्द्व-निरूपण कोई विशेष आकर्षण उत्पन्न नहीं करता और इस रचना को भालोचको ने कोई विशेष स्थान भी नहीं दिया है। किन्तु मेरी दृष्टि से द्वन्द्वगीत नामक रचना एक प्रकार से कुशक्षेत्र के लिए मैदान तयार करती हुई प्रतीत होती है।

इसके उपरान्त कवि की भ्रमण-कीर्ति का आधार 'कुशक्षेत्र' भाता है जिसका प्रकाशन सन् १९४६ में हुआ। अभी तक कवि फुटकर कविताएँ एव गीत लिखता आ रहा था, जिसमें भावों का आवेग है किन्तु 'कुशक्षेत्र' में भाकर कवि भाष्यान का आधार लेकर प्रबन्ध रचना करता है। कुशक्षेत्र का सुजन सात सर्गों में हुआ है। इस रचना में सगबद्धता ही नहीं विचार-बद्धता भी है। वास्तव में कुशक्षेत्र का प्रसंग तो विचारों को प्रकट करने का माध्यम-साध है। इसीलिए इस रचना में युधिष्ठिर तथा भाषा के प्रसंग की पौराणिकता तथा रचना के प्रबन्ध-कौशल को महत्त्व न देकर कवि ने युद्ध, न्याय भात्म बल, धर्म-अधर्म जैसे विचारों को ही महत्त्व दिया है। इसी कारण 'कुशक्षेत्र' के स्वर में प्रीडता है समय है और गम्भीरता है। यहाँ भोज और पौरुष के साथ-साथ विवेक का भी सुन्दर सम्मिलन हुआ है तथा कवि ने हृदय की भावुकता को ही मस्तिष्क की बौद्धिकता के स्तर तक उठाकर जीवन के सामंयिक प्रश्नों पर परिपक्व विचारों की अभिव्यक्ति की है।

द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया था किन्तु युद्ध की विनीयिका अभी भी मानव को भातकित किये थी। इधर भारत में आहिंसात्मक आन्दोलन भी इस जल ही हुए थे। कवि का मन इस द्वन्द्वपूर्ण वातावरण में निरन्तर चिंतनमग्न था। युद्ध शांति, आहिंसा हिंसा, धीरता-कायरता पुण्य-पाप धर्म अधर्म जैसे सामाजिक विषयों पर कवि ने जो कुछ उस समय सोचा उस ही कुशक्षेत्र की शीर्ष कथाओं के पट पर भक्ति कर दिया है। प्रबन्ध-कल्पना में अनेक

शिथिल हो रचना-कौशल पर कवि ने विशेष ध्यान न दिया है,

विन्तु विचारो की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठतम कृति है और मानवीय-मूल्यों के प्रास्थान को बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करती है।

स्वतंत्रता के उपरान्त निनकर जी के कई काव्य-साग्रह प्रकाशित हुए। 'बापू' म बापू की हत्या के कारण क्षुब्ध हृदय का भावावेश है, 'घुप और घुमा' म, जमा वि गाम से ही स्पष्ट है एक और स्वराज्य की मासामयी घुप है तो दूसरी भार असतोष का घुमा भी। इतिहास के आँसू नीम के पत्ते तथा 'नील-कुसुम' इनकी नई पुरानी कविताओं के सग्रह हैं। इनसे केवल इस तथ्य की सूचना मिलती है कि 'दिनकर' का कवि उत्तार पर है। इतना तो स्पष्ट। कि कवि की राष्ट्रीय भावनाओं में गतिरोध आ गया है। 'नील-कुसुम' में कवि ने कुछ नए शिल्प के प्रयोग भी किये हैं विन्तु भाव-पारा वही पुरानी है। इसकी आलोचना करते हुए बच्चन ने कहा है कि "दिनकर या तो अपने को नहीं समझ सका या फिर प्रयोगवाद को। वे मुस्यत और मूलत एक राष्ट्रीय कवि हैं।" इसी प्रकार की एक और रचना 'रश्मि-रयी' भी मिलती है जिसमें कवि की दृष्टि अतीत को और गई है तथा कवि ने महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कण को दलितो का नेता बनाकर उसके उत्थान का प्रयत्न किया है। उनका यह प्रयास भी निश्चय सराहनीय है।

इस प्रकार स्वतंत्रता के उपरान्त प्रकाशित रचनाएँ दिनकर के हास की सूचक हैं न कि विवास को। राष्ट्रीयता का शस्त्र फूँकने वाला युग कवि देश म व्याप्त असतोष की भावना से मौन-भूक हो गया है। सांस्कृतिक चेतना को जगाने और राष्ट्र निर्माण की कल्पना को भावावेश के रूप में प्रस्तुत करने की कोई योजना इनकी रचनाओं म नहीं मिलती। जहाँ पाठक कवि से राष्ट्रीय-चेतना से परिपूर्ण किसी युगान्तरकारी रचना की आशा लगाए बैठे था, वहाँ कवि की वाणी ने दी है काम के स्पदन से परिपूर्ण 'उवशी'। जीवन-पयन्त राष्ट्र के चरणों पर भाव मरी वाणी ने फूँक चढ़ाने वाला कवि काम प्रध्यात्म की अलख समाधि में लीन हो गया है। यह देखकर प्राय निराशा ही होती है। किन्तु 'उवशी' का प्रकाशन हिंदी काव्य जगत की एक ऐतिहासिक घटना है। कवि दिनकर के काव्य की यह परिणति एक विस्मय का ऐतिहासिक घटना है। इसी कारण इस रचना को कई वर्षों तक पर्याप्त चर्चा रही और प्राय आलाचकों द्वारा विवाद-पूर्ण मत प्रकट किये गये।

वैसे तो आरम्भ से ही कवि के काव्य म दो स्वर मूल रूप से दिखाई देते हैं—सामाजिक चेतना का स्वर जिसका फल कवि की राष्ट्रीय कविताएँ थी और जिनकी परिणति 'कुक्षेत्र' में हुई। दूसरा रोमांटिक स्वर जिसकी मूलर अभिव्यक्ति 'रसवन्ती' में हुई थी और जो यदा-यदा उनकी अग्र रचनाओं के प्रस्तुत होता रहा था। 'उवशी' इस दूसरे रोमांटिक स्वर का ही

धरम परिणाम है।

उर्वशी में स्त्री और पुरुष के रूप चित्रण का प्रयास किया गया है। कवि की मान्यता है कि 'नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इन्द्रियातीत है। इस नारी का सघन पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते-उछालते उसे मन के समुद्र में फँक देती है जब दैनिक चेतना से परे बड़ प्रेम की दुगम समाधि में पहुँच कर निस्पन्द हो जाता है और पुरुष के भीतर भी एक और पुरुष है जो शरीर के घरातल पर नहीं रहता, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अग-सजा के पार पड़ना चाहती है।' इस प्रकार उर्वशी का लक्ष्य उस प्रेम की आध्यात्मिक महिमा का निरूपण करना है जो किरणोज्ज्वल और वायवीय है—

"प्रणय-भ्रम की निश्चेतनता में अंधी बाँहों के आलिंगन में बेह नहीं, श्लथ यही विभा बँधती है।
और घूमते हम अचेत ही जब असल अघरों को,
वह घुम्बन अदृश्य के धरणों पर भी चढ़ जाता है।"

इस प्रकार 'उर्वशी' काम और अध्यात्म के बीच द्वन्द्व को प्रतिपादित करने वाली रचना है जिसका आधार कवि दिनकर के ही शब्दों में उनकी चिर परिचित भूमि सामाजिक चेतना ही नहीं अपितु एक ऐसी चेतना भी है जो वैयक्तिक है रहस्यात्मक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें संदेह नहीं कि इस काव्य में सामाजिक चेतना का वह शख फूँक देने वाला युग-चारण रूप नहीं मिलता जिससे हिन्दी का पाठक कवि दिनकर को जानता तथा पहचानता है।

'उर्वशी' के तीसरे अंक की आलोचकों ने विशेषकर प्रशंसा की है क्योंकि इसमें कवि ने नेताओं की भाँति प्रश्नों के उत्तर तथा रोगों के समाधान नहीं दिये अपितु कविता को दद और बेचनी, वासना की लहर तथा रुधिर के उताप की वाछित भूमि पर खड़ा किया है।

इस प्रकार प्रगति के अग्रदूत अोज, पौरुष और विवेक के युग-कवि दिनकर को मले ही कुछ आलोचक 'उर्वशी' के कामाध्यात्म के विचित्र घोटाले के कारण चारण-युग तक कहने लगे किन्तु सन्देह नहीं कि कवि की सशक्त वाणी ने अतीत के गौरव का, वर्तमान के सघन का और भविष्य के स्वप्नों का भी भार सफलतापूर्वक वहन किया है, अतीत को नई दृष्टि देकर वर्तमान को उजागर करने का स्तुत्य प्रयास किया है न कि परम्परावादी कवियों की भाँति नई सामाजिक चेतना के सन्दर्भ में बदलते हुए मानव-मूल्यों की रुढ़िवादी बनकर अचलना की है।

कवि दिनकर के काव्य में भाव-बोध का ही वैविध्य नहीं, रूप शिल्प का

भी प्रयोग विभिन्न रूपों में हुआ है। इन्होंने केवल हुकार का उद्बोधन काव्य, रसवन्ती के प्रणय गीत, कुरुक्षेत्र का प्रबंध काव्य ही नहीं लिखा अपितु उर्वशी का सवाद काव्य तथा काव्य निबंध, सूक्ति-काव्य, नीति-काव्य, व्यंग्य काव्य आदि भी प्रस्तुत किये हैं।

कवि की भाषा अपने भोज और दप के लिये, भाव-बहन करने की क्षमता और रस सिक्न होने के लिए पर्याप्त समय है। कवि के छन्द विधान में भले ही कोई नवीनता न हो किन्तु सन्देह नहीं कि ये छन्द इनके भावों के वेग, मन की मस्ती, भाषा के भोज और शैली के वैविध्य को बहन कर अनुभूतियों की सरस अभिव्यक्ति कर पाये हैं।

३८ | नई कहानी

कहानी की भी अपनी कहानी है। कदाकि कहानी का पाठक बदलता है, युग के अनुरूप उसकी मायताभा, रूचियों में परिवर्तन आता है, इसलिए कहानी भी सदा अपना रंग रूप बदलती रही है।

प्रेमचन्द का अन्तिम कहानी-संग्रह था 'कफन'। इस संग्रह में, विशेषकर इसकी कहानी 'कफन' में जीवन की भूख की एक नई अनुभूति थी, मानव-चरित्र की एक नई भाँकी थी, जीवन की कटुता और व्यंग्य को एक नये शिल्प में प्रस्तुत किया गया था, नई संवेदना दी गई थी। किन्तु यह नई कहानी न थी। इसकी रचना-प्रक्रिया अवश्य ही भिन्न थी, इसका रचना-विधान भी नया था किन्तु इसकी जीवन-दृष्टि कटु यथाय के घरातल पर उतर कर भी, मानवीय-मूल्य का पुराना लबादा ही छोड़ कर आई थी। हाँ इस पुराने लबादे के कटे-फटे चीयबो से कहानीकारों ने नई जीवन-दृष्टि, नई रचना-प्रक्रिया और नई चरित्र सृष्टि के सूत्र अवश्य पा लिए थे।

प्रेमचन्द की कहानियों के उपरान्त हिन्दी-कहानी का सूत्र प्रागे बढ़ाने वालों में तीन कहानीकारों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—जनेन्द्र, अज्ञेय और यशपाल। इन तीनों के अद्भुत कृतिरत्न से कहानी में विविधता आई, रचना-शैली और शिल्प-विधान के असह्य प्रयोग हुए, युग का बौद्धिक विश्लेषण भी उपस्थित होने लगा। इस कहानी-युग में सबप्रथम बात रही चरित्र। इसी चरित्र के माध्यम से ही जीवन के सब रूप, सब वेग, सब स्थितियाँ प्रतिबिम्बित होती रहीं। इन चरित्रों द्वारा ही युग की विचारधारा, युग का दर्शन मनुष्य-विज्ञान, गाँधीवाद, साम्यवाद आदि अभिव्यक्त होते रहे। ये चरित्र यद्यपि सामान्य और प्रतिनिधि रूप में भी सामने आये किन्तु अधिकतर इन लेखकों

का भाग्रह विशिष्ट चरित्रों को ही चित्रित करने का रहा और उसके भवचेतन की गहराइयों में उतर कर उसे अंकित करने का कलात्मक प्रयास किया गया। इस कारण कभी-कभी कहानी मनोवैज्ञानिक केस बनकर भी रह गई। फिर भी अधिकांश में कहानियों में चरित्र को सफल अभिव्यक्ति मिली और वह भी व्यक्तिवादी चरित्रों को।

इस चरित्राकन के लिए कहानीकारों ने आत्मविश्लेषण, भवचेतन को पतें उधाड़ना, सामाजिक-आर्थिक परिवेश द्वारा चित्रण जैसे कई ढंग अपनाये और इस प्रकार शुद्ध वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारों पर चरित्रों को अभिव्यक्ति देने का सफल प्रयास किया। इस कारण चरित्रों में ग्रह विद्रोह तथा आत्मविश्लेषण का गहन चिन्तन विशेष रूप से दृष्टिगोचर हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि कहानी अधिक बौद्धिक हो उठी। उसमें घटना कौतूहल का तो प्रश्न ही न रहा, विचार ही अपनी पूर्ण गहनता के साथ, चिन्तन की नीरसता के साथ और मानसिक ऊहापोह के साथ उपस्थित होने लगा। कहानी में कथा न रहो, अपितु विचार अपनी सारी उलझनों, अस्पष्टताओं के साथ छा गया। इसमें सन्देह नहीं कि इससे कहानी के फाम को तो विस्तार मिला और कहानी स्वीकार करना मात्र ही प्रतीत हुआ। जीवन का बोझ, उसका दद, उदासी और एकरसता सत्य है और इतनी अनुभूति ही जीवन का सत्य नहीं। यह जीवन को मार्मिक यथाथ समग्र जीवन से वही जुड़कर ही तृप्ति दे सकता है। अतएव पीढा का यह मम पकड़ में न आ रहा था, इसलिए कहानी विकास को एक ऊँचाई को पाकर भी गति अवरुद्ध हो गई और कथ्य के म्यान पर विविध शिल्प प्रयोगों में ही सारी सृजन शक्ति लगने लगी।

इधर 'शुद्ध-साहित्यिक सिद्धि' से युक्त कहानियों में बौद्धिक विश्लेषण की अस्पष्टता थी, यथाथ की अवसाद-ग्रस्त ऊव थी और शिल्प के प्रयोग के लिए प्रयोग थे तो दूसरी ओर इसी की प्रतिक्रिया में पत्र पत्रिकाओं में बाढ़ की तरह छा जाने वाली सस्ती, सैंक्स की रोमांटिक कहानियों की धारा थी। दूसरे महायुद्ध के उपरान्त इसी धारा ने कहानी की माग को पूरा किया पाठकों को सैंक्स-हत्या बलात्कार, रगीन रातों नाटकीय काल्पनिक स्थितियाँ आदि के बीच उलझा उनका मनोरंजन किया, उनकी कहानी पढ़ने की भूख को शान्त किया।

इन धाराओं के फलस्वरूप कहानीकारों के सामने दो रास्ते रह गए। एक रास्ता था व्यावसायिक चेतना का, जिसमें रचना के आन्तरिक मूल्य की अपेक्षा पसा कमाना अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। इसके वशीभूत होकर नगे सक्सी और सस्ते मनोरंजन वाला साहित्य धरापट लिखा जाने लगा। दूसरी ओर जैनेन्द्र और अज्ञेय की कहानियाँ थी जिनके कथ्य में, अन्तर्मुखी चरित्रों में

मन स्थिति के भाव-चित्रों में, असाधारण को कल्पना तथा फैंटसी के द्वारा चमत्कृत करने का प्रयास किया जा रहा था। इस चमत्कारी कल्पना ने यशपाल के यशय को भी झुका था। इस प्रकार एक धारा साहित्यिक मूल्यों के विकास में लीन थी तो दूसरी धारा केवल लिखने के लिए तिष्ठ रही थी, छपने के लिए तिष्ठ रही थी। पर इधर समाज बड़ी तेजी से बदल रहा था। कहीं रखाचित्र बने तो कहीं विद्वेषण चित्र, कहीं उसने डायरी-शैली को अपनाया तो कहीं पत्र-शैली को, कहानी कहीं भावुकता का बाना पहन गद्य-गीत की सीमाएँ छूने लगी तो कहीं विवरण पर दृष्टि टिक जाने से रिपोताज बनकर रह गई। यही कारण है कि इस युग की कहानियों को कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसके दृष्टिकोण अनेक हैं, प्रवृत्तियाँ अनेक हैं, शैलियाँ विविध हैं, मायताएँ और प्रेरणाएँ विभिन्न हैं, अतएव कहानी की एक रूप-रेखा, एक सीमा निर्दिष्ट करना कठिन है। इस सम्बन्ध में भर्षेय जी ने प्रयास किया है तथा 'एकान्तिक प्रभाव' को ही इन कहानियों का प्रमुख उद्देश्य बताया है उन का कथन है—'कहानी में एकान्त प्रभाव ही कहानीकार का उद्देश्य होता है और उसके द्वारा चुनी हुई वस्तु उस उद्देश्य प्राप्ति का साधन। वह प्रभाव और उस प्रभाव की एकात्मिकता ही मुख्य है।'

इस प्रकार प्रमचंद जी के उपरान्त हिन्दी कहानी दो दिशाओं में भ्रमसर हुई। एक दिशा थी अनुभूति की जिसमें यह माना गया कि लेखक अपनी अनुभूति ही लिखे। जो अनुभूत नहीं है वह कहानी, 'सैद्धान्तिक प्रेरणा' के कारण भले ही श्रुणशोध कही जाए, साहित्यिक सिद्धि नहीं कही जा सकती। दूसरी दिशा में कहानी को सिद्धान्त प्ररित रूप दिया जाता रहा और कहानी के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा गया कि जिन भावनाओं को मृन्दर अर्थात् समाज उपयोगी और कल्याणकारी समझा जाए, उनकी समाज को प्रेरणा देने के लिए अभिव्यक्त होनी चाहिए। इसमें अनुन्दर तथा अयामपूर्ण समाज के विरोध की प्रेरणा भी भा जाती है। इसी भाव से यशपाल ने कहा—'मैं जिन मान्यताओं के समर्थन अथवा विरोध में प्रेरणा उत्पन्न करना चाहता हूँ, उनके अनुकूल घटना की कल्पना कर लेता हूँ।'

नई कहानी क्या है? इसका अर्थ, इसकी सीमाएँ, इसका आधार और सक्ष्य क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर भी नए कहानीकारों को ही देना पड़ा है और उन्होंने भी नई कविता के कवियों की भाँति अपने दृष्टिकोण को बड़े विस्तार से स्पष्ट किया है।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध नए कहानीकार मोहन राकेश ने हम पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि 'नई कहानियाँ व हैं'। किसी-न किसी नये पहलू पर धारारित हैं, तथा जीवन के नये सत्यों को एकदम नई दृष्टि से दिखाने में समर्थ

“नई” कहानियों का नयापन किसी अच्छे भाग के अजीब से प्राणियों के वर्णन में नहीं। इसका नयापन सामाजिक परिस्थितियों के कारण मानवीय जीवन में आया नयापन है। कुछ कहानियाँ इसलिए भी नई हैं कि उनका सत्य अभी साहित्य द्वारा छूटा है, जीवन के उस पहलू पर अभी रचना नहीं हुई है।

इन नई कहानियों के शिल्प का प्रमुख आधार है अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता और ‘क्षण-बोध’। इन नई कहानियों की अनुभूतियाँ भी सहज हैं और जीवन के हर पक्ष से प्राप्त हो सकती हैं। अनुभूतियों की यही सहजता रचना को भी सहज सवेद्य बना देती है।

नई कहानी का यह नयापन अपने पूर्व के कहानीकारों से कहाँ तक भिन्न है? इसकी चर्चा करते हुए प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि नई कहानी का व्यक्ति समय और सम्पूर्ण रूप में नहीं खड-खड रूप में सामने आता है। आज का नया कहानीकार व्यक्ति या समाज को अपने-आप में नहीं देखता अपितु उसे उसके परिवेश में देखता है, कभी-कभी स्वयं परिवेश को ही देखता है। इसी कारण नई कहानी में परिवेश-बोध, वह भी क्षण’ की विकसित चेतना को बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु माना जाता है। परिवेश-बोध नई कहानी के स्वरूप को महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

नए कहानीकार का यथार्थ भी अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। इसे जिस परिवेश में व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है, वह परिवेश बड़ा सश्लिष्ट और उलझा हुआ है। इसलिए कहानीकार को विशिष्ट भाव चित्रण या विश्लेषण के लिए शिल्प को भी वैसा ही सूक्ष्म बनाना पड़ता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नया कहानीकार कथानक, चरित्र चित्रण, चरम सीमा के पुराने विधान को छोड़कर कहानी के शिल्प को रूढ़िमुक्ति कर चुका है। इसीलिए नई कहानी जीवन की किसी भी अनुभूति अथवा उसके एक बिन्दु को, एक विद्युद्गमन स्थिति को घटना, भाव-दशा अथवा विचार को लेकर लिखी जा रही है। जहाँ इनमें अनुभूतियों की सहजता लक्षित की जा रही है वहाँ इनमें सहज सामाजिकता भी मिलती है। जहाँ यह सहजता है वहाँ ये कहानियाँ भी सहज सवेद्य हैं और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ पूर्व के कहानीकारों की अस्पष्टता का गर्द है और ऐसी कहानियाँ अपनी विरलता तथा अत्यन्त जटिल अनुभूतियों के कारण समझ में नहीं आतीं, साधारण पाठकों को तो बिल्कुल ही नहीं।

इस प्रकार नई कहानी में कहानी की भावना ही परिवर्तित हो गई है। द्वितीय युद्ध के उपरांत हमारे सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक मूल्यों में जो विघटन हुआ है उसके फलस्वरूप पुराने स्मरण सत्य अधिकांश में भूटे दिखाई देने लगे हैं। आज की कहानी इन्हीं नयी अनुभूतियों का नयापन लिये है। इस

नई अनुभूति की सजीवता परिवेश-बोध तथा उसके सफल चित्रण पर है और सुबोधता उसकी सहज तथा सरल अभिव्यक्ति पर है। इस प्रकार नई कहानी के स्वरूप के आधार-बिन्दु हैं—(१) अनुभूति, (२) सहजता तथा (३) परिवेश बोध की विकसित चेतना। इन्हीं तीन कारणों से ही नई कहानी नई है न कि केवल इसलिए कि वह नये समय की है या नये लेखकों की है।

नई कहानी को जितनी शीघ्र मान्यता मिली उतने ही वेग के साथ इस साहित्य का निर्माण हुआ और आज इसका फल यह निकला है कि इन थोड़े वर्षों में ही नई कहानी के उत्कृष्ट उदाहरण, नई कहानी के उत्कृष्ट कहानी-सग्रह तथा नई कहानी के उत्कृष्ट कहानीकार देखने में आते हैं। मोहन राकेश, निमल वर्मा, मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, भ्रमरकांत ज प्रियम्बदा, फणीश्वरनाथ रेणु, ए. पर जोशी नई कहानी के प्रतिनिधि लेखक हैं।

धीरे धीरे नई कहानी अपने सफल सर्जन की रूपरेखाएँ भी उभार रही है। प्रमचन्द ने अपनी कहानियों में ग्राम तथा कस्बों के जीवन की झाँकी दी थी और उनके रूढ़ जीवन के परम्परागत सत्य का उद्घाटन किया था। प्रमचन्द के उपरान्त कहानी शहरो में भा बसी और जीवन-सत्य को चित्रित करने का ऋजु पथ छोड़ मनोविज्ञान तथा विश्लेषण के माध्यम से भ्रवचेतन की गहन गुफाओं में जा बठी। पर नई कहानी ने समान रूप से नगर, कस्बाती तथा ग्राम जीवन को अपनाया। पर ऐसा करते हुए कहानी के लेखक का सत्य नई सामाजिकता तथा बदले हुए परिवेश की विकास चेतना को लेकर ही चला। इसी कारण जब हम कमलेश्वर को कस्बाती कहानी कहते पाते हैं या मार्कण्डेय को ग्राम्यजीवन की तो उनमें प्रेमचंद की गंध नहीं आती अपितु नई सवेदनाएँ उमर कर आती हैं नई अनुभूतियाँ होती हैं, नए, सकेत-चित्र उमरते हैं और व्यक्तित्व या सामाजिक सत्य के नए धरातल प्राप्त होते हैं। यही बात नगर के जीवन के सम्बन्ध में भी सत्य है।

और फिर यह कहानी जीवन की ऊँच और उदासी की कहानी नहीं, पराजित मनोवृत्ति की तो बिल्कुल ही नहीं। इन कहानियों में जीवन के जीवत चित्र मिलते हैं। जीवन से जुझते, वर्जनाओं को चुनौती देने का विद्रोह भरा माव भी इनमें मिलता है। इसमें सदेह नहीं कि इन कहानियों में कुछ ऐसी भी है जिनमें न इतनी गहराई है न इतना जीवन का जीवत चित्रण। कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जिनमें जीवन के उदास, करुण और हीन-जड़ चित्र हैं। वास्तव में ऐसा स्वामाविक ही है। कोई भी युग हो यह सम्भव नहीं कि उसकी हर रचना का स्तर एक जैसा हो। और फिर नई कहानी के लिये जो यह सम्भव नहीं, क्योंकि यह कुछ नया देने के लिए वचनबद्ध है। यही कारण है कि नई कहानी की अनुभूति में पर्याप्त विविधता है। अनुभूति की

इस विविधता ने कहानी के नए पन की भी रक्षा की है और साथ ही इसके परिवेश को व्यापक भी बना दिया है।

नई कहानी तक आते-आते कहानी की परिभाषा और उसके कर्त्रीभूत तत्व या मात्रा में भी पर्याप्त अन्तर आ गया है।

प्रेमचन्द के युग की कहानियाँ में एक आदर्श रहा करता था, जैनेन्द्र आदि की कहानियों में एक विचार। किन्तु नई कहानी में एक जिम्मा हुआ जीवन-क्षण या उसका अंश-मात्र रहता है। कहानीकार इसी भोगे हुए क्षण को कुशाग्र बनकर मुखरित कर देता है और उस पर विचार के लिए पाठक को घुला छोड़ देता है। इससे कहानी सचेत होकर पाठकों के विचार-क्षेत्र में हलचल मचाने का महज लक्ष्य लिये है। यही इसका आदर्श है, विचार है।

नई कहानी का आग्रह शिल्प पर नहीं, यहाँ कथ्य से भिन्न कोई फार्म नहीं। तथ्य और फार्म एक ही वस्तु के अभिन्न अंग हैं। कहानी की आत्मा शिल्प में डबी है और शिल्प आत्मा में। मानो उनका एक-दूसरे से अलग कोई अस्तित्व ही नहीं।

जैनेन्द्र आदि के समय में कहानी शिल्प के विविध प्रयोग हुए थे। वह कौन सा शिल्प है जिसका प्रयोग जन-द्र अज्ञेय आदि कहानीकारों ने नहीं किया। वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, डायरी, आत्मकथा, पत्रात्मक, फ्लैशबैक, सम्भाषण, बिम्ब प्रतीक आदि कौन सी शली है जिसके शिल्प पर जैनेन्द्र आदि के समय में सफल प्रयोग नहीं हुए। पर नई कहानी का लक्ष्य नया सद्म, नया जीवन और नया परिवेश-बोध है। इस प्रकार जब जीवन-दृष्टि पर ही नया कहानीकार अपनी कला को केन्द्रित कर देता है तो शिल्प केवल उस अनुभूत सत्य का अनुवर्ती मात्र बनकर रह जाता है उसकी पृथक् सत्ता नहीं रह जाती। यही कारण है कि नई कहानी में कटे-छटे कथानक तरांगों, आदि मध्य-अन्त, न नाटकीय विकास और न ही बिम्बों प्रतीकों की छटा मिलती है। कहानी की भाषा कहानी की आत्मा की भाषा है। कहानी या शिल्प कहानी के कथ्य का सहज ही अभिव्यक्त होने वाला रूप है। इस प्रकार नई कहानी का सार है नया सत्य नई जीवन-दृष्टि जिससे इसे अभिव्यक्त करने वाला शिल्प सहज ही घुला मिला रहता है न कि उसके अलग निर्माण का कोई प्रयत्न करना पड़ता है। शिल्प-सम्बन्धी यह धारणा इस नई कहानी का विशेष अंग है। उसका शिल्प सम्बन्धी नयापन भी यही है।

नई कहानी की उपलब्धि के सम्बन्ध में अभी कुछ बहने का अवसर नहीं आया। किसी साहित्य का मूल्योपेक्षक एक ऐतिहासिक प्रक्रिया होती है और जब तक यह प्रवाह बम नहीं जाता या कोई नया मोड़ नहीं लेता तब तक उसका यथार्थ मूल्य निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता।

द्वितीय खण.
राजनीतिक एवं आर्थिक

३६ प्रजातन्त्र और राजनीतिक दल

प्रजातन्त्र एक हरा-भरा पेड़ है, न्याय जिसका तना है, स्वतन्त्रता जिसका फल है, समानता के फूल जिस पर खिलते हैं और भाई-चारे की भावना ऐसे फलती है जैसे छाछाए। वास्तव में सफल प्रजातन्त्र वही है जिसमें पाप स्वतन्त्रता समानता और भाई-चारे की प्रवृत्ति विद्यमान है। इन्हीं चारों लक्षणों के कारण ही तो प्रजातन्त्र के शासन को सर्वोत्तम कहा जाता है। जिस देश में यह शासन-पद्धति वर्तमान है उम देश को स्वर्ग और उसके नागरिकों को परम सुख के महज अधिवारी देवता कहना चाहिए। प्रजातन्त्र में ऐसी धर्मोप शक्ति है कि इसमें मानवता की आदर्श स्थापना हो सकती है, समाज-कल्याण का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो सकता है तथा उसके साथ ही व्यक्ति की स्वच्छन्दता और सम्पन्नता का स्वप्न भी पूरा हो सकता है। इसी कारण इसे आधुनिक राजनीति की सर्वोत्तम खोज माना जाता है।

प्रजातन्त्र की माँग बड़े अनुशासन की माँग है जो आज की स्वाय-लोलुप, भोग लिप्सु तथा भ्रष्टाचारी जनता के लिए सम्भव नहीं। प्रजातन्त्र उदारता और सहनशीलता के आधारों पर गति पाता है किन्तु आज की सकीण विद्वेषी और सहज ही उबल पड़ने वाली जनता से इसकी कस आगा की जा सकती है प्रजातन्त्र सेवा और त्याग का, कर्तव्य-पालन और कानून के आदर का शासन है किन्तु आज की जनता जब अधिकारों की तो भूखी हो और कर्तव्यों को या तो पहचानती न हो या फिर पहचान कर भी पालन न करना चाहती हो, काम से जी छुराती हो और कानून को ताक पर रखकर मनमागी कणों तथा घायली मरदाने में विश्वास करती हो तो प्रजातन्त्र कैसे सफल हो सकता है।

आज प्रजातन्त्र का अर्थ मोड़ का शासन हो गया है। भीड़ ही तात्पर्य है अफसरों और अफसरगाही की भीड़। भीड़ के शासन से शांति नहीं। भीड़ का विश्वास तो अराजकता और अतह में होगा है। भीड़ द्वारा जो भाषा में बोलती है हिंसा का काय करती है अराजकता के भावों और आदर्श के साधनों से घपनी दानि का प्रसार करती है। निःसच्चे अर्थों में प्रजातन्त्र बंसे स्थापित हो सकता है।

प्रजातन्त्र की असफलता के कारण क्या हैं ? क्या इन शास

सिद्धांतों में कोई दोष है ? क्या इसकी असफलता इसके शासकों की प्रयोग्यता के कारण होती है ? क्या इसका कारण जनता है कि जिसका राजनीतिक अज्ञान तथा पिछड़ा स्वरूप इसे सफल नहीं होने देता । या इसका कारण इसका दल सगठन है जिनकी योजना-बद्ध नीतियों और सुनिश्चित कार्य क्रम से ही शासक और जनता एक साथ परिचालित होते हैं तथा देश को विकास के भाग पर अग्रसर करते हैं । प्रजातंत्र की असफलता इनमें से किसी एक या एकाधिक कारणों से हो सकती है किन्तु मेरी दृष्टि में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी दुबलता उसका दुबल दल-सगठन और लम्बी कार्य प्रक्रिया है ।

जैसा कि सर्वविदित है, प्रजातंत्र जनता का, जनता पर जनता के लिए शासन होता है । इस शासन-पद्धति में जनता अधिकतर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शक्ति तथा सत्ता का प्रयोग करती है । जनता को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है अतः शासन के लिये जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है । यह चुनाव एक निश्चित अवधि के उपरान्त होते हैं । यदि निर्वाचन निष्पक्ष होगा तो जनता के सम्बन्ध और ईमानदार प्रतिनिधि ही चुनाव जीत सकेंगे । ये चुने हुए प्रतिनिधि ही अन्ततः मिलकर सरकार बना शासन का कार्य-संचालन करते हैं । स्थूल रूप से यही प्रजातंत्र की शासन प्रक्रिया है । किन्तु इस शासन का सूत्र जनता को वश में करने का मंत्र और निर्वाचन में जीतों का सेहरा जिस के सिर बाधा जाता है वे ही राजनीतिक दल । ये दल प्रजातंत्र शासन के शरीर में दिल का स्थान रखते हैं । जैसे दिल ही शरीर की समस्त गिराओं में रक्त का संचार करता है उसी प्रकार राजनीतिक दल भी शासन की प्रणाली हैं, शक्ति हैं आधार हैं ।

प्रजातंत्र शासन को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में एकाधिक राजनीतिक दल हों । यदि एक से अधिक दल नहीं होंगे तो निर्वाचन का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकेगा । निर्वाचन तभी प्रभावी हो सकता है यदि परस्पर विरोध के लिए प्रत्यागामी हों । अतएव यह प्रायः सर्वमान्य है कि प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है विरोध । यदि शासकों का विरोध होगा तो वह सजग बने रहें, जनता के हित को न भूल सकेंगे और उनका कार्य करने का उम्माह सदा बना रहेगा । हाँ यह विरोध न तो विध्वसात्मक होना चाहिए और न ही स्वाय-प्रेरित । विरोध का आधार होना चाहिए नीतियाँ । इन्हीं नीतियों के आधार पर ही दल-सगठन होने चाहिए ।

परन्तु देखा गया है कि प्रजातंत्र का दल-सगठन एक तो बड़ा दुबल रहता है और दूसरे उनकी कोई सुनिश्चित और सुस्पष्ट नीति नहीं रहती । इसका परिणाम यह होता है कि किसी कारण से मतभेद होते ही दल का सगठन उटता है व्यवस्था भंग हो जाती है और इसका पैग वे धामा पर घुसा

प्रजातंत्र और राजनीतिक दल

प्रभाव पड़ता है।

भारतीय राजनीतिक दल-संगठन की यह बड़ी को नीतियों का कोई सुदृढ़ सैद्धान्तिक आधार नहीं। यहाँ के लोगों के स्वतंत्रता से पूर्व देश के रूप में न थी। यह तो राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का एक मंत्र या जिसमें विभिन्न विचार धाराओं के लोग सम्मिलित थे और उनका एक लक्ष्य था, एक नीति थी एक कायश्रम था और वह था देश की स्वतंत्रता।

इसलिये कांग्रेस के संगठन का आधार आर्थिक तथा सामाजिक मामला में पाई जाने वाली वैचारिक एकरूपता न थी। इसीलिए जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो गाँधीजी ने कहा था कि कांग्रेस को भग कर दिया जाए और विचारों की एकरूपता तथा नीतियों की समानता के आधार पर नये दलों का संगठन किया जाए। कांग्रेस सत्ताधारियों ने गाँधी जी की इस राय को स्वीकार न किया और इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र में एकरूपता विहीन राजनीतिक दलों का दुबल संगठन चल पड़ा। जातीयता प्रांतीयता आदि के सकीण आधारों पर छोटे छोटे दल बने। निर्वाचन के दिनों में तो इनकी सख्या और भी बढ़ जाती है। इनमें वडा निम्न कोटि का गठबन्धन चलता है जिससे अन्ततः प्रजातंत्र की शक्तियों का ही विघटन होता है।

पहले तीन निर्वाचनों में तो कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा। कांग्रेस को हर चुनाव में पर्याप्त बहुमत प्राप्त होता रहा। कांग्रेस दल सुगठित था और उसमें कठोर अनुशासन था अतएव कोई विशेष समस्या सामने नहीं आई। वैसे भी नेहरू जी के नेतृत्व में इस प्रकार की कोई सम्भावना न हो सकती थी। किन्तु इन पिछले निर्वाचनों में कांग्रेस की स्थिति बसी दृढ़ न रही। कितनी ही राज्यों से इसे बहुमत प्राप्त न हुआ। केन्द्र में भी इसकी शक्ति काफी कम हो गई। इधर विरोधी दलों को पर्याप्त सफलता मिली और उन सबने मिलकर कई राज्यों में संयुक्त विधायक दल की सरकारें भी बनाई जो दृढ़ती-बनती रहीं। कांग्रेस दल का अनुशासन इतना ढीला हो गया कि इसके सदस्यों ने कांग्रेस दल को छोड़कर विरोधी दलों में सम्मिलित किया तथा मंत्री आदि बन बैठे। सन् १९७० के निर्वाचन में फिर कुछ परिवर्तन हुआ है और एक दलीय बहुमत की सरकार का प्रायः सभी जगह संगठन हुआ।

प्रश्न उठना है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या हमारे नेता इतने पतित और स्वायत्त हो चुके हैं कि वह उदारता से काम लेकर सहनशील बनकर जनता का हित नहीं सोच सकते राष्ट्र की चिन्ता नहीं कर सकते। यदि इस की गहरी छानबीन की जाए तो पता चलेगा कि वास्तव में इस का कारण इन नेताओं की मित्त-मित्त नीतियाँ तथा वैचारिक

कांग्रेस में स्पष्ट ही दो विचारधाराएँ कार्य कर रही हैं—एक समाजवादी विचारधारा जो देश की हर समस्या का हल समाजवादी भाषारों पर खोजती है। दूसरी अनुदार राष्ट्रवादी विचारधारा जो दक्षिणपन्थी है तथा समस्या का समाधान लोकतन्त्रवादी स्वतन्त्रता में खोजती है। यही विचार विभिन्नता इस दल के सकट का कारण बनी और दल का विघटन हुआ।

इस प्रकार भारतीय प्रजातंत्र का दल-संगठन बड़ा दुबल है और इनके संगठन में जब तक स्पष्ट रूप से आधिक नितियों और राजनीतिक कार्यक्रमों की वैचारिक एकता न होगी तब तक ये दल देश के लिये समस्या बने रहेंगे और राष्ट्र-निर्माण में इनसे बाधा ही आती रहेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि इन राजनीतिक दलों का आर्थिक और राजनीतिक आधारों पर ध्रुवीकरण किया जाए। यदि ये सुसंगठित हो गये इनका रूप स्थिर हो गया तो इनके देश की राजनीति में भी स्थिरता आएगी दल बदलने का हास्यास्पद नाटक समाप्त होगा और अनुशासन की स्थापना होगी। देश की शासन-व्यवस्था सुधरेगी।

भारत देश में छोटे छोटे राजनीतिक दलों की बाढ़ आई हुई है। इनका कोई सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं और न ही कोई वैचारिक एकता है। यह किसी सकीर्ण लक्ष्य से परिचालित होकर सत्ता के भूखे होते हैं। यदि चुनाव में किसी एक दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता तो इनकी बन आती है। अपनी दौरे सख्या का भी यह पूर्ण लाभ उठाते हैं और मन्त्री इत्यादि पदों को हथियाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राज्य का राजनीतिक सतुलन इनके हाथ में होता है तथा अग्र्य बहुसंख्यक दलों को इनके इशारे पर नाचना पड़ता है। इस रूप से छोटे छोटे दल प्रजातंत्र शासन में भ्रष्टाचार के कारण बनते हैं तथा देश के दल-संगठन का कलक है। जिस प्रजातंत्र में राष्ट्रव्यापी नीतियों पर दलों का निर्माण होता है, वही शासन सफलतापूर्वक चल पाता है तथा विकास की गति वेग धारण कर पाती है।

अतएव प्रजातंत्र शासन की मूल कुंजी यही राजनीतिक दल है। यदि दल संगठन मुदब है तो विरोध भी स्वस्थ आधारों पर होगा। प्रायः यह कहा जाता है कि प्रजातंत्र की सफलता सत्ताधारी दल से कहीं अधिक विरोधी दल पर निर्भर करती है। यदि विरोधी दल सक्रिय है तो सत्ताधारी दल को सज्ज रहना पड़ता है। मनमानी नहीं हो सकती और न ही जनता की माँगों और हितों की अवहेलना सम्भव होती है। इस प्रकार विरोधी दल की सबलता पर शासन का सफल संचालन होता है। विरोधी दल प्रजातंत्र का प्राण है।

प्रजातंत्र में दलों की एक भूमिका और है। जहाँ वे शासन का कार्यभार सभालते हैं वहाँ साथ ही देश की जनता को मुशिक्षित करना, उन्हें राजनीतिक

दृष्टि से जागरूक बनाना भी उनका नतन्य है। जिस देश की जनता अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित नहीं, वहाँ प्रजातन्त्र कभी सफल नहीं हो सकता। दुभाय से हमारे देश में अभी तब यही स्थिति बनी है। इसी कारण वोट विकृत है और राजनीतिक विचारधारा का प्रस्तुतीकरण नहीं हो पा रहा है।

राजनीतिक दल का सवप्रथम उद्देश्य देश में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना है जनता को राजनीतिक विषय देना है। यह काम शासन में भाग लेने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु देखा गया है कि राजनीतिक दल मत्ता आक्षेपण में पटवर अपने इस दायित्व को भूल जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जनता राजनीतिक हयकड़ा का शिकार होती रहती है और राष्ट्र का राजनीतिक उत्थान नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रजातन्त्र की सफलता जनता को राजनीतिक जागरूकता पर निर्भर है और जनता में यह योग्यता तभी आ सकती है जब राजनीतिक दलों का सगठन सुदृढ आधार पर हो और वे ईमानदारी से अपने दायित्व का पालन करें और रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा जनता में राष्ट्रीय भावों के प्रति रुचि और उत्साह भरते रहें।

प्रजातन्त्र-शासन दो प्रकार का होता है। एक ससदीय प्रणाली, जिसमें बहुमत वाले दल का ससदीय नेता प्रधानमंत्री बनाया जाता है तथा वह मन्त्री-मण्डल शासन के कार्य का सचालन करता है। शासन की दूसरी प्रणाली राष्ट्रपति वाली है। इस प्रणाली के अतर्गत शासन का पूरा अधिकार जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इस प्रकार दोनों प्रणालियों में शासन किसी दल के ही प्रतिनिधि होते हैं तथा दल की नीतियों के आधार पर ही शासन का काम चलाता है। अतएव यहाँ भी दल की प्रधानता रहती है। दल जिन नीतियों को सिद्धांत रूप में स्वीकार करता है तथा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में जिन योजनाओं के लिये बचनबद्ध होता है—प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उन्हीं को ही यथासम्भव कार्यान्वित करते हैं। इस प्रकार प्रजातन्त्र मन्त्रों को ही किसी प्रकार का हो उसका प्रेरणा-स्रोत, उसका पथ प्रदर्शक राजनीतिक दल ही होता है। अतएव हम कह सकते हैं कि प्रजातन्त्र में दल का शासन होता है।

प्रायः यह भी देखा गया है कि शासन-भार सभालने के उपरांत शासक कभी-कभी दल की भी अवहेलना करने लगते हैं और प्रायः वह चाहते हैं कि दल का सारा कार्य और 'यवस्था' उन्हीं के निर्देशानुसार चले। इस प्रकार दल में ही सघष उठ खड़ा होता है। कांग्रेस दल का सघष इसी प्रकार का रहा है। इस प्रकार की बातों का निराकरण तभी हो सकता है जबकि शासन और दल

के प्रमुख नेताओं में ताल-मेल हो और दोनों एक-दूसरे के विचारा का आग्रह करते हुए समन्वित कार्यक्रम के लिये परस्पर सहयोग करें। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि एक ही व्यक्ति दल का भी लीडर हो और शासन का भी। किंतु कांग्रेस में प्रधानमंत्री अलग व्यक्ति होता है और अध्यक्ष अलग। इस सम्बन्ध में कभी-कभी एक और स्थिति भी हो सकती है और कांग्रेस में यह स्थिति बितम ही वर्षों तक बनी रही। कभी-कभी बहुसंख्यक दल का जा नेता प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है वह इतना राष्ट्र-व्यापी, लोकप्रिय व्यक्तित्व लिये होता है कि दल का अध्यक्ष उसका विरोध ही नहीं कर सकता और उसे प्रधानमंत्री का अनुवर्ती वावर रह जाना पड़ता है। पंडित नेहरू जब तक जीवित रहे कांग्रेस दल की यही स्थिति रही किंतु सिद्धांत की दृष्टि से विचार किया जाए तो महना होगा कि दल की स्थिति सर्वोपरि है और भले ही कोई शक्तिशाली प्रधानमंत्री व्यक्तिगत कारणों से दल के अध्यक्ष के निर्देशों को स्वीकार न करे किंतु वह दल से बाहर नहीं जा सकता उस दल के आगे सिर झुकाना ही पड़ता है।

इस प्रकार प्रजातन्त्र का शासन वस्तुतः राजनीतिक दल का शासन है। शासन की मूल सत्ता जनता के हाथ में रहती है किन्तु जनता की आत्मा का सूत्रधार दल ही होता है। दल के निर्देशों के अनुसार ही जनता अभिनय करती है। प्रजातन्त्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शासन के अधिकारी होते हैं किन्तु उनके अधिकार का स्रोत दल में है। अतएव प्रजातन्त्र में दल की सत्ता सर्वोपरि होती है।

४०

स्वतन्त्र भारत का संविधान

“कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो यदि उसे कार्यान्वित करने वाले बुरे हैं तो वह भी निश्चित रूप से बुरा ही होगा।”

—डॉ० ग्रन्वेडकर

संसार के लगभग सभी महान् देशों में शासन को चलाने के लिए कोई-न कोई अलिखित-लिखित संविधान विद्यमान रहता है। किसी भी देश के संविधान में उन आधारभूत सिद्धान्तों और नियमों का वर्णन रहता है, जिनके

आधार पर उस देश का शासन चलाया जा रहा होता या चलाया जा सकता है।

शताब्दियों की पराधीनता और छुटकारे के अनवरत सपने के परिणाम-स्वरूप १९४७ में भारत स्वतंत्र हुआ। उससे पहले ही संविधान-सभा की स्थापना की जा चुकी थी और वह संविधान के निर्माण में जुटी हुई थी। १५ अगस्त, १९४७ को भारत के विभाजन और स्वतंत्र होने के बाद संविधान-सभा के पाकिस्तान वाले सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गये और भारतीय भाग के सदस्यों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। तीन वर्ष के परिश्रम के उपरांत यह संविधान सभा द्वारा स्वीकृत होकर २६ जनवरी १९५० से भारतवर्ष में लागू हो गया। इस संविधान को वर्तमान रूप देने में डॉक्टर बी० आर० अम्बेडकर, श्री गोपाल स्वामी आयगर, श्री अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और श्री के० एम० मुशी इत्यादि ने विशेष रूप से योगदान किया था। पहले संविधान का मसविदा तैयार किया गया और उससे बाद संविधान-सभा ने उसकी एक-एक धारा पर विचार करके उसे पास किया था। इस संविधान का उद्देश्य इसकी निम्नलिखित प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है

‘हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित करने वाली बहुतायत के लिए दृढ़ सकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज ता० २६ नवम्बर १९४९ को एतद द्वारा इस संविधान को अकीकृत अधिनियमित और आत्मोचित करते हैं।’

इससे यह स्पष्ट है कि देश को एक प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य का रूप दिया गया। इससे सब निवासियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय प्राप्त हो सकेगा, सब नागरिकों को विचार-अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रहेगी, सब लोगों को जनता के समान अवसर दिया जाएगा, तथा व्यक्ति के महत्त्व और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने वाले बहुल्य का प्रचार किया जाएगा, निर्मित संविधान इस बात की गारंटी करने वाला है। सिद्धांत की दृष्टि से ये उद्देश्य निश्चय ही प्रशंसनीय हैं।

भारत का संविधान सत्तार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सन् १९३५ में अंग्रेजी सरकार ने जो भारत सरकार-अधिनियम तैयार

उसी में कुछ परिवर्तन-परिवर्द्धन और सशोधन करके बतमान सविधान का रूप तैयार कर लिया गया है। सविधान का यह रूप दन म अमेरिका, इंग्लड, स्विटजरलड और कनाडा के सविधाना से भी पर्याप्त सहायता ली गई।

भारत अत्यन्त विशाल देश है। इसमें स्वाधीनता से पूव अनेक प्रात ये जो अब राज्य कहे जाते हैं। अमेरिका में पहले-पहल सष शासन प्रणाली का परीक्षण किया गया था। वह अत्यन्त सफल रहा। उसी के अनुभव से सष उठाकर १६ ५ में अंग्रेजों ने भारत म सष शासन प्रणाली लागू कर दी थी। प्रातो में अनेक विषयो में पूण स्वतंत्रता दे दी गई थी, और समस्त देश से सम्बद्ध विषय सष-सरकार के हाथ में रखे गये थे, बतमान सविधान म भी यही स्थिति रखी गई है। देश विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है। ये राज्य अपने आंतरिक मामलो में स्वतंत्र हैं। सेना, मुद्रा, डाक-तार, विदेश नीति और विदेश-व्यापार, दूर सचार और प्रसारण इत्यादि अनेक मामले सष-सरकार क हाथ में हैं। अब हमारा देश पूणनया प्रजातंत्र और सघात्मक राज्य है। यद्यपि भारत का सविधान लिखित रूप में है परंतु उसमें यह लचीलापन आर गजायश रखी गई है कि आवश्यकता पडने पर उसमें सशोधन या परिवर्तन किया जा सके।

नवीन सविधान के अनुसार भारत तीन प्रकार के राज्या म विभाजित किया गया है। 'क' श्रेणी वाले राज्य वे ह जो स्वाधीनता से पूव अंग्रेजी शासन में प्रातो के रूप में विद्यमान थे। परंतु स्वतंत्र भारत में राज्यों का शासन विधान-सभाआ तथा राज्यपाला के हाथों में द दिया गया। 'ख' श्रेणी वाले राज्य वे हैं जो स्वाधीनता से पूव देशी रियासतो के रूप में थे। हैदराबा, मैसूर जैसे बडे राज्य अपने आप म अलग राज्य बना दिए गए और राजस्थान मध्यभारत, सीराष्ट्र इत्यादि राज्य कई छोटी छोटी रियासतो को मिलाकर बनाए गए। हैदराबाद अब आन्ध्र प्रदेश और मैसूर कर्नाटक प्रदेश के अंतगत आता है। इन राज्यों में राज-प्रमुखों और विधान-सभाओं का शासन लागू किया गया। 'ग' श्रेणी वाले राज्य वे हैं, जो पहले चीफ कमिश्नर के प्रांत कहलाते थे। इस समय भी इनका शासन चीफ कमिश्नरों के हाथ में ही है। उनमें से कुछ राज्यों में विधान-सभाएं भी बनी हुई हैं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में क्रियात्मक रूप से समस्त दश में प्रजातंत्र स्थापित किया गया। परंतु भारत सरकार ने सन् १९५६ ई० में समस्त देश में राज्यों का पुनर्गठन किया। इस समय राज्यों में क, ख ग श्रेणियां समाप्त कर दी गईं और राज-प्रमुखों के पदों का भी अन्तर कर दिया गया। अब सभी राज्यों का सर्वोच्च अधिकारी राज्यपाल ही होता है।

भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें प्रशासन विभाग, विधान सभाओं के समक्ष उत्तरदायी होता है। विधान-सभा में जिस दल का बहुमत होगा उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है और वह अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करता है। केंद्र में भी संसद दो भागों में बटी हुई है एक लोकसभा एक दूसरी राज्य सभा। लोकसभा की सदस्य संख्या पाँच हज़ार और राज्य-सभा की सदस्य-संख्या ढाई सौ नियत की गई है। भारत का गण्यपति केवल वैधानिक सर्वोच्च पदाधिकारी ही नहीं है, अपितु वह प्रशासन विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी और सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी है।

नये संविधान द्वारा दश के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष चोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस वयस्क मताधिकार के आधार पर ही सारे देश में चुनाव नहीं हुए। इस संविधान द्वारा देश के सब नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य की ओर से किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, लिंग आदि के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। छुआ छूत को हटाया गया और जो व्यक्ति छुआ-छूत को प्रोत्साहन देता है वह दण्डनीय होता है।

लोगों को सभी प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का अधिकार प्रदान किया गया। वे शांतिपूर्वक सभाएं करने, भाषण देने, अखबार निकालने इत्यादि में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार वे अपनी जीविता के लिए कोई भी कानून सम्मत व्यवसाय करने को स्वतंत्र हैं। लोगों को चाहे जैसे धार्मिक विचार रखने और उनका शांतिपूर्वक प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में अल्पमत वाले लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की भी प्रत्येक स्तर पर रक्षा की जाएगी।

संविधान में स्पष्ट रूप से लोगों को सम्पत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। लोग कानून-सम्मत उपायों द्वारा उपाजित सम्पत्ति का सचय कर सकते हैं और राज्य बिना किसी कानून के उस सम्पत्ति को छीन नहीं सकता है। यदि राज्य किसी व्यक्ति से उसकी सम्पत्ति सावजनिक हित के लिए लेता है तो उसका उचित हर्जा देने का पूर्ण प्रावधान है। जमींदारों उन्मूलन के लिए जमींदारों का इसी आधार पर हर्जाने के रूप में बड़ी-बड़ी राशियाँ दी गई हैं। अथ अन्य मामला में भी ऐसी हर्जा दे ली जा सकेगी।

संविधान में सिद्धांततः शोषण करने की नीति का विरोध किया गया है और अनेक ऐसे नियम बनाये गए हैं, जिनके कारण शोषणपति या अर्थ-कोई भी व्यक्ति श्रमिकों का अनुचित शोषण न कर सके। अपने इन अधिकारों की

रक्षा के लिए नागरिक "यायालय में जा सकता है। देश में सर्वोच्च यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च "यायालय का ऋय सविधान सम्बन्धी प्रश्नों पर अपना निणय देना भी है।

इस सविधान में यदि कोई भी सशोधन या परिवर्तन करना अभीष्ट हो, तो उसके लिए ससद की दोनो सभाओं में उपस्थित सदस्य के दो तिहाई मत प्राप्त होने पर ही सशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।

यह भी व्यवस्था की गई कि यदि किसी समय किसी राज्य में शासन की स्थिति बहुत बिगड जाए, तो राष्ट्रपति सकटकालीन परिस्थितियों की घोषणा करके उस राज्य में अपना शासन लागू कर सकते हैं। उस दशा में उस राज्य के राज्यपाल और विधान-सभाएँ स्थगित समझी जाएगी और राष्ट्रपति जसा उचित समझे, उस ढंग से अपनी परामशदाता समिति बनाकर उसका शासन चला सकते हैं। इस सवधानिक व्यवस्था का प्रयोग कई राज्या में कई बार किया जा चुका है।

राष्ट्रपति का चुनाव केन्द्रीय ससद तथा राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वष का होता है। राष्ट्रपति सेनाओं का भी सर्वोच्च अधिकारी होता है।

भारत का सविधान स्वाधीनता, समानता और बहुत्व के अत्यन्त प्रतिष्ठ और समद्ध सिद्धांतों पर आधारित है। बहुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। परिणामित पिछडी हुई जातियों के लिए दस वष तक कुछ विशेष रियायता की व्यवस्था की गई, जिमसे वे पिछडी हुई जातियाँ भी आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की दष्टि से अन्य जातियाँ के समकक्ष बन सकें। दस वष बाद उनकी विशेष रियायतें समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा प्रविधान था किन्तु ऐसा हो नहीं पाया है। इतने प्रशासन की शिथिलता और असफलता ही कहा जायेगा। विशेष वर्गों को मिलने वाली विशेष रियायतों के लाभ कम और हानियाँ अधिक हुई हैं।

हमारे सविधान की अधिकाश विधि-ममत्रों ने प्रशंसा की है। इतने विभिन्न हिता को सतुलित रखते हुए इतने अल्पकाल में इतने विशाल सविधान की रचना अपने-आप में एक बडी सफलता है। इसमें जिन उच्च आदर्शों को सामने रखा गया है, उनके औचित्य के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। प्रजातन्त्र की स्थापना एव व्यावहारिक प्रयोगात्मकता की ओर यह बहुत बडा कदम है। इतने बडे पमाने पर वयस्क मताधिकार का परीक्षण भी ससार में अनोखा है। समस्त देश में लगभग बीस-बाईस करोड व्यक्ति मिलकर लगभग ४,५००

प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जिनमें से ७५० तो केन्द्रीय सदन के सदस्य होते हैं, और शेष ३७५० राज्यों की विधान सभाओं के। अब इस सख्या में भी वृद्धि हो चुकी है। यद्यपि इन चुनावों पर बड़ी राशि व्यय होती है फिर भी वास्तविक प्रजातंत्र के विकास के लिए इनका अत्यधिक महत्त्व है, जिसे बनाए रख पाना सम्भव नहीं हो पा रहा।

इस संविधान से बहुत से लोग असंतुष्ट भी हैं। इसके विरोधियों का कथन है कि यह संविधान पश्चिमी देशों के कई संविधानों की नकल करके 'कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा' जोड़कर अच्छा-खासा 'भानमती का पिटाटा' बना दिया गया है। इसमें अपने देश की परिचयमान परिस्थितियाँ और आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। जिस वयस्क मताधिकार का इनका बिठोरा पीटा जा रहा है वह इस अशिक्षित जनता वाले देश के लिए उतना अधिक उपयोगी नहीं हो सकता, जितना कि हानिकारक। वयस्क मताधिकार का अधिकतर दुरुपयोग ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त आज के युग में राज्या में राज्यपाल और राज प्रमुख के पदों को रखने की आवश्यकता नहीं है। ये पद केवल सफेद हाथी हैं, जिनका बोझ निघन करदाता को ध्येय ही उठाना पड़ता है।

कुछ लोगों का आक्षेप यह भी है कि संविधान में लोगों को व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने की छूट दी गई है। पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमिक वर्ग का सदा ही शोषण होता है। एक-ओर तो संविधान शोषण को मिटाने का दम भरता है और दूसरी ओर शोषण करने वाली प्रणाली को प्रोत्साहन देता है। समाजवादी व्यवस्था का लक्ष्य सामने रखने वाले लोगों को इस संविधान से सतोप नहीं हो सकता। वास्तव में भारतीय संविधान की यह एक बहुत बड़ी कमी है और निहित स्वार्थी इसका जो भरकर लाभ उठा रहे हैं।

कुछ लोगों ने राष्ट्रपति को सकटकालीन स्थिति की घोषणा करने और किसी भी राज्य का शासन अपन हाथों में लेने के अधिकार की भी कड़ी आलोचना की है। उनका कथन है कि इससे तानाशाही की प्रवृत्ति को बल मिलेगा, जो किसी भी तरह अभीष्ट नहीं कहा जा सकता। परन्तु देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार अधिकाधिक सुदृढ रहे। आजकल कई राज्यों में जैसी प्रवृत्तियाँ चत रही हैं, उनको देखते हुए देश की एकता को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के हाथ में ऐसे अधिकारों का रखना आवश्यक ही प्रतीत होता है।

अनेक गुणों और दोषों के होते हुए भी हमारा सविधान एक स्तुत्य प्रयत्न है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि यह सविधान शन शन देश की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित नहीं हुआ है, अपितु केवल अध्ययन क बस पर तयार कर दिया है तो हमें यह अत्यंत सतोपजनक जान पड़ेगा। इसमें भी अधिकांश सतोप की बात यह है कि सविधान में सशोधन और परिवर्तन की गुंजाइश रखी गई है। जब भी देश की जनता आवश्यकता अनुभव करे, वह दो तिहाई बहुमत से इसमें सशोधन या परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार के कई परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं। इसकी सर्वांगीण सफलता, चरित्रवान नेताओं और प्रशासकों द्वारा ही सम्भव है, जिसका आज बहुत अभाव होता जा रहा है।

४१ | तानाशाही और जनतंत्र

जीवन के दार्शनिक और धार्मिक आदि अयाय क्षेत्रों के समान राजनीति में भी अनेक प्रकार के तंत्र एवं वाद अनादिकाल से चले आ रहे हैं। प्रत्येक युग में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही हैं, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जन मानस में जो परिवर्तन आते रहे हैं उसी के अनुसार राजनीतिक विचारधाराएँ बदलीं और बनीं। आज भी राजनीतिक विचारधाराओं के इस विकास एवं परिवर्तन में कोई बाधा नहीं आ पाई है। भविष्य में भी राजनीतिक क्षेत्रों में कोई एक विचारधारा या धाद स्थिर रह सकेगा इस बात की आशा नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह है कि राजनीति और उसकी विचारधारा तो वास्तव में एक बहता पानी है और यह पानी कभी स्थिर रहने वाला नहीं है। आधुनिक राजनीतिक क्षेत्रों के इन विभिन्न वादों एवं विद्वानता में तानाशाही और जनतंत्र नामक दो शासन प्रणालियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों शासन प्रणालियाँ क्या हैं इन पर अलग से विचार कर लेना बहुत ही उपयुक्त रहेगा।

तानाशाही को एक तंत्र के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इसकी सहज और सामान्य प्रक्रिया यह होती है कि दश के शासन की सारी बाग्यार किसी एक प्रमुख व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। वह व्यक्ति कोई राजन्या भी हो सकता है और कोई सैनिक जनरल भी हो सकता है। जमन में जो

तानाशाही रही, उसका अधिनायक वहाँ का एक राजनेता हिटलर रहा। इतने विपरीत पाकिस्तान में अनेक वर्षों तक जो तानाशाही रही और आज चल रही है, उसके नेता सनिक अफसर ब्रमश फील्ड माशल मोहम्मद अल-ओर जनरल याहिया खा और आजकल जनरल जिया हैं। तानाशाही प्रशासन प्रक्रिया में सारी सत्ता सिमट कर एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाया करनी है। आगे उसको अपनी इच्छा, शक्ति और प्रक्रिया पर मुनस्सर रहा करता है कि वह देश को किस ढंग से चलाता है। तानाशाह यदि सच्चे अर्थों में राष्ट्र हित का चिन्तक हो तो वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर देश का सभी प्रकार से हित-साधन कर सकता है। वह अपनी बुद्धि चेतना और शक्ति का प्रयोग करके देश को उन्नति एवं विकास के चरम शिखर तक ले जा सकता है। पर यदि तानाशाह और उसकी तानाशाही अपने ही निहित-स्वार्थों तक सीमित होकर रह जाया करती है, तो फिर वह देश, जाति और राष्ट्रीयता आदि सभी बाता के लिए एक भयावह अभिशाप बन कर रह जाती है। तानाशाही की हम प्राचीन राजशाही से तुलना कर सकते हैं। राजशाही में भी सब प्रकार की सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हुआ करती थी। जिस प्रकार तानाशाह अपने-आपको प्रमुख रखते हुए भी अपनी परिपक्व के सहयोगियों के सहयोग से ही प्रशासन चलाया करते हैं, उसी प्रकार राजा के सहयोगियों के सहयोग से ही प्रशासन चलाया करते हैं, उसी प्रकार राजा से शासन को चलाया करते थे। जो राजा राजशाही में रहते हुए भी प्रजा का हित किया करते थे, उनकी कहानियाँ आज भी जनता की जवान पर हैं। जिन राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार किये, इतिहास और जनता की जवान पर उनके लिए निंदात्मक शब्द ही यत्नमान हैं। यही बात हम तानाशाह एवं उनकी तानाशाही के बारे में भी कह सकते हैं। वास्तव में राजशाही के समान तानाशाही भी यदि चाहें तो जनता का बहुत अधिक हित-साधन कर सकती है पर हाता विपरीत ही है। इस कारण आज का प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक तानाशाही का विरोधी है।

तानाशाही के कई रूप होते हैं। एक तो स्पष्ट एक ही व्यक्ति व शासन वाला रूप है, जिसे सर्वाधिक खतरनाक माना जाता है। दूसरी तानाशाही कुछ अधिक आकषक प्रतीत होती है। इसका रूप अनेक प्रकार के विशेष वातावरण में लिपटा रहा करता है। इस प्रकार की तानाशाही में लागू कि-ही विशेष व्यक्ति या द्वारा निर्धारित विचारधारा के साथ जुड़ जाना पड़ता है। साम्यवादी देशों में प्रशासन का प्रायः लोग इसी प्रकार की तानाशाही स्वीकार करते हैं। इसकी सर्वाधिक आकषक विशेषता यह है कि इसमें कम

से कम लोगो के सामने रोटी, कपडा और मकान जैसी कोई समस्या नहीं रह जाया करती। इसका आकषण आज काफी वृद्धि पर है।

अब तनिक जनतन्त्रवाद पर विचार करें। जनतन्त्र म जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्य जनता के नाम पर जनता पर शासन किया करते हैं। अब तक राजनीतिक क्षेत्रा मे जितने भी प्रकार के वाद एव सिद्धांत प्रचलित ह उन सब म से जनतन्त्र को सर्वाधिक आकषक माना जाता है। सत्तारक अधिकाश दशा मे आज जो राज्य प्रणालियाँ प्रचलित हैं, उनम स जनतन्त्र की ही प्रमुपता है। जनतन्त्र मे कोई भी व्यक्ति न तो अपनी इच्छा से नेता बन जाया करता है और न प्रशासक ही। उसे निर्वाचन की प्रक्रिया मे गुजर कर ही शासन की कुर्सी तक पहुचना पडता है। अत उसके लिए सभी प्रकार का, सभी स्तरों तक और सभी दृष्टियों से जनता का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक हो जाया करता है। जनतन्त्र मे सभी को समान समझा जाता है। सभी को अपने निजी विचार रखने, उन्हें अभिव्यक्त करने की पूण स्वतन्त्रता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, सम्प्रदाय आदि के भेद भाव के किसी भी प्रकार का घघा अपने लाभ के लिए कर सकता है। उस घघे से होने वाली प्राय का कुछ भाग उसे सरकार को करों के रूप मे देना पडता है। जनतन्त्र मे सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह आंतरिक एव बाह्य सभी दृष्टियों से जनता की सुरक्षा की व्यवस्था करे। उसके लिए रोटी, कपडा कान तथा अन्य सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सन्तुष्ट रहे। सरकार ऐसा नहीं कर पाती, उसे गद्दियों पर बने रहन का कोई अधिकार ही हुआ करता है। सभी को प्रगति और विकास के समान अवसर एव साधान ग्लब्ध होने की बात भी जनतन्त्र मे खुले रूप मे कही जाती है। इस प्रकार एव सद्घातिक रूप मे देखा जाये, तो निश्चय ही जनतन्त्र एव बडा ही कषक राजनीतिक वाद है। इसका महत्त्व अपने मूल और सहज-स्वाभाविक ा मे निश्चय ही बहुत अधिक है।

इसके विपरीत जब हम जनतन्त्र की व्यावहारिक स्थितियों पर विचार ते हैं, तो जनतन्त्र से बढ़कर खोजला कोई अन्य राजनीतिक वाद एव तात सत्तार मे दिखाई ही नहीं देता। सबसे बडी और दुःखद स्थिति तो यह है जनतन्त्र मे छोटे-बडे प्रत्येक काय की प्रक्रिया इतनी लम्बी हुआ करती है कि कई बार तो उसने सम्पान्न होने तक काय का वास्तविक महत्त्व या उससे सम्बद्ध व्यक्ति जयबा वय ही समाप्त हो चुका होता है। दूसरे यहाँ का स्वामी एक व्यक्ति न होकर चपरासी स लेकर मंत्री तक अनक त हुआ करते हैं। ये दोनों ही कारण भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को जन्म

दिया करते हैं। आज भारत जैसे जनतंत्री देशों में भ्रष्टाचार और कुशासन का जो बोल बाला है, उस सब का मूल कारण इस प्रकार की व्यवस्थाएँ ही हैं। फिर इस प्रकार की प्रक्रियाओं को मिटाने का हमारा पास कोई उपाय नहीं है। जनतंत्र में यूनियनवाद का विस्तार इस सीमा तक हो जाता है कि किसी उचित बात के लिए भी कोई किसी को टोक नहीं सकता। टोकने वाले का काम तो होता ही नहीं, उल्टे अनावश्यक रूप से यूनियनवादिता समूचे प्रशासन को ठप्प कर देने की धमकी हमेशा सिर पर लटकाए रखती है। इस प्रकार जनतंत्र मात्र एक खिलवाड़ बनकर रह जाता है। तभी तो एक समय ऐसा भी आया कि जब जाज बर्नाड शा जैसे जनतंत्री व्यवस्था के कट्टर समर्थक भी उसके कट्टर विरोधी एवं आलोचक बनकर रह गए। हम अपने देश में भी चारों तरफ जनतंत्र और उसकी समस्त व्यवस्थाओं की भद्दे उड़ती हुई स्पष्ट दख रहे हैं। कहने को जनतंत्र की घूम है, पर 'जन' की पूछ कहीं नहीं।

तानाशाही और जनतंत्र की उपरिवर्णित स्थितियों को जान लेने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों में से किसे अच्छा माना जाए और किसे बुरा? वास्तव में आज के सदमों में ये दोनों ही शासन-पद्धतियाँ व्यर्थ बनकर रह गईं-सी प्रतीत होती हैं। दोनों का कोई भी व्यावहारिक लाभ दिखाई नहीं देता। तभी तो अनेक बार सीमित तानाशाही का नारा भी सुनाई देता है। कई बार कुछ लोग देश के लिए, कुछ दिनों के वास्ते समग्र तानाशाही व्यवस्था की बात भी कहने सुने जाते हैं। तानाशाही चाहे समग्र हो और चाहे सीमित, उसे हम किसी भी दशा में अन्तिम रूप से उपयोगी नहीं कह सकते। उसी प्रकार जनतंत्री व्यवस्था में कम से कम हमारे देश में जनता की जो दुदशा हो रही है उसे भी किसी भी प्रकार से उपयोगी एवं जन हित-साधक नहीं कह सकते। हमें तो कोई ऐसा रास्ता निकालना है, जो वास्तव में देश-जाति के प्रत्येक सदस्य का हित-साधन तो कर ही सके, देश-काल की सीमाओं से ऊपर उठकर समूची मानवता के लिए भी एक आदर्श बन सके। इस प्रकार की किसी राजनीतिक व्यवस्था की खोज होना अभी बाकी है।

तानाशाही एवं जनतंत्र दोनों स्थितियों का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत करने के बाद, अन्त में हम केवल यह कहना चाहते हैं कि राजनीतिक तंत्र कोई भी क्यों न हो, अच्छा उसी को बहा जा सकता है कि जो अपने समग्र परिवेश में और समग्र रूप से जहाँ देश की सुरक्षा की गारंटी दे वहाँ देश के प्रत्येक निवासी की भी सब प्रकार से सुरक्षा की गारंटी दे, वहाँ देश के प्रत्येक निवासी को भी सब प्रकार से सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर सके। किसी वाद-विशेष के सिद्धान्त बड़े अच्छे एवं आनकन हैं, इस तब तक

कोई महत्व नहीं हुआ करता कि जब तक वह व्यवहार में भी उतना ही अच्छा, सफल एवं फलदायक न हो। अतः आज देश के ही नहीं, ससार के राजनताओं को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या व वास्तव में देश की सामान्य जनता का हित-साधन करने के पावा उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं ? इसका उत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। जनता का वास्तविक हित तो तभी साधित हो सकता है कि जब किसी घाद की प्रेरणा से नहीं, व्यवहार की प्रेरणा से कार्य किया जाए। ऐसी स्थिति में किसी देश में तानाशाही रहे या जनतंत्र रहे कोई अंतर नहीं पड़ता।

४२ | भारत में जनतंत्र-प्रणाली की उपादेयता

भारत एक प्राचीन देश है। सामूहिकता और सम-वय भाव इसकी सहजात प्रवृत्ति और विशेषता रही है। अनेक जातियों के लोग अपनी-अपनी सस्कृति और सभ्यता लेकर आए परन्तु भारतीय-सस्कृति ने उन सबको अपने में लीन कर लिया। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यहाँ पर सगठित रूप में किसी एक सस्कृति का निर्माण नहीं हुआ। यह देश शताब्दियों में विभिन्न सस्कृतियों का सगम-स्थल बना चला आ रहा है। इतिहास बताता है कि यहाँ पर विभिन्न कालों में विभिन्न जातियों का राज्य रहा है। कभी रामपूत शासक थे तो कभी गुप्त, कभी लोधियों ने राज्य किया तो कभी मुगलान और कभी अंग्रेजों ने। यही कारण है कि समय-समय पर यहाँ अनेक प्रकार की शासन प्रणालियों का विकास हुआ है। आज भारतवर्ष शताब्दियों की दासता की शृंखला को तोड़कर स्वतंत्र है। अतः अब हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यहाँ भी विश्व के अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत प्रजातंत्र शासन-प्रणाली उपयोगी सिद्ध हो सकती है या फिर कोई अन्य प्रणाली अपनाने की आवश्यकता है।

यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि वर्तमान जातंत्र प्रणाली का जन्म ईसा की सत्रहवीं शती के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड में हुआ था और उसका विकास भी वहाँ पर हुआ। परन्तु यह कहना अनुचित होगा कि इससे पूर्व विश्व में कहीं पर भी प्रजातंत्र शासन प्रणाली के दशन नहीं होने विश्व की यह इंग्लैंड की ही दन है। इसका स्पष्ट कारण यह है कि भारतवर्ष, मिस्र व यूनान की सभ्यता बहुत प्राचीन है। अब से सदियों पूर्व ये राष्ट्र उनति की पराकाष्ठा पर पहुँच गए

भारत में अद्यतन प्रणाली की उपादेयता

ये। इन राष्ट्रों के प्राचीन इतिहास पर यदि दृष्टि डाली जाय, तो अवश्य ही हम प्रजातन्त्र शासन प्रणाली के दशन होने हैं। मालव गणराज्य और लिच्छवी गणराज्य इस बात के जीवन्त प्रमाण हैं।

प्राचीन भारतवर्ष में ग्राम पंचायतें तथा नगरों का प्रशासन करने वाली स्मृत्याया में भी इस प्रणाली की झलक दृष्टिगोचर होती है। यह ठीक है कि उस समय यह प्रणाली इतनी विकसित नहीं थी और उसका स्पष्ट नामकरण भी नहीं हुआ था, परंतु उस समय भी छोटे ग्रामों तथा नगरों का प्रबंध वहां के निवासियों के ही हाथ में था। उस प्रजातन्त्र में अभिजात कुलों के सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर शासन की व्यवस्था को चलाते थे। प्रत्येक व्यक्ति ने लिए थोड़ा-बहुत शासन सम्बन्धी कर्तव्य करना आवश्यक था। बौद्ध-ग्रंथों में वज्जिया के प्रजातन्त्र का वर्णन विस्तृत रूप में उपलब्ध है। परंतु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष अथवा यूनान ने वर्तमान प्रजातन्त्र शासन प्रणाली को जन्म दिया है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि हमारे प्राचीन प्रजातन्त्र की भी मूल भावना वही थी, जो कि आज की इस प्रणाली की है।

इंग्लैंड में प्रजातन्त्र प्रणाली के समयक वहाँ के पूजोपति तथा जमींदार रहे हैं। जिस समय वहाँ पर प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का जन्म हुआ, उस समय वहाँ पर पूजोपति तथा जमींदारों के शोक थे और अज्ञ भी हैं। प्रत्येक पूजोपति व जमींदार के साथ सहस्रा व्यक्ति होते हैं। व बेचारे इन घनाडय व्यक्तियों को ही अपना सब कुछ समझते हैं और इनको ही वे अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए विवश होते हैं। इन जमींदारों, पूजोपति व्यापारियों व उद्योगपतियों के अपने अपने अलग-अलग स्वार्थ होते हैं, फिर भी शासन में सुविधा प्राप्त करने के लिए वे सभी सगठित होकर एक सूत्र में बंध जाते हैं। इस सामूहिक बंध भाव ने ही वहाँ इस प्रणाली को जन्म देकर क्रमशः विकसित किया।

इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड में विकसित प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली पूजोवादी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल है और उसका एक अंग है। विश्व में पूजोवादी के विकास के साथ साथ प्रजातन्त्र शासन प्रणाली का विकास भी होता गया है। इस प्रणाली में व्यक्ति को समष्टि से अधिक महत्त्व दिया गया है। परंतु विश्व में सभी जातियों ने इस शासन प्रणाली को पसंद नहीं किया। इसमें पूजोपति तथा जमींदार उनकी नीकरशाही और गुमास्तागिरी आदि करने वाले सभी की इच्छा मजदूर का गला घाटकर अधिक-से-अधिक लाभ उठाने की रहती है। कुछ देश इस सत्ताधारियों की मनचाही को सहन नहीं कर सकते। वहाँ पर बड़ी-बड़ी

क्रांतियाँ हुई और उन अत्याचारी शासकों को समाप्त करके वहाँ पर जनतन्त्रीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इस की सन् १९१७ ई० की क्रांति इसका एक उदाहरण है। परंतु प्रजातंत्र के समथक साम्यवाद या समाजवाद की जनतन्त्रीय प्रणाली को जनतंत्र या प्रजातंत्र मानने के लिए सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये पूजोवाद को प्रोत्साहन देने के स्थान पर उसे समूल ही नष्ट कर देना चाहते हैं।

प्रजातंत्र शासन प्रणाली की उपादेयता किसी भी देश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। भारत में लगभग पचहत्तर प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं इनमें भी कम-से-कम पचास प्रतिशत व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कि अपने हस्ताक्षर भी नहीं बना सकते। वे न अपने कर्तव्य को समझते हैं और न अपने मत (Vote) के महत्त्व को। यही कारण है कि हमारे देश में अनेक राजनीतिक दल हैं और वे निधन जनता को उल्टा-सीधा समझ कर अपना उल्लू सीधा करत रहते हैं। यहाँ जनता में वण, जाति तथा उनके परम्परागत अधिकार के प्रति आदर का भाव बढ्दमूल है और राजनीतिक सत्साए इस भावना का अनुचित लाभ उठाती हैं। यहाँ पर जो दल एक बार सत्ताखंड हो जाता है, वह इस दुबलता से लाभ उठाकर बहुत दिनों तक सत्ता को हथियारै रहना चाहता है। अंग्रेजों ने भी इसी दुबलता से लाभ उठाकर दीर्घकाल तक यहाँ पर शासन किया। अधिक राजनीतिक दलों के होने से एक हानि यह भी है कि कभी-कभी चुनावों में ऐसा होता है कि कोई भी दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था में मिली जुली सरकार बनाई जाती है। मिली-जुली सरकार का काम ठीक रूप से नहीं चल पाता है यह यहाँ प्रमाणित हो चुका है। कभी-कभी विरोधी दल सत्ताखंड सत्सा का विरोध, विरोध की भावना से करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का काम ठीक प्रकार से चलना कठिन हो जाता है। भारतीय प्रजातंत्र में ऐसा ही बसेबा चल रहा है।

नये सविधान के लागू होने के उपरांत भारत में पाँच सामान्य चुनाव हुए हैं। इनके परिणामों पर तुलनात्मक दृष्टिपात करें तो भारत के भविष्य और प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली के सम्बन्ध में आशा भी बढ़ती है और निराशा भी होती है। प्रथम तीन निर्वाचन भारत के राजनीतिक इतिहास में विशेष महत्ता नहीं रखते। यद्यपि जनता सरकार की नीतियों से सन्तुष्ट न था किन्तु फिर भी मतदाताओं ने कांग्रेस के ही पक्ष में मत दिए। इसका कारण कुछ तो प० जवाहरलाल नेहरू का जादू-तुल्य प्रभाव था और कुछ कांग्रेस के अतिरिक्त किसी और सुदृढ तथा सुसंगठित राजनीतिक दल का अभाव। चौथे सामान्य निर्वाचन में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा विरोधी दलों की राज्यों

नया केन्द्रों में महत्त्वपूर्ण मत प्राप्त हुए। कई राज्यों में विरोधी दलों ने सयुक्त विधायक दल बनाकर राज्य-मरकारों भी बनाई। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस दल को बहुत घबका लगा और उस प्रकार एक ही दल की पनपानी सत्ता समाप्त हुई। इस परिणाम से प्रजातंत्र के प्रति अगाध विश्वास उत्पन्न हुआ। दश विदेश के विचारकों ने इस शासन प्रणाली को भारत के लिए अत्यन्त उपयोगी बताया तथा मतदाताओं की जागरूकता की प्रशंसा की। लेकिन व्यवहार के स्तर पर फिर बहो टॉय-टाय फिम ही रहा।

किंतु जनता ने जहाँ अपनी विचारशीलता का परिचय दिया, वहाँ जनता के प्रतिनिधि विधान-सभाओं के सदस्यों ने दल बदल कर तथा सत्ता हथियाने के लोभ में कुछ भी कर-गुजरने की प्रवृत्ति का भद्दा प्रदर्शन कर अपने नतिक-पतन का परिचय दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक सगठन अस्त-व्यस्त हो गया और कई राज्यों में सरकारों का पतन हुआ। इस स्थिति में प्रजातंत्र पर प्रश्न चिह्न लगा दिया और इसकी उपादेयता के सम्बन्ध में फिर से श्रांति फली। कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पाचवीं बार मध्यावधि चुनाव कराने पड़े और फिर राज्यों में एक ही दल की सरकारें बनीं।

इस समस्या पर आज यदि हम विचार करने देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में प्रजातंत्र की नींव बहुत गहरी है। नए संविधान में प्रजातंत्र शासन लागू किया है किंतु जनता की प्रवृत्ति तो सदा से ही लोक-सत्ता की मानकर चलने में ही रही है। भारतवासी प्रकृति से ही प्रजा-सत्तवादी हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राष्ट्रपति का निर्वाचन है जिसमें आत्मा की आवाज को राजनीतिक सगठन तथा दल के अनुशासन में भी बढकर माना गया है।

इस प्रश्न पर दूसरे ढंग से विचार करें तो पूछा जा सकता है कि यदि भारतवर्ष के लिए वर्तमान स्थिति में प्रजातंत्र शासन-प्रणाली उपयोगी नहीं है, तो फिर यहाँ कौन-सा तंत्र उपयोगी हो सकता है? उत्तर होगा—एक-तंत्र। एक-तंत्र के भी अनेक रूप हैं। मध्यकाल में यहाँ पर राजतंत्र के दर्शन होते हैं, परंतु प्रजातंत्र की लहर में ये सभी धीरे-धीरे बहते जा रहे हैं। अभी जुलाई १९५८ ई० में ईराक और लेबनान में भी राजतंत्र की समाप्ति कर प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। ईरान में भी वैसे ही कुछ हुआ। स्वतंत्र भारत की कांग्रेसी सरकार ने भारतीय रियासतों का भारत-संघ में विलय कर यहाँ से राजतंत्र को मूलतः समाप्त कर सारे देश को एक जुट प्रजातंत्र बना दिया।

दूसरा तत्र है अधिनायक तत्र । यह आधुनिक है और विश्व में कई स्थानों पर यह सफल होता हुआ भी दिखाई दिया है । मिस्र में राष्ट्रपति नासिर और इंडोनेशिया में सुकर्णो के नेतृत्व में अधिनायक तत्र की स्थापना हुई और वहाँ पर कुछ सफलता भी मिली । पर आधुनिक युग में अधिनायकवाद की सम्भावना बहुत कम हो गई है । भारतवर्ष में तो अधिनायकवाद की स्थापना असम्भव ही है क्योंकि यहाँ कोई भी दल या व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं है जो ऐसा कर सके । अधिनायकवाद के माग में सबसे बड़ी बाधा यहाँ की आर्थिक स्थिति का ठीक न होना तो है ही, जन-जागरूकता और इस वाद के प्रति उदासीनता भी है ।

भारतवर्ष में एकतंत्र भी स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि एकतंत्र एक सीमित वर्ग के लिए ही उपयोगी होता है । शेष जनता को तो उससे बहुत हानि होती है । प्रायः शासक वर्ग जनता का शोषण करने लगता है । भारतीय जनता अब उसे सहन नहीं कर सकती और उसके साथ ही विश्व के अन्य देशों में एकतंत्र के दुष्परिणामों को हम देख चुके हैं । यहाँ पर तो केवल समाजवादी ढंग की प्रजातंत्र शासन प्रणाली ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है । हम यदि विश्व के प्रगतिशील राष्ट्रों के सामने डटे रहना चाहते हैं तो हम इसे अपना लेना चाहिए । कुछ पूँजीपतियों के विकास से प्राप्त शक्ति वर्तमान प्रजातंत्र शासन प्रणाली के लिए पर्याप्त नहीं है । चीन का उदाहरण हमारे सामने है । यही कारण है कि काँग्रेस सरकार ने धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था को अपना लक्ष्य बना लिया है और आज भारत इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है ।

अतः हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के लिए समाजवादी प्रजातंत्र शासन प्रणाली ही सबसे उपयोगी है । अपने मूल स्वभावगत चरित्र से ही भारतवासी प्रजातंत्रवादी हैं और इसी की तीव्र-गति में इनका सुनहला भविष्य छिपा है । आवश्यकता है इस प्रणाली के अनुरूप सुदृढ़ एवं ठोस काम करने की । तभी उसकी वास्तविक उपादेयता प्रमाणित हो सकती है ।

धर्म में धारण करने की शक्ति अतर्हित मानी गई है । इसी कारण कुछ शताब्दियों पूर्व तक न केवल भारत में, अपितु समस्त ससार में धर्म का

बहुत महत्त्व था। जीवन की कोई भी गतिविधि ऐसी न थी, जिसमें धर्म का हस्तक्षेप न हो। व्यक्ति के जन्म, मरण, विवाह इत्यादि सुख-दुःख के सभी प्रसंगा पर धार्मिक क्रिया-कलाप आवश्यक थे। न केवल व्यक्तिगत जीवन पर धर्म का शासन था, अपितु राजनीति पर भी धर्म का पूरा प्रभुत्व था। धर्म की सहायता से राज्य की वृद्धि की जाती और राज्य की शक्ति द्वारा धर्म का प्रचार किया जाता था। यहाँ तक कि युद्ध करना भी धर्म माना जाता था। प्राचीन भारत के युद्ध इसी कारण 'धर्म-युद्ध' और युद्धमूमि 'धर्म-क्षेत्र' कहलाए। उसके बाद भी भारत में आक्रमणकारी विदेशी मुसलमानों और यहाँ के निवासी हिन्दुओं में धर्म के आधार पर ही बहुत समय तक सघर्ष चलते रहे। आज भी धर्म सघर्ष का कारण बनता रहता है।

यूरोप में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बियों में भयंकर युद्ध हुए और अक्सर पाकर दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे को कुचल डालने का प्रयास किया। कुछ काल तक यूरोप में पोप सबसे बड़ी शक्ति बना रहा। वह धार्मिक क्षेत्र में तो सर्वोच्च था ही, राजनीतिक क्षेत्र में भी उसकी सत्ता सर्वोपरि हो गई थी। उसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी राजा का राज्याभिषेक नहीं हो सकता था और उसकी भृकुटि के सकेतमात्र पर किसी भी राजा को अपदस्थ किया जा सकता था। भारत में भी धर्मगुरु पर्याप्त शक्तिशाली रहे यद्यपि पोप जैसी शक्ति उनके पास कभी नहीं रही।

विगत काल में राजनीति में धर्म का प्रवेश बहुत अधिक था। प्रत्येक राजा किसी न किसी धर्म का अनुयायी होता था और वह धर्म समस्त राज्य का धर्म मान लिया जाता था। जैसे भारत में जब अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, तो बौद्ध धर्म राज्य-धर्म बन गया और राज्य की शक्ति का उपयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया जाने लगा। इसी प्रकार इंग्लैंड के राजा प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी थे और फ्रांस तथा स्पेन कैथोलिक मतावलम्बी। उन राज्यों की प्रजा भी अपने राजा के धर्म को मानने लगती थी और यदि कोई स्वतंत्र चेता व्यक्ति उस धर्म को अंगीकार करने से इन्कार करता था तो उसे न केवल अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, अपितु उसे तरह-तरह की मारणाएँ दी जाती थी और अनेक बार उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़ते थे। जब तक राजाओं, सामन्तों और धर्म-गुरुओं के प्रभुत्व का काल रहा, तब तक सगर्भग सारे सप्ताह में राजनीति पर धर्म का ऐसा ही सुदृढ़ अधिकार रहा।

तत्पश्चात् जब प्रजातंत्र की तरह ने जोर पकड़ा, एक-एक करके राज-शक्तियाँ समाप्त होती गईं और शासन की सत्ता प्रजा के हाथों में आती गई,

तब धर्म का प्रभाव क्षीण होने लगा । राजनीति से तो इसका पूर्णतया बहिष्कार सा हो गया । यह माना जाने लगा कि धर्म व्यक्ति को निजी वस्तु है । उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को न होना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वह चाहे जिस धर्म का अवलम्बन करे । राज्य का अपना कोई धर्म न हो और राज्य अपनी सीमाओं में रहने वाले सभी मतावलम्बियों की समान रूप से रक्षा करे । यही धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त है । सिद्धान्त रूप में इसे आज सारा विश्व स्वीकारता है ।

इस सिद्धान्त को हृदयगत करने में यूरोप के निवासियों को बहुत समय लगा और इससे पहले उन्हें पारस्परिक द्वेष और युद्धों के कारण भयकर हानि उठानी पड़ी । भारत में धार्मिक सहिष्णुता की भावना यहाँ की सांस्कृतिक प्रवृत्ति के रूप में अनादिकाल से भाग्य चली आ रही है । अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तब भी उसने अन्य मतावलम्बियों पर अत्याचार नहीं किए, अपितु प्रजा के समस्त धर्मों का समान रूप से संरक्षण करता रहा । बौद्ध धर्म में अपने विरोधियों पर अत्याचार करने का अवकाश वैसे भी नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म तो था ही प्रेम, अहिंसा और करुणा पर आधारित । इसलिए यदि वे लोग दूसरे लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करने का प्रयत्न भी करते थे, तो उसका मुख्य उपाय प्रेम ही होता था । यही कारण है कि बौद्ध धर्म का प्रचार चीन और जापान जैसे सुन्दर देशों तक भी हो गया । वस्तुतः सहिष्णुता और उदारता भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक विद्यमान है, बल्कि उसका प्राण-तत्त्व है ।

जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ तब उन्होंने अपनी 'कूट ढालों और राज्य करो' की नीति के कारण भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर द्वेष-भावना को बढ़ाने का यत्न किया । १८५७ के विद्रोह का दमन करने के पश्चात् अंग्रेजों की यह नीति सुनिश्चित हो गई कि जैसे भी हो, हिन्दुओं और मुसलमानों को परस्पर मिलकर एक न होने दिया जाए । मुसलमान इस देश में अल्पमत में थे । अंग्रेजों ने उनको प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ावा देना शुरू किया । उनके मन में यह बात कूट-कूट भर दी कि भारतवर्ष पर मुसलमानों का हिन्दुओं से अधिक अधिकार है । सेना और पुलिस में मुसलमानों की अधिकाधिक भरती करी गई । कहा गया कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है और हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है । मुसलमानों की भाषा को अदालतों तथा अन्य राज्य-कार्यों में प्रथम दिया गया । यद्यपि देश की अधिकांश जनता हिन्दू थी और हिन्दी को बोलती, समझती और पढ़ती-लिखती थी, फिर भी हिन्दी को अदालतों के साथ से निकाल बाहर किया गया ।

अंग्रेजों की इस फूट डालने की नीति का परिणाम वही हुआ, जो वे चाहते थे । अनुचित प्रथम मिलने से मुसलमान यह अनुभव करने लगे कि उनकी पीठ पर एक बड़ी शक्ति का हाथ है और प्रत्येक क्षेत्र में अनुचित पक्षपात होते देखकर हिन्दुओं को यह अनुभव होने लगा कि उनके साथ अत्याय किया जा रहा है । परिणामतः दोनों जातियों में मनोमालिन्य सघष की सीमा तक बढ़ता गया ।

पहले समस्त देश में हिन्दू और मुसलमान आपस में मिलकर भाई-भाई की तरह रहते थे । दोनों के धर्म शरीर को कष्ट देने, उपवास, तीर्थ-यात्रा इत्यादि तपस्याओं, साधनाओं और विधि-विधानों के रूप में थे, जिनसे भौतिक समृद्धि चाहें कम ही, किन्तु परलोक में सुगति प्राप्त करने की आश में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही इस लोक की समृद्धि त्यागने को उद्यत रहते थे । एक दूसरे के पर्वों और त्यौहारों में दोनों सोत्साह भाग लेते थे और एक-दूसरे के लिए शुभकामनाएँ प्रकट करते थे । परन्तु अंग्रेजों की कुटिल नीति के फल-स्वरूप स्थिति में शीघ्र परिवर्तन हो गया । प्रायः सभी बड़े शहरों में हिन्दू और मुसलमानों में साम्प्रदायिक दंगे होने लगे । एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाना ही उनके धर्म का सर्वप्रथम कर्तव्य बन गया । अंग्रेज दोनों को भड़काते थे । एक ओर तो उनके गुर्गे मुसलमानों से बहते थे कि "ईद के दिन गाय की कुर्बानी करनी चाहिए और उस गाय को सजाकर जलूस बनाकर शहर के बाजारों में से ले जाना तुम्हारा अधिकार है" और दूसरी ओर वही गुर्गे हिन्दुओं को गौ माता की रक्षा के लिए लड़ मरने को उकसाते थे । इसी तरह मस्जिद के सामने बाजा बजाने का प्रश्न भी अंग्रेजों ने ही खड़ा किया था । हिन्दुओं का आग्रह होता था कि हम बाजा अवश्य बजाएँगे और जरा देर के लिए भी बंद नहीं करेंगे । मुसलमान हठ करते थे कि मस्जिद के सामने हम किसी तरह बाजा नहीं बजाने देंगे, क्योंकि इससे हमारी नमाज में बाधा पड़ती है । अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के फलस्वरूप आगे दिन दंगे होते थे और हिन्दू और मुसलमानों के बीच की खाई और भी अधिक सघातक सीमा तक गहरी हो जाती थी ।

महात्मा गाँधी ने नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों की दुष्टतापूर्ण नीति को पहचान लिया । महात्मा गाँधी ने अपनी सारी शक्ति हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने में लगा दी किन्तु अंग्रेजों के मध्य में उपस्थित रहने के कारण गाँधीजी इस उद्देश्य में सफल न हो सके । जब अंग्रेजों ने यह अनुभव कर लिया कि भारतीयों के स्वाधीनता आन्दोलन की तीव्रता बढ़ती जा रही है और उन्हें एक-न-एक दिन भारत छोड़कर जाना ही होगा, तो भारत के

दो टुकड़े कर डालने की तैयारी थी। उनकी प्रेरणा से हर मुसलमान ने यह माँग की कि यदि देश को स्वाधीनता दी जानी है तो देश के दो भाग कर दिए जाएँ। हमें अलग पाकिस्तान दे दिया जाए। देश के दूरदर्शी विवेकशील नेताओं ने इस बात का विरोध किया, किन्तु अंग्रेजों ने अपनी योजना को पूरा करके छोड़ा। दो घमों के सिद्धान्त के आधार पर पाकिस्तान बनकर रहा।

पाकिस्तान बनने से पहले देश के सभी बड़े-बड़े नगरीय हिन्दुओं और मुसलमानों में भयकर दंगे हुए। हजारों व्यक्ति मारे गए, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। ऐसी दशा में शांति बनाये रखने के लिए कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाना स्वीकार कर लिया। यह आशा थी कि पाकिस्तान बनाने की माँग को स्वीकार कर लेने के पश्चात् हिन्दू और मुसलमानों में और अधिक दंगे न होंगे। दोनों देशों में दोनों घमों के भतावलम्बी शांतिपूर्वक जीवन-यापन कर सकेंगे। परन्तु यह आशा दुराशा सिद्ध हुई। पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान में मुसलमानों ने हिन्दुओं को पाकिस्तान से निकाल बाहर करने के लिए सशस्त्र उत्पात प्रारम्भ कर दिए। इसकी प्रतिक्रिया पूर्वी पंजाब और उत्तर प्रदेश में हुई। इन प्रदेशों से अधिकांश मुसलमान भागकर पाकिस्तान चले गए और पश्चिमी पंजाब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत से सब हिन्दू हिन्दुस्तान आ गये। किन्तु लाखों व्यक्ति इन दिनों उपद्रवों में मारे गए और सम्पत्ति का कल्पनातीत विनाश हुआ।

पाकिस्तान ने यह घोषणा की कि वह इस्लामी राज्य है। इधर कुछ लोगो ने यह माँग की कि भारत को अपने आपको हिन्दू राज्य घोषित कर देना चाहिए। पाकिस्तान मुसलमानों का रहे और भारत हिन्दुओं का। यदि भारत ऐसी घोषणा कर देता तो बड़ी राजनीतिक भूल होती। उस दशा में भारत और पाकिस्तान में स्थायी रूप में शत्रुता हो जाती। किन्तु भारत ने अपने आपको धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया और अपनी सीमाओं में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को यह आश्वासन दिया कि वह धर्म के मामले में पूर्णतया स्वतंत्र है। उसके ऊपर धर्म के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा और किसी भी सरकारी नौकरी या राजनीतिक मामले में धर्म के आधार पर किसी के पक्ष में अथवा विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा।

४४ भारत-अमेरिका सम्बन्ध

यह एक सुविदित तथ्य है कि राजनीति में सहज मानव अनुभूतियों का विशेष महत्त्व नहीं होता। राजनीति के लिए एक श्रेय शब्द है कूटनीति। इसका भी यही अन्तिमप्राय है कि प्रायः देश अपने निहित स्वार्थों और लक्ष्य-पूर्ति के लिए कोई भी, कौता भी साधन अपनाते हैं। चाणक्य और मैकियावेली के नाम इस सन्दर्भ में सहज ही स्मरण हो आते हैं। भले ही माईघारा, सहयोग, मित्रता, सहायता के नारे लगाये जायें तथापि प्रत्येक देश का लक्ष्य होता है अपने हित को सर्वोपरि मानकर काय करना।

स्वतन्त्रता-संधि के दिनों में अमेरिका ने भारत का नैतिक समर्थन किया, उसका पक्ष लिया और इस प्रकार स्वतन्त्रता के लिए संधिपरत शक्तियों को बल प्रदान किया। कदाचित् इसका एक कारण तो यह था, कि अमेरिका स्वयं ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था, ब्रिटिश साम्राज्य की शोषण-नीति का शिकार हो अनेक यातनाएँ सह चुका था और उसकी भारत के प्रति सहायुत्पत्ति थी। दूसरे भारत स्वतन्त्र देश नहीं था और परतन्त्र देश की अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर न कोई अपनी आवाज होनी है और न वह शक्ति शिविरों में किसी एक का पक्ष लेने के लिए स्वतन्त्र होता है। उस समय चीत युद्ध भी जोरो पर न था और न विश्व में शक्ति की होड़ के लिए अमेरिका तथा युद्ध इतने तत्पर थे जितने आज दिखाई देते हैं।

स्वतन्त्रता के बाद भारत अमेरिका के बीच सम्बन्ध घड़ी के पेङ्गुलम की तरह अस्थिर रहे हैं—कभी बहुत मैत्रीपूर्ण तो कभी बटु। प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? दोनों के बीच समानताएँ भी पर्याप्त हैं। अमेरिका, प्रजातन्त्रवादी देश है और वहाँ 'जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई जाती है।' भारत भी विश्व-की जनसंख्या और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रजातन्त्रीय देश है। वह परिपक्व गणतन्त्र है और पिछले चालीस वर्षों में जब अनेक नव-स्वतन्त्रता प्राप्त देशों में उथल-पुथल हुई है, प्रजातन्त्र का स्थान तानाशाही ने ले लिया है, भारत में निरन्तर पाँच-छ वर्षों के बाद चुनाव हुए हैं और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार

ने ही शासन भार समाला है। दोनों देशों की आर्थिक नीतियों में कुछ भेद होते हुए भी समानता है। भारत और अमेरिका दोनों में काफी हद तक पूँजीवाद है, भारत में राष्ट्रीयकरण कुछ ही क्षेत्रों में है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर दोनों बल देते हैं और सरकार व्यक्तियों, व्यक्ति समूहों और समाचार पत्रों की आवाज को दबाने का प्रयत्न नहीं करती। प्रश्न उठता है कि इन समानताओं के होते हुए भी सम्बन्ध स्थायी रूप से स्थिर एवं मैत्रीपूर्ण क्यों नहीं रहे।

भारत की आर्थिक नीति समाजवाद की ओर मुकी हुई है, मिश्रित आर्थिक नीति होते हुए भी वह पूँजीवाद के विरुद्ध है। अमेरिका के चिंतन, रहन सहन और दृष्टिकोण पर पूँजीवाद और मध्यकालीन सामंती व्यवस्था की गहरी छाप है, अमेरिका पूर्ण विकसित देश है, अनाड्य है, शक्ति सम्पन्न है जबकि भारत विकासशील देश है, गरीब है विकास के साधन जुटाने के लिए दूसरों के भागे आचल फलाता है। भारत गुट निरपेक्ष देश है, वह किसी शक्ति शिविर से जुड़ा नहीं है उसकी सहानुभूति उत्पीड़ितों, शोषितों और रंग-भेद या जाति भेद की नीति से सताये लोगों के प्रति है। उसमें स्वाभिमान है, उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है, वह किसी के दबाव में आकर समयन या विरोध नहीं करता। इसके विपरीत अमेरिका विश्व की दो महान शक्तियों में से एक है। वह अधिकाधिक देशों को अपनी ओर करना चाहता है। वह सहायता तो देता है पर चाहता है कि सहायता प्राप्त करने वाला देश उसकी शर्तें माने मले ही वे 'याय सगत न हों'। उसकी राजनीति शक्ति की राजनीति है वह अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहता है और अपनी छत्र छाया में रहने वाले देशों की आयातपूर्ण, असंगत नीतियों और कार्यों का भी समयन करता रहता है। भारत के प्रति भी अमेरिका का यही रवैया रहा है। वह भारत को दुबल, दीन हीन, पिछड़ा हुआ मानता है और चाहता है कि आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता के बदले भारत उसकी हर बात माने। अंतर्राष्ट्रीय मर्कों पर उसकी गलत सखत नीतियों, प्रस्तावों और कार्यों का समयन करे। वह रूस को अपना परम शत्रु मानता है और चाहता है कि कोई राष्ट्र रूस का समयन न करे, मले ही रूस द्वारा

१० पक्ष आयातपूर्ण ही क्यों न हो। शत्रु का सहयोगी भी शत्रु है, इस

बात को मानकर वह जब तक भारत के प्रति भी शत्रुतापूर्ण रख अपनाता रहा है। भारत ने चूँकि यह सब नहीं किया, अनीति की अनीति और अत्याय की अत्याय कहा, अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सौदा नहीं किया, अतः अमेरिका से उसके सम्बन्ध आंतरिक नहीं हो पाये। कभी कभी तो ऐसा लगा कि दोनों देशों के सम्बन्ध इतने तनावपूर्ण हो गये हैं कि एक क्षटके में टूट जाएंगे।

अमेरिका और भारत के बीच कटुता का एक प्रमुख कारण है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अधुनातन युद्ध सामग्री मुपत देना। कभी चीन, कभी रूस और कभी अफगानिस्तान के सम्भावित आक्रमण की आशंका से वह पाकिस्तान को सघातक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करता रहा है। इससे भारत की अर्थ व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है उसकी विकास-योजनाएँ बाधित गति से पूरी नहीं हो पाती। जो घन विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए वह पाकिस्तान द्वारा आक्रमण के भय से युद्ध के लिए सन्तुष्ट रहने पर व्यय होता है और यह भय सच्चा है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण तो किये ही हैं, सीमा पर झड़प आम बात बन गयी है। भारत को तनिक भी असावधान पाकर वह कभी भी आक्रमण कर सकता है। पहले तो अमेरिका मले ही औपचारिक स्तर पर, भारत को आश्वासन देता रहता था कि अमेरिका द्वारा दिये गये हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं होगा, पर अब इन औपचारिक आश्वासनों की भी आवश्यकता नहीं समझी जाती जिससे पाकिस्तान का हौसला और बुलन्द हो गया है। सन् 1965 में पाकिस्तान ने अमेरिकी युद्ध सामग्री का भारत के विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला प्रयोग किया पर अमेरिका न केवल चुप रहा, उसने पाकिस्तान के पक्ष का ही समर्थन किया। यद्यपि उसने एक दो बार यह घोषणा भी की कि वह दोनों देशों में से किसी को भी हथियार नहीं देगा, पर यथाथ स्थिति यह है कि पाकिस्तान को हथियार मुपत में दिये जा रहे हैं और भारत को नरद पसे देने पर भी नहीं।

1971 में जब पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल में चल रहे जन आन्दोलन को दबाने के लिए युद्ध छेड़ा तब भी पूर्वी बंगाल से अमरीकियों को निकालने के

बहाने अणु अस्त्रों से सुसज्जित सातवां बेना भेजा गया ताकि पाकिस्तान को हिम्मत बढे और उसके विरोधी भारत तथा बंगला देश की जनता हतोत्साहित हो। भारत चाहता है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ किसी का सैनिक अड्डा न बने परन्तु अमेरिका ने डिआगो गार्शिया में अपना सैनिक अड्डा बना रखा है और वह वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत तथा अन्य एशियाई देशों की बात न मानकर अमेरिका हठधर्मी कर सम्बन्धों को तनावपूर्ण ही बना रहा है।

राष्ट्रों के मध्य जो समझौते होते हैं उनके पीछे पावन भावना होती है और प्रायः उनका पालन किया जाता है। परन्तु भारत के साथ किये गये समझौतों को कई बार तोड़ा गया है। तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए यूरेनियम देने के समझौते को तोड़ने, टालने और फिर बीच का रास्ता निकालना (फ्रांस द्वारा यूरेनियम की सप्लाई) अमेरिकी इरादों की ओर संकेत करता है। पोखरण में भारत के प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट की सफलता से अमेरिका न केवल स्तब्ध ही रह गया अपितु उसे आघात भी लगा। उसने भारत के प्रति जो रुख अपनाया उससे भारत के परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के कार्यक्रम में भी बाधा पड़ी, दूसरी ओर उसने लुके छिपे पाकिस्तान को परमाणु शक्ति के विकास के लिए हर तरह की सहायता दी, परिष्कृत यूरेनियम तक भेजा (बाद में कटा गया कि वह पाकिस्तानियों) ने तस्करी के द्वारा अपने देश भेजा है और इस अपराध के विरुद्ध कोई कार्रवाही नहीं की गयी। अमेरिका की अणु शक्ति सम्बन्धी नीति भी पक्षपातपूर्ण रही है जो भारत के प्रति उसकी बेरुखी का प्रमाण है।

राष्ट्रपति रेगन के कार्य काल के आरम्भ में ऐसा लगा था कि दोनों देशों के सम्बन्ध सुधर जाएंगे हालांकि राष्ट्रपति बनने से पूर्व और कुछ समय बाद दिये गये उनके वक्तव्यों में भारत विरोधी बातें कही गयी थीं। होनोलूलु में हुए राष्ट्रमंडलाध्यक्षी के सम्मेलन में राष्ट्रपति रेगन से भारत की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी मिलीं और कुछ समय बाद जब उन्होंने अमेरिका की राजकीय नीति की तो लगा कि अमेरिका का व्यवहार बदल रहा है परन्तु यह दुराशा

मात्र थी। रेगन की सदभावना चाय में उबाल की तरह क्षणिक सिद्ध हुई। पाकिस्तान को अरबों डालर मूल्य के हथियार देने की नीति ज्यों की त्यों रही। इतना ही नहीं, पंजाब में प्रातकवादियों को शूट देने वाले पाकिस्तान की समझाने बुझाने की जगह वह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की नीति का समयन करता रहा। अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के जाने और अफगानिस्तान विद्रोहियों के दमन ने तो पाकिस्तान और अमेरिका को और भी बोलखला दिया और उन्होंने समझा कि भारत भी रूस का साथ दे रहा है। इससे दोनों देशों के सम्बन्धों में सुधार आने की बजाय और तनाव आ गया है।

दोनों देशों की जनता के मन में भी एक दूसरे के प्रति पर्याप्त सदभाव है और अनेक सस्याएँ इस सदभाव को बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं। हाल ही अमेरिका में भारत महोत्सव सम्पन्न हुआ जिससे दोनों की मंत्री बढी है। अमरीका में लगभग छ लाख भारतीय रहते हैं और उनमें से अनेक अमरीका के साथ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर अमरीका की प्रगति में सहायता कर रहे हैं। अमरीका के नागरिकों को भारत में गहरी रुचि है। भारतीय धर्म, अध्यात्म, कला, संस्कृति सभी के प्रति वे आकृष्ट हैं। अमेरिका से आने वाले पर्यटकों की संख्या इसका प्रमाण है। आशा है कि दोनों देशों के ये नागरिक विश्व के दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रजातंत्रों को निवटार लाने में सहायक होंगे।

उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय सितिज पर भी सघन और तनाव के बादल हट गये हैं, नई आशा का सूर्य उदय हो रहा है। आणविक अस्त्रों और पारम्परिक हथियारों में कमी की सधि, प्रक्षोपास्त्रों के अट्टो को नष्ट करने का समझौता इस दिशा में किये गये शुभ कार्य हैं। पाकिस्तान में जिया उल हक की आकस्मिक मृत्यु के बाद वहाँ पुनः प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। अतः आशा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच भी तनाव दूर होगा। कुल मिलाकर लगता है कि भारत-पाकिस्तान के संबंधों में कटुता रही हो, है कि मले ही रेगन काल में भारत अमेरिका के संबंधों में बढ़ती रही हो, राष्ट्रपति बुश के कार्य काल में मित्रता और सहयोग बढ़ेगा क्योंकि दोनों देश मन ही मन समझते हैं कि दोनों के लिए एक दूसरे की मित्रता मूल्यवान है।

बहाने अणु धस्त्रों से मुसज्जित सातवां बेन्ग भेजा गया ताकि पाकिस्तान को हिम्मत बड़े और उसके विरोधी भारत तथा बंगला देश की जनता हतोत्साहित हो। भारत चाहता है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ किसी का सैनिक भ्रष्टा न बने परन्तु अमेरिका ने द्विभागी गार्शिया में अपना सैनिक भ्रष्टा बना रखा है और वह यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत तथा अन्य एशियाई देशों की बात न मानकर अमेरिका हठधर्मी कर सम्बन्धों को तनावपूर्ण ही बना रहा है।

राष्ट्रो के मध्य जो समझौते होते हैं उनके पीछे पावन भावना होती है और प्रायः उनका पालन किया जाता है। परन्तु भारत के साथ किये गये समझौतों को कई बार तोड़ा गया है। तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए यूरैनियम भेजे के समझौते को तोड़ने, टालने और फिर बीच का रास्ता निकालना (फ्रांस द्वारा यूरैनियम की सप्लाई) अमेरिकी इरादों की ओर सकेत करता है। पोखरण में भारत के प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट की सफलता से अमेरिका न केवल स्तब्ध ही रह गया अपितु उसे आघात भी लगा। उसने भारत के प्रति जो वृक्ष अपनाया उससे भारत के परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग के कार्यक्रम में भी बाधा पड़ी, दूसरी ओर उसने लुके छिपे पाकिस्तान को परमाणु शक्ति के विकास के लिए हर तरह की सहायता दी, परिष्कृत यूरैनियम तक भेजा (बाद में कहा गया कि वह पाकिस्तानियों) ने तस्करी के द्वारा अपने देश भेजा है और इस अपराध के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी)। अमेरिका की अणु शक्ति सम्बन्धी नीति भी पक्षपातपूर्ण रही है जो भारत के प्रति उसकी बेरुखी का प्रमाण है।

राष्ट्रपति रेगन के कार्य काल के आरम्भ में ऐसा लगा था कि दोनों देशों के सम्बन्ध सुधर जाएंगे हालांकि राष्ट्रपति बनने से पूर्व और कुछ समय बाद दिये गये उनके वक्तव्यों में भारत विरोधी बातें कही गयी थी। होनोलूलु में हुए राष्ट्रमंडलाध्यक्षों के सम्मेलन में राष्ट्रपति रेगन से भारत की प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी मिली और कुछ समय बाद जब उन्होंने अमेरिका की राजकीय नीति की तो लगा कि अमेरिका का व्यवहार बदल रहा है परन्तु यह दुरागा

४५ भारत-रूस सम्बन्ध

मित्रता, सहयोग, विचारों का आदान प्रदान और जितासा मानव स्वभाव के मूल तत्व हैं। प्राचीन काल में भी जब यातायात के साधन बहुत कम थे तथा यात्रा करना खतरों से भरा था, भारत के साहित्यिक और कर्मठ पुरुषों ने सुदूर पूर्व के देशों की यात्रा की। कुछ का उद्देश्य था व्यापार वाणिज्य द्वारा सम्पत्ति बनना और कुछ केवल धर्म-प्रचार और संस्कृति के प्रसार के लिए विदेश गये। भारत ने कभी साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनायी, अतः प्राचीन भारत के दूसरे देशों से सम्बन्ध प्रायः आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ही रहे।

विज्ञान की उन्नति, वैज्ञानिक आविष्कारों के आविष्कार और विद्युत् वाष्प के प्रयोग से जब यातायात के साधनों का विकास हुआ, यात्रा करना सुगम हो गया तो विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर सम्पर्क बढ़ा, समय के साथ-साथ यात्राओं के उद्देश्य भी बदले। व्यापार वाणिज्य द्वारा अपने अपने देश को सम्पत्ति बनाना तो प्रमुख उद्देश्य था ही, साम्राज्य विस्तार करना, नए नए उपनिवेश स्थापित करना अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, दूसरे देशों को अपने अपने शक्ति गुट में सम्मिलित कर अपना वचस्व स्थापित करना भी उनके उद्देश्यों में सम्मिलित हो गये। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के अनेक देश परस्पर सहयोग से अपना अपना आर्थिक और औद्योगिक विकास करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार अब पहले की तुलना में दुनिया छोटी हो गयी है और विश्व के देश एक-दूसरे के निकट आ रहे हैं।

प्राचीन काल में भारत रूस के बीच सम्बन्ध तो थे। वास्तुशक्ति, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में किये गये अनुसंधानों से इसका सकेत मिलता है परन्तु ये सम्बन्ध बहुत धनिष्ठ नहीं थे।

स्थूल दृष्टि से देखने पर भारत और रूस में समानता से अधिक भिन्नताएँ दिखलाई देती हैं। रूस यूरोप का देश है तो भारत एशिया का, भारत के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ईश्वर से डरते हैं, पूजा पाठ में विश्वास

रखते हैं, भारत अपने आध्यात्मिक विचारों के लिए विख्यात है, उसे अध्यात्मवादी देश कहा जा सकता है। इसके विपरीत रूस में 'धर्म की प्रफ़ीम' कहा जाता है, वहाँ के लोग अध्यात्मवाद को कोई महत्त्व नहीं देते वे धनीश्वरवादी हैं, बहुत कम लोग मस्जिदों गिरजाघरों में जाते हैं। दोनों देशों का खान पान और रहन-सहन भी भिन्न है। रूस साम्यवादी देश है। वे काल माक्स के द्वैतात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के अनुयायी हैं, उसी के आधुनिक सिद्धांतों को महत्त्व देते हुए अपने देश की भौतिक समृद्धि में जुटे हैं, वगर्हीन समाज की स्थापना उनका लक्ष्य है, वे व्यक्ति से अधिक राज्य को महत्त्व देते हैं। भारत प्रजातंत्र में विश्वास करता है। वह गणराज्य है। यहाँ जनता सर्वोपरि है और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन काय करते हैं। यहाँ ससद नियमय विधान बनाती है जबकि रूस में सत्ता साम्यवादी दल के कुछ प्रमुख पदाधिकारियों के हाथ में है। सारांश यह कि दोनों देशों की राजनीतिक विचारधारा शासन पद्धति और काय पद्धति पर्याप्त भिन्न है। आर्थिक नीतियाँ भी दोनों की अलग अलग हैं। रूस में निजी सम्पत्ति का कोई स्थान नहीं है, वहाँ कृषि उत्पादन, उद्योग वाणिज्य व्यापार सब कुछ राज्य का है जबकि भारत की आर्थिक नीति को मिश्रित नीति कहा जाता है—कुछ उद्योग बड़े बड़े पूँजीपतियों—टाटा, बिड़ला, डालमिया मोदी किलॉस्कर आदि के हाथों में हैं और कुछ राष्ट्रीयकृत। इन असमान-ताओं को देखकर यह प्रश्न उठना स्वामाविक है कि दोनों के बीच मंत्री और सहयोग के सम्बन्ध कैसे ?

दोनों देशों के बीच सौहार्द और मैत्री के बीज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय रूस की भारत के प्रति सहानुभूति में तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के कर्णधार पं० जवाहरलाल नेहरू की मास्को यात्रा (1927 ई०) उनके ऊपर पड़े समाजवादी विचारों के प्रभाव आदि में देखे जा सकते हैं। उन्होंने तभी माप लिया कि देश की उन्नति का एकमात्र उपाय है समाजवादी रचना। भारत की आजादी की लड़ाई के दिनों में उसे रूस के नेताओं का नैतिक समर्थन मिला था। स्वतंत्रता के बाद भी भारत के नेताओं ने अपनी अनेक समस्याओं—अनेक जातियों अनेक भाषाएँ—आर्थिक विदास से सम्बद्ध पहलियाँ—के समाधान के

रूस की ओर देखा। रूस की पंचवर्षीय योजनाओं ने उसे आकृष्ट किया और यहाँ भी पंचवर्षीय योजनाएँ बनायीं गयीं।

दोनों देशों के बीच मंत्री-सम्बन्धों के बीजारोपण और अधिकाधिक पुष्ट होने का कारण है दोनों का मानवतावादी दृष्टिकोण, विश्व-शांति, अत्याचार-शोषण को विरोध। भारत की परम्परागत सम्यवादी सांस्कृतिक चेतना सदा 'सर्वजनहिताय' 'सर्वजन सुखाय', 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का उद्घोष करती रही है। यहाँ के ऋषियों-मुनियों, धर्मतारी पुरुषों—बुद्ध और महावीर, स तो—तुलसी, नानक, कबीर और आधुनिक युग के महामानव महात्मा गांधी ने सदा अत्याचार का विरोध किया। रूस में महात्मा टालस्टाय न एक प्रकार से तथा लेनिन ने दूसरे प्रकार से यही भाव प्रपयाया। जार के विरुद्ध रूसी जनता का संघर्ष भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष के समान ही था।

ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करते समय भी गांधी जी तथा नेहरू ने भारत की स्वतन्त्रता को अंतिम साध्य न मानकर विश्व से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समूल नष्ट करने का साधन मात्र कहा था। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की वैदेशिक नीति का मुख्य आधार रहा उपनिवेशवाद और जातिभेद दूर करना, अथवा राष्ट्रों के साथ मिलकर विश्व में शांति स्थापित करना। भारत ने स्वयं को समाजवादी, धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया और गुट निरपेक्ष नीति अपनायी।

भारत के स्वतन्त्र होने के समय विश्व में दो महान शक्तियों—अमेरिका और रूस के बीच होड़ लगी थी। प्रत्येक शक्ति गुट अधिक से अधिक देशों को अपने शिबिर में और अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए प्रयत्नशील था। दोनों जानते थे कि भारत के कणधार ५० नेहरू किसी विचारधारा से प्रतिबद्ध नहीं हैं। अतः कुछ समय तक प्रतीक्षा करते रहे कि भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीति क्या बनती है। जब भारत ने तटस्थता की नीति की घोषणा की तो दोनों महाशक्तियों ने भारत को सदेह की दृष्टि से देखा। उन दिनों वस्तुतः भारत तटस्थ था, उसे केवल अपना आर्थिक विकास करने की विला थी उसके लिए साधन जुटाने में वह व्यस्त था। अतः जहाँ कहीं से उसे पता मिली उसने उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। इस पर दोनों

शक्तियों ने भारत को टुलमुस समझ अपने शिविर में खींचने के प्रयत्न किये क्योंकि दोनों जानते थे कि भारत अपनी विशाल प्राकृतिक सम्पदा और मानव-शक्ति के बल पर विश्व के राजनीति मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका भदा करेगा।

भारत में भारत को विशाल पैमाने पर घमरीका से घनाज तथा भय आर्थिक सहायता पाते देख रूस को सदेह हुआ कि भारत अमेरिका की ओर झुक रहा है। पर धीरे धीरे उसका यह भ्रम समाप्त हो गया और उसने अनुभव किया कि भारत वस्तुतः गुट-निरपेक्ष देश है और वह प्रत्याघार-पीड़ितों, शोधितों और सताये हुए लोगों का पक्षधर है।

भारत और रूस ने परस्पर सहयोग और मित्रता का हाथ तो बढ़ाया है, जब कभी और जहाँ कहीं दूसरे देशों पर भी कोई अनुचित दबाव डालने या उपनिवेशवाद की जड़ों को मजबूत करने का या जाति भेद या रंग भेद की नीति अपनाकर दुबल देश को दबाने की समस्या उठ खड़ी हुई है, भारत तथा रूस ने समुक्त राष्ट्र संधि के भीतर और बाहर सब्र ऐम

दुबल राष्ट्रों की सहायता की है, युद्ध के खतरो को टाला है विश्व शांति और विश्व मानवता पर आये सकट से उसकी रक्षा की है। दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की नीति अपनाकर वहाँ के लोगों पर शासन करने वाली अल्प-संख्यक गोरी सरकार हो या फिर कोरिया वियतनाम, कम्पूचिया का प्रश्न

हो, मिल-इजराईल-सकट हो या फिलिस्तीनी समस्या हो सभी प्रश्नों पर दोनो देशों ने सदा 'याय का पक्ष लिया है, बर्बरता का विरोध किया है, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की आवाज को शक्ति प्रदान की है। परिणाम-स्वरूप कई बार विश्व अशांति और युद्ध के सकट से बच गया है।

भारत विकासशील देश है। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद से वह अपनी आर्थिक प्रगति और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के काय में जुग है। कृ-उत्पादन के क्षेत्र में तो उसने आशातीत सफलता पायी है। औद्योगिक ं-में भी उसके चरण आगे बढ़ रहे हैं। इन निर्माण कार्यों में उसे रूस से पर्याप्त

आर्थिक, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता मिली है। रूस ने अपने इजीनियर-भारत भेजे हैं और रूस में भारत के युवकों को प्रशिक्षण दिया है। बोवूरो का स्टील-प्लांट इसका जीवन्त प्रमाण है। उसके निर्माण में ही नहीं, विकास

शील तथा उसे अपुनात्म बनाकर उसके उत्पादन में वृद्धि के लिए भी रूस तथा तार भारत की सहायता कर रहा है। रूस की सहायता से खनिज उत्पादन, विद्युत्-उत्पादन से सम्बद्ध अनेक योजनाएँ पूरी हुई हैं और नई चल रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस और अधिक निकट आये हैं। संकट के समय परस्पर विचार विमर्श एव उचित सहयोग-सहायता करने का बंधन वय की सधि तो अक्षिनेय के समय पहले ही ही चुकी थी, गोर्बाचोव क हता मे जाने के बाद तो दोनों देशों का सम्बन्ध और बढ़ गया है। 1987 88 में रूस में होने वाले 'भारतीय सांस्कृतिक' मेले और भारत में होने वाले रूसी सांस्कृतिक मेले ने दोनों देशों के निवासियों को एक दूसरे की कला, साहित्य और संस्कृति से ही परिचित नहीं कराया, दोनों को भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे के निकट ला दिया है। दोनों देशों के राज्याध्यक्षों, मंत्रियों, शिष्ट मंडलों का एक-दूसरे के यहाँ जाना बढ़ गया है जिससे विचार विनिमय का आघार विस्तृत हुआ है। प्रति वर्ष दिये जाने वाले सोवियत लैंड-नेहरू पुरस्कार, बच्चों का एक-दूसरे के यहाँ जाना और वहाँ कुछ समय रुक रहना, शिक्षकों का आदान-प्रदान, फिल्मों-सव आदि अनेक कार्यक्रम दोनों देशों की मित्रता को प्रगाढ़ बना रहे हैं। भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। 1989 में वह 7000 करोड़ रुपये हो जायगा। इन्दिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए भारत के निमंत्रण को स्वीकार कर सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव जब यहाँ नवम्बर 1989 में आये और तीन दिन ठहरे तो इस यात्रा ने भारत-रूस के बीच की सच्ची मित्रता को एक नया आयाम प्रदान किया। अब दोनों के आधिक और राजनीतिक सम्बन्धों को एक विस्तृत आघार दिया गया है। श्री गोर्बाचोव का समारोह के समय दिया गया भाषण तथा भारतीय रूसी नेताओं की शिखर-वार्ता के बाद प्रकाशित विज्ञप्ति से स्पष्ट है कि सोवियत नेता चाहते हैं कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापना, परस्पर सहयोग और सुरक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। ऐ ने पर विश्व में करने में भी मदद मिलेगी। यदि न महादेश— इस बात के करोगे तो भारत परस्पर सहयोग और विश्व ही जार्गे कि के एक दूसरे के विरुद्ध

तनाव दूर होगा, विश्व शांति स्थापित होगी। तीनों देशों का रक्षा बजट कम होगा और वे अपने आर्थिक विकास को द्रुत गति दे सकेंगे। यदि भारत चीन सबंध मंत्रीपूण हो जायें तो पाकिस्तान के साथ भी भारत के सबंध सुधर जायेंगे क्योंकि चीन उसे जब-तब सैनिक सहायता देता रहता है। इससे इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होगा। अफगानिस्तान समस्या को हल करने के लिए दोनों देश इच्छुक ही नहीं, प्रयत्नशील भी हैं। कम्प्यूटिया की मस्या भी हल हो जाएगी, डिगो गार्सिया पर मारिशस का पुन अधिनार हो इस बात पर भी दोनों नेता सहमत थे इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सभी समस्याएँ हल हो जायेंगी और हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र बन जाएगा। समुद्र राष्ट्र सघ मे जून 1988 मे प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा प्रस्तुत आणविक अस्त्र शस्त्रों और परम्परागत हथियारों मे कमी का समयबद्ध कार्यक्रम, 1986 म दोनो नेताओ द्वारा जारी की गयी दिल्ली घोषणा और नवम्बर 1988 में सिखर-वार्ता के उपरांत जारी की गई विज्ञप्ति—सभी इस बात का सकेत हैं कि भारत और रूस दोनो विश्वशांति चाहते हैं, विश्व को हथियारों की मूलतापूण और आत्महता दौड स बचाना चाहत हैं और शास्त्र निर्माण में किये अणव्यय से बचकर विवास योजनाओ मे धनराशि खच करने के पक्ष मे हैं ताकि विश्व अधिक स्वस्थ, सुदर और मानव सुविधाओ से पूण बन सके। भाशा है इन दोनो नेताओ क शांत प्रयत्नो से परस्पर सदेह और अविश्वास के बादल हट जायेंगे और शांति तथा मैत्री भाव की सुनहरी धूप मे स्नान कर विश्व के लोग चंन की सास लेंगे।

कमी-कमी भारत को दुबल राष्ट्र समझ कर उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका स्वतंत्र चिंतन और अपनी नीति नहीं है, वह रूस का पिछलग्गू है। पर यह आरोप निराधार है। अनेक प्रश्नों पर जब भारत के विचार रूस के विचारों से मेल नहीं खाते तो भारत अपनी बात बहने मे सकोच नहीं करता, वह रूस की आलोचना भी करता है। पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया और अफगानिस्तान के मामलों पर उसने रूस से अपनी असहमति प्रकट की है। वस्तुतः प० नेहरू के जमाने से ही भारत की दृष्टि गुट निरपेक्ष रही है, वह प्रत्येक प्रश्न को गुणावगुण के आधार पर देखता है, उस पर निरपेक्ष दृष्टि से और पूर्वाग्रह-विहीन होकर विचार करता है तथा

घपना मत निस्तकोष घोर निर्भय होकर प्रस्तुत करता है। १० नैहरू मार्सं घोर सेनिन की हर बात की स्वीकार नहीं करते थे। वह सम्राजवाद में खि रघते थे, उससे आक्रान्त नहीं थे। इंदिरा घोर राष्ट्रीय गांधी भी उन्हीं के पक्ष का अनुसरण करते रहे हैं। हाँ, चूँकि दोनों का सद्य एव है—विश्वशांति घोर मानव जाति के भविष्य को सुदूर बनाना घोर यदि वे उसके लिए नि दास्त्रीकरण को एकमात्र उपाय मानते हैं तो सहमति होना स्वामाविक है। एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न उनकी उन्नतता घोर सहिष्णुता का परिचायक है। भारत को किसी भी देश का पिछनगु कहना नासमझी कहा जाएगा या यथार्थ से झालें मूढना।

वस्तुतः भारत रूस के सम्बन्ध सङ्घुषित राजनीतिक स्वाधों, धत्यकानिक हितों से ऊपर हैं, दोनों की घ्रांतरिक मित्रता घोर सच्चाई के प्रतीक है। वे सम्बन्ध इस बात का भी संकेत हैं कि भले ही दो राष्ट्रों की घासन-पद्धति ध्रायिक नीति, राजनीतिक विचारधारा विपरीत ध्रुवों पर स्थित थे, स्नि उनका सद्य मानव जाति के भविष्य को सुखी, समष्ट, शांतिपूज घोर सुरक्षित रक्षना है तो वे मित्र बनकर विष्व को सुधी बनाने में सहयोग कर सकते हैं। भाज के विस्फोटक घोर तनावपूर्ण घातावरण में, बिनाग के कगार पर सभी मानव जाति के लिए भारत-रूस के सम्बन्ध अनुत्तरणीय भादश हैं।

४६. भारत-चीनसम्बन्ध

चीन के स्वतन्त्र होने के उपरान्त चीन भारत की तरह विसर्जित हो गया—गोमिगतांग चीन जिसके अधिपति चांग-काई शेक थे घोर साम्यवादी चीन। सङ्घुक्त राष्ट्र सघ में सदस्यता के प्रदन पर भारत ने साम्यवादी चीन का पक्ष लिया और चीन के नियमित सदस्य होने का श्रेय भारत को है। प्रायत्र भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मघ पर चीन के हितों की रक्षा की और सदा मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाया।

दोनों देशों में समानता भी कम नहीं रही—दोनों का इतिहास धत्यत पुराना है, दोनों की संस्कृति धत्यत गौरवशाली रही है। दोनों भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से प्रभावित रहे हैं। दोनों तृतीय विश्व या विकासशील देशों के हितों के प्रति सवेदनशील रहकर उनका नेतृत्व करने का दावा करते हैं।

दोनों मानते और कहते रहे हैं कि वे उपनिवेशवाद के शत्रु हैं, एशिया की एकता के पक्षधर हैं, सब देशों को समान मानते हैं।

भारत सन् 1947 में स्वतन्त्र हुआ तो चीन उसके एक वर्ष बाद 1948 में। स्वतन्त्रता के बाद भारत के दो टुकड़े हो गए—भारत और पाकिस्तान, चीन भी दो खण्डों में विभक्त हो गया—कीमितांग चीन और माओत्से तुंग का साम्यवादी चीन। लम्बी गुलामी के बाद स्वतन्त्र होने पर दोनों देशों की जनता उल्लसित थी, अपने अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए कृतसंकल्प थी।

हाँ, जहाँ भारत की नीति कभी साम्राज्य विस्तार की नहीं रही, वहाँ चीन सदा से अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार की महत्त्वाकांक्षा पालता रहा है और कदाचित् इसी कारण वह केवल भारत से ही नहीं, अपने अन्य पड़ोसी देशों—जापान, रूस, कोरिया वियतनाम आदि से भी सघपरत रहा है।

दोनों देशों की शासन प्रणालियाँ भी भिन्न हैं। भारत प्राचीन काल से ही जनतन्त्र और गणराज्य व्यवस्था का अनुयायी रहा है अतः उसने प्रजातन्त्र अपनाया और स्वयं को गणराज्य घोषित किया। इसके विपरीत चीन न माओ के नेतृत्व में नाकसबादी सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सघपरत प्राप्त की थी, अतः वहाँ साम्यवादी शासन पद्धति प्रचलनायी गयी। विचार धारा और शासन प्रणाली में इस भेद के बावजूद एशिया के इन दो महान

और विश्व के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों ने प्रारम्भ में यह मान लिया कि दोनों के मंत्री-सम्बन्धों से ही दोनों का विकास हो सकता है तथा एशिया और विश्व में शांति रह सकती है। इसा निरश्चय के अतगत नवोदित चीन के प्रधानमन्त्री श्री चाऊ एन साई भारत की राजकीय यात्रा पर आये हिन्दी चीनी, भाई भाई के जयघोष से वातावरण गूँज उठा और दोनों देशों के प्रधानमन्त्रियों ने पक्कील के सिद्धांतों के आधार पर चलने के घोषणा की और कहा कि वे स्वयं ही नहीं एशिया के अन्य देशों को भी इन सिद्धांतों को अपनाने और उन पर चलाने का प्रयास करेंगे ताकि ससार से शोषण, असमानता निर्धनता और सघपर समाप्त हो और सद्-व्यस्तिक को मायता देकर विश्व के राष्ट्र शांति से रह सकें।

भारत तो प० जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में पश्चिमी के भाग पर चला रहा पर महावाकाली चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बाहर से मित्रता और भीतर-ही भीतर पीठ में छुरा भोंकने का षडयंत्र रचता रहा। अपनी सीमाओं को बढ़ाने के सम्बंध में चीन की नीति प्रारंभ से ही स्पष्ट और सुसंगत रही है, उसमें कहीं भी टुलमुलपन नहीं रहा है। 1956 में जो नक्शे चीन में प्रकाशित हुए उनमें भारत के बड़े भूभाग (अरुणाचल प्रदेश) को चीनी बताया गया। 1959 में चाऊ-एन-साई ने प० नेहरू को लिखे पत्र में भी उसी बात का समर्थन किया। यद्यपि अनेक काल से दोनों देशों की सीमाएं सुनिश्चित रही हैं अंग्रेजों के जमाने से 'मैकमोहन लाइन' को विभाजक रेखा माना जाता रहा है और अनेक बार जब भारत ने चीन दावों का लिखित विरोध किया तो चीन ने यह कहकर भारत को फुसलाया कि नक्शे पहली साम्राज्यवादी सरकार द्वारा बनाए गए थे, बे ठीक कर दिये जाएंगे, कमी भारतीय प्रदेश में घुस पैठ कर छोटी छोटी चौकियाँ स्थापित कीं और भारत ने विरोध किया तो कहा गया कि स्थानीय कमांडरों की अनभिज्ञता के कारण यह हुआ है चौकियाँ हटा दी जाएगी, जब चीन के छिटपुट सैनिक दस्ते भारत की सीमाओं में घुसकर सैनिक अभ्यास और हमारी चौकियों पर गोलाबारी करने लगे और भारत ने विरोध किया तो भावनात्मक दिया गया कि वह स्थानीय भूल थी और भागे से सावधानी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार भारत के राजकीय विरोधों का चीन कागजी उत्तर देता रहा, उसने भारत को भ्रम में डाले रखा और एक ओर भारत भाव्यस्त हो चुपचाप बेखबर बैठा रहा और दूसरी ओर चीन अपनी सैनिक स्थिति मजबूत करता रहा। परिणाम 1962 में सामने आया जब चीन ने 20 अक्टूबर को अपनी विशाल अघुनातन शस्त्रों से सुसज्जित सेनाओं द्वारा भारत के असावधान, पुराने अस्त्र शस्त्रों को काम लाने वाले सैनिकों पर आक्रमण किया और हजारों भारतीय वीरों को हताहत कर देश के विशाल भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया। बाद में रूस द्वारा हस्तक्षेप करने पर चीन के बढ़ते कदम रुक तो गये पर अभी भी वह उस भूमि पर कब्जा किये हुए है जो उसने 1962 में हथिया ली थी। इस दुघटना ने दोनों देशों के सम्बंधों को अत्यंत कटु बना दिया, दोनों देशों के राजदूत अपने



चीन के बीच-बीच में समझ में न आ सकने वाले कार्यों के कारण यह प्रगति बहुत ही धीमी रही है। उदाहरण के लिए, 1982 में चीन के एक प्रखारी यक्षतम्य के कारण समस्या-समाधान की प्रक्रिया के सामने प्रश्न चिह्न लगा दिया। 19 नवम्बर से 4 दिसम्बर 1982 तक चलने वाले एशियाई खेल समारोह के समापन अवसर पर जब भारत के अग्र प्रदेशों के लोक नृत्यों के साथ अरुणाचल प्रदेश के लोकनृत्यों ने भी लोक-नृत्य में भाग लिया तो इस अवसर ने टिप्पणी की ऐसा कर भारत ने उत्तर-पूर्वी सीमांचल प्रदेश पर अपनी प्रभुसत्ता दिखाई है। मला सोविएत, जो प्रदेश भारत का अभिन्न अंग रहा है, उस पर अधिकार दिखाने का प्रयत्न कैसा? भारत पर यह मिथ्या आरोप लगाया भी किस अवसर पर? एशियाई खेल समारोह के अवसर पर। स्पष्ट है कि चीन के इरादे सद्भावपूर्ण नहीं थे। इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई। कोटनीस स्मारक उत्सव के अवसर पर भारत का जो सरकारी प्रतिनिधिमंडल चीन जाने वाला था उसकी यात्रा रद्द कर दी गयी।

श्री वाजपेयी की चीन-यात्रा के बाद भारत और चीन के नेताओं में औपचारिक बातचीत हुई है। आठ बार उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के बीच भी समस्याओं को सुलझाने के लिए वार्तालाप हुआ है पर कोई समाधान निकलता नजर नहीं आया। ऐसा नहीं लगता कि दोनों ने एक-दूसरे को समझने में कुछ प्रगति की है। हर बार 'ढाक के वही तीन पात' वाली कहावत चरितार्थ हुई है। 1986-87 में तो दोनों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था और ऐसा लगता था कि एक बार फिर हिमालय रक्षतरजित हो उठेगा। आज भी चीनी सेनाएँ सुमडोरोंग ब्रू घाटी में विद्यमान हैं जिसे भारत अपना प्रदेश बताता है।

हाँ, 1988 के आरम्भ में अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में परिवर्तन आया। सोवियत नेता गोर्बाचोव के प्रयत्नों और पहल से विश्वशांति का माग कुछ सुगम बना। अस्त्र-शस्त्रों की होड़ कम करने, आणविक अस्त्रों के अड़े समाप्त करने तथा तनाव दूर करने के लिए अमरीका-रूस के बीच समझौता हुआ। उन्होंने भारत और चीन को भी सुझाव दिया कि एशिया के ये दोनों महान भी आपस में बातचीत कर, अपनी समस्याओं का समाधान खोजने का

प्रयत्न करें, तनाव दूर करें। फलस्वरूप मई 1988 में चीन ने सकेत दिया कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने पुराने झगड़ों को दूर करने के लिए तैयार है, उनसे बातचीत करने को प्रस्तुत है। इसके उत्तर में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी हंगरी यात्रा के समय 11 जून 1988 को ब्रुडापेस्ट में कहा, "हम चीन के साथ मैत्री संबंध चाहते हैं। हम अपनी सीमाओं पर शांति चाहते हैं। हम सीमा-विवाद को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ऐसा समझौता कर सकते हैं जो दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हित में हो।"

श्री गोबिंदबोधे जब इंदिरा गांधी पुरस्कार ग्रहण करने भारत आये तो स्थिति ने एकदम नाटकीय मोड़ लिया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन-यात्रा के लिए पूर्व-तैयारी की गयी और यह निश्चित हुआ कि वह 19 से 23 दिसम्बर 1988 तक चीन की पाच दिन की यात्रा करेंगे और वहाँ के नेताओं से मिलकर आपसी हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श करेंगे।

चीन-यात्रा से पूर्व कुछ निराशावादी ये और कुछ आशावादी। आशावादियों का विचार है कि अब चीन में माओ की पीढी नहीं है नई पीढी के नेता साम्राज्य-विस्तार की जगह अपने देश को आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न और सुशासन बनाने पर अधिक बल देते हैं और शांति चाहते हैं। दूसर भारत भी यही चाहता है कि सीमाओं पर तनाव दूर हो, जो घनराशि सैनिक व्यय के नाम पर खर्च होती है उसका सदुपयोग आर्थिक विकास की योजनाओं पर किया जाय। अत चीन भारत के बीच तनाव दूर करने का जो भी प्रवर्तन मिले उसका लाभ उठाना चाहिए। उनका विचार है कि दोनों देशों की नई पीढियाँ प्रतीत की कटुता को मुनाकर नए सम्बन्ध बनाने के लिए उत्सुक हैं, दोनों इक्कीसवीं शताब्दी का सुखद स्वप्न देख रहे हैं। प्रस्तुत भारत के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा सम्पन्न हुई और लगता है कि वह बातचीत से प्रसन्न होकर लौटे हैं। पक्षशील के सिद्धान्त को फिर से दुहराया गया है, उसके आधार पर आपसी पड़ोसी देशों के मैत्री सम्बन्धों को सुधारने और सुदृढ बनाने की घोषणा की गयी है। विज्ञान, तकनीक, सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिक उद्दयन आदि पर समझौते भी हुए हैं जिनसे निश्चय ही दोनों देशों के निवासी परस्पर एक-दूसरे के निकट

आएंगे। व्यापार बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्र खोजने पर भी सहमति हुई है। तिब्बत को चीन का अधिभाग्य भ्रम मान लिया गया है।

वस्तुतः घसली समस्या है सीमा विवाद। 1962 तक पूर्वी क्षेत्र में मैकमोहन रेखा तक का क्षेत्र भारत के अधीन था और चीन भी उस पर भारत का प्राधिपत्य मानता था। भक्तसाई चीन के अधिकांश भाग पर चीन का अधिकार था। वस्तुतः ऋग्डे की जड़ है भूटान के पास का एक त्रिकोणीय भूखण्ड 'यांग ला रिज'। दोनों देश इस पर अपना अधिकार बताते हैं और उसे पाना चाहते हैं। अर्थात् जैसे चीन का अरुणाचल प्रदेश को अपना कहना था भारत का पूरे भक्तसाई चीन क्षेत्र पर अपना दावा करना तो केवल बात को तूल देने के लिए है। भ्रत यदि इस क्षेत्र के सम्बन्ध में 361 विवाद हल हो जाये तो दोनों देश मित्रता, सहयोग और शांति से रह सकते हैं।

इस समस्या के हल के लिए जो योजना बनायी गयी है वह इस प्रकार है—एक समुक्त कार्यदल की स्थापना की जाएगी जिसमें भारतीय और चीनी सदस्य होंगे। वे मिलकर काम करेंगे। उनका पहला काम होगा सीमाओं पर शांति बनाये रखना और दूसरा काम होगा सीमा रेखा के निर्धारण के लिए सम्बद्ध कागजातों, दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन कर ऐसा समाधान खोजना जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यह कार्यदल एक निश्चित समयावधि में अपना काम पूर्ण करेगा। समयावधि दो-तीन वर्षों की हो सकती है। □

४७ भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध

विभाजन के बाद दोनों देश पड़ोसी मित्रों की तरह रह सकते थे पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया। हमारी समझ में एक कारण रहा है पाकिस्तान में जनतंत्र के स्थान पर सैनिक शासन का होना। भारत में दोनों देशों ने जनतंत्र अपनाने की घोषणा की उसी के अनुरूप संविधान बने, चुनाव हुए। पर जब शीघ्र ही पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खान की हत्या कर दी गयी तो तस्वीर बदलने लगी। इस हत्या के बाद भी कुछ समय तक सतर्कीय प्रणाली चली, उसके भ्रतगत प्रधानमंत्री आते जाते रहे।

पर यह स्थिति उस दिन प्रधानक बदल गयी जब जनरल झुब खान ने सैन्यशासित की सहायता से सत्ता हथिया ली। तब से नवम्बर 1988 तक यही नाटक होता रहा है, नाटक के पात्र भले ही बदलते रहे हों। जनरल झुब के बाद जनरल सिकंदर मिर्जा फिर जनरल याह्या खान और अंत में जनरल जिया उस हक ने मुख्य भूमिका प्रदा की। जनरल जिया का शासन-काल सबसे सम्बा (ग्यारह वर्ष का) रहा और यदि 17 अगस्त 1988 को हवाई जहाज की दुर्घटना में उनकी मृत्यु न होती तो पता नहीं कब तक वह सैनिक शासन ही रहता। बीच में जनरल याह्या खान के बाद स्वर्गीय जुलफिकार अली भुट्टो के प्रधानमंत्री बनने पर सैनिक शासन अवश्य कुछ दिन के लिए हटा और आशा बधी कि प्रजातन्त्र के माग पर चलकर पाकिस्तान भारत से मंत्री सम्बंध स्थापित करेगा परंतु उन्हें उन्हें के द्वार नियुक्त जनरल जिया ने अपदस्थ ही नहीं किया, हरया का झूठ मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका दिया। यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यदि भुट्टो सत्ता में रहते तो भारत विरोधी ही भी, तथापि मंत्रीपूण बनते ही क्योंकि भुट्टो की नीति भी भारत विरोधी ही थी, तथापि जनतंत्र की छाया में ये सम्बंध इतने न बिगड़ते जितने जिया उस हक के शासन-काल में बिगड़े। उनके समय में 'शिमला समझौता' अवश्य हुआ पर पाकिस्तान ने वह समझौता पराजय के दबाव में किया था, वह उस पर केतना प्रमत्त करता, कहना कठिन है। हो सकता है भुट्टो भी आज के पाकिस्तान के कुछ नेताओं की तरह कहने लगते, 'शिमला समझौता कोई स्थायी समझौता नहीं था और न उससे दोनों देशों के बीच समस्या का स्थायी समाधान निकल सट्टा है। वह तो केवल अस्थायी शांति और तनाव दूर करने का साधन मात्र था।' पाकिस्तान अघिष्टत काश्मीर के सरदार अब्दुल बसूम खान का कहना है, 'काश्मीर की समस्या शिमला समझौते के आधार पर हल नहीं हो सकती। हम उस समझौते को मानते ही नहीं क्योंकि हमने उस समझौते में भाग ही नहीं लिया था।'

स्वतंत्रता के बाद यदि दोनों देशों के रबये पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट ही जाता है कि कारण कुछ भी रहे हों पाकिस्तान ने भारत के सद्भावपूर्ण व्यवहार की अवहेलना ही नहीं की, वह उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखता

रहा है। अस्तित्व में आने के बाद से भारत ने उसे सदा मायता दी है, चाहा है कि दोनों सहयोग और शांति के वातावरण में रहते हुए अपना अपना आर्थिक विकास करें, अपने देशवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठावें। दूसरी ओर पाकिस्तान काश्मीर के प्रश्न को लेकर भारत को धमकाता रहा है और 'हैंस' में लिया है पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिन्दुस्तान' के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा है।

पाकिस्तान के नेताओं में हीनता की मानसिकता काम करती रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक रोग है। पाकिस्तान की तुलना में भारत भू क्षेत्र की दृष्टि से कहीं विशाल और साधन-सम्पन्नता की दृष्टि से कहीं अधिक समृद्ध देश है। पिछले चालीस वर्षों में उसने जितना औद्योगिक विकास किया है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जितनी प्रगति की है, उससे बह विश्व के कुछ ही देशों से पिछड़ा रह गया है। उधर पाकिस्तान अनेक कारणों से भारत जैसी प्रगति नहीं कर सका। उसके नगरों में भले ही समृद्धि सम्पन्नता का जीवन दिखाई दे, ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर गरीबी और भ्रमण के पथ में डूबा हुआ है। फिर भी वह भारत की बराबरी करना चाहता है अपनी जनता को बताना चाहता है कि वह भारत से किसी भी प्रकार (कम से कम सैनिक शक्ति की दृष्टि से) कम नहीं है। इसी महत्वाकांक्षा की मरु मरीचिका में फसा पाकिस्तान चैन से न स्वयं रह पाता है और न भारत को रहने देता है।

दोनों के बीच सबसे जटिल प्रश्न है काश्मीर का। यह दोनों जानते हैं कि जितने भू भाग पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया है, वह उसे भारत को कदापि न देगा और काश्मीर जो सर्वधानिक दृष्टि से भारत का अविभाज्य अंग है, भारत का ही रहेगा। दोनों यह भी जानते हैं कि सैनिक कायवाही द्वारा या धमकाने पर आज किसी भी सीमा विवाद को सुलझाया नहीं जा सकता। फिर इस प्रश्न को लेकर तनाव क्यों जिससे दोनों देशों का आर्थिक विकास रुका हुआ है। एक कारण तो पाकिस्तान के शासकों का सत्ता में बने रहने का प्रयास है। अथवा देशों के समान पाकिस्तान में भी समय समय पर आर्थिक और राजनीतिक समस्याएँ उठती रहती हैं, जातीय, प्रांतीय

धीर धार्मिक विवादों के कारण भी धातुरिक व्यवस्था चरमराने लगती है। जनता का ध्यान धातुरिक समस्याओं से हटाने के लिए, यह दिखाने के लिए प्रजातंत्र से देश कमजोर होगा और देश की सुरक्षा के लिए एकमात्र सैनिक शासन ही श्रेयस्कर है, पाकिस्तान के नेता बार-बार काश्मीर का होवा खड़ा कर देते हैं—कभी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला है। अतः धातुरिक मतभेद भुलाकर शत्रु से लड़ने के लिए सत्ता का समर्पण करो और कर्मा स्वयं भारत की शौनियों पर छुट्टी हमले और गोलाबारी करते रहते हैं। युद्ध का होवा खड़ा कर वे अपने देशवासियों को शांत रखने का प्रयत्न करते हैं। काश्मीर को लेकर भारत ने भी गलती की है। यदि पहले आक्रमण के बाद ही प्राये बढ़ती हुई भारतीय सेनाएँ पाकिस्तान को छोड़ कर भाग को भी विमुक्त करा लेती तो आज स्थिति ही अधिकृत काश्मीर के भू भाग को भी विमुक्त करा लेती तो आज स्थिति ही सुख और होती। १० नेहरू की अपनी सदाशयता के कारण पट्टरदक्षिण सिद्ध हुई। काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र सभ में ले गये जिससे राष्ट्र सभ की बैठकें निहित स्वार्थों वाले राष्ट्रों के लिए प्रच्छादा और दांव पेंच दिखाने का भव बन गया। संयुक्त राष्ट्र सभ में जनमत संग्रह का प्रस्ताव पारित हो गया। उसी प्रस्ताव की बार बार दुहाई देकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है वह यह भूल जाता है कि जब वह प्रस्ताव पारित हुआ था तब यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से अपनी सेनाएँ हटा ले, तब जनमत होगा। पाकिस्तान ने पहली शत तो मानी नहीं, दूसरी के लिए भारत पर दबाव डालता रहता है। यह कहाँ तक "यायसगत है ? 40 वर्षों में स्थिति बहुत बदल गयी है और अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्ताव रद्दी की टोकरी में पड़ कागज से अधिक महत्त्व नहीं रखता।

भारत पाकिस्तान सम्बंधों के विगड़ने का कारण अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी और शक्ति का खेल भी है। अमेरिका रूस को नियंत्रित रखने के लिए पाकिस्तान को एक महत्त्वपूर्ण मोहरा मानता है। उसने उसे अधुनातन पत्न शस्त्रों और युद्ध सामग्रियों से लैस कर उसके मन में दप और झूठे गौरव का भाव पैदा कर दिया है। वह समझता है कि इन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से भारत को एक न एक दिन परास्त कर सकेगा और पिछली पराजयों का

बदला चुका सकेगा। रुस, चीन या रुस समर्पित अफगानिस्तान से लड़ने की बात तो यह सोच ही नहीं सकता।

भारत के प्रधानमंत्री की 19 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक होने वाली सफल चीन यात्रा और 29 दिसम्बर को उनकी पाकिस्तान-यात्रा से तोपों को नये सिरे से धाशा बंधी है कि भारत-पाक सम्बन्ध एक नया मोड़ लेंगे, इतिहास का एक नया पन्ना खुलेगा। दोनों देशों के काफी सन्निकृता हटाहट हो चुके हैं, दोनों युद्ध के खतरों से अवगत हैं और बेनजीर भुट्टो 'शिमला समझौते' के आधार पर भारत-पाक समस्याओं का हल खोजने की बात कह चुकी हैं। पर श्रीमती भुट्टो की शक्ति सीमित है। अभी भी उन पर एक ओर सेना के कमांडरों का और दूसरी ओर धर्मार्थ, कट्टरपथी मुस्लिमों का दबाव पड़ रहा है। पाक-अधिकृत काश्मीर के नेता अब्दुल कयूम खां घलग टर-टर कर रहे हैं। बेनजीर अनुभवहीन हैं, उन्हें पूरी बात का न पता है और न पूरी ताकत का। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस्लाम-यात्रा के परिणाम बहुत धाशाजनक नहीं लगते। भारत को अपने दीर्घ हित में श्रीमती भुट्टो के हाथ मजबूत करने चाहिए। अतः ऐसे नाबुक अवसर पर दीर्घकालीन समस्याओं का हल निकल आया, यह सोचना दुराशा मात्र है।

हाँ, दोनों नेता कुछ मुद्दों पर बातचीत शुरू कर सकते हैं, बाद में यह बातचीत आगे बढ़े और दोनों के सम्बन्ध सामान्य हो जाएँ। ये मुद्दे हो सकते हैं—

1 दिसम्बर 1985 के मौखिक समझौते को कि एक दूसरे के आणविक प्रतिष्ठानों पर आक्रमण न किये जाय, लिखित रूप दिया जाय।

2 आणविक शक्ति का प्रयोग एक दूसरे के विरुद्ध न किया जाय।

3 रासायनिक हथियारों का प्रयोग भी एक दूसरे के विरुद्ध न किया जाय।

4 जिस प्रकार चीन के साथ समझौते में संयुक्त कायदल बनाने का प्रस्ताव है जो सोमा पर शांति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा और पस्तावेजों का अध्ययन कर चीन भारत की सीमाएँ तय करेगा वैसे ही संयुक्त कायदल भारत-पाक सीमा विवाद का समाधान खोजने के लिए

बनाया जाय। इसमें शिमला समझौता के समय प्रस्तुत दस्तावेज सहायक न करने का आश्वासन दें।

5 दोनों देश सच्चे हृदय से एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दें।

6 पंजाब के आतंकवादियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण और उनकी शास्त्रास्त्रों से सहायता रोक दी जाय।

7 मादक द्रव्यों की तस्करी न होने दी जाय। श्रीमती मुट्टो ने कड़े शब्दों में इन पदार्थों की तस्करी की निंदा की है और उसे रोकने के लिए बड़े कदम उठाने की बात भी कही है।

8 शांति और मैत्री का समझौता किया जाय। यदि इन मसलों पर ईमानदारी और सदभावना से बात शुरू हो और भगसे दो तीन वर्षों के भीतर इन्हें कार्यान्वित किया जाय तो निश्चय ही भारत पाक सम्बन्ध सुधरेंगे, प्रजातंत्र की विजय निश्चित होगी, लोगों का तानाशाही से विश्वास उठ जाएगा।

मय अभी भी है कि एक और पाकिस्तान के सेनाधिकारी श्रीमती मुट्टो को भारत के प्रधानमंत्री से ऐसा वार्तालाप करने से रोकने की चेष्टा करेंगे। दूसरी ओर अमरीका भी कदाचित् बाधा डालेगा जैसा कि एक खबर से निकत मिलता है कि काश्मीर पर भारत विरोधी प्रदर्शन के आयोजन के पीछे पाकिस्तान के सेनाधिकारियों का हाथ है जो अमरीका और उसमें अमेरिका की अमिसिष भी है। फिर भी दोनों युवा प्रधानमन्त्री यदि दूर-दृष्टिता, जनसाधारण के हित, विश्व शांति और आदान-प्रदान की भावना से काम करें तो उससे न केवल भारत और पाकिस्तान के लोग जो अनेक प्रकार से जुड़े हैं हर्षित होंगे, अपितु एशिया और विश्व में भी शांति स्थापित होगी। अन्य सघपरत देशों का मांग-दर्शन होगा और दुनिया पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी।

सभी प्रकार के व्यवहारों में पवित्रता और सहज मानवीय दृष्टिकोण का अभाव भ्रष्टाचार कहलाता है। इस तरह भ्रष्टाचार जनतन्त्रीय सरकार का तन्त्र है ही नहीं, मानवता का भी सबसे बड़ा शत्रु है। स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार का बोल-चाला सुरसा की तरह बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति आज विस्फोटक बिन्दु तक पहुँच चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारों की कृत्य विमूढ-सी हो गयी हैं। रोग गहराई तक जड़ें जमा चुका है और आम जन का जीवन सर्वाधिक पीड़ित है।

भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? वास्तव में भ्रष्टाचार का जन्म प्रशासन एवं न्याय-यद्धति में विलम्ब के कारण होता है। लोकतन्त्र के विकास में सरकार आर्थिक जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती है। अतएव आज भारतीय नागरिक चाहे वह किसान हो या मजदूर, उद्योगपति हो या मीकर, किसी भी जीवन क्षेत्र में हो, सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क में आता है। सरकारी कर्मचारियों में नतिक्ता के अभाव से ही भ्रष्टाचार की कहानी शुरू होती है।

प्रत्यक्षत हम भ्रष्टाचार को दो रूपों में देखते हैं। प्रथम अनुचित तथा अनियमित रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त कराना, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से नकद व भेंट रूप में रिश्वत लेना व देना आता है। यह भी केवल मंत्री ही नहीं स्थानीय कार्यकर्तियों से लेकर केंद्रीय नेता भी जन धन की लूट में शामिल हो रहे हैं। भ्रष्टाचार का दूसरा रूप वह है जिसे समकक्ष व्यक्तियाँ व संस्थाओं के हितों को भुलाकर व हानि पहुँचाकर स्वयं या अपने ही व्यक्तिगत व संस्थाओं-की अनुचित अवसर, सहायता व स्थान दिलवाना सम्मिलित है। इसका भयावह रूप भी आज सर्वत्र देखा जा सकता है।

वास्तव में किसी अधिकारी के विरोध में पूर्वाग्रह से उसके भ्रष्ट होने के सम्बन्ध में पूरा निष्पत्ति करना अनुचित है। दूसरे, आज भ्रष्टाचार के तरीके तथा साधन इतने सूक्ष्म हो गये हैं कि उनकी जाँच का एक ही उपाय है। वह यह कि राज्य की सेवा में न आने से पूर्व, हर राज्य कर्मचारी को अपनी जामदाद 'चल व अचल' लिखित रूप में घोषित करनी चाहिए जिस प्रकार से राज्य सेवा के पूर्व कई अन्य औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं, उसी तरह

यह भी अनिवार्य होता चाहिए। शिकायत होने की अवस्था में इससे अनुचित रूप से प्राप्त आय में सम्पत्ति का अनुमान लगाना सरल हो सकता है। राजनीतिक नेताओं, सांसदों, विधायकों और मंत्री जैसे उच्च पदों पर अपने वालों के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

लोकतंत्र में शासकों के भ्रष्ट व ईमानदार होने की कसौटी जनता है। जिस मंत्री या नेता में जनता का विश्वास हिल जाता है, उस नेता का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी अग्नि-परीक्षा जनता के समक्ष दे अथवा सावजनिक जीवन से स्वयं निष्कासित हो जाए। जब तक राष्ट्र के शासक, जो राष्ट्र-जीवन के आधार हैं, अनुशासित नहीं होंगे, तब तक करोड़ों लोग आदश व्युत्तरहेंगे। कांग्रेस सत्ता को 'कामराज-योजना' या इस प्रकार की अन्य योजनाएँ, घोषणाएँ निरयक व प्रभाव रहित होंगी, यदि भ्रष्ट नेता व राजनीति-स्वाय के लिए राष्ट्रीय जीवन को खोखला करते रहते हैं। भ्रष्ट सत्ता नागरिक भ्रष्ट होंगे तथा उच्छ्वलता फँलेगी। जिस प्रकार से सरकारी निषया में असाधारण विलम्ब होने से न तो काय ही सिद्ध होता है और इमसे विकास-काय में सहयोग मिलता है तथा सहयोग व उत्साह कुठित होता है। उसी तरह विलम्ब से मिला दण्ड भी निरयक है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के कुछ ऐसे हास्यास्पद परिणाम देखने को मिलते हैं जिनमें उनकी उपयुक्तता पर शका होती है। राजस्थान के किसी सहकारी विभाग को सूचना दी देने में हुए गोलमाल के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सूचना दी गई। उक्त भंडार को जाँच ब्रे लिए कोई दो वष बाद इस विभाग के अधिकारी आए। तब तक भंडार और उन लोगों का पता ही न लगा, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार आय सँकड़ो घोटाले भी प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

मूलभूत प्रश्न शासन में विलम्ब को दूर करने का है। हमारे देश में सरकारी दफ्तरों में काम करवाने में विलम्ब को आवश्यक तत्त्व मान लिया गया है। सबप्रथम यह आवश्यक है कि हर विभाग में काम करने वालों के ऊपर एक काय-अधिकारी नियुक्त किया जाए जिसका काय यह होगा कि वह अपने विभाग के कार्यों को पूरा करने की समय-सारिणी बनाए तथा निरीक्षण करे कि काय उन सारिणियों के अनुसार होता है या नहीं। यदि काय समय पर पूरा न हो तो दोषी कमचारी को दण्ड मिले। यह दण्ड केवल जुमाने के रूप में ही नहीं बल्कि छुट्टी को कम कर देने के रूप में भी हो सकता है। दोषी कमचारियों के लिए उसे कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक न मिले।

कार्य-अधिकारी के काम के लिए उस विभाग का सचिव जिम्मेदार हो तथा समस्त विभाग के लिए सम्बन्धित मन्त्री या मन्त्रीगण उत्तरदायी हों। सम्बन्धित विभागों की जांच आवश्यकता पढ़ने पर तुरंत होनी चाहिए। इसके लिए एक अलग कमचारी नियुक्त किया जा सकता है जिसने अपने भाइ, भतीजे के लिए पैसा नहीं लिया, उसने भी पार्टी के लिए तो लिया ही है। भ्रष्टता भ्रष्टता ही कही जायेगी, चाहे वह घर-परिवार के हित के लिए की जाए अथवा पार्टी के हित के लिए। इन दोनों रूपों को भ्रष्टाचार का सर्वांगीण स्वरूप नहीं माना जा सकता परन्तु व्यावहारिक अर्थ में इन दोनों में भ्रष्टाचार अपने नग्न रूप में—जिसका उन्मूलन हो सकता है द्रष्टव्य होता है। कोटा-परमिट बाँटना और चढ़े लेना आज सरकारी उच्च स्तर के भ्रष्टाचार का एक अर्थ रूप है, जिसके कारण कुछ मुख्य मंत्रियों का पतन तक हो चुका है।

भ्रष्टाचार की समस्या कोई नवीन नहीं है। यह सामाजिक तथा मनुष्य के चरित्र की समस्या है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से लगातार अब तक इसके उन्मूलन के लिए प्रयत्न जारी हैं। परन्तु इसमें दो राय नहीं होंगी कि इन समस्त प्रयत्नों के बावजूद भी यह बढ़ने से नहीं रुका है और भ्रष्टाचार का भयंकर कीड़ा बहुदकाय होता जा रहा है। भूलपूर्व के द्रीय गृह मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा की दृष्टि में "भ्रष्टाचार एक बड़ा नासूर है अतः इस पर हमें चारा ओर से हमला बोलना होगा। भ्रष्टाचार दूर करने के काम में हमें लाखों अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त करना होता है।" पर ऐसा सहयोग प्राप्त करे कौन ?

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भ्रष्टाचार उच्च अधिकारियों तथा नीचे के कमचारियों दोनों में होता है। इसमें भी इसकी गहराई व व्याप्ति भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न है। यह कहना मूलतः गलत है कि पहले उच्च स्तर से भ्रष्टाचार नष्ट कर दिया जाए तो नीचे वर्ग में स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। वस्तुतः स्थिति तो यह है कि दोनों वर्गों का भ्रष्टाचार सह-अस्तित्व से युक्त है। अतः भ्रष्टाचार के सह-अस्तित्व को समाप्त करना इसके समूलोच्छेदन में प्रथम प्रहार है। इसके लिए जिस पवित्र चरित्र और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, आज इसका आभाव अखरने वाली सीमा तक विद्यमान है।

दूसरे इस सम्बन्ध में देश के नेताओं को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भ्रष्टाचार नौकरशाही व लालफीताशाही के साथ नृत्यी है। जब तक

शासन के कार्य-साम्यादन में दीर्घदूरता नहीं टूटेगी तब तक भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवास्वप्न रहेगा और हम इसको समाप्त करने में किए गए प्रयत्नों में शक्ति व धन को नष्ट करने में करते रहेंगे जैसा कि अब तक करते आए हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस विभाग खोल देने भी उपयुक्त हैं। इस सम्बन्ध में हमारे नेताओं को पहले आत्म निरीक्षण करना चाहिए। यदि वे अपनी आत्मा की ध्वनि से अपने-आप को भ्रष्ट या अनुशासनहीन पाते हैं तो उन्हें पुन 'कामराज योजना' के अन्तर्गत गद्दी व पद त्याग देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने का एकमात्र यही उपाय है।

शत ३५ वर्षों से सगातार भ्रष्टे और नगे रह कर जनता ने जिस धँप का परिचय दिया, वह धँप अब टूटता जा रहा है। यदि शासकों ने आज भी अपेक्षा की तो जन रोष की सुलगी हुई जिगारियाँ दावानल का रूप धारण कर लेंगी। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि हम चारित्रिक विशेषता व ईमानदारी के अजनम जुट जायें। समाज में ईमानदारी के व्याप्त होते ही भ्रष्टाचार स्वतः नष्ट हो जाएगा और तब हमारा देश दुगुनी उन्नति कर पायेगा।

अनेक राज्य अपनी अलग भ्रष्टाचार विरोध-व्यवस्था के पक्ष में हैं। मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल आदि में इसके उन्मूलन के लिए अनेक उपाय हुए और हो रहे हैं। फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ पाए। केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया था कि केन्द्रीय निगरानी आयोग के नमूने के संगठन, राज्यों में भी स्थापित किए जाएँ। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को यह भी सलाह दी थी कि वे निगरानी आयोग के सदस्यों के चुनाव में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि ये सदस्य प्रतिष्ठित, ईमानदार और अनुभवी होने चाहिए। इस आयोग को पूरी आजादी होनी चाहिए। आयोगों को अपने काम की रिपोर्टे विधानमण्डलों को देने की छूट हानी चाहिए। इस प्रकार यदि प्रत्येक नागरिक ईमानदारी को लक्ष्य कर अपने कमक्षेत्र में प्रविष्ट होगा, राजनीतिज्ञ और शासन में जुड़े व्यक्ति अपने राष्ट्रीय चरित्र एवं कर्तव्य भावना को बनाए रखेंगे तो भ्रष्टाचार के बीज भी भारत में नहीं रहेंगे।

इधर मंत्रियों, विधान-सभाओं के सदस्यों और राजनीतिक दलों के लिए आचार्य संहिता की बहुत चर्चा की जा रही है और इस सम्बन्ध में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इस सम्बन्ध में लोक-सभा विधान-सभा आदि के सदन भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। यद्यपि इन सभाओं के सदस्य विरोधी दलों को

पछाड़ने के लिए, उन पर तीव्र उछालने के लिए ही अधिकतर भ्रष्टाचार के मामले को सामने लाते हैं। किन्तु इस सार्वजनिक चर्चा से लाभ तभी हो सकता है, जब भ्रष्टाचारियों के मन में ये चर्चाएँ भय का संचार कर पाने में समर्थ हो और यह सामर्थ्य कठोर, निस्पृह दण्डात्मक प्रक्रिया से ही आ सकती है।

इस प्रकार हम भले ही अपने-आपको आश्वस्त करने के लिए यह कहें कि निकट भविष्य में इस समस्या का हल होगा, किन्तु यह भ्रम ही है। भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी है। इसके पीछे शताब्दियों का इतिहास है, मनमानी करने वाली नौकरशाही है, कभी भी पिठ न छोड़ने वाली गरीबी है, निरक्षरता के कारण उत्पन्न हुई अज्ञानता और असहाय स्थिति है, इस देश की मिट्टी का सहज भोलापन तथा सादगी है, चारों ओर व्याप्त चरित्रहीनता है, सामाजिक दायित्व तथा राष्ट्र हितों का बलिदान कर स्वायत्तरता की सकीण तथा नीच प्रवृत्ति है और अत्याचार तथा धोषणा को, अन्याय और मनमानी को सहन करने के लिए सदा तत्पर रहने वाली गुलामी की प्रवृत्ति है। जब तक हम इन दोषों से अपने आचार, विचार और व्यवहार को मुक्त नहीं करते तब तक भ्रष्टाचार जैसे रोग दुःसाध्य ही रहेंगे तब तक हम सच्ची आजादी के सुख से वंचित रहेगे। आजादी का सुख-लाभ मात्र भ्रष्ट लोगों को ही प्राप्त होता रहेगा। कितनी असमयता है यह समय कहे-समझे जाने वाले मानव की ?

४६ | अणुबम और भारत (भारत की आणविक नीति)

आज का युग अणु-परमाणु पर विजय से भी आगे बढ़ रहा है। नई-नई चुनौतियाँ दे और उनसे जूझ रहा है। अतः जो भारत सदैव से शांतिप्रिय रहा है, आज की राजनीतिक गतिविधियों ने उसकी नीतियाँ के सामने अ-न-क प्रकार के प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। स्वतंत्रता तो भारत ने सत्य और अहिंसा के माग से ही प्राप्त की थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् उसकी रक्षा के प्रसंग में हमारे सामने एक जटिल प्रश्न आ गया है। सन् १९६२ में चीन का आक्रमण हमारे लिए एक आकस्मिक और पूरी तरह चौंका देने वाली घटना थी। यों तो हमने सैन्य-शक्ति को बढ़ाने पर कभी बल नहीं दिया, फिर भी तब परिस्थितियों के सफाजे में हमें अपनी सैन्य-शक्ति को बढ़ाने की व्यवस्था करनी

ही पड़ी। आधुनिक शस्त्रास्त्रों के निर्माण और विदेशों से शस्त्रास्त्र खरीदने के लिए विवश होना पड़ा।

राष्ट्र की सुरक्षा का साधन उसकी अपनी शक्ति—अपना सैन्य-बल, अपने शस्त्रास्त्र होते हैं। यदि चीन का आक्रमण न होता और उसके बाद सन् १९६५ में एक के बाद एक दो बार पाकिस्तान के आक्रमण न होते तो शायद रक्षा-व्यवस्था पर हम जितना खर्च कर रहे हैं उतना खर्च नहीं करत। हम विवश होकर अपनी रक्षा के लिए भी अत्याधुनिक योजनाएँ बनानी पड़ीं।

चीन के आक्रमण को दो वष भी नहीं बीते थे कि उसने अक्तूबर १९६४ में अणुबम का विस्फोट किया। भारत के लिए इसका विशेष महत्त्व था। तब तक चीन हमारा देश था और उसकी सेनाएँ हमारी सीमाओं पर अब भी खड़ी हुई हैं। यदि चीन के पास अणुबम है तो वह आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग भी कर सकता है। इतना ही नहीं चीन अपने सिर फंसे और अडियल दोस्त पाकिस्तान को भी अणुबम दे सका है जबकि आज पाकिस्तान स्वयं भी अणुबम बना रहा है। इस प्रकार भारत अणुबम की विभीषिका का शिकार हो जाये, इसकी सम्भावना से इकार नहीं किया जा सकता।

चीन और पाकिस्तान के इरादे पहले से ही स्पष्ट हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री प० जवाहरलाल नेहरू एक बार जब पेरिंग गये थे और कम्युनिस्ट चीन के नेता माआल्म-तुंग से मिले थे, तो माओ ने यह कहा था कि ससार में चीन ही एकमात्र ऐसा दस है जो परमाणु युद्ध में २०-३० करोड़ व्यक्तियों को मरवा सकता है। ब्रिटिश लेखक और उद्योगपति बॉलकम मगेरिज ने लिखा है कि यदि यह प्रश्न पूछा जाये कि परमाणु युद्ध होने पर क्या चीन को अधिक क्षति पहुँचेगी, तो इसका उत्तर माओ की राय में हागा—'नहीं'। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन को अणुबम का कोई भय नहीं और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह अपनी न्यति बनाए रखने के लिए अणुबम आवश्यक मानते हैं।

अणु शक्ति आज की भीषणतम शक्ति है—ऐसी बात नहीं। परन्तु उसका महत्त्व आज के युग में निश्चय ही बहुत अधिक है। या तो ससार में अणुबम से भी अधिक घातक अस्त्र मौजूद हैं, परन्तु चीन और पाकिस्तान के द्वारा अणुबम का निर्माण कर लेने पर एक नयी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नित नए अस्त्रों का नव निमाण भी हो रहा है, विशेषकर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए। चीन का परमाणु बम बना लेने से शक्ति का सतुलन बिगड़ गया है और यदि पाकिस्तान भी बना लेता है तो भारत समेत सभी तटस्थ राष्ट्रों की स्थिति बड़ी अधिक विषम हो जाती है।

इसका कारण यह है कि परमाणु केवल युद्ध का घातक अस्त्र ही नहीं है बल्कि जना कि राजनीतिक घटनाचक्र से स्पष्ट विदित होता है, परमाणु अस्त्र का चीन युद्ध जीतने अर्थात् अपने प्रभाव-क्षेत्र को बढ़ाने का साधन भी बनाया गया है। उदाहरण के द्वारा इस बात को हम इस प्रकार स्पष्टतः समझ सकते हैं कि जब चीन ने परमाणु-बम का परीक्षण किया उस समय विश्व के राष्ट्रों में चीन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। सन् १९६४-६५ के काहिरा सम्मेलन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है और १९७१ में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा एवं समझौते से भी इसी ओर संकेत करत है।

चीन परमाणु बम का परीक्षण कर राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त महत्वपूर्ण बन गया है। पाकिस्तान भी ऐसा करने बनने का प्रयत्न कर रहा है। धीरे-धीरे वह अणु शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों की विरादरी में और भी सशक्त बन कर उभरेंगे—इसमें सन्देह नहीं। ऐसी स्थिति में कूटनीतिक दृष्टि से चीन तथा पाकिस्तान का अणुबम निर्माण भारत के हितों के लिए युद्ध से भी अधिक घातक सिद्ध होगा और ही भी रहा है।

ऊपर की परिस्थितियों के सदम में भारत सरकार की नीति कुछ विविध सी लगती है। पहले प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि भारत किसी भी प्रकार अणुबम नहीं बनाएगा। इस बात के मूच में सप्ताह के सामने हमारी शान्ति की नीति है। कुछ समय पश्चात् ससद में प्रधान मंत्री ने यह कहा कि भारत सरकार परमाणु बम बनाने के पक्ष में नहीं है, पर तु भविष्य में क्या होगा, यह नहीं कहा जा सकता। फिर कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन में यह कहा गया कि अणु शक्ति का प्रयोग हम शान्ति के लिए करेंगे और अणुबम बनाने के विषय में चुप्पी साध ली गई। हाँ, पोखरण में भूमिगत और शान्ति कार्यों के लिए एक परीक्षण कर भारत ने अपनी सक्रियता का परिष्प अवश्य दिया।

हमारी सरकार सुरक्षा की संघारियाँ कर रही है। यदि शस्त्रास्त्र और शक्ति का सचय व्यर्थ है तो सेनाओं पर इतना अधिक व्यय करने की आवश्यकता ही क्या है? केवल शान्ति की नीति की आट लेकर यह कहना कि हम शान्तिप्रिय हैं और अणुबम बनाना शोभा नहीं देता, कोरी नतिकता है और इस नतिकता से सीमाओं की रक्षा नहीं की जा सकती।

इसमें सन्देह नहीं कि शान्ति और निरस्त्रीकरण का माग अच्छा है, परतु तभी जब सब राष्ट्रों की सुरक्षा गारंटी हो और किसी राष्ट्र का यह भय न हो, कि कोई दूसरा राष्ट्र उस पर आक्रमण कर सकता है। जब हमारे

अणुबम और भारत

२५६

चारा और के राष्ट्र अणु शक्ति का सबय कर रहे हो, उस समय हमारा निरस्त्रीकरण हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है, रक्षा का कारण नहीं। फिर न तो आज कोई किमी सुरक्षा की गारण्टी ही दे सकता है और न उस पर विश्वास ही किया जा सकता है। राजनीतिक ध्रुव हमेशा बदलते रहते हैं।

यह तो रही सरकार की बात। भारत में ही भारत सरकार के इस निगम को कि हम परमाणु बम नहीं बनायेंगे, गम्भीर प्रतिक्रिया हुई है। इस बात की आवश्यकता सभी विरोधी दल समझते हैं कि हमें भी चीन के समान परमाणु बम का निर्माण करना चाहिये। यह विचार वास्तविकता पर आधारित है और हमारे राष्ट्रों के सामने अपनी शक्ति के बजाने पर बल देता है।

इस प्रकार भारत के सामने यह प्रश्न अपने जटिल रूप में आता है कि हम अणुबम का निर्माण करें या नहीं। पिछले दिना में विश्व की राजनीतिक परिस्थितियाँ तीव्र गति से परिवर्तित हुई हैं। पिछले दिना में चीन की ओर तटस्थ राष्ट्रों का झुकाव रहा है। फ्रांस का स्पष्ट झुकाव चीन की ओर है ही। पश्चिमी राष्ट्रों की गतिविधियाँ वहीं सीधता से बदल रही हैं। हम तटस्थ नीति पर दब रहे हुए क्या अपनी रक्षा कर सकेंगे? क्या हम एशिया और अफ्रीका में विरोधी एवं विस्तारवादी शक्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोक सकेंगे? प्रश्न गम्भीर रूप में हमारे सामने हैं। इनका उत्तर हमारी शक्ति और सुरक्षा समता ही दे सकती है।

यदि अणुबम न बनायें तो अमरीका या रुम हमारी सुरक्षा की गारण्टी दे सकते हैं? और मान लीजिए यदि हमने इन देशों से ऐसी गारण्टी प्राप्त भी कर ली, तो क्या हमारी तटस्थता की नीति प्रभावित नहीं होगी? यदि हम गुटों में शामिल नहीं होना चाहते तो हमें अपनी रक्षा का प्रयास स्वयं ही करना पडगा। महायुता या उधर के अस्त्रों से कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, पाकिस्तान की पराजय और विघटन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। यदि हम चाहते हैं कि विस्तारवादी उभादी का मुभावला कर सकें तो हमें उसी रूप में पाकिस्तान का सबय करना होगा, जिस प्रकार वे देश के लिए हमने दूसरे देश को अपने देश की भूमि पर हॉनिक बहदे बनाने के लिए निर्माण विना तो हमारी स्वतंत्रता और गरजता की नीति का त्याग होगा? इस प्रकार आज की परिस्थितियों में हम एक विषय

पर खड़े हुए हैं, जहाँ हमे अपनी नीतियों में निष्ठात्मक परिवर्तन करने होंगे।

जो लोग अणुबम बनाने के पक्ष में हैं, प्रायः दो बातें कहते हैं। एक तो भारत को यह प्रयत्न करना चाहिए कि विश्व के सारे राष्ट्र मिलकर निरस्त्रीकरण समझौता स्वीकार करें। दूसरी बात यह है कि हम रूस और अमेरिका आदि अणु शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों से इस बात की गारंटी लें कि यदि विस्तारवादी नियत वाले किसी राष्ट्र ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो वे हमारी सहायता करेंगे। पर अब इस प्रकार की गारंटी प्राप्त करने के लिए भी लड़ गए प्रतीत होते हैं।

पहली बात के समयन में प्रायः इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि केवल अणुबम निर्माण से ही देश की सुरक्षा नहीं होगी। यदि हमने समस्त आर्थिक योजनाओं को त्यागकर अणुबम निर्माण कर अपनी आर्थिक शक्ति लगा दी तो हमारा सबनाश हो जायेगा। आज के वैज्ञानिक युग में युद्धों को निमंत्रण देना विश्व को मिटाना होगा। फिर अणुबम का निर्माण करना, उनका निरन्तर परीक्षण करते रहना, संग्रह करना, अणु संधा का सदस्य बनना—विपुल धन के विनाश का कारण हो सकता है, रक्षा का नहीं। क्योंकि हमको अपनी ओर से किसी देश पर आक्रमण तो करना नहीं है। अतः हमें न तो अणुबम का स्वयं ही निर्माण करना है साथ ही हमें सारे विश्वमत को प्रभावित करना है कि अणु शस्त्रों का त्याग किया जाये। संयुक्त राष्ट्र का कतः व्यर्थ भी यही है कि वहाँ सारे सदस्य मिलकर अणुबम निर्माण पर प्रतिबन्ध लगा दें, जो अणुबम बनाये जा चुके हैं, उन्हें नष्ट कर दें, आदि-आदि।

इस सम्बन्ध में यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि बातों के बमगोर्न से शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, न अपनी रक्षा ही की जा सकती है। अणु शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र अपनी चिरकाल से अर्जित अणु शक्ति को नष्ट कर देंगे—यह भारत के स्वप्नवादी ही सोच सकते हैं, कोई यथायवादी व्यक्ति नहीं। फिर अणु शक्ति-सम्पन्न संगठन एक राष्ट्र की नैतिकता से प्रभावित हो जायेंगे, यह बात भी मानने योग्य नहीं है। प्रतिबन्ध लगाना अपने घर की बात नहीं है और समझौता पर हस्ताक्षर महत्त्वाकांक्षाओं से अधिक प्रबल नहीं होते। हमका स्पष्ट प्रमाण है—चीन द्वारा मास्को समझौते की उपेक्षा। हमारी समस्या तो चीन से, पाकिस्तान की तानाशाही और युद्धोन्मादी भावसिद्धता से अपनी रक्षा की है। जब चीन और पाकिस्तान या उसके हमदर्द देश ही उस समझौते का नहीं मानेंगे, तो फिर विश्व-समझौते का हमारे लिए क्या अर्थ होगा ?

दूसरी बात है अपनी सुरक्षा की गारंटी दूसरे देश से लेना । यहाँ फिर ध्यान में रखना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं और कोई राष्ट्र इस प्रकार की गारंटी दे भी दे तो उसका कोई अर्थ नहीं होता । इस बात की कोई गारंटी हो ही नहीं सकती कि रूस या अमरीका या कोई दूसरा देश आज बचन देकर दो वर्ष या दो माह बाद उसका पालन अवश्य करेगा । फिर क्या अमरीका और चीन या रूस या चीन कभी मित्र-राष्ट्र नहीं बन सकते ? राजनीतिक परिस्थितियाँ कितनी शीघ्रता से बदल जाती हैं, यह पिछले दिनों की घटनाएँ बता रही हैं । क्या तटस्थ राष्ट्र चीन की शक्ति के कारण अब उसकी ओर झुके हुए नहीं ? क्या काहिरा सम्मेलन का कोई परिणाम निकला ? क्या स्ट्रुवेव का पतन पहले से बताया जा सकता था ? एक राजनीतिक नेता के आश्वासनों को पूरा करना किसी दूसरे नेता के लिए अनि-वार्य है ? क्या जन्मजात रूप से शत्रु माने जाने वाले चीन और अमेरिका निकट नहीं आए ? वास्तविकता यह है कि दूसरों पर आश्रित रहना अपनी सुरक्षा को दूसरे के हाथों में सौंपकर अकमण्य बन जाना है ।

बाधाएँ तो भाग में आयेंगी ही, तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम जहाँ तक जितनी शीघ्र हो सके, अणु-शक्ति का विकास करें । शक्ति का विकास करके शान्ति की बात कहना अधिक प्रभावशाली होगा । भारत में अणु शक्ति दूसरों देशों से कहीं अधिक मात्रा में है और सरलतापूर्वक उसका उपयोग भी किया जा सकता है । हमारी सीमाओं की सुरक्षा इसी बात में है कि हमारे सैनिकों के पास आधुनिक अस्त्र हों । अपनी सुरक्षा का एकमात्र साधन यही है कि हम शक्ति-संचय द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करें ।

इधर कुछ दिनों से सरकार की नीति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है । कई प्रकार के नीतिगत राष्ट्रीय स्तर के परिवर्तन ने सरकार और जनता को एक दूसरे के निकट ला दिया है । आज सरकार ने जनता के बल और आवाज को पहचाना है । यह सरकारी नीतियों में एक महत्वपूर्ण माइल है । यदि यह सम्बन्ध बना रहा तो देश की प्रगति द्रुतवेग से होगी । जनसत्ता को बढ़ावा मिलेगा और वह दिन दूर नहीं वहाँ जा सकता कि जब जनता की मांग के आगे सरकार को झुकना पड़े और शुद्ध राष्ट्र-हिता को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऐसी निर्णय करने पड़े । राजनीति चक्र तेजी से चल रहा है और ऐसी स्थिति में नीतियों में कोई भी परिवर्तन असम्भव नहीं हुआ करता क्योंकि राष्ट्र-हित सदा-सर्वदा सर्वोपरि रखा करता है रहना भी चाहिए । पोजरिंग का भूमिगत अणु-विस्फोट और उपग्रहों की योजनाएँ नीति-परिवर्तन के स्पष्ट, उचित संकेत कहे जा सकते हैं ?

५० | कमरतोड़ महगाई: समस्या और समाधा

हाथ महगाई । आम आदमी इसकी मार से बराह रहा है । परिणामस्वरु आज घर पर, बाजार मे दपतरो में बसो मे हर जगह महगाई चर्चा का विषय बनी हुई है । कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि साधारण जनता उह सह नहीं कर सकती । उतकी कमर ही टूट गयी है । आज इस सम्बन्ध मे स लोग परेशान हैं । आज भारतीय जन जीवन में सबत्र एक बेचनी और चिन्ता के लक्षण दिघाई दे रहे हैं । साधारण जनता की आय मे या आय के साधन मे इतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी अधिक वृद्धि आवश्यक वस्तुओ के भाव मे गई है और रकने का वही नाम तब नहीं ले रही ।

विशेष चिन्ता का कारण यह है कि आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं बल्कि वे दुत्तम भी होती जा रही हैं । रुपए हाथ मे हैं । चीजें ही नहीं हैं । इसका कारण यह है कि आज व्यापारियो का वग तो आपस उपयोगी पदार्थों का संग्रह करता ही है, समर्थ उपभोक्ता भी संग्रह करने से नहीं चूकता बल्कि आज अनिश्चितता की भावना अत्यधिक गई है । सबसे एक अविश्वास पनप रहा है । हर आदमी इस बात से परेश दिघाई देता है कि जो खाद्य-पदार्थ आज उपलब्ध हैं, वह कब या पर मिल भी सकेगा या नहीं ? और अगर मिल भी गया तो क्या इही दाम पर मिलेगा ? अविश्वास और अस्थिरता की यह स्थिति और अधिक चिन्ता का कारण है । जो लोग अन का संग्रह करते हैं शायद वे नहीं जानते कि दूसरे के लिए देश के लिए और अपने लिए भी कितनी कितनी समस्याओं ताना-बाना बुन लेते हैं । यह प्रवृत्ति सर्वथा अहितकर और सवातक ही क जाएगी ।

हमें अच्छी तरह याद है जब पहली बार राजधानी में चीनी का स आया था तो एक नेता ने अपने मुहल्ले के लोगो को इकट्ठा करके मुहल्ले का के हित मे कहा था कि बल के संरुट का सामना करने के लिए यह अच्छ होगा कि मुहल्ले के हर आदमी के घर में चीनी काफी मात्रा मे मौजूद जा सिध अपने उपयोग के लिए हो, व्यापार के लिए नहीं । हम उन मही की नी ट मे अविश्वास नहीं करते, पर सोचने की बात है कि एब मुहल्ले

जमाखोरी का असर कितने मुहल्लो पर पडा होगा ? इससे यह होता कि पदाय वाजार मे कम से कम मिलने लगता है । अभावप्रस्त लोग चक्कर काटते ह । परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार पनपने की पूरी गु जाइश रहती है ।

आँकड़ों के अनुसार १९६२ और १९६३ के बीच थोक कीमतों मे सात प्रतिशत वृद्धि हुई । पिछले साल से अब तक कीमतों मे दस प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है । और आज तो यह वृद्धि शत-प्रतिशत से भी अधिक हो गई है । मच्चाई यह है कि कीमतों मे वृद्धि इन आकड़ो से भी अधिक हुई है और वाजार मे माल न मिलने के कारण चौर वाजार मे भी लोगों को चीजें खरीदने के लिए मजबूर होना पडता है । आज स्थिति यह है कि हमे हर चीन के लिए ज्यादा कीमत देने पडती है और उसके बदले मे सामान कम मिलता है ।

हमारा ख्याल है कि मीट्रिक-बाटो और दशमलव प्रणाली के कारण भी चीजो मे वृद्धि हुई थी । इस प्रणाली के चालू होते ही यह हुआ था कि जो चीज पहले दो आने की एक छटाक आती थी, वही चीज पन्द्रह पैसे की ५० ग्राम आने लगी । स्पष्ट है, एक ओर मूल्य मे वृद्धि हुई और दूसरी ओर चीज की मात्रा कम रह गई । आज तो स्थिति और भी आगे बढ़ गई है कि वही चीज २० या २५ पैसे की ५० ग्राम आती है । सरकार द्वारा वित्त-रिज किए जाने वाले दूध की बात यदि छोड दी जाए तो दिल्ली मे भैंस का दूध १९६२ मे ६० पैसे किला था जो १९६३ मे ७५-८० पैसे हो गया और १९६४ से लगातार १०-१० पैसे की धामद मामिक वृद्धि से अब उमका माव ४ रुपये प्रति किलो हो गया है । कीमतों मे इतनी अधिक वृद्धि असह्य है और इससे हमारी जनता बहुत परेशान है ।

पिछले कुछ वर्षों मे तो कीमतों मे बहुत ही अधिक वृद्धि हुई है । यह वृद्धि केवल एक वस्तु मे नहीं हुई है, बल्कि दैनिक उपयोग की हर चीज महंगी हो गयी है । हमे अच्छी तरह याद है कि किसी जमाने मे साइफ़ाया साबुन चार आने मे आता था, आज उसका मूल्य सवा डेढ़ रुपये मे भी अधिक है । इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज तो दामों के बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर संकट पैदा हो गया है । वैसे तो विकासशील अर्थ-व्यवस्था मे थोडे बहुत मूल्य बढ़त ही है और एक सीमा के अन्दर विकास की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक भी होना है, पर हाल मे इतनी अधिक कीमतें बड़ी हैं कि वह हमारी बिगडती हुई अर्थ-व्यवस्था का संकेत है । पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं मे हमने कृषि विकास कार्यक्रमों पर लगभग दो हजार करोड रुपये खर्च किये । लेकिन अनाज का उत्पादन घास नहीं बढ़ पाया,

जबकि अनाज के उत्पादन के अनुसार ही देश की समस्त मूल्य-व्यवस्था बदलती है।

तीसरी योजना में खेती की पैदावार ३० प्रतिशत और उद्योगों में ७० प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य था, यानि हर साल यह वृद्धि क्रमशः ६ प्रतिशत व १४ प्रतिशत होती चाहिए थी। योजना के पहले वर्ष १९६१-६२ में उपज केवल १२ प्रतिशत बढ़ी। १९६२-६३ में खेती की पैदावार पिछले वर्ष की अपेक्षा ३३ प्रतिशत गिर गयी। यह एक बुनियादी और अच्छी तरह जानी पहचानी बात है कि कीमतें तभी बढ़ती हैं जब चीजें बहुत थोड़ी मात्रा में हों और उनके खरीदने के लिये पैसा बहुत ज्यादा हो। पूर्वोक्त नियति और सिद्धांत के अनुसार चौथी और पांचवी योजना-काल में अनाज के भाव कानी बढ़ गये। एक वर्ष पूर्व की तुलना में गेहूँ के भाव ७८ प्रतिशत बढ़े, ज्वार और बाजरे के भाव ८६.५ प्रतिशत बढ़े और मक्का के ५४ प्रतिशत बढ़े, तथा दालों के भाव ३४.५ प्रतिशत और चने का भाव ४६ प्रतिशत बढ़ा। लेकिन अब तो शत-प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोत्तरी हो गई है।

एक ओर चीजों की मांग बढ़ रही है और दूसरी ओर पूर्ति के साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस तरह इन दोनों के बीच गहरी खाई है। यह खाई जन-संख्या में तीव्र वृद्धि से और भी चौड़ी होती जा रही है। हर साल एक करोड़ जन-संख्या बढ़ रही है। इससे इस समस्या की गम्भीरता स्पष्ट हो जाती है। हमें समस्या के समाधान के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उत्पादन बढ़ाएँ, पर वह इस अनुपात से बढ़ाएँ कि हर अगले वर्ष की नयी जन-संख्या की पूर्ति भी हो सके। जन-संख्या की अवधि वृद्धि पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। अथवा बड़ा उत्पादन भी कोई अर्थ नहीं रखता।

सन् १९६२ के चीन आक्रमण, उसके बाद सन् १९६५ के भारत-पाक युद्ध, तत्परचात् १९७१ के भारत-पाक-युद्ध और बंगला-देश की समस्या के कारण महंगाई बाढ़ के पानी तरह निरंतर बढ़ती ही गई और बढ़ती ही जा रही है। इसके उतार के आसार कहीं भी दिखाई नहीं देते। वितरण की गलत नीतियाँ भी इसका एक प्रमुख कारण मानी जाती हैं।

देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांटने और अनाज लाने, ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर भी देख लिया है। इसका भी कोई उचित परिणाम नहीं निकला। उलटे प्रतिबंध लगाने के कारण अभाव की स्थिति में और भी गम्भीरता आ गयी। क्षेत्रीय व्यवस्था के कारण मांग व पूर्ति में असंतुलन आ गया। यदि प्रतिबंध न होते तो अनाज अधिकता वाले इलाकों से कमी वाले इलाकों में

स्वाभाविक रूप से पहुँच जाता। यह भी सच है कि भाव उन इलाकों में अधिक बढ़े हैं जिनमें अनाज का अभाव है। उदारहण के लिये पंजाब में जिस गेहूँ का भाव ४० ४५ रुपये प्रति मन कभी था वही बम्बई और जयपुर में ८०-९० रुपये प्रति मन विकता रहा। अब तो य भाव उससे भी कई गुना बढ़ गए =। इससे यह महसूस किया जा रहा है कि हमारी वितरण व्यवस्था दायरपूर =। इनमें सतुलन और पूणतया सुधार की आवश्यकता है।

पिछले वर्षों में चीन और पाकिस्तानी आक्रमणों एवं युद्धों के कारण प्रति-रक्षा-व्यय बढ़ गया है और इसमें कटौती करने के लिये वाई गी समझदार आदमी नहीं कह सकता। प्रश्न है, क्या विकास कार्यों में कमी की जा सकती है? इस सम्बन्ध में योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री अशाव मेहता का कहना है कि यदि हम यातायात, विजली, रासायनिक पदार्थों, खनिज धातुओं और मशीनों में कमी करना चाहेंगे तो विकास की सम्भावनाओं का ही समाप्त कर देंगे और इससे कीमतों की विकट समस्या का समाधान भी नहीं हो सकेगा। तो फिर समाधान क्या है?

महगाई की समस्या के समाधान के लिये आज हमें बहुत से काम करने हैं। हम अपने खर्च में भी कुछ कटौती करनी हैं, खाद्यान्न और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाना है, हमें किसान को महत्व देना है, जनता और सरकार के सहयोग से उत्पादन फार्मों को आगे बढ़ाना है। इस सम्बन्ध में सरकार बहुत से उपयोगी कदम उठा रही है जो परस्पर सम्बद्ध हैं अन्न का और अधिक उत्पादन, जमा अन्न का पता लगाना, उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा वितरण, धोक और फुटकर कीमतों का नियमन, राज्य खाद्यान्न निगम की स्थापना और उत्पादकों के लिये उचित मूल्यों की घोषणा आदि, इस सब पर कड़े नियंत्रण की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अतः मैं, हम एक विचारक की बात को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। सरकार को सभी बातों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करना है। उपभोक्तियों और व्यापारियों के दोषकारीताओं और विस्तृत हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्य-नीति निर्धारित करते समय बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम लिया जाए। यह भी ध्यान में रखा जाये कि सब प्रकार की गिरावटों में वृद्धि हो सके। यह आर्थिक आधार के बिना हम कुछ समय के लिये नहीं योजना तैयार कर सकते हैं पर उससे व्यापार में लाभ नहीं होगा। हमें जनता के दोषकारीताओं को ध्यान में रखना होगा, सभी गरीबों हटेंगे। नहीं तो सगता है कि यदि नहीं

जबकि अनाज के उत्पादन के अनुसार ही देश की समस्त मूल्य-व्यवस्था बदलती है।

तीसरी योजना में खेती की पैदावार ३० प्रतिशत और उद्योगों में ७० प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य था, यानि हर साल यह वृद्धि क्रमशः ६ प्रतिशत व १४ प्रतिशत होनी चाहिए थी। योजना के पहले वर्ष १९६१-६२ में उपज केवल १२ प्रतिशत बढ़ी। १९६२-६३ में खेती की पैदावार पिछले वर्ष की अपेक्षा ३३ प्रतिशत गिर गयी। यह एक बुनियादी और अच्छी तरह जानी पहचानी बात है कि कीमतें तभी बढ़ती हैं जब चीजें बहुत थोड़ी मात्रा में हों और उनके खरीदने के लिये पैसा बहुत ज्यादा हो। पूर्वोक्त स्थिति और सिद्धांत के अनुसार चौथी और पांचवी योजना-काल में अनाज के भाव काफी बढ़ गये। एक वर्ष पूर्व की तुलना में गेहूँ के भाव ७८ प्रतिशत बढ़े, ज्वार और बाजरे के भाव ८६५ प्रतिशत बढ़े और मक्का के ५४ प्रतिशत बढ़े, तथा दालों के भाव ३४५ प्रतिशत और चने का भाव ४६ प्रतिशत बढ़ा। लेकिन अब तो शत प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोत्तरी हो गई है।

एक ओर चीजों की मांग बढ़ रही है और दूसरी ओर पूर्ति के साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस तरह इन दोनों के बीच गहरी खाई है। यह खाई जन-संख्या में तीव्र वृद्धि से और भी चौड़ी होती जा रही है। हर साल एक करोड़ जन-संख्या बढ़ रही है। इससे इस समस्या की गम्भीरता स्पष्ट हो जाती है। हम समस्या के समाधान के लिए इस बात की आवश्यकता है कि उत्पादन बढ़ाएँ, पर वह इस अनुपात से बढ़ाएँ कि हर अगले वर्ष की नयी जन-संख्या की पूर्ति भी हो सके। जन-संख्या की अर्वाच्य वृद्धि पर नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है। अथवा बड़ा उत्पादन भी कोई अर्थ नहीं रखता।

सन् १९६२ के चीन आक्रमण, उसके बाद सन् १९६५ के भारत-पाक युद्ध, तत्पश्चात् १९७१ के भारत-पाक-युद्ध और बंगला-देश की समस्या के कारण महगाई बाढ़ के पानी तरह निरन्तर बढ़ती ही गई और बढ़ती ही जा रही है। इसके उतार के आसार कहीं भी दिखाई नहीं देते। वितरण की गलत नीतियाँ भी इसका एक प्रमुख कारण मानी जाती हैं।

देश को विभिन्न क्षेत्रों में घाटने और अनाज लाने, ले जाने पर प्रतिबंध लगाकर भी देख लिया है। इसका भी कोई उचित परिणाम नहीं निकला। उल्टे प्रतिबंध लगाने के कारण अभाव की स्थिति में और भी गम्भीरता आ गयी। क्षेत्रीय व्यवस्था के कारण मांग व पूर्ति में असंतुलन आ गया। यदि प्रतिबंध न होते तो अनाज अधिकता वाले इलाकों से कभी वाले इलाकों में

स्वाभाविक रूप से पहुँच जाता। यह भी सच है कि भाव उन इलाकों में अधिक बढ़े हैं जिनमें अनाज का अभाव है। उदाहरण के लिये पंजाब में जिस रैटों का भाव ४०-४५ रुपये प्रति मन कभी था वही बम्बई और जयपुर में ८०-९० रुपये प्रति मन बिकता रहा। अब तो ये भाव उससे भी कई गुना बढ़ गए हैं। इससे यह महसूस किया जा रहा है कि हमारी वितरण व्यवस्था आपस में। इसमें सतुलन और पूणतया सुधार की आवश्यकता है।

पिछले वर्षों में चीन और पाकिस्तानी आक्रमणों एवं युद्धों के कारण प्रति रक्षा-व्यय बढ़ गया है और इसमें कटौती करने के लिये कोई भी समझदार आदमी नहीं कह सकता। प्रश्न है, क्या विकास कार्यों में कमी की जा सकती है? इस सम्बन्ध में योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री अशाक मेहता का कहना है कि यदि हम यातायात, बिजली, रासायनिक पदार्थों, खनिज धातुओं और मशीनों में कमी करना चाहेंगे तो विकास की सम्भावनाओं को ही समाप्त कर देंगे और इससे कीमतों की विकट समस्या का समाधान भी न हो सकेगा। तो फिर समाधान क्या है?

महगाई की समस्या के समाधान के लिये आज हमें बहुत से काम करने हैं। हमें अपने खर्च में भी कुछ कटौती करनी है, खाद्यान्न और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाना है, हमें किसान को महत्त्व देना है, जनता और सरकार के सहयोग से उत्पादन-फार्मों को आगे बढ़ाना है। इस सम्बन्ध में सरकार बहुत से उपयोगी कदम उठा रही है जो परस्पर सम्बद्ध हैं। अन्न का और अधिक उत्पादन, जमा अन्न का पता लगाना, उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा वितरण, धोक और फुटकर कीमतों का नियमन, राज्य खाद्यान्न निगम की स्थापना और उत्पादकों के लिये उचित मूल्यों की घोषणा आदि, इस सब पर बड़े नियंत्रण की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अतः हमें एक विचारक की बात को यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। सरकार को सभी बातों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इस समस्या पर विचार करना है। उपभोक्ताओं, किसानों और व्यापारियों के दीर्घकालीन और विस्तृत हितों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि मूल्य-नीति निर्धारित करते समय बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम लिया जाए। यह भी ध्यान में रखा जाये कि सब प्रकार की जिंसा में वृद्धि हो सके। मुँड आर्थिक आधार के बिना हम कुछ समय के लिये नहीं याचना ता चला सकते हैं पर उससे व्यापार में लाभ न होगा। हमें जनता के दीर्घकालीन हितों का ध्यान में रखना होगा, तभी गरीबी हटेगी। नहीं तो लगता है कि यदि नहीं

गति रही तो गरीब ही हट जाएँगे। अनुशासन और ईमानदारी से किए गए प्रयत्न ही महगाई की मार से जन-जीवन की छुटकारा दिला सकते हैं।

५१ | गरीबी हटाओ : भारतीय अर्थतन्त्र

सुव्यवस्थित, सुनियोजित अर्थतंत्र ही जनतंत्र का मूल आधार हुआ करता है। इस तथ्य के अलोक में कहा जा सकता है कि अर्थ-तंत्र का जो ढाँचा इस देश में अब तक प्रचलित है, इसे देखते हुए आज भी निश्चय भाव से यह कहा जा सकता है कि अभी तक इस देश की समूची पूँजी पर कुछ उगलियों पर गिने जा सकने वाले लोगो का ही अधिकार है। मार्क्सवादी ऐतिहासिक दृष्टि विश्लेषण के अनुसार साम्राज्यी और सामंती परम्पराओं का जैसे-जैसे अन्त होता गया, वैसे-वैसे उस परम्परा के पोषको द्वारा ही एक नई एकाधिकार की परम्परा को जन्म दिया गया। उस परम्परा का नाम है पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था और सभी जानते हैं कि यह व्यवस्था केवल इस देश में ही नहीं, बल्कि विश्व के अधिकांश देश में औद्योगीकरण की प्रवृत्तियों के माध्यम से आइ और परिव्याप्त हुई है। इस पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था ने अर्थपतियों और सामंती को तो अपनी जागीरो से प्राप्त धन को उद्योगो में लगा कर पहले के समान ही अपना शिकजा सामान्य वर्गों पर कसे रखने का रास्ता खोल ही दिया कुछ ऐसे नये वर्ग भी उत्पन्न कर दिए कि जो उपलब्ध पूँजी का बड़ा भाग खुद डकराने लगे। इस वर्ग और इस व्यवस्था को सामान्यतया दलाली या एगेंसी की व्यवस्था कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि यह व्यवस्था भी मूलतः पूँजीवादियों और उनके रिश्ते-नातों के हाथ में ही है। इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था और पूँजी के विनियोजन का जो चक्र चला उसका मुख्य लाभ घुमा फिरा कर चंद लोगो को ही पहुँचने लगा। आज भी जन-तंत्री या पूँजीवादी व्यवस्था वाले देशो में यही रीति और परम्परा निरन्तर है। इसी को अनेक प्रकार के आर्थिक वैपम्यों और समस्याओं का एक प्रमुख कारण कहा जा सकता है।

ऐतिहासिक विश्लेषण-दृष्टि से साम्राज्यी और सामंतवादी परम्पराओं के बाद ही औद्योगीकरण के माध्यम से पूँजीवादी परम्परा एक अर्थ व्यवस्था का उदय हुआ है, अतः यहाँ इन दोनों के सामान्य अन्तर और मूल उद्देश्यों को

भी समझ लेना चाहिए। व्यावहारिक एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोणों में आधुनिक पूँजीवाद सामंतवाद का ही मुखौटा बदल कर आने वाला रूप है। सामंतवादी परम्परा या अर्थ व्यवस्था में और पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में सामान्य परम्परा में मौलिक अंतर केवल इतना ही है कि पहली व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व रोटी-कपड़ा और केवल जीवित रहने के लिए विक्रय जाया करता था। सामान्य शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति के शरीर और मान सम्मान पर भी सामंतों एवं सामंतशाही के पुँजों को अधिकार रहा करता था। इसके विपरीत पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में व्यक्ति का शरीर तो नहीं विक्रय, अपने मान सम्मान की रक्षा का अधिकार भी व्यक्ति का प्राप्त है अब विक्रय है उसका श्रम। वह बठोर श्रम करके उदले में निर्धारित पैसे प्राप्त करता है। वह श्रम करे या न करे, इसको भी उस स्वतंत्रता है। सामंतों युग के समान आज वह बेगार करने या बलात काम करने के लिए बाधित नहीं है। फिर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्थिक दबाव और व्यवस्थाओं के चक्र के दबाव के कारण वह अपना श्रम बेचने के लिए लगभग वाध्य है। आर्थिक दबाव इस सीमा तक चल रहा है कि पहले वह स्पष्टतः सामंती के अधीन था और आज वह परोक्षतः पूँजीपतियों के आश्रित है। व्यवस्था के स्वरूप और बाह्य परिप्रेक्ष्य में अंतर आया है, भीतरी परिस्थिति एवं दबाव जया का त्याग बना है। पूँजी, जो कुछ ही हाथों तक ही सीमित है और वृद्धि अधिकालाभ कमजोर परतुला है और अनवरत बढ़ रहा है। नगभग यही दशा उन सभी देशों की है कि जहाँ समाजवादी या साम्यवादी प्रशासनिक व्यवस्थाएँ नहीं हैं।

भारत में जनतंत्र है और जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम धंधे को स्वतंत्रता रहती है जबकि अर्थ लोगों का शोषण करने की स्वतंत्रता बुनियादी तौर पर नहीं रहती और नहीं रहनी चाहिए। परंतु यह एक अत्यधिक दुःखद स्थिति है कि यहाँ के पूँजीवादी मनोवृत्तियों वाले उद्योगपतियों ने इस स्वतंत्रता का निरंतर दुरुपयोग किया है और आज भी कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ तो सामान्य जन, मजदूर और खेतिहर कृषक के साथ-साथ बावू वगैरे भी अधिकाधिक गरीब होकर लाचारियों की सीमा तक पहुँच चुका है, जबकि दूसरी ओर उद्योगपति और पूँजीपति लोग अधिकाधिक अमीर होते चले गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्पन्न नव धनाढ्य वगैरे इस विपन्नता के लिए अधिक जिम्मेदार कहा जा सकता है। वह अधिक स्वार्थी, कर-बचक और अनैतिक हैं। उक्त अधिकारी वगैरे का भी सहयोग प्राप्त है। तभी तो सरकार ने यदि कराधान द्वारा कुछ

संतुलन लाने के प्रयत्न भी किए तो भ्रष्टाचारी अधिकारी वग के कारनामों के परिणामस्वरूप घन काले घातो और काले बाजार में जाने लगा। अवैध धंधे अधिक होने लगे। महंगाई का बाजार गम होने लगा। बाह्य रूप से समझ दिखाई देने वाला भारत बहुसंख्या में और आंतरिक दृष्टियों से कितना निधन, बर्तित दिवालिया हो चुका है, आज इसका अनुमान लगा पाना सामान्यतः अत्यधिक कठिन नहीं है। आम जन की दशा से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

भारत क्या, समूचे विश्व में इस व्यवस्था में एक नये पूजीवादी वग को जन्म दिया है। उसे मध्य पूजीवादी वग कहा जा सकता है। यह वह वग है कि जिसे सरकारी कुर्सियों पर बैठकर बड़े-बड़े पूजीपतिया और उद्योगपतिया से लाइसेंस, कराधान आदि के माध्यम से पाला पड़ता रहता है। दूसरी ओर सामान्य जना से भी इनका सीधा सम्पर्क रहता है। सरकारी कुर्सियों पर बैठा यह वग—सामान्य क्लक से लेकर मंत्री तक पूजीपतिया को चोर दरवाजा से अधिकाधिक सुविधाएँ दिलाने के नाम पर उनसे रिश्वत के रूप में घन बटोरता है। यह उह सामान्य लोगों से भी रिश्वत लिए बिना उसके सामान्य काय तक करने की प्रेरणा नहीं देती। परिणामस्वरूप वहाँ भी रिश्वत का बाजार गम है। सीधे जन-सम्पर्क में आने वाले दपतरी के चपरासी भी इसी कारण सामान्य जनो से अधिक सुखी तथा समृद्ध हैं। वहाँ के बाबू लोगों और अफसरों के तो ठाठ ही निराले है। बिना रिश्वत लिए किसी का काम करने की उनके पास फूसत ही नहीं है। इस प्रकार इनके रूप में एक नया पूजीपति वग भारत में पैदा हो गया है। तभी तो जन-सम्पर्क में आने वाला कोई सामान्य अधिकारी भी कभी कानूनी शिकजो में आ जाता है तो उसके पास लाखों की नकद सम्पत्ति तो मिलती ही है, अचल सम्पत्ति और विलामिता के साधनों की कमी भी नहीं रहती। जिस व्यवस्था में पुलिस के एक सब इंसपेक्टर या असिस्टेंट सब इंसपेक्टर के घर से चार वोगिया काजू और सकड़ा की तादाद में देशो विदेशो कपड़े तथा अन्य वस्तुएँ बरामद हो सकती हैं उसके कई मकान, लाखों रुपये उसके घर से बरामद किए जा सकते हैं वहा यदि सामान्य जना में गरीबी का विस्तार हो होगा तो और क्या हागा? इस प्रकार स्पष्ट है कि आज सारी व्यवस्था ही कुछ इस प्रकार में व्यवस्थित एवं रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि में व्यस्त है कि जो मुख्यतः गरीबी के लिए दोषी है। इसके साथ साथ कमाने की धुन में कृत्रिम अभावो की स्थितियाँ उत्पन्न करके व्यापारी वग जनता का खून निचोड़ता रहता है। सरकार सब कुछ देखते-सुनते हुए भी जनता-व्यवस्था के नाम पर या तो

भूक दशक मात्र बन कर खटी रह जाती है, या फिर कुछ हाय-पाव हिलाती भी है तो कानूनी खामियों के कारण कुछ नहीं कर पाती। भ्रष्टाचारी और लूटेरे वगैरे कानूनी खामियों भ्रष्ट राजनीतिक दबावों और पैसे के बल पर भ्रष्टाचार का बाजार गम करके साफ बच जाते हैं। फिर गरीबी क्यों न बढ़े, गरीबी की सुनने वाला भी तो कोई नहीं।

गरीबी बढ़ने के कुछ और कारण भी हैं। विश्व-पूँजी-बाजार में निरंतर खीचा-तानी और तनाव, युद्ध और अशांति के सौदागरो द्वारा कहीं-न-कहीं युद्ध की सी स्थिति बनाए रखना, आधुनिक-समृद्धि में दूसरों से आगे बढ़ जाने की दौड़ में पूँजी का अपव्यय, प्राकृतिक जीवन से दूरी और विलासिता अपने आप को दूसरों से उन्नत, सम्य, सुसंस्कृत, श्रेष्ठ बताने और प्रमाणित करने की ईर्ष्या, दूसरों के अधिकार हड़पने की भावना, वैचारिक या सैद्धांतिक क्रांतियाँ घोषित करने के प्रयत्न आदि बातों में मानवता की भावना एक खिलवाड़ बनकर रह गई है। जिसका परिणाम यह हुआ कि जो देश कभी सभी प्रकार से और सावजनिक रूप से समृद्ध माने जाते थे, आज वहाँ की जनता भी गरीबी, लाचारी और भुखमरी का शिकार हो रही है। चारों ओर आतंक एवं अविश्वास का जोर है। समृद्धि के लिए व्यय किए जाने वाला धन दूसरों को नीचा दिखाने के कार्यों में खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार आज केवल भारत ही नहीं, समूचे विश्व में गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने और 'गरीबी हटाओ' का नारा प्रभावशाली ढंग से लगाने और क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। नारे लगाए जा रहे हैं, प्रस्ताव पास किए जाते हैं, पर परिणाम ?—वही ढाक के तीन पात।

भारत तो सदियों से सामान्यतः एक गरीब देश माना जाता है। गुप्त-काल की सोने की चिड़िया पता नहीं उड़कर कहीं चली गई है और अतीत की दूध की नदियाँ भी आज मरुस्थल में परिवर्तित हो चुकी हैं। पराधीनता और प्राकृतिक प्रकोपों ने तो देश को गरीब बनाया ही, अनतिक्रमिता ने भी इस दिशा में कम योगदान नहीं किया। व्यवस्था और अर्थ-चक्र की जिन बातों की ऊपर चर्चा की गई है, वे भी यहाँ की गरीबी के कारण हैं। इनके अतिरिक्त भी अनेक कारण हैं कि जिनके परिणामस्वरूप भारत की प्रगति का रथ-चक्र निरंतर गरीबी की ओर ही अग्रसर हो रहा है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व तक हमारा अपना कुछ बच नहीं था। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद यह आशा बढ़ने लगी थी कि अब प्रत्येक घर-द्वार तक वासन्ती सुपमा और मलयज न चलाए हो सकेगा। स्वतंत्रता का सूर्य प्रत्येक घर आगम में सुख-समृद्धि का प्रकाश फैला आएगा। पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो सका। यह बात नहीं कि

यहाँ के राजनेताओं का ध्यान इस ओर नहीं गया हो, अवश्य गया है। यहाँ जिस योजना-आयोग की स्थापना की गई थी और जिसका अस्तित्व आज भी विद्यमान है उसका मूल उद्देश्य ऐसा आयोजन करना ही था कि गरीबी दूर हो सके, सभी के लिए आकाश भुक्त हो सके, सभी के महा स्वतन्त्रता की मुख-समद्विया का आलोक पहुँच सके। इस उद्देश्य के लिए अभी तक पांच योजनाएँ पूरा की जा चुकी हैं। छठी योजना पर कार्य हो रहा है। बड़े-बड़े बाध और प्रोजेक्ट बने हैं। रेल-कारखाना की स्थापना हुई है। औद्योगिकरण और उसका व्यापक विस्तार हुआ है। चारों ओर व्यापक प्रयत्न हुए हैं। परंतु परिणाम क्या निकला है? बाँधों और डैमों में दरार—आर वही भ्रष्टाचार। योजनाओं के नाम पर खर्च किया गया अधिकांश धन उर्ध्व परम्परागत पूँजीपतियों की जेबों में भर गया है। गरीबी कहीं अधिक बढ़ गई है। कहा जाता है कि पगतिशील अथ तत्र तथा अथ श्रितियों वाले देश के निर्माण काल में महंगाई बढ़ती ही है लेकिन वास्तव में यदि ऐसा होता, तब तो कोई बात नहीं थी। यहाँ महंगाई नहीं गरीबी बढ़ी है। महंगाई न गरीबी को और भी उजागर कर दिया है। इसका मुख्य कारण यही है कि योजनाओं एवं आयोजनों का लाभ सिद्धांततः और मूलतः जिन्हें पहुँचना चाहिए था, उन्हें वह एक प्रतिशत का हजारवाँ भाग भी नहीं पहुँच सका। सभी कुछ व्यवस्था चक्र पर बड़े लोग ही हड़प गये हैं। वह और अमीर हो गए हैं और गरीब निरंतर कुचला जा रहा है।

यह तो हुई सरकारी प्रयत्नों के परिणामों की बात। हमारे देश की छिछली राजनीति और उसके कणघार राजनेता भी इसके लिए कम दोषी नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि आज राजनीति भी धन बंटोरेण का एक माधन मात्र बनकर रह गई है। इसी कारण तो आज देश के किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य जन सामान्य की समस्याओं से लड़कर गरीबी, महंगाई और भ्रष्टाचार को हराना नहीं है, बल्कि कुर्सी की सत्ता प्राप्त करना है। सभी राजनेता यही सोचते हैं कि कुर्सी हाथ में आ जायगी तो सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। यह सत्य समझने को कोई भी तैयार नहीं कि जब तक वे लोग जनता की गरीबी जमी समस्याओं से जूझने का सत्रिय प्रयत्न करके उसे अपने साथ नहीं लेंगे, तब तक वे कुर्सी तक कभी नहीं पहुँच पाएँगे। परिणाम-स्वरूप आज देश के नेताओं की राजनीति में गत्यावराध ही नहीं, बल्कि जड़ता भी आ गई है और जनता गरीबी में पिन कर मनीषा जन ज्ञाना चार्टनी है। आज के विविध राजनीतिक दलों के राजनेता यदि कहीं कुछ करन म जाते भी हैं, किसी को सरक्षण देने का प्रयत्न भी करन ह तो केवल

गरीबी हटाओ - भारतीय संघर्ष

२७१

ध्रुवचारियो, काले बाजारियो और जनता को लूटने वालो को ही । परिणामस्वरूप, गरीबी हटाने के स्थान पर और भी बढ़ती जा रही है । हाँ, सुटेरे और भूखे नेताओ ने घर अवश्य भर रहे हैं ।

अविभाजित ब्रिटेन और उसको सरकार ने गरीबी हटाने की कई योजनाएँ बनाई, बिना अपने निहित स्वार्थों, वधानिक धामियाँ के कारण वह कुछ न कर सकी । जो कुछ करना चाहते थे, उन्हें परम्परावादी नेता आग-हीन बढ़ने देना चाहते थे । परिणामस्वरूप आत्मा की आवाज और राष्ट्रपति के चुनाव के नाम पर उमका विघटन हो गया, निभाजन हो गया । मिण्डिकेट और इण्डिवेट में से इण्डिवेट को विजय प्राप्त हुई । परंतु विधान सभा में उसे इतना भी बहुमत प्राप्त नहीं था कि वह अपनी गरीबी हटाने की योजना व अनुरूप कोई विधान पास कर सकती । उसने बैंका व राष्ट्रीयकरण गरीबी हटाने के उद्देश्य से करन का प्रयत्न किया, अपने अल्पमत थार कानूनी धामियाँ के कारण उसे राज्य सभा और उच्चतम न्यायालय में पराजित पड़ा । इसी प्रकार राजाओ को प्रिवी-कंस देने न देने के मामले में भी सरकार को पराजित होना पड़ा । परिणामस्वरूप प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति से विधान सभा भंग करने की सिफारिश करके नये चुनाव कराने का घोषणा कर दी । यों तो 'गरीबी' हटाने का नारा पहले से ही लगाया जा रहा था, पर इन चुनावों के चक्र में ही, वास्तव में यह नारा सामान्य जना के सामने इस रूप में उभर कर आया—“वे कहते हैं इंदिरा सरकार को हटाओ, इंदिरा कहती है गरीबी हटाओ ।” इस नारे में इतना आकषण था कि इंदिरा एव उनके दल की भारी बहुमत से विजय हुई । इस विजय ने 'गरीबी हटाओ' के नारे को और भी अधिक उजागर कर लोकप्रिय बना दिया । इतना ही नहीं, क्योंकि अभी तक जनता के सामने इस नारे की क्रियात्मकता का कोई प्रत्यक्ष फल नहीं आ सका, अतः आज कुछ प्रतिक्रियावादी विरोधी दल इस नारे की आड़ में इंदिरा-सरकार को बदनाम करने की चेष्टा भी कर रहे हैं । खर, यह कोई बड़ी बात नहीं । क्योंकि राजनीति में विशेषतः निम्निय एव कोई ठोस कार्यक्रम को न रखने वाले राजनीतिक दलों के द्वारा जनता में मति भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया ही जाता है परंतु सवाल यह है कि 'गरीबी हटाओ' के नारे को उपरोक्त स्थितियों वाले अथ चक्र और च्यवस्या-दोष में चरिताथ कैसे किया जा सकता है ? क्या वह आकषक नारी की आड़ में सत्ता की कुत्तियों से चिपके रहने से ही चरिताथ हो सकता है ? नहीं, कर्नापि नहीं वास्तव में हमारी सरकार या अथ कोई भी राजनीति दल इस नारे को चरिताथ करने के प्रश्न का उत्तर जिस दिन खोज लेगा, उती दिन

अर्थतंत्र में व्यवस्था आ सकेगी और फिर गरीबी भी दूर हो जाएगी। अतः आज मुख्य समस्या हम नारे को सक्रिय रूप से परिष्कार करने के ईमानदार प्रयत्न की ही है। 'बोस गूची' कार्यक्रम की योजना भी इन्हीं मुद्दों के लिए बनाई गई। परन्तु परिणाम?—एक छोटा प्रश्नवाचक बिंदु ?

हमारे विचार में आज जो विषय स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसका कारण जनतंत्री व्यवस्था की बुनियादी धारियाँ ही हैं। क्योंकि जनतंत्री व्यवस्था का ध्याय्यता हमेशा मनमान ढंग से कर ली जाती है। उसकी बुनियादी भावना को समझने का प्रयत्न कभी भी नहीं किया जाता। इसके भी बड़ा और मुख्य तथ्य यह है कि अनेक यत्नावासी यह व्यवस्था बुनियादी तौर पर गलत है। इस व्यवस्था से किसी भी युग में न तो सामान्य जन का कभी भला हुआ है, न गरीबी हटी है और न ही इसके रहते यह सब सम्भव ही हो सकता है। अतः मूल आवश्यकता समूचे व्यवस्था तंत्र को परिवर्तित करना ही है। उस पर बड़ा कठोर अनुशासन एवं नियंत्रण लगाने की है। यह कठोर अनुशासन ही मत्ता और अथ न भूमे भ्रष्टाचारियों के दिमाग को सीधा कर सकता है और तभी गरीबी हटकर जाता को कुछ राहत भी मिल सकती है। अतः आज का नारा वास्तव में व्यवस्था-परिवर्तन का नारा ही होना चाहिए। हमारी वर्तमान सरकार इस दिशा में कुछ प्रयत्न तो कर रही है पर टटपूँजिये और कार्यक्रम हीन राजनीतिक दल उस पूरा नहीं होने देना चाहते। देखना यह है कि सरकार अपनी नीतियों को दडना से सागू करने वहाँ तक अपने कार्यक्रमों को कार्यावत कर सकती है। यदि सरकार ने अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को दडना के साथ परिष्कार कर लिया तो निश्चय ही भारत के गरीबों का तो भला होगा ही, समस्त ससार के सर्वाहारा धन को भी एक नया वाद और रास्ता मिल जायेगा। समय ही बताएगा कि वह वाद और रास्ता कब मिल पाता है ?

५२ | राष्ट्रीय एकता दिवस

एकता राष्ट्रीयता की प्रमुख शर्त है और उसके उदात्त लक्ष्यों को आधार भी सफलता की बुजी भी। भारतवर्ष एक गणराज्य है। इसमें अनेक राज्य सम्मिलित हैं। जिस प्रान्त संयुक्त राज्य अमेरिका एक सभ्य है, उसी प्रकार भारत भी। भारत के इन राज्या की भाषा धर्म, जाति आदि की दृष्टियों से अपनी विशेषताएँ हैं। यहाँ हिन्दू मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी बौद्ध, जैन आदि विविध मतावलम्बी मिलकर समानान्तर और साथ-साथ रहते हैं।

भाषा की दृष्टि से जितनी विभिन्नता भारत में है, प्रायः और देशों में नहीं मिलती। सतरह भाषाएँ तो हमारे सविद्यान द्वारा स्वीकृत हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी ग्रामीण बोलियाँ भी हैं, जिनकी सख्या चार सौ के लगभग तो होगी ही। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में सिंधु से लेकर दक्षिण में गंगा की खाड़ी तक विस्तृत इस देश की विभिन्नताएँ भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टिया से भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। फिर भी सारे देश की एक ऐसी व्यापक संस्कृति है जो युगो-युगों से सारे भारत को एक सूत्र में बाँधे हुए है। यही राष्ट्रीय एकता है। अनेक विभिन्नताओं वाले भारत राष्ट्र में एकता की—भावात्मक एकता की कितनी आवश्यकता है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।

दार्शनिक और सांस्कृतिक स्तर पर समन्वय साधना में निरत भारत की विभिन्नता में एकता एक प्रमुख विशेषता रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात राजस्थान और मद्रास, मसूर, केरल तथा आंध्र आदि विभिन्न प्रान्त मिलकर एक राष्ट्र बने। यह एकता तो युगों की थी परन्तु राजनीति और शासन की दृष्टि से काफी समय के पश्चात् भारत एक राष्ट्र बना। विभिन्न प्रान्तों में भावात्मक एकता की आवश्यकता इसलिए थी कि विभिन्न प्रान्तों के लोग भाषा और प्राचीनता के संकुचित दायरों में न फँसकर एक राष्ट्र के प्रति भावात्मक एकत्व का अनुभव कर सकें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पन्द्रह वर्ष ही व्यतीत हुए थे कि २० अक्टूबर १९६२ को हमारे साथ ही स्वतंत्र होने वाले पड़ोसी चीन ने हमारी

सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। यह एक बड़ा घोषा था जो पचशील के सित्रो मे से एक ने दूसरे को दिया था। 'हिन्दी चीनी भाई भाई' का नारा व्यथ प्रमाणित हुआ। उस समय जिस भावात्मक एकता की बात हम करते चले आ रहे थे वह स्वयमेव जागृत हो गई। २० अक्तूबर १९६२ का दिन हमारे इतिहास की क्रान्तिकारी घटना है। तब से यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सम्पन्न होता है। इस दिन हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तन-मन धन से भारत की एकता के प्रति, भारतीय राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होंगे, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिये सदैव अपना सवस्व समर्पित करने को प्रस्तुत रहेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे राष्ट्र की एकता में किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न हो। हम राष्ट्र के प्रति सच्चे और ईमानदार रहेंगे। हम किसी प्रकार से, किसी सन्तुष्टि भावना में फनकर अपने राष्ट्र का अहित नहीं करेंगे। हम सभी प्रातवादी या भाषावादी या धर्म या राजनीतिक दलों के दावों के आधार पर राष्ट्र के विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा नहीं देंगे—किसी दूसरे व्यक्ति को वैसा करने भी नहीं देंगे और सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे।

धर्मवाद और जातिवाद के बंधनों को छोड़कर उनमें भावात्मक एकता की भावना उत्पन्न करना हम सब का पवित्र कर्तव्य है। हिन्दू, मुसलमान—ईसाई और पारसी आदि विभिन्न धर्म हमारे देश में हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये कि पाकिस्तान-समर्थक मुसलमानों, राष्ट्र के विघटन उत्पन्न करने वाली ईसाई मिशनरियों या फिर क्रांति का आयात करने के इच्छुक साम्यवादियों और अलगाववादी उग्रपथी नागाओं, अकालियों आदि को स्वतंत्रतापूर्वक जो कुछ भी करने दिया जाये। हमारा कर्तव्य यह है कि हम मुसलमान हैं हिन्दू या ईसाई हैं इन विभेदों को भूलकर राष्ट्र के हित के लिए काय करें। इस प्रकार के तत्वों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये जो धर्म के नाम पर देश में परस्पर भेद भाव उत्पन्न करें। आज जब हमारी सीमाओं पर और भीतर भी अनेक प्रकार के अराजक तत्वों का छतरा निरन्तर बना हुआ है देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे उनकी चालों से बचे रहकर देश के प्रति निष्ठावान रहे। किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि जिससे धार्मिक वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न हो अराजक और अतिवादी तत्वों को बढ़ावा मिले।

विभिन्न राजनीतिक दलों को राजनीतिक स्वार्थ छोड़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि समझना चाहिये। इस सम्बन्ध में वामपक्षी कम्युनिस्टों का उल्लेख

राष्ट्रीय एकता दिवस

२७५

करना अप्रासंगिक न होगा। यदि कोई राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चीन या पाकिस्तान की राजनीतिक गतिविधियों का समर्थन करता है, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान और ईमानदार न रहकर दूसरे राष्ट्रों की हानि-नाश की चिन्ता करता है, तो वह राष्ट्रीय एकता के लिए अहितकर है। राजनीतिक दला को भारत की अखण्डता की रक्षा के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना का जनता में विकास करना चाहिए कि वह भी अपने स्वार्थों के लिए न लड़कर राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखे।

भाषा, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में भावात्मक एकता स्थापित करना हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। राष्ट्रीय एकता दिवस हमें यह प्रतिष्ठा कराता है कि हम भाषा, धर्म, सम्प्रदाय या जाति और राजनीतिक दलों के नाम पर कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं होने देंगे, जो हमारे देश की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दे। ईसाई धर्म स हमारा कोई विरोध नहीं, परंतु उसकी आड़ में कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो देशवासियों को भारत के बजाय किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति वफादार बनाये। इस प्रकार जातिवाद का नाम पर देश की एकता को चुनौती देना ठीक नहीं है। इन सब में एक समरसता रहे, यही बात राष्ट्र के हित में है।

राष्ट्रीय एकता का एक पक्ष है—हमारी आंतरिक एकता का समवर्धमानक रूप। सारा भारत मिलकर एक है, उसकी एक अखण्ड प्रभुसत्ता है और कोई व्यक्ति अपनी स्वायत्त भावना के वशीभूत होकर देश की अखण्डता को चुनौती नहीं दे सकता। इस दृष्टि से राष्ट्र का अहित करने वाले किसी भी तत्त्व को कोई छूट नहीं दी जा सकती। ऐसे तत्त्वों को सख्ती से मुचल देने में ही श्रेय और प्रयत्न है।

राष्ट्रीय एकता के माग में आने वाले खतरो से भी हम सावधान रहना है। ये खतरे हैं तोड़-फोड़ करने वाले। आज्जबल के तत्त्व हैं—नक्सलवादी कम्युनिस्ट, पाकिस्तान-समर्थक मुसलमान, राजनीतिक दलवादी प्रांतीयता और सशक्ति धार्मिक या प्रांतीय हितों को प्रयत्न देने वाले उग्रतावादी शैक्षणिक दल। हम भारत में रहकर बाह्य तत्त्वों का समर्थन करें यह कितना स्वीकार्य होगा। हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिए यह परम आवश्यक है कि इस देश में रहने वाले ऐसे देशद्रोही तत्त्वों पर कड़ा प्रतिबंध रहे। लोग का विचार है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी का विभेद केवल दूसरा को धोखे में डालने लिए है। वास्तव में हम दोनों प्रकार के अराजक तत्त्वों से सावधान राष्ट्रीय एकता दिवस हम चीन के उस आक्रमण का स्मरण दिनांता है।

हमारे ही देश के कुछ कम्युनिस्ट देशद्रोहियों का कम हाथ नहीं था। चीन के हाथ एजेंट के रूप में ये कम्युनिस्ट चीन की नीतियों का प्रचार करते और चीन को सहायता पहुँचाते रहे हैं और आज भी पहुँचा रहे हैं। ऐसे तत्त्व निश्चय ही घातक हैं।

पाकिस्तान-समयक तत्त्वों को भी बढ़ाया नहीं मिलना चाहिये, अपितु उन्हें बड़ी कठोरता से दबाया जाना चाहिये। कभी-कभी हमारे देश में हिंदू-मुसलमान सघप की जो आग भड़क उठती है या कहीं-कहीं पाकिस्तान के एजेंट मुसलमानों के पास ट्रासमीटर पकड़े गए हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता दिवस हमें केवल चीन के प्रति ही नहीं, पाकिस्तान के प्रति भी सावधान रहने का स्मरण दिलाता है। इधर वर्षों से पाकिस्तान की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कायवाहियों और अनेक बार के आक्रमण इस बात के ज्वलंत नदाहरण हैं। अन्य द्रोही तत्त्वों से सावधान रहना भी आवश्यक है।

राजनीतिक दलबन्दी का खतरा दो रूपों में है। एक, देश की अखण्डता को चुनौती देने वाले कुछ विशेष राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा, जैसे द्रविड मुनेत्र कयगम और खालिस्तान का नारा लगाने वाले उग्र तत्त्वों की विघटनकारी क्रियाएँ। वे देश से अपनी पूयक् सत्ता की बात कहते हैं और कई बार पूयक् हो जाने की घमकियाँ भी देते रहते हैं। यह बात भावात्मक एकता की दृष्टियों से अत्यधिक घातक है।

देश के कणधारों ने यद्यपि पूयक् रूप से नागालैंड तथा कुछ अन्य मेघालय जैसे पहाड़ी राज्यों की स्थापना कर दी है और आज नागाओं का भी अपना राज्य है, अपनी विधान-सभा है किन्तु कुछ द्रोही नागाओं ने अभी भी अपनी तोड़ फोड़ की कार्यवाहियाँ बंद नहीं की हैं। विगत दिनों नागालैंड के प्रधान मंत्री और समय-समय पर सैनिकों पर हीते रहने वाले घातक आक्रमण इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। सीमाओं से चीन और पाकिस्तान भी निरन्तर उन्हें भड़का रहे हैं, ये लोग भी भ्रम में पड़ कर राष्ट्र विरोधी काय कर रहे हैं जो किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं कहे जा सकते। नागाओं या इस प्रकार के अन्य विघटनकारी तत्त्वों की ये गतिविधियाँ राष्ट्र एकता में बाधक हो रही हैं। सरकार को स्थिति को काबू करने के लिए हमेशा विशेष सावधान रहना चाहिए।

दूसरी ओर शासक वर्ग में ही राजनीतिक सघप का जो रूप कभी-कभी दिखाई देता है, क्या यह राष्ट्रीय एकता के लिए घातक नहीं है? जब हमारे

राष्ट्रीय एकता दिवस

देश की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की सेनाएँ खड़ी हो किसी प्रदेश में शासक-दल का पारस्परिक सघष क्या राष्ट्रीय एकता के हित में कम घातक प्रमाणित हो सकता है ? इस प्रकार की प्रकृतियाँ निश्चय ही विघटनकारी तत्वों में गिनी जानी चाहियें ।

प्रान्तीयता की भावना आज के लिए एक बड़ा खतरा है । उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मद्रास और बंगाल अलग-अलग प्रांत अवश्य हैं, परन्तु वे मिलकर भारत राष्ट्र का अंग हैं—यही भावना सर्वोपरि होनी चाहिए । दूसरी ओर काश्मीर प्रांत अब भी अनिश्चय की स्थिति में पड़ा है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्थिति दूसरे प्रांत के समान हो, ताकि वहाँ के लोगों में एक आवश्यक है कि स्थिति दूसरे प्रांत के समान हो, ताकि वहाँ के लोगों में एक राष्ट्रीय भावना का विकास हो । जम्मू-काश्मीर के—जम्मू-श्रीनगर आकाशवाणी केन्द्र अपने को स्पष्टतः 'यह आकाशवाणी' का श्रीनगर केन्द्र है, कहे यह भी प्रेषित है । पंजाब में भी विघटनकारी तत्व विशेष सक्रिय हो उठे हैं । इस कार पंजाब, नागालैण्ड हो या मद्रास या उत्तर प्रदेश—किसी को किसी भी प में अखण्डता को क्षति पहुँचाने वाले काय करने नहीं दिया जा सकते ।

राष्ट्रीय एकता दिवस हमें अपने कर्तव्य का उद्बोधन कराता है । इन्हें हम जो प्रतिज्ञाएँ दोहराते हैं, वे हमारे क्रियाकलापों द्वारा अनुदिन होनी चाहिए । केवल वाणी में ही नहीं, भारत का प्रत्येक व्यक्ति मन और कर्म से राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहे, यह नितांत आवश्यक है । इसके साथ ही अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से ईमानदार तभी माने जा सकते हैं, जब हम जीवन के प्रत्येक क्षण में ईमानदार हो । आज कौन व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे जीवन में नीच से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार समा गया है । छोटा और गरीब आदमी भी उसमें फँसा है और बड़े से बड़ा करोड़पति, पूँजीपति और मंत्री भी—यदि राष्ट्रीय चरित्र की यही दशा रही तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर की गई प्रतिज्ञाओं का क्या होगा ? यदि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में भी हमने घोटाला किया, यदि सैनिकों को दिए जाने वाले भोजन और दूसरे सामान में ईमानदारी न बरती, यदि पुलिस कर्मचारी विद्रोह करने लगे और सैनिक कर्मचारियों का चरित्र भी इतना गिर गया कि हथियारों से कैसे लड़ेंगे ? पँसा जेबों में जाने लगा, तो सेना के सिपाही शत्रु के सिपाहियों से कैसे लड़ेंगे ?

राष्ट्रीय एकता दिवस को प्रतिज्ञायें दोहराते हुए हम अपने चरित्र, नैतिक स्तर और मनोबल पर भी दृष्टिपात करना चाहिए । प्रतिज्ञायें कर लेने के बाद भी हम घसखोरी और चोर बाजारी में लिप्त रहे तो उन प्रतिज्ञाओं का मूल्य कागजों पर ही रह जायेगा । आज के युग में, राष्ट्रीय एकता के लिए

चरित्रबल के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता है। हर कर्म और हर वचन को प्रेरित करने वाले मन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इसी में देश का भगल है। अन्यथा जो विषम स्थिति आज बनी हुई है, वह प्यारी स्वतंत्रता को ही ले डूबेगी।

५३ | राष्ट्र निर्माण और दल-बदल की राजनीति

एक ही सभ्यता-संस्कृति को मानने वाले जन राष्ट्र बूढ़े जाते हैं। अतः राष्ट्र समूह का भावात्मक परिचायक है। अनादि काल से इस तथ्य को एक चरम सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारे नीति शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश मिलता है कि—“गाँव के लिए व्यक्ति को अपने स्वाध का परित्याग कर देना चाहिए। सम्पूर्ण जिले या प्रदेशों के हित-साधन के लिए गाँव के स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। फिर जब राष्ट्र के हित का प्रश्न धार्ये तो अपने बश, व्यक्ति, गाँव, जिले या प्रांत आदि के समस्त स्वार्थों या हितों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र-हित साधन सर्वोपरि हुआ करता है।” शताब्दियों तक इन नीति-सूत्रों या वाक्यों का इस देश में पालन किया जाता रहा। राष्ट्र-रक्षा के लिए इस देश के व्यक्तियों ने बड़े-से-बड़े स्वाध और हित का त्याग अथवा बलिदान किया। हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम भी इसी आदर्श के आधार पर लड़ा गया और उसमें हमें सभी प्रकार की सफलता भी प्राप्त हुई। सन १९४७ के १५ अगस्त के दिन तक, जिस दिन देश खण्डित रूप में स्वतंत्र हुआ, यह भावना अनवरत बनी रही। बल्कि या कहना चाहिए, कि देश विभाजन-काल के समस्त कष्टों एवं उत्पीड़ना को भी देशवासियों ने इसी अप्रतिहित राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्राणित होकर ही सहन किया। लेकिन यह एक दुःखद आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही देशवासी प्रमत्त इस आदर्श को भूलने लगे। आज स्थिति यह बन चुकी है कि भारत के पंजाबी, हरियाणवी, दिल्ली वाले, बंगाली, बिहारी मद्रासी तथा इससे भी अधिक संकुचित सीमाओं में घिरे लोग तो निवास करते हैं, किन्तु विशुद्ध भारतवासी या भारतीय कोई नहीं।

आज हमारी राष्ट्रीयता इस प्रकार विभाजित एवं खण्डित होकर बर्बाद रह गई है, हम संकुचित व्यक्ति या वर्गीय हितों के दायरों में घिर कर क्यों

राष्ट्र निर्माण और दल-बदल की राजनीति

रह गये हैं ? इन प्रश्नों पर जब हम गहराई में जाकर विचार कर इन सबका समूचा दाय यहाँ की राजनीतिक चेतना पर ही जा व राजनेता ही हैं कि जिन्होंने सकुचित, उधार ली गई और अ राजनीतियों के चक्कर में ढालकर देश की समूची राष्ट्रीय चेतनाओं विघटित करके रख दिया है। विगत ३०-३५ वर्षों में एक समग्र रा चेतना के जागरण एवं निर्माण की ओर इस देश के किसी भी राजने दल के नेता ने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर उसके विनिर्माण एवं नव-जा आज जितना घटियापन इस देश में आ गया है, सत्तार के किसी पिछड़े देश में भी कहीं दिखाई नहीं देता। आज राष्ट्र के व्यापक परिवेश आया घापी तो मच ही रही है अनास्था और अविश्वासों का वह गहरा घु भी उठ रहा है कि राष्ट्रीयता तो क्या, उसमें हमारी सहज मानवीय वृत्ति का भी दम घुटा जा रहा है। इस घटन से छुटकारा पाने के आसार हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सगता है कि राजनेता दूर झलमलाती आशा को विचारियों को भी भ्रमसात कर देना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में प्रत्येक सामान्य राष्ट्र प्रेमी-जन का त्रिचित हो उठना स्वाभाविक ही कहा जायेगा।

यह कितनी दुःखद स्थिति है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के चौतीस-पैंतीस वर्षों बाद भी हमारी कोई एक राष्ट्र-भाषा नहीं बन सकी, एक राष्ट्रीय-चेतना नहीं बन सकी। सक्न मिलगाव की स्थितियाँ दिखाई देती हैं। यों यहाँ का प्रत्येक राजनीतिव दल अपने-आपको राष्ट्रीय दल कहने का गव अनुभव करता है किन्तु स्पष्टत हम देख रहे हैं कि वे तुच्छ 'वातों को लेकर विघटनात्मक एवं विध्वंसक आन्दोलन खड़े करने जन शक्ति, धन और समय का अपव्यय ही ही, बल्कि निरंतर दुरुपयोग करते रहते हैं। वे सरकारी या किसी अन्य 'बड़ी बात का भी विरोध करते हैं। हैरानी तो तब होती है जब विरोध रहे भी वे कोई सबमाय राष्ट्रीय विवल्प नहीं दे पाते। इससे प्रमाणित हो ता है कि उनका विरोध मात्र विरोध के लिए ही होता है ताकि जनता का न उनकी तरफ आकर्षित हो सके। अफसोस तो इस बात का होता है कि नशा-हीन राजनीतिक दल, आज भी जनता को निद्रित एवं मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाने के प्रयत्न करते हैं, जबकि राजनीतिक सजगता की दृष्टि से आज का सामान्य जन नेताओं से बहों अधिक शिथिल एवं सजग है। उसकी सजगता और शिशा तब व्यय- होकर वे रह जाती है जब उसकी भावनाओं एक जागरूकताओं को नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई दल या राजनेता नहीं मिलता। मिले भी वहाँ से ? क्योंकि इस देश के सभी राजनीतिक दलों के

राजनेता तो केवल विरोध की नीति को लेकर चल और दौड़ रहे हैं। उनका पहला और अन्तिम लक्ष्य है—कुर्सी के रूप में सत्ता प्राप्त करना। इससे आगे पीछे या इधर-उधर वे लोग देख ही नहीं पाते। अपने व्यक्तित्व और व्यक्ति हित से आगे या बाहर उनके लिए और कुछ, कोई और है ही नहीं। फिर जागरूक और शिक्षित जनता को नेतृत्व प्राप्त भी हो तो वहाँ से? परिणामस्वरूप जनता भटक रही है, पय भ्रष्ट हो रही है, किसी कबीर, नानक और गाँधी की राह देख रही है और कहीं कोई भी ऐसा नजर नहीं आता। फिर राष्ट्र का निमाण हो भी तो कैसे ?

हमारे देश में तथ्याव्ययित राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की एक बाढ़-सी आई हुई है। सभी जानते हैं कि बाढ़ का और बरसाती मेढका का कोई नियम, सिद्धान्त और मायताएँ आदि नहीं हुआ करती। तट-बन्ध से रहित बाढ़ बहती है और रास्ते में आने वाली प्रत्येक उपयोगी-अनुपयोगी वस्तु को बहा कर लिए जाती है। इस बहाव में उसे इस बात की चिन्ता भी नहीं रहती कि कौन कहाँ नष्ट हो गया या हो रहा है, कौन कहाँ पिछड़ गया है और कौन साम बहा चला आ रहा है। जो कुछ भी आ जाए, हो जाए, उसको बला से। उसे तो कूल-किनारों और तट-बन्धों की परवाह किए बिना बहना है—बस ! यही स्थिति आज यहाँ के अधिकांश राजनीतिक दलों की है। जन और जनता के राष्ट्र निर्माण का कोई भी मौलिक या बुनियादी कार्यक्रम और सिद्धान्त उनके सामने नहीं है। उन्हें तो मात्र अवसर से लाभ उठाना है। उसे अपनी स्थिति को जमाए रखने और सत्ता की कुर्सी तक पहुँचने के लिए प्रत्येक अच्छी-बुरी बात के विरोध में भी राजनीति पर चलना है और तब तक चलते रहना है कि जब तक देश और राष्ट्र का सत्यानाश नहीं हो जाता और वह प्रतिदिन, प्रति पग, अनवरत हो रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टियों से भारत की आधुनिक राजनीतिक गतिविधियों का विरलेषण करने पर हमें पता चलता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पहले तक इस देश में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक दल था। वह दल था—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ समाजवादी और साम्यवादी दलों का अस्तित्व भी था, अग्रगामी दल (फारवर्ड ब्लॉक) का अस्तित्व भी था, पर ये सभी दल राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन की दृष्टियों से अपने मूल कांग्रेस से जोड़े गए थे। तब साम्यवादियों की चेतना को रूस से उधार ली गई चेतना माना जाता था, किन्तु अब किसी दल की चेतना ओड़ी हुई या उधार ली गई नहीं थी। सभी एक निश्चित राष्ट्रीय चेतना विद्यमान थी। वे सभी एक ही महान संघ को लेकर सपन कर रहे थे और वह संघ था देश की स्वतन्त्रता, एक

राष्ट्र निर्माण और दल-बदल की राजनीति

२८१

राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण और विकास, सभी की समान सुख-समृद्धि की परिकल्पना, सिद्धांत या आदर्श। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में इन सभी दलों ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय महत्त्व की भूमिकाएँ निभाई—इसमें कोई सदेह नहीं। यहाँ हम क्रान्तिकारियों का स्मरण भी कर सकते हैं। उनका भी देश की स्वतंत्रता का सघष में असदिग्ध योगदान है। सभी के समग्र एवं सम्मिलित प्रयत्नों से ही यह देश खण्डित रूप से ही सही, स्वतंत्र तो हुआ। वास्तव में, उस युग में समस्त राजनीतिक दलों का एक निश्चित राष्ट्रीय चरित्र था। उनमें राष्ट्रीय नैतिकता की गहरी पैठ और छाप थी। उसके बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ होना तो यह चाहिए या कि इस सघष से हमारा राष्ट्रीय चरित्र और भी प्रखर होकर निखरता, किन्तु उसका विघटन होने लगा। प्रत्येक राजनीतिक दल ही नहीं, उसका छोटा-बड़ा प्रत्येक नेता और सामान्य कार्यकर्ता भी राजसत्ता की प्रतीक कुर्सी का भूखा हो उठा। उसके पीछे अनवरत भागने लगा। इस आपा-धापी की भाग-दौड़ में जनता और उसके हित तो कहीं पीछे पिछड़ ही गए, राष्ट्रीय चरित्र एवं नैतिकता भी अतीत की कहानी बन कर रहे गए। इस स्वार्थ-सोलुप भाग-दौड़ के परिणामस्वरूप ही यहाँ, इस देश में राजनीतिक दल-बदल का रोग आरम्भ हुआ और चाहकर भी विधायक, सांसद, सत्तारूढ़ और विरोधी दल इसे रोक पाने में समय नहीं हो पा रहे, बल्कि प्रयत्न नहीं कर रहे।

राजनीतिक दल-बदल के मुख्य दो रूप हमारे देश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हैं। एक रूप तो कुछ समझ भी आता है और यदि ईमानदारी से उस रूप को सवारा तथा सहेजा जाय, तो वह राष्ट्र-निर्माण एवं राष्ट्र हित साधन के लिए उपयोगी भी हो सकता था और आज भी हो सकता है। किन्तु दुःखद स्थिति यह है कि वैचारिक या सैद्धांतिक दृष्टियों से दल-बदल करने वाले, या अपने पूर्ववर्ती दल से निकल कर किसी नये दल को अस्तित्व में लाने वाले राजनेता भी अततोगत्वा कुर्सी की सत्ता के चक्कर में पड़े ही सिद्ध हुए। इस प्रकार के दल-बदल का ही यह कारण है कि आज यहाँ राजनीतिक दलों की एक बाढ़-सी आई है। दल के अंदर दल बन-बिगड़ रहे हैं। एक-एक दल के तीन-तीन और चार-चार दल विनिर्मित हो गये हैं। या कहना चाहिए कि किसी भी कारण से असन्तुष्ट प्रत्येक छोटे-बड़े नेता न अपने कुछ हमदर्दों को, यारों को इकट्ठा करके अपना एक दल खड़ा कर लिया है। उनकी इस दल-दल में घँस कर राष्ट्रीयता, नैतिकता राष्ट्रीय चरित्र और जनता घुट रही है किन्तु उन्हें कोई जितना नहीं। क्योंकि इन मानसिक के कुत्तों की भी यदि नेत्र की नहीं तो प्रात की कुर्सी तो था।

ही। प्रात की भी नहीं मिलती तो किसी नगर-पालिका की और नगर निगम की ही सही—बस, कुर्सी अवश्य चाहिए। इन्हीं लोगों के कारण आज सामान्य जन किसी भी दल को राष्ट्रीय दल स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। क्याकि जब इन तथाकथित जन-नेताओं को छोटी-बड़ी कोई भी कुर्सी प्राप्त नहीं होती, तब ये लोग तोड़-फोड़ और विरोध का माग मात्र विरोध के लिए अपना वर जनता को नाको चने चवाने लगते हैं। अब राष्ट्र का निर्माण हो तो कैसे? राष्ट्रीय-चरित्र बने तो क्यों कर?

राजनीतिक दल-बदल का दूसरा रूप इससे भी कहीं अधिक धनीना और कुरूप है। यह व्यक्ति स्तर पर घटित होता रहता है। कोई तथाकथित नेता अपने राजनीतिक दल के माध्यम से अपना कोई स्वायत्त सिद्ध करना चाहता है, या फिर मंत्री पद या कोई अन्य कुर्सी प्राप्त करना चाहता है, परन्तु दबयोग से वह सब नहीं हो पाता, तो अपने ही दल वालों को नीचा दिखाने के लिए दल की नैतिकता और चरित्र की बात तो जाने दीजिए, वह राष्ट्रीय चारित्रिक नैतिकताओं को भी ताक में रखकर किसी अन्य दल में मिलकर कुर्सी पर बैठ कर अपनी मूर्छें ऐंठने लगता है। पाँचवें चुनाव से पहले इस घटिया स्तर के दल-बदल की एक बाढ़ सी इस देश की राजनीति में आ गई थी। उनके राजनेताओं का तो नाम ही व्यंग्यात्मक शब्दावली में 'आया राम, गया राम' बड़ गया था। अनेक भ्रष्ट बुद्धि एवं अनतिक नेतागिरी के पुछला ने तो कमाल की भी टाँग तोड़कर रख दी थी। एक एक घंटे में उन्होंने तीन-तीन और चार-चार बार दल-बदल किया। अनेक मंत्री मण्डला को बनाया बिगाड़ा और भारतीय राजनीतिक चेतनाओं के दिवालियापन का अनेक बार प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। आज भी इस प्रकार का व्यवहार घटित होना रहता है।

इतने तक ही बात समाप्त नहीं हो जाती, भारतीय राजनीति में नैतिकता और राष्ट्रीयता का गला घोटने वाला एक अन्य तमाशा भी अनवरत चलता रहता है। राजनेताओं की चोर और साहूकार दोनों से समान रूप से मिली भगत बनो रहती है। परिणामस्वरूप चारा और भ्रष्ट तत्वा का बोलबाला हा रहा है। भ्रष्टाचारियों एवं भ्रष्ट तत्वा का आज यदि इस देश में कोई सब से बड़ा खजाना है तो वह यहाँ का राजनेता ही है। उसने भ्रष्टाचार समाप्त करने का दम भरने वाले अनेक साहसियों को भी भ्रष्ट कर रख दिया है। यदि उन्होंने भ्रष्ट होना स्वीकार नहीं किया, तो उनकी सामाजिक या राजकीय स्थितिमा और कई बार तो उनकी जिन्दगिया तक को विनष्ट करके रख दिया। परिणामस्वरूप अंग जो कुछ करना भी चाहते थे, वे लोग बुढ़कर और घुटकर रह गए। तभी तो आज चारों ओर यह कहा जाने लगा है कि आज राजनेता

राष्ट्र निर्माण और दल-बदल की राजनीति

२२३

बाने के लिए आम शब्दा में 'गुण्डा'। (सभ्य शब्दा में दादा) होगा आवश्यक है और राजनीति एक गुण्डागर्दी का ही खेल या तमाशा है। इस देश की राजनीति में तो यह चारों ओर देखा जा सकता है कि कल जो घोषित अपराधी थे जिसे सरकार ने अनेक प्रकार के भ्रष्टाचरणा के कारण नौकरी से अलग कर दिया था, वही चुनाव के टिकट पाकर चुनाव जीतकर आज प्रत्याय राज-नेता बने हुए हैं, फिर 'जब सँया भए कोतवाल अब डर काहे का' की कहावत के अनुसार भ्रष्टतत्वों को प्रश्रय क्या न मिले ? राष्ट्र का निर्माण कैसे हो ? दल-बदल की राजनीति ने भ्रष्टाचरण को चारा आर बढ़ावा देकर आज राष्ट्र-निर्माण के प्रश्न को बहुत पीछे धकेल कर रख दिया है। निश्चय ही यह न्यति अत्यधिक चिन्तनीय है। इसके निराकरण के बिना जनोद्धार या देशोद्धार सम्वही नहीं।

उपरोक्त विश्लेषणों के सद्व म हम वह सकते हैं कि राष्ट्रीयता और नैतिक चारित्रिकता का जनाजा निवालने में मूल दोष उत्त व्यवस्था का जिसमें हमारा देश कई सदिया में चलता-पलता आ रहा ह और जिसे बदल की ओर आज तक इस देश के परम यशस्वी नेता आ का भी ध्यान नहीं गया व्यवस्था-चक्र को परिवर्तित करने के अब प्रयत्न तो किए जाने लगे हैं पर उधर प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ भी फिर से सक्रिय हो उठी हैं। वे स्वयं ता दिशाहीन है ही मात्र विरोध के लिए विरोध की नीति अपना कर वे छोटी छोटी और व्यक्तितगत बाता को उछाल कर राष्ट्र हित के साथ जोड़ देना चाहती है। स्पष्ट इस प्रकार के आचरणा से देश के धन, समय और शक्ति का अपव्यय हो रहा है। आज समस्त राजनीतिक दला और राजनेताओं को एक-दम ठड मन-मस्तिष्क में यह बात सोचने तथा समझने की आवश्यकता है कि उनके राजनीतिक आचरण क्या वास्तव में राष्ट्र के विघटन की दिशा में गतिशील नहीं है ? क्या उनके और उनके दलों के मूल आदर्श एवं सिद्धांत राष्ट्रीय चरित्र का दीवाला निवालना ही है। निश्चित रूप से किसी भी दल का आदर्श आर सिद्धांत यह नहीं कहता। निश्चय ही राष्ट्र का निर्माण और विकास ही उनके दला एवं जीवन का चरम पावन लक्ष्य है। पर अपने पावन लक्ष्याओं में तभी प्राप्त कर सकेंगे कि जब वे सत्ता की कुर्सी को पाने की चेष्टा छोड़कर जनता के दुख-दद को समझ कर उसे दूर करने का ईमानदारी से सक्रिय प्रयत्न करें। पवित्र साध्य तक पहुँचने के लिए पवित्र साधनों और त्रिया प्रतित्रियाओं को अपनाएँ। अत में हम फिर कहना चाहते हैं कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। उसकी यह सर्वोपरता और महत्व तभी बने रह सकते हैं जबकि हम और हमारे राजनता सभी प्रकार के स्वार्थों की संकुचित परिधिओं को तोड़कर खुले मानवीय

आकाश ने नीचे आकर मुक्त साँस लेने लगे। यदि शीघ्र ही ऐसा करने का अनवरत प्रयत्न न किया गया तो हमारी राष्ट्रीयता तो एक धिलवाड़ बनकर रह ही जायेगी, हमारी अनेक बलिदानों से प्राप्त स्वतंत्रता भी ध्वस्त होकर रह जायेगी। दल कोई भी हा, पर आदश मुक्त भाव से और सब भाव से राष्ट्र के निर्माण का ही होना चाहिए। यही हमारे परम्परागत एवं अतीत के महान गौरव के अनुरूप तो होगा ही, उनका रक्षण भी होगा।

५४ | राजभाषा समस्या

प्रत्येक राष्ट्र के स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उसकी कुछ स्वतंत्र विशेषताएँ होती हैं, जिनके आधार पर उसकी राष्ट्रीयता का निर्माण होता है। प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, एक राष्ट्रीय चिह्न और एक राष्ट्रभाषा। विदेशों में अपने स्वतंत्र अस्तित्व को हम सभी गव से व्यक्त कर सकते हैं, जब हमारा उपरोक्त सादमों में कुछ अपनापन भी हो।

भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा है। इसके साथ ही एक और शब्द 'राजभाषा' व्यवहृत होता रहा है, जिसका अर्थ है—भारत के विभिन्न राज्यों में सामान्य सम्पर्क की ऐसी भाषा—जो केन्द्र और राज्यों में तथा एक राज्य और दूसरे राज्य में सम्पर्क का माध्यम बनी रहे। एक ऐसी भाषा की आवश्यकता इसलिए है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा होगी और राष्ट्रीय स्तर पर भावनात्मक एकता का निर्माण होगा। राज्यों में विद्यमान भाषायी अजनबीपन मिट कर एतत्व का प्रावधान सम्भव हो सकेगा।

भारत, भाषा की दृष्टि से बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। इसके विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं। उत्तर भारत में—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्य हिन्दी भाषा भाषी हैं। पंजाब में पंजाबी और हिन्दी दो भाषायें बोली जाती हैं। इनके अतिरिक्त उत्तर भारत में असमिया, उडिया और बंगाली तथा कश्मीरी प्रधान भाषाएँ हैं। मध्य-दक्षिण में मराठी और गुजराती तथा दक्षिणी राज्यों में तमिल, तेलगु, कन्नड और मलयालम—ये भाषाएँ बोली जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं के प्रयोग में होने से जो विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है और राज्यों

के मध्य सम्पर्क में जो कठिनाई होती है, उसे एक सामान्य-सवभाष्य राज भाषा द्वारा दूर किया जा सकता है। उस भाषा के सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग से विभिन्न राज्यों में बँटा हुआ भारत एक राष्ट्रीय एकता में बँधा रहेगा। प्रशासनिक कार्यों में केन्द्र और राज्यों को विशेष सुविधा भी रहेगी। यही दृष्टि एक राजभाषा या राष्ट्र भाषा की संरचना के मूल में रहती है।

भारतीय संविधान के अनुसार बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण एकमात्र हिन्दी सारे देश की सम्पर्क भाषा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में १९५० से ही प्रतिष्ठित कर दी गई थी, किन्तु हिन्दी के समुचित विकास के लिए १५ वर्षों की अवधि देकर यह निश्चित किया गया था कि २६ जनवरी १९६५ तक सहभाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यवहार होता रहेगा। स्पष्ट ही, २६ जनवरी १९६५ को बिना किसी हिचक या सकोब के अंग्रेजी के प्रयोग की समाप्ति और हिन्दी का प्रयोग आत्यन्तिक रूप से होना चाहिए था। इधर सरकार की हिन्दी-नीति और हमारे स्वर्गीय प्रधान-मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की हिन्दी के प्रति उदासीनता के कारण हिन्दी को वह स्थान आज भी नहीं मिल सका जो कि संविधान-सम्मत है।

अंग्रेजी के भक्तों ने, जो सारे देश की जनसंख्या का केवल दो प्रतिशत है, चित्तलाना शुरू कर दिया कि अंग्रेजी चली गई तो प्रशासनिक कार्य चल नहीं सकता, राज्यों में सम्पर्क की भाषा बन सकने में हिन्दी सक्षम नहीं। अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत के सारे राज्यों में सम्पर्क भाषा के रूप में काम कर सकती है आदि-आदि। तब हमारी उस सरकार ने जो तेरह वर्षों तक सीटी रही और हिन्दी के विकास का जिसने जान-बूझकर कोई प्रयत्न नहीं किया, १९६३ में राजभाषा विधेयक पारित करके अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी हो सकता है, ऐसी द्विविधा-पूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी जिसका एक दुष्परिणाम हमारे सामने २६ जनवरी १९६५ को आया। यदि सरकार ने १५ वर्षों में हिन्दी के विकास का प्रयत्न किया होता तो न तो राजभाषा विधेयक बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती, न आज की स्थिति ही उत्पन्न होती। राजनीतिक निहित-स्वाधियों ने आज तक यह प्रश्न हल नहीं होने दिया। हर बार 'पण्डित नेहरू ने कहा था 'कह कर इसकी उपेक्षा कर दी जाती है, जिसे स्वस्थ परम्परा नहीं कहा जा सकता।

आज की संवैधानिक स्थिति यह है कि हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा और राजभाषा है। अंग्रेजी का प्रयोग हो सकता है परन्तु यह आवश्यक नहीं है, न वाञ्छनीय ही है। इस प्रकार संविधान की मर्यादा के अनुकूल जब हिन्दी राजभाषा हो गई है, विघटनकारी तत्वों और अंग्रेजी भक्ता ने फिर अपनी

अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों का परिचय देना प्रारम्भ कर दिया है। २६ जनवरी १९६८ को मद्रास में दो व्यक्तियों का आत्मघात और उपद्रव इन्हीं अंग्रेजी भाषी विपटनकारी अराष्ट्रीय परम्परा के पोषक कुछ राजनीतिक स्वार्थियों और देश शोधियों की बूट चाल थी। हमारी सरकार की भाषा-सम्बन्धी नीति प्रारम्भ से ही क्षिप्त और सचीली रही है अतः इसी अवसर पर भी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन अराजक तत्त्वों की पुष्टि ही करने के लिए क्या क्या आश्वासन नहीं दिए।

कहा गया कि हिन्दी खोपी नहीं जायेगी, जब तक अहिन्दी भाषा राज्य चाहेंगे, अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा और अखिल भारतीय भाषा में अंग्रेजी प्रवृत्तियाँ बनीं रहेगी। कितनी विडम्बना की बात है कि ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दो प्रतिशत अंग्रेजी भक्त स्वयं उसे हटाने की बात नहीं कहेंगे। इस प्रकार के आश्वासनों से विपटनकारी तत्त्वों की निश्चय ही बल मिला है। स्वतंत्र राष्ट्र के नेताओं की असमयता और अनिश्चयी मानसिकता का भी इससे पता चलता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो सारे भारत में सम्पन्न भाषा के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। वह भारत के एक बहुत बड़े भू-भाग की बोलचाल की भाषा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में हिन्दी बोली जाती है। मराठी और गुजराती हिन्दी के बहुत समीप है। गुजरात और महाराष्ट्र में हिन्दी समझी जा सकती और कहीं-कहीं बोली भी जाती है। शेष प्रांतों में हिन्दी का प्रचार अंग्रेजी के प्रयोग से कहीं अधिक है, जबकि उसे राज्य की ओर से कोई विशेष सबल प्राप्त नहीं, दक्षिण के राज्यों में जन-सामान्य की भाषा वहाँ की प्रादेशिक भाषा है। साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति हिन्दी भी समझ सकते हैं—वास्तव में उनका हिन्दी से कोई विरोध नहीं है। केवल हिन्दी भाषी राज्यों की संख्या ही इतनी है कि वह सारे देश की जनसंख्या का ४० प्रतिशत से भी अधिक है। शेष में कोई दो—(जय अंग्रेजी भाषी) प्रतिशत, तो कोई ५६ प्रतिशत तक लोग आते हैं। इस प्रकार जब राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से एक सामान्य सम्पन्न की भाषा की आवश्यकता निर्विवाद है ही, तो हिन्दी के अतिरिक्त वह कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती। इस हेतु तमिल या बंगला, कन्नड़ या मलयालम आदि भाषा भाषी लोगों की राष्ट्रीय एकता के हित में इतना श्रम तो करना ही चाहिए कि वे हिन्दी जसी सरल भाषा सीख लें। ममक्षते मद्यपि वे आज भी हैं। वहाँ हिन्दी-फिल्मों का निर्माण और अबाध प्रदर्शन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दक्षिण के

विद्वानों को भी यह सर्व-सम्मत राय है कि हिंदी सरलतापूर्वक सीखी जा सकती है। वहाँ विरोध केवल राजनीतिक है, जनीय नहीं।

हिन्दी का प्रादेशिक भाषाभा से कोई विरोध नहीं है। भारत के संविधान में उल्लिखित सोलह-सत्रह भाषाएँ समान रूप में सम्मान की अधिकारिणी हैं। प्रादेशिक भाषा के रूप में उनका प्रयोग राज्य के शासन में हो सकता है, परंतु एक ऐसी भाषा होनी ही चाहिए जो केन्द्र तथा अन्य देशीय राज्यों में पत्र व्यवहार में प्रयुक्त हो सके। अंग्रेजी का समयन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। यदि दो प्रतिशत लोग, जो अंग्रेजी बोलते हैं, सारे देश की सम्पक भाषा के रूप में अंग्रेजी की वकालत करने की अनाधिकार-चेष्टा कर सकते हैं और वह भी उस भाषा की, जो विदेशी है, भारत की परतंत्रता की प्रतीक है, तो इससे बढ़कर अपमान और दासत्वपूर्ण मनोवृत्ति का परिचय और क्या हो सकता है। फिर यदि दूसरी भाषाभा के धारण करने वाले अपनी भाषा की वकालत करें तो बुरा क्या है? क्या उर्दू, पंजाबी, तमिल या मलयालम ने या फिर संस्कृत ने कोई अपराध किया है कि वे उस अधिकार के लिए भी न कहें जो कम से कम अंग्रेजी की अपेक्षा उह अधिक हाना चाहिए। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि अंग्रेजी किसी भी प्रकार भारत की राजभाषा या सहभाषा रहे, यह न तो राष्ट्रीय एकता के हित में है न राष्ट्रीय गौरव के उपयुक्त। मात्र पराजित मानसिकता का ही प्रतीक है।

राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रखते हुए आज की स्थिति में, सरकार का यह पवित्र ऋत्तव्य है कि वह सामान्य सम्पक की भाषा के रूप में, सारे भारत में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने के लिए अराजक और विघटनकारी अराष्ट्रीय तत्वों के सामने अपनी शिथिलता का परिचय न दे। यदि कुछ व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने के लिए सरकार राष्ट्रीय हितों तथा संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करेगी तो इसके बड़े गभीर दुष्परिणाम निकलेंगे। भाषा के नाम पर स्वतंत्र राष्ट्रों की पक्ति में हमारा भस्तक हमेशा झुका रहेगा।

हिंदी तभी राजभाषा बही जा सकती है जब प्रशासन में उसका प्रयोग हो। सरकार को राज्यों से पत्र-व्यवहार हिंदी में करना चाहिए और इसमें आने वाली कठिनाइयों को बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझाना चाहिए। भाषा का व्यापक विकास तभी सम्भव होता है, जब उसका प्रयोग प्रशासन में होने लगे। अंग्रेजी को लोगों ने इसीलिए सीखा कि वह शासन की भाषा बन गई थी। जब आवश्यकता अनुभव होती है, तभी लोग किसी अन्य भाषा को सीखते हैं अथवा नहीं। अहिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को प्रशासनिक कार्यों

में धीरे-धीरे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा करने पर स्वत ही लोग इसमें पारगम हो जाएंगे।

हिन्दी राजभाषा के पद पर कैसे आसीन हो, इस सम्बन्ध में सबसे अधिक उत्तरदायित्व हिन्दी भाषी राज्यों का है। उनको प्रशासनिक कार्यों में सर्वथा हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए तथा केन्द्र और अन्य राज-सरकारों से अपना पत्र व्यवहार भी हिन्दी में करना चाहिए। सरकार की द्विविधापूर्ण नीति इस कार्य में सबसे अधिक अहितकर होती है। जब तक कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य नहीं किया जायेगा, तब तक न अधिकारी, न क्लर्क ही, हिन्दी का प्रयोग करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि पहले-पहल अंग्रेजी के प्रयोग के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करने में थोड़ी-सी कठिनाई आयेगी, परन्तु क्या अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए इतना सा कष्ट भी हम सहन नहीं कर सकते? फिर अब तो कार्यालयों में प्रयोग के लिए सभी प्रकार के सामान्य विशेष शब्दों को निर्माण भी हो चुका है।

शिक्षा-पद्धति में हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात तो यह है कि एक विशेष स्तर तक, जैसे हायर सेकेंड्री या बारहवी तक हिन्दी सारे भारत में अनिवार्य होनी चाहिए। हिन्दी भाषी राज्यों में ही नहीं, अहिन्दी भाषी राज्यों में भी विश्वविद्यालय की शिक्षा माध्यम हिन्दी ही होनी चाहिए। इस प्रकार धीरे-धीरे हम अधिक निकट आ सकते हैं। जब तक शिक्षा-पद्धति में, विशेषतया अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को अनिवार्य नहीं किया जायेगा, तब तक यह कार्य सम्भव नहीं होगा। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में भी हिन्दी को माध्यम बनाया जाना चाहिये। यह ध्यान रहे कि भावना का कार्य में बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में ही नहीं, विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी अंग्रेजी माध्यम है, और हिन्दी 'वैकल्पिक माध्यम' ऐसा न होकर 'हिन्दी माध्यम है, और अंग्रेजी' 'वैकल्पिक माध्यम' ऐसा होना चाहिये।

यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि सारे भारत में शिक्षा का एक रूप ही। एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम, एक ही प्रकार की परीक्षाओं और समान शिक्षा प्रणाली—यह क्रम राष्ट्रीय एकता और राजभाषा-समस्या के लिए बड़ा हितकर प्रमाणित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सेवाओं को भी अखिल भारतीय बनाया जा सकता है। विशेषकर दक्षिण राज्यों के शिक्षक उत्तरी राज्यों में और उत्तरी राज्यों के शिक्षक दक्षिणी में भेजे जायें, तो पारस्परिक सम्मिलन बढ़ने के साथ भाषा-सम्बन्धी विभेद भी दूर होगा।

दक्षिण म या बंगाल में, जो हिन्दी-विरोधी वातावरण उत्पन्न हो गया है, इसे दूर करने का उत्तरदायित्व राजनीतिक दलों और सरकार पर है, क्योंकि यह विभेद उन्हीं के द्वारा खड़ा किया गया है, अतः मिटाना भी उन्हीं का पावन कर्तव्य हो जाता है। यह भावना दूर हो जानी चाहिये कि हिन्दी किसी पर थोपी जा रही है। वास्तव में हिन्दी का विकास प्रेम और सद्भाव द्वारा ही सुदूर अतीत में हुआ, निकट भूत में हुआ और अब भी किया जाना चाहिये। परन्तु किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव में आकर 'धीरे धीरे' की नीति अपनाना अब तो कतई ठीक नहीं है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के ३५ वर्ष बीत जाने के बाद भी अनिश्चित स्थिति बने रहना स्वतन्त्र राष्ट्र की स्वतन्त्र-स्वाधीन मानसिकता का परिचायक नहीं कहा जा सकता।

राष्ट्रभाषा हिन्दी का स्वरूप क्या हो? उसे निरन्तर विकसित करने के लिये विदेशी शब्द भी आवश्यकतानुसार ग्रहण किये जा सकते हैं परन्तु अब केवल उन्हीं पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। संस्कृत तथा अन्य स्थानीय बोलियाँ और प्रांतीय भाषाओं से शब्दों को सरलतापूर्वक ग्रहण किया जा सकता है। कभी-कभी 'सरल हिन्दी' जैसे शब्दों का प्रयोग भी लोग करते हैं और इसकी आवश्यकता पर चल देते हैं। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब प्रांत और कश्मीर को छोड़कर शेष सारे प्रांतों के लिए हिन्दी का संस्कृतनिष्ठ रूप ही अधिक उपयुक्त बैठेगा। बात यह है कि भारतीय भाषाओं का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसी स्थिति में सरल हिन्दी के नाम पर उसका उर्दूकरण ठीक नहीं है। पंजाबी वस्तुतः संस्कृत का अपभ्रंश रूप ही है।

भाषा-समस्या आज का जटिल प्रश्न बन गया है। इस सम्बन्ध में सभी को उदारता से काम लेना चाहिये। हिन्दी भाषी राज्यों का कर्तव्य है कि प्रशासनिक कार्यों, केन्द्र से सम्पर्क तथा राज्यों से सम्पर्क में केवल हिन्दी का प्रयोग करें। साथ ही हमें अहिन्दी भाषी भाषियों के प्रति उदारता का व्यवहार करना चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक अंग्रेजी का मोह न छोड़ा जायेगा, हिन्दी ही क्या तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, बंगला, उडिया या गुजराती-मराठी किसी भी भारतीय भाषा का सम्यक विकास नहीं हो सकेगा। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम हिन्दी के विकास के लिए अंग्रेजी का मोह छोड़, अपने गौरव भी रखा और निर्वाह करें। हिन्दी और उसकी दूसरी बहनें विकसित हों यह देश का सौभाग्य होगा और इसी उद्देश्य के लिए हम कृत-सकल्प होना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम और हमारी सरकार आवश्यकता से अधिक आँखें मूंद चुकी हैं, अब और अधिक टाल-मटोल देश की एकता तथा प्रगति के लिए घातक सिद्ध

होगी। समय की माँग है कि विदेशियों का भाषा-सम्बन्धी ध्वज-बचनों से बचने के लिए हम यथाशीघ्र अपनी राष्ट्र और राजभाषा का प्रयोग आरम्भ कर दें।

५५ | समाजवाद और गाँधीवाद

मानव-समाज की सुख-समृद्धि के लिए आरम्भ से ही अनेकविध प्रयत्न किये जाते रहे हैं। विभिन्न वाद उन्हीं प्रयत्नों का ही परिणाम हैं। आजकल मानव समाज अनेक दोषों से ग्रस्त है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया है। इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए आगे जो विचारधाराएँ प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें समाजवाद और गाँधीवाद दोनों ऐसी ही विचारधाराएँ हैं जिनके द्वारा मानव-समाज को सुखी बनाने का यत्न सम्भव बताया गया है।

समाजवाद का आधिभारिक सामन्ती परम्परा में अवशेष पूँजीवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। पूँजीवाद में सम्पत्ति संचित करने की स्वाधीनता रहती है। उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का व्यक्तिगत अधिकार रहता है। सम्पत्ति का उत्पादन चार उपकरणों द्वारा होता है— १ भूमि, २ श्रम, ३ पूँजी और ४ नवारम्भकर्ता। इनमें से भूमि एक ऐसा उपकरण है, जिसे कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं करता। यह प्रकृति की ओर से मनुष्य को बिना मूल्य प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक वग का इस उपकरण पर अधिकार अनुचित नहीं। श्रम प्रत्येक व्यक्ति करता है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों के श्रम में साधारणतया बहूल अधिक अन्तर नहीं होता। फिर भी पूँजीवाद के अन्तर्गत दो व्यक्तियों की आय में आकाश-पताल का अन्तर होता है। एक व्यक्ति बिना शारीरिक श्रम किये लाखों रुपये उपाजित कर लेता है जबकि दूसरा सुबह से शाम तक जी-तोड़ परिश्रम करने के बाद भी भर-पेट भोजन उपाजित नहीं कर पाता। इस विषमता के मूल उत्पादन के अन्तिम दो उपकरण हैं, एक पूँजी दूसरा नवारम्भकर्ता या उद्योगपति।

पूँजी में यह सामान्य विद्यमान है कि वह नई सम्पत्ति को उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार नवारम्भकर्ता किसी नये काम के जोखिम को उठा

सकने के गुण के कारण लाभ का अधिकारी हो जाता है। पूँजी के अभाव में बड़े-बड़े उद्योग व्यवसाय नहीं चल सकते और न उत्पादन ही किया जा सकता है। लगभग विगत दो शताब्दियों से ससार में पूँजीवाद का बोलबाला चला आ रहा है। पूँजीवाद की यह विशेषता रही कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाया जा सका। यदि पूँजीवादी व्यवस्था विकसित न होती, तो बड़ी-बड़ी मशीना और कल-कारखानों का विकास भी न हो पाता।

पूँजीवादी व्यवस्था ने औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति ला दी। मानव के श्रम का काय बड़ी सीमा तक मशीनों ने ले लिया। मनुष्य की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। परन्तु इस व्यवस्था ने मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीन ली। श्रमिक को भी इसने मशीन ही बना दिया। लाभ का बहुत बड़ा भाग नकारभकर्ता की जेब में जाने लगा, जिसके फलस्वरूप पूँजीपति और श्रमिक में दो भिन्न भिन्न वर्ग बनते चले गये। ज्यों-ज्यों इस व्यवस्था का अधिकाधिक विकास होता गया, त्यों-त्यों इन वर्गों के बीच खाई और गहरी होती गई। एक ओर सम्पत्ति का ऊँचा ढेर लगता चला गया तथा दूसरी ओर श्रमिक वर्ग अधिक दरिद्र होता गया। उसकी बुनियादी आवश्यकताएँ भी दुर्लभ होती गईं।

इस पूँजीवादी शोषक प्रक्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप ही समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद सब मनुष्यों को समान मानकर चलता है। वह आर्थिक क्षेत्र में गये-छा-चार की नीति का विरोधी है। पूँजीवादी विचारका का कथन है कि आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को मनमाना काय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि पूँजीपति श्रमिक के साथ चाहे जो शत नप करें उनका मनमाने ढंग से शोषण कर सकें, समाजवाद इस का प्रवर विरोधी है।

समाजवादियों का कथन है कि सम्पत्ति के उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत प्रभुत्व समाप्त कर देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीविका उपार्जन के लिए श्रम करना चाहिए और उस श्रम के बदले में उसे अपनी आवश्यकता की सब वस्तुएँ प्राप्त होनी चाहिए। उत्पादन के साधनों पर राज्य का अर्थात् देश के सभी निवासियों का साथ-साथ स्वामित्व होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति को काय देना राज्य का कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी उत्पादन की क्षमता और उसकी पारिवारिक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर वेतन दिया जाना उचित है। इस प्रकार श्रम और पूँजी का समान विभाजन ही इस नवादिष्ट व्यवस्था का मुख्य सिद्धांत और नारा है।

समाजवादी अय-व्यवस्था में लाभ कमाना व्यवसाय का लक्ष्य नहीं रहता। सब वस्तुओं का उत्पादन उतना ही किया जाता है, जितना आवश्यक होता है। इसलिए समाजवादी प्रणाली में अति-उत्पादन या अति पूँजीकरण नहीं होने पाता और न बुजुर्ग आ-वर्ग श्रमिक-वर्ग का शोषण ही कर पाता है। समाजवाद के अंतर्गत निठल्ले और परोपजीवी-वर्ग का नितांत अभाव होता है। समाजवादियों का कथन है कि पूँजीपति और श्रमिक वर्ग के घोर संघर्ष में अन्त में श्रमिक वर्ग की विजय होगी। सामाजिक तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अन्त में जाकर वर्गहीन समाज की स्थापना हो जायेगी और वर्गों को बनाये रखने वाले पूँजीवाद का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

समाजवाद बहुत व्यापक शब्द है। साम्यवाद, राष्ट्रीय-समाजवाद, अराजकतावाद, सामूहिकतावाद और सहकारितावाद सभी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। भारतीय समाजवाद की गणना जिसके अंतर्गत ही की जा सकती है, उसे हम गांधीवादी समाजवाद कहते हैं। इन विभिन्न विचारधाराओं में थोड़ा थोड़ा अंतर स्पष्ट है। साम्यवाद, जिसे 'कम्यूनिज्म' कहा जाता है, श्रमिक वर्ग की तानाशाही स्थापित करना चाहता है। साम्यवाद का परीक्षण रूस, चीन तथा इनके सहयोगी देशों में किया गया है। वहाँ श्रम, उद्योगों और समस्त जायदाद का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। बेकारी पूर्णतया समाप्त कर दी गई है। सब प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों पर राष्ट्रीय नियंत्रण है। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्तिगत स्वाधीनता पूर्णतया समाप्त हो गई है। साम्यवाद व्यक्तिगत स्वाधीनता को महत्त्व नहीं देता, जिसे कि मानवीय दृष्टि से सर्वोच्च कहा जाता है।

अपनी विचारधारा के प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया में साम्यवाद पूँजीवादी देशों में वर्ग-संघर्ष को प्रोत्साहन देता है। साम्यवादियों का विश्वास है कि पूँजीपतियों की शोषण प्रणाली शक्ति के आधार पर बनी हुई है और इस शोषण व्यवस्था को शक्ति के प्रयोग द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिये साम्यवाद पूँजीवाद के समाप्त करने के निमित्त हिंसा और रक्तपातपूर्ण क्रान्तियों का समर्थन करता है। इसके विपरीत अथवा समाजवादी लोग हड़ताल इत्यादि कानून-सम्मत उपायों द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। भारत में भी प्रमुखता यही प्रवृत्ति कायम रहती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजवाद और साम्यवाद में श्रमिक-वर्ग की दशा को बहुत सुधारा है। बेकारी को समाप्त करके प्रत्येक श्रमिक का जीवननिवाह के योग्य समुचित वेतन देने की व्यवस्था कर दी है। परंतु साम्यवाद के अंतर्गत उत्पादना के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिये जाने का

१। एक दुष्परिणाम यह है कि श्रमिकों में अधिक काय करने का उत्साह मंद पड़ जाता है। ऐसा इसलिए कि वे उस काय में अपनापन अनुभव नहीं करते। प्रत्येक श्रमिक यह सोचेगा कि काम तो सरकार का है और मुझे वेतन उताना ही मिलना है, चाहे मैं काम अधिक करूँ या कम। परंतु यह पूँजीवादियों की योषी युक्ति है, क्योंकि साम्यवाद के अंतर्गत श्रमिक यह अनुभव करते हैं कि राज्य का काम उनका अपना काम है। उनके श्रम का फल उन्हें ही प्राप्त होगा। जब उन्हें जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त हो जाते हैं, तो उन्हें आलसो पड़े रहना अथवा काय की उपेक्षा करना भला प्रतीत नहीं होता। सामूहिक हित साधन की राष्ट्रीय भावना भी उम आलसी नहीं बनने

जमनी में राष्ट्रीय समाजवाद का प्रचार नाजी पार्टी ने किया। राष्ट्रीय समाजवाद के अंतर्गत भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई और राष्ट्र का हित सर्वोपरि बना दिया गया। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय समाजवाद की प्रणाली द्वारा जमनी ने कल्पनातीत उन्नति कर ली थी। उस उन्नति का ही यह परिणाम था कि वह इतने वर्षों तक अकेला सत्कार की सब सम्मिलित बड़ी शक्तियाँ से लोहा लेता रहा। परंतु जमनी ने जिसके फलस्वरूप दो विश्व युद्ध हुए और जमनी परास्त हो गया। जमनी की उन्नति का श्रेय राष्ट्रीय समाजवाद को दिया जा सकता है, किंतु जमनी की अवन्नति या पराजय का दोष राष्ट्रीय समाजवाद के सिर नहीं मढ़ा जा सकता क्योंकि दूसरे राष्ट्रों को हथियाना, उन पर आक्रमण करना राष्ट्रीय समाजवाद का कोई अनिवार्य अंग नहीं है। वह तो एक पागल व्यक्ति का उमाद था, जिसका फल जमनी की पराजय और आंतरिक विभाजन के रूप में भोगना पड़ रहा है।

समाजवाद राज्यों की सीमाओं को मानकर नहीं चलता। वह तो साथ-साथ को केवल दो वर्गों में बाँट देता है, एक शोषक-वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। वह समस्त सत्कार के शोषितों को संगठित करके उनका सामूहिक मोर्चा बनाना चाहता है जिससे सत्कार में शोषक-वर्ग की समाप्ति हा जाए और वर्गहीन समाज की स्थापना की जा सक। यही कारण है कि सत्कार के पूँजीवादी देश समाजवाद से बहुत आतंकित हैं और वहाँ का सत्ताधारी वर्ग, जो शोषक वर्ग ही है, समाजवाद की बढ़ती हुई लहर का रोकने के लिए तत्पर सतक और सचेष्ट है। इस समय एक ओर रूस और चीन इत्यादि

साम्यवादी देशों में और दूसरी ओर अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि पूँजीवादी देशों में इसी कारण तनाव बना हुआ है, युद्ध का भय छाया हुआ है।

भारत में महात्मा गांधी ने इस समाजवाद को नये रूप में स्वीकार किया। जिस प्रकार समाजवाद सब मनुष्यों को समान मानकर चलता है और सब धर्म करने वाले व्यक्तियों को सुख पहुँचाना चाहता है, उसी प्रकार महात्मा गांधी भी सारी जनता के बल्याण को अपना सह्य मानकर चले। गांधीवाद अधशासन और राजनीति दोनों को ही धर्म के साथ मिला देता है। गांधीवाद जीवन के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों को साथ लेकर चलता है। समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की मात्र भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है, यहाँ गांधीवाद आध्यात्मिक उन्नति के साथ जीवन की आवश्यकताओं को धर्म करने की आग्रह करता है, क्योंकि आवश्यकताओं को बढ़ाते जाने की कोई सीमा नहीं। यदि हम उत्पादन के सामर्थ्य में वृद्धि के साथ-साथ आवश्यकताओं में भी वृद्धि करते जाएँ तो शांति और सुख सह कल्पना की ही वस्तु बन रहेगे। समाजवाद और गांधीवाद में यह एक आधारभूत अंतर है कि समाजवाद जीवन की आत्मसन्तुष्टताओं को धर्म करने के नैतिक और आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान नहीं देता बल्कि जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के केवल भौतिक पक्ष पर ध्यान देता है, जबकि गांधीवाद दोनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान देता है। गांधीवाद की यह आत्मनिष्ठ विशेषता नितांत निजी और मात्र भौतिक भारतीय सामर्थ्य भावना के सबया अनुकूल है। *

समाजवाद उत्पादन के लिए मशीनों का अधिकाधिक प्रयोग करने का समर्थक है क्योंकि मशीनों से उत्पादन सरलता से और अधिक हो सकता है। यदि मनुष्य मशीनों द्वारा चाहे समय में अधिक उत्पादन करके अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो वह अपने शेष समय का उपयोग स खेल व आदि में आनन्द लेन अथवा कला या पान की साधना में कर सकता है। इसके विपरीत गांधीवाद कुटीर-उद्योग का समर्थक है। गांधीवादिया का कथन है कि मशीनें मनुष्य की आत्मनिभरता को छीन लेती हैं। जब मनुष्य के द्वारा उत्पादन अधिक होना लगता है तो उस मूल को उपजन के लिए बाजार में बेचने की आवश्यकता होती है और जिस तरह पूँजीवादी व्यवस्था में माल को बेचने के लिये साम्राज्य बनाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाजवादी व्यवस्था में भी हो सकती है। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, मशीनों की बजाय कुटीर-उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि लोग अपनी आवश्यकताओं को धराने का ध्यान रखें, तो कुटीर-उद्योगों द्वारा

भी उनकी नितान्त आवश्यक आवश्यकता सरलता से पूर्ण हो सकती हैं। परंतु आज के वैज्ञानिक युग की प्रगति को देखते हुए गांधीवाद का यह दावा ठीक प्रतीत नहीं होता कि मशीनों के बिना काम चल सकता है। मशीनें आज की सभ्यता का अपरिहाय अंग हैं।

सत्य और अहिंसा गांधीवाद के मुख्य अंग हैं। यहाँ भी गांधीवाद और साम्यवाद में आधारभूत अंतर है। गांधीवाद अत्याय और शोषण की समाप्ति अवश्य चाहता है, किंतु इसके वह केवल शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक उपाय का ही अवलम्बन करता है जबकि साम्यवादियों के मतानुसार शांतिपूर्ण उपायों द्वारा शोषण-व्यवस्थाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता। गांधीवाद मनुष्य के हृदय को जोतने में विश्वास रखता है, इसलिए वह प्रेम और आग्रह द्वारा शोषकों का हृदय परिवर्तन करना चाहता है। इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों से स्वराज्य ले लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। परंतु इस उदाहरण की सत्यता में सदेह की पर्याप्त गुंजाइश है। दूसरा उदाहरण आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का है, जिसमें वे भूमि के स्वामियों से भूमि माँग-माँग कर भूमिहीन श्रमिकों को दिलवाते रहे हैं। इस आंदोलन की सफलता के सामने स्पष्ट प्रश्न चिह्न लगा है। सम्भवतः यह निश्चय कभी न किया जा सकेगा कि बिना रक्तपात के जमींदारों से भूमि लेकर भूमिहीनों को दिलवाने में कितना भाग प्रेम और आग्रह का रहा और कितना सरकारी बानूना था, जिसका उल्लंघन कर पाना जमींदार जैसे शोषक वर्ग के लिए सम्भव नहीं, फिर भी सम्भव हो रहा है।

मुख्य रूप से गांधीवाद और समाजवाद का यह अंतर ध्यान रखने योग्य है कि उनमें से एक तो उत्कृष्ट लक्ष्य तक पहुँचने के लिए साधन भी उत्कृष्ट ही रखना चाहता है जबकि दूसरा केवल लक्ष्य की उत्कृष्टता की ओर ध्यान देता है, और अच्छे या बुरे जो भी साधन मिल जाएँ उनसे काम चला लेना उचित समझता है।

समाजवादियों की भांति गांधीवाद भी श्रम के गौरव का प्रतिपादन करता है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना ही चाहिए। जो व्यक्ति श्रम नहीं करता, उसे सम्पत्ति के उपभोग का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से गांधीवाद अधिक आदर्शवादी और पूर्ण कहा जा सकता है। परन्तु इस कुटिल और दूषित सत्सार में शोषिता के बन्धों का कम करने के लिए समाजवाद अधिक और शीघ्र सफल सिद्ध हो सकता है। वैसे यदि गांधीवाद अपन लक्ष्य तक शीघ्र पहुँचा पाने में समय हो, तो

गांधीवाद को अधिक् श्रेष्ठ कहा जाएगा। साम्यवाद की सफलता तो प्रत्यक्ष ही चुकी है, तथा गांधीवाद की सफलता अभी प्रत्यक्ष होनी शेष है जिसका अवसर आ पाना आज के सिद्धांतहीन अराजक वातावरण में सम्भव प्रतीत नहीं होता।

५६ | राष्ट्रीयता और अन्तराष्ट्रीयता

अपनी मूलभूत भावगत अवधारणा में राष्ट्रीयता का अर्थ है—देश प्रेम की उत्कट भावना। राष्ट्रीयता एक प्रकार का राजनीतिक आदर्शन है जो उस समय बल पकड़ता है, जब कोई देश पराधीन हो अथवा उस पर विदेशी आक्रमण का संकट आ पड़ा हो। ऐसे गम्भीर अवसरों पर देश के निवासियों में आत्मगौरव की भावना जगाना अभीष्ट होता है, जिससे वे स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये अथवा स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए जुझ मरने को कटिबद्ध हो जाएँ। उदाहरण के लिए स्वाधीनता प्राप्त करने से पूर्व भारतवर्ष में राष्ट्रीयता की भावना को तीव्र रूप से जागृत किया गया था। इस कारण लक्षाव्यक्तियों ने निभयतापूर्वक लाठियों और गोतियों के बबर आघात सहन किए। त्यों तक जेलों की यातनाएँ सहो। कितने ही वीर युवक फाँसी के तख्ते पर झूल गये। किन्तु वे स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अपने दंड संकल्प से विचलित नहीं हुए। जब किसी देश में राष्ट्रीयता की भावना इतनी प्रचण्ड हो उठे, तब उसे देर तक दास बनाये रखना सम्भव नहीं होता। विश्व के इतिहास में इस बात के कितने ही प्रमाण मिल चुके हैं।

राष्ट्रीयता की भावना का विकास यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी में बहुत अधिक हुआ। उस समय बिस्माक ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना की जगाकर उसे एक सुसंगठित और शक्तिशाली राज्य का रूप दिया। इसी प्रकार इटली भी कई विदेशी राज्यों के चंगुल में जकड़ा हुआ था और उसकी शक्ति बिखरी हुई थी। मेजिन ने वहाँ राष्ट्रीयता की भावना की उद्दीप्त किया और नवीन इटली की स्थापना की। उसके पश्चात् शुमोलिनी ने राष्ट्रीयता की इस भावना को चरम सीमा तक पहुँचा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि इटली ने अपना साम्राज्य बढाने के लिए अवीसीनिया पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत भी लिया।

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

२६७

देश-काल की परिस्थितियाँ के अनुरूप जब किसी राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना अभीष्ट होता है, तब जनता को उस देश के सुगहले और पुरानी श्रेष्ठ परम्पराएँ सुंदर रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। उस देश में कब कौन-कौन से तपस्वी कलाकार हुए कब कितने योद्धाओं ने युद्ध में विजय प्राप्त की और उस देश के मनीषियों ने अपने विचारा द्वारा सत्कार को भावी कौन-कौन सी विभूतियाँ प्रदान की, इन सबका मनोहारी आकषक वणन जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। इसका प्रभाव भी अपेक्षित रूप में पड़ता है और राष्ट्रीयता का भाव प्रायः उत्पन्न होकर जाग जाता करता है।

जब किसी देश के निवासियों को अपने गौरवमय अतीत का ज्ञान होता है, तब उनमें स्वाभिमान जाग उठता है। व आत्महीनता के भाव को त्यागकर अपने को महान् अनुभव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई देश को उद्यत होने उठते हैं। राष्ट्रीयता की इस भावना को जागृत करने में देश के कवियों संगीतज्ञा, उपन्यासकारों और राजनीतिक नेताओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। उदाहरण के लिए इटली में मजिनी का तथा जर्मनी में हेगल और नीत्शे का राष्ट्रीय भावना को दृढ़ करने में बहुत महत्त्व हाथ रहा।

राष्ट्रीय जागरूकता के अनेक लाभ हैं। यह व्यक्ति के समुचित विचारों को समाप्त करके उसके मन में स्वायत्त्याग की महान् भावनाओं को जागृत करती है। व्यक्ति अपने हित की अपेक्षा राष्ट्र के हित को बड़ा समझने लगता है और उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करने, यहाँ तक कि प्राण देने को भी उद्यत हो जाता है। राष्ट्रीयता की भावना व्यक्ति में स्वाभिमान उत्पन्न करती है और उसे दृढ़ सत्त्व बनाती है। इस भावना से प्रेरित होकर अनेक वीर युवकों ने वीरत्व और साहस के अनेक ऐसे महान् कार्य किए हैं जिन्हें वे अथवा कभी न कर पाते। सुभाषचन्द्र बोस का उदाहरण हमारे सम्मुख है। देश की स्वाधीनता के लिए व अश्विन सचप करते रहे। अतः म विदेशी शासकों की आखा में धूल पाकर वे देश से भाग निकले। जापान में पड़ोस की सामग्री थी और न लड़ने के लिए उत्तम शतयुद्ध थे। फिर भी राष्ट्रीयता को जगाने और नेता जी सुभाष के उदाहरण से अनुप्राणित होकर उनको जगाने और नेता जी सुभाष की मुनिशिक्षित और साधन-मन्य न सेनाओं से डटकर टक्कर ली। यदि हम बीच में जर्मनी और जापान न हार जाते तो

अधिक सम्भव यही था कि भारत को स्वाधीन कराने का श्रेय आजाद हिन्द फौज को ही मिल पाता ।

द्वितीय विश्व-युद्ध के दूसरे और तीसरे वर्षों में अंग्रेजों ने भी अपनी राष्ट्रीयता की प्रबल भावना का अच्छा परिचय दिया था । उन दिनों जर्मन वायु सेना इंग्लैण्ड पर घुआँघार बम-बर्षा कर रही थी । इंग्लैण्ड के लिए सचमुच भयानक संकट उपस्थित था किन्तु अंग्रेजों की राष्ट्रीय भावना ही उन्हें उस समय बचा पाने में समर्थ हुई । सारे कष्टों को सहते हुए भी अंग्रेजों का नारा यही रहा—'समर्पण हम कभी नहीं करेंगे । इस भावनात्मक बल से ही मित्र राष्ट्रों के सहयोग से वह विजय का मुख देख सके ।

जिस समय राष्ट्रीयता की यह भावना किसी देश को दासता से छुड़ाने या आक्रमण से बचाने में सहायक होती है, उस समय इस प्रशंसनीय कला का सन्तान है । परन्तु जब राष्ट्रीयता के प्रचारक किसी देश या जाति के गुण गा गाकर उसके मन में गौरव की ऐसी भावना भर देते हैं कि वह देश या जाति अपने आप सत्कार के अथवा देशों या जातियों की अपेक्षा अधिक ऊँच और महान् समझने लगे और यहाँ तक कि दूसरे देशों की जातियों पर शासन करने की अधीर हो उठे तब राष्ट्रीयता का भयावह रूप प्रकट होता है । द्वितीय विश्व-युद्ध से पहले जर्मनी में यही स्थिति थी । जर्मन विचारकों, लेखकों और सबसे अधिक जर्मनी के नेता हिटलर ने जर्मन लोगों में यह भावना जागृत कर दी थी कि जर्मन जाति सगार में सर्वश्रेष्ठ जाति है । उसने कहा कि सारे सत्कार में केवल जर्मन ही युद्ध गाय रक्त हैं । वहाँ राष्ट्रीयता की भावना के आवेश में आकर जर्मन न यहूदियों पर भयंकर अत्याचार किये । उनका विश्वास था कि प्रथम महायुद्ध में यहूदियों ने जर्मन राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया था । उन्नीसवीं राष्ट्रीयता के आवेश में जर्मनी ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए पोलैंड पर आक्रमण किया । इस प्रकार इतनी ही राष्ट्रीयता की भावना जर्मन वदत इतनी अधिक हो गई कि उसने अपना साम्राज्य निर्माण करने के लिए अवीलीनिया पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के पिछड़े निवासियों पर आधुनिक आस्त्रास्त्रों का अघाघुघ प्रयोग कर उन्हें अपने अधीन कर लिया । यह उग्रता उचित नहीं कही जा सकती । क्योंकि जब राष्ट्रीयता ऐसा उग्र रूप धारण कर लेती है, तो वह विश्व शांति के लिए भयानक संकट बन जाता है । जो राष्ट्रीयता शान्ति और पराधीन राष्ट्रों को दासता की बेड़ियों से मुक्त करने में बरदान सिद्ध होती

राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता

२६६

है वही औचित्य की सीमा को लाप जाने के उपरांत अथ दुर्गल राष्ट्रों को दासता की बेडिया में जकड़न का साधन बनकर मानवता के लिए अभिशाप बन जाती है। अंग्रेज भी इसी नीति पर चले और आज चीन भी इसी भावना से परिचालित होकर बाकी सबका ध्वस्त कर देने के सपने खन लगा है। पाकिस्तान जैसे कुछ मुस्लिम राष्ट्र भी ऐसे दिवा-स्वप्न देखन में मस्त हैं और विनाश की राह पर चल रहे हैं।

वस्तुतः अथ इस प्रकार की राष्ट्रीयता का युग समाप्त होकर विकसित अन्तर्राष्ट्रीयता का युग आ गया है। वैज्ञानिक प्रगति ने ससार को सुदूर स्थानों को भी एक-दूसरे के बहुत निकट ला दिया है। स्वभावतः ही राजशाही का एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आना पड़ता है। दूरस्थ दशा में भी परस्पर व्यापारिक आर सांस्कृतिक आगमन प्रदान होने लग रहे हैं। ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देना अत्यन्त अभीष्ट ही गया है। आज से सौ वर्ष पूर्व किसी भी देश के लिए यह सम्भव था कि वह ससार के अन्य सभी देशों से सम्बन्ध विच्छेद करके अलग पड़ा रहे और शेष ससार की कोई भी दशा से सम्बन्ध न रखे। उस दशा में न तो उस राज्य की गतिविधि का कोई जोड़ खबर न रहे। उस दशा में न तो उस राज्य की गतिविधि का कोई अच्छा या बुरा प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ता था और न दूसरे देशों का कोई प्रभाव उस देश पर पड़ता था। परन्तु आज स्थिति विभिन्न है। आज यदि चीन में धान की फसल अच्छी होती है, तो उसका प्रभाव अमरिका तक के बाजारों पर पड़ता है। यदि रूस में कोई चादी की खान निकल आती है, तो उसका प्रभाव तुरन्त इंग्लैंड के बाजारों पर दृष्टिगोचर होने लगता है। आज आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सभी देश परस्पर घनिष्ठ और अयोधाश्रित होकर सन्निवृत्त आ गये हैं।

ऐसी दशा में यदि सब राष्ट्र अपनी अपनी राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने लगे प्रत्येक देश या जाति अपनी-आपकी अन्य देशों और जातियों की अपेक्षा उच्च और महान् समझने लगे तो विभिन्न देशों में परस्पर मित्रतापूर्ण सम्बन्धों का अस्तित्व नहीं रह सकता। ससार में सब देश शांति से आर मित्रतापूर्वक रह सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का अधिकाधिक प्रचार किया जाए सब राष्ट्रों में सहिष्णुता की भावना जागृत की जाए। सब देश सह अस्तित्व या 'जीयो नवा जीने दो' के सिद्धांत का पालन करना सीखें, तभी ससार के विभिन्न देशों में मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं और सारी मानवता का हित साधन भी सम्भव है।

प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर 'लीग आफ नेशन्स' (League of Nations) नामक सस्था की स्थापना की गई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय सस्था की स्थापना सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुत अच्छी थी। ससार के अनेक राष्ट्र इसके सदस्य थे। प्रथम विश्व-युद्ध की विभीषिका से आतंकित होकर राष्ट्रों ने यह निश्चय किया था कि भविष्य में वे अपने विवादों का हल शस्त्रा द्वारा न करके शांतिपूर्वक विचार विमर्श द्वारा किया करेंगे। परंतु उस समय तक अंतर्राष्ट्रीयता की भावना नई वस्तु थी। राष्ट्रीयता की जड़ें बहुत गहरी जमी हुई थी। इसका फल हुआ जब जब राष्ट्रीयता के जोश में आकर किसी भी राष्ट्र ने किसी अथ दुबल राष्ट्र को दबाना चाहा और 'लीग आफ नेशन्स' ने उस शक्तिशाली राष्ट्र को रोकने की चेष्टा की तो उस शक्तिशाली आक्रमण राष्ट्र ने 'लीग आफ नेशन्स' की सदस्यता छोड़ दी और दुबल राष्ट्र पर अपना अत्यापूण आक्रमण जारी रखा। अबीसीनिया के सम्बन्ध में इटली ने और मचूरिया के सम्बन्ध में जापान ने यही किया। 'लीग आफ नेशन्स' ने इटली और जापान दोनों को ही आक्रमण से विरत करना चाहा, परंतु इनमें से किसी ने भी उसकी रती भर भी परवाह न की। परिणामतः ससार की दृष्टि में इस सस्था का मान घट गया। फिर जर्मनी के हिटलर ने तो उसकी घृजिया ही उड़ा दी और यह सस्था बिखर कर प्रायः समाप्त हो गई।

भले ही 'लीग आफ नेशन्स' अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हुई, परंतु जिस उद्देश्य को लेकर वह चली थी, वह उचित था। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् फिर संयुक्त राष्ट्र सभ नाम की एक सस्था बनाई गई है जो बहुत कुछ 'लीग आफ नेशन्स' के ढंग पर ही काम कर रही है। इस विश्व के सम्मुख उपस्थित अनेक कठिन समस्याओं को सुलझाने में काफी सफलता भी मिली है।

संयुक्त राष्ट्र सभ की काय विधि में अनेक त्रुटियाँ भी हैं, जिसके कारण सम्भव है कि किसी दिन संयुक्त राष्ट्र-सभ को भी 'लीग आफ नेशन्स' की तरह अमफन होना पड़े। यह सत्य है कि कुछ शक्ति सम्पन्न स्वार्थी राष्ट्रों के दबाव के कारण वह आज तक विश्व की कई समस्याएँ नहीं भी सुलझा सका, फिर भी वह चाह मफल हो या असफल वर्तमान ससार का काम अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अधिकाधिक विवास किए बिना चल नहीं सकता। परमाणुशक्ति के आविष्कार ने राष्ट्रीयता के युग को समाप्त कर दिया है। आज वह समय आ गया है जबकि मानव जाति तथा मानवता की रक्षा करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीयता की उदार भावना को ही अपनाया

चाहिए। यह नय युग की तीव्र सहर है। या तो यह सहर विजयी होगी, या फिर मानवता द्वारा निमित्त शस्त्रों से ही नष्ट हो जायेगी। तब राष्ट्रीयता ही मर जायेगी, अंतर्राष्ट्रीयता का तो नाम तक नहीं रहेगा। विशुद्ध मानवता ही भावना ही मानवता का राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता की सीमा में जीवित रख सकती है। अतः मुख्यतः मानवीयता के विकास की आवश्यकता है।

५७ / संयुक्त राष्ट्र सघ

स्वभाव से मनुष्य शांत प्रकृति वाला सामाजिक प्राणी है। फिर भी मनुष्य के अंदर विद्यमान आद्य पशु-वृत्ति समय-समय पर अपना हिंस रूप प्रकट करती रहती है। शांति का थोड़ा सा भी समय नहीं बीतने पाता कि फिर युद्ध की घटाएँ घुमटने लगती हैं। सब ओर की बढगडाहट सुनाई पडने लगती है। विनाश का महा भयकर ताडव प्रारम्भ हो जाता है। शांति के थोडे से बाल में जो कुछ सम्पत्ति और वैभव संचित किया जाता है, वह फिर युद्ध की वेदी पर बलि चढा दिया जाता है। मानव-जाति विकास की कई सीढियाँ नीचे उतर जाती है। सभी साधनाएँ व्यर्थ होकर रह जाती हैं।

प्रथम विश्व-युद्ध में जन-धन की इतनी अधिक हानि हुई थी कि जिससे विश्व के सभी विचारशील व्यक्तियों को यह सोचने के लिए विवश होना पडा कि युद्ध से होने वाले इस भयानक विनाश को रोकने की कुछ व्यवस्था की जाए। यदि अनेक दशाब्दियों की संचित समृद्धि इस प्रकार युद्ध में नष्ट होती रही तो मानव जाति चिरकाल तक अभाव और कष्टों से ही प्रस्त रहगी। ऐसा समय कभी न आयेगा, जब ससार में सब लोग शांतिपूर्वक सुख का जीवन व्यतीत कर सकें। युद्ध मानव का सबसे बडा शत्रु है।

शांति के अभाव तथा युद्ध के कारण होने वाले कष्टों को भी लोग, शायद सह लेते—आखिर पिछले हजारों वर्षों से वे उहे सहत ही आ रहे थे—परंतु पिछली दो शताब्दियों में हुई वैज्ञानिक जनति ने एक बिल्कुल नई समस्या प्रडी कर दी है। विज्ञान का योग रचनात्मक कार्यों में होने लगा। विज्ञान की दिनाग्नि होती ही अधिक विनाशात्मक कार्यों में होने लगा। विज्ञान की दिनाग्नि होती है जनति ने इस बात का वास्तविक सबट उपस्थित कर दिया कि यदि

मनुष्य की उच्छृंखलता और स्वार्थ-भावना को नियंत्रित न किया गया और युद्धों की रोक-थाम की कोई समुचित व्यवस्था न की गई, तो भयानक विध्वंसकारी वज्ञानिक शस्त्रों के प्रयोग द्वारा मानव-सभ्यता का सनसूल नाश हो जायेगा। इसलिए प्रथम महायुद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने राष्ट्र संधि की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया। इस विचार की पृष्ठभूमि में यह भावना काम कर रही थी कि सत्सार के विभिन्न राष्ट्रों को पारस्परिक मतभेदों और विवादों का हल शांतिपूर्वक वार्तालापों और समझौतों-द्वारा करना चाहिए, युद्ध-घोषणा और शस्त्रों के प्रयोग द्वारा नहीं।

सत्सार के समस्त राष्ट्रों का एक समुक्त सगठन ऐसा होना चाहिए, जिसमें सब राष्ट्र इकट्ठे बैठकर विचार-विनिमय कर सकें और पारस्परिक विवादों का उचित समाधान ढूँढ सकें। इसका सर्वप्रथम परीक्षण 'लीग ऑफ नेशंस' में किया गया। यह बात दूसरी है कि कई कारणों से 'लीग ऑफ नेशंस' असफल रही पर तु उसने अनेक उपयोगी कार्य किये। 'लीग ऑफ नेशंस' की सबसे बड़ी दुबलता यह सिद्ध हुई कि उसके पास अपने निर्णयों का मनवाने के लिए कोई सेना या अर्थ शक्ति नहीं थी। इसीलिए जब इटली ने अथीसीनिया पर और जापान ने मचूरिया पर आक्रमण किया, तो 'लीग ऑफ नेशंस' चाहते हुए भी कुछ न कर सकी। फलस्वरूप उसका प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता गया। १९३९ में द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ होने पर तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया।

द्वितीय विश्व-युद्ध प्रथम विश्व-युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक संहारकारी प्रमाणित हुआ। इस युद्ध की अंतिम आहुति हिरोशिमा और नागासाकी पर छोड़े गए घातक परमाणु-बमों से हुई। इनमें से प्रत्येक परमाणु-बम तीन लाख निवासियों के समूचे शहरों को कुछ मिनटों में विनष्ट कर डालने में सफल सिद्ध हुआ। इससे समस्त विश्व आतंकित हो उठा। सब विवादों का हल वार्तालाप और समझौतों द्वारा करने की आवश्यकता पहले से भी अधिक तीव्र रूप में अनुभव की जाने लगी। सारा विश्व इस दिशा में सक्रिय हो उठा।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति से कुछ पहले ही अटनादिक घोषणा पत्र बनाया गया था, जिसमें समस्त मानव-जाति को विचारों और धर्म की स्वाधीनता, निमय जीवन व्यतीत करने का अधिकार तथा अभाव से मुक्ति दिलाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार द्वितीय विश्व-युद्ध अर्थात् अविध्वंसक विनाशकारी होने पर भी एक तरह से बरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें

हुए विनाश से आतंकित होकर सभार के विभिन्न देशों ने भविष्य में युद्ध को सदा के लिए समाप्त कर देने का संकल्प कर लिया । यदि युद्ध में दोनों पक्षों के पास परमाणु-बम हो, तो युद्ध का अर्थ निश्चित रूप से यह है कि दोनों पक्षों के साथ-साथ समूची मानव जाति का पूर्ण विनाश, जिसकी कल्पना ही भयावह है ।

युद्ध के उपरांत सानफ्रांसिस्को में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसका उद्देश्य मानव-स्वाधीनता के अधिकारों की घोषणा करना था । इस सम्मेलन में पचास से अधिक राष्ट्रों ने भाग लिया और इन सब राष्ट्रों ने एक स्वर से युद्ध-लोलुप शासक-वर्ग की तीव्र निंदा की । सब राष्ट्र इस बात पर सहमत हुए कि सभार के सब भागों में सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण चर्चाओं द्वारा किया जाना चाहिए । सानफ्रांसिस्को में हुए इस सम्मेलन के घोषणा-पत्र में यह स्वीकार किया गया कि सब मनुष्य समान हैं । उन्हें आम विकास के समान अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए । लोगों का विचार-स्वान्तम्य का अधिकार दिया गया । सब धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरतने का सुझाव प्रस्तुत किया गया और सभार के छोटे-बड़े सब राष्ट्रों को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करने का अधिकार दिया गया ।

पिछले दोनो विश्व-युद्ध अथ राष्ट्रीयता के उन्माद से ग्रस्त राष्ट्र-नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के परिणाम थे । जर्मनी और इटली में शासन की बागडोर प्रजा के हाथ में न रहकर अधिनायकों के हाथ में आ गई थी । उनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था । इसलिए वे युद्ध छेड़ पाने में सफल हुए । यदि इटली और जर्मनी में प्रजातन्त्र शासन होता, तो युद्ध इतनी सरलता से न छिड़ पाता । इसलिए सानफ्रांसिस्को के घोषणा-पत्र में प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली की स्थापना का समर्थन किया गया । इस घोषणा-पत्र के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र-सभ नामक संस्था का निर्माण सम्भव हो सका ।

संयुक्त राष्ट्र-सभ 'सीग आफ नेशन्स' के ढंग की ही एक बहुराष्ट्रीय संस्था है । इसके उद्देश्य भी यही हैं, जो सीग आफ नेशन्स के थे । इसका लक्ष्य सभार के विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर सहयोग, सद्भावना, सहिष्णुता और विश्व-बहुत्व का प्रचार करना है । सभार के प्रायः सब देश संयुक्त राष्ट्र-सभ के सदस्य हैं । यदि संयुक्त राष्ट्र-सभ निष्पक्षता और 'यायपूर्वक' कार्य करता रहा, तो आशा है कि यह युद्ध की बहुत समय तक रोक पाने में सफल होगा,

और इसकी छाया में मानव-जाति सुख और शांति की सांघ ले सकेगी। अभी तक इस आशा-पूर्ति में उसे सफल ही कहा जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र-संघ एक अत्यंत विशाल संस्था है, जिसके कई महत्वपूर्ण अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र-संघ की सबसे बड़ी अधिकार-सम्पन्न सभा जनरल असेम्बली है। इस जनरल असेम्बली को ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अन्तिम रूप से निणय देने का अधिकार है। जनरल असेम्बली की बैठक साधारणतया संघ में एक बार होती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर वह कभी भी बुलाई जा सकती है। जनरल असेम्बली में कोई भी निणय तभी स्वीकृत हुआ समझा जाता है, जब उसके पक्ष में दो तिहाई मत प्राप्त हो।

जनरल असेम्बली के बाद सुरक्षा-परिषद् का स्थान है। सुरक्षा-परिषद् जनरल असेम्बली की कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य करती है। सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य विश्व शांति बनाये रखना है। इसके लिए यह सगठित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर वही भी होने वाले आक्रमण का प्रतिरोध करती है। सुरक्षा परिषद् में ग्यारह देशों के प्रतिनिधि होते हैं। अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड, चीन और फ्रांस सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। सब महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ पहले सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत की जाती हैं बाद में अथ परिषदों में।

इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र-संघ के और भी कई महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बँक, अथ एवं कृषि सगठन, विश्व-स्वास्थ्य सगठन, संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सगठन इत्यादि। ये सभी संस्थाएँ विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से पिछड़े हुए देशों को अपना विकास करने के लिए सहायता भी दी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र-सगठन लीग आफ नेशंस की भाँति एकदम अशक्त और असमय नहीं है। जब कोरिया में कम्युनिस्ट सनाथा ने ३८ वीं अध्याश रखा, कोरिया करके दक्षिणी कारिया पर आक्रमण किया, तब संयुक्त राष्ट्र-संघ की सुरक्षा परिषद ने उस आक्रमण के प्रतिरोध का निश्चय किया। कई राष्ट्रों की सम्मिलित सेना उस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए भजी गयी। परंतु इस सेना में अधिकांश अमरीकन सेनाएँ ही थीं। कई महीनों की लड़ाई के पश्चात् ही आन्ध्रताओं को फिर इस अध्याश के उत्तर की ओर खदेड़ दिया गया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र-संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लीग आफ नेशंस की भाँति केवल आशा देकर ही चुप नहीं रह जाएगा,

बल्कि अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए अवसर पड़ने पर शक्ति का प्रयोग भी करेगा। फिलिस्तीन में अरब और यहूदियों के झगड़े में काश्मीर में भारत और पाकिस्तान के विवाद में भी मध्यस्थता करने के लिए सुरक्षा-परिषद ने अपने निरीक्षक भेजे हुए हैं। इस्त्राइल-नेबनान के झगड़े में भी संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित हुआ और हा रहा है।

स्वेज समस्या का अपने हाथ में लेकर संयुक्त राष्ट्र-सभ ने मित्र और ब्रिटेन तथा फ्रांस के युद्ध को बंद करवाकर विश्व शांति को भंग होने से बचाया। इसी प्रकार पश्चिमी मध्य एशिया में इराक में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना पर विश्वशांति को खतरा उत्पन्न हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब किसी भी समय विश्व-युद्ध छिड़ सकता है। परंतु संयुक्त राष्ट्र-सभ के प्रयत्नों से यह समस्या भी सुलझ सकी। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र-सभ विश्व शांति को बनाय रखने में सफलता प्राप्त करता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र-सभ सिद्धांततः एक उत्तम आदर्श है। इस सगठन के द्वारा सारे संसार में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। किंतु इस विषय में सबसे बड़ी बाधा गुटबंदी की है। आजकल संसार दो गुटों में बंट गया है, एक कम्युनिस्ट गुट और दूसरा कम्युनिस्ट विरोधी गुट। इन दोनों गुटों में एक-दूसरे के प्रति गहरा अविश्वास है और दोनों एक-दूसरे के प्रति अत्यंत शंका हैं। इसका परिणाम यह है कि दोनों ही पक्ष विरोधी पक्ष को आतंकित करने के लिए तरह-तरह का प्रचार करते रहते हैं। यह प्रचार-युद्ध ही संसार में अशांति का बड़ा कारण बन गया है। संयुक्त राष्ट्र-सगठन में भी यह गुटबंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र सगठन में बहुमत अमेरिका के पक्षपाती देशों का है। परंतु जन नज्दा की दृष्टि से इस समय कम्युनिस्ट गुट के देशों का प्रभाव अधिक है। इसलिए यद्यपि वीटो के बल से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र-सभ में अपनी बात मनवा लेता है, किन्तु कम्युनिस्ट गुट की आवाज भी कम जोरदार नहीं। फिर भी दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद नीति के बारे में संयुक्त राष्ट्र-सभ के प्रस्तावों को प्रभावी बनाना विताजक स्थिति नहीं जाएगी।

गुटबंदी के कारण कई बार स्पष्ट रूप से आयाय प्रतीत होने वाली बातें भी संयुक्त राष्ट्र-सगठन में स्वीकृत हो जाती हैं। चूदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सगठन में चीन का प्रतिनिधित्व चांग-काई शेक की कुओमिन्ताग सरकार करती आ रही थी, जबकि बक्स फारमोसा का छोड़कर सारे चीन पर

को प्राप्त हो गया है। अमेरिका का बहुमत होने के कारण अक्सर वहाँ उन विषयों पर कुछ नहीं हो पाता जो कि उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होते। बाँग्ला देश के निर्माण और दक्षिण अफ्रीका के बहिष्कार के समय का अमेरिकी राष्ट्र सभ का रव्य इस बात का प्रमाण है। इस प्रकार की अनुदार वृत्तियाँ आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र-संगठन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं।

संयुक्त राष्ट्र-सभ जिना आदर्शों को लेकर स्थापित किया गया है, यदि वह उनकी तटस्थ रहकर 'याय और साहस' के साथ पूरा करने का यत्न करता रहे तो वह सचमुच मानव-जाति की अनुपम सेवा कर सकेगा। अन्यथा वह भी 'लीग आफ नेशंस' की तरह कुछ ही झटके लगने पर चरमग कर टूट जायेगा और तब विश्व शांति की रही-सही आशा भी जाती रहेगी। अमेरिका में हठ-धर्मिता के कारण कई बार ऐसे अवसर आकर टस गए हैं। भविष्य को भगवान ही जानता है।

५८

अहिंसा और विश्व-शांति

हिंसा-अहिंसा का प्रश्न चिरकाल से बहस का विषय बनता आ रहा है, आज भी बना हुआ है। इस सन्दर्भ में कलिंग की पराजय सत्तार के अन्य अनेक छोटे-बड़े राज्या की पराजय के समान ही साधारण घटना थी। परंतु इसका महत्त्व सत्तार के सांस्कृतिक इतिहास में बहुत अधिक है क्योंकि कलिंग-युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के उपरांत अशोक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे हिंसा की व्यर्थता समझ आ गई। विजय पर प्रसन्न होने के स्थान पर वह यह सोचकर खिन हो उठा कि उसके इस विजय-अभियान में कितने ही व्यक्ति मारे गये, कितने ही घर उजड़ गये, कितनी ही स्त्रियाँ विधवा हो गईं और कितने ही बालक अनाथ हो गये। उस दिन से अशोक ने शस्त्र त्याग दिये और निश्चय किया कि वह भविष्य में कभी शस्त्र द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयत्न न करेगा। वह प्रेम और शांति, भाईचारे के भाव-व्यक्त द्वारा सत्तार को विजय करेगा।

सीजर सिकंदर नेपोलियन और हिटलर जैसे वीर सेनापतियों की साधन-सम्पन्न दुर्जेय सेनायों भी उतनी बड़ी विजय प्राप्त नहीं कर सकीं,

जितायी कि अशोक ने अपने प्रेम द्वारा प्राप्त की थी। भारत के अतिरिक्त सिंहल, जावा, बाली, श्याम, चीन और जापान इत्यादि देशों तक आज बौद्ध धर्म का प्रचार है, यह इस बात का प्रमाण है कि किसी दिन अशोक ने प्रेम-अभियान की विजय ध्वजा यहाँ तक फहराई थी।

अशोक के शस्त्र प्रेम और अहिंसा ही थे। भगवान बुद्ध ने अहिंसा को सब से बड़ा धर्म माना है। किसी भी जीव को मर, बचन या कम से कम दना सच्ची अहिंसा है। अशोक के जो शिलालेख प्राप्त होते हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि उसने जीवमात्र को सुख पहुँचाने के लिए शक्ति भर प्रयास किया था। पिछले दो महायुद्धों के उपरांत आज सत्सारा फिर लगभग उसी स्थान पर खड़ा है, जिस पर अशोक बलिग-विजय के उपरान्त खड़ा था। इस युग में फिर बुद्ध भगवान् ने अहिंसा सदेश का प्रचार किया है, जिस तरह अशोक ने किया था।

बहुत समय तक सत्सारा में बुद्ध का अत्यन्त आकष्यक और शौरवमय स्वरूप चित्रित किया जाता रहा है। भारतीय शास्त्रों ने भी क्षात्र-धर्म को महिमा के गीत गाये और क्षत्रिय को जीते-जी रणभूमि से मुख न मोड़ने का उपदेश दिया। यह भी कहा गया कि रणभूमि में मरने वाला वीर सीधा स्वर्ग पहुँचता है। परन्तु भारतीय क्षात्र धर्म रक्षा प्रधान धर्म या आक्रमण प्रधान नहीं। यूरोप के हेगल, ट्रीट्स्के, नील्से इत्यादि विचारकों ने आक्रमण प्रधान क्षात्र धर्म की प्रशंसा की है। उन्होंने विकासवाद के इस सिद्धांत को माना है कि जीवन-संघर्ष में अधिकतम उपयुक्त प्राणी ही विजयी होते हैं और अनुपयुक्त प्राणी बाल के घास बन जाते हैं। इन विचारकों के कथनानुसार बुद्ध न केवल मानव जाति अस्तित्व सृष्टि के विकास का साधन है। और जब तक युद्ध नहीं होता, तब तक समय-असमय, मूख और बुद्धिमान, भले और बुरे सभी प्रकार के प्राणी सुख से जीवित रहते हैं किसी को भी उनति करने की प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। परन्तु जब एक बार युद्ध आरम्भ हो जाता है, तब असमय और अनुपयुक्त प्राणी समाप्त हो जाते हैं और श्रेष्ठ प्राणियों की सतान ही अपनी वंश-वृद्धि करने उनति और विकास कर पाती है।

इसके अतिरिक्त युद्ध अयाय का उन्मूलन करता है। जो लोग किसी समय सुविधा पाकर अपने अधिकार जमा लेते हैं, वे शांति की आड़ में उन्हें सदा रखते हैं भले ही वे अधिकार कितने ही अनुचित क्यों न हों। परन्तु एक बार युद्ध शुरू हो जाता है, फिर अयाय देर तक टिकने नहीं पाता। मानव प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्धों का निर्धारण नये सिरे से होता

है। इसी प्रकार की युक्तियाँ प्रस्तुत कर इन विचारको ने युद्ध को एक उपयोगी और अभीष्ट वस्तु, जीवन का आवश्यक धर्म बताया है।

परन्तु गत दो महायुद्धों ने युद्ध के सम्बन्ध में लोका की धारणाओं में आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया है। युद्ध मानव-जाति के विकास का साधन न होकर विनाश का साधन प्रतीत होने लगा है। यह ठीक है कि गत दो युद्धों में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रगति हुई, परन्तु वह समस्त प्रगति विनाश की ओर ही हुई है। द्वितीय महायुद्ध में जापान के दो प्रमुख नगरों, हिरोशिमा और नागासाकी का विनाश, इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक विज्ञान ने विनाश के क्षेत्र में कितनी अधिक प्रगति कर ली है। और यह विनाश तो परमाणु-बम से ही किया गया था, अब तो रूसी और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने उससे भी कई गुना अधिक विनाशक कोवॉल्ट और हाइड्रोजन बमों का निर्माण कर लिया है। इन बमों के आविष्कार के पश्चात् तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि यदि युद्ध का एकदम बहिष्कार न कर दिया तो विजेता और विजित दोनों के साथ-साथ आस-पास के देशों का भी अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।

यह बात सम्भवतः किसी समय सत्य रही होगी कि युद्ध में असमर्थ और अशक्त प्राणी मर जाते हैं और समर्थतर प्राणी जीवित बच जाते हैं। परन्तु आजकल के युद्ध में तो समर्थ और बलिष्ठ युवक ही सबसे पहले रणचौकी की वलि चढ़ते हैं। पुराने बूढ़े, छुसट छुराट लोग युद्ध की समाप्ति पर भी ज्यों के त्यों जीवित बच जाते हैं। मानव-जाति का ताजा खून व्यर्थ नष्ट हो जाता है। आधुनिक युद्ध में वे लोग जीवित नहीं बचते हैं, जिन्हें जीवित रहना चाहिए, बल्कि वे लोग बचते हैं, जो कि मरने से बचना जानते हैं। इस विकास की प्रक्रिया कदापि नहीं रुका जा सकता, यह तो विनाश का ही भाग है।

आज का संसार युद्धों की विभीषिका से त्रस्त हो उठा है। इन युद्धों के कारण सारी मानव-सम्पत्ता और समाज का विनाश होता दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए चारों ओर से यह पुकार उठ रही है कि युद्ध का सदा के लिए बहिष्कार कर दो और प्रत्येक विवाद का समाधान शान्तिपूर्ण उपायों से करो। समुक्त राष्ट्र-संघटन तथा बांडुंग आदि में हुए एशिया तथा अफ्रीका के देशों के सम्मेलन का सद्यः भावी युद्ध को रोकना तथा संसार के विभिन्न देशों के मध्य विद्यमान पारस्परिक तनाव को कम करना ही था। चीन के प्रधानमंत्री चाऊ

सहिता और विश्व-शान्ति

३०६

या विभिन्न राष्ट्र ने भी इसे स्वीकार किया और इसे विश्व शान्ति स्थापना के लिए सफल प्रयास माना ।

प्रश्न उठता है कि युद्ध को रोकने का उपाय क्या है ? युद्ध के बीच मनुष्य के स्वभाव में में विद्यमान हैं । यदि हमें युद्ध को सदा के लिए रोकने का यत्न करना है तो हम युद्ध के कारणों को खोज करनी होगी । यदि हम अपनी ही इस शताब्दी में हुए युद्धों के इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इनमें से सभी युद्धों का मूल साम्राज्यवाद, पूँजीवाद, राष्ट्रीयता, जातिभेद, वंशभेद, धार्मिक, लैंगिक वगैरह का प्रभुत्व और सामाज में विद्यमान वंश-भेद इत्यादि थे । इन सब से पीछे मनुष्य की स्वायत्तोलुपता और दूसरे का शोषण करने की प्रवृत्ति काम कर रही है । पूँजीवाद का तो अर्थ ही है—उत्पादन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें सम्पत्तिशाली लोग सम्पत्तिहीन श्रमिकों का शोषण करते हैं । इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि पर छेती करने वाले कृषक अन्न के लिए तरसते हैं, जबकि दूसरी ओर भूमि पर छेती करने वाले सम्पत्तिकों का शोषण करते हैं । अच्छा भोजन खिलाते हैं । इसी प्रकार कारखानों में कपड़ा या दूसरा सामान बनाने वाले श्रमिक उस सामान के लिए तरसते हैं । पूँजीवादी प्रणाली में उत्पादन को बिना से समय पूँजीपति गुलछरें उड़ाते हैं । पूँजीवादी प्रणाली में उत्पादन तो पर्याप्त बढ़ जाता है, किन्तु उस उत्पादन का वितरण उचित नहीं होता । एक ओर सम्पत्ति का ढेर लगता बना जाता है और दूसरी ओर गरीब और गरीब होता जाता है । इसके परिणाम स्वरूप सामाज में शोषक और शोषित दो वर्गों के बीच की खाई अधिक गहरी हो जाती है, जो अन्त में पहले वंश सम्पन्न और फिर युद्ध का कारण बन जाती है ।

इसके साथ ही साथ पूँजीवादी व्यवस्था में जब उत्पादन अधिक हो जाता है, तब अपने माल को बेचने के लिए दूसरे देशों में बाजारों की खोज करनी पड़ती है । उन बाजारों पर अधिकार करने के लिए अस्त्र-बल से साम्राज्य की स्थापना की जाती है । साम्राज्यवाद के अन्तर्गत शांतिव्रत जातियों को निम्न तथा शासक जातियों को उच्च समझा जाता है और अन्त में फिर शासकों और शासिता में समय होता है । इस प्रकार जाति-भेद और वंश भेद युद्ध के सबसे बड़ कारण रहे हैं और आज भी विद्यमान हैं ।

राष्ट्रीयता की उग्र भावना भी कभी-कभी युद्ध का कारण बन जाती है । जैसे द्वितीय विश्व-युद्ध ने पीछे जर्मनी की उग्र राष्ट्रीयता की भावना ही काम कर रही थी । वे अपने-आपको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति मानने लगे थे । १ दस म युद्धों को सदा के लिए समाप्त कर देने का उपाय यही

है कि राष्ट्रीयता के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को अधिकाधिक प्रथम दिया जाये ।

शोषको और शासको के क्रूर पजो से छूटने का अब तक एकमात्र उपाय युद्ध ही समझा जाता था । परन्तु महात्मा गांधी ने ससार के सम्मुख एक नया उपाय प्रस्तुत किया । यह था सत्याग्रह और अहिंसा का उपाय । गांधीजी ने कहा कि प्रेम और अहिंसा द्वारा ससार के कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है । उन्होने अपने सिद्धांत को परीक्षण द्वारा सत्य भी सिद्ध कर दिखाया । भारत की स्वाधीनता उहाद्वे अहिंसक उपायो द्वारा ही प्राप्त की ।

द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रचण्ड कोलाहल में महात्मा गांधी की शान्ति और अहिंसा की आवाज को कम लोगो ने सुना था, परन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर जब युद्ध का उन्माद लोगों के मस्तिष्क पर से उतर गया, तब उह लगा कि वस्तुतः गांधीजी द्वारा बताया गया भाग ही सुख और समृद्धि का भाग है । घृणा घृणा को जन्म देती है, हिंसा हिंसा बढ़ाती है, जबकि प्रेम प्रेम को उत्पन्न करता है । द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरांत राष्ट्रों ने यह अनुभव कर लिया कि विश्व का कल्याण इसी बात में है कि ससार के सब राष्ट्र परस्पर मित्रता और सहयोग द्वारा एक दूसरे की सहायता करें । एक दूसरे के प्रति द्वेषभाव के स्थान पर अपने हृदय में प्रेम को जागृत करें । विश्व-बधुत्व एक अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना में बढ़ि किन्ने बिना स्थायी शान्ति कदापि सम्भव नहीं हो सकती, यह तथ्य आज समस्त विश्व मानने लगा है ।

इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर सयुक्त-राष्ट्र-संघ का निर्माण किया गया । सयुक्त राष्ट्रसंघ सब समस्याओं का हल शान्तिपूर्ण उपायो द्वारा करने का यत्न कर रहा है । कारिया और मिस्र के युद्ध को रोककर सयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शान्ति को भंग होने से बचाया । इराक में शान्ति हुई है और वहाँ पर प्रजातन्त्र शासन की स्थापना की गई । यदि शान्ति स्थापित करने के अहिंसात्मक प्रयत्न न करने हूँ और भारतवर्ष भी हिंसात्मक बंदम उठाते तो तृतीय विश्व-युद्ध अवश्य होता और आधे से अधिक ससार नष्ट हो जाता । वियतनाम के मोड़ों ने भी आज अनुभव किया है कि समस्या का हल युद्ध में नहीं शान्तिपूर्वक वार्ता में है । यही बात परस्पर सघप उत अन्ध देशों के बारे में भी तथ्यपूर्ण है ।

वस्तुतः शान्ति के अभाव में मानव-जाति का विकास सम्भव नहीं । आज तक कितना भी रचनात्मक कार्य हुआ है उत्कृष्ट कला-कौशल और साहित्य का सृजन हुआ है, यह सब शान्ति काल में ही हुआ है । कालिदास, भवभूति,

दुलसीदास, सूरदास, तानसेन तथा ताजमहल के निर्माता शान्ति-काल में ही बन सके थे। भारत ही नहीं यूरोप में भी इतिहास के स्वर्णकाल वहीं कटे जाते हैं जिनमें पर्याप्त लम्बे समय तक शांति रही और इस शान्ति-काल में बला-बौशल और साहित्य इत्यादि का भण्डार भरा जा सका। इसके अतिरिक्त भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि-समृद्धि भी शांति काल में ही ही पाती है। शांति क्षेत्र का विस्तार अहिंसापूर्ण नीतियों पर चलने से ही हो सकता है, यह अकाट्य तथ्य है।

इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि युद्ध त्याज्य वस्तु है और शांति ससार के लिए आवश्यक और अभीष्ट है। यदि युद्ध वा बहिष्कार आर शांति की स्थापना अभीष्ट है, तो हमें अहिंसा और प्रेम की भावना को ही अपनाना होगा। वस्तुतः केवल प्रेम और अहिंसा द्वारा ही शान्ति स्थापित की जा सकती है, समस्त विश्व को एक सुखमय राज्य बनाया जा सकता है। किंतु इसके लिए हमें भगवान् बुद्ध के बताये हुए उही उपदेशों पर आचरण करना होगा, जिन पर अशाक ने किया था। तभी हम भी सुखमय ससार के निर्माण में योग दे पावेंगे। हम, विश्व के हर मनुष्य को, गाँधी बनना होगा। गाँधी—सत्य जिसका आधार था, अहिंसा जिसका अस्त्र, प्रेम जिसकी रणनीति थी और इनसे जिसने मानवता के आदर्श राज्य की प्रतिष्ठा की थी। ऐसे गाँधी बनकर ही हम भूतल को स्वर्ग बना सकेंगे, विश्व शांति का स्वप्न साकार कर सकेंगे, अन्य कोई भी सम्भव उपाय नहीं।

५६ | भारत की विदेश नीति

१५ अगस्त, १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ उस समय समस्त विश्व दो प्रमुख राजनीतिक गुटों में बँटा हुआ था, एक साम्यवादी गुट और दूसरा पूँजीवादी गुट। इन दोनों गुटों में परस्पर गहरा और आधारभूत मतभेद है। ऐसा समझा जाता है कि इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का ससार में साथ-साथ टिक पाना सम्भव नहीं। दोनों ही गुट विकास शक्ति की दृष्टि से पर्याप्त शक्तिशाली हैं। दोनों के पास आधुनिक शस्त्रास्त्र हैं। ऐसे समय स्वभावतः दोनों पक्षों ने यह आशा की कि भारत उनमें से किसी एक के साथ आ मिलेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति काल की पँतीस बरौह जनता तथा विद्यालय क्षेत्रफल बाला

यह देश जिस भी गुट से जा मिलता, उसकी शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाती। इसी कारण दोनों ओर से खींचातानी होने लगी थी। किंतु भारत के कणधारा ने यह निश्चय किया कि भारत किसी भी एक गुट में सम्मिलित नहीं होगा, तटस्थ रहेगा। वह सदा 'याय' का समर्थन करेगा और जहाँ तक सम्भव होगा युद्ध का विरोध करेगा। इस प्रकार भारत की विदेश नीति के तीन मुख्य अंग बने—१ शान्तिप्रियता, २ जातीय वर्ग भेद और साम्राज्यवाद का विरोध, और ३ सक्रिय तटस्थता।

शान्तिप्रियता की बात सुनने में सीधी-सादी प्रतीत होती है। सत्य तो यह है कि सत्सत्कार का कोई भी देश खुले आम यह घोषणा नहीं करता कि वह युद्ध चाहता है। सब यही कहते हैं कि वे शान्ति चाहते हैं। ऐसी दशा में शान्तिप्रियता को किसी देश की विदेश नीति कह पाना कठिन है। परंतु भारत के सम्बन्ध में स्थिति कुछ भिन्न है। उसके नेता जो कुछ कहते हैं, उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं। भारत में फ्रांस और पुतगाल की बस्तियों तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में भारत द्वारा अपनाई गई नीति भारत की शान्तिप्रियता का ज्वलंत उदाहरण है।

स्वाधीन होने के बाद भारतवासियों ने यह अनुभव किया कि इस उप महाद्वीप में कुछ थोड़े-से भागों पर विदेशी फ्रांसीसियों और पुतगालियों का शासन रहना अयायपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से भी देश का हित इस बात में है कि ये बस्तियाँ स्वतंत्र हो जाएँ और भारत का अंग बन जाएँ। यदि भारत सरकार शान्तिप्रिय न होती, तो सत्सत्कार के अन्य देशों की भाँति इन बस्तियों पर बहुत थोड़े रक्तपात द्वारा अधिकार कर सकती थी। इतनी छोटी बस्तियों के लिए युद्ध करना फ्रांस और पुतगाल को अत्यंत महंगा पड़ा और अंत में उन्हें निश्चित रूप से परास्त होना पड़ता। किन्तु भारत सरकार ने जनता की ओर से माँग होने पर भी इन बस्तियों पर आक्रमण नहीं किया। फ्रांसीसी लोग अपेक्षाकृत बुद्धिमान थे। उन्होंने शान्तिपूर्ण चर्चाओं द्वारा स्वेच्छा से अपनी भारत में स्थित बस्तियों का शासन भारत सरकार को सौंप दिया। परन्तु पुतगाली लोग बौद्धिक दृष्टि से फ्रांसीसियों की अपेक्षा हीन और उद्भ्रान्त थे। उनकी बस्तियाँ फ्रांसीसियों की बस्तियों से कम आर छोटी थीं। पुतगालियों की सामरिक शक्ति और आर्थिक सामर्थ्य फ्रांस की अपेक्षा चौथाई भी नहीं थी, जो किन्तु अपनी बस्तियों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध अयायपूर्ण अपना अधिकार बनाए रखने का उसका आग्रह फ्रांसीसियों की अपेक्षा सौ गुना अधिक था। किन्तु भारत सरकार इतने पर भी अपनी शान्तिप्रियता की नीति पर अटिक्त रही। गोआ को स्वाधीन कराने के लिए जनता की ओर से सत्याग्रह हुए।

निःशस्त्र अहिंसक सत्याग्रही गोजा पहुँचकर सत्याग्रह करते रहे। पुतगाली पुलिस उन पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाती और तरह-तरह से उन्हें अनेक यंत्रणाएँ देती रही। अतः मे विवश होकर भारत सरकार को सैनिक शक्ति का प्रयोग करना पडा और उसे स्वतंत्र कराया गया। बाद में पुतगाल न अपनी गतती का अनुभव किया। परिणाम स्वरूप आज भारत के साथ उत्तक सम्बन्ध अच्छे हो गए है।

हम भारतीयो ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा के नैतिक शस्त्रा द्वारा स्वाधीनता सप्राप्त म अंग्रेजो की महान सैन्य शक्ति को पराम्त करके मुक्ति प्राप्त की है। हमारी ऐतिहासिक परम्परा में सम्राट अशोक न प्रेम और अहिंसा द्वारा ही दूर-दूर तक के देशो पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए शांतिप्रियता हमारे लिए केवल मौखिक प्रचार की वस्तु नहीं, अपितु हमारे जीवन-दर्शन का एक अविच्छेद्य अंग है। कोरिया तथा इडोचाइना क युद्धो में मध्यस्थता करके तथा युद्ध विराम के लिए आग्रह द्वारा भारत ने अपनी नीति से अय देशो के मन पर भी यह विश्वास जमा निया कि भारत ने अपनी ही शांति चाहना है। तभी तो आज सारा विश्व इस नीति की सराहना करता है।

जातीय भेद भाव और साम्राज्यवाद का विरोध भारत की विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। यूरोप के देशो ने अवसर से लाभ उठाकर किसी समय ससार के अनेक दशा पर अधिकार कर लिया था और शताब्दिया तक वे उनका शोषण करते रहे। भारत ने भी बहुत दिना तक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शोषण की यंत्रणाएँ सही है। इस समय भारत स्व-न ता पराधीनता से मुक्ति पा चुका है किंतु ससार के अनेक देशो पर अभी तक दूसरे देशो का राज्य है। उन दशा के साथ भारत की पूरी सहानुभूति है और उसने स्वाधीनता सप्राप्तो को भारत का नैतिक समर्थन प्राप्त होता है। डचा के चंगुल से छूटने के लिए इडोचाइना को और फ्रांसीसीय की अधीनता से मुक्त होने के लिए इडोचाइना को भारत की पूण सहानुभूति प्राप्त हुई थी। मिन्न मोरक्को, मलाया अफीका इत्यादि दशा में जहाँ जनता साम्राज्यवादिया के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रही थी वहाँ भारत ने उन्हें पूरी नैतिक सहायता प्रदान की। परिणामस्वरूप य सारे देश भी आज मुक्ति की रास ले रहे हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील अय दशा की जनता के साथ भी भारत की पूण सहानुभूति रही और है। वियतनाम के बारे में भारत का दृष्टिकोण इस बात का स्पष्ट प्रमाण रहा है। पूव बंगाल के पाकिस्तानी तानाशाहा

से मुक्ति-सघर्ष के बाद भारत के निम्वाय प्रयत्न से बगला देश का निर्माण भी इस बात का जीवन्त प्रमाण है ।

दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने जातीय भेदभाव की समस्या को अत्यन्त उग्र रूप दे दिया । आज भी यह समस्या अपनी उग्रता में विद्यमान है । वहाँ गोरे यूरोपियनों तथा काले भारतीयों, पाकिस्तानियों और अफ्रीकनों में अत्यन्त भेद भाव किया जाता है । दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक गोरे बहु-संख्यक काली जातियों पर शासन और उनका शोषण कर रहे हैं । आश्चर्य की बात यह है कि इनके पर भी वे प्रजातन्त्र का दम भरते हैं । भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के इस जातीय भेद भाव के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई । भारतीय प्रतिनिधि न संयुक्त-राष्ट्र सभ में भी विषय को प्रस्तुत किया । संयुक्त राष्ट्र सभ ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातीय भेद भाव की नीति को निन्दनीय ठहराया । यद्यपि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अब भी अपने दुराग्रह पर डटी हुई है परन्तु भारत सरकार भी जातीय भेद भाव के विरुद्ध आदीतन को बढ़ाने में प्रयत्नशील है । दक्षिण अफ्रीका के साथ सरकारी सम्बन्धों का परित्याग इस बात का प्रमाण है ।

भारत की विदेशी नीति का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग उसकी तटस्थता है । हमारी तटस्थता का अर्थ यह नहीं है कि हम सत्तार के अन्व देशों से दूर अलग पड़े रहे, उनसे अपना कोई सम्बन्ध न बनायें और सत्तार में जो कुछ हो रहा है उसे चुपचाप छोड़ देकर देखते रहें । इसके विपरित हमारी तटस्थता का अर्थ केवल इतना ही है कि हम सत्तार के शक्तिशाली गुटों में से किसी भी एक गुट के साथ सदा के लिए सुनिश्चित रूप में नहीं बंध जाना चाहते । किसी भी एक गुट में सम्मिलित हो जाने पर हम स्वतः दूसरे पक्ष के शत्रु समझे जाएंगे और गुट में सम्मिलित हो जाने के कारण हमें अनेक ऐसी बातों को भी मानना पड़ेगा, जिन्हें हम अनुचित और अय्याय समझते हैं । इसीलिए हमारे देश की नीति यह है कि किसी भी एक पक्ष में सम्मिलित न हो जाएँ और प्रत्येक विषय पर उसने औचित्य अथवा अनौचित्य को देखते हुए अपनी सम्मति व्यक्त की जाए । स्वाधीन होने के बाद से भारत सन्धि तटस्थता की इसी नीति पर आचरण कर रहा है ।

तटस्थता की बात इस नीति का पालन बहुत सरल नहीं, यह कई बार स्पष्ट हो चुका है । इससे साफ़ तो है, कई प्रकार की हानियाँ भी हैं । पहले पहल हमारी इस नीति के महत्व को अन्व देशों ने अनुभव नहीं किया । उन्होंने समझा कि भारत एक अवसरवादी देश है जो मौका देखकर कभी इन पक्ष में

हो जाता है और कभी उस पक्ष में। साम्यवादी और पूँजीवादी दोनों ही गुट यह समझने लगें कि भारत उनका मित्र नहीं है। प्रारम्भ में इस कारण भारत को काफी अगुविधा हुई परन्तु धीरे धीरे स्थिति सुधर गई। अनुभव से सभी दशा ने यह समझ लिया कि भारत की तटस्थता केवल स्थिरावस्था अथवा अवसरवादिना पर आधारित नहीं है, अपितु 'याम और अन्तरात्मा की आवाज पर आधारित है। इसीलिए सब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारतीय राजनीतिज्ञों का मान-सम्मान बहुत बढ़ गया।

गुटबन्दी की दृष्टि से तटस्थ हात हुए भी भारत संसार के सब देशों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखने की नीति पर अनवरत गतिशील है। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर अपन श्रेष्ठ सभी पड़ोसी देशों के साथ तो भारत के सम्बन्ध अत्यन्त मन्त्रीपूर्ण हैं। अब चीन और पाकिस्तान के साथ बिगड़े सम्बन्धों में भी क्रमशः सुधार आ रहा है। इंग्लैंड और अमेरिका के साथ तो भारत के सम्बन्ध पहले से ही पर्याप्त घनिष्ठ थे, रूस के साथ भी हमारे सम्बन्ध इन दशा से कहीं बढ़कर अत्यन्त मधुर हो गए हैं। इस प्रकार भारत संसार के सभी देशों के साथ अपने सम्बन्ध मित्रतापूर्वक बनाए रखना चाहता है। अब पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की दिशा में भी अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। चीन के प्रति रव भी अच्छे सम्बन्ध बनाने का है।

भारत की विदेश नीति में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि अन्त्य देशों के आन्तरिक मामलों में यथासम्भव हस्तक्षेप न किया जाए। अपने देशों की आन्तरिक समस्याओं को सुधारने या उत्तम परिवर्तन करने की स्वाधीनता प्रत्येक देश को होनी चाहिए। इसीलिए भारत न तो किसी अन्त्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और न यह चाहता है कि कोई अन्त्य देश उत्तने आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। इन दिनों भारत-अमेरिका के सम्बन्धों में जो दरार पड़ी हुई है उसका कारण अमेरिका सरकार का मानवतावादी दृष्टिकोण से हट जाना और आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का प्रयत्न ही है जिसे स्वतन्त्र भारत का स्वाभिमान कभी सहन नहीं कर सकता।

भारत की विदेश नीति हमारे देश के लिए और श्रेष्ठ संसार के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुई है। भारत को अपने आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए दाना ही गुटा से बिना किसी शर्त के सहायता प्राप्त हो रही है क्योंकि किसी शर्त में उधर सहायता लेना भारत ने स्वीकार नहीं किया। वह अमेरिका या अन्त्य किसी भी देश का अहसान नहीं ओढ़ना चाहता जबकि अमेरिका परोप रूप से ही सही, सशक्त सहायता करना चाहता है। उसे भारत

ने ठुकरा दिया है। फास से अणु-ईंधन पाने में सफलता हमारी विदेश नीति की सफलता का एक और प्रमाण है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत को वही विदेश नीति सफल कही जा सकती है जिसके पीछे राष्ट्र की सबल अर्थ-नीति हो, निरुद्ध राजनीतिक स्थिति हो, सुदृढ़ धरलू व्यवस्था हो और एक शक्तिशाली सैनिक सगठन हो, जिसे आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया गया हो। अब भारत इस स्थिति तक पहुँच गया है। परिणाम विरोधी कहे जाने वाले पड़ोसी देश भी उसकी मित्रता चाहने लगे हैं।

६० | समाचार पत्रों का महत्व

आज का युग अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों में जी रहा है। नव युग की चेतनाओं के अनुरूप ही आज समाचार पत्र जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति का निर्वाह समाचार पत्रों के बिना कठिन हो गया है। चाहे कोई व्यापारी हो, राजनीतिज्ञ हो, या कोई सामान्य व्यक्ति, उसे ससार में नित्य प्रति घटने वाली घटनाओं को जानने के लिए समाचार पत्र पढ़ना ही पड़ता है। उसके बिना जीवन का दम घटने लगता है।

समाचार-पत्रों का विशेष प्रचलन और प्रचार गत शताब्दी से हुआ है। प्रजातंत्र के उत्थान के साथ-साथ समाचार पत्रों का महत्व भी बढ़ता गया। प्रजातंत्र में जनता की राजनीति में दिलचस्पी रहती है, अतः लोग ताज़े-ताज़े समाचारों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए समाचार-पत्रों की माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। भारत की अपेक्षा अमेरिका और योरोपीय देशों में समाचार-पत्रों का प्रचार बहुत अधिक है। भारत में समाचार-पत्रों की दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण यह है कि यहाँ कि अधिकांश जनता अशिक्षित है। जैसे-जैसे आम जनो में शिक्षा का प्रसार होगा, त्यो-त्या समाचार पत्रों का प्रचार भी बढ़ेगा।

समाचार-पत्रों में हम अनेक लाभ हैं। समाचार-पत्रों द्वारा हम घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में हो रही घटना का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यदि उस घटना का हम पर कोई अनुकूल प्रभाव होने वाला हो, तो हम

उससे लाभ उठा सकते हैं और यदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, तो हम उससे पहले ही सावधान हो सकते हैं। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उसे नई-से-नई, ताज़ी घटनाओं की पूरी जानकारी हो, अथवा उस व्यक्ति को शिक्षित होने पर भी समय से पिछड़ा हुआ समझा जाता है। व्यावहारिक ज्ञान-वृद्धि में समाचार-पत्र बहुत सहायक होते हैं।

समाचार पत्रों में केवल समाचार ही नहीं होते, अपितु अनेक सामयिक, उपयोगी और ज्ञानवद्धक लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। इन लेखों द्वारा पाठकों को विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती रहती है। सम्भवतः सभी अच्छे समाचार-पत्र नए-नए आविष्कारों तथा अन्य लोकोपयोगी विषयों के सम्बन्ध में योग्य विद्वानों द्वारा लिखे गए लेख प्रकाशित करते रहते हैं। समाचार-पत्र ज्ञान के कोष और भाग-दशक होते हैं।

समाचारों की जानकारी के अतिरिक्त समाचार-पत्र पाठकों के विचारों को दिशा देते हैं। प्रायः सभी पत्रों में सम्पादकीय अग्रलेख रहता है, जिसमें तत्कालीन महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी सम्मति व्यक्त की गई होती है। सामान्य व्यक्ति के पास न तो इतना समय होता है और न इतनी सुविधायें हैं कि वह प्रत्येक प्रश्न के सम्बन्ध में स्वयं विस्तृत जानकारी प्राप्त करे और उसके आधार पर अपने विचार बनाए। साधारणतया सामान्य व्यक्ति किसी भी विषय में अपने पत्र के सम्पादकीय लेखों को पढ़कर ही अपने विचार बना लेता है और आम लोगों की धारणाओं से परिचित हो पाता है।

समाचार पत्रों में पाठकों का स्तम्भ भी होता है। पाठक जिस विषय में कि-ही विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें सम्पादक के नाम पत्र लिख कर भेज देते हैं। सम्पादक उन विचारों को पाठकों के स्तम्भ में प्रकाशित कर देते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्र जनता के विचारों को प्रकट करने के लिए माध्यम का कार्य भी करते हैं। समाचार-पत्र में पाठक केवल दूसरों के विचार ही नहीं पढ़ता, अपितु समय-समय पर अपने विचार भी अथवा पाठकों तक पहुँचा सकता है। विचारों के आदान-प्रदान का इससे सुगम माध्यम और कोई भी उपलब्ध नहीं है।

समाचार-पत्र विज्ञापन का अत्यन्त उत्कृष्ट साधन है। इन विज्ञापनों की देय-पढ़ कर पाठक अपने उपयोग में आने वाली लाभदायक वस्तुओं की जानकारी ठीक समय पर प्राप्त कर सकता है और जिस वस्तु को उपयोगी समझे उसे खरीद सकता है। हममें विज्ञापन दाताओं को यह लाभ होता है कि

जो उन्हें खरीद सकते हैं। इस प्रकार समाचार-पत्र उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का माध्यम है। अदान प्रदान के साधन हैं।

समाचार-पत्रों में रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में भी विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। इन विज्ञापनों से बेकार व्यक्तियों को यह मालम हो जाता है कि कहर कौन सा स्थान रिक्त है। वे उस पद के लिए प्राथम्य-पत्र भेज सकते हैं और उस पद पर नियुक्त होने का प्रयत्न कर सकते हैं। आजकल हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है। इसलिए रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। इसी प्रकार संस्थानों के मालिक रिक्तियों का विज्ञापन निकालना-योग्य व्यक्ति पा लेते हैं।

प्रजातंत्र में समाचार-पत्रों का महत्त्व क्या किसी भी शासन प्रणाली को अपेक्षा नहीं अधिक आता है। इसीलिए प्रजातंत्रीय शासन में समाचार पत्रों को एक महत्त्वपूर्ण जायदाद के समान ही माना जाता है। प्रजातंत्र शासन में सरकार का चुनाव जनमत के आधार पर ही होता है। समाचार पत्र जनमत को बदलने में अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। जिस पत्र के पाठकों की संख्या जितनी अधिक हो, जनता पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। उस पत्र की नीति का सरकार को उतना ही अधिक ध्यान रखना पड़ता है। समाचार-पत्र सरकार के गलत कामों की कठोर आलोचना करके उसे जनता की दृष्टि में गिरा सकते हैं और उसकी प्रशंसा करके उसे जनता की दृष्टि में उठा भी सकते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र में समाचार-पत्र शक्ति का आधार स्तम्भ हैं।

समाचार पत्र महत्त्वपूर्ण अवसरा पर जनमत का भी प्रगट करते रहते हैं जिससे देश की सरकार यह समझ सके कि उन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर जनता की सम्मति क्या है। समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि देश विदेश सब जगह फँसे होते हैं और किसी भी समस्या पर वे अपने क्षेत्र की जनता की सम्मति को भली भाँति जानकर उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित करवा देते हैं। इससे सरकार बीच-बीच में जनता के रुख को पहचान सकती है। प्रजातंत्र में सरकार को जनता की इच्छा के अनुसार ही चलना होता है। यदि सरकार जनता की इच्छाओं का पालन न करे तो आगामी चुनावों में जनता सरकार को बदल सकती है। इस प्रकार समाचार-पत्र देश की जनता और सरकार के मध्य में भी एक उपयोगी माध्यम का काम करते हैं। दोनों की इच्छा-आकांक्षा क्रिया प्रतिक्रिया से एक-दूसरे को परिचित कराते हैं।

इससे स्पष्ट है कि देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में समाचार पत्रों का महत्व अधिक है। यदि समाचार-पत्र किसी प्रयास या नियम विधान को जनोपयोगी न समझें तो वे उसके विरुद्ध जोरदार आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं। हमारे देश के समाचार-पत्रों ने देश की राजनीतिक स्वाधीनता तथा समाज-सुधार के अनेक आन्दोलनों का उत्साहपूर्वक समर्थन किया था, जिससे उन आन्दोलनों को बहुत बल मिला और वे आन्दोलन सफल भी हो सके। आज भी अनेकानेक ऐसे ही हैं।

समाचार-पत्रों में इतनी अधिक शक्ति है, इसलिए उनके सिर पर यह उत्तरदायित्व भी आ जाता है कि वे अपनी इस शक्ति का सदुपयोग ही करें, दुरुपयोग नहीं। दुर्भाग्य से भारत ही नहीं, ससार के सभी देशों में ऐसे अनेक पत्र हैं जो अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं करते। ऐसे पत्र हत्या, धर्मविचार तथा अन्य अपराधों के सनसनीपूण समाचार मोटे-भाटे शीपकों में प्रकाशित करते हैं और पाठकों की कुत्सित वासनाओं को जगाकर अपनी सोफिस्टिकता बढ़ाते हैं। बहुत से समाचार-पत्र समाचारों के प्रकाशन में निष्पक्ष नहीं हैं। वे घटनाओं का विवरण प्रकाशित न करके उस समय अपनी ओर से मनमाना रंग चढ़ा देते हैं, जिनके कारण बड़ी बरामदायक घटना भी अत्यधिक उत्तेजना का कारण बन जाती है। निष्पक्षता समाचार-पत्र की सफलता की कुंजी है तो घटनाओं एवं समाचार का सदुपयोग उसका धर्म। ऐसा करके ही समाचार-पत्र अपने पवित्र दायित्व का उचित निर्वाह कर सकता है।

बहुत बार कुछ समाचार-पत्र लोगों में केवल सनसनी जगाने के उद्देश्य से ऐसी घटनाओं को तूल दे देते हैं, जो बाद में भारी उपद्रव का मूल बन जाती हैं। यदि समाचार-पत्रों के सम्पादक विवेक से काम लें और जनमत को सदा उचित माँग पर ले जाने का प्रयत्न करें, तो अनेक विपत्तिजनक घटनाएँ होने से रोकੀ जा सकती हैं। किन्तु आजकल प्रायः सभी पत्रों का किसी न-किसी राजनीतिक दल से गठबंधन रहता है, इसीलिए वे सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को अपने-अपने दल के दृष्टिकोण से ही प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता।

पत्रकारिता की दृष्टि से उचित यह है कि समाचारों को पूर्णरूपेण निष्पक्ष होकर प्रकाशित किया जाए। सम्पादकों को इतना अधिकार अवश्य है कि वह अपने सम्पादकीय लेख में उन घटनाओं पर अपने चाहे जा भी विचार व्यक्त करें, किन्तु समाचारों को किसी भी दशा में अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रजातंत्र शासन में समाचार-पत्रों को यह स्वाधीनता दी जाती है कि वे सब सच्चे समाचारों का प्रकाशन कर सकते हैं, और उन समाचारों पर ऐसी चाहे जो टिप्पणियाँ लिख सकते हैं, जो समाज में पारस्परिक विद्वेष फैलाने वाली या किसी एक व्यक्ति अथवा सम्मूह के लिए अपमानजनक न हों। समाचार-पत्रों को इस स्वाधीनता को नैतिक दृष्टि से बहुत महत्त्व दिया जाता है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए समाचार-पत्रों को सम्वन्ध नमय तक फ़ौरी परिश्रम करना पड़ा है।

समाचार-पत्रों को भी अपने आपकी इस स्वतंत्रता के योग्य बनाना आवश्यक है। यदि समाचार-पत्र अपने उत्तरदायित्वों का पूरी तरह ध्यान रखें, तब यह स्वाधीनता बनी रह सकती है। यदि समाचार-पत्र सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए समाज का हित भूलकर झूठे-सच्चे अपराधों को प्रोत्साहन देने वाले सनसनीपूण समाचार प्रकाशित करें, और उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ प्रकाशित करें, तो किसी भी सरकार के लिए ऐसे पत्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे पाना सम्भव नहीं है। वैसे भी युद्ध अथवा अन्य सकट के अवसरों पर समाचार-पत्रों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। सामान्य काल में दायित्व-निर्वाह करके ही समाचार-पत्र सम्मानपूर्ण ढंग से जीवित रह सकते हैं।

एकतंत्र या तानाशाही शासन प्रणाली में समाचार-पत्रों को बड़ी स्वाधीनता नहीं होती जैसी प्रजातंत्र शासन प्रणाली में रहती है। इसका परिणाम यह होता है कि तानाशाही शासकों को जनमत में चल रही प्रवृत्तियों को सही-सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसीलिए ऐसे राज्यों में हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ अधिक होती हैं। प्रजातन्त्रात्मक शासन में समाचार-पत्रों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता होने के कारण रक्त-हीन होती नहीं पाता। इस प्रकार समाचार-पत्रों की है। भारत में जब आपात स्थिति घोषित हुई प्रतिबन्धित हो गए थे। इस कारण होने वाली है किया गया था।

समाचार पत्रों की
का अर्थ

भारत में प्रजातंत्र और शिक्षा का विकास हो रहा है। इसलिए यह निश्चित है कि जनमत को शिक्षित करने के माध्यम के रूप में अभी यहाँ समाचार-पत्रों का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ेगा। वह दिन दूर नहीं है, जब भारत में भी समाचार-पत्रों की लाखों प्रतियाँ प्रतिदिन बिका करनी। समाचार-पत्र प्रकाशन महंगा हो जाने पर भी उसकी लोकप्रियता और माँग वृद्धि पर है, इसमें कोई शक नहीं।

६१ / निःशस्त्रीकरण

आत्मरक्षा प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। इसीलिए आदि काल से ही मानव ने अपनी रक्षा के लिए शस्त्र बनाकर उनका उपयोग करना सीखा है। जब मानव वन में रहता था, तब भी वह पत्थर आदि के शस्त्र बनाकर जगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था। ज्यों-ज्यों मानव प्रगति करता गया, उसने शस्त्र भी अच्छे भयकर तथा घातक बनते चले गए।

आरम्भ में तो मनुष्य की जगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए ही शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती थी, परन्तु जब वह उन्नति करके सगठित होकर ग्राम व नगर बसाकर रहने लगा, तब उसे मनुष्यों में आपस में ही युद्ध करने के लिए शस्त्र का निर्माण करना पड़ा। मनुष्यों में आपस में ही युद्ध होने लगे और युद्ध का रूप क्रमशः भयकर होता चला गया। रामायण, महाभारत आदि के युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

आज हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। इस बीमारी सदी में जहाँ विज्ञान ने मानव को वायुयान, जहाज, रेडियो, टेलिफोन आदि अनेक वस्तुएँ वरदान के रूप में दी हैं वहाँ उसकी ऐसे भयकर तथा ध्वंसकारी शस्त्र भी दिए हैं जिनसे आज समस्त सार्वभौमिकताएँ खतरे में हैं। अपने द्वारा निर्मित शस्त्रों से मानव अपने सवनाश की तैयारी कर रहा है। आज क्षण शकित के विकास का युग है। वैज्ञानिकों ने अणु-बम, हाइड्रोजन-बम, को बाल्ट और नापाम दम आदि ऐसे भयकर बमों का निर्माण किया है जिनसे बड़े-बड़े नगर देखते ही मिट्टी में मिल सकते हैं। सारी सृष्टि अतीत की कहानी बन सकती है।

आज विभिन्न राष्ट्र सरस्त्र देना तथा आधुनिक वैज्ञानिक शस्त्रों पर बहुत बड़ी धन राशि व्यय कर रहे हैं। समस्त राष्ट्रों का शस्त्र तथा क्षत्रिका

पर वार्षिक व्यय का अनुमान लगभग एक खरब पौण्ड से भी अधिक का है और विश्व में दो करोड़ से भी अधिक सशस्त्र सैनिक हैं। इनमें साम्यवादी गुट के लगभग नब्बे लाख सशस्त्र सैनिक हैं और पचास-साठ हजार वायुयान हैं। साम्राज्यवादी राष्ट्रों के गुट के पास लगभग उतने ही सैनिक, साठ-सत्तर हजार वायुयान और सहस्रो जहाज हैं। शेष राष्ट्रों के पास इनकी अपेक्षा बहुत ही कम सैनिक शक्ति है। परन्तु विश्व में सोवियत रूस, समूह राष्ट्र-अमेरिका, चीन आदि कुछ ही महान् शक्तियाँ हैं। चीन को तो अब अपार सैन्य-शक्ति का देश कहा जा सकता है। इसके पास सभी नवीनतम शस्त्र मौजूद हैं। परन्तु इनमें भी प्रथम दो की शक्ति बहुत अधिक है। इनके पास ऐसे-ऐसे राकेट भी मौजूद हैं जिनके द्वारा वे सैकड़ों मील दूर तक बम फेंक सकते हैं। चीन भी इस दिशा में निरन्तर प्रगति कर रहा है। फ्रांस के प्रयत्न भी पीछे नहीं हैं। अ य देश भी इस दिशा में निरन्तर सक्रिय है।

आज इन शस्त्रों का भय केवल छोटे छोटे राष्ट्रों को ही नहीं है। यदि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, तो समस्त योरोप महाद्वीप तहत-नहत हो जायेगा। यह ठीक है कि एशिया तथा अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीपों को बरखादी का सामना करना पड़ेगा, परन्तु योरोप का तो इस भूमण्डल पर अस्तित्व नहीं रहेगा। इस विचार से विश्व के सभी राष्ट्र तथा महान् राजनीतिज्ञ सहमत हैं। रूस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री ख्रुश्चेव ने एक बार कहा था, अमेरिका योरोप तथा एशिया के विभिन्न देशों में सैनिक अड्डे बना रहा है। ये सभी स्थान मरुस्थल में नहीं हैं। ये घनी आबादी वाले स्थानों पर हैं। यह सही है कि अड्डे हमारे समीप हैं और हमारे विरुद्ध ये मोर्चे अच्छी प्रकार लगाए जा सकते हैं। परन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे समीप ही हैं और हमारे लिए भी जैसे का तैसा उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमारे ऊपर गिराए जाने वाले बमों को ऐटी एयर क्राफ्ट फॉयर रॉकेटों से रोका जा सकता है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक वैज्ञानिक शस्त्रों से कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। समूचे विश्व को विनाश का समान भय है।

जब से द्वितीय विश्व-युद्ध में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणुबम गिराए गए हैं, तब से इन बमों की ध्वंसकारी शक्ति को देखकर समस्त विश्व को भय उत्पन्न हो गया है। द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के पश्चात् तो और भयकर तथा अधिक प्रलयकारी बमों का निर्माण हो चुका है। ऐसी स्थिति में सभी राष्ट्रों के सम्मुख यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि किस प्रकार विश्व को

प्रलय के मुख में जाने से बचाया जाए और विश्व शांति को कैसे स्थिर रखा जाए। प्रश्न बड़ा गम्भीर और उत्तेजक है।

इसी आशय से प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति पर विश्व के बड़े राष्ट्र ने मिलकर 'लीग आफ नेशंस' की स्थापना की थी। परन्तु इस विश्व सम्मेलन की सफलता न प्राप्त हो सकी और द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रारम्भ होते ही इस विश्व-संस्था का अन्त हो गया। द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर विश्व में शांति रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय झगडों का निणय कराने के लिए 'संयुक्त-राष्ट्र संघ' की स्थापना की गई। यह संस्था उसी समय से विश्व में शांति बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रही है और अभी तक इसे समझाया जा रहा है।

खुद की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र-संघ में भी दो गुट बने हुए हैं। सभी राष्ट्र इस बात से तो सहमत हैं कि विश्व शांति के लिए निःशस्त्रीकरण अति आवश्यक है। वरिषों से निःशस्त्रीकरण का फ़ैसले के सम्मुख विभिन्न प्रस्ताव उपस्थित किए जा रहे हैं परन्तु वास्तव में प्रस्ताव रखने वाले गुट का उद्देश्य किसी विशेष निर्णय पर पहुँचना न होकर केवल विश्व में शांतिप्रिय नीति का प्रशान करना मान ही होता है। प्रत्येक गुट अपने हित का ही ध्यान न रखकर प्रस्ताव रखता है। अब तक तो प्रत्येक गुट पहले म ही यह विचार करके प्रस्ताव पेश करता आया है कि विपक्षी उसे अवश्य अस्वीकार कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि निःशस्त्रीकरण असम्भव है परन्तु निःस्त्रीकरण उसी समय सम्भव है जबकि दोनों पक्षों के राष्ट्र सत्त्व हृदय से इसे चाहेंगे। केवल मात्र अपने ही हित का भी ध्यान न रखकर दूसरों के हित का भी ध्यान रखेंगे।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सभी राष्ट्र निःशस्त्रीकरण के लिए सहमत कैसे हो सकते हैं ? निःशस्त्रीकरण की इच्छा प्रकट करने में स्पष्टतः सभी का राजनीतिक स्वाय है। बड़े राष्ट्रों में एशिया व अफ्रीका के देशों का विश्वास प्राप्त करने की होड लगी हुई है। एशिया व अफ्रीका के ये देश अभी दासता की शृंखला को तोड़कर मुक्त हुए हैं और अब इनको दबाया नहीं जा सकता। इन सभी देशों में युद्ध के विरुद्ध जो भावना उत्पन्न हो रही है उसकी बड़े राष्ट्रों को नहीं कर सकते और विशेषकर उन देशों में जिनके राष्ट्रों भी विभिन्न गुटों में विभाजित हैं। इसीलिए प्रत्येक बलशाली राष्ट्र सत्तार के सम्मुख अपने-आपको शान्तिप्रिय सिद्ध करना चाहता है। इसके

अतिरिक्त इन बड़े राष्ट्रों की भी अधिकांश जनता युद्धों से थक चुकी है और वह युद्ध की पूरा रूप से विरोधी है। इसलिए ये बड़ी शक्तियाँ निःशस्त्रीकरण के पक्ष में हैं। फिर भी कोई विशेष सक्रियता दिखाई नहीं देती।

बेवेलमान कुछ समय के लिए सेना में कटौती कर देने तथा अणु-शस्त्रों के उत्पादन को रोकने से निःशस्त्रीकरण सम्भव नहीं है। सबसे बड़ा हाइड्रोजन तथा अणु-बमों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि वे प्रलयकारी शस्त्र केवल रूस या अमेरिका के पास ही होते, तब तो इन पर प्रतिबंध सरलता से लगाया जा सकता था और कोई भी निःशस्त्रीकरण काफ़ेस किसी विशेष निर्णय पर पहुँच सकती थी। परन्तु आज तो अनेक राष्ट्रों के पास अणु-शस्त्र मौजूद हैं और कोई भी राष्ट्र दूसरे को धमकी दे सकता है। परन्तु यदि विश्व की स्थिति ऐसी ही रही जैसी कि आज है तो अवश्य ही एक-न-एक दिन तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ जाएगा और सत्तार का एक बड़ा भाग युद्ध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। निःशस्त्रीकरण के घतमान खड़े को एकदम समाप्त कर देना चाहिए। आज अन्तर्राष्ट्रीय वाद विवाद होते हैं, सभाएँ या काफ़ेस होती हैं, परन्तु उनका कोई परिणाम नहीं निकलता है। यह तो उसी समय सम्भव हो सकेगा जबकि सभी राष्ट्र पूर्ण रूप से किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए कटिबद्ध हो जाएँगे। निःशस्त्रीकरण के समझौते के एक प्रारूप पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए भी हैं—विशेषतः अणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने के लिए। पर उसका तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक कि विनिर्मित अणु शस्त्रों को पूर्णतया विनष्ट नहीं कर दिया जाता। निर्धारित शर्तें सभी पर समान स्तर पर लगाई जानी भी आवश्यक हैं।

यदि मानव जाति अपना कल्याण चाहती है, सत्तार में निधनता तथा झगड़ों को दूर करना और अपने-आपको सुखी तथा शांत बनाना चाहती है, तो शीघ्रतिशीघ्र अणु शस्त्रों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना तथा सेना में कटौती करना आवश्यक है। साथ ही राष्ट्रों के पारस्परिक मन मुटाव उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर कर देना चाहिए और हमें अपने देश में अणु-शक्ति का सुख और शान्तिपूर्ण कार्यों के आविष्कारों में प्रयुक्त करना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो निकट भविष्य में ही एक-न-एक दिन ऐसा भयानक विस्फोट होगा कि समस्त सत्तार में हाहाकार मच जाएगा और जाने कितने निर्दोष स्त्री बच्चे बूढ़े तथा युवकों को बाल का प्राप्त बनना पड़ेगा। कितने नगर तथा विशालकाय भवन मिट्टी में धूँल हो जाएँगे। वात तभी हो सकती है कि जब निःशस्त्रीकरण और उन पर पर साँ किया जाए, अथवा । आज सभी

राजनीतियों आदि को ठण्डे मन-मस्तिष्क से हस्त दिया में सोचकर, तत्काल उचित पग उठाने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि समय का पछी उड़ जाए और उसकी उदान देख पाने वाला भी कोई न रहे।

६२ | प्रदूषण की समस्या

'प्रदूषण' शब्द 'प्र' उपसर्ग और 'दूषण' धात्वपत्र पद, इन दो शब्दों के मिल से बना है। 'प्र' उपसर्ग का प्रयोग किसी का प्रक्षय या आधिक्य बताने के लिए किया जाता है। 'प्रदूषण' शब्द का अर्थ होता है—दोषपूर्ण और इस अर्थ से अस्वास्थ्यकर, अतएव त्याज्य हुआ करता है। इस प्रकार 'प्रदूषण' शब्द का अर्थ हुआ—किसी वस्तु विशेष का दोषपूर्ण, अस्वास्थ्यकर और अपवित्र हो जाना। जो अपवित्र और अस्वास्थ्यकर है, वह स्वभावतः त्याज्य भी है। परंतु आज की मानवता की यह धोर विवशता है कि वह अपने आस-पास के समूचे वातावरण को प्रदूषित जानकर भी उसका त्याग नहीं कर सकती। जो अपवित्र और अस्वास्थ्यकर है, वह प्राकृतिक पर्यावरण जो अपने-आप में स्वच्छ और जीवित जीवन माना गया है, वह सभी-कुछ ही प्रदूषित हो गया हो ता त्थाग तो सभी सम्भव हो सकता है, जब कोई एक-दो वस्तुएँ दूषित हो गईं हों। जब सारा वातावरण—अर्थात् वह वायु-मण्डल जिसमें हम साँस लेते हैं, वह जल जिसे जीवन प्राण दायक है, वह सभी-कुछ ही प्रदूषित हो गया हो ता त्तिमस एव जीवन प्राण दायक है, वह सभी-कुछ ही प्रदूषित हो गया हो ता जीते जी सभी कुछ का, सारे सगर का ही परित्याग सम्भव नैवे हो सकता है ? सम्भव हो या न हो, पर यह एक कठोर सत्य है कि आज हम जिस वायु में साँस ले रहे हैं, जो अ-न-जल ग्रहण कर रहे हैं, जिस प्रकार के परिवेश में रह रहे हैं वह सब इस सीमा तक प्रदूषित होता जा रहा है कि यदि शीघ्र ही इसको रोकने के उचित एव कारगर उपाय न किए गए तो प्राणिमात्र का जीवन दूधर हो जाएगा।

इस प्रकार 'प्रदूषण' का अर्थ हुआ पर्यावरण की दोषपूर्ण हो जाना। प्रदूषण की इस सघातक एव भयावह समस्या से न केवल भारत बल्कि आज का समूचा विश्व प्रपीडित है। प्रकृति प्रदत्त वायु और जल ही जब पवित्र निर्दोष नहीं रह गए, तो दानवी वस्तुका का तो कहना ही क्या। आज जब हम साँस लेते हैं, ता प्रत्येक साँस श्वास जाने बितने विषाणु हमारे भीतर पहुँच जाते हैं। महानगरो में जो जल पीते हैं, गन्दे-विषैले पानी से उगाई गई सब्जियाँ

म्राते हैं तो जान कितने रोगाणु हमारे भीतर स्वतः ही पनप उठते हैं। उस पर वन-बारदानों की चिमनिया से उठने वाला धुआँ, धुआँ-गस उगलती गाड़ियाँ से साँसा में घुलने वाला विष, अन्य प्रकार के धूम धोआँके, चिल्लापा, शोर मार शोर गडगडाहट और चारा ओर मच रहा हडबम्प आदि सभी कुछ तो पर्यावरण के प्रदूषण का कारण बन कर रह गया है। इसमें नये-नये रोग और मानवीय असमर्थताएँ उजागर होकर जीवन को और भी अधिक खाखला करती जा रही हैं। तभी तो आज के वैज्ञानिक और सजग बौद्धिक इस बात के लिए अत्यधिक चिंतित हैं कि मानवता की इस अघी दौड़ का भविष्य क्या होगा। उनका साँचना-बहना है कि यदि शीघ्र ही पर्यावरण-सम्बन्धी प्रदूषण को न रोका गया, तो मानवता तड़प-तड़प कर समाप्त हो जाएगी। जीवित रहने पर भी अघी, बहरी, लूली-सगड़ी और दीन-हीन बन जाएगी। ऐसी-ऐसी सघात्मक बीमारियाँ सामने आने लगेंगी कि दूढ़ने पर भी उनका इलाज संभव नहीं हो सकेगा। साथ ही युग-युगा की अनवरत सचेष्ट साधना के बाद मानवता ने जिस कला-सौंदर्य का सृजन किया है, वह सब भी कुरूप-कुडौल बन कर रह जाएगा। तात्पर्य यह कि जब चेतन जीवन और सत्ता का कार्य भी प्राणी, पदार्थ और भाग इस प्रदूषण के दूधित प्रभाव से बच नहीं पाएगा। अतः प्राथमिक स्तर पर इस मारक समस्या के उचित एवं दीर्घकालिक उपाय करने की आज बहुत अधिक आवश्यकता है।

अब तनिक इस चहुँमुखी एवं सव्याही प्रदूषण के कारणों पर भी सक्षम में विचार कर लिया जाए। कारणों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक मानवीय लोभ-लालच और दूसरी विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपदानों की अघी दौड़। पहले कारण के रूप में आज मानव की लालसाओं का विचार इस सीमा तक हो चुका है कि वह पर्यावरण को शुद्ध रखने में समर्थ वनों उपवनों और जंगलों को अघा धुंध काटता जाता है। लालची मनुष्य ने सुरक्षित वन भी सुरक्षित नहीं रहने दिए। अथ प्राकृतिक उपादानों को भी वह तेजी से समाप्त करता जा रहा है। प्रकृति से जैसे उसका कोई लगाव ही नहीं रह गया। नगरो, महानगरो और गाँवों के आस-पास के वन और चरागाह तो लालची मनुष्य ने समाप्त कर ही दिए हैं, वह खाली भूमि पर निर्माण-काय भी इस प्रकार और इस तरह से कर रहा है कि वहाँ रहने वालों के लिए वही से शुद्ध एवं ताजी हवा भी गुजर कर भीतर न आ सके। जन-संख्या की अबाध वृद्धि और नगरो की ओर अनियंत्रित दौड़ भी पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण माना जा सकता है। कम क्षेत्रफल भूमि पर जब अधिक जनसंख्या का दबाव पड़ेगा, तो स्वभावतः उनकी साँस ही हवा का गंदी कर

दगी—बाकी दैनिक प्रवृत्तियों निवृत्तियों को तो जाने ही दीजिए। इस प्रकार अनेकविध अभाव-अभियोग भी जीवन को प्रदूषित एव दूभर कर रहे हैं।

दूसरे बग के कारणों में औद्योगीकरण की अघाघुघ प्रवृत्ति प्रमुख रूप से वातावरण को दूषित कर रही है। नित नये-नये कल-कारखाने आवादियों के बीच-बीच खड़े किए जा रहे हैं। उनमें तेल गैस, कोयला जलता है। सुलगती और काले कणा-सहित अवाध, घटापोप धुआँ उगलती भट्टियों ने लोहा, रबर, प्लास्टिक अथ अनेक प्रकार के धातु आदि अयाय रसायना जलता है। उनका गंध ही वातावरण को विपला बनाने के लिए पर्याप्त हुआ करती है जबकि यहाँ उनके बचे कर्धरे के ढेर चारा ओर लगे रहे हैं। रसायनों के मिश्रित जल के फालतू घोल उन नदिया में बहाए जाते हैं, जिनका पानी नगर-जना को पीने-नहाने के लिए मुहैया किया जाता है। नगर के मल-मूत्र और सड़ाघ से भरे गन्दे नाले भी इही नदियों में आकर गिरते हैं और सभी प्रकार का कचरा-कबाड़ा भी वातावरण को दूषित बनाए रखता है। पेट्रोल-डीजल या इसी प्रकार के अय साधना से चलन वाले धुआँ उगलते अनगिनत वाहन, मशीनें और भट्टियाँ—किस किस चीज की गिनती की जाए। सभी कुछ तो दमघोटू एव साँसा म विष घोलने वाला है। यहाँ तक कि मुबहू से शाम तक हम जो खाते-पीते हैं कोई नहीं जानता कि मशीनी या मानवी मूल से उसमें क्या मिला गया या मिला दिया गया है। नदियों का प्रदूषित जल जब चलचरो को जीवित नहीं रहने देता, तो उसका प्रयोग करने वाला मानव भला कैसे स्वस्थ जीवन बिता सकता है। यहाँ तक कि आज हमें जो फल खाने को मिलते हैं, वे भी प्राकृतिक पक्व दशा में नहीं, बल्कि मसालों इर्जकशानों से पकाए जाकर—इस प्रकार जान-बूझ कर प्रदूषित करके हम तक पहुँचाए जाते हैं।

इन परिचित कारणों के अतिरिक्त कुछ अदृश्य किन्तु स्पृश्य, इनसे भी भयानक अय कारण भी हैं, जो वातावरण को सघातक सीमा तक प्राणहारक बना रहे हैं। उनमें प्रमुख हैं अणु-उदजन, कोबोल्ड आदि बमों, भयानकतम मारक गैसों के परीक्षण विस्फाट। जिस एक-एक अणुबम ने नागासाकी और हिरोशिमा का नाम शेष कर दिया था, आज तो उनके बेटे, पोते-पहपोते उससे भी कही अधिक मारक शक्ति सम्पन्न होकर अपने विपले धुएँ और गैसों को हवा में इस प्रकार और इस सीमा तक घोल रहे हैं कि एक दिन मानवता के लिए आज की तरह घुटा घुटा साँस ले पाना भी कठिन हो जाएगा। इस प्रकार वे निर्माणों पर कही कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एक से-बढकर एक मारक

शस्त्रास्त्र का निर्माण-परिक्षण अनवरत जारी है। फिर पर्यावरण का प्रदूषण दूर हो भी तो कैसे ?

जो हो, आज की मानवता का, सभी देशों के जानियो-वैज्ञानिकों का ध्यान अब पूरी तरह इस भयानक समस्या की ओर आकर्षित हो चुका है। प्रतिरोध और निवारण के वैज्ञानिक उपाय भी होने लगे हैं। ऐसे प्रतिरोधक उपकरणों को खोजकर उपयोग में लाया जाने लगा है कि जिससे पर्यावरण प्रदूषण-मुक्त हो सके। अजय देशों के समय भारत में भी इससे मुक्ति के उपाय होने लगे हैं। सरकार ने पहले ऐसे उद्योगपतियों को आयकर में तीस प्रतिशत छूट देने की घोषणा की थी, जो विशेष उपकरणों का आयात कर देश के वातावरण का दूषित होने से बचा सकें। अब उसने शत प्रतिशत करों आदि की राहत देने की घोषणा की है, जिसे मानवीय दृष्टि से उचित ही कहा जाएगा।

प्रदूषण से मुक्ति के लिए परम्परागत वनों-उपवनों की रक्षा और नए वनों का उगाना बहुत ही आवश्यक है। यदि इस प्रकार के प्राकृतिक उपाय ही कर लिए जाएँ, तो बड़े उपयोगी हो सकते हैं। हमारे यह भी आवश्यक है कि कल-कारखानों आदि इस प्रकार के उद्योग-घरों को मानव-आबादियाँ से दूर ले जाकर बसाया जाए। उनसे निकलने वाला प्रदूषित जल नदियों में न मिलने दिया जाए। गाँवों का बहाव भी नदियों की ओर नहीं होना चाहिए। नगरों के भीतर और आस-पास हरे-भरे उपवनों का सानुपातिक विकास किया जाए। आवागमन का नियंत्रण और विद्युत्-रीकरण भी बहुत आवश्यक है। सफाई की उचित व्यवस्था हो। कूड़े-कचरे को भी उचित ढंग से निपटारा जाए। भयानक अस्त्र-शस्त्रों की अघी दौड़ पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए। अणु-विस्फोट सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। यह सब तभी सम्भव हो सकता है, जब मानव-लालसाओं का सकोच न होकर सहज मानवीय उदारताओं का विकास हो। सन्तार के समय देश और जन सच्चे मन से इस विकट समस्या के समाधान में जुट जाएँ, तभी बचाव होकर भविष्य सुरक्षित रह सकता है।

अभी समय है। बहुत देर नहीं हुई है। यदि हम सभी अपने ही हित में, अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में यथासाध्य प्रयत्न करने लगेंगे, तो निश्चय ही एक दिन प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जाएगा। हम और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ स्वच्छ-मुक्त वायु मण्डल में सौम्य ले सकेंगी। अथवा सवनाश का सामान तो तयार है ही और वह हमारे अपने हाथों, अपने ही कृत्यों से।

६३ कुटीर-उद्योग

भारत गाँव प्रधान देश है। यह बात सामने रखकर ही महात्मा गांधी ने बड़े उद्योगों का विरोध कर अपने जीवन काल में लघु-उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही थी। अतः कहा जा सकता है कि कुटीर-उद्योग या लघु उद्योग (Small Scale Industries) भारत जैसे ग्राम कृषि-संस्कृति-प्रधान, विकासोन्मुख देश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं—यह मायता आज की न होकर काफ़ी पुरानी है। आज फिर इस मायता को अधिक बल और महत्त्व दिया जाने लगा है। स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले ही राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था कि यदि स्वतंत्र भारत में बेकारी दूर करनी है, सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था स्थापित करनी और देश की गरीबी से लाभदायक ढंग से लड़ना है, तो हमें एक तो देश में छोट-छोटे उद्योग घाँघे स्थापित करने होंगे, दूसरे इस प्रकार के समस्त प्रयासों को ग्रामोन्मुख करना होगा। तभी दूरगामी और स्थायी लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। राष्ट्रपिता ने देश को जो चरखा दिया, ग्रामों में ताल गुड़ धनाने जैसे कार्यों को प्रोत्साहित किया, नमक-सत्याग्रह के नाम पर ऐतिहासिक दाण्डी यात्रा की, प्रतीक रूप में उन सत्र का उद्देश्य कुटीर या लघु उद्योगों का बढ़ावा देना—बल्कि इस दिशा में सक्रिय कदम उठाना ही था। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीजी की उस व्यावहारिकता का दो-तीन दशकों तक ध्यान नहीं रखा गया और बड़े बड़े उद्योग घाँघे के नाम पर लम्बी छानाँगे लगाने का प्रयत्न किया गया। निश्चय ही भारत में औद्योगिक क्रांति तो हुई, पर लाभ कुछ उँगलियों पर गिने जा सकने वाले पूँजीपति घरानों का ही पहुँच सका। आम आदमी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। पढ़े लिखे लोगों की बतारें बेकारों के रूप में लगती गई। उसी आलोक में ही आज फिर लघु उद्योग घाँघे या कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। परिणाम तो भविष्य ही बता सकेगा, पर इसे एक शुभ शुरुआत अवश्य कहा जा सकता है।

विगत वर्षों में, विविध योजनाओं के माध्यम से अनेक दिशाओं में अनेकविध प्रगति करने के बावजूद भी भारत अभी तक एक विपन्न देश है। बड़े-बड़े उद्योग-घाँघे बड़े नगरों में होने के कारण नगरीय सभ्यता-संस्कृति और वातावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ा। यह दबाव अनवरत

बढ़ता ही जा रहा है। उधर ग्रामो में काम धंधे या रोजगार के साधन सीमित होने के कारण सामान्य साधारण तब वहाँ नहीं रहना चाहता, प्रशिक्षित तकनीशियन के तो रह पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन दबावो-दूषणों को रोकने, ग्रामो में रोजगार की सुविधा सुलभ बनाने, वहाँ रह रहे आम आदमी की बेकारी अध रोजगारी दूर करने, सामूहिक आर्थिक सुधारों की दृष्टि से ग्रामो-मुख कुटीर उद्योगों की प्रचुर स्थापना की निश्चय ही आज इस देश को बहुत आवश्यकता है। इससे एक तो कम पूँजी वाले लोग भी उद्योग धंधों के क्षेत्र में आ सकेंगे, दूसरे ग्रामो में ही रोजगार सुलभ होने पर, नगरों पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाले जन-सङ्ख्या के दूषित-दबाव से भी छुटकारा मिल सकेगा। छोटे-छोटे उद्योग धंधों का जाल फैल जाने पर अधिक लोगों को अपने आस-पड़ोस में ही काम मिल सकेगा। बेकारी दूर होगी और सामान्य स्तर पर भी आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। इस दिशा में अब छोटी-मध्यम-योजना में विशेष कदम उठाए जाने लगे हैं। सभी प्रकार की सहायता सुलभ की जा रही है। यदि वह नौकरशाही तले न दबी रह गई तो निश्चय ही भविष्य सुखद होगा।

लोगों का उचित विचार और ध्यातव्य है कि लघु-उद्योगों बड़े उद्योग से टक्कर तो क्या ले सकते हैं, उनके दबाव से अपने-आपको कई बार बचा भी नहीं सकते। इसलिए लघु उद्योग स्थापित करने से पहले बड़े और लघु दोनों प्रकार के उद्योगों की कार्यक्षमता एवं क्षेत्र-सीमा निर्धारित हो जानी चाहिए। अर्थात् कौन कहाँ किस प्रकार का उत्पादन करेगा, उसकी विपणन-व्यवस्था क्या होगा इत्यादि बातें और लक्ष्य पहले ही से निश्चित निर्धारित हो जाने चाहिए, ताकि छोटे-बड़े में अनावश्यक टकराव का अवसर ही न आए। ह्य का विषय है कि भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की सीमा रेखाएँ निर्धारित करने की दिशा में उचित कदम उठाने प्रारम्भ कर दिए हैं। लघु-उद्योगों के बराधान में अनेक प्रकार की छूटों की घोषणा तो की ही गई है। विपणन-व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। यह भी ध्यातव्य है कि कुटीर उद्योगों को प्रथम देने के लिए पूँजी निवेश और उचित आर्थिक तथा तकनीकी सहायता की बात भी सरकार की ओर से कही जा रही है। उसे शुभ लक्षण और उचित दिशा में उठाया गया उचित कदम कहा जा सकता है।

दूरगामी प्रभावों और लक्ष्य को ध्यान में रख कर अच्छा तो यह है कि इस प्रकार के उद्योग धंधे सहकारिता के आधार पर चालू किए जाएँ, पर उचित आचार-सहिता और उसके कठोर अनुशासन में निजी तथा सावजनिक

स्तर पर भी इस प्रकार के लघु उद्योग घाघे-आभदायक गि-हो सकते हैं । जनता और जनता की सरकार दोनों की आर्ति क स्मिति को ल-ठ बनाने में महत्त्वपूर्ण काय कर सकते हैं । जसा कि ऊपर भी रहा जा चुका है, वेकारी जैसी समस्याओं के मोर्चे पर इनके द्वारा सबल सघप जतिम विषय, ही सीमा तक किया जा सकता है । चीन, जापान आदि देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं कि जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपनी उँगलियों के बल से उद्योग घाघों के क्षेत्र में विश्व-विजय के सपने देखता है । उनकी सक्रियता ने आज उन सपनों को निश्चय ही साकार कर दिखाया है । प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, इसी आधार पर इस प्रकार के सपने चरिताथ हुआ करते हैं । लघु-उद्योगों को अनवरत प्रश्रय देना, उनका जाल विछा देना, उपरोक्त दष्टि से निश्चय ही एक सही दिशा में उठाया गया सही बंदम है ।

भारत आज तकनीकी दृष्टि से काफी समृद्ध हो चुका है । वह अपने विकसित तकनीक का आज न केवल विकासो-मुख बल्कि विकसित देशों को भी निर्यात कर रहा है । यहाँ तकनीशियन की बर्मी नहीं है । बल्कि स्थिति यह रही और है कि हजारों प्रतिभाशाली तकनीशियनों की वृद्धि और कायक्षमता उचित अवसरों के अभाव में कुण्ठित व्यथ हुई जा रही है । कुटीर-उद्योगों में ऐसे लोगों को सहज ही खपाया जा सकता है । उनकी कायक्षमता का उपयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान तो किया ही जा सकता है, अ-यों की अनेक समस्याएँ भी सुलझ सकती हैं । यह शर्म की बात ही कही जायेगी कि अपने समृद्ध तकनीक का निर्यात कर सकने में सक्षम देश अपने लिए उसका उचित प्रयोग न करके, समस्याओं का हल न कर सके, अपनी प्रतिभाओं को कुण्ठित होकर नष्ट हो जाने दे । आवश्यकता है, अवसर सुलभ करने की । ये अवसर निश्चय ही लघु-उद्योगों के अनवरत विकास से सुलभ हो सकते हैं और अब पर्याप्त मात्रा में सुलभ होने भी लगे हैं ।

विगत कुछ वर्षों से भारत के महानगरों में इस प्रकार की औद्योगिक बस्तियाँ बसाई गईं और बसाई जा रही हैं, कि जहाँ लघु उद्योगों के जाल विछाये जा रहे हैं । पर आवश्यकता इस बात की है कि या तो उनका ग्रामीण में स्थाना-तरण किया जाए, या फिर वहाँ नई बस्तियाँ बसाई जाएँ । आज सर्वांगिक कुण्ठित ग्रामीण तकनीशियन ही हो रहा है । शहरों की देखा-देखी वहाँ का निवासी, शिक्षित युवक भी सुविधा भोगी और बाबूगीरी का शिकार बनता जा रहा है । ग्राम और वृषि-संस्कृति वाले देश भारत के लिए इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा । ऐसी स्थिति में कुटीर-उद्योगों की स्थापना करते और प्रश्रय देते समय ग्रामों की आवश्यकता, ग्रामीण सुशिक्षितों की आवश्यकता का ध्यान रखना

भी बहुत आवश्यक है। ग्रामों की आर्थिक स्थिति के सुधरने का अर्थ, समस्याओं के हल होने का अर्थ सारे देश की दशा सुधरना ही है। उन अनेक बीमारियों कुटूंबों से बचना भी है कि जो ग्रामों से शहरों में और शहरों से ग्रामों में निर्यात होती हैं। यह एक शुभ लक्षण है कि आज इहाँ सब तप्यों के आलोक में ही, कुटीर उद्योग की ओर ध्यान दिया जाने लगा है। अतः हम एक सुनिश्चित और उज्ज्वल भविष्य की आशा कर सकते हैं।

६४ | विज्ञान और शिक्षा

शिक्षा मानव को नेत्र देती है तो विज्ञान देख कर नई नई चीजों की शक्ति। अनवरत सुशिक्षा के कारण ही आज का युग ज्ञान विज्ञान की अनवरत प्रगतियों का युग बन पाया है। प्रातःकाल सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ भी काम में लाते हैं, जिस प्रकार के भी काम व्यवहार करते हैं, उन सब कुछ में ज्ञान विज्ञान का कुछ न कुछ अंश रहता ही है। इसी कारण सामान्य व्यवहार का जगत हो, या फिर शिक्षा आदि का विशेष जगत हो, हम विज्ञान की उपेक्षा नहीं करते। 'विज्ञान और शिक्षा' या 'शिक्षा और विज्ञान' दोनों आज एक-दूसरे के पूरक बन गए हैं। दोनों का साथ चोली-जामन का साथ माना जाने लगा है। अतः हम यहाँ पर उपरोक्त शीपक के अंतर्गत शिक्षा और विज्ञान जैसे विषय पर दो दृष्टियाँ से मुख्यतः विचार कर सकते हैं। एक तो यह कि शिक्षा किसी भी प्रकार की क्या न हो उसके शिक्षण-प्रशिक्षण में सभी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहना चाहिए, ताकि वह शिक्षा सच्चे अर्थों में सभी प्रकार से जीवन में लिए उपयोगी बन सके। दूसरे, इस दृष्टि में विचार करना है कि क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक वैज्ञानिक विषयों का ही शिक्षण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है? दोनों दृष्टियों से विषय पर अलग-अलग और प्रमत्त विचार करना अधिक उपयुक्त होगा।

पहले हम इस पक्ष को लेंगे कि शिक्षा का ढंग कुछ इस प्रकार का बनाना जाना चाहिए कि उसके क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक विषय का शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना कर दिया जा सके। यास्तव में सच्ची शिक्षा वही मानी जाती है कि जो मनुष्य को अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित का केवल सङ्घाटित ही

नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान कराए। व्यवहार के बिना शिक्षा कितनी भी उच्च, उचित, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानी जाए, उसका कोई महत्व नहीं हुआ करता। इसके विपरीत सामान्य प्रकार की शिक्षा भी यदि व्यावहारिक दृष्टियों से, व्यावहारिक ढंग से दी जाए, तो वह जीवन तथा समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकती है। अतः जब हम सभी विषयों की शिक्षा वैज्ञानिक ढंग से देने की बात कहते हैं, तो उसका सीधा स्पष्ट अर्थ शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना ही होता है। प्रत्येक विषय को यदि वैज्ञानिक ढंग से विद्यार्थियों को समझाया जाए, तो निश्चय ही शिक्षा का महत्व एवं उपयोग अत्यधिक बढ़ जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि साहित्य कला जैसी सलित विषय, जिनका सीधा सम्बन्ध मानव के भाव-सौख्य के साथ रहा करता है जहाँ बुद्धि एवं उसके क्षेत्र शिथिल पड़ जाते हैं, वहाँ विज्ञान की पहुँच कैसे सम्भव हो सकती है? इस बारे में हम मुख्यतः दो ही बातें कहना चाहते हैं। पहली तो यह कि आज साहित्य और कला के क्षेत्र में भी विज्ञान का प्रवेश एक सीमा तक हो चुका है। दूसरी यह कि आज की परिस्थितियों में विज्ञान-ज्ञान का सहारा लेकर यदि हम साहित्य कला की भी व्याख्या-वर्णन एवं सृजन करेंगे, तो निश्चय ही उसका प्रभाव और अधिक व्यापक तथा स्थायी होगा। उसमें फिर क्यो और कसे का प्रश्न ही नहीं रह जायेगा। वह विषय व्यवहार-सम्मत बन कर निश्चय ही अधिक सशक्त ढंग से जीवन का उत्प्रेरक और पथप्रदर्शक बन जाएगा। साहित्यकारों को इसी दृष्टि से सोचना लिखना चाहिए।

हिन्दी-साहित्य के द्विवेदी काल में बहुत कुछ ऐसा करने का प्रयत्न किया गया है। यहाँ राम-कृष्ण के जीवन जस अनेक प्रकार से विवादास्पद विषयों को नए तथा उपयोगी ढंग से काव्यों में प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गया है। इसी प्रकार, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर हम शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले अन्त्याय सभी विषयों के सम्बन्ध में तब और युक्ति सगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। विषय कोई भी क्यो न हो, आज उसका अध्ययन, पाठन-पठन एवं सृजन मात्र मनोरंजन के लिए तो किया नहीं जाता। निश्चय उस सबका मूल प्रयोजन व्यवहार-जगत के प्रति अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को व्यापक एवं उपयोगी बनाना हुआ करता है। निश्चय ही आज का प्रबुद्ध लेखक और प्रबुद्ध पाठक दोनों ही शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। साहित्य-कला को छोड़कर अन्त्याय शिक्षा के सभी क्षेत्रीय विषय तो हैं ही वैज्ञानिक, अब साहित्य-कला में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ रहा है। जहाँ नहीं आया लगता, वहाँ उसे लाने की तात्कालिक आवश्यकता है।

इसके बाद विषय का दूसरा पहलू आता है। वह यह कि आज शिक्षा के नाम पर केवल वैज्ञानिक या फिर विज्ञान-सम्मत विषय ही पढाए जाने चाहिए। यह विचार एक सीमा तक उचित है। जब हम विज्ञान से एक पल के लिए भी पीछा नहीं छोड़ा सकते, तो फिर क्या न उसी की शिक्षा देकर जीवन को अधिकाधिक गतिशील, स्फूर्त एवं सचेतन बनाया जाए? हम देखते हैं कि आज विश्व के अनेक देश जो प्रतिफल, प्रतिपग प्रगति की अनवरत सीढ़ियाँ चढ़ने जा रहे हैं, उसका मूल कारण व्यापक रूप से एक व्यापक स्तर पर ज्ञान विज्ञान के विषयों की शिक्षा ही है। अतः हमें भी अपनी वर्तमान शिक्षा-पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन लाकर उसे त्रिशुद्ध वैज्ञानिक बना देना चाहिए। अर्थात् अन्य सभी विषयों को छोड़कर केवल वैज्ञानिक विषय ही पढ़ाने आरम्भ कर देना चाहिए। यह एक विचार और विचारणीय प्रश्न है।

बात तो ठीक है। पर ऐसा सोच-समझ कर हम केवल वस्तु विषय के एक पक्ष तक ही सीमित होकर के रह जाते हैं। अनेक देशों में विशुद्ध ज्ञान विज्ञान के विषयों की शिक्षा द्वारा निश्चय ही अत्यधिक प्रगति कर ली गई। पर उन मात्र वैज्ञानिक या भौतिक प्रगति के जो अनेक दुष्परिणाम सामने लाये अथवा आ रहे हैं, उसकी तरफ भी तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की शिक्षा और प्रगति ने मानव को कितना मांसल, भौतिकवादी, अविश्वासी, हृदयहीन और पलायनवादी बना दिया है कि भावनाएँ मर रही हैं। मानव मानव के जो पारस्परिक सहृदयता भरे सम्बन्ध रहा करते थे, वे समाप्त होने जा रहे हैं। ऐसी प्रगति भी किस काम की कि जो मानव को सहज मानवता के घरातल पर ही न रहने दे। अतः कम-से-कम हम तो इस पक्ष में कर्नाहि नहीं हैं कि शिक्षा के नाम पर केवल ज्ञान विज्ञान के विषय ही पढाकर सारी मानवता को हृदयहीन बना दिया जाए। वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, पर उसी सीमा तक कि जिस सीमा तक वे हमारे दृष्टिकोण को सन्तुलित, व्यापक और उपयोगी बना सकें। हमारे सामने प्रगति और विकास के नये-नये क्षितिजों का उद्घाटन कर सकें। केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तरों पर भी मानवता के कदमों को गतिशील बना सकें। इसी सब में शिक्षा का वास्तविक महत्त्व, उपयोग और सीमा आदि अन्तर्हित हैं। इसके अभाव में सिर्फ शून्य है।

मानव स्वभाव से ही नव्यावेपी और प्रगतिशील प्राणी है। सृष्टि के आरम्भ से लेकर आज तक उसने जो निरंतर प्रगति की है, उसका कारण उपरोक्त जन्मजात चेतनाएँ ही हैं। आरम्भ में, जब तक ज्ञान विज्ञान और आरम्भ नहीं हुआ, निश्चय ही मूल और व्यवहार दोनों क्षेत्रों में उसका

दृष्टिकोण अर्धज्ञानिक रहा। पर धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान के नये-नये क्षितिजों, नये क्षेत्रों का उद्घाटन होता गया। उसी का परिणाम हमें जीवन के अमान्य क्षेत्रों के समान शिक्षा के क्षेत्र में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ तक उचित अनुचित का प्रश्न है, शिक्षा या कोई भी क्षेत्र अन्तिम रूप से उसका निष्पत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक युग में देश काल के अनुसार उसके अपने-अपने मानदण्ड हुआ करते हैं। मानव का, विशेष करके अपने-आपको शिक्षित कहने वाले मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति को अपने पर हाँवी न होने दे। समय और स्थिति के अनुसार ही अपने जीवन का क्रम चलाए। उसी में उसकी सफलता है। उसकी शिक्षा, उसकी व्यावहारिकता आदि वही सफलता भी उसी में है। फिर चाहे हम समग्रत वैज्ञानिक विषयों की ही शिक्षा लें, या सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की बात कहे, कोई अन्तर नहीं पड़ता। शिक्षा कैसी भी क्यों न हो, कोई अन्तर नहीं पड़ता। बस, आदमी का आदमी बना रहना बहुत आवश्यक है। हृदय और बुद्धि—अर्थात् कक्षा और विज्ञान मिलकर ही ऐसा आयाम दे सकते हैं, यह बात अटल तथ्य है।

इस प्रकार, उपरोक्त सारे विवेचन के निष्कर्ष के रूप में, अन्त में, हम यह कहना चाहते हैं कि शिक्षा की सार्यकता मानव के मन मस्तिष्क के विकास में हृदय और बुद्धि के सन्तुलन में है। इसके लिए ज्ञान विज्ञान, साहित्य-कला सभी प्रकार के विषयों की उचित शिक्षा अनिवार्य है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सारी शिक्षा को ही केवल विज्ञान के विषयों की शिक्षा न बना दें बल्कि प्रत्येक विषय के अध्ययन—अध्यापन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएँ—बस। ऐसा दृष्टिकोण जिस मानवता का विकास करेगा, निश्चय ही वह सन्तुलित, स्वस्थ और सद्-व्यवहार सयत होगी।

६५ | शिक्षण के लिए माध्यम

शिक्षा की वास्तविक उपयोगिता प्राहिक-शक्ति के विकास में है और वह शक्ति उचित माध्यम से प्राप्त शिक्षा भी दे सकती है। शिक्षा के लिए उचित माध्यम की तलाश भारत विगत कई दशकियों से कर रहा है। इसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है और निश्चय ही आवश्यकता

ही भी बहुत अधिक । कारण कि विगत सौ-सवा-सौ वर्षों से भारत में जिस माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, उसकी व्यर्थता सिद्ध होने में अब कोई भी सन्देह नहीं रह गया है । जहाँ तक विगत सौ-सवा-सौ वर्षों से चले आ रहे शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, उसका उपयोग केवल साक्षर करने तक ही सीमित है । साक्षर भी तो वह पूणतय नहीं कर पाता । क्योंकि वह एक पूणतया विदेशी भाषा का माध्यम है और यह एक सबमाय एव निखरा हुआ तथ्य कि विदेशी भाषा को अपने शिक्षण का माध्यम बनाकर कोई भी देश अपने देशवासियों को सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं बना सकता । शिक्षा किसी देश के नागरिकों के लिए तभी सही मायनों में उपयोगी बन सकती है कि जब उसका माध्यम वह हो कि जिसे सभी लोग सहज ही ग्रहण कर पाने में समर्थ हो । जहाँ भाषा या माध्यम लोग नहीं समझ पाते, या अत्यधिक परिश्रम के बाद भी जिसकी गहराइयों में उतर पाने में समर्थ नहीं हो सकते, वह देर-सवेर व्यर्थ ही प्रमाणित होता है—हमारे देश की शिक्षा-पद्धति और उसके भयावह परिणामों से यह स्पष्ट है ।

इही सब कारणों और तथ्यों के आलोक में विगत कुछ दशाब्दियाँ से हमारे देश के बुद्धिजीवी एव शिक्षा-शास्त्री इस बात के लिए चिन्तित हैं कि भारत में शिक्षण-प्रतिक्षण का माध्यम क्या और किस भाषा को बनाया जाये । ऐसा किए बिना हम कुछ प्रमाण पत्र और डिग्रियाँ पा लेने के बाद शिक्षित होने का दम तो भर सकते हैं सच्चे अर्थों में अपने-आपको सुशिक्षित-तो क्या मात्र शिक्षित भी नहीं कह सकते । ऐसी स्थिति में स्पष्ट प्रश्न उठता है कि भारत में, कम से कम उच्च शिक्षा या शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए ? इसके लिए अभी तक अनेक प्रकार के विकल्प हमारे सामने आय हैं और निरन्तर आ रहे हैं । उन सब पर अलग से विचार कर लेना उपयोगी रहेगा ।

एक विकल्प तो यह है कि विगत सौ-सवा-सौ वर्षों से चले आ रहे अंग्रेजी के माध्यम को ही अब भी चनने दिया जाए । पर अनेक विद्वान अनेक कारणों से इस विकल्प या विचार का खुला विरोध करते हैं । एक और प्रमुख कारण तो यह है कि—जैसे कहा जाता है अंग्रेजी अब अन्तर्देशीय भाषा नहीं रह गई है । उसका सत्कार अब बहुत ही सीमित हो चुका है । दूसरे, अंग्रेजी भाषा यदि अब भी देश में शिक्षण का माध्यम बनी रहती है, तो वह हमेशा हमें अपनी दासता के दिनों की याद दिलाती रहा करेगी । कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र दासता के किसी भी अवशेष को हमेशा शत्रु से नहीं लगाए रख सकता । उसको नष्ट करने में ही किसी सुदूर दृष्टि से राष्ट्र का हित हुआ करता है ।

फिर आज इस देश में अंग्रेजी की वह पहल जैसी स्थिति रह ही नहीं गई है। लोग अंग्रेजी को ठीक ढंग से समझ ही नहीं सकते। कोई भी विदेशी भाषा हो, उसे हमारे देश वाले लाख कोशिश करने पर भी समझ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यदि हम किसी विदेशी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए रखते हैं तो उसका किसी को कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचता। अतः विद्वानों की अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाए रखने में किसी भी प्रकार का हित दिखाई नहीं देता।

दूसरा विकल्प यह है कि जिसकी जो मातृभाषा है, उसकी शिक्षा का माध्यम वही भाषा होनी चाहिए। अर्थात् जो पंजाब के निवासी हैं उनकी शिक्षा का माध्यम पंजाबी भाषा ही होनी चाहिए, बंगाल निवासियों का बंगाली भाषा, गुजरातियों का गुजराती भाषा और महाराष्ट्र निवासियों का मराठी भाषा होना चाहिए। यह विचार एक सीमा तक तो उचित प्रतीत होता है। वह यह है कि मातृभाषा का प्रत्येक व्यक्ति को सहज ज्ञान हुआ करता है। अतः यदि उसमें शिक्षा दी जाए तो निश्चय ही वह अत्यधिक उपयोगी हो सकती है। पर इससे सबसे बड़ी हानि यह है कि ऐसा होने पर शिक्षा का और शिक्षिता का क्षेत्र सीमित होकर रह जाता है। वे लोग अथवा किसी क्षेत्र में जाकर कार्य कर पाने में समय नहीं हो सकते। इससे देश के लिए जिस भावात्मक एकता की आवश्यकता हुआ करती है, वह भी नहीं बनी रह सकती है। अतः यह माध्यम भी बुद्धिजीवियों और विद्वानों को स्वीकार ही हो सका।

तीसरा विकल्प यह है कि सारे देश के कुछ विशेष सभाग (Zones) बना दिये जाएँ। उन सभागों में जो भाषा प्रमुख हो, उसी को वहाँ की शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। यह ठीक है कि प्रत्येक सभाग में ही कई भाषाएँ हो सकती हैं। पर यह भी एक सत्य है कि बहुत विद्यमान प्रायः सभी भाषाओं को सामान्यतः सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर उनमें से एक भाषा ऐसी अवश्य हुआ करती है कि जिसे सब लोग सामान्यतः समझ ही लेते हैं। इन दृष्टियों से सभाग की भाषा को शिक्षा का माध्यम बना देना उचित ही कहा जा सकता है। पर यहाँ भी दिक्कत यह ही है कि प्रातः या मातृभाषा के क्षेत्र से निकल कर तब वहाँ के निवासी केवल मात्र एक ही सभाग तक सीमित होकर रह जाएँगे। अतः देशीय या सावदेशिक सेवाओं में उनका कोई महत्त्व नहीं रह जायगा। यहाँ भी यही प्रश्न उठता है कि लोगों में राष्ट्रीयता की दृष्टियों से जिस प्रकार की भावात्मक एकता की आवश्यकता होती है, वह बनी नहीं रह सकती। उसका बना रहना निहामत

जरूरी है। भाषा ही वह माध्यम है कि जो विचारा की अभिव्यक्ति द्वारा लोगों को एक-दूसरे के निकट लाता है। पर यदि यह विकल्प स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर सारा देश एक नहीं हो सकता। सभागो में बंट कर ही हो जाएगा। एक सभाग में यदि किसी विशिष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति का उदय होता है, तो दूसरे सभाग उससे भाषायी कठिनाइयों के कारण लाभान्वित नहीं हो सकते।

इसके बाद जो अन्तिम विकल्प या विचार देश के नेताओं, बुद्धिजीवियों और विद्वानों के सामने है, वह यह है कि समूचे देश के लिए एक बुनियादी शिक्षा-पद्धति जारी की जाए और उसका माध्यम भी एक हो, जिसे अपना कर समान रूप से सभी को समान शिक्षा दी जाए। वास्तव में यही वह विकल्प है कि जो व्यवहार के सभी स्तरों पर शिक्षा के वास्तविक महत्त्व को तो उजागर कर ही सकता है, सारे देश के लिए समान रूप से उपयोगी भी हो सकता है। पर इसके लिए बुनियादी तौर पर एक आरम्भ से ही तैयारी की आवश्यकता हुआ करती है। सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के चौतीस-पैंतीस वर्ष हमने यो ही गवा दिये हैं। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही इस प्रकार का शिक्षा का कोई माध्यम अपना लिया जाता, तो निश्चय ही आज सारा देश भावात्मक एकता में तो बधा ही होता, शिक्षा भी अपने वास्तविक उद्देश्यों में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर चुकी होती। अब भी देश का हित इसी प्रकार के किसी शिक्षा के माध्यम में सम्भव हो सकता है। इसके लिए अभी से काम शुरू कर देने की आवश्यकता है।

यहाँ एक बात और भी ध्यातव्य है। वह यह कि प्रान्तीय या सभागीय भाषाओं का भी निश्चय ही अपना-अपना महत्त्व हुआ करता है। मातृभाषा के महत्त्व से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सभी लोग मातृभाषा को तो अत्यधिक महत्त्व दिया करते हैं या देना चाहते हैं। अपने प्रांत की मूल भाषाओं के बारे में भी लोगों का रुख यही सम्भव हो सकता है। ऐसी अवस्था में आवश्यकता इस बात की है कि कोई ऐसा ढंग अपनाया जाए कि जिसमें मातृ और प्रांतीय भाषाओं के साथ लोगों का जो भावात्मक सम्बन्ध जुड़ा रहा करता है, उसको भी ठेस न पहुँचे और समूचे देश के लिए कोई एक शिक्षा का माध्यम भी अपनाया जा सके, जिसमें व्यापक स्तर पर भावनात्मक एकता तो बनी ही रहे, शिक्षा का अधिकाधिक व्यावहारिक उपयोग भी हो सके। ऐसा करके ही हम राष्ट्रीयता का महत्त्व तो बनाए रख ही सकते हैं, शिक्षा की जो दृष्टि बना रही है उसे उससे भी बचाया जा सकता है।

इसके लिए शिक्षा-जगत में निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाया जा सकता है। देश के सभी क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा तो मातृ भाषा में दी जाए। ऐसा करने का सबसे प्रथम और मुख्य लाभ यह होगा नहें-मुहें बालको के मन में शिक्षा के प्रति एक उत्साह और जिज्ञासा का भाव जागृत होगा। शिक्षा क्या होती है, इस जानकारी के साथ-साथ एक रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद शिक्षा के अगले स्तर पर—अर्थात् उच्च माध्यमिक (Middle) स्तर पर उसे मातृ भाषा के साथ-साथ सभाग की भाषा भी पढाई जाने लगे। इससे भाषा के साथ-साथ उसके ज्ञान क्षेत्रों का विस्तार भी सम्भव हो सकेगा। वह दा भाषाओं का जानकार हो जाएगा। अगले कदम के रूप में अर्थात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुँचकर छात्रों को वह भाषा भी पढाई जानी आरम्भ कर दी जाए, जिसका राष्ट्रीय महत्व हो। यह भाषा इस दृष्टि में पढाई जानी चाहिए कि इसी ने आगे चलकर विद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में उच्च शिक्षा का माध्यम बनना है। इससे एक लाभ तो यह होगा कि जितने विभाषा फामूला बढ़ा जाता है वह भी पूरा हो जाएगा और सारा देश एक ही भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकेगा। तभी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा। हमारे विचार में देश के शिक्षा-विदों एवं नेताओं को अपना ध्यान इसी व्यवस्था की शिक्षा का माध्यम बनाने की ओर ही केन्द्रित करना चाहिए।

शिक्षा का अर्थ है—सीखना। इस सीमा तक अबोध मति शिक्षार्थियों को बोध देना कि उनकी चेतना के द्वार खुल सकें। वे अधिकाधिक व्यावहारिक बन सकें। शिक्षा का उपयोग केवल साक्षरता तक ही सीमित न रह कर आर अधिक व्यापक बन सके। उसका संयोजन रोटी रोत्री की समझ के साथ भी हो सके। चेतना के द्वार खुलकर प्रगति की दौड़ में शामिल होने का हम प्रोत्साहन दे सकें। सारा देश एक हो सके। वह तभी सम्भव हो सकेगा कि जब हम शिक्षा का माध्यम सारे देश के लिए एक बनाएँगे। वह एक राष्ट्रीय माध्यम ही हमें व्यावहारिक बना सकेगा। अतः अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए ही सारे राष्ट्र की शिक्षा का कोई सर्व-स्वीकृत माध्यम होना चाहिए। इसके सिवाय अन्य कोई चारा नहीं है। वह सर्वसाध्य माध्यम क्या हो, इसे बहुमत एवं सर्वसम्मति से सहज ही खोजा जा सकता है। पर तभी, जब राजनीतिक निहित स्वार्थों के चशम उतार कर इस दिशा में कार्य कर पाना सम्भव हो सके।

समस्याओं के देश में 'विद्यार्थी और राजनीति' भी एक समस्या है और कुछ समस्याएँ ऐसी भी होती हैं कि जिनका सिद्धांत रूप में बसा समाधान कभी भी माय नहीं होता जैसा कि व्यवहार में पाया जाता है। विद्यार्थी और राजनीति के विषय में यह कथन सर्वथा चरितार्थ होता है। आज कोई भी नेता यह सिद्धांत मानने को प्रस्तुत नहीं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। किंतु व्यवहार में वस्तु स्थिति भिन्न है। सभी राजनेता और इनके दल अपनी राजनीति में विद्यार्थियों का घुला प्रयोग करते हैं। आज का अधिकांश विद्यार्थी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, राजनीति में भाग लेता है। असंख्य विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो राजनीतिक-नेताओं के सम्पर्क में हैं। राजनीतिक नेता भी इन्हें अपनी शतरंज के आवश्यक मोहरे समझते हैं। इस प्रकार राजनीति और विद्यार्थी में व्यावहारिक दृष्टि से अटूट गठबंधन है जिसे कोरे सिद्धान्त कथन से तोड़ा नहीं जा सकता। वास्तव में आज स्कूल-कॉलेज में घनने वाली युनियनें भी किसी न किसी विशिष्ट राजनीति से प्रभावित रहती हैं। उनके चुनावों में भी विधान-सभाओं के चुनावों के समान रूपया बहाया जाता है। यह स्थिति निश्चय ही स्वस्थ नहीं कही जा सकती।

आज तो राजनीति का अर्थ ही बदल गया है। राजनीति की सीमाएँ आज विस्तृत और व्यापक हो चुकी हैं। अब वह केवल राज्य और शासन के संचालन की नीति मात्र नहीं। आज की राजनीति में, समाज-नीति, अर्थ-नीति आदि का समावेश हो गया है। गांधीजी तो धर्म को भी राजनीति का ही अंग मानते थे। उन्होंने कहा था "जो यह कहता है कि धर्म का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं वह धर्म को नहीं जानता ऐसा कहने में मुझे सकोच नहीं।" इस प्रकार प्रजातंत्र की राजनीति जीवन के हर क्षेत्र को छूकर चलती है। कोई उससे अलग नहीं रह सकता।

फिर भी सैद्धान्तिक दृष्टि से इस विषय पर विचार तो उपेक्षित है ही। अतएव हम जब ऐसा सोचते हैं तब हमारे सम्मुख एक ऐसा चेहरा उभर कर आता है जो वय से किशोर है जर्की मसं भीगी नहीं है। उसका भोला रूप स्पष्ट कह रहा है कि अभी यह फूल खिल रहा है। जीवन के निमग्न वाटे अभी

इसे चुभे नहीं। इसका दण सा स्वच्छ मन है, जिसको अभी जीवन की अनुभव भरी धूली ने छुआ नहीं। मस्तिष्क की रेखायें अभी बन रही हैं, विकास का प्रथम पाठ पढ़ रही हैं। ऐसे भोले-भाले किशोर का अधिकचरे मस्तिष्क के साथ राजनीति के काटो में घसीटना अत्राय होगा। फूल को खिलने से पूर्व ही तोड़ लेना अत्राय है। किशोरों को भी तब तक राजनीति में न घसीटना चाहिए जब तक वे परिपक्व नहीं हो जाते, जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित नहीं हो जाते। ऐसा करना मानवीय अत्राय है।

विद्यार्थी किसे कहते हैं? उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसा कि शब्द से स्पष्ट है विद्यार्थी का अर्थ है जो विद्या पढ़ता हो, जो शिक्षा आदि द्वारा ज्ञान की प्राप्ति का इच्छुव हो। इसके लिए पहले २५ वष की अवधि निश्चित कर दी गई। इस अवस्था में यह निश्चित कर दिया गया कि विद्यार्थी को सभी प्रकार के व्यसनो से दूर रहकर अध्ययन में तल्लीन रहना चाहिए। इस प्रकार प्राचीन अर्थों में सच्चा और आदर्श विद्यार्थी वही माना जा सकता था जिसने मन, वचन और कर्म से सब इन्द्रियो को समय में कर रखा हो और इस प्रकार विकार-रहित होकर अध्ययन और ज्ञान की खोज में तल्लीन हो।

यद्यपि आज की शिक्षा-पद्धति बदल गई है किन्तु यह तो आज भी आवश्यक समझा जाता है कि २५ वष तक की अवस्था शिक्षा एव ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही है। इस शिक्षा-प्राप्ति के लिए विद्यार्थी का समयी तथा अनुशासनबद्ध होना आवश्यक है। यदि विद्यार्थी को चलचित्रो, बाल-डार्सो, होन साहित्य, टी व्हाऊसो, कॉफी हाऊसो में भटकने आदि का व्यसन लग जाए तो इससे उसकी शिक्षा में बाधा पड़ेगी। अतएव यह आवश्यक है कि वह इन व्यसनो से दूर रहे। इसके लिए ही समय की आवश्यकता है। यह आवश्यकता पहले भी थी और आज तो और भी अधिक है, क्योंकि विद्यार्थी की लालसा को जगाने वाले, उसे व्यसनो में डालकर पथ भ्रष्ट करने वाले साधनो की सख्या, घरसाती राजनीतिक दलो और भेदक नेताओ की सख्या भी आज अनन्त है। सभी उसे आगे कर अपना उल्लू मीघा करना चाहते हैं।

विद्यार्थी के अध्ययन और शिक्षा-अभ्यास में बाधा डालने वाले कुछ प्रलोभन की चर्चा ऊपर की गई है। राजनीति भी इसी प्रकार का प्रलोभन है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों में तो राजनीति छांडे की धार थी। राजनीति में वही व्यक्ति भाग ले पाता था जिसमें सच्ची देश भक्ति हो, कष्ट महन करने की क्षमता हो घर-परिवार के मोह बंधन को त्याग सका हो, जेतो की यत्ना सहने के लिए तत्पर हो। इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व राजनीति का अर्थ राष्ट्र-सेवा था किन्तु आज यह बात नहीं। आज राजनीति के सामने सत्ता का

आकषण है, पद की प्रतिष्ठा का मोह है। अतएव आज की राजनीति भी प्रलोभन का रूप लिए है। आज का विद्यार्थी यदि राजनीति में भाग लेता है तो वह नेतागिरी के प्रलोभन में पड़ जाएगा। इसका फल यह होगा कि वह अध्ययन से भटक जाएगा, इसकी पाठ्य-पुस्तकें रखी रह जायेंगी। मन और मस्तिष्क की सारी शक्ति राजनीति के कुचक्रों में ही लगने लगेगी। इसके फास्वरूप उनके मस्तिष्क का विवास रुक जाएगा, ज्ञान में वृद्धि न होगी। भविष्य अधवारमय हो जाएगा।

इस सम्बन्ध में प्रायः कहा जाता है कि आज की राजनीति राष्ट्रसेवा या त्याग का, जनता के नेतृत्व तथा जनता के हित-चिन्तन का भाग नहीं। यह तो युवक का करियर (Career) है भावी जीवन का घघा है। जब आज का युवक भावी जीवन के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वकील आदि का घघा सोचता है उसी प्रकार राजनीतिक नेता बनना भी एक घघा है। अतएव विद्यार्थियों के लिए इसका द्वार बंद नहीं होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी बवालत पढ़ रहा है तो उसे हम वकीलों के सम्पर्क में देखकर आपत्ति नहीं उठाते, इसी प्रकार जिस विद्यार्थी ने अपने भावी जीवन के घघे के रूप में राजनीति को चुन लिया है उसे हम राजनीति में भाग लेने से क्यों रोकें? इसमें सन्देह नहीं कि इस तक म बल है। आज जब देश में राजनीतिक नियुक्तियों की कमी नहीं तो इसके लिए व्यक्ति अपने आपको योग्य क्यों न बनाए? आज योग्यता के साथ सम्बन्धों की, सम्पर्क घनाये रखने की भी नितान्त आवश्यकता है। आज का विद्यार्थी इस आवश्यकता को समझता है तथा नेताओं के साथ सम्पर्क बनाता है, राजनीतिक दलों से सम्बन्ध जोड़ता है और इस प्रकार अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। इसमें अनुचिन्तन क्या है? क्या वह इंजीनियरों की भाँति सिर भी फोड़े, कठोर परिश्रम भी करे, धन का भी व्यय करे, समय भी लगाए और अंत में यह सब करने के उपरान्त बेकारी का मुह देखे। इन प्रकार यदि कुछ उत्साही युवक जिन्हे अपनी योग्यता पर विश्वास है अपनी भाषण शक्ति पर गव है, यदि राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो इसमें आपत्ति न होनी चाहिए। निश्चय है इन तर्कों में बल है।

वास्तव में जब हम विद्यार्थी और राजनीति की बात करते हैं तब एक विद्यार्थी या कुछ गिने-चुने विद्यार्थियों से अभिप्राय नहीं होता। ऐसे कथन का अभिप्राय समूचे विद्यार्थी वर्ग से है। सामूहिक रूप से विद्यार्थियों को राजनीति में और वह भी दलगत राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लेना चाहिए। इसमें तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक यह कि व्यक्तिगत रूप से भले ही विद्यार्थी किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, उसमें सक्रिय भाग लेता हो, किंतु

विद्यार्थी सगठन अर्थात् विद्यार्थियों के सघ, परिषद् यूनियन आदि को किसी दल का होकर उसके प्रचार का हथकड़ा नहीं होना चाहिए, किसी दल या भोषू बनकर उसके सकेत पर नहीं नाचना चाहिए। विद्यार्थियों के सगठन इस दलगत राजनीति से स्वतंत्र रहकर ही विद्यार्थियों का हित साधन कर सकते हैं। दल की दलदल में फँस कर वे कालेजो और विश्वविद्यालयों का वातावरण को दूषित और विषम बना देंगे, अपने सगठन को दुबल बना देंगे तथा साथ ही विद्यार्थियों का स्वतंत्र चिंतन जाता रहेगा। आज विद्यार्थी बग में जो इतना विश्वोभ पाया जाता है उसका प्रमुख कारण इस प्रकार की दिशा हीन राजनीति ही है। आज की राजनीति में अस्थिरता है, अनुशासनहीनता है, झट्टाचार है, नतिक मूल्य का पतन है। विद्यार्थियों में भी आज इसी की झलक मिलती है। राजनीति का अग बनकर वे अपने को इस प्रकार के दूषणों से बचा भी कैसे सकते हैं ?

दूसरी बात दलगत राजनीति की है। प्रजातंत्र की दलगत राजनीति विरोधात्मक और विध्वसात्मक अधिक हाती है तथा सहयोगात्मक और रचनात्मक कम। दलगत राजनीति के सामने दल प्रमुख रहता है और राष्ट्रहित गौण। दल को अपनी विजय की, अपनी प्रतिष्ठा की अधिक चिन्ता रहती है, जनता के हित साधन की कम। कई बार बार दलों को दलगत भावना के कारण ऐसी नीतियाँ अपनाती पडती हैं, ऐसे कदम उठाने पडते हैं जिनका देश की दृष्टि से महत्त्व न होकर केवल प्रचारात्मक महत्त्व होता है। इस प्रकार दलगत राजनीति बड़ी अस्वस्थ और निकृष्ट बोटि की राजनीति समझी जाती है। ऐसी राजनीति एक युवक विद्यार्थी के विकास में बाधक ही हो सकती है साधक नहीं। इन दलगत नीतियों के कारण विद्यार्थियों की प्रवृत्तियों में भी सक्नीणता और अनुदारता ही आएगी। दलगत सघप विद्यार्थी को भी विध्वसात्मक मा। पर आगे बढ़ायेगा तथा इस प्रकार उसका रचनात्मक दृष्टिकोण सदा के लिए जाता रहेगा। आज की सस्था-सस्थाओं में इसके दुष्परिणाम स्पष्ट देखे जा सकते हैं।

तीसरी बात राजनीति में सक्रिय भाग लेने की है। वह कदम सबसे घातक है। राजनीति में सक्रियता का अभिप्राय है शिक्षा का अन्त, अध्ययन का ठप हो जाना। विद्यार्थी को इस दृष्टि से दूर देने का अर्थ होगा उसके विद्यार्थी रूप की हत्या जो एक युवक के लिए नितात घातक है। आज के राजनीतिक नेता को हर विषय का पारंगत विद्वान, जीवन का गभीर आलोचक, देश विदेश की नवीनतम गतिविधियों से परिचित एक अत्यंत कमठ, सुयोग्य व्यक्त होना चाहिए। स्पष्ट है ये सब योग्यताएँ जीवन के ठोस

ही प्राप्त हो सकती हैं। समय की प्रयोगशाला में ही इनकी सुविधा मुलभ हो सकती है। जो विद्यार्थी अपनी नियमित शिक्षा में ही अधूरा है, वह एसी राजनीति में कैसे टिक सकता है। राजनीतिज्ञ तो सामान्य आचार समय भी प्रदान कर पाने में असमर्थ हैं, वे व्यापक दृष्टिकोण कहीं से दे सकते हैं ?

गांधी जी ने राजनीतिक चिंतन की छूट देते हुए विद्यार्थियों को सक्रिय राजनीति से दूर रहने का ही परामश दिया था। इसी प्रकार दलगत राजनीति की चर्चा करते हुए गांधी जी ने कहा—“विद्यार्थियों का दलगत राजनीति में पड़ने से काम नहीं चल सकता। जैसे वे सब प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं वैसे सब दलों की बात सुन सकते हैं। परन्तु उनका काम यह है कि सबकी सुचाई को हजम करें और बाकी को फेंक दें।” आज के विद्यार्थी के लिए भी मात्र उतना ही उचित है।

राजनीतिक सत्ता का प्रलोभन एक विद्यार्थी के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है और उसे कितना अयोग्य बना देता है, इसी की चर्चा करते हुए गांधी जी ने कहा—“सत्ता की राजनीति विद्यार्थी-सत्ता के लिए अपरिचित होनी चाहिए। वे ज्यों ही इस तरह के काम में पड़ेंगे, त्यों ही विद्यार्थी के पद से च्युत हो जायेंगे और इसलिए देश के सकट-काल में उसकी सेवा करने में असफल होंगे।”

इस प्रकार कोई भी विचारक, जिसे युवा जगत से तनिक भी सगाव है, वह उन्हें उनत तथा प्रगति करते देखना चाहता है, विद्यार्थी को राजनीति से अलग रहने का ही परामश देगा। भ्रष्ट और सत्ता लोलुप नेताओं को छोड़िये, आदर्श राजनीतिज्ञ भी यही चाहते हैं और ऐसा प्रयास भी करते हैं। किन्तु इधर की गतिविधियाँ बताती हैं कि विश्व का विद्यार्थी वर्ग एक दुःख बाढ़ की भ्रंति बढा आ रहा है जिसके सामने राजनीति का जजर डंका एक क्षण के लिए भी न टिक सकेगा। ऐसी स्थिति में स्वयं विद्यार्थियों ने सोचना है कि क्या राजनीति उनके सुखद भविष्य के लिए लाभदायक हो सकती है? सक्रिय और दलगत राजनीति कदापि विद्यार्थी-वर्ग का हित-साधन नहीं कर सकती। यह तथ्य उसे अच्छी प्रकार समझ, राजनीति के क्षेत्र में मात्र जिज्ञासु विद्यार्थी ही रहना चाहिए। इसी में सब का हित है।

६७ काला घन

काला घन की समस्या विश्वव्यापी समस्या है। भारत में इस समस्या ने भीषण रूप धारण कर लिया है। यद्यपि बाबू बमोटी ने सन १९७१ में ही अपनी रिपोर्ट में इस समस्या को कैंसर की तरह भयानक बताया था और कहा था कि यदि उपचार नहीं किया गया तो यह राष्ट्र के स्वास्थ्य और जीवन के लिए घातक सिद्ध होगी पर तु यह बीमारी कम होने की बजाय बढ़ी ही है और इसने हमारे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन को इतना प्रभावित किया है कि आश्चर्य होता है कि हम जीवित कैसे हैं। काले घन का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बोलबाला है। देश को जितनी राष्ट्रीय पूंजी है, उसका कोष में जितनी मुद्रा और सोना है उतने ही परिमाण में काला घन विद्यमान है। हर व्यवसाय व्यापार उद्योग में जितना सफेद घन लगा दिखाया जाता है, उतना ही काला घन लगा है और उसका कोई हिसाब किताब बही खातो में और बैंक के खातों में नहीं दिखाया जाता। इसीलिए दो प्रकार के बही खाते रखे जाते हैं—एक वे जो सरकार को, वर अधिकारियों को दिखाए जाते हैं और जिनके आधार पर वर दिया जाता है और दूसरे वे जिनमें कारोबार का सही हिसाब किताब होता है और जिसमें की आधी राशि काले घन के रूप में होती है। यही समानांतर अद्यव्यवस्था को जन्म देता है अर्थात् जितना घन मरवाही छजानों में होता है उतना ही काले घन के रूप में।

यह काला घन है क्या? अर्थशास्त्रियों ने उसकी विभिन्न परिभाषाएँ दीं पर कोई पूर्ण नहीं है अतः उन्होंने स्वयं हार मान कर कहा कि काले घन को परिभाषित करने का प्रयास कठिन है निराशा ही हाथ में लेते हैं। इस भाँति मोटे रूप में हम काले घन को दो भागों में बाँट सकते हैं—
 (१) वह घन जो अनतिक्रम और अनतिक्रम दोनों से बचाव जाता है जैसे वैश्या वस्ति द्वारा, जुए-मदक द्वारा अथवा ठेकेदार-साधारण माध्यम से।
 (२) वह घन जिस पर सरकार का वर न दिया जाय जिसे वर अधिकारियों से छिपा कर रखा जाय। ऐसा घन अधिकतर अल्प उपाय भी अनतिक्रम की गैर कानूनी ही शक्ति है। कई मकानों में यंचता है एक लाख रुपये में वर रजिस्ट्री दानी है 50000 रुपये पचास हजार रुपये बचा, वहीं काला घन है क्योंकि जब वर ५५५

नहीं दिया जाता और उसको व्यापार आदि में छिपाकर लगाया जाता है। इसी प्रकार सरकार से साइसस, परमिट परवाने विदेशों से आयात या उन्हें निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए जो धनराशि सरकारी कार्यालयों के निपिको या अधिकारियों को रिश्वत रूप में ही दी जाती है और जिसे वे लोग नकद पाने के कारण बैंक खातों में नहीं दिखाते, जिम पर कर देते, वह भी काला धन है। सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए या तबादलों के लिए दी गयी रकम कासे बाजार में अधिक मूल्य पर चीजों को बेचकर पाया धन, बड़े बड़े उद्योगों में उत्पादन कम दिखाकर, और छिपाये उत्पादन को बेचकर कमायी गई राशि, व्यापारियों द्वारा छिपाकर बचे गए माल से प्राप्त धन सभी काला धन है। चीनी मिल का मालिक अपनी मिल में उत्पादन करता है १०००० टन चीनी का, पर दिखाता है ५००० टन उत्पादन। शेष ५००० टन चीनी बेचकर जो धन वह प्राप्त करता है, वह काला धन है। जिन पापारिया का वह यह चीनी बेचता है वे भी चोरी छिपे, और पीने मूल्य पर उसे बेचकर जो धन कमाते हैं, वह भी काला धन है। इसी प्रकार मकान मालिक या दुकान किराय पर उठाने वाले लोग किरायेदार से लेते १०० रुपये हैं पर उसे रसीद देते हैं ५० रुपये की। उन्हें चू कि ५० रुपये ही कर देना पड़ता है, अतः ५० रुपये काला धन हो जाता है। बिक्री कर आदि बचाकर एकत्र की गई धनराशि भी काला धन होती है।

काले धन के कारण हमारा राजनीतिक जीवन भी दूषित हो उठा है। हमारा देश प्रजातंत्र है। यहाँ हर पाँच वर्ष बाद चुनाव होते हैं। चुनाव के समय चुनाव की खर्च सीमा निर्धारित है पर सबको पता है कि प्रत्याशी को उस सीमा से अधिक धन खर्च करना पड़ता है। यह धन कहाँ से आये, प्रत्याशी धन के लिए पूजिपतियों उद्योगपतियों, बड़े बड़े उद्योग घरानों का मुँह ताकता है। उनकी झोली तो खुलती है पर कुछ शर्तों के साथ। वे अपने काले धन का कुछ भाग उस राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को देता है जिसकी चुनाव में जीत कर सत्ता में आने की सम्भावना होती है। बदले में वह पूजिपति उद्योगपति कुछ रियायतें चाहता है लाइसंस परमिट आयात निर्यात की सुविधाएँ माँगता है और वे उसे भी जाती हैं। इससे भ्रष्टाचार फलता है, काला धन बढ़ता है और मज साइलाज होता जाता है।

काले धन का सबसे अधिक घातक प्रभाव पड़ता है देश की अर्थ व्यवस्था

पर। काले घन के कारण ही अवैध व्यापार, तस्कर व्यापार फलते फूलते हैं, अनेक अनैतिक और गैर कानूनी घघो को प्रोत्साहन मिलता है। काला घा तभी कमाया जा सकता है। जब बाजार में चीजों की कमी हो, आवश्यक वस्तुएँ—अनाज, कपड़ा, भोज्य पदार्थ या दैनिक आवश्यकता की वस्तुएँ मांग की तुलना में कम उपलब्ध हो। यह काफी पैदा की जाती है—उत्पादन कम कर के या उस वस्तु का भंडारण करके। इस कमी के कारण ही मूल्य बढ़ते हैं और साधारण जनता महंगाई की चक्की में पिसती हुई कराह उठती है।

काले घन का एक अनिष्टकारी परिणाम यह होता है कि देश का अधिकांश कारोबार सरकार की अंख से छिपकर होता है। सरकार का नियंत्रण बहुत सकुचित क्षेत्र पर रह जाता है। आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण होने पर राजनीतिक सत्ता भी कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाती है। सरकार को देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि उसके पास सही आँकड़े सही नहीं होते। राष्ट्रपति आप, पूँजी निवेश आदि का सही मही पता न रहने से सरकार की नीतियाँ या तो गलत होती हैं। या लक्ष्य की पूर्ति में असफल। काले घन का सम्बन्ध है करों की चोरी से। पूरी पूरी कर राशि न मिलने से राज कोष खाली होता चलता है, अतः या तो नए नए कर लगाये जाते हैं जो असाध्य को जन्म देते हैं या नोट छाप कर कमी पूरी की जाती है। घाटे के बजट होते हैं मुद्रा स्फीति बढ़ती है। महंगाई आसमान को छूने लगती है और एक नया दुष्चक्र चलने लगता है।

सारांश यह कि काले घन में दुष्परिणाम बड़े गभीर हैं और उसको समाप्त करने के लिए सभी चिंतित हैं। पर उसके लिए क्या कर्म उठाए जायें, सरकार की क्या नीति हो, जन सामान्य का योगदान क्या हो? प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व काले घन के एकत्र होने के कारणों को जानना आवश्यक होगा।

पहला कारण है लोगों की काले घन की प्रति आसक्ति। अर्थशास्त्र का नियम है कि अधिक उत्पादन से आय बढ़ती है पर उत्पादन के लिए पहले तो परिश्रम और अध्यावसाय आवश्यक हैं और परिश्रम से सब बचना चाहते हैं बिनापत अब जब बिना परिश्रम के ही आय हो सके। दूसरे परिश्रम से कमाया घन सफेद होता है उसका सही सही हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसके विपरीत काला घन कमाने के लिए न पत्तीना बहाना पड़ता है। और न उस पर सरकार को कर दिया जाता है। और अगुआ ऐसा होगा जो सरल

५ ईमानदार आयकर-अधिकारियों को सरलण प्रदान करने के साथ साथ उन्हें उनकी वस्तुनिष्ठता और ईमानदारी के लिए पुरस्कृत किया जाय ।

६ कर वसूल करने का तंत्र सुदृढ़ बनाकर कर वसूली की जाय ताकि कर की चोरी न हो सके ।

७ समाज कल्याण की योजनाओं जैसे नदी बस्तिमों, झुग्गी झोंपड़ियों के स्थान पर स्वच्छ बस्तियाँ बनाने-बसाने के कार्यों में कासा धन निवेश करने के लिए लोगो प्रोत्साहित किया जाय ।

(ख) दूसरी दिशा है निवारक । इससे अतगत निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं—

१ अपराधियों को बड़ा दण्ड देने के लिए कानूनों को कड़ा किया जाय । जुमाने की सजा के बदले कारावास की सजा का प्रावधान हो और कारावास की अवधि सम्बन्धी हो ।

२ सलाशी, सम्पत्ति को अधिकृत करने के लिए अधिकारियों के अधिकार आज की तुलना में अधिक हो और व्यापक हों ताकि वे मनमानी न करते हुए भी अपराधी पर उचित दवाब डाला जा सके और अपराधी उससे भयभीत रहें ।

३ ऐसे अपराधो के निगम के लिए विशेष बढालतें हों उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हो ।

४ -याय कम से कम समय में होना चाहिए । अपराधी को ज्ञात होना चाहिए कि वकीलों की धाल की खाल निकालने की युक्ति तथा मुकदमे की टालने की तिन्डम से कुछ लाभ न होगा ।

५ अपराधी को ऐसा कड़ा दण्ड दिया जाय जिससे दूसरे अपराध करने को लालायित लोग डरें और उनकी हिम्मत अपराध करने की न हो । एक बार से अधिक अपराध करने पर प्राण दण्ड या आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान हो ।

६ ऐसे लोगो का सामाजिक बहिष्कार हो । पर सबसे बड़ा प्रश्न है चरित्र का, नैतिक मूल्यों को अपनाने का । जब तक नैतिक मूल्यों में आस्था नहीं होगी, पाप का भय न होगा मनुष्य का हृदय निष्पाप न होगा, वह भ्रष्टाचार से न डरेगा तब तक ऊपर से आप लाख कानून बनाइए । वह उन्हें

सुधार तब तक बेकार और बेमानी है जब तक मनुष्य का आंतरिक सुधार नहीं होता और इसके लिए बचपन से ही नतिक शिक्षा की आवश्यकता है।

जब तक जनता विशेषतः काला घन कमाने वाले यह नहीं सोचेंगे कि अतत वे जिस जीवन नौका पर चढ़े हैं उसमें काला घन का सुराख है और उसके कारण यह नौका अतत डूबेगी ही, अतः उस सुराख को बंद करना चाहिए। काला घन समाप्त होना चाहिए। तब तक यह रोग असाध्य ही बना रहेगा।

६८ | सकट में हम एक हैं

राष्ट्र को प्रत्येक क्षण में सर्वोपरि माना गया है। क्योंकि वास्तव में राष्ट्र कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वह तो जीती-जागती सचेतन भावना होती है। राष्ट्र कोई दूर आकाश में चमकता तारा नहीं होता कि रात बीतते ही आँखा से ओझल हो जाए, राष्ट्र तो अटूट स्वप्नों का सजक है, अमर आसों का आकाश पुत्र है। राष्ट्र कोई आनाश को छूने वाला पहाड़ नहीं होता अपितु उस पर्वत में जो गौरव निहित है, जो महानता छिपी है, जो सुदृढता समाई है, जो कठुणा प्रवाहित हो रही है, वह उन सबको अपने शरीर पर धारण किये रहता है, प्राणों में अवस्थित किए रहता है। इस प्रकार राष्ट्र जड़ इकाई नहीं चेतनशील प्राण है, गतिहीन पाषाण नहीं, गतिमान् शक्ति है, निस्पन्द वस्तु नहीं, स्पन्दशील चेतना है। जितना गोचर है, मृत है, वही केवल राष्ट्र नहीं। यह तो राष्ट्र का बहुत म्यूल रूप है। वास्तव में राष्ट्र तो वह है जो भावना बनकर, सूक्ष्म प्राण-सत्ता बनकर वण-वण में अगोचर तथा अभूत रूप से समाया है। इसलिए राष्ट्र के किसी एव अंग की शक्ति क्षीण हो सकती है किंतु समूचे राष्ट्र की शक्ति अयाह है अजस्र है, वह मिट कर भी नहीं मिटता, वह मरकर भी नहीं मरता। अपनी सूक्ष्मता में हमेशा बना रहता है।

राष्ट्र का यह भावमय स्वरूप ही वास्तव में उसे अमरत्व प्रदान करता है और यह भावना उस समय विशेष रूप से मूर्तिमान हो उठती है जब उसे या उसके किसी अंग को सकट का तूफान घेर लेता है। सकट के क्षण ही तो अग्नि परीक्षा के क्षण होते हैं। सकट की भयंकर प्रलयकारी घड़िया में जो राष्ट्र अपने प्राणों में उत्साह का संचार कर, भुजाओं में शक्ति भर, पाँवों में वेग भर अगारा

सा घघक सकता है, आग उगल सकता है, धाकर का अग्नि-नेत्र बन सकता है, ताडवी नृत्य कर सकता है, विनाश की लीला रच सकता है, रक्त की होली खेल सकता है, वही राष्ट्र इस धरती पर जीने योग्य है, उसे ही जीने का अधिकार है, वही राष्ट्र कहलाने योग्य है। सकट की विकट बेला में ही किसी सबल राष्ट्र की शक्ति मूर्तिमान होकर अपने अजेय अस्तित्व का परिचय दिया करती है। अतएव जिस राष्ट्र पर सकट के बादल जितने अधिक घिरते रहते हैं, उतनी ही उसकी शक्ति की यशोपताका उन्नत होती रहती है, उसके इतिहास में विजय की सुनहली गाथाएँ जुड़ती रहती हैं। सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, राष्ट्र सकट में पड़ कर उन्नत होता है। शक्तिशाली बनता है, इतिहास के पृष्ठ पर, विश्व के हृदय-पट पर अपनी कीर्ति के अमिट चित्र अंकित कर जाता है।

हमारा देश भारत एक विशाल राष्ट्र है। इसकी प्राचीन सस्कृति विश्व के इतिहास का उज्ज्वल पृष्ठ है, मानवता के गौरव की अमर गाथा है। आप इसे टुकड़ों में विभाजित कीजिए खड़ा में बाट दीजिए किंतु यह फिर भी एव है। क्योंकि आप इसकी गंगा नहीं बाँट सकते, इसकी यमुना को विभाजित नहीं कर सकते, इसके हिमालय को खंडित नहीं कर सकते। इसकी गंगा न केवल नदी है और इसका हिमालय न केवल पहाड़, बल्कि इन दोनों में समूचे राष्ट्र के प्राण हैं, चेतना है। ये दोनों देश की भावना के सजीव प्रतीक हैं। इन्हीं और इन जैसे ही असंख्य प्रतीकों से एक ऐसा भाव-भूत्र तयार होता है जिसे हर भारतवासी अपने हृदय में धारण कर राष्ट्रीय भावना से ओत प्रीत हो उठता है। इस प्रकार भारतभूमि, अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं में, धार्मिक भावनाओं में, सामाजिक व्यवस्था में, नैतिक मूल्यों में एक ऐसी सामान्य आचार-पद्धति लिए है कि जिसे सबत्र अपनाया जाता है। आज दक्षिण में चले जायें या उत्तर में, पूव में चले जायें या पश्चिम में, सब कहीं अतिथि का आदर है स्त्रियों का विशेष सम्मान है धर्म हर सामाजिक क्रम की मूल शक्ति है, भौतिक सुखों को हेय और संसार को नश्वर तथा मोह माया का घर समझा जाता है। यह एकता क्या है, बँसी है? उत्तर उसकी राष्ट्रीय चेतना में ही खोजा जा सकता है।

भारत न जाने कब से क्षेत्रीय भावनाओं में सोधता आया है। यद्यपि राज्यों का यह अभाजन आज की बात है किंतु न जाने कब से पंजाबी पंजाब को, गुजराती गुजरात को, बंगाली बंगाल को बिहारी बिहार को अपनी भावना अर्पित करता आया है। तो फिर क्या कहना होगा कि भारत नहीं राष्ट्रीय का समूह है। पंजाब, बंगाल, गुजरात आदि का १५२-१५३

अस्तित्व है, सत्ता है, स्वरूप है। पंजाब, पंजाब है और बंगाल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, गुजरात गुजरात है और महाराष्ट्र से उसका कोई नाता नहीं। वास्तव में तथ्य कुछ और है। भारत की एकता जड़ एकता नहीं, यह एकता बड़ी भावपूर्ण और सचकीली है। इसके अनेकतत्व में एकत्व है, भिन्नत्व में अभिन्नत्व है, दूरत्व में भी सामीप्य अन्तर्हित है।

यदि हम प्रतिदिन के समाचारों पर दृष्टिपात करें, नित्य प्रति सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान दें तो हमें बड़ी निराशा होती है। हर राज्य अपनी-अपनी व्यती बजा रहा है। राज्यों को अपने स्वार्थों की चिंता है, अपने हित-साधन का ध्यान है, समूचे भारत का नहीं। राज्यों में सीमाओं के झगड़े हैं, औद्योगिक होड़ है। एक दूसरे में कई कारणों से तनाव रहता है और कभी कभी तो यह आंदोलन का भी रूप धारण कर लेता है। अनशन तक किये जाते हैं। ऐसी विषम स्थिति ही हमें चिंतित कर देती है। यही हमारी राष्ट्रीयता का दुर्बल पक्ष है। इसी का आक्रोश लाभ उठाते रहे हैं और हम में फूट डालकर इस देश के शासक बन-बैठते रहे हैं। मुसलमानों के इतिहास और अंग्रेजों के शासन की कहानी के पीछे यही तथ्य प्रकट हो रहा है। हमारे गुलाम होने का यही कारण था। हम शक्तिशाली होकर भी एकता के सूत्र में गुंथे नहीं रह सके। हम राष्ट्रीय उतने नहीं रहे जितने कि जातीय या प्रांतीय। इसके दुष्परिणाम कई बार हमारे सामने आए, किन्तु इतना होकर भी हम मिटे नहीं। कारण ?

कारण यह है कि एक ओर जहाँ हमारी प्रांतीयता या क्षेत्रीय प्रवृत्ति दुष्प्रण है वहीं यही हमारी शक्ति भी है। हम क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे ये प्रयास राज्यों में प्रगति की एक स्पर्धा उत्पन्न कर देते हैं। हर राज्य चाहता है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में उसका योगदान सबसे अधिक हो। इसका परिणाम स्वस्थ होड़ होता है। यह होड़ देश की प्रगति को वेग देती है। इस प्रकार भारत की राष्ट्र भावना का यह बीला चलकीला रूप ही इसका बल बन जाता है। इसी ने हमारी हर संकट में रक्षा की है और भविष्य में भी जब जब संकट के बादल घिरेंगे, यही खदित राष्ट्रीयता एक हो जायेगी और हम बलिदानों की होड़ लगा देंगे। इस प्रकार के प्रमाण कई बार सुलभ हो चुके हैं।

प्राचीन इतिहास भी इसका साक्षी है, यद्यपि उस समय इस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विवाह न हुआ था। हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे अत्यन्त उदाहरण मिल जायेंगे कि जब दिल्ली के प्रवेश द्वार की रक्षा करने के

समस्त दश से सेनायें एकत्रित हुई हैं। पर सदेह नहीं कि मध्य काल तक हममें जातीय भावना का ही प्रभुत्व रहा और हम छोटी छोटी जातियों के रूप में ही दश और राष्ट्र की कल्पना करते रहे। इसी सजीव राष्ट्रीय भावना के कारण हम पराजित भी हुए और सदियों तक दासता की शृंखलाओं में बंध रहे। किंतु इतना होने हुए भी यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि सकट की बेला में हम एक होकर शत्रु का सामना करते रहे हैं। इतना ही क्यों? ऐसे युग का इतिहास हमारे वीरों ने खून से लिखा है। यदि हम वीर न होते, हम में राष्ट्र या जाति के प्रति प्रेम न होता तो हम रणवाकुरे, क्यो बन जाते, केसरिया बाना ग्रहण कर युद्ध भूमि में क्यो कूद पड़ते। वास्तव में यह इस देशवासियों का धर्म रहा है। राज्य या राजा पर आया सकट सबका सकट ही नहीं अपितु वीरता दिखाने का शुभ अवसर समझा गया है। सकट की बेला ही तो ऐसी बेला है कि जिसकी प्रतीक्षा में भारतीय क्षत्रिय जीता था। अतएव सकट की सूचना का यहाँ सदा उत्साह से स्मरणित हुआ है। उसने एकत्व की प्रणाली और बल दिया है।

आज के युग का इतिहास तो इस तथ्य को और भी स्पष्ट करता है। भारत पर सन् १९६२ में चीन का आक्रमण हुआ। हम उस समय सोए थे, पारस्परिक क्षणों में उलझे थे। स्वतंत्रता का उत्साह समाप्त हो चुका था। आर्थिक अभाव, नैतिक पतन तथा राजनीतिक स्वार्थपरता से देश का इतिहास लिखा जा रहा था। ऐसी स्थिति में एक मित्र ने, जिसके लिए हम समस्त विश्व से लड़ते थे, पीठ में छुरा धोपा था। अतएव हमारी भावनाओं को गहरा घक्का लगा। बेसुधी जाती रही। देश भक्ति की भावनाओं में तूफान आ गया। सह्य और उमग का सागर उद्वेलित हो उठा। सारा राष्ट्र हुंकार कर जाग उठा। परस्पर के बैर-विरोध न जाने कहीं जा छिपे। अब कोई भ्रष्टाचारी न था, स्वार्थी न था, दरिद्र न था। सबको राष्ट्रीय भावना की अद्भुत शक्ति ने कुदम बना दिया था। हम सब स्वायत्त भूल गये थे, आत्मस्य छांड बैठे थे। सबको एक ही समन थी, एक ही अभिलाषा थी। सब देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते थे। न कोई पंजाबी रहा न बंगाली, न कोई सिख रहा न हिन्दू, न कोई जाट रहा न बनिया, न कोई ब्राह्मण रहा न शूद्र। सब एकता के सूत्र में प्रणित हो गए। सबका अनेकत्व एकत्व में बदल गया। पाकिस्तानी आक्रमणों के समय भी यही सब हुआ और हमने अद्भुत एकत्व का परिचय देकर विजय प्राप्त की।

सकट ने यह सिद्ध कर दिया था कि हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है— भारतीय संस्कृति। हमारा धर्म एक है— राष्ट्र धर्म। हमारा देश एक है—

भारत । हम पंजाबी बंगाली पीछे हैं पहले हैं—भारतवासी । इसी एकता की अनुभूति हम सन् १९६५ में फिर हुई जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर लिया । इस सकट में भी यह सिद्ध कर दिया कि हम राज्यों में संगठित गण-पद्धति को अपना कर भी एक हैं और देश के किसी भी भाग पर आन वाला सकट सब राष्ट्र का सकट है और उसका सामना करने के लिए देश का हर प्राणी प्रस्तुत है । सन् १९७१ के 'भारत-पाक युद्ध' में जिस राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया है, वह वास्तव में अजोड है । उसने विदेशियों को भी आँखें खाल दी हैं कि यो ऊपर से खण्डित दिखाई देने वाला भारत भीतर से कितनी अदम्य एवं अखण्ड्य एकता में निबद्ध है । तभी तो आज भारत एक नवीन शक्ति रूप में विश्व-रंगमंच पर उभर सका है ।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सुख समृद्धि भले ही राष्ट्र की चेतना को प्रकट न कर सकें, न यह बात कह सकें कि देश कितना सुसंगठित है, उसकी भुजाओं में कितना बल है, किन्तु सकट की बेला में इन सबकी याह मिल जाती है । यदि कोई राष्ट्र ऐसी स्थिति में एक होकर हूँकार भर सकता है, एकाएक जाग कर शत्रु के दाँत खट्टे कर सकता है, तो उस राष्ट्र की वह नींद भी स्पृहणीय है, महनीय एवं अनुकरण-योग्य है ।

अतएव हम कह सकते हैं कि हम एक हैं, हमारी एकता अखंड्य है । यह एक बठोर सत्य है जिसे हमारे शत्रुओं ने जाना है, जिसे विश्व समझता है । सकट की जिकट घड़ियों में यह, अमृत एकता मूर्तिमान हो जाती है और देश की सहज ही सुरक्षा ही जाती है । विगत चार-पाँच विदेशी के आक्रमणों ने इस तथ्य को विशेष रूप से प्रगट किया है कि भारत एक है और सकट में तो उसकी यह एकता और भी प्रखर हो उठती है । काश ! यह एकता हर आंतरिक समस्याओं के सुलझाने में भी प्रदर्शित कर पाते । यदि ऐसा हो जाए तो सन्देह नहीं कि कुछ ही वर्षों में भारत सभी दृष्टियों से ससार का समृद्धतम राष्ट्र बन जाएगा ।

निहित स्वार्थों और कई बार आर्थिक लाभ के लिए विदेशियों से प्रेरित होकर कुछ सिर फिरे उप्रवादी आज भी राष्ट्र की एकता को खण्डित करने का भ्रष्ट प्रयत्न करते दिखाई दे जाते हैं—अवश्य । किन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि अधिसंख्य देशवासियों की रगों में गंगा का जो पवित्र अमृत प्रवाहित हो रहा है, वह उनके दुष्प्रयासों को कभी भी सफल नहीं होने दे सकता । कोई भी सच्चा भारतीय माँ का दूध नहीं लजा सकता ।

६६ | लोकतंत्र और चुनाव

लोकतंत्री शासन-व्यवस्था को जनतंत्री-शासन-व्यवस्था भी कहा जाता है। इस राजनीतिक-मदति या शासन-व्यवस्था में 'लोक' अथवा 'जन' का ही सर्वाधिक महत्व हुआ करता है, यह इस प्रकार के नामकरण से ही स्पष्ट हो जाता है। लोक या जन द्वारा न केवल निर्वाचित वलिक नियंत्रित शासन-तंत्र हा लोकतंत्र या जनतंत्र हुआ करता है। दूसरे शब्दों में, इस राजनीतिक शासन व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनता की सुख-सुविधा, उन्नति एवं विकास के लिए सीधे उत्तरदायी होने हैं। जन भावनाओं, आवश्यकताओं व आवश्यकताओं आदि को देश काल के सदर्भों में ध्यान रखकर ही निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का ससद सब प्रकार के नियम और विधान बनाती है। उसी विधान के अनुसार ही सरकारी न्यायपालिका और कायपालिका को सारा काम काज करना पडता है। इस प्रकार लोकतंत्र या जनतंत्र में ससद, उसके द्वारा नियुक्त मंत्री मण्डल और काय-सम्पादाय नियुक्त सन्तुचे सरकारी तंत्र का सभी प्रकार का सीधा सम्बन्ध जन या जनता के साथ रहा करता है। वह अथ नी सफलता-असफलता के लिए प्रकारान्तर से जनता के सामने ही जवाब दे है। इस विवेचन से लोकतंत्र में लोक या जन का महत्व तो स्पष्ट हो ही जाता रहा है, इस बात का साकेतिक महत्व भी प्रकट हो जाता है कि इस व्यवस्था में नियाचन या चुनाव का क्या और कितना महत्व होता अथवा हो सकता है।

जनतंत्री-शासन-व्यवस्था में एक बार चुने गए सासदों, उनमें बहुमत रखने वाले दल के सासदों द्वारा अपन निर्वाचित नेता के नेतृत्व में गठित मंत्री-मण्डल का काय-काल लगभग पाँच वर्ष का रहा करता है। पाँच वर्षों बाद सामान्यतया दुबारा चुनाव लडना, चुनाव-आयोग द्वारा चुनाव की व्यवस्था करना प्रायः आवश्यक हुआ करता है। विशेष एवं अपरिहाय परिस्थितियों में ही जन अधिवाक के इस उपयोग के अवसर-अर्थात् नव चुनाव कराने की परम्परा को टाला या स्थगित किया जा सकता है। लोकतंत्र में व्यस्क-भताधिकार के द्वारा विधान सभाओं के सदस्यों (विधायकों) और ससद के सदस्यों (सासदों) का चुनाव होता है। फिर ये विधायक और सस्य अपनी-अपनी विधान सभा तथा सर्वोच्च सत्ता में केन्द्रीय ससद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधान-सभा या

संसद में बहुमत वाली पार्टी अपने दस-भौता का चुनाव करती है। वह दल नेता ही राज्यों (प्रान्तों) और केंद्र में निर्वाचित सदस्यों में से मंत्री मण्डल का चुनाव एव गठन करता है। विधान सभाओं और संसद के अध्यक्षों का चुनाव तो ये सभी प्रकार के निर्वाचित सदस्य करते ही हैं, जनतंत्री-व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता-राष्ट्रपति के पद पर अधिष्ठित होने वाले व्यक्ति का चुनाव भी इन्हीं विधायकों और सांसदों द्वारा ही किया जाता है। विधान-सभाओं के उपाध्यक्षों एव उपराष्ट्रपति आदि का भी निर्वाचन ही किया जाता है। इसी प्रकार लोकतंत्री व्यवस्था में शासन प्रशासन को मध्य, निम्न से निम्नस्तर तक की सभी इकाइयों का गठन मुख्यतः जन-मत से चुनाव द्वारा ही सम्भव हुआ करता है। महानगर परिषद् (मैट्रोपोलिटन), नगर परिषद या नगर निगम (म्युनिसिपल कारपोरेशन), नगरपालिका (म्युनिसिपल कमेटी), जिला-परिषद, ग्राम पंचायत आदि सभी संगठन इसी प्रकार के हैं। इन सबका बुनियादी ढाँचा आम जनता द्वारा मत-दान करके निर्वाचित सदस्यों के आधार पर ही खड़ा किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र या जनतंत्र में जनता से बाहर कुछ नहीं और यह भी स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्था रहने के कारण चुनाव अर्थात् आमजनो के मतदान का महत्त्व कितना अधिक बढ़ जाता है।

लोकतंत्र में अपने मत (Vote) का प्रयोग करने का जो अधिकार वयस्को को प्राप्त होता है, शासन पर नियंत्रण रखने, उसका रख मोड़ सकने की जनता के पास वही सबसे बड़ी एव सबल शक्ति हुआ करती है। पर इस शक्ति का उचित प्रयोग हो, तभी लोकतंत्र अपने वास्तविक लक्ष्यों—अर्थात् जन हित में सफल हो पाता है। उचित प्रयोग एव उपयोग के अभाव में सारी कार्य-व्यवस्था, शासन-सूत्र एव उससे सम्बद्ध पूरा तंत्र अव्यवस्थित तथा छष्ट होकर रह जाया करता है। मत का सदुपयोग हो, अर्थात् चुनावों के अयसर पर सच्चे जनवादी, जन-हितैषी और जन-सेवक सांसदों, विधायकों का चुनाव हो सके, इसके लिए मताधिकार-प्राप्त व्यस्को को विशेष सावधान रहना पड़ता है। यह सावधानी लोकतंत्र और उसमें मतदान के महत्त्व की वास्तविक शिक्षा, विशेष राजनीतिक जागरूकता आदि से ही आ पाया करती है। यह जागरूकता ही लोकतंत्र या जनतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकती है। जिस देश में जनता जितनी अधिक जागरूक, प्रत्युत्पन्न मति, अपने कर्तव्य एव अधिकारों के प्रति मजबूत तथा जन-नेताओं के व्यापक चरित्र को पहचान पाने में सक्षम हुआ करती है, वहाँ यह व्यवस्था उतनी ही अपने फलितार्थ में साधक मानी जाती है। इन सब तत्वों, गुणों एव जागरूकता के अभाव में इस व्यवस्था और इसके अन्तर्गत होने वाले पंचवर्षीय, सावधि या फिर मध्याधिश आदि चुनावों का कोई महत्त्व

नहीं रह जाता। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि लोकतन्त्री शासन-व्यवस्था की मूल अवधारणा जनता की विशेष जागरूकता और जन-नेताओं की निस्वार्थता के सद्भावों में ही सार्थक हुआ करती है, अन्यथा व्यर्थ होकर रह जाती है।

हमारा देश भारत अपनी राजनीतिक अवधारणा एवं शासन-व्यवस्था की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र या जनतन्त्र माना जाता है। या आधुनिक काल में सर्वप्रथम अमेरिका में इस प्रकार की शासन-व्यवस्था का प्रयोग आरम्भ हुआ था। वहाँ काफी सीमा तक इसे सफलता भी मिली और पूँजीवादी-साम्राज्य-या प्रभाव-क्षेत्र-विस्तारवादी मनोवृत्तियों को क्रमशः अधिकाधिक प्रथम मिलते जाने के बाद भी अमेरिका में अभी तक इसी प्रकार की शासन-व्यवस्था चल रही है। सन् १९४७ में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने भी लोकतन्त्र की इस मान्यता—“जनता द्वारा, जनता के लिए जनता का शासन” (Govt of the people, Govt for the people Govt by the people) के आधार पर ही यहाँ लोकतन्त्री शासन व्यवस्था को अपनाया और विगत चौबीस-सैंतीस वर्षों से यही व्यवस्था यहाँ चल रही है। यहाँ वयस्क मताधिकार का चुनावों के अवसर पर कई बार उपयोग हो चुका है। वयस्कों के मत में कितनी शक्ति है, यह कई बार देखा जा चुका है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद से सन् १९७७ तक लगातार शासन करने वाली कांग्रेस की सत्ता को इस वय में होने वाले मध्यावधि चुनावों में जनता ने बदल डाला एक अन्य दल ने जनता पार्टी को शासन-व्यवस्था चलाने का अवसर प्रदान किया। परन्तु जब देश की जागरूक जनता ने देखा कि इस दल के शासकाने चुनावों के अवसर पर जो आश्वासन दिए थे, उनके अनुसार जनहित के कार्यों की ओर ध्यान न दे, शासक-व्यय एक-दूसरे की टाँग खींचने में ही व्यस्त हैं, तो सन् १९८० में होने वाले चुनावों, ने जनता पार्टी का शासन बदल कर सत्ता पुनः कांग्रेस के हाथों में सौंप दी। बहुत सम्भव है कि भविष्य में होने वाले चुनावों के अवसर पर प्रबल जनमत वर्तमान शासन व्यवस्था को भी बदल डाले। तात्पर्य यह है कि लोकतन्त्र में चुनावों का महत्त्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि जागरूक जनता अपने प्रबल जनमत से किसी भी दल की निवन्धी सरकार और उसकी अव्यवस्थित व्यवस्था को यदि जल्दी नहीं, तो पाँच वर्षों के बाद तो अवश्य ही बदल सकती है।

लोकतन्त्री शासन-व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। चुनाव प्रक्रिया में छोटे-बड़े विभिन्न दल तो अपने प्रत्याशी खड़े करते ही

हैं, स्वतंत्र व्यक्ति भी चुनाव-नियमों के अन्तर्गत अपने को प्रत्याशी बना सकते हैं। सभी दल या स्वतंत्र प्रत्याशियों को अपनी नीतियों, योजनाओं को जनता के सामने रखने के लिए छोटी-बड़ी सभाएँ आयोजित करने का अधिकार रहता है और ऐसा खुले-आम भी किया जाता है। मतदान के बाद सर्वाधिक मत (Vote) प्राप्त करने वाले को चुनाव आयोग सफल घोषित करता है। इस घोषणा के बाद विजयी प्रत्याशी को पाँच वर्षों के लिए ससद या विधान-सभाओं में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसे विधान सम्मत अनेक प्रकार की सुविधाएँ भी पाँच वर्षों के कार्य काल तक प्राप्त हो जाती हैं। जिस दल के प्रत्याशियों को बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकारें बनती हैं, अल्प प्रत्याशियों वाले दल ससद और विधान सभाओं में प्रतिपक्षी या विरोधी गुट बनकर सरकार के कार्यों की आलोचना तो करते ही हैं, दिशा निदेशक एवं नियंत्रक भी प्रमाणित होते हैं। यह ध्यातव्य है कि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष दल जब उचित एवं स्वस्थ दृष्टि से अपनी भूमिका निभाता है, तभी लोकतंत्र सार्थक बन पाता है। केवल विरोध के लिए विरोध का कोई अर्थ एवं महत्त्व नहीं होता।

लोकतंत्र की अपनी यह भी एक चरित्रगत विशेषता है कि यहाँ प्रायः या राज्यों में केन्द्र में शासन करने वाले दल से भिन्न दलों की सरकारें भी चुनाव जीतकर बन सकती हैं। भारत में लोकतंत्र की यह विशेषता केरल, त्रिपुरा और बंगाल में आज भी देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में भी विरोधी दलों की सविद सरकारें रही हैं इस प्रकार की व्यवस्था अधिनायकवाद, साम्यवाद आदि में सम्भव नहीं हुआ करती। रूस, चीन, पाकिस्तान आदि देशों में अधिनायकवादी एवं साम्यवादी शासन व्यवस्था में जनमत और चुनाव आदि का कोई महत्त्व नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र या जनतंत्र एवं चुनाव का परस्पर गहरा सम्बन्ध है। यदि अपनी मूल अवधारणा के अनुरूप कार्य सम्भव हो सके, तो लोकतंत्र विश्व की सर्वाधिक स्वस्थ एवं काम्य शासन-व्यवस्था कही जा सकती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजित होने वाले चुनाव जन शक्ति और उसके बहुमत की विजय के परिचायक हुआ करते हैं। जनता द्वारा चुने गए शासक और विरोधी दलों के सौम्य पारस्परिक सहयोग एवं स्वस्थ आलोचना-प्रत्यालोचना से सक्रिय कार्य करते हुए जन एवं देश-हित का साधन-समाधान कर सकते हैं। यदि दृष्टिकोण स्वस्थ एवं जनाभिमुख नहीं है तो फिर लोकतंत्र और चुनावों का कोई भी महत्त्व नहीं रह जाता—यह बात आद्यत ध्यातव्य है।

तृतीय खण्ड
सामाजिक एव विविध

अस्पृश्यता का सामान्य अर्थ है छुआ छूत और उच्चता-नीचता का भेदभाव। अनादि मात से और आज भी हमारा समाज जिन अनेक कुरीतियों में ग्रस्त है, उनमें से एक अस्पृश्यता या छुआ-छूत भी है। हिन्दू समाज प्रमुखतः दो भागों में बटा हुआ है, एक सवण हिन्दू और दूसरे असवर्ण या अस्पृश्य समझे जाने वाले जातियों के लोग। पता नहीं कब सुदूर अतीत में वर्णों का विभाजन किया गया था? उस समय वर्ण-व्यवस्था के सम्भवतः अनेक लाभ रहे हों, किन्तु इस समय वर्ण-व्यवस्था का जो स्वरूप हमारे समाज में प्रचलित है, वह अत्यन्त चिन्ताजनक है। सवण हिन्दू हरिजनो के स्पर्श से बचते हैं। भगी, चमार, डोम, जुलाहे इत्यादि अर्थात् कई वर्णों के लोग अछूत माने जाते हैं। दो शताब्दी पहले तक समाज में उनकी दशा ऐसी थी कि मानो वे मनुष्य ही न हों। यह अस्पृश्यता सचमुच समूचे मानवीय समाज के लिए कत्तक है। हमारे देश में छ' सात करोड़ से अधिक ऐसे अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग विद्यमान हैं जिन्हें सहज मानवीय व्यवहारों से भी अचित रखा जाता है।

अब तो गांधीवादी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अछूत समझे जाने वाले लोगों की दशा समाज में काफी सुधर गई है, परन्तु अब से पच्चीस-तीस वष पूर्व अछूतों को समाज में अज्ञानित असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। वे यद्यपि हिन्दू हैं हिन्दुओं के देवता राम, कृष्ण, विष्णु और शिव की उपासना करते हैं, किन्तु उन्हें हिन्दुओं के देव मन्दिरों और तीर्थ-स्थानों में जाने का अधिकार नहीं था जिस कृपे से सवण हिन्दू पानी भरते थे उस कृपे से अछूत हिन्दू पानी तक ले सकने थे। इन भेद भावों के परिणामस्वरूप ही इन अस्पृश्य या हरिजन कहे जाने वाले लोगों द्वारा सामूहिक धर्म परिवर्तन कर लेने के समाचार आज भी मिलते रहते हैं। इसे हिन्दू-समाज और भारत राष्ट्र के लिए शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता।

दक्षिण भारत में अछूतों की समस्या अर्थात् सब प्रान्ता की अपेक्षा अधिक उग्र थी और आज भी है। अछूतों को बस्ती से बाहर बहुत दूर रहना पड़ता था। यदि किसी की छाया भी सवण हिन्दू पर पड़ जाए, तो समझा जाता था कि सवण हिन्दू अपवित्र हो गया है। बाद में तो यह स्थिति यहाँ तक बिगड़ी

कि हरिजनो का उन सबको पर चलता ही रोक दिया गया, जिन पर सबग हिन्दू चलते थे। इस प्रकार मानव के नाते जो अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होने चाहिएँ वे सभी भी इन अछूत या अस्पृश्य समझे-कहे जाने वाले लोगों से छीन लिए गए। उनकी दुदशा सब सीमाओं को लांघ गई थी।

अंग्रेजों के शासन-काल में अछूतों की दशा मध्यकाल के दासों की अपेक्षा कुछ भी अच्छी न थी। इनके साथ अत्यन्त अपमानजनक मनुष्यता रहित व्यवहार किया जाता था और ये उसके विरोध में एक भी शब्द कहे बिना चुपचाप सह लेते थे। गंदे और नीच समझे जाने वाले सब काम इन्हें अपने हाथों से करने पड़ते थे। अनेक स्थानों पर आज भी करने पड़ रहे हैं। चिरकाल तक शोषित पीडित और अपमानित रहने के कारण उनका मनोबल पूणतया कुण्ठित हो गया था। वे यह कल्पना भी न कर सकते थे कि किसी दिन वे सबग हिन्दुओं के समान ऊँचे या महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँच सकते हैं। उनके इस मनोबल की क्षीणता की हानि सारे समाज की उठानी पड़ी। जिस समान में छ सात करोड़ व्यक्ति मानसिक दृष्टि से पगु और असहाय हो, वह उन्नति कैसे कर सकता है ?

अछूता की यह दुदशा पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में और भी भयावह जान पड़ती है पश्चिमी देशों में जाति को ऐसा महत्त्व कभी नहीं दिया गया वहाँ प्रतिभा और योग्यता का सदा सम्मान किया गया है। नेपोलियन, हिटलर मुसोलिनी, स्टालिन इत्यादि विश्व प्रसिद्ध नेताओं ने मामूली परिवारों में ही जन्म लिया था और वे केवल अपनी योग्यता के कारण उच्चतम पदों पर पहुँच पाने में सफल हुए। इसी प्रकार पश्चिमी देशों के अनेक प्रसिद्ध कलाकारों का जन्म भी अत्यन्त निधन परिवारों में हुआ था। किन्तु वहाँ उनकी निधनता या अकुलीनता उनकी उन्नति में बाधा न बन सकी। वे केवल अपने प्रतिभा की सामर्थ्य के कारण कीर्ति के उच्चतम शिखर तक चढ़ पाने में सफल हुए। किन्तु भारत में अछूत समझी जानी वाली जातियों के लिए ऐसी कोई सम्भावना नहीं रही। हमारी समाज की व्यवस्था ने उन्हें ऐसी सुन्दर श्रृंखलाओं में बाँध रखा है कि उनकी महत्त्वाकांक्षा कभी सिर ही नहीं उठा पाती थी। पहले तो इन अछूत जातियों में न किसी व्यक्ति को उन्नति करने का अवसर ही नहीं मिल पाता था और यदि कोई असाधारण मेधावी या प्रतिभाशाली व्यक्ति इन दुर्जेय बाधाओं को पार करके कुछ विलक्षण कार्य कर दिखाने में सफल भी हो जाता तो उनका उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता था। अछूत होने के कारण उस बेचारे के सफलता को भी अत्यन्त हीन दृष्टि से ही देखा-समझा जाता था। यही कारण है कि हमारे देश में चित्रकारों, कला शिल्पियों

५ /
११ /
१२ /

बददपो और सुहारो का भावर वभी नही हुमा और हय लोग भौतिक क्षत्र मे पिछडे ही रहे।

हिंदू समाज ने जिन भ्रष्टो को इतनी उपेसा की थी कि उनके साथ अनुप्यो-चित व्यवहार करना भी ठीक नही समझा। परिणामस्वरूप उनमे ईसाई और मुसलमान प्रचारको को अपना प्रभाव जमा पाना बहुत सरल प्रतीत हुमा। हिन्दू समाज ने रहकर भ्रष्टो को जितनी साधना और कष्ट सहने पडते थे, उगसे बच पाने का एक ही उपाय था कि वे ईसाई या इस्लाम धम को स्वीकार कर लें। उन के हिंदू रहते सवण हिंदू उनके साथ भाजीवन सद्व्यवहार न करते, किन्तु ईसाई या मुसलमान बन जाने के बाद उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने का अधिकार किसी सवण हिंदू को नही रह जाता। भ्रष्ट रहते हुए व्यक्ति सवण हिंदुओ के कुएँ से पानी नही भर सकता, किन्तु मुसलमान बन जाये पर वह पडल्ले से सवण-हिंदुओ के कुएँ पर जा सकता था। इसलिये भ्रष्ट बडी तेजी से ईसाई और मुसलमान बनने लगे। आज भी वन रहे हैं। बहुत समय तक हिंदू समाज इस विषय स्थिति को निकतव्य विमूढ़ की भाँति देखता रहा और इसकी रोकथाम का कोई उपाय न कर सका। आज भी उपाय कर हपने में असमथ ही है।

सवप्रथम भायसमाज के प्रवतक महर्षि दयानन्द की दृष्टि इस ओर गई। उन्होंने अनुभव किया कि यदि भ्रष्टो के साथ हिन्दू ऐसा ही दुव्यवहार करते रहे, तो बहुत शीघ्र ही भ्रष्ट ईसाई या मुसलमान बन जाएंगे। भायसमाज ने न केवल भ्रष्टोदार का भान्दालन प्रारम्भ किया, अपितु साथ ही दूसरे धर्मो ने जा चुके भ्रष्टो को फिर शु करने की भी व्यवस्था की। किन्तु भ्रष्टो को मुसलमान होने से गकने तथा मुसलमान बने हुए भ्रष्टो को फिर शु करने के लिए पहले यह श्रावश्यक था कि उन्हें यह भावनासन दिया जाए कि हिन्दू जाति का भग बने रहने पर उनके साथ उचित समानता का व्यवहार किया जाएगा। इसने लए जोर शोर से प्रचार प्रारम्भ किया गया।

अप्रेओ ने जिस प्रकार मुसलमानो को भडका कर उन्हें हिंदुओ का शत्रु बना दिया था, वी प्रकार उन्होंने भ्रष्टो को भी हिंदुओ से पूषक करने की चेष्टा की। उन्होंने विधान सभा के चुनावो मे भ्रष्टो के लिए पूषक स्थान नियत किए। उस समय महात्मा गाँधी ने इस समस्या की गम्भीरता को अनुभव किया और उन्होंने कांग्रेस की प्रेरणा दी कि वह भ्रष्टोदार के काम मे पूरी शक्ति से जुट जाए। भ्रष्टो को हिंदू जाति का भग बनाये रखने के लिए गाँधीजी ने भरसक प्रयत्न किया और इसके लिए भ्रष्टो को वे सब अधिकार वापस दिलाए जो छिन चुके थे। भ्रष्टो को गाँधीजी ने 'हरिजन नाम दिया।

परन्तु, भ्रष्टोद्धार की दिशा में, महत्त्वपूर्ण कार्य भारत की स्वाधीनता के पश्चात् हुआ। पहले जो काम केवल प्रचार द्वारा किया जा रहा था, वह अब कानून द्वारा किया गया। भारत के नए संविधान में हरिजनो को सबण हिन्दुओं के समान अधिकार प्रदान किए गए और संविधान की सत्रहवीं धारा के अनुसूचित छूटा-छूत का प्रदर्शन दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया और पच्चीसवीं धारा के अनुसार सब हिन्दू देवस्थान हरिजनो के लिए खोल दिए गये। सरकारी नौकरियों तथा उन्नति के अवसरों के लिए जाति, लिंग अथवा धर्म का कोई भेद भाव नहीं किया गया। इसलिए स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हरिजनो को भी समान अधिकार प्राप्त हो गये। हरिजनोद्धार के लिए विशेष आरक्षण की नीति भी अपनाई गई। यद्यपि संविधान में सब नागरिकों को समान माना गया है और किसी के साथ रियासत नहीं की गई, परन्तु हरिजनों को दस वर्ष के लिए विशेष रियासतें दी गई हैं, जिससे इन दस वर्षों में वे मत्त करके सर्वण हिन्दुओं के स्तर तक पहुँच सकें। अब यह अवधि और आगे बढ़ा दी गई है, जबकि इसका विरोध भी हुआ है। सम्पूर्णतया न सही, काफी सीमा तक इन प्रयत्नों के सत्यपरिणाम सामने आए हैं। आज यह स्थिति है कि प्रत्यक्षतः कम से कम नगरो में तो स्पृश्यता अस्पृश्यता की कोई स्थिति नहीं रह गई है। हाँ, ग्रामो में अब भी इसके विकट उदाहरण मिलते रहते हैं।

अस्पृश्यता हमारे समाज के माथे पर कलक तो है ही, साथ ही यह हमारी उन्नति में बाधक भी है। हम अपनी इतनी विज्ञान जन शक्ति का पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति हो जाने पर अब छः-सात करोड़ हरिजन देश की सर्वांगीण उन्नति में पूरा भाग ले सकते हैं और हमारा देश न्याय, समानता और बहुल्य के सिद्धान्तों पर आधारित आदर्श समाज बन जाएगा इसमें कोई सन्देह नहीं। इस दिशा में अब जो नए प्रयत्न किए जा रहें हैं, उन्हें सारे देश का समर्थन प्राप्त है।

७१

विज्ञान वरदान है या अभिशाप ?

मानव-सम्यक्ता का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। अब से चार हजार वर्ष पूर्व ही मानव-सम्यक्ताओं के जो ध्येसावरोध सुदाइयों में प्राप्त हुए हैं इनसे ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग बहुत कुछ सम्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत

उन्होंने कहा कि यद्यपि शवर्ण हिन्दू जन-संघर्षों को यथा की दृष्टि से देखते हैं किन्तु भगवान को यही लोग प्यारे हैं। हरि के प्रियजन होने के कारण उन्हें 'हरिजन' कहा जाने लगा।

गांधीजी ने छद्मोद्धार को मिटाने, हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने और उनके हाथ का भोजन उनके साम बैठकर खाने इत्यादि के रूप में आन्दोलन को आगे बढ़ाया। एक बार 'साम्प्रदायिक निर्णय' के विरुद्ध उन्होंने भ्रमण भी किया। इस भ्रमण का परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो अंग्रेजी सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि हरिजन हिन्दू समाज के ही एक अंग हैं और दूसरी ओर हिन्दू जाति का भी इस समस्या की ओर ध्यान गया। अछूतोद्धार का काम तेजी से होने लगा। 'हरिजन सेवक संघ' ने इस क्षेत्र में उपयोगी काम किया और भाज भी कर रहा है।

जब प्रजातन्त्र के आधार पर भारत में चुनाव होने लगे, तो हरिजनों को भी अपने वोट की शक्ति का ज्ञान हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि वोट की दृष्टि से हम सवण हिन्दुओं के बराबर हैं और उनके चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं। उनमें आत्म-गौरव का भाव जागृत हुआ, और उन्होंने स्वयं भी अपनी राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए माँग करनी प्रारम्भ की। डाक्टर अम्बेदकर ने हरिजनों का पृथक् ही संगठन प्रारम्भ कर दिया, इसलिए कुछ स्वेच्छा से और कुछ दबाव में आकर सवण हिन्दुओं वा हरिजनों की माँग स्वीकार करनी ही पड़ी। जब १९३७ में प्रान्तों में पहली बार काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने तब यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक प्रान्त में एक-एक हरिजन मन्त्री भी नियुक्त किया जाए। हरिजनों की शिक्षा के लिए विशेष मुक्ति प्रदान की गई और यह यत्न किया कि जैसे भी हो, हरिजनों को यथा शीघ्र सवण हिन्दुओं के समान स्तर पर ले आया जाए। हरिजन विद्यालयों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवक्तियाँ भी प्रदान की गईं।

इस सब प्रगति के बावजूद अछूतोद्धार के कार्य में बहुत-सी बाधाएँ भी थीं। जो आत्महीनता की भावना हरिजनों के मन में शताब्दियों से घर किए हुए थी, वह सहसा टूट नहीं सकती थी। यद्यपि सब हिन्दुओं, ग्रामसमाज, काँग्रेस, हरिजन सेवक संघ तथा सरकार की ओर से हरिजनों की उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न किया जा रहा था किन्तु हरिजन अपनी उन्नति के लिए स्वयं उतने प्रयत्नशील न थे। वे अपने बालकों को विद्यालयों में पढ़ने न भेजते थे और ग्रामों में तो समानता का अधिकार दिए जाने पर भी वे उस अधिकार का उपयोग करने को तैयार नहीं थे। वे अपने आपको स्वयं ही हीन बनाये रखना चाहते थे।

परन्तु, अछूतोंद्वारा की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य भारत की स्वाधीनता के पश्चात् हुआ। पहले जो काम बेल प्रचार द्वारा किया जा रहा था, वह अब कानून द्वारा किया गया। भारत के नए संविधान में हरिजनो को सवण हिन्दुओं के समान अधिकार प्रदान किए गए और संविधान की सत्रहवीं धारा के अनुसार छूपा-छूत का प्रदर्शन दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया गया और पञ्ची-सवीं धारा के अनुसार सब हिन्दू देवस्थान हरिजनो के लिए खोल दिए गये। सरकारी नौकरियों तथा उन्नति के भय भवसरा के लिए जाति, लिंग अथवा धर्म का कोई भेद भाव नहीं किया गया। इसलिए स्वतंत्र भारत के नागरिक होवे के नाते हरिजनो को भी समान अधिकार प्राप्त हो गये। हरिजनोंद्वारा के लिए विशेष धारणा की नीति भी अपनाई गई। यद्यपि संविधान में सब नागरिको का समान माना गया है और किसी के साथ रियासत नहीं की गई, परन्तु हरिजनो को दस वष के लिए विशेष रियासतें दी गई हैं, जिससे इन दस वर्षों में वे यत्न करके सवण हिन्दुओं के स्तर तक पहुँच सकें। अब यह अवधि और भागे बढ़ा दी गई है, जबकि इसका विरोध भी हुआ है। सम्पूर्णतया न सही, काफी सीमा तक इन प्रयत्नो के सत्यपरिणाम सामने आए हैं। आज यह स्थिति है कि प्रत्यक्षत कम से कम नगरो में तो स्पृश्यता अस्पृश्यता की कोई स्थिति नहीं रह गई है। हाँ, ग्रामो में अब भी इसके विकट उदाहरण मिलते रहते हैं।

अस्पृश्यता हमारे समाज के माथे पर कलक तो है ही, साथ ही यह हमारी उन्नति में बाधक भी है। हम अपनी इतनी विशाल जन शक्ति का पूरा सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अस्पृश्यता की समाप्ति हो जाने पर अर्ध-छात करोड़ हरिजन देश की सर्वांगीण उन्नति में पूरा भाग ले सकते हैं और हमारा देश "याय, समानता और बहुत्व के सिद्धान्तों पर आधारित आदर्श समाज बन जाएगा इसमें कोई सन्देह नहीं। इस दिशा में अब जो नए प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन्हें सारे देश का समर्थन प्राप्त है।

७१

विज्ञान वरदान है या अभिशाप ?

मानव-सभ्यता का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। अब से चार हजार वर्ष पूर्व की मानव-सभ्यताओं के जो ध्वसावशेष खुदाइयों में प्राप्त हुए हैं इनसे ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग बहुत कुछ सभ्य और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत

करते थे। परन्तु इन खुदाइयों में वही भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि गत दो सौ वर्षों से पूर्व के काल में भी वैज्ञानिक उन्नति उस सीमा तक पहुँची थी जिस सीमा तक आजकल पहुँची हुई है। यों तो रामायण में समुद्र के ऊपर पुल बाँधने वानरो के अन्तरिक्ष में उड़ने और रावण के पुष्पक विमान का वणन प्राप्त होता है, रामायण के समान महाभारत में भी विकसित युद्ध विद्या और दूरदर्शन की प्रविद्या का उल्लेख मिलता है जिसे यदि सत्य मान लिया जाए तो यह मानना पड़ेगा कि उस समय भी वैज्ञानिक उन्नति पर्याप्त थी। महाभारत में जिन विविध दिव्यास्तरो का उल्लेख है जिनमें आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपत अस्त्र इत्यादि प्रमुख तथा अत्यन्त विनाशकारी अस्त्र थे। यदि इन वणनों को भी सत्य मान लिया जाए, तो मानना होगा कि महाभारत काल में वैज्ञानिक उन्नति पर्याप्त थी। परन्तु कठिनाई यह है कि न तो रामायण काल के और न महाभारत काल में ही किसी भी अद्भुत आविष्कार का कोई चिन्ह अब तक मिल सका है। तो क्या यह सम्भव है कि उस काल के ममस्त आविष्कार एका एक ऐसे लुप्त हो गए हों कि उनका कोई टूटा कल-मुर्जा या भ्रम किसी प्रकार का चिह्न भी शेष नहीं बचा हो जबकि भ्रम अनेकविध भ्रमशेष आज भी प्राप्त हो रहे हैं।

आधुनिक काल की-सी भौतिक एवं वैज्ञानिक उन्नति न कर पाने पर भी प्राचीन काल के भारतवासियों और मिस्रवासियों ने नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में बहुत उन्नति की थी। उस काल का काव्य-साहित्य, दर्शन शास्त्र और नीति-शास्त्र इसके परिचायक हैं। सम्भवतः वे लोग प्रकृति की शक्तियों को वश में करके औद्योगिक क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं कर सके थे और न वे सहार के लिए ही उनका उपयोग कर पाए थे। परन्तु सुन्दर और सुविधाजनक भवनों का निर्माण तथा भ्रम कई प्रकार के कला-कौशल उन लोगों ने विकसित कर लिये थे। यहाँ तक कि मृत शवों को सुरक्षित करने की विधि भी उन्हें ज्ञात थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वे लोग विज्ञान से अपरिचित थे, किन्तु इतना स्वीकार करना होगा कि आधुनिक रूप में विज्ञान उस समय विकसित नहीं हुआ था। या इस और तब ध्यान ही नहीं दिया गया, यद्यपि अनेक वैज्ञानिक प्रविधियाँ उन्हें ज्ञात थी। उनका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में आज भी देखा-पढ़ा जा सकता है।

आधुनिक विज्ञान असीम बलवती शक्ति है। इसने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। भाषा, विजली और अणु शक्ति को वश में करके अनुपम ने मानव-समाज की समृद्धि को कई गुना बढ़ा दिया है। आज से पूर्व

सो वय पूव जैसे सुवर वस्त्र बडे-बडे राजाभो और सम्राटों को प्राप्त नहीं होते थे, वसे शानदार वस्त्र आजकल दो चार सो रुपये नौकरी करने वाले बाबू को सुलभ हैं। जिस प्रकार के सुखद और तीव्रगामी वाहन उस काल में बड़े से बड़े नरेशो के पास नहीं थे वैसे आज सामान्य व्यक्तिमा को प्राप्त है। भय-कर तूफाना में भी निश्चय भाय से समुद्र के वक्ष स्थल को रौंद जाने वाले जहाज और भसीम आकाश में बायुवेग से उडने वाले विमान प्रकृति पर मानव की विजय के उज्ज्वल उदाहरण हैं। तार, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और कूलर इत्यादि ने हमारे जीवन में ऐसी सुविधाएँ ला दी हैं, जिनकी कल्पना भी पुराने लोगो के लिए कठिन होती। आज ऋतुभो को मनुष्य को कष्ट नहीं दे सकता। वैज्ञानिक यंत्रो द्वारा शीतकाल में मकानो को गर्म और ग्रीष्म में शीतल रखा जा सकता है। जहाँगीर के समय जो बर्फ पहाडो से खच्चरो पर लादकर दिल्ली मगाई जाती थी, आज वह हर गली के कोने-कोने पर बहुत सस्ते भाव पर सुलभ है।

वैज्ञानिक आविष्कारो ने हमारे जीवन को कितना सुविधामय बना दिया है, इसे विस्तार से बतलाने की आवश्यकता नहीं। विज्ञान ने मानवीय श्रम-की आवश्यकता को कम कर दिया है। पहले जो काम मनुष्य सिर तोड मेहनत करने के बाद सारे दिन भर में नहीं कर पाता था, अब मशीनो की सहायता से उसी काम को वह बहुत सरलता से कुछ ही घंटो में, बल्कि कई बार तो कुछ ही मिनटो में पूरा कर लेता है। आज मशीनें मनुष्य के लिए भ्रम उगाती हैं वस्त्र तैयार करती हैं। मशीनें जादू की कहानियो के राक्षसो और देवो की भाँति मनुष्य की सेवा के लिए उद्यत रहती हैं। वे उसे चाहे जहाँ ले जाती हैं, और उसकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करती हैं।

पहले मनुष्य का सारा समय भ्रम और वस्त्र उपाजन करते-करते बीत जाता था। दिन भर कठोर श्रम करने के बाद भी उसकी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं हो पाती थी। परन्तु अब मशीनो की सहायता से वह अपनी इन आवश्यकताभो को बहुत थोडे समय काम करने प्राप्त कर सकता है, और शेष समय घूमने फिरने, पढ़ने लिखने या अन्य किसी भी प्रकार का आनन्द लेने में बिता सकता है। वह चाहे तो इस समय का उपयोग अपनी मानसिक और प्राध्यात्मिक उन्नति के लिए भी कर सकता है। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान एक अद्भुत वरदान के रूप में मनुष्य को प्राप्त हुआ है।

परन्तु विज्ञान अपने साथ केवल सुख-ही-सुख लेकर नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसने एक ओर सुखो का पहाड सडा कर दिया है, उसी तरह दूसरी ओर दुखो की गहरी खाई भी खोद दी है। प्रत्येक वैज्ञानिक

भाविकार का उपयोग मानव हित के लिए उतना नहीं प्रमाणित हुआ, जितना मानव जाति के अहित के लिए। वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व भी मनुष्य परस्पर सडा करते थे, परंतु उस समय के युद्ध भाजकल युद्धों की तुलना में बच्चों के सिसवाड जैसे प्रतीत होते हैं। लोग तीर, तलवार, भाले, दछे इत्यादि लेकर एक दूसरे को मारने के लिए चलते थे। बड़ी-बड़ी सडाइया में भी मुश्किल से दो-चार हजार व्यक्ति मरते या घायल होते थे। परन्तु प्रत्येक नए वैज्ञानिक भाविकार के साथ युद्धों की भयकरता बढ़ती गई और उसकी चरम सीमा हिरोशिमा और नागासाकी में प्रकट हुई, जहाँ एक-एक भणु-बम के विस्फोट के कारण तीन-तीन लाख व्यक्ति हताहत हुए। मानव-जाति विज्ञान के इस नए रूप को देखकर आतष से सहम-सी गई। किन्तु विज्ञान का दत्य जैसे अब भी ठठाकर हँस रहा है और कह रहा है, "भ्रन्त यहीं नहीं है। मैं इससे भी अधिक विनाश एक क्षण में करके दिखा सकता हूँ।" यही सब करने के लिए भाजकल उद्जन-बम और नत्रजन-बम के परीक्षण किये जा रहे हैं। यदि भविष्य में युद्ध हुआ तो इन परीक्षित शस्त्रों का यथा सम्भव भयंकरतम उपयोग भी किया जाएगा। तब सभी प्रकार से उन्नत भाज की मानव-सभ्यता प्रतीत की कहानी बन जाएगी, इसमें सन्देह नहीं।

रेल, तार, रेडियो, राडार, भयकर विस्फोटक बारूद, विद्युत और भणु शक्ति इन सब वैज्ञानिक भाविकारों का प्रयोग मानव-जाति को समुद्र बनाने के लिए उतना नहीं किया जा रहा, जितना विरकाल के परिभ्रम द्वारा सचित समुद्रि को घिनप्ट करने के लिए। प्रथम विश्व-युद्ध और द्वितीय विश्व-युद्ध में जन और धन का जितना विनाश हुआ, उतना सम्भवत विज्ञान हमें सौ वर्ष में न दे सकेगा, और यह विनाश केवल विज्ञान द्वारा ही सम्भव हो सका है। यदि भयकर बारूद, विमान और विद्युत के भाविकार न होते, तो इतना विनाश करने में मनुष्य को कई शताब्दियाँ लग जातीं। अनुमान लगाया गया है कि जितनी क्षति इन दो युद्धों में हुई, यदि उतनी सामग्री और धर्म का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता, तो ससार के प्रत्येक परिवार के पास रहने को सुन्दर कोठी, पहनने को बढिया वस्त्र और खान को पर्याप्त शान्न हो सकेता था। परन्तु वह सब नष्ट हो गया। विज्ञान की कृपा से ही भाज चीज को समस्या बना देना चाहती है।

विज्ञान की विनाशक जाति प्रस्त होकर पुकार

रही ९

मुक्ति प्राप्त हो सके तो अच्छा है। मनु-यमा के परीक्षणों पर रोब लगाने की माँग की जा रही है। मानव-समाज विज्ञान का यह राक्षसी रूप देखकर त्रस्त हो उठा है। इससे यथासम्भव दीघ्न छुटकारा चाहता है।

विज्ञान ने जितनी सुख-सुविधाएँ मनुष्य को प्रदान की थी, यदि वे वास्तविक होतीं तो उनसे मनुष्य का सुख बढ़ना चाहिए था। परंतु वहाँ ? जितनी ही अधिक वैज्ञानिक सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं, मनुष्य उतना ही अधिक असह्य और दुःखी होता जा रहा है। यातायात के साधना की मुलभता ने उसकी आरौखिक शक्ति को क्षीण कर दिया। मशीनों ने उस अक्षम, पशु और पराश्रित बना दिया। विज्ञान न जीवन को सुखी बनाने के लिए और जो अन्य सुविधाएँ प्रस्तुत की, उनका कारण यह विलासी और इतना सुकुमार बन गया कि प्रकृति के साधारण उत्पात भी उसके लिए असह्य हो उठे हैं। विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ मशीना की शक्ति में वृद्धि और मनुष्य की शक्ति में ह्रास होता जा रहा है, जिसे द्युभ नहीं कहा जा सकता।

विज्ञान ने मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के साधन जुटा दिए हैं। परंतु इन साधनों के कारण मनुष्य की आवश्यकताएँ उतनी पूरा नहीं हुए, जितनी कि और अधिक बढ़ गई हैं। अधिक साधन-सम्पन्न होने पर भी आज का मनुष्य वैज्ञानिक उन्नति से पूर्व के मनुष्य की अपेक्षा कहाँ अधिक असंतुष्ट और अभावग्रस्त है। पहले मनुष्य को जो अभाव प्रतीत नहीं था वह अब असह्य प्रभाव प्रतीत होता है। विज्ञान से मनुष्य की सामर्थ्य-उन्नति नहीं बढ़ी जितनी लालसा बढ़ी है। आवश्यकताओं और लालसा के बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि नैतिक धारणाएँ निधिल हो गई हैं। समाज के वे नियम, जिनका कारण पहले लोग म सहानुभूति, सवदना, सत्य और न्याय की भावनाएँ विद्यमान रहती थी, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और असंतोष और अतृप्त का दावानल सब और भडक सा उठा है। परिणाम-स्वरूप मानदता अपनी मानवीयता का सतोप पाने में भी असमर्थ होती जा रही है।

इस प्रकार विज्ञान का एक पक्ष तो अत्यंत उज्ज्वल है और दूसरा पक्ष अत्यंत क्लृप्त और भयंकर। फिर विज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है ? सच बात तो यह है विज्ञान से जितना दिनाश हुआ है, उसका दोष विज्ञान के सिर नहीं थोपा जा सकता। जिस दिन मनुष्य ने पहले पहले आग जलाना सीखा था उस दिन यह निश्चय नहीं किया गया था, कि वह इससे अपना भोजन पकाएगा या पड़ोसी का घर फूकगा। तब से लेकर आज तक आग के दोनो ही उपयोग किये जाते रहे हैं, भोजन भी पकाया जाता रहा है और घर

भी फूँटे जाते रहे हैं। परन्तु यदि आज एकाएक अग्नि मनुष्य-जाति से छीन ली जाए, तो मनुष्य-जाति प्रसन नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हजारों वर्षों के अनुभव से मनुष्य ने यह समझ लिया है कि अग्नि का उपयोग भोजन पकाने के लिए अथिक् अच्छा है। सारे मनुष्य-समाज ने एकमत होकर फूँकन के लिए अग्नि के प्रयोग को निषिद्ध घोषित किया है। मोटे तौर पर विज्ञान की भी यही दशा है। विनाश के आगे सामूहिक प्रदर बिहू और विरोध की दीवार ही मानवता की रक्षा कर सकती है।

यदि विज्ञान का उपयोग विनाश के लिए किया जाता है, तो वह दाप विज्ञान का नहीं, बल्कि मनुष्य के स्वभाव का है। इसके लिए विज्ञान पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य की प्रकृति को सुशिक्षित और सुसंस्कृत बनाने की आवश्यकता है। यदि ससार के सब देश मिलकर यह निणय कर लें कि भविष्य में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किसी भी दशा में विनाश के लिए नहीं किया जाएगा, तो विज्ञान द्वारा मानव-जाति का वह हित-साधन हो सकता है जिसकी सहसा कल्पना भी नहीं की जा सकती। अणु-शक्ति का प्रयोग अब औद्योगिक तथा अन्य दान्तिमय रचनात्मक कार्यों में कर पाना सम्भव हो गया है। भारत विकास की इसी दिशा में अग्रसर हो रहा है। जिस दिन अणु शक्ति सम्पन्न प्रत्येक देश इसी दिशा में चलने लगेगा, उस दिन से निश्चय ही विज्ञान भी वरदान प्रमाणित होने लगेगा।

७२ | धर्म और विज्ञान

धर्म का सम्बन्ध आन्तरिक भावनाओं और विज्ञान का बुद्धि के साथ होता है। दोनों का समन्वय चिरन्तन है। यह माय तथ्य है कि मानव संस्कृति और सम्यता के विकास में धर्म और विज्ञान दोनों का ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आज मानव जाति हमें जिस रूप में दिखाई पड़ती है, वह रूप अशत धर्म द्वारा और अशत विज्ञान द्वारा सवारा गया है। धर्म ने मनुष्य के मन को सुसंस्कृत किया है और विज्ञान ने प्रकृति पर विजय करके मनुष्य के भौतिक सामर्थ्य में वृद्धि की है। कई कारणों से लोगों को ऐसी धारणा बन गई है कि विज्ञान और धर्म परस्पर दो विरोधी वस्तुएँ हैं और इनमें से एक दूसरी का अस्तित्व मिटाने पर तुली हुई हैं। यह धारणा क्यों बनी है। क्या यह धारणा सच है? इसके उत्तर के लिए हमें पहले धर्म और विज्ञान के स्वरूप को समझना होगा।

धर्म मनुष्य की उच्च मनोभावना है। जितने भी सद्गुण सम्भव हो सकते हैं, उन सबका परिगणन धर्म के अन्तर्गत किया गया है। सत्य अहिंसा का पालन तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि की विजय, इन्द्रियों का समय सेवा और क्षमा इन सभी गुणों का अभ्यास धर्म के लिए आवश्यक माना गया है। ससार के सभी गुणों में सभी कालों में धार्मिक वृत्ति के अनेकानेक सन्त महात्मा होते रहे हैं, जिन्होंने अपने इन सद्गुणों द्वारा लोगों की सेवा की और उनका हृदय जीत लिया। इस प्रकार के सन्त-महात्माओं ने दूसरों के हित के लिये अपने जीवन का बलिदान कर देने में ही अपने कर्तव्य की पूर्णता समझी। इस तरह के सन्त-महात्माओं ने समस्त ससार का नियन्त्रण करने वाली सर्वशक्तिमान और भगवन्मयी सत्ता ईश्वर में अखण्ड विश्वास रखते हुए दीनों और दुखियों की सहायता और सेवा की है। इस प्रकार समस्त मानवीय सद्-वृत्तियाँ ही वास्तव में धर्म हैं।

किसी भी देश में धार्मिक वृत्तियों वाले सन्त-महात्माओं का आदर भी कम नहीं हुआ। भक्ति से विह्वल होकर जनसाधारण ने नित उनकी देवताओं के समान पूजा की। उनकी सुविधा की सामग्रियाँ जुटाने के लिए लोगो ने अपरिमित धनराशियाँ प्रदान की। ससार के सभी भागों में इस प्रकार के धर्मप्राण सन्त महात्माओं की सेवाओं के फलस्वरूप बड़े-बड़े मन्दिर और मठ बनाए गए जहाँ रह कर ये धार्मिक लोग अपनी लोक-सेवा की गति विधियों को सरलतापूर्वक जारी रख सकें, लोक का अधिक-से अधिक कल्याण कर सकें। इन मठों और मन्दिरों में पहुँचकर सासारिक लोगों ने उन महात्माओं के उपदेश प्रवचन सुने, जिनसे उनके अज्ञान वित्त को शान्ति प्राप्त हो सकी। यह स्थिति भारत में ही नहीं बल्कि ससार के सभी देशों में थी और आज भी है। श्रद्धा और भक्ति ने जनसाधारण के वित्त को समुद्र की महातरंग की भाँति उठाकर सब और भक्ति से आप्लावित कर दिया था, आज भी कर रहा है।

ससार का विचित्र नियम है कि काल के प्रवाह में पड़कर अच्छी-अच्छी सस्यायें भी विकृत हो जाती हैं। धार्मिक सस्यायों का भी यही हाल हुआ। जो मठ और मन्दिर जनता में श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जगाने के लिए बने थे, वे धीरे-धीरे पाखण्ड का गढ बन चले। सन्तों और महात्माओं के सच्चरित्र सेवा और परोपकार की भावना के कारण जनता ने इन मठों और मन्दिरों को विपुल धन-राशि प्रदान करना प्रारम्भ किया था। धीरे-धीरे मठों का ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों और उनके सन्तों के अनु-

यादी उतने धम-परायण न निवसे। उनने से बहुत से विलास के कीचड़ म फम गये और धमना विवेक सो बँठे। धमनी दुबलनामा पर धारण डालने क निष्पत्ति। पाण्डु पँतना प्रारम्भ किया। जनता भी थडा पाखण्डो के पारण को रकी। इन नये मुटिल पाखण्डो लोगो ने जनता को धमना का सदेग मनाने के बर्णाय उसे धमना के धमना मे रपना ही धमने लिए हिलकारा सम्भवा। परिणाम यह हुआ कि जो धार्मिक सस्यायें एक दिन समाज क लिए कल्याणकारी थी वही समय बदलने पर समाज के लिए धमनाकारी हो गई। धमना उन्नति के बजाय धमनाति का माध्यम बन गया। भारत मे यज्ञ और धान द्वारा यत्मान को स्वग भेजने की व्यवस्था की जाने लगी, तो यूरोप में पोप और पापे निष्पत्ति नकद पैसा लेकर लोगो के पापा का प्रायश्चित्त करवाने क लए उह धमा-पाप देते लगे और उनके लिए स्वग मे प्रहल और मकान सुरमित कराने लग। धन के आधार पर कय गाहें तक धारणित होने लगी।

नगभय इसी समय धार्मिक विज्ञान का उदय हुआ। धम थडा और विद्वान पर इनना जोर दे रहा था कि वह धम-थडा और धम दिव्वास का समर्थन हो गया था। वैज्ञानिको ने थडा और विद्वान की धम मे चल रहे इस उत्पात के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा उठाया। उन्होंने सत्य की खोज के लिए तक और प्रत्यक्ष प्रमाण को एक मात्र साधन माना। इन वैज्ञानिको की दृष्टि मे सत्य वही था, जो धम से दिखाई पड जाए, गणित से नापा-तोला और निग जा सके, तक की कसौटी पर धम उतरे। उनके विचार से सत्य के विपरन इस प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता था, जिसमे कुछ धम के कारण ही स्वीकार किया जा सके। विज्ञान की इस ललकार से धम-धमिया के गजे की नीबें काप उठी। यह उनके मरने और जने का प्रस था। यदि ये लोग सच्चे सत और सेवापरायण महात्मा होते, तो इहें विज्ञान से किसी प्रकार का भय नहीं था। पर ये तो पाखण्डो के धम की धम ने स्वाप साधन कर रहे थे। परोपकार का नाम लेकर विलास मे डूब हुए धम, महानत से कमाई करने वाले थडालु लोगो के धन पर गुलछर उगा रहे थे। इहें विज्ञान से हानि होनी अनिवाय ही थी। धम धमनाति हो उठ। धम की धम मे पाखण्ड रचने वाले लोगो ने विज्ञान की प्रगति को रोकने का बडा दलन किया। वैज्ञानिक सत्यो का उदघाटन करने वालो को-कोर दड दिए गए। गेलीलियो को इसलिए कारावास मे डाल दिया गया, क्योंकि उसका कथन था कि सूर्य पृथ्वी के चारो ओर नहीं धूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारा ओर धूमती है। यह बात धम-पुस्तको के विरुद्ध थी। जमनी के धमना निरु राबट मेयर तथा अथ अनेक वैज्ञानिको को धम के उन्नेदारो के हाथो

असह्य यन्त्रणाएँ सहनी पडी और उनमें से कुछ को प्राणों से भी हाथ धोने पडे । अत्र घनेक भी स्वेच्छाचारी धार्मिकों के हाथों पीडित हुए ।

मुश्किल से सौ साल बीते कि पासा दिल्ली पलट गया । धर्म की छाड मे पाखण्ड रचने वाले लोग मूर्ख और प्रतिगामी समझे जाने लगे । वैज्ञानिक प्रगति ने पृथ्वी पर ही स्वयं ला खडा किया । जल, वायु विद्युत् वाष्प द्रव्यादि की शक्तिया को वशीभूत करने के लिए मानव को संकडी प्रवार की सुविधाएँ जुटाई गइ । मनुष्य सातो सभुद्रा वा स्वामी बन गया । वह कल्पित देवताओं की भीति विमान पर बैठकर आकाश में विहार करने लगा । विद्युत् को बराने करके उसने सुविधा के हजारों उपकरण जुटा लिए । ऐसी मच्छी और वास्तविक प्रगति के सम्मुख धर्म का आडम्बर कितनी देर टिक सकता था ? पाखण्डवाद पर आधारित धर्म उपेक्षित हो गया और उसके साथ ही वास्तविक धर्मप्राण सन्तो द्वारा दी गई सद् शिक्षाएँ भी उपेक्षित होकर रह गईं ।

धर्म का जन्म हृदय मे होता है, और विज्ञान मस्तिष्क और शुष्क तर्क वृत्ति से प्रेरित रहता है । जब मनुष्य हृदयहीन होकर तर्क से प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ता है तब उसके सामने सबसे बडा अड्य स्वार्थ हो उठता है । जैसे भी हो, अपना हित साधन ही उसका उद्देश्य रहता है । यही कारण था कि जो विज्ञान एक देवदूत के रूप में आविर्भूत हुआ था, वह शीघ्र ही विनाशकारी महादेव के रूप में हुँकारने लगा । वैज्ञानिक उन्नति ने रात्रनीतिरु उत्कर्ष के लिए किए जाने वाले युद्धों को एक ऐसा स्वरूप दे दिया, जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी । मानव हृदयहीन होतु गया ।

विज्ञान की उन्नति से पहले मनुष्य तीर-कमान और तलवारों से लडाइया लढते थे । ये लडाइयाँ भयकर-से-भयकर होने पर भी बहुत कम विनाशकारी होती थीं, परन्तु विज्ञान के पदापेण के पश्चात् युद्धो मे होने वाला विनाश कई हजार गुना हो उठा । दो विश्व-युद्ध अब तक हो चुके हैं । उनमे हुई क्षति के आकडे गिनने मे गणित शास्त्रियों का मस्तिष्क चकराने लगता है । परन्तु अन्त धर्मी भी नहीं है । नए युद्ध की सम्भावनाएँ बढ़ती जा रही हैं । और यदि युद्ध हुआ तो उसमे विज्ञान के नवीनतम उपहार अणु-बम और उद्जन बम कितना सहार करेंगे, यह कुछ कहा नहीं जा सकता ।

ऐसा लगता है कि जिस प्रकार धार्मिक सस्थाओं का पतन हुआ और वे विकृत होकर पाखण्ड और बाह्याडम्बरो में परिवर्तित हो गईं, उसी प्रकार विज्ञान का भी पतन आरम्भ हो गया है । वह रचनात्मक न रहकर विनाशात्मक हो उठा है । विज्ञान की यह विनाश-शक्ति इतनी भयावह है कि इसकी तुलना मे विज्ञान की रचनात्मक देन तुच्छ मालम होने लगती है । यदि

परमाणु-बम द्वारा सारी मानव-जाति के विनष्ट हो जाने की सम्भावना हो तो इस बात का क्या महत्त्व है कि लोग विमान पर चढ़ते हैं और प्राधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा सैकड़ों प्रकार की सुख-सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सभी-कुछ व्यर्थ है।

यह एक वस्तु और व्यावहारिक सत्य है कि धर्म और विज्ञान दो परस्पर विरोधी वस्तुएँ नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक और सहायक वस्तुएँ हैं। मानव-जाति का हित इसमें है कि धर्म लो रहे, धर्म के सिद्धांत जनता में अधिक-अधिक प्रचारित हों, किंतु वे तर्क-सम्मत हों, अध-विश्वास और पाखंड पर आधारित न हों। इस प्रकार वैज्ञानिक तर्क-बुद्धि धर्म को पूर्णता प्रदान कर सकती है। पाखंड के दलदल में फसकर धर्म जनता का आदर खो बैठा, उससे विज्ञान उसे बचा सकता है। इसी तरह धर्म विज्ञान का पूरक हो सकता है। विज्ञान ने प्रकृति की दुर्दान्त शक्तियों को अपने बश में लिया किंतु मनुष्य को यह न सिखाया वह अपने मन को कैसे बश में करे? विज्ञान ने मनुष्य को स्वायत्त की शिक्षा दी, सेवा और परोपकार की नहीं। यदि हमारा मानव-समाज विज्ञान से प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सीख ले और धर्म से यह शिक्षा ग्रहण करे कि स्वार्थ की अपेक्षा परोपकार से अधिक मानविक शक्ति और सुख मिलता है, सहिष्णुता और क्षमा का जीवन में विशेष महत्त्व है क्योंकि इनसे समाज का कल्याण होता है तो हमारा मानव-समाज ऐसा स्पष्ट स्थिति में पहुँच सकता है जैसी आज तक कभी प्राप्त नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि अकेला धर्म मनुष्य-समाज को भौतिक उन्नति के उतने साधन प्रदान नहीं कर सकता जितने विज्ञान प्रदान कर सकता है और अकेला विज्ञान उस भौतिक उन्नति को स्थायी नहीं बना सकता जो उसने मनुष्य को प्रदान की है। विज्ञान उन्नति के शिखर पर पहुँच कर विनाश के गत में कूदने के लिए आवृत्त प्रतीत होता है। ऐसे रूप में रक्षा धर्म के सहयोग से ही हो सकती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञान और धर्म में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। ये दोनों मनुष्य की उन्नति में सहायक रहे हैं और एक दूसरे के पूरक बनकर अब मनुष्य की भौतिक और मानसिक उन्नति को चिरस्थायी बना सकते हैं। वैज्ञानिकों और धार्मिकों को अब इसी दिशा में प्रयत्नशील होना चाहिए।

७३. कम्प्यूटर

आज जिवर देवो उवर कम्प्यूटर कम्प्यूटर युग और कम्प्यूटर की सहायता से इक्कीसवीं सदी की और बढ़ने की चर्चा है। है भी कम्प्यूटर विज्ञान का एक अदभूत करिश्मा जिसकी चर्चा और प्रचार प्रसार रेडियो, टी० वी० सिनेमा, समाचार-पत्रों में सवत्र हो रहा है। आखिर यह कम्प्यूटर है क्या? साधारण व्यक्ति को भाषा में कहें तो उसे मानव मस्तिष्क वा पर्याय कहा जा सकता है। जिस प्रकार मानव मस्तिष्क गणना करता है, वैसे ही कम्प्यूटर भी गणना करता है पर तु वह मानव मस्तिष्क को तुलना में कई गुना तेजी से कार्य करता है। इसकी गणना सही होती है और उसकी सहायता से मनुष्य लम्बे, कठिन कार्य से भी बचता है और वह अपना कार्य बहुत ही शीघ्र कर डालता है।

आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज्यो ज्यो व्यवसाय, व्यापार विज्ञान की प्रगति होती गयी सही और थोड़े समय में गणना की आवश्यकता महसूस की गयी, अकणित को आधुनिक बनाने की निशा में वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया और परिणाम निकला कम्प्यूटर। सन् 1812 में अग्रज गणितज्ञ श्री चार्ल्स बाबेज नामक व्यक्ति ने उसकी आधारगिता रखी। उसका बनाया मात्र एक अचिकसित शिशु कम्प्यूटर था। बाद में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने उसका विकास किया। आज जापान, रूस और यूरोप के कई देश कम्प्यूटर निर्माण के क्षेत्र में चरम उत्कर्ष की पहुंच गये हैं। इन देशों में कम्प्यूटर ने अनेक क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। उसकी महान उपयोगिता को देखकर भारत का भी उघर ध्यान गया और आज यहाँ भी उसके प्रशिक्षण, उपयोग और तकनीकी विकास की ओर ध्यान जा रहा है। भारत में कम्प्यूटर नीति की घोषणा के बाद अनेक संस्थानों में इसका निर्माण तथा विकास करने की निशा में कार्य हो रहा है। टाटा भूतभूत गोघ संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र हैदराबाद स्थित इलैक्ट्रिक वारपा-रेशन प्राक इं डिया के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारत में कम्प्यूटर-प्रशिक्षण का कार्य भी आरम्भ हो गया है। भारत सरकार ने कम्प्यूटर व्यावहारिक बनाने के लिए 'कम्प्यूटर साक्षरता एवं स्कूल अध्ययन नामक याज्ञना शुरू की है। इनके अंतगत 250 माध्यमिक शालाओं में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। नई शिक्षा नीति के अंतगत

भी इसका जिक्र है और भाशा है कि 1990 ई० तक लगभग ढाई लाख विद्यालयों में इसकी शिक्षा सुलभ हो सकेगी। 'पायलट परियोजना' के अन्तर्गत कक्षा नौ से कक्षा ग्यारह तक कम्प्यूटर शिक्षा का प्रावधान है। सरकारी सस्थाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी सस्थाओं में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार भारत में कम्प्यूटर का विकास बरी तीव्र गति से हो रहा है।

कम्प्यूटर मशीन के मुख्य पाँच भाग होते हैं—

1. मेमोरी या स्मरण यंत्र—जिसमें सभी प्रकार की सूचनाएँ या प्रोग्राम भरे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर कम्प्यूटर गणना करता है।

2. कंट्रोल या नियंत्रण कक्ष—इससे पता चलता है कि मशीन गणना सही कर रही है या कहीं उसमें गल्ती हो गयी है।

3. अंकगणित भाग—मशीन का यह अंग गणना करता है।

4. इनपुट यंत्र या आंतरिक यंत्र—यहाँ सब प्रकार की जानकारी या उससे सम्बद्ध निर्देश सकलित होते हैं।

5. आउटपुट यंत्र या बाह्य यंत्र—उपयुक्त चारों भागों की प्रक्रिया द्वारा जो सूचनाएँ सकलित होती हैं, यह यंत्र उनका विश्लेषण और परिणाम बताकर उसे छापकर घोषित करता है।

कम्प्यूटर की अपनी भाषा होती है जो तकनीक की दृष्टि से 'भास्क' भाषा 'शून्य' तथा 'एक' है। इनको द्विचर सस्था कहते हैं। इन 'बिट्स' के द्वारा ही भाषा को अक्षरों में बदलते हैं। कम्प्यूटर प्रणाली में 6 बिट्स को 64 विधियों से प्रयुक्त कर सकते हैं। कम्प्यूटर के बोर्ड या कु जीपटल पर अक्षरों के 26 वर्णों, 10 अक्षरों तथा आवश्यक विराम चिह्नों का गणित सम्बन्धी कुछ सकेतो से प्रकट करते हैं। यह जानकारी बिट्स में बदल जाती है। अतः में नियंत्रण उपकरण की सहायता से विश्लेषण तैयार होता है और अन्तिम परिणाम कम्प्यूटर टर्मिनल पर छपकर बाहर आ जाता है। यह यंत्र जोड़ने घटाने गुणा करने तथा भाग करने—सभी का काम करता है। अतः गणना करने, मेला जोला रखने, वर्गीकरण करने का यदि विश्वास पैमाने पर कार्य करना हो तो कम्प्यूटर बड़ा सहायक होता है।

युद्ध के समय कम व्ययक विमान, टैंक, अधिक रेंजवाली बंदूकें धनु के

को कैसे निशाना बनायें, या उनसे आक्रमण से बँसा बचा सकता है।

इसमें कम्प्यूटर युद्ध संचालकों को सही निर्देश दे सकते हैं। मारक शास्त्रों की गति को नियंत्रित करने में भी इनसे सहायता ली जाती है। जटिल से जटिल घोर विस्तृत से विस्तृत गणना करने में यह यंत्र बहुत कम समय लेता है। इसकी गणना भी प्रायः त्रुटिहीन होती है।

बड़े ब्यवसायिक प्रतिष्ठानों, तकनीकी संस्थानों आदि में जहाँ उत्पादनो का लेखा जोखा, भावी उत्पादन का अनुमान बड़ा महत्त्व रखते हैं कम्प्यूटरों की उपयोगिता प्रसिद्ध है।

चुनावों के समय भी इनके उपयोग से चुनाव परिणाम कम समय में घोषित किये जा सकते हैं। 1984 के लोकसभा तथा 1985 के विधान सभाओं के चुनावों में कम्प्यूटरों के प्रयोग से चुनाव परिणाम जल्दी ही घोषित किये जा सके।

विमान के ब्लैक-बॉक्स तथा पनाइट-रिकार्डर दोनों में कम्प्यूटर काय करता है। उनसे दुर्घटना के कारणों का सही पता लग सकता है। 1985 कनिष्क विमान की दुर्घटना के कारणों की जांच में इही की सहायता ली गयी थी।

परीक्षा परिणामों की घोषणा सही हो तथा जल्दी हो इसके लिए भी कम्प्यूटरों का प्रयोग होने लगा है। देश में इलाहाबाद स्थित हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट बोर्ड विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है। इसकी परीक्षाओं में 10 से 12 लाख तक छात्र छात्राएँ परीक्षा देते हैं। इनका परीक्षा फलक कम्प्यूटर की सहायता से ही तैयार होता है। दिल्ली विश्व-विद्यालय के परीक्षा-परिणाम में कम्प्यूटर की सहायता से तैयार किये जाते हैं।

बैंकों में कम्प्यूटरों के प्रयोग से बैंकों का भुगतान काय जल्दी हो जाना है। बैंक के भ्रम कार्यों में भी यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की थी कि बैंकों में कम्प्यूटर का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखकर सभी राष्ट्रीय बैंक अपनी प्रमुख शाखाओं में कम्प्यूटर लगा रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में भी कम्प्यूटरों का उपयोग होने लगा है। प्राकाशवाणी और दूरदर्शन का विकास कम्प्यूटर-टेक्नालॉजी द्वारा हो रहा है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में कम्प्यूटर साइबर 630' लगाया गया है इससे राजधानी के मंत्रालयों में स्थित 24 कम्प्यूटर संचालित

होते हैं। शीघ्र ही राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की राजधानियों में भी कम्प्यूटर लगाए जाएंगे तथा उन्हें राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से जोड़ा जाएगा।

यातायात को सरल और बेहतर बनाने में भी कम्प्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई-मार्गों, बड़े बड़े रेल-स्टेशनों पर कम्प्यूटरों से आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इससे काम भी शीघ्र होता है और घोटाले की गुंजाइश भी कम होती है। कुछ प्रदेशों में 'राज्य परिवहन निगम' भी अपने मुख्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली की व्यवस्था कर रहे हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों का निदान करने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग हो रहा है—ई सी जी, रक्त की जाँच, चर्मों के बनाने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग आम बात होती जा रही है।

एक और अपराधियों की अगुलियों की छाप की जातकारी क्षण भर में उपलब्ध कराकर कम्प्यूटर पुलिस-अधिकारियों की सहायता कर सकते हैं तो दूसरी ओर न्याय व्यवस्था में इनके उपयोग से याय शीघ्र प्राप्त हो सकेगा। यातायात नियंत्रण में भी यातायात पुलिस कम्प्यूटरों की सहायता ले रही है। डाक और तार सेवा को बेहतर बनाने के लिए इस विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग होने लगा है। फिलहाल बंगलूर के डाक तार विभाग में कम्प्यूटर लगाया गया है।

कार्यालयों में फाइलों के ढेर लगे रहते हैं, मामले को निपटाने में वर्षों लग जाते हैं, कभी कभी तो पेंशन का मामला पेंशन पाने के मरने के बाद तय होता देखा गया है। इससे निपटने का एक मात्र उपाय है कम्प्यूटर। विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का काम आरम्भ हो चुका है। मध्यप्रदेश में भूमि के हिसाब किताब के लिए, तमिलनाडु में प्रशासनिक कार्यों के लिए कम्प्यूटर खरीदे गए हैं। जीवन बीमा निगम भी इनका प्रबंध कर रहा है। विश्वविद्यालयों में विज्ञान के कई पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जनगणना के कार्य में तो इनकी रूगिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।

सारांश यह कि आज भारत में भी अधिकांश क्षेत्रों में कम्प्यूटर की सहायता से विविध कार्यों को वज्ञानिक तरीके से और कम समय में पूरा किया जाता है। व्यय तो अधिक होता है, पर काम जल्दी होता है और

गलतियों की समावना भी बहुत कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कम्प्यूटर ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है, नये युग का सूत्रपात किया है। भारत विकासशील देश है। विकासशील देश को विकसित देश बनने के लिए हर क्षेत्र में योजनाबद्ध काम करना होता है प्राथमिक उन्नति के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आराम निभार होने के लिए योजनाएँ बनानी होती हैं। भारत अपनी

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा यही काम कर रहा है। योजना बनाने वालों को यनीत की उपलब्धियों वतमान स्थिति मविष्य की समावनाओं से सम्बन्धित प्रकृष्टे चाहिए। अब इन प्रकृष्टों की सही सही वैज्ञानिक ढंग से तथा शीघ्रातिशीघ्र कौन उपलब्ध कराएँ ? उत्तर एक ही है—कम्प्यूटर। सामान्य मानव मस्तिष्क जो काय 10 घटो में करता है कम्प्यूटर द्वारा वह काय 15 मिनट में हो सकता है। आज मनुष्य इतना व्यस्त है जितना पहले कभी नहीं था उसकी प्राकांक्षाएँ और आवश्यकताएँ यामन के चरणों की तरह सम्पूर्ण ब्रह्मांड की तीन पय में नापना चाहती हैं, विज्ञान की प्रगति से ज्ञान का विस्कोट हो रहा है ऐसी स्थिति में बिना कम्प्यूटर की सहायता के बाखिन प्रगति नहीं हो सकती। प्राधुनिक कम्प्यूटर एक सकण्ड में दस लाख तक की गणना सरलता से कर देता है। बिना थके बिना एराप्रता खोये और बिना गलती किये वह शुद्ध गणना कर सकता है।

यह सच है कि मानव मस्तिष्क के सारे काय कम्प्यूटर नहीं कर सकता क्योंकि वह एक यत्र मात्र है जबकि मस्तिष्क मानव शरीर का एक सवेन-शील अंग। फिर वसे भी कम्प्यूटर का निर्माण भी तो मानव मस्तिष्क ने ही किया है। दोनो का सम्बन्ध जनक जय का सम्बन्ध है और जनक को सतान से अधिक सम्मान दिया जाता है। मस्तिष्क चेतना सम्पन्न है कम्प्यूटर जड़। मस्तिष्क सोचता है कल्पना करता है उसमें अनुभूति की क्षमता है, वह सवेदनशील है कम्प्यूटर में ये सारे गुण कहीं। वह तो भावना शून्य होता है मानव की निणय शक्ति सकल्प शक्ति उसमें नहीं है। हाँ वह मानव की सहायता करता है, हम उसे मानव मस्तिष्क का पूरक कह सकते हैं।

निष्कर्ष
प्रतीति
सर्वोत्तम
प्रतीति

निष्कर्ष यह कि जीवन क सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इससे प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति होगी विकास और प्रगति की चाल शीघ्रनी होगी और आज के युग का नाम 'कम्प्यूटर युग' साधक होगा।

७४. भारत में जनसंख्या वृद्धि

विषय का इतिहास जनसंख्या वृद्धि का इतिहास है। सी वष पूर्व विश्व की जनसंख्या आज की तुलना में आधी थी। प्रो० साण्डस का मत है कि सभ्यता की जनसंख्या में एक प्रतिशत प्रति वष की वृद्धि हो रही है और यदि इसी गति से वृद्धि होती रही तो कुछ ही समय बाद मनुष्य के रहने के लिए तो दूर खड़े होने तक की जगह नहीं रहेगी। वस्तुतः जनसंख्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की गति से बढ़ती है अर्थात् आज की पीढ़ी के दो कल चार होंगे, उन चार के आठ होंगे और फिर अगली पीढ़ी में आठ के सोलह हो जाएंगे।

जनसांख्यिकीय सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की तीन स्थितियाँ होती हैं। प्रथम स्थिति में मृत्यु दर ऊँची होती है क्योंकि लोगों को पोष्टिक भोजन नहीं मिलता, उनके जीवन में स्वच्छता नहीं होती और बीमारियाँ पनपती हैं, चिकित्सा के साधनों और औषधियों का अभाव होता है। इस स्थिति में जन्म दर भी ऊँची होती है, कारण होते हैं—प्रशिक्षण, परिवार नियोजन के सम्बन्ध में अज्ञान, विवाह जल्दी आयु में होना, पुरातन प्रचलित विश्वास और सोच के तरीके, रीति-रिवाज, परिवार के बड़े होने पर भी भी भावना—

रहिमन यों सुख होत है, बढत देखि निज जोत ।

ज्यो बढरी अक्षिया निरखि, आँखनि को सुख होत ॥

देश की परिस्थितियाँ भी इस मानसिकता के लिए उत्तरदायी होती हैं। जनशक्ति एक बड़ी शक्ति है अतः अधिक सन्तान होना सुख और सम्पत्ति का सूचक माना जाता था। भारत में ऋग्वेद-काल में ऋषि ग्यारह पुत्रों का कामना करते थे और उन्हें पाने के लिए देवताओं से प्रार्थना, यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे। इस में आज भी सर्वाधिक सन्तान पैदा करने वाली माँ को सम्मानित किया जाता है और कुँवारे मातृत्व तक को मायता दी जाती है।

दूसरी स्थिति में आय बढ़ने से जीवन स्तर सुधरता है, पोष्टिक भोजन उपलब्ध होता है चिकित्सा की सुविधाएँ बढ़ती हैं अतः जन्म दर बढ़ती है और मृत्यु दर घटती है। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है।

तीसरी स्थिति में औद्योगीकरण के विस्तार के साथ ग्रामीण लोग नगरों की ओर प्रयाण करते हैं। नगरों की जनसंख्या बढ़ती है। नगरों के लोग

छोटे परिवार चाहते हैं क्योंकि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। अतः तीसरी स्थिति में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती हैं, परिवार छोटे होते हैं और जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जाती है।

भारत दूसरी स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ मृत्यु दर तो पहले की तुलना में कम हो गयी है, अतः आयु भी बढ़ गयी है पर जन्म दर कम होने या घटने की बजाय बढ़ रही है। परिणाम है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और यह 'जनसंख्या विस्फोट' विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है।

निम्नलिखित तालिका में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर का पता लग जाएगा—

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत
1951	361 करोड़	—	—	—
1961	439 करोड़	78 करोड़	21.5%	2.1%
1971	548 "	109 "	24.8%	2.5%
1981	685 "	137 "	24.8%	2.5%

यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो 1991 में भारत की जनसंख्या 85 करोड़ और सन् 2000 तक 1 अरब हो जाएगी। भारत की जनसंख्या का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। विश्व का प्रत्येक सातवाँ व्यक्ति भारत का है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15 प्रतिशत भारत में रहता है जब कि यहाँ का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है। इस प्रकार क्षेत्रफल के अनुपात में यहाँ रहने वालों की संख्या बहुत अधिक है। नतीजा है जमीन पर भार और ससाधनों की उपलब्धि की तुलना में कहीं ज्यादा मांग।

इस भयावह स्थिति से बचने के उपायों पर विचार करने से पहले जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर दृष्टिपात करना युक्तिसंगत होगा क्योंकि उन कारणों की पहचान ही सम्भव उपाय सुझा सकती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों हैं। भारत की अधिकांश जनता विधेयपत स्त्रियाँ अशिक्षित और परम्परागत अर्थव्यवस्था से ग्रस्त हैं। शिक्षा के अभाव में तथा धर्म के होने के कारण वे सन्तान को ईश्वर का वरदान मानते हैं जन्म मरण को ईश्वराधीन

समझते हैं और उसके विधान में हस्तक्षेप करना पाप मानते हैं। मत सत्तानोत्पत्ति में व्यवधान उनके लिए पाप है। भारत के हिंदू मुसलमान दोनों इसी अंधविश्वास के कारण परिवार नियोजन पर ध्यान नहीं देते। हिंदू पिण्डदान के लिए पुत्र आवश्यक मानता है क्योंकि बिना पिण्डदान के उसका विश्वास है मुक्ति नहीं मिलेगी और पुत्र की भांशा में छ सात पुत्रियाँ हो जाती हैं। इस्लाम में बार बार विवाह करने की मान्यता है और जब बार पत्नियाँ होंगी तो बच्चे भी होंगे। कुछ मुस्लिम मौलवी परिवार नियोजन को पाप बताते हैं ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप कहते हैं और इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है। राजनीतिक कारण भी इसके पीछे हैं। भारत में प्रजातन्त्र है। हर पाँचवें वर्ष चुनाव होते हैं। मताधिकार का बड़ा महत्त्व है। जिसके पास और जिसके प्रभाव में जितने मत होंगे, वह उतनी ही चाँदी काटेगा। यह विश्वास कि बोटो के बल पर विशेष भाँगों, उचित अनुचित, मनवायी जा सकती हैं लोगों को, विशेषतः नेताओं को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे लोगों से अधिकाधिक सत्तान उत्पन्न करने की सलाह दें। ईसाई लोग भी मुसलमानों की तरह कुछ धार्मिक तथा कुछ राजनीतिक कारणों से परिवार नियोजन के कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं।

हमारे देश की बहुसंख्यक जनता गरीब है, दिन भर पसीना बहाकर दो जून की रोटी पाती है। पर मनोरजन तो इन निधन लोगों को भी चाहिए। धनभाव में उनके पास मनोरजन का एक ही सुलभ साधन होता है—स्त्री ससग। यही कारण है कि जितने बच्चे गरीब परिवारों में होते हैं, उतने सम्पन्न गृहस्थों के यहाँ नहीं। इसका दुष्परिणाम होता है जनसंख्या और गरीबी दोनों में वृद्धि।

जनसंख्या वृद्धि की समस्या एशिया के देशों—चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, लका आदि में विकराल है। इन देशों के शासक और बि तक भी इस समस्या से अवगत हैं और इससे निपटने के लिए चिंतित और प्रयत्नशील हैं। दिसम्बर 1984 में इस्लामाबाद में हुए सात एशियाई देशों के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में सभी ने इस बात पर बल दिया कि वे अपने अपने देशों की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा गरीबी, भूखमरी, रोग, निरक्षरता, बेरोजगारी और पर्यावरण के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर यह कैसे हो सकेगा? नेपाल के महाराजाधिराज बीरेन्द्र विक्रम शाह ने बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि यह समस्या युद्ध या आतंकवाद की समस्या से कम महत्वपूर्ण नहीं है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि

कठिन हो गया है। सभी विकास-योजनाओं की सफलता और उनके वांछित सुपरिणामों के प्रागे प्रश्नचिह्न लग गया है।

आज मानव 'सरल जीवन उच्च विचार' के आदर्श में विश्वास नहीं करता। वह अधिकाधिक भौतिक सुख सुविधाएँ पाना चाहता है। जीवों की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं, उनकी अपेक्षाओं का विस्तार हो रहा है। यह सब है कि भारत की भूमि विशाल ही नहीं, अपरिमित प्राकृतिक साधनों का भंडार है, नये नये प्रयोग और अनुसंधान कर उसके वैज्ञानिकों एवं अनुसंधानकर्ताओं ने उत्पादन वृद्धि के नये तरीके खोज निकाले हैं और यहाँ किसान, मजदूर तथा ग्राम्य लोग अपने भ्रम से उत्पादन बढ़ा रहे हैं तथापि जनसंख्या के अनुपात में उत्पादन अब भी कम है गरीबी बढ़ती जाती है। गरीबी में अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। इस प्रकार हम एक दूषित दुर्दम्य चक्र में फँस गये हैं। भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएँ, शिक्षा रोजगार, यातायात परिवहन सभी क्षेत्रों में अभाव की स्थिति है। अभाव असंतोष को जन्म देगा और असंतोष हिंसा उपद्रवों और परस्पर विद्वेष को। अतः यदि बढ़ती जनसंख्या को न रोका गया तो ऐसा भयकर विस्फोट होगा कि सब-कुछ उसमें नष्ट हो जाएगा। प० नेहरू ने बहुत पहले कहा था 'यदि जनसंख्या बराबर बढ़ती रही तो पंचवर्षीय योजना का कोई भय नहीं है। तब तक बढ़ती हुई जनसंख्या रोकी न जाएगी तब तक देश की उन्नति के प्रयत्नों का कोई लाभ नहीं होगा।'

भारत में इस सम्बन्ध में जागरूकता तो आयी है। नगरों के रहनेवाले मध्यम वर्ग के लोग सीमित परिवार के लाभ समझ कर दो या तीन बच्चों से संतोष करने लगे हैं। पुत्र के प्रति मोह भी कम हो रहा है अतः पुत्र की प्रतीक्षा में बेटियों को जन्म देते रहने की प्रवृत्ति भी कुछ कम हुई है। जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की सतक और उसमें अधिक सन्तान को बाधक देखकर भी ये लोग परिवार नियोजन कर रहे हैं। परंतु प्रतिष्ठित लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं पायी है और उनमें किए परिवार नियोजन के परिणाम उरसाहयक नहीं हैं। इस दिशा में सरकार और स्वयं की संध्याओं को अधिक तत्परता और निष्ठा से काम करना होगा।

७५ नई शिक्षा नीति-

मानव जीवन में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में शिक्षा ही मानव को सच्चा मानव बनाती है। सच्ची शिक्षा उसे सुसंस्कृत और अनुशासन युक्त बनाती है और वह ज्ञानाजन कर अपना बौद्धिक, मानसिक एवं धार्मिक विकास करता है। परन्तु वर्तमान युग में शिक्षा और इन महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों का सम्बन्ध सुप्त हो गया है। धात्र तो उनका मध्य हो गया है भौतिक उन्नति, सुख सुविधा के साधन जुटाना और इसके लिए नौकरी पाना प्रावश्यक है।

भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत कुछ घरेलू की टेल है। मकाने ने जिस शिक्षा पद्धति का प्रचलन किया, उमने दो उद्देश्य के प्रयोजी सामन करने मे महामता देने के लिए घरेलूी पढे विस्ते बाव बग को तैयार करना भारतीयों के मन में होना-भाव उरान करना, उन्हें अपनी गौरव महित संस्कृति और उच्च जीवन मूल्यों से काट कर उन्हें पश्चिम के रहन सहन के प्रति आकृष्ट करना। और इस उद्देश्य में वह सकल भी रहा। जब भारतीयों को इस कृत्नीति का पता चला तो उन्होंने इस शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन के लिए आवाज भी उठाई पर 1947 तक परतत्र देश कुछ न कर सका।

स्वतंत्रता के बाद 1948 मे डा० सबपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता मे एक आयोग गठन किया और उमने 1949 में कुछ सुझाव दिये—शान्ति निकेतन के समान प्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, अधिक छात्र बतियां कालेजो में सीमित छात्र सख्या उच्च शिक्ष का माध्यम घरेलूी ही रहे, उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय स्तर पर सह शिक्षा अध्यापकों का स्तर ऊचा उठाया जाए। इन सिफारिशों पर बहुत कम काम हुआ। उसके बाद 1964 में कौठारी आयोग बनाया गया। उमकी सिफारिशो के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी जिसके प्रमुख उद्देश्य ये—14 वष तक की आय के बच्चा को निशुल्क शिक्षा, अध्यापकों को बेहतर वेतन तथा सुविधाएँ, त्रिभाषा सूत्र कृषि एवं उद्योग सम्बन्धी शिक्षा का विकास पाठ्य पुस्तकों का स्तर सुधारा जाय तथा उनका मूल्य कम हो राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय हो। पर ये सिफारिशें भा कागज पर ही घरी रह गयीं। यदि इन सिफारिशो-सुझावों का सही रूप में क्रिया बयन होता तो निश्चय ही उसके

सुपरिणाम होते परन्तु साधनों के अभाव और क्रिया-यमन की तत्परता के अभाव में सारी धाराओं पर तुथारापात हो गया।

श्री राजीव गांधी के सत्ता में आते ही प्रत्येक क्षेत्र में पुरानी नीक से हटकर नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति जागी, 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के उद्देश्य से राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा-नीति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता अनुभव की गयी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री पन्त से 'नई शिक्षा-नीति' का प्रारूप तैयार करने को कहा गया। उन्होंने 'शिक्षा की बुनियादों' नामक दस्तावेज चर्चा बहम, गोष्ठियों में विचार विनिमय के लिए प्रस्तुत किया। पूरे एक बरस तक नई शिक्षा नीति पर विद्वानों, शिक्षा-विदों, अधिकारियों विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। अनेक सुझाव भी प्राप्त और अंत में मई 19८6 में यह नीति सत्ता द्वारा स्वीकार कर ली गयी। इस नीति के अधीन जो कार्यक्रम तैयार किया गया वह भी अगस्त 1986 में स्वीकार कर लिया गया। 1987 में इस नए कार्यक्रम को लागू किया गया।

नई शिक्षा नीति का निर्माण करते समय सरकार के दो लक्ष्य थे— भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों को दूर करना तथा देश की विश्व के अन्य विकसित देशों की पंक्ति में बिठाने तथा 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए तैयार करना। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने नई शिक्षा-नीति के निम्नलिखित उद्देश्य रखे— शिक्षा का विस्तार शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना, शिक्षा को वर्तमान जीवन से जोड़कर उसे व्यावहारिक बनाना, देशवासियों में एकता, अखण्डता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना, देश की आवश्यकता को देखते हुए और विश्व की प्रगति की दौड़ में उसे न पिछड़न देने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार और उसके स्तर में सुधार, महिलाओं, पिछड़ी जातियों और त्रिकलांगों को समाज में उचित स्थान दिवाने के उद्देश्य से उनको अधिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना तथा शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध में सुधार करना ताकि वे सुचारू रूप से काम कर सकें।

इही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नई शिक्षा-नीति को तैयार किया गया। उसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं—1. विद्यालयों के स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करना। इस पाठ्यक्रम में कुछ बातें तो यमान हीगी जैसे भारत के स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास, नागरिकों के सवधानिक दायित्व और कसब राष्ट्रीय एकता और अस्मिता को बढ़ावा देने वाला प्रघपन और कुछ बातें विभिन्न प्रदेश प्राची स्थिति परिस्थिति की देखते हुए जोड़ेंगे।

2 उच्चतर शिक्षा में सामान्यत और तकनीकी शिक्षा में विशेषत विभिन्न सस्थाओं में तात्पेन रखना इस शिक्षा की प्राप्ति के इच्छुक छात्रों को बिना किसी भेदभाव के केवल योग्यता के आधार पर प्रवेश की सुविधा प्रदान करना। अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में विभिन्न सस्थानों को इस प्रकार काय करने की प्रेरणा देना ताकि उनके समाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और वे मिलकर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में मिलकर योगदान कर सकें।

3 भारत में अभी भी स्त्रियाँ बहुत पिछड़ी हुई हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस स्थिति से उन्हें उबारने तथा राष्ट्र की प्राची जनसंख्या को उपयोगी कार्यों में लगाने के लिए आवश्यक है कि महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाय, पाठ्यक्रमों पुस्तकों आदि में इस प्रकार सुधार किया जाय कि पुष्पों का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण बदले और वे समाज में पुन सम्मान प्राप्त कर सकें। श्याव शिक और वन्या निक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए उन्हें रोकने की बजाय प्रोत्साहन दिया जाय ताकि बाद में वे डाक्टर, इंजीनियर, उद्यमी बन सकें, व्यापार-व्यवसाय में सक्रिय भाग लेकर देश का औद्योगिक आर्थिक विकास कर सकें।

4 अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के साथ हमारा व्यवहार बबरतापूर्ण रहा है। अत वे आज भी जगली या अर्धसम्य जीवन बिता रहे हैं। उनकी स्थिति सुधारने के लिए नई शिक्षा नीति में सुझाव दिये गये हैं—

(क) गरीब माता पिताओं को प्रतिरिक्त सुविधा और प्रलोभन देकर उन्हें अपने बच्चों को शिक्षालयों में भेजने के लिए इस तरह प्रोत्साहित किया जाय कि वे 14 वर्ष की आयु तक पढ़ते रहें, बीच में ही पाठशाला न छोड़ दें।

(ख) नाचियों शौचालयों आदि की सफाई करने वाले, अछूत कहे जाने वाले माता पिता के बच्चों को मैट्रिक तक छात्रवृत्ति दी जाय। (ग) उनके लिए स्कूलों के बाहर अनौपचारिक शिक्षा का भी प्रबन्ध हो। (घ) अनुसूचित जातियों से अध्यापकों का चयन हो। (ङ) उन्हें छात्रावासों में रहने की सुविधा प्रदान की जाय। (च) ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोले जायें ताकि अनुसूचित जातियों जनजातियों के छात्र छात्राएँ आसानी से वहाँ पढ़ सकें।

(छ) जनजातियों की अपनी संस्कृति है। अत उनके लिए ऐसा पाठ्यक्रम आय कि उनकी संस्कृति को ठेस न लगे, वह और अधिक समृद्ध हो।

उनकी अपनी पहचान बनी रहे। उन्हें उही की मातृभाषा में शिक्षा दी जाय।

(घ) अच्छे और समर्थित अध्यापकों को ऐसे स्कूलों में नियुक्ति की जाय।
 (ज) उच्च शिक्षा के लिए छात्र-वृत्तियाँ प्रदान की जाएँ। (झ) जहाँ आवश्यकता हो वहाँ इनके लिए उपचार पठ्यक्रम (remedial courses) का प्रबंध किया जाय। (ञ) घगनवाही, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर खोले जायें।

5 शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि वे स्वयं को उपेक्षित समाज से कटा प्रभुभव न करें, जीवन से निराशा न हों। जहाँ तक हो सके उन्हें स्वस्थ बच्चों के साथ पढ़ाया जाय, जो अधिक विकलांग हैं उनके लिए छात्रावास युक्त विद्यालय खोले जायें। उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाय ताकि बाद में वे अपनी धाजीविका कमा सकें। उनका शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाय ताकि वे विकलांगों के सहयोगी मित्र और मार्गदर्शक बन सकें। स्वयंसेवी संस्थाओं को विकलांगों के लिए शिक्षा-संस्थाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

6 भारत में ऐसे प्रौढ़ पुरुषों और विशेषतः स्त्रियों की संख्या साखी में है जो निरक्षर हैं, जो प्रगूठा-टेक हैं और जो केवल नाम लिख सकते हैं या दस्तखत कर सकते हैं। इनको साक्षर और शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा-नीति में जो सुझाव दिये गये हैं वे हैं—(क) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुवर्ती शिक्षा-केन्द्रों की स्थापना, (ख) मिलों आदि में काम करने वालों के लिए उनके मालिकों द्वारा शिक्षा का प्रबंध, (ग) ऐसे लोगों के लिए अधिकाधिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना, (घ) उनकी शिक्षा के लिए रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों आदि का उपयोग, (ङ) स्वाध्याय के लिए प्रवर्तक एवं सुविधाएँ प्रदान करना, (च) छोटे-छोटे स्कूल जैसी संस्थाएँ खोलना, (छ) आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना।

7 ऐसी प्राथमिक शिक्षा जिससे बच्चों का उचित शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। इसमें दो बातों पर बल दिया जाएगा—(क) सब बच्चों का विद्यालय में नाम निवेश और उन्हें 14 वर्ष तक की आयु तक पढ़ाते रहना, (ख) शिक्षा क स्तर का सुधारना। इसके लिए 'घापरेशन बोर्ड' नाम से योजना का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत मुख्य बातें होगी

दो कमरों की व्यवस्था, बर्नक बोर्ड, टिस्टर, मानचित्र, चार्ट आदि का प्रबंध खिलौने और खेल, कम से कम एक महिला अध्यापक और दो अध्यापक हों।

8 यह सम्भव नहीं है कि सभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक और इच्छुक लड़के-लड़कियों को नियमित विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। अतः नई शिक्षा-नीति में व्यापक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रावधान है। इसने लिए छोपन स्कूल और छोपन विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। विदेशों में ब्रिटेन तथा भारत में आन्ध्र प्रदेश में स्थापित छोपन विश्व विद्यालयों का अनुभव बड़ा उत्साहवर्धक रहा है। दिल्ली में स्थापित छोपन स्कूल और इन्दिरा गांधी छोपन विश्वविद्यालय का काय भी सुचारु रूप से चलता देख प्राणा होती है कि यह प्रयोग सफल होगा। ऐसी सन्ध्याओं में उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकेगा जो किन्हीं कारणों से शिक्षा प्राप्त करने की वय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, अथवा जिन्हें बीच में ही शिक्षा छोड़नी पड़ी अथवा जो ज्ञान पिपासु हैं और अब अनुकूल अवसर पाकर अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। ऐसी सन्ध्याओं में प्रवेश के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएँ—यूनतम अहता, आयु, पाठ्यक्रम का चुनाव, परीक्षा सम्बन्धी कठिनाइयाँ आदि दूर हो जायेंगी।

9 आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी क्योंकि सामान्य शिक्षा विद्यार्थी को डिग्री तो देती है पर डिग्री प्राप्त करने के बाद वह दफ्तरों में नौकरी करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं कर सकता और नौकरियाँ सीमित हैं। इस समस्या का समाधान है व्यावसायिक शिक्षा। नई शिक्षा-नीति ने इसके लिए पर्याप्त सुविधायें जुटाने का सुझाव दिया है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थी स्वास्थ्य विज्ञान, स्वच्छता, प्राथमिक सहायता, परिवार नियोजन आदि की शिक्षा पाएगा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद वह अपनी रुचि के अनुरूप कृषि, वागवानी, लुहार, बढ़ई बिजली इञ्जीनियर, समाज-सेवा, विपणन आदि का एक वर्ष से तीन वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा। इसके परिणामस्वरूप या तो वह किसी औद्योगिक संस्थान में लप जाएगा अथवा अपना निजी रोजगार खता कर आजीविका कमा सकेगा।

10 शिक्षा के प्रबंध के सम्बन्ध में भी अनेक सुझाव दिए गए हैं जिनमें हैं—विस्तीकरण, स्वायत्तता जनता तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग

शिक्षा-योजना तथा प्रबन्ध में महिलाओं की अधिक भागीदारी। ग्राम अखिल भारतीय सेवाओं के समान अखिल भारतीय शिक्षा-सेवा प्रारम्भ करने का भी विचार है। शिक्षा सत्याग्रहों की प्रबन्ध व्यवस्था में भी परिवर्तन करने का विचार है ताकि इनकी प्रबन्ध-समितियाँ मनमानी न कर सकें और उनमें अध्यापक भी अपनी बात कह सकें।

पर नई शिक्षा-नीति के पूर्णतः सफल होने में बाधाएँ भी धनेक हैं - बढ़ती जनसंख्या, ससाधनों की कमी क्रिया-व्ययन के लिए अपेक्षित मानसिकता का अभाव, छात्रों अध्यापकों के लिए आचार-सहिता के निमाण और उसके पालन करने के प्रति शिथिलता का भाव, विश्वविद्यालयों में बढ़ती राजनीतिक गति-विधियाँ जो अध्ययन शोध का वातावरण विकृत करती रहती हैं। भय है कि वहाँ नई शिक्षा नीति भी केवल नारेबाजी और रटटी की टोकरी में डाला जाने वाला दस्तावेज बनकर न रह जाय। कुछ लोगों का लो कहना है कि नई नीति पुरानी नीतियों की तरह ही अभ्यावहारिक है, उसमें नया कुछ नहीं है, वह केवल ऊँचे सिद्धांतों और भावनाओं की दुहाई देने वाला एक और घोषणा-पत्र है जो बहलाने-फूसलाने का साधन मात्र है। नवोदय स्कूल, स्वायत्त कालेज, उच्चतम शिक्षा शोध के लिए बनाये गये केन्द्र शिक्षा की पुनः केवल कुछ विशिष्ट सपन्न लोगों तक सीमित करेगे। सबकी शिक्षा देने का हमारा स्वप्न कभी साकार न होगा। साधनों के अभाव में ध्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम भी पूरे न हो पायेंगे। घट-बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। बरसाती मेढकी की तरह निरय नए पोलिटिकानक और डाबटरी शिक्षा के सत्यानों का प्रशिक्षण स्तर इतना नीचा है कि इनसे निकले युवक-युवतियों के कारण देश के विकास में सहायता की बजाय बाधा ही पड़ेगी। महत्वपूर्ण मसौदा बनाना नहीं, उसमें दिये गये प्रस्तावों और कार्यक्रमों का कार्या-व्ययन है। देखना यह है कि कार्या-व्ययन होता है या नहीं और किस गति से होता है।

७ | प्रौढ-शिक्षा

शिक्षा का महत्त्व सब विदित है। यह ठीक है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिये आयु का उचित भाग आरम्भिक वय अर्थात् चार-पाँच वय की आयु से लेकर तीबीस-पच्चीस वय तक का काल ही स्वीकार किया जाता है फिर भी अन्य आयु वर्गों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं। कहा जाता है कि ज्ञान अनन्त है और उसे प्राप्त करने के लिए अनन्त जर्मों की ही आवश्यकता दम्रा करती है। एक ज म मे तो मनुष्य उसका सहस्रांश भी अर्जित कर पाने मे समय नहीं हुमा र्ना। यह भी एक अनुभव सिद्ध बात है कि सुशिक्षित एव ज्ञानवान् व्यक्ति ही जीवन जीने की कला मे पारंगत हो सकता है। इसी कारण मानव जीवन के प्रत्येक काल मे शिक्षा-दीक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतीत भारत मे भी शिक्षा का अनन्त प्रचार और विस्तार था। स्त्री पुरुष सभी के लिये शिक्षा अनिवाय समझी जाती थी। ज्ञान और शिक्षा का प्रसार इस सीमा तक था कि पण्डित मण्डन मिश्र के घर के पशु-पक्षी भी संस्कृत के शिक्षाप्रद श्लोकों का स्पष्ट उच्चारण किया करते थे। रंगरेजन शैल ने कवि भालय के समस्यात्मक पद की पूर्ति कर दी थी और भी छोटे-बड़े सभी जन सुशिक्षित हुआ करते थे। फिर बीच मे एक काल ऐसा आया कि परिस्थितिजन्य विवशनाओं के कारण भारतीय आम जनो का नाता शिक्षा से टूटता गया। अधिकांश निरक्षर एव अशिक्षित होते गये। इस कारण जीवन और समाज का ढांचा भी अनेक प्रकार की कुरीतियों कुनीतियां एवं अंध परम्पराओं से ग्रस्त होकर बिखरता गया। नवयुग की चेतना और स्वतंत्रता प्राप्ति ने एक बार फिर शिक्षा का महत्त्व सभी के सामने उजागर कर दिया है। इसी कारण स्वतंत्र भारत में आज सभी आयु वर्गों की शिक्षा पर योजनाबद्ध रूप से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रौढ शिक्षा भी पूरे देश के सभी आयु वर्गों को प्राप्त एव गिभित बनाने की उसी योजना का ही अंग है।

सामान्य सदस्यों और अर्थों मे प्रौढ शिक्षा का अभिप्राय एव प्रयोजन ऐसे व्यक्तियों को साक्षर बनाना है जो कि ही भी कारणों से अपनी उचित आयु में शिक्षा-रहितता से वंचित रह गये हैं। साक्षर शिक्षित व्यक्ति जिनामु बनकर

जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख, पहचान उसे परिस्थितियों के अनुसूच उपयुक्त सचि में ढाल पाने में समय हो सकता है। आज ज्ञान विज्ञान के विभिन्न और विविध क्षेत्रों में जो अनेकविध अव्यवस्थाएँ और प्रगतियाँ हो रही हैं उनकी सही समय पर सही ढंग से जानकारी भी पढा लिखा व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। स्वयं साक्षर एवं शिक्षित माता पिता ही अपने बच्चों के लिये शिक्षा की उचित व्यवस्था करने की बात सोच कर उचित एवं सक्रिय कदम उठा सकते हैं। हमारे देश में अनेक बच्चे इसी कारण शिक्षा न लेकर घावारा घमते रहते हैं कि उनके माता पिता स्वयं शिक्षित या साक्षर नहीं होते, अतः उनमें बच्चों को स्कूल भेजने का उत्साह ही नहीं होता। प्रौढ़ शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य यह भी है कि आयु के परिपक्व (प्रौढ) हो जाने पर भी माता पिता शिक्षा का लाभ उससे प्राप्त सुविधाओं एवं आनन्द से परिचित हो जाएँ। ऐसा होने पर ही वे लोग अपने बच्चों को साक्षर-शिक्षित बनाने की दिशा में विशेष उत्साह से अग्रसर हो सके। जब माता-पिता साक्षर होंगे, तो निश्चय ही उनके बच्चे शिक्षा पाएँगे। इस प्रकार धीरे-धीरे सारा समाज साक्षर एवं सुशिक्षित होकर उचित अनुचित, हानि-लाभ का नियम कर पाने में समर्थ हो जायेगा। ऐसा होने पर उसका अपना लाभ तो होगा ही देश जाति का वातावरण भी समृद्ध एवं प्रगतिशील बनेगा।

प्रौढ़ शिक्षा के और भी कई प्रयोजन एवं लाभ गिनाए जा सकते हैं। शिक्षा को मनुष्य और मनुष्यता की आत्मा भी कहा गया है। ऐसा कहने का अभिप्राय यही है कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही प्रत्येक स्थिति को सही सन्दर्भों में देख परव विवेक से काम ले सकता है। आज जीवन और समाज में जो अनेक प्रकार के अंधविश्वास कुतियाँ प्रचलित हैं, उन सब का कारण अज्ञान और अशिक्षा ही है। प्रौढ़ शिक्षा इन सबके विरुद्ध संघर्ष की भाग ऊपर से नीचे अर्थात् पुरानी हानिकारक रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, उन सब का कारण अज्ञान और अशिक्षा ही है। इसी प्रकार आज कृषि काय उद्योग धंधा तथा अर्थात् जीवनाधार काय कलापो के लिये नई-नई वैज्ञानिक पद्धतियाँ सामने आ रही हैं। शिक्षित व्यक्ति ही उनका सीधा लाभ उठाकर अपने घर परिवार और आस पास के समाज को भी उस ओर प्रेरित कर सकता है। विश्व में प्रतिफल प्रतिक्षण जो नया घटित होता रहता है और अंतर्राष्ट्रीयता का युग होने के कारण जिसका प्रभाव विश्व के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सामान्य विद्येय सभी पर समान रूप से पड़ता है उस सब का परिचय भी मात्र शिक्षित साक्षर

व्यक्ति ही तत्काल प्राप्त कर सकता है। ऐसा करके वह सहज ही अपने आपको अनवरत गति प्रगतिशील विश्व के साथ जोड़े रख सकता है। अपनी तथा सभी की सुख समृद्धि का कारण भी बन सकता है। इसी प्रकार के व्यक्त अग्रगण्य लाभ से समूचे जन-जीवन को अनुप्राणित करने की दृष्टि से ही भारत में सरकारी और निजी स्तर पर प्रौढ शिक्षा पर बल दिया जा रहा है।

भारत में प्रौढ शिक्षा साक्षरता प्रचार के विश्वव्यापी और विगुद्ध देशीय अभियान का ही एक महत्त्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र सभ के अन्तर्गत कार्यरत यूनेस्को जैसी विश्व तत्साम्याभावा समन्वयन और सहायता भी इस महत्त्वपूर्ण योजना को प्राप्त है। इसी कारण आज व्यापक स्तर पर यह अभियान चलाया जा सकता सम्भव हो सका है। साक्षरता अभियान के अन्तर्गत ही प्रायः सारे भारत में अनेक स्वशासी या समाजशासी मस्याएँ तो डम दिशा में सक्रिय हैं ही, सरकार का शिक्षा और समाज कल्याण विभाग भी सक्रिय है। नगर, कस्बा और ग्राम-स्तर पर जहाँ बाल शिक्षा के लिये बालवाडियों (प्राथमिक शालाओं) का जाल बिछाया गया और बिछाया जा रहा है, वहाँ स्थान स्थान पर प्रौढ शिक्षा केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं। ये प्रौढ शिक्षा केन्द्र सामान्य कार्य-काल के अतिरिक्त समय में अर्थात् दोपहर या रात्रि के समय चलाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिये कि अपने आवश्यक दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद ही प्रौढ जन शिक्षा या साक्षरता पाने का लाभ उठा सकें। प्रौढ औरतों के लिये दोपहर का समय उपयुक्त रहता है कि जब वे घर के काम काज समेट शिक्षा पा सकती हैं। इसी प्रकार प्रौढ पुरुषों के लिये सामान्यतया सायंकाल के तत्काल का समय उपयुक्त रहता है कि जब वे लोग खाली बैठ कर गप्पें सडाने या चुगली-चकारी करने के स्थान पर साक्षरता या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के इस अभियान की काफी सफल एवं साधक रेखांकित किया जा सकता है।

नगरों में प्रौढ शिक्षा के लिये प्रायः कम्युनिटी हाल या खाली पडे स्कूल के भवनो आदि का प्रयोग किया जाता है। सायंकाल के बाद इन या इस प्रकार के स्थानों पर प्रशिक्षित अध्यापको द्वारा प्रौढों को शिक्षा दी जाती है। इसके लिये आवश्यक सामग्री—अर्थात् पुस्तक वापी, पसिल आदि की व्यवस्था भी प्रायः सरकार या संचालन करने वाली संस्थाओं की धोर से ही की जाती है। ग्रामों में पचायत भवन चौपाल आदि का प्रयोग किया जाता है और सारी प्रौढ शिक्षा के लिये प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की योजनाएँ काय कर रही हैं। मुहल्ले में प्रौढ शिक्षा के लिये प्रौढ शिक्षा केन्द्रों की योजनाएँ काय सभी इच्छुक

महिलाएँ एकत्रित हो सकें। वहाँ आकर कोई शिक्षित प्रशिक्षित महिला शिक्षण का काय करती है। या फिर नियुक्त शिक्षिका के घर पर मुहल्लों की औरत स्वयं दोपहर के समय पढ़ने में आ जाया करती है। ग्रामी में यह काय ग्राम-सेविकाओं द्वारा भी सम्पादित होता है और शिक्षित-प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाओं द्वारा भी। पढ़ने के इच्छुक लोगों की समय-सुविधा का हर प्रकार से ध्यान रखा जाता है। कुछ अवस्थाओं में सामान्य स्तर पर कुछ परीक्षाएँ भी ली जाती हैं परन्तु अधिकतर ऐसा नहीं होता। वस्तुतः महत्व परीक्षा का नहीं उस प्रबल एवं आंतरिक इच्छा का होता है कि जो लोगों को स्वतः प्रेरित कर उन के दो तक ले आती है। शिक्षा पाने के बाद कई प्रौढा को हमने समाचार पत्र पढ़ कर उनमें छपे देशी विदेशी समाचारा पर सभी दृष्टियों से सायक सम्वाद करते देगा है। इसे इस योजना की पूण सहायकता एवं सफलता ही कहा जायेगा।

अपने आकार प्रकार और प्रवृत्ति में भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसका जनसंख्या भी विशाल है। अभी तक भारत इतना समथ नहीं हो पाया कि प्रत्येक बालक के लिये मुफ्त उचित शिक्षा की व्यवस्था कर सके। आर्थिक एवं कई अन्य कारणों से भी कई बालन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। बड़े होने पर जब उन्हें जीवन के यथाप से दो चार होना पड़ता है, तब पश्चात्ताप जाणा करना है कि काश, उस समय पढ़ लिख लिया होता। ऐसे लोगों के लिये प्रौढ शिक्षा के द्व पश्चात्ताप से मुक्ति पाने का उचित अयत्न प्रदान करते हैं। यह भी ठीक है कि आज भी ऐसे लोग की पत्नी नहीं, जो जीवन में सफलता के लिये शिक्षा को आवश्यक मानते हो। कई बार तो स्वयं पढ़े-लिखे लोगों को भी ऐसा कहते सुना-देखा जा सकता है। यह भी सत्य है कि अभी तक यह योजना सभी प्रौढों या ध्यान अपनी ओर वंचित नहीं कर पाई। सभी जगह देश के दूर दराज के भाग अभी इससे लाभित नहीं कर पाई। सभी के समक्ष इसका महत्व उजागर होता जा रहा है और दूसरे इस योजना का काय क्षेत्र भी निरन्तर विस्तार पा रहा है इस सबको धुन लक्षण ही कहा जायेगा।

हमारा देश अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ऐसी अवस्था में उमका ध्यान और उपलब्ध साधन दोनों ही विखरे हुए हैं। ऐसी अवस्था में प्रौढ शिक्षा की ओर भी ध्यान और साधन की सम्पूण प्राप्ति सम्भव नहीं। इस कमी को एक तो प्रौढों की ज्ञान शिक्षाजन की अपनी प्रबल इच्छा दूर कर सकती है और समाज-सेवी, स्वयंसेवी मस्याएँ दूर कर सकती हैं। चाह ही तो फिर राह खोज ही ली जाती है। मजिल तक पहुँचने का पयना इरादा रखने

वाले लोग साधनों की प्रतीक्षा में बैठे नहीं रहा करते। हमारा देश सुख समृद्धि व लक्ष्मी तक पहुँचने के लिये जिन विकासमान दिशाओं में अग्रसर है उन्हें सफल-साथक बनाने के लिये देश के सभी आयु वर्गों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। साक्षरता अभियान के अतगत प्रौढ शिक्षा योजना इसी दिशा में अग्रसर हो रही है। हम सभी का, शिक्षितों अशिक्षितों दोनों वर्गों का यह वक्तव्य ही जाता है कि हम जहाँ जिस रूप में भी हो, इस राष्ट्र एवं मानवीय हित की योजना को सफल-साथक बनाने में अपना यथासाध्य सहयोग प्रदान करते रहें। देश के भावी नागरिकों को उज्ज्वल और विकसित भविष्य देना प्रौढ शिक्षा का अन्यतम या चरम लक्ष्य है। अतः इस पर उत्साहपूर्ण ढंग से हमारे वदम निरन्तर आगे ही आगे बढ़ते जाने चाहिए।

७७ | दहेज प्रथा : एक अभिशाप

भारतीय समाज आरम्भ से ही अनेक प्रकार की रूढ़िवादी परम्पराओं से ग्रस्त चला आ रहा है। समय के साथ आने वाले नव जागरण और वैज्ञानिक उपलब्धियों के फलस्वरूप अनेक अनावश्यक-अव्यक्त रूढ़ियाँ एवं परम्पराएँ आज समाप्त हो गई या हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी रूढ़ि परम्पराएँ भी हैं जो अपनी व्यथता एवं अमानवीयता प्रमाणित हो जाने के बाद भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निरन्तर बढ़ कर सघातक रोग का सा रूप धारण करती जा रही हैं। दहेज की प्रथा भी हमारे देश में एक इसी प्रकार का सघातक रोग एवं अभिशाप है। प्रत्येक व्यक्ति दहेज प्रथा को अभिशाप मानकर मौखिक स्तर पर इसके विरोध में विचार प्रगट करता है, इस प्रथा के कारण नव वधुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपना मत व्यक्त करता है फिर भी व्यवहार के स्तर पर सक्रिय होकर व्यक्ति इस रोग से छुटकारा पा सकने में समर्थ नहीं हो पा सकता—यह कितनी बड़ी विडम्बना एवं असमर्थता है।

आजकल कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता, जहाँ दहेज के अभिशाप के कारण कहीं न कहीं किसी नव वधू के प्राण जाने का समाचार अखबारों में न छपता हो। जीते जागते कोमल कात और माखन जैसे व्यक्तित्वों को जला डालना—यह लालच ने व्यक्ति को कितना दूर कितना हृदयहीन और राक्षस बना दिया है। कहीं किसी वधू पर तेल छिड़क कर जलाया जा रहा है, कहीं विषपान कराया जाता है, कहीं कुएँ-नदी में डकेला जाता है और कहीं छत से

दनेल कर एक फूल को पूण विचरित होन से पहले ही मसल कर, कुचल कर समाप्त कर दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो गद्दी नहीं दहेज के लोभियों द्वारा वधुप्रथा को धनक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक यातनाएँ दी जाती हैं। उनका जीवन जीत जी नरक बना दिया जाता है। यह बात नहीं कि ऐसे भ्रान्ताचार और वधू हत्याएँ केवल सामान्य या भाविक तर्गो वाले परिवारो मे ही होती हैं कई बार तो सभी प्रकार से सम्पन्न परिवारो मे भी होने वाली इस प्रकार की जघन्य हत्याप्रो के समाचार पढ कर रोगटे खडे हो जाया करते हैं। फिर दहेज के कारण होने वाली हत्याप्रो के मूल म एक और चीन्ना देने वाला तथ्य भी सामने आया है। यह देखने मे आया है कि इस प्रकार के उत्पीडन एवं हत्याएँ करने क मूल मे औरतो—यानि बहुप्रो की सासो-ननदो का हाथ अधिक रहता है। इस प्रकार नारी ही नारी का शोषण और हत्या करती है या हत्या का प्रमुख कारण बनती है। सास यह भूल जाती है कि कभी वह भी किसी की बेटी और बहू थी। यह भी कि उसको अपनी बेटी ने भी बहू बनकर पराय घर जाना है और उसके साथ भी ऐसा ही दुर्भाग्य घटित हो सकता है। ननद यह भूल जाती है कि वह भी पराये घर मे बहू बनकर जाने वाली है और खुदा न करे कि कही उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हो जाए। नही ऐसी शोच किये बिना ही आज अधिकाशत नारी ही नारी की शत्रु साबित हो रही है।

लालची स्वार्थी और हीन भावनाप्रो से ग्रस्त कई लोग अपने बेटो का विवाह इस आशा से करते है कि उसका जो दहेज आएगा उससे अपनी बेटी का विवाह करेगे। ऐसा सोचते समय इस कुवृत्ति एवं दुष्मानसिकता वाले लोग यह क्या भूल जाते हैं कि जिस प्रकार अपनी बेटी के लिए स्वय दहेज पाने म वे लोग असमर्थ हैं, उसी प्रकार आने वाली बहू के भाँ-बाप भी असमर्थ हो सकते है। नही, ऐसा सोचना उनके लिए गुनाह है। उनके मन म तो या भूल समाई है कि हमे कुछ भी अपनी ओर से आने वाली बेटी (बहू) ही लेकर आए। पड जो कुछ भी है वह दूसरे घर से आने वाली बेटी के लिए न जुटाना यह नावना और सोच नवागता वधू के प्रति समुराल वालो को नितान्त असहिष्णु बना देती है और बट एक बहू से पिण्ड छुडाकर बेटा का पुनर्विवाह कर प्रबिकाधिक दहेज सामान पाने की लालसा मे बहप्रो को दिन केन प्रकारेण हत्या कर डालते है। हबस का शिकार आदमी कितना कितना हृदयहीन हो जाया करता है यह रोगटे खडे कर देने वाला ब्यौरा हम लोग समाचार पत्रा म प्रसार पढते रहते हैं। स्पष्ट है कि जब तक न केवल कानूनी बल्कि श्वारिक सामाजिक और मानसिक स्तर पर दहेज की कुप्रथा को समाप्त नही कर दिया जाता वधुप्रो की हत्या का क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा।

प्रथा या परम्परा का अर्थ तो मानवीय सहज, सदभाव-सम्मत रूचियाँ हुआ करता है। पर पता नहीं सभी प्रकार से कुरूचियों से भरी होने पर भी दहेज देने लेने की बात या चाल को 'प्रथा' क्यों कहा जाता है। इसे तो वास्तव में कुप्रथा और मानवीयता के मस्तक का एक घोर बलक कहा जाना चाहिए। वस्तुतः दूसगो का उगाल खाने वाले परोपजीवियों ने ही इस कुप्रथा का नाम 'प्रथा' रख दिया है। पता नहीं कब और किस रूप में इस कुप्रथा का आरम्भ हुआ होगा। अपने आरम्भ काल में सम्भव है इस कुप्रथा की कुछ उपयोगिता भी रही हो। पर जब से मानव समाज का इतिहास और उसमें दहेज-दान की प्रथा का वर्णन मिलने लगा है, हम सभी जानते हैं कि आरम्भ से ही यह कया पक्ष के शोषण का एक बहुत बड़ा अस्त्र बनकर प्रयुक्त होता रहा है। प्राचीन साहित्य में दहेज के कारण होने वाली बरबादियों की अनेक कहानियाँ हम आज भी पढ़ते हैं, जबकि अपने आस पास इसके निर्मम दृश्यरिणाम रोज ही दो चार होते रहते हैं। दहेज जुटाने के लिए बड़े बड़े समर्थों ने अपनी जमीन जायदाद, अपने घर-मकान तक गिरवी रखे या ब्रेच दिए, श्रृणग्रस्त होकर चुकाते चुकाते ही समाप्त हो गए माता पिता को दहेज दे पाने में असमर्थ पाकर कयाधो ने आत्महत्या कर ली, लोग कयाल होकर दर-दर ठोकरें खाने लगे, बड़ों परिव्यवृत्तता होकर नारकीय जीवन बिताने, बेश्या तक बन जान की विवश हुई—उफ! कितनी कितनी यातनाएँ नहीं सही और सहन करती पड़ रही निरीह मानवता को दहेज के भूखे मनुष्यों के कारण? फिर भी हमारा समाज कहीं चेत पाया है और कहीं हम महामारी को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की दिशा में सन्नद्ध हो सका है?

बहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठोक इसी प्रकार देखा देखी आज सामान्य विशेष सभी जन इस मारक लानत से पीड़ित होने की विवश हैं या कर दिये जाते हैं। कुछ बेटे वाले तो बेटे के जन्म से लेकर मरण तक का सारा लेखा जोखा लडकी वसूलने को कम्बिद रहते हैं। कई बार कुछ धनी एवं समर्थ लोग, प्रशिक्षित या अन्य प्रकार से दूषित कयाधो के लिए ऊँची से ऊँचे भी नव वस्तुतः देखे जाते हैं। झठी और थोथी सामाजिक वस्तुतः चंग के विवाह पर अधिक दहेज के प्रदर्शन वस्तुतः जो इस कुप्रथा ने दत्तना मारक रूप धारण वस्तुतः घन लिप्ता इसका वस्तुतः समाज के अन्तर्गत बड़ा वस्तुतः नेता दहेज के अन्तर्गत पडता है। वस्तुतः सरकार दहेज के अन्तर्गत हैं सादगी वस्तुतः है।

उच्च भ्रवसर ववाहिक प्रदशनो, तमाशो के भ्रवमरो पर स्वय उपस्थित होकर उनकी शोभा तो बढ़ाते ही हैं, इस प्रकार के अनैतिक, असामाजिक ग्यं करन वालो, काला बाजारिया वो रक्षोप रूप से सरक्षण भी देते हैं। ऐसे समाचार भ्रवसर पढन को मिलते रहते है कि भ्रमुक नेता या मत्री ने शपने लडके-लडकी के विवाह पर लाख दस लाख नही, करोड़ दो करोड रुपया खच किया। हजारो की दावत की गई। इस रूप मे जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हो तो इस कुप्रथा का भ्रन्त सम्भव हो ही कैसे सकता है।

सारा समाज दहेज की कुप्रथा से पीडित है, चिन्तित है, इससे छुटकारा भी चाहता है। कानून भी बनते हैं, सामाजिक दबाव भी है, फिर भी यह प्रथा फलती फूलती जा रही है, समाप्त नहीं हो पा रही—क्यों? क्या उपाय है इस अभिशाप मे मुक्त होने का? कोई इसका उपाय भ्रन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने को बताता है कोई प्रेम विवाह की चर्चा करता है और कोई दण्डात्मक कठोर कानून बनाने का। ये सभी बातें एक सीमा तक ही ठीक हैं। क्या गारण्टी है कि भ्रतर्जातीय प्रेम विवाह के लिए तैयार होने वालो के दहेज-तोभी माँ-बाप उस स्थिति मे भी दहेज-सम्बन्धी सौदेबाजी नहीं करेंगे? या फिर समाज भी उहे स्वीकार कर ही लेगा? कानून उन्ही का साथ देगा न कि धन-बल से कानून की घञ्जियाँ उडाने मे- समर्थ लोगा का? हमारे विचार भ पुरानो पीढी के दकियानूसी लोग किसी भी बात से डरने या पसीजने वाले नहीं। फिर सभी युवक-युवतिया का प्रेम-सम्बन्ध और इस प्रकार के विवाहा के लिए बातावरण भी सुलभ-सम्भव नहीं। ऐसी स्थिति मे मात्र एक उपाय ही इस सबभक्षी दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध कारगर हो सकता है। वह है युवका का बिद्रोह। युवक युवतियाँ दोनो ऐसे परिवारो मे विवाह करने से साफ-स्पष्ट और धान्तरिक दढता से इन्कार कर दें जहाँ किसी भी रूप मे दहेज दिया लिया जाता हो। युवतिया से भी बढकर देग के जागरूक नवयुवका पर अधिक दायित्व जाता है। जिस दिन युवक अपने माता पितामा से साफ कह देंगे कि वह दहेज लेकर कतई विवाह नहीं करेगा, उस दिन एक ही क्षण मे समस्त दहेज विरोधियो की भ्रवल ठिकामे लग जाएगी और एक ही दिन मे इस कुप्रथा का भ्रन्त हो जाएगा।

प्रथा या परम्परा का अर्थ तो मानवीय सहज सदभाव-सम्मत रुचियाँ हुंघा करता है। पर पता नहीं सभी प्रकार से कुरुचियों से भरी होने पर भी दहेज देने लेने की बात या चाल को 'प्रथा' क्यों कहा जाता है। इसे तो वास्तव में कुप्रथा और मानवीयता के मस्तक का एक घोर कलक कहा जाना चाहिए। चस्तुत दूसरे ना उगाल खाने वाले परोपजीवियों ने ही इस कुप्रथा का नाम 'प्रथा' रख दिया है। पता नहीं कब और किस रूप में इस कुप्रथा का आरम्भ हुआ होगा। अपने आरम्भ काल में सम्भव है इस कुप्रथा की कुछ उपयोगिता भी रही हो। पर जब से मानव समाज का इतिहास और उसमें दहेज दान का प्रथा का वर्णन मिलने लगा है, हम सभी जानते हैं कि आरम्भ से ही यह क्या पक्ष के शोषण का एक बहुत बड़ा अस्त्र बनकर प्रयुक्त होता रहा है। प्राचीन साहित्य में दहेज के कारण होने वाली दरवादियों की अनेक कहानियाँ हम आज भी पढ़ते हैं, जबकि अपने आस पास इसके निर्मम दम्परिणाम रोज ही दो चार होते रहते हैं। दहेज जुटाने के लिए बड़े बड़े समर्थों ने अपनी जमीन जायदाद, अपने घर-मकान तक गिरवी रखे या ब्रेच दिए, ऋणग्रस्त होकर चुकाते-चुकाते ही समाप्त हो गए, माता पिता को दहेज दे पाने में असमर्थ पाकर कन्याओं ने आत्महत्या कर ली, लोग कगाल होकर दर-दर ठोकरें खाने लगे, बहुएँ परिव्यवतता होकर नारकीय जीवन बिताने, वेश्या तब बन जान की विवश हुई—उफ! कितनी कितनी यातनाएँ नहीं सही और महन करनी पड़ रही निरीह मानवता की दहेज के भूखे मनुष्यों के कारण? फिर भी हमारा समाज कहाँ चेत पाया है और कहाँ हम महामारी को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की दिशा में सन्नद्ध हो सका है?

कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठोक इसी प्रकार देखा देखी आज सामान्य विशेष सभी जन इस मारक लानत से पीड़ित होने की विवश हैं या कर दिये जाते हैं। कुछ घंटे वाले तो बेटे के जन्म से लेकर भरण तक का सारा लेला जोला लडकी वानी से वसूलने को कम्बिद्ध रहते हैं। कई बार कुछ घनी एव समय लोग अपनी कुरूप, अशिक्षित या अन्य प्रकार से दूषित कन्याओं के लिए ऊँची से ऊँची बोली देकर बर खरीदते भी देखे जाते हैं। भ्रष्टी और धोषी सामाजिक प्रतिष्ठा का मोह भी नव घनाढ्य वग के विवाह पर अधिक दहेज के प्रदर्शन को बाध्य करता है। वस्तुतः आज जो इस कुप्रथा ने इतना मारक रूप धारण कर लिया है, नव घनाढ्य वग की घन लिप्सा इसका एक बहुत बड़ा कारण है। उनके प्रदर्शन का प्रभाव समाज के अग्र वर्गों पर भी पड़ता है। यह भी एक दुःखद स्थिति है कि जो नेता दहेज के खिलाफ भाषण देते हैं सादगी अपनाते हैं बात कहते हैं, जो सरकार दहेज विरोधी कानून बनाती है, वही सब और उसी के मंत्री और

उच्च धनसंवर ववाहिक प्रदशानो, तमाशो के धनसंवरों पर स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा तो बढ़ाते ही हैं, इस प्रकार वे अनैतिक, असामाजिक गय करने वालो, काला बाजारियो को रक्षोप रूप से सरक्षण भी देते हैं। ऐसे समाचार प्रवसर पढ़ने को मिलते रहते हैं कि प्रमुक्त नेता या मंत्री ने धनसंवर लडके-लडकी के विवाह पर लाख दस लाख नहीं, करोड़ दो करोड़ रुपया खच किया। हजारो की दावत की गई। इस रूप में जब रक्षक ही भक्षक बन रहे हो तो इस कुप्रथा का अन्त सम्भव हो ही कैसे सकता है।

सारा समाज दहेज की कुप्रथा से पीडित है, विन्तित है, इससे छुटकारा भी चाहता है। कानून भी बनते हैं, सामाजिक दबाव भी है, फिर भी यह प्रथा फलती फूलती जा रही है, समाप्त नहीं हो पा रही—क्यों? क्या उपाय है इस अभिशाप में मुक्त होने का? कोई इसका उपाय अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने को बताता है कोई प्रेम विवाह की चर्चा करता है और कोई दण्डात्मक कठोर कानून बनाने का। ये सभी बातें एक सीमा तक ही ठीक हैं। क्या गारण्टी है कि अन्तर्जातीय प्रेम विवाह के लिए तैयार होने वालो क दहेज-लोभी माँ-बाप उस स्थिति में भी दहेज-सम्बन्धी सौदेबाजी नहीं करेंगे? या फिर समाज भी उसे स्वीकार कर ही लेगा? कानून उन्ही का साथ देगा न कि धन-बल से कानून को धज्जियाँ उड़ाने में समर्थ लोग का? हमारे विचार में पुरानी पीढी के दकियानूसी लोग किसी भी बात से डरने या पसीजने वाले नहीं। फिर सभी युवक-युवतियो को प्रेम-सम्बन्ध और इस प्रकार के विवाहा के लिए बातावरण भी सुलभ सम्भव नहीं। ऐसी स्थिति में मात्र एक उपाय ही इस सबगंधी दहेज की कुप्रथा के विरुद्ध कारगर हो सकता है। वह है युवको का विद्रोह। युवक-युवतियाँ दोनों ऐसे परिवारो में विवाह करने से साफ-स्पष्ट और अन्तरिक दबता से इन्कार कर दें जहाँ किसी भी रूप में दहेज दिया लिया जाता हो। युवतियाँ से भी बढकर देश के जागरूक नवयुवको पर अधिक दायित्व जाता है। जिस दिन युवक अपने माता पिताओं से साफ कह देंगे कि वह दहेज लेकर पतई विवाह नहीं करेगा, उस दिन एक ही क्षण में समस्त दहेज विरोधियो की अक्ल ठिकाने लग जाएगी और एक ही दिन में इस कुप्रथा का अन्त हो जाएगा।

७८ भारत इक्कीसवीं सदी की ओर

विभिन्न देशों में काल गणना के विभिन्न आधार हैं। भारत में काल गणना के आधार हैं—शक सवत्, विक्रमी सवत्, हिजरी सवत् और ईस्वी सन्। ईस्वी सन् भारत का नहीं विश्व भर में काल गणना का सर्वप्रमुख आधार है। अतः जब हम 21 वीं सदी में प्रवेश की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय है ईसा के जन्म के 2000 वर्ष बाद का समय अर्थात् आज से लगभग 12 वर्ष बाद का समय।

आजकल हमारे देश में 21 वीं सदी में प्रवेश की बहुत चर्चा है। जब से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 21 वीं सदी की चर्चा शुरू की है तब से वह विद्वानों, अज्ञानियों देश के कण्ठों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। श्री राजीव गांधी के इस विचार के पीछे उनका राजनैतिक चिन्तन भी हो सकता है, धार्मिक और भौतिकी नीतियां भी हो सकती हैं, भविष्य के सुनहरे सपने और उन्हें पूरा करने की दिशा में प्रयत्नों की बात भी हो सकती है और भारतीय जनता में क्रान्तिकारी प्रगति के लिए उत्साह, उमंग और लगन पैदा करने की भावना भी हो सकती है।

भाव कुछ भी हो, सत्य यह है कि यह प्रगति की चाल तेज करना चाहते हैं उन बधनों को तोड़ना और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं जिनके कारण प्रगति कछुए की चाल से चल रही है, उन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो सुरक्षा की तरह मुह बाये खड़ी हैं और योजना बनाने वाले से उनका आग्रह है कि वे इस प्रकार समयबद्ध योजनाएं बनाएं जो केवल कागज पर न रहकर कार्यान्वित हो सकें जिनका फल गरीब से गरीब तक पहुंचे और फलस्वरूप निकट भविष्य में भारत विश्व में विकसित देशों की बराबरी करने लगे।

स्पष्ट है कि हम उन समस्याओं पर विचार करें उन बाधाओं को पहचानें, उन कारणों से अवगत हों जो हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक हैं या जिनके कारण प्रगति की गति धीमी है।

आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। इस क्षेत्र में जो प्रगति करेगी, वही विश्व मंच पर सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकेगी। भारत के पास

प्राकृतिक समाधान तो पर्याप्त हैं पर उनका पता लगाने और फिर उनका उपयोग करने के लिए जो साधन चाहिए, जितने और जिस कोटि के वैज्ञानिक चाहिए, जिस प्रकार की प्रयोगशालाएँ और सयंत्र चाहिए वे नहीं हैं। सीमित साधनों के होते हुए भी हमने विश्व में अपनी पहचान बनायी तो है। हम अन्तर्िक्ष युग में प्रवेश कर चुके हैं। राकेश गर्मा ने भारतीय अंतरिक्ष पुत्र के रूप में अपनी पहचान बना ली है, रोहिणी आदि उपग्रह भी आकाश में चक्कर लगा रहे हैं, अणु उपग्रहों में भी हमें जलवायु, भूमि के गम में छिपे खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में समय समय पर सूचनाएँ प्राप्त होती रहती हैं। अणुशक्ति के क्षेत्र में हमने पोखरण में अणु विस्फोट करके कई वर्ष पहले यह प्रमाणित कर दिया कि हम अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों की दिशा में काफी आगे बढ़ आये हैं। देश में पहल में ही आणविक ऊर्जा का सयंत्र काम कर रहे हैं, कुछ और ताप बिजली घर बनाने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है। अतः भारत की गणना विश्व की आणविक शक्ति सम्पन्न देशों में होने लगी है। भारत ने कम्प्यूटर युग में भी प्रवेश कर लिया है। बकों, विक्रित्ता के क्षेत्र कार्यालयों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों में सयंत्र कम्प्यूटर का प्रयोग हो रहा है और उसके लाभ प्रत्यक्ष दिख ई पड़ रहे हैं।

औद्योगीकरण, यातायात परिवहन आदि के क्षेत्रों में द्रुत गति से विकास के कारण ऊर्जा का महत्त्व स्वयं स्पष्ट है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं—कोयला, बिजली पेट्रोल, डायल, मिट्टी का तेल गैस, बायो गैस और सूर्य। बिजली का प्रकार है—ताप बिजली आणविक बिजली पन बिजली और सौर बिजली। भारत में सर्वाधिक बिजली ताप विद्युत गृहों (थर्मल पावर स्टेशनों) से प्राप्त होती है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के विकास का कार्यक्रम भारत में 1900 ई० में आरम्भ हुआ था। भारत में पहले पनबिजली ही अस्तित्व में आई। पहला पन बिजली स्टेशन गिरमगुड में स्थापित किया गया। तब से विशेषतः स्वतंत्रता के बाद से ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विकास कर दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। 1947 तक ऊर्जा की उत्पादन-क्षमता केवल 1५ लाख किलोवाट थी आज वह 466 लाख किलोवाट है। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने दो निगम स्थापित किये—नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन तथा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन इनसे भी पूर्व दामादर घाटी निगम की स्थापना की गयी

थी। इधर की ओर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना हुई है। ये चारों निगम अधिकाधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की दिशा में सतत कार्य कर रहे हैं। पेट्रोल, मट्टी का तेल, गैस आदि का उत्पाद बढ़ाने के लिए प्राइम एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना 1956 ई० में की गयी जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण भारत में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए नेवेली लिग्नाइट निगम स्थापित किया गया। दूसरा ताप संचय करने के बाद उसकी क्षमता 600 मगावाट से 2 00 मगावाट हो जायेगी। जो एन जो सी ने देश के अनेक भागों में अनुसंधान संस्थान खोले हैं और प्राणा है उनमें किय गये कार्य से इस दिशा में और प्रगति होगी। बिजली के वितरण के लिए पिछले तीन दशकों में बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन लाइनों का विस्तार किया गया है। जहाँ 1950 में वह 10,000 (सर्किट) किलोमीटर था, 1980 में वह 1 15,000 कि मी हो गया है इसी प्रकार तेल पेट्रोल और गैस पहुँचाने के लिए पाइप-लाइनों का जाल बिछाया गया है जिनमें प्रमुख हैं (क) कोयला से महमदाबाद तक (ख) नहोरकटिया से मोहाटी और बरौनी तक (ग) बरौनी से कानपुर तक तथा, (घ) सलाया से बरियवाव होती हुई मयूरा तक कच्चे तेल के उत्पाद में वृद्धि हान के साथ साथ प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी बढ़ा है। अब वह प्रति वर्ष 450 करोड़ ब्यूबिक मीटर से अधिक पहुँच गया है। अनेक तेल शोधक कारखाने खोलने, समुद्र तट से तेल निकाले जाने के कारण भी तेल और गैस की मात्रा बढ़ी है। छठी योजना के पहले वर्ष में कच्चे तेल का उत्पादन 1 करोड़ टन था, उसके पाचवें वर्ष के अंत में वह तिगुना हो गया है। इस वर्ष सबसे अधिक तेल उत्पादन का श्रेय कोयला तेल शोधक कारखाने को है।

कोयला खानों में उत्पादन बढ़ाने तथा कोयला मजदूरों की सुरक्षा के लिए विविध प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत कोयला खान जिसको अधुनातन-उपकरणों और मशीनों से सुसज्जित किया गया है वह है मुनिदहि कोयला खान। 1774 ई० से जब कोयला खानों से कोयला निकालने का काम शुरू हुआ, तब से आज कोयले का उत्पादन कई सौ गुना बढ़ गया है।

ऊर्जा के मधीनतम प्रकार हैं बायो गैस तथा सौर ऊर्जा। बायो गैस गाँवों के लिए बड़ी उपयोगी है क्योंकि पशु-पालन से जो गोबर प्राप्त होता है उसका ही लाभकर उपयोग किया जाता है। उससे आसानी से खाना पकाया

जाता है। चरों और सड़कों पर बिजली का प्रकाश होता है, उससे बढ़िया खाद मिलता है। सौर ऊर्जा भारत के लिए वरदान सिद्ध होगी क्योंकि देश के दक्षिणी भागों में और वष के ४ महीने सूर्य यहाँ खूब चमकता है। हाँ, इस दिशा में अनुसंधान कर उसे सस्ती बनाने की आवश्यकता है और यदि यह कार्य हो गया तो निश्चय ही हम 21 शताब्दी में पहुँच जाएँगे।

देश के उद्योग उसकी आर्थिक भवस्या की रीढ़ होते हैं। आधुनिक युग में जिस देश के उद्योग जितने अधिक उन्नत होंगे, उनका उत्पादन जितना अधिक होगा उतनी ही उनका वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और उसके कारण विप्लव में उनका उतना ही अधिक बचस्व होगा। भारत में औद्योगीकरण का शुभारम्भ अंग्रेजों के आगमन के बाद हुआ। यहाँ सबसे पहले सन् 1818 में बड़े पैमाने पर सूती कच्चा मिल खोली गयी और 1859 में कलकत्ते के पास जूट मिल स्थापित की गयी। जो भारत पहले सुई तक विदेशों से आयात करता था अब तरह-तरह की चीजों का स्वयं निर्माण करता है, कुछ का निर्यात भी पञ्चवर्षीय योजनाओं में विदेशों की सहायता से भारी उद्योग स्थापित करने के बाद से देश द्रुत गति से औद्योगिक विकास के पथ पर चल रहा है। उद्योगों के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है लोहा और इस्पात। प० जवाहरलाल नेहरू ने यही सोचकर सबसे पहले इन्हीं के उत्पादन पर बल दिया। यद्यपि हम क्षेत्र में पहला कारखाना 1870 ई० में कुस्ती में खोला गया था पर वस्तुतः बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात का उत्पादन पहले टाटा कम्पनी ने और स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहायता से स्थापित भिलाई, इककेला, दुर्गापुर, भद्रावती, बनेपुर की फैक्ट्रियों के चलने से हुआ। लोहा-इस्पात के उत्पादन, वस्त्र आदि का कार्य स्टील अथिरेटी आफ इंडिया देसती है जिसकी पूँजी 4000 करोड़ रुपये से अधिक है, यद्यपि इस समय राष्ट्रीय कुत्र मिलें घाट पर चल रही हैं पर बीघ्र ही स्थिति सुधर जायेगी। चौथी पञ्चवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में तीन इस्पात सयन कार्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा उमिसनाड में लगाये गये। चौथी स्थिति हैवी इन्डियन कॉर्पोरेशन लोहे और इस्पात की विभिन्न भारी मशीनें और सयन बना रहा है जिनमें बिजली के उपकरण रेल के डिब्बे, जहाज, मछली पकड़न की नौकाएँ मुख्य हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में देश ने पर्याप्त प्रगति की है और इसके आचार पर ही देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने का स्वप्न साकार कर सकेगा।

क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए अब रासायनिक खाद अनिवार्य है। इस दिशा में भी 1951 में बिहार में तिमरी में पहला सार्वजनिक क्षेत्र में कोला गया कारखाना तो कार्य कर ही रहा है अन्य स्थानों पर भी कारखाने खोले गये हैं जिसके फलस्वरूप घाज नाइट्रोजन जो रासायनिक खाद बनाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, का उत्पादन 19 1-52 में 80,000 टन से बढ़कर 67 लाख टन से अधिक हो गया है। सीमेंट का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट कारपोरेशन की देख-रेख में हो रहा है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी प्रदेशों में उसने सीमेंट फैक्ट्री खोली हैं और उनका उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ रहा है।

घास पेट्रो-रसायन उद्योग का महत्व भी कम नहीं है क्योंकि उनमें निमित्त वस्तुएँ प्लास्टिक घादि परम्परागत काम में लायी जाने वाली वस्तुओं—मकड़ी धातुओं शीशा घादि का स्थानाग्न होती जा रही हैं। प्लास्टिक के प्रयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। उनके घनगिनत साम और प्रयोग के लीके हैं। 1978 में इंडियन पेट्रो कैंमिकल्स निमितेड की स्थापना के बाद से इस उद्योग ने पर्याप्त विकास किया है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए जिस प्रकार रासायनिक खाद उपयोगी है उभी उकार कीट-नाशक दवाइयाँ भी क्योंकि फसल में लगी विभिन्न बीमारियों से उपज कम होती है और उन बीम रियों का कारण होते हैं विभिन्न प्रकार के कीड़े। कीट-नाशक दवाइयों के प्रयोग से मजबूत रहते ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है उपज को कम होने से बचाया जा सकता है। हिंदुस्तान इन्डस्ट्रीस इन्ड निमितेड ने, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, डी डी टी मैनाथियों, बी एच पी घादि का उत्पादन कर किसानों की सहायता कर रहा है।

स्टेनलेस स्टील का उपयोग उद्योगों तथा बड़े जीवन दोनों में होता है। उनके प्रयोग से सुख-सुविधाएँ बढ़ती हैं और वातावरण अधिक स्वच्छ हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित सलेम ग्टीन संयंत्र इस दिशा में उपयोगी काम कर रहा है—स्टेनलेस स्टील की बन्दरें तथा तार दोनों का उत्पादन बढ़ रहा है। इसी प्रकार चीनी उद्योग में धनूतपूर्व विकास हुआ है स्वतंत्रता के बाद से तीन प्रकार की चीनी मिलें चीनी के उत्पादन में सहयोग

दे रही हैं - सहयोगी क्षेत्र की कम्पनियाँ निजी क्षेत्र की मिलें तथा सावजनिक क्षेत्र की मिलें। इन सबमें पुरानी मशीनों और तकनीक के स्थान पर नयी मशीनें लगाकर तथा नयी तकनीक का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हो रहा है।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देश में पिछले 40-41 वर्षों में अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति तो की है और वह अधिकसित देश से विकासशील देश बन गया है। हमारा स्वप्न है कि वह 21वीं सदी में प्रवेश करते समय विकसित देशों की श्रेणी में आ जाय पर यह स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब देश में शान्ति रहे, राजनीतिक स्थिरता हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो जिसके कारण योजनाएँ धूम्र रह जाती हैं या काय निरामाजनक होता है (भवन बनते ही दरारों के कारण निवास-योग्य नहीं रहते पुन दो चार वर्ष बाद टूटने लगते हैं, सबके केवल कागज पर बनती हैं या बनकर शीघ्र ही टूट जाती हैं), धन राशि योजना पर खर्च हो, प्रबन्ध, कार्यालयीय कायवाही आदि पर कम से कम खर्च किया जाय और सबसे बड़ी बाधा है जनसंख्या विस्फोट। 1981 में देश की जनसंख्या 70 करोड़ थी। यदि जनसंख्या इसी अनुपात से बढ़ती रही तो वर्ष 2000 ई० में वह 105 करोड़ हो जायगी। अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में देश में क्या होगा—भुखमरी, बेरोजगारी, सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव और उससे उत्पन्न असन्तोष के कारण अराजकता अव्यवस्था हिंसा और रक्तपात। वह 21वीं शताब्दी का सुनहरा दिन न होकर, प्राचीन बर्बरता की ओर लौटने की बेला होगी। भगवान रक्षा करे।



७६ पंजाब समस्या और आतंकवाद

भारत की सुरक्षा और एकता की दृष्टि से पंजाब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से वह आकांक्षाओं के लिए भारत का प्रवेशद्वार है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से वह भारत का अनाज भंडार कहलाता है। घट भावश्यक है कि वहाँ शान्ति और सुव्यवस्था बनी रहे, प्राथमिक और औद्योगिक प्रगति की नीति सुचारु रहे। कुछ समय पूर्व तक पंजाब एक धरमन्त समृद्ध, सम्यन् और प्रगतिशील प्रदेश था। वहाँ पूरा भाईचारा सोहाद और शान्ति पूर्ण बानावरण था। स्वतंत्रता और देश विभाजन क समय जब हजारों-लाकों की सख्या में पाकिस्तान के मुसलमानों द्वारा संवस्त हिन्दू सिक्ख शरणार्थी यहाँ आये तो समान रूप से पीडित, सताये गये और अभावग्रस्त दोनों जातियों के लोगों के बीच मित्रता और सहयोग के भाव होना स्वाभाविक था। जैसे भी दोनों के रीति रिवाज, रहन सहन रीतिहार, खान-पान, वेशभूषा सस्ति एक रही है। धार्मिक क्षेत्र में भी दोनों में बहुत समानता है। निक्खों के धर्मग्रन्थ 'गुरुग्रन्थ माहल में अनेक हिन्दू सन्तों की वाणी सकलित है।

आतंकवाद धर्मगायबाद से जुडा है और पंजाब में अलगवाद की प्रवृत्ति के विष-बीज बोने का दायित्व अंग्रेज शासन पर है। ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो और राज करो की कूटनीति अपनाते हुए हिन्दुओं और सिक्कों में बहुत पहले फूट डालने का प्रयत्न किया था। कभी केसधारी हिन्दुओं को सहवधारी हिन्दुओं से अलग करने की चेष्टा की गयी कभी सेना में एक अलग रेजिमेंट 'निक्ख रेजिमेंट' की स्थापना की गयी, भाई कान्हू सिंह जैसे लोगों से 'हम हिन्दू नहीं हैं' जैसी पुस्तकें लिखव कर दोनों जातियों क बीच अलग-अलग करने का प्रयास किया, विष समा जैसे स चात्रों ने विष बचन कर हिन्दुओं के मन में अमनस्य जगाया। तब और रीतिहार मन में की मित्र पद्धति, विवाह-सहति, धानग्र भंडित एक जैसे का रों डाग यह अमनस्य बढ़ावा गया। गुरुद्वारों से हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हटायी गयीं। इन प्रकार ब्रिटिश शासन काल में दोनों का अलग करने के अनेक प्रयत्न किये गये पर बहुत सफल नहीं हुए। स्वतंत्रता के समय दोनों का रहन एक साथ बहा एक दूसरे के और अधिक निकट आ गयी।

1983 से पूर्व वहाँ राजनीतिक सुन्मिरता थी, चाहे झेंकाली दल सत्ता में रहा हो चाहे कांग्रेस, चाहे मिली जुली सरकार बनी हो पञ्जाब शांत था, प्रगति के मार्ग पर चल रहा था, विभिन्न वर्गों के बीच सोमनस्य था। 1983 के बाद वहाँ की राजनीति में मोड़ आया। स्थिति बिगड़ने के कारण तो कई थे परन्तु मुख्य कारण थे—(क) झकानी दल में फूट और उपवादियों का बढ़ता प्रभाव; (ख) कांग्रेस की सत्ता हथियाने की नीति और एक गुट को दूसरे गुट से भिड़ाने की नीति, (ग) हरियाणा और पंचाब के बीच चंडीगढ़, हिन्दी भाषी क्षेत्रों—झबोहर और फारुका आदि को लेकर विवाद, जल-बंटवारा आदि। पञ्जाबी और हिन्दी का संघर्ष तथा गुरुमुखी लिपि भी समस्या को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रही।

झकाली दल में फूट भी पञ्जाब समस्या के समाधान में बाधा रही है। सत्ता के सोभी नेता अपना बचस्व बनाए रखने के लिए दोनों दलों में मेल नहीं होने देते और भारत सरकार के लिए कर्तनाई होती है कि वह किस दल को मित्रों का प्रवक्ता माने और किससे बातचीत कर समझौते का मार्ग खोजे। नरम पन्थी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो जाय तो उनके नेतृत्व में सरकार बने, उपवादी अपनी शर्तें मनवाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं के कारण मानन्द साहव प्रस्ताव पारित हुआ जिसे भारत सरकार राष्ट्र विरोधी मानती है। कालान्तर में खालिस्तान का नारा लगाया गया और खालिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा।

अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर सिक्खों का पावन पूजा स्थल और तीर्थ स्थान है। सभी वहाँ पूजा अर्चना अर्पण करने मत्था टेकने और पवित्र सरोवर में स्नान करने का पुण्य स्रूटने जाते हैं। परन्तु भ्रष्ट राजनीतियों और उप-आतंकवादियों ने उसे मन्दिर की जगह अर्पणार्थियों हत्यारों और नृशत क्रूर काय करने वालों के लिए सुरक्षित गढ़ और अस्त्रागार बना दिया। अन्य गुरु-द्वारों में भी यही स्थिति पैदा कर दी गयी। वे अर्पणार्थियों के शरण स्थल बन गये, हत्यारे हत्या करने या डाका डाने के बाद वहाँ शरण पाते और पुनः अवनत मिलने पर जखम कार्य करने निकल पड़ते। इस स्थिति को कब तक सहन किया जा सकता था। जब पानी गले से ऊपर चढ़ने लगा तो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1984 में आदेश देकर स्टार का आदेश दिया। इस अभियान ने सिद्ध कर दिया कि पूजा-स्थल को

सुपुर्द किला बना दिया गया था, मुद्द के लिए पूरी तैयारियाँ की गयी थीं और उसके कमरे तथा तहखाने अष्टाधार के बड़े बन गए थे। और, अभियान सफल हुआ, मिठरवाले और उसके साथी मौत के घाट उतार दिये गये और लगा कि अब घातकवाद का सिर कुचल दिया गया है, अब भविष्य में घातकवादी गतिविधियाँ न होंगी।

परन्तु हम भाषा पर शोध ही तूयारपात हो गया। अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री के रक्षकों ने ही उनकी उनके निवास स्थान पर नृशंस हत्या कर दी। इसकी प्रतिक्रिया में क्रोध और प्रतिहिंसा की आग में जलते विवेकहीन हिंदुओं ने दिल्ली कानपुर आदि विभिन्न स्थलों पर सिक्खों की निमम हरया की उनकी सम्पत्त को सूटा और जो भीषण घटनाएँ घटीं उहोंने पुन एक बार विभाजन के समय का सौनहूर्क दृश्य उपस्थित कर दिया। इससे अलगाववाद और बढ़ा। देश के विभिन्न भागों से विस्थापित सिक्ख जब पञ्जाब पहुँचे और उहोंने अपनी दारुण दृष्ट-कथा सुनाई तो स्थिति और बिगड़ गई, प्रतिहिंसा की आग और भड़की।

वर्तमान प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सत्ता सम्हालने के तुरन्त बाद इस समस्या को सुचक्षात्रि के प्रयास किये जिसके परिणामस्वरूप श्री हरिचन्द्र लोंगे वान के साथ समझौता हुआ और लगा कि गतिरोध समाप्त हो गया है, पञ्जाब में पुन शान्ति लौटेगी इस समझौते में निश्चय किया गया कि खड़ीगढ़ पञ्जाब को दिया जायगा, पञ्जाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दिए जाएंगे। अ नदपुर साहिब प्रस्ताव सरकारिया प्रायोग को विचारार्थ सुपुर्द कर दिया जायगा और पञ्जाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों का निर्धारण गांव को इकाई मानकर भाषा के आधार पर किया जाएगा। जल के बटवारे का समाधान भी एक यायाधिकरण करेगा।

मई 1987 में राष्ट्रगति पासन स्थपित होने के बाद भी घातकवाद कम नहीं हुआ। सरकार ने कड़े उपाय अपनाए, अनेक घातकवादी गिरफ्तार किये गये कुछ मारे भी गये पर निरपराध लोगों की हत्याये जारी रहीं, बसों को रोककर हिंदुओं को चुन चुन कर गोली का शिकार बनाया गया, डाले पडते रहे और स्वर्णमंदिर पर पुन घातकवादियों का अधिकार हो गया। जब स्थिति भयावह हो उठी तो पुन आन्दोलन ब्लू स्टार की आधुति 9 मई 1988 को आपरेशन ब्लैक पडर' के रूप में हुई। दस दिन की घेराबन्दी

के बाद 18 मई को स्वर्ण मंदिर परिसर में रहने वाले सभी आतङ्कवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दो आतङ्कवादियों ने आत्म हत्या कर ली। सुरक्षा दलों ने ऐसी कुशलता, धैर्य और सूझ बूझ से काम लिया कि हताहतों की संख्या बहुत कम रही। ब्लू स्टार की तुलना में ब्लैक पट्टर आपरेशन अधिक सफल रहा। -

ऐसा लगता है कि पञ्जाब की समस्या शक्ति प्रयोग, प्रतिहिंसा और दमन से हल नहीं हो सकती। उसको रोकने के माध्यम में बाधक कठिनाइयों पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि मुख्य बाधाएँ हैं—। सिक्ख समाज, काँग्रेस कुछ भी हो खूबकर आतङ्कवाद का विरोध नहीं कर रहा है। 2 एकाली दल में फट है और एक बग की सहानुभूति 'निश्चित रूप से आतङ्कवादियों के साथ है। अनेक नेता, पदाधिकारी, पुलिस-कर्मियों आतङ्कवाद का लुके छिपे और कभी खुले घाम जैम आतङ्कवादी के मरने के बाद उसके योग में सम्मिलित होकर उसका समर्थन करते हैं। गुरुद्वारों में खलिस्तान के मारे लगाना, खालिस्तानी झंडे को लहराना, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना या सविधान की प्रतिष्ठा जलाना और क्या है! 3 एकाली दल में कोई ऐसा मकसद सन स्वभाव वाला नेता नहीं है जिसका सिक्खों के सभी वर्गों पर प्रभाव हो और जिसके साथ आतङ्कित कर समझौता हो सके। 4 आतङ्कवदी यवक हत्या को घोरता समझते हैं और धूम धमकाने सड़ते सड़ते मरने को बलिदान मानते हैं। ऐसी मानसिकता में गृह युद्ध ही पनपता है। फिर भी हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या स्पष्ट नहीं होती, एक न एक दिन अवश्य सुलझनी है। अतः धैर्य रखकर निम्नलिखित उपाय किये जायें तो देर सवेर यह प्रश्न भी हल हो जायगा—

1 घम को राजनीति से न जोड़ा जाय, धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक स्वार्थों के लिए न भड़काया जाय। धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग न हो।

2 क्षेत्रीयता और संघीयता की भावना से ऊपर उठकर देश को एक और प्रखण्ड मानकर काम करने की भावना में ही सिक्खों का हित है, यह बात उनका दिमाग में बैठायी जाय।

3 सिक्ख विगत को भूलकर भविष्य निर्माण की ओर ध्यान दें।

4 आतङ्कवादियों का समझाया जाय कि पाकिस्तान सदा भी और सिक्खों का शत्रु रहा है। उसके हाथों में खेमना भयंकर

क्योंकि वह ध्वंसर मिलते ही पुन मिक्खों को सतायेगा। इस समय केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए, उसे दुबल और अस्थिर बनाने के लिए वह सिक्खों के प्रति खोखली मंत्रा दिखा रहा है।

5 अधिकांश युवक आतंकवाद के माग पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वे बेरोजगार हैं करने को उनके पास कुछ नहीं है और आतंकवादी बनने पर उन्हें पैसा मिलता है। इसे रोकने के लिए पंजाब में नए उद्योग, नई योजनाएँ आरम्भ की जायें।

6 चुनाव कराये जायें और जो भी दल जीते, उसे सत्ता सौंपकर भ्रम और अविश्वास का वातावरण दूर किया जाय।

आज की विस्फोटक स्थिति में घाशा की विलक्षण यही है कि पंजाब का सामान्य जनसमूह इन बातों को धीरे धीरे ममक रहा है उसमें सह अस्थिर का भाव और आतंकवाद के प्रति घृणा भावेश की भावना जाग रही है। गाँवों में आज भी दोनों वर्गों के लोग मित्रता भाईचारे और सहयोग की भावना से साथ साथ रह रहे हैं। भत यदि विवेक, दूरदर्शिता और धैर्य से काम लिया गया तो पंजाब की समस्या सुलक्षणी और उसके साथ ही वहाँ आतंकवाद समाप्त हो जायगा।

भरसक प्रयत्नों के बाद भी जब स्थिति नहीं सुधरी तो 11 मई 1988 से पुन 6 मास के लिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन बढा दिया गया। मई 26-27 1988 को राष्ट्रपति ने दो प्रख्यात ज्वारी क्रिये विमके अधीन धार्मिक स्थलों के गलत उपयोग और गैरकानूनी हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया भारत के प्रति घृणा फैलाने और खानिस्तान के समयन में प्रचार करते रहते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में बसने वाले समान सिक्खों के मन इतने विह्वल और विषाक्त कर दिये गए हैं कि वहाँ भी खानिस्तान के समयन में विभिन्न संगठन बन गये हैं और वे सुबे छिपे भारत स्थित आतंकवादियों का समयन ही नहीं करते उन्हें धार्मिक सहायता भी देते हैं अल्प गस्त्रों से सुमज्जित भी करते रहते हैं। कनिष्क विमन दुर्घटना यदि बबता का अतय उदाहरण है तो मनकाना साहेब में सिक्खों का विश्व सम्मेलन और वहाँ दिये गये भाषण तथा अय भइवाने वाली काययाही अंतर्राष्ट्रीय वध्यन

की घोर संकेत करती हैं। हिन्दू सिकखों के बीच खाई उत्पन्न करने का पाकिस्तान का षड्यन्त्र स्पष्ट है। तस्करों द्वारा आतंकवादियों को हथियार भेजने के कई प्रमाण मिल चुके हैं। सिकख वेप में पाकिस्तानी घुमपैठियों के सीमा पर पकड़े जाने तथा पाकिस्तानी हथियारों के पकड़े जाने से स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को सहायता देकर भारत में भ्रष्टाचार फैला करना चाहता है।

८० देवनागरी लिपि के गुण-दोष

लिपि का अर्थ होता है मापा जो लिखने का ढंग और उसकी ध्वनियों का अक्षर-वर्णात्मक स्वरूप। भारत में इस समय की राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी घोषित हो चुकी है और संविधान लागू करते समय यह घोषणा की गई थी कि पंद्रह वर्ष के परचातु राज्य भाषा अंग्रेजी का स्थान पूरी तरह हिन्दी ले लेगी। परन्तु जिस प्रकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित कराते समय अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हुई थीं, उसी प्रकार अब उक्त अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित कराने में भी अनेक बाधाएँ सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत की ओर से यह भाँग की जा रही है कि अंग्रेजी को ही और देर तक जारी रखा जाए। देश का अंग्रेजी शिक्षण-वर्ग भी इसलिए अंग्रेजी को राज्य-भाषा बनाये रखने के पक्ष में है, क्योंकि हिन्दी के राज्यभाषा वा जाने पर उस वर्ग को कुछ-न-कुछ असुविधा अवश्य होगी। अतः राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में हिन्दी-देवनागरी दोनों पीछे बढ़ेंगे ही नहीं हैं।

हिन्दी के साथ ही अंग्रेजी के रूप में देवनागरी लिपि का प्रचलन भी हुआ है क्योंकि हिन्दी देवनागरी लिपि में ही लिखा जाती है। देवनागरी लिपि के चुनाव का विवाद आगे बढ़ा था, उस समय भारत की संसद में देवनागरी लिपि बनाने का प्रश्न भी उठा था। पर यद्यपि फारसी लिपि बनाने का प्रश्न अभी सम्प्राप्ता में नहीं आया।

मे केवल एक ही सुविधा है कि वह अपेक्षाकृत क्षीणता से लिखी जा सकती है। परन्तु इस विक्षेपता के साथ साथ उसमें दोष इतने अधिक हैं कि उसे राज्य-लिपि स्वीकार करना किसी तरह सम्भव नहीं था, विशेष रूप से तब जबकि राजभाषा सस्कृतनिष्ठ हिंदी स्वीकार की गई थी। हिन्दी के समुक्त अक्षरों और सरसृत के शब्दों को फारसी लिपि में लिख पाना असम्भव ही है, क्योंकि फारसी लिपि में समुक्त अक्षरों को शुद्ध रूप से लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार मात्राभा का दोष भी फारसी लिपि में बहुत अधिक है। मात्राएँ अपर्याप्त और अनिश्चित हैं। परिणामतः फारसी में लिखे हुए एक ही शब्द को अनेक रूपों में पढ़ा जा सकता है।

इसके प्रतिरिक्त फारसी लिपि में एक ही ध्वनि के लिए कई वणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे 'स' के लिए 'सीन', 'स्वाद' और 'से' का, या 'त' के लिए 'तोय' और 'ते' का। इस प्रकार एक और वण पर्याप्त नहीं और दूसरी ओर अनावश्यक वण इस लिपि में भरे हुए हैं। इसलिए फारसी लिपि तो सक्षिप्त विचार के परचात ही राज्य-लिपि होने के अयोग्य समझी गई। सम्भवतः फारसी भाषा को लिखने के लिए यह लिपि काम चलाऊ सिद्ध भी हो सके, किन्तु सस्कृतनिष्ठ हिन्दी लिखने के लिए या अन्य भाषाओं-बोलियों के शब्द रूप लिखने के लिये यह लिपि एकदम अनुपयुक्त है।

इसके बाद देवनागरी और रोमन लिपि में से एक चुनाव का प्रश्न शेष रहा। रोमन लिपि के पक्ष में सबसे बड़ी युक्ति यह थी कि यह अन्तर्राष्ट्रीय लिपि है जिसका पश्चिम जगत के अनेक देशों में प्रयोग किया जाता है। रोमन लिपि को अपनाने में कई कठिनाइयाँ थीं। सबसे पहली बात तो यह है कि रोमन लिपि भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है, जितनी देवनागरी लिपि न केवल उत्तर भारत की पंजाबी, हिन्दी, बंगला, मराठी और गुजराती आदि भाषाओं की, अपितु दक्षिण भारत की भाषाओं की भी वणमाला एक जैसा ही है। यह वणमाला सस्कृत भाषा पर आधारित है। सस्कृत देश की सब भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम है। सस्कृत भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, इसीलिए देश की सभी भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी और उपयुक्त माध्यम है।

रोमन लिपि को यद्यपि पश्चिमी विद्वान वैज्ञानिक मानते हैं परन्तु वस्तुतः रोमन लिपि अत्यंत अज्ञानिक है। वैज्ञानिक लिपि में यह गुण होना चाहिए कि उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक संकेत हो। साथ ही एक ही संकेत से एक ही ध्वनि का ज्ञान होता हो। रोमन लिपि में यह गुण नहीं है। वहाँ कुछ

ध्वनिया के लिये तो सबेते ही नहीं हैं, जैसे 'च' के लिये कोई एक सबेते नहीं है 'सी' और 'एच' को मिलाकर लिखना पडता है। दूसरी धारण ही लिपि-सकेत में अनेक ध्वनिया का ज्ञान होता है, जैसे 'सी' अक्षर का उच्चारण कहीं 'स' होता है और कहीं 'क'। इस प्रकार 'जी' अक्षर का उच्चारण कहीं 'ज' होता है और कहीं 'ग'।

रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के लिये दो सबेतों का प्रयोग भी होता है। जैसे 'ज' ध्वनि के लिए 'जी' और 'जे' इन दो अक्षरों का प्रयोग अलग अलग होता है। इसी प्रकार 'क' ध्वनि के लिए 'सी' और 'के' इन अक्षरों का अलग-अलग प्रयोग होता है। कहीं किस प्रकार का अक्षर प्रयोग किया जायगा, इस विषय में लिपि प्रमाण नहीं है अपितु व्यवहार ही प्रमाण है।

अंग्रेजी या रोमन लिपि के व्यंजना में तो यह गडबड है ही स्वरों में और भी अधिक गडबड है। अंग्रेजी स्वर में 'ए' का उच्चारण स्थान भेद में 'आ', 'ए', 'ऐ', होता है। जैसे 'पास्ट', 'मेट' और 'कैंट' में। इसी प्रकार 'यू' स्वर का उच्चारण कहीं 'उ', कहीं 'म', कहीं 'यू' और कहीं 'यो' होता है जैसे 'पुट', 'बट', 'मूल' और 'प्योर' में। इस तरह 'माये' का उच्चारण कहीं 'म', 'इ' और कहीं 'पाई' होता है, जैसे 'सर्ट', 'विड' और 'लाइव' में।

इस प्रकार की अव्यवस्थाएँ अनगिनत हैं। वस्तुतः रोमन लिपि में लिखित सबेतों को पढ़ने के लिये हमें व्यवहार और अभ्यास पर अधिक निर्भर रहना पडता है। लिपि में अपने आप कोई ऐसे सुनिश्चित नियम नहीं हैं जिनके आधार पर जो कुछ लिखा गया हो, उसे बिना किसी के बताये ज्या-का-त्यो सही सही पढा जा सके। देवनागरी लिपि में यह गुण विद्यमान है कि उसमें व्यंजनों और स्वरों की ध्वनियाँ इतनी नियत हैं कि जो कुछ लिखा जाता है, वही पढा जाता है और जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है।

रोमन लिपि की बणमाला में यह स्पष्ट होता है कि वीन सा वण किस ध्वनि का सूचक है। जैसे 'ऐफ' में दो ध्वनियाँ हैं। एक 'ऐ' की और दूसरी 'फ' की। बिना शिक्षक की सहायता के यह पता नहीं चल सकता कि 'ऐफ' वण 'ऐ' का सूचक है या 'फ' ध्वनि का। इसी तरह 'वी' वर्ण में भी दो अलग ध्वनियाँ हैं। 'ऐफ' में पिछली ध्वनि वण की असली ध्वनि है, जबकि 'वी' में पहली ध्वनि वण की वास्तविक ध्वनि है। परंतु 'एच' में 'ए' और 'च' ध्वनियाँ हैं जबकि वस्तुतः यह वण 'ह' ध्वनि का सूचक है। इसी तरह 'जी' में 'ग' या 'ज' ध्वनि का बिना ही नहीं है जिसे यह वण सूचित करता है।

इसके विपरीत देवनागरी की लिपि इस दृष्टि से अत्यन्त वैश्व-व्योक्ति उसमें सब व्यंजना का उच्चारण केवल 'अ' स्वर की सहाय

जाता है और यह स्वर प्रत्येक व्यंजन के अन्त में लगाया गया है। इसीलिए प्रत्येक वण की ध्वनि को पहचानने में किसी प्रकार का घपला नहीं होता।

रोमन वणमाला में और क्रम तो दूर रहा, स्वरो और व्यंजनों तक को पूयक् करके भी नहीं रखा गया। स्वर और व्यंजन बीच-बीच में एक दूसरे में फँसे हुए हैं, जबकि देवनागरी वर्णमाला में स्वर अलग सगृहीत हैं और व्यंजन अलग। इसके साथ ही मुख से पूयक् स्थानों में उच्चारित होने वाले व्यंजन पूयक् पूयक् सगृहीत हैं। कठ से बोले जाने वाले कवग के अक्षर पहले आते हैं फिर तालु से बोले जाने वाले चवर्ग फिर मूर्धन्य टवर्ग, फिर दन्त्य तवर्ग और ओष्ठ्य पवर्ग के अक्षर आते हैं। उनमें भी भल्प्राण और महाप्राण अक्षरों का क्रम निर्धारित है। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि रोमन लिपि की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक कही जा सकती है। अन्य कोई लिपि भी देवनागरी के समकक्ष नहीं ठहर पाती।

रोमन लिपि के समर्थकों का कथन है कि रोमन वणमाला में केवल २६ अक्षर हैं, जबकि देवनागरी में ४२ के लगभग अक्षर हो जाते हैं। इस दृष्टि से रोमन लिपि छपाई, टाइप और टेलीप्रिंटर मशीनों के लिये अधिक उपयोगी है। आजकल के वैज्ञानिक उन्नति के युग में इस विशेषता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अंग्रेजी का टाइप केस और टाइपराइटर हिन्दी के 'की' की अपेक्षा बहुत छोटा और सुविधाजनक होता है। इस युक्ति को जोरदार मानते हुए भी इसे ही भाषा का सबसे बड़ा गुण नहीं समझा जा सकता। यह ठीक है कि रोमन लिपि की वणमाला के केवल २६ अक्षर हैं, किन्तु इसका दोष यह है कि उसमें सब ध्वनियाँ अंकित नहीं की जा सकती। यदि कोई लिपि आवश्यक ध्वनियों को अंकित करने के लिए अनुपयुक्त है तो उसे पूण नहीं कहा जा सकता।

रोमन लिपि के समर्थकों का मत है कि प्रमाप (स्टैंडर्ड) रोमन लिपि में यह दोष नहीं है उसमें अक्षर के ऊपर और नीचे विभिन्न संकेत लगाकर सब ध्वनियों को व्यक्त किया जा सकता है। परन्तु प्रमाप रोमन लिपि के अक्षरों की संख्या देवनागरी से भी अधिक हो जाती है। रोमन लिपि अंग्रेजी और फ्रेंच इत्यादि भाषाओं को लिखने के लिये उपयुक्त हो सकती है किन्तु हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए नहीं। उदाहरण के लिए 'छप्पर' शब्द को लीजिए। देवनागरी लिपि में इसे चार अक्षरों द्वारा लिख दिया जाता है, किन्तु इसे लिखने के लिए रोमन लिपि में 'सी' 'एच' 'पी' 'पी' 'पी' 'ए' 'आर', इन सात अक्षरों का प्रयोग करना पड़ता है जो न तो टाइप मशीन की दृष्टि से सुविधाजनक हो सकता है और न छपाई की मशीन की दृष्टि से।

इससे स्पष्ट है कि रोमन लिपि भारतवर्ष की राज्य लिपि बनाने के लिए नितांत अनुपयुक्त है।

अब प्रश्न देवनागरी के गुण-दोषों का बाकी रह जाता है। देवनागरी के गुण हम बता ही चुके हैं कि यह अत्यन्त वैज्ञानिक लिपि है। इसमें एक ध्वनि के लिये एक ही संकेत है और किसी एक संकेत से दो ध्वनियों का ज्ञान नहीं होता। इसके कारण लिपि में सुनिश्चितता और सुस्पष्टता प्रा गई है। इसके साथ ही अक्षर देखने में सुन्दर है और उन्हें सरलता से धीघ्रतापूर्वक लिखा भी जा सकता है। एक और बड़ी बात यह है कि रोमन लिपि में छपाई के और लिखाई के अक्षर भिन्न भिन्न हैं, जबकि देवनागरी में छपाई और लिखाई दोनों की लिपि एक ही है।

भारत में प्रान्तीय भाषाओं की लिपियों में से देवनागरी को ही राज्य-लिपि होने का सबसे अधिक अधिकार है। एक तो इस देश में हिन्दी-भाषी लोगों की संख्या सबसे अधिक है और हिन्दी की लिपि देवनागरी है। दूसरे मराठी भाषा भी, जो भारत की एक प्रमुख भाषा है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। इसलिए देवनागरी लिपि का प्रचलन भारतवर्ष में पहले से ही अन्य किसी भी लिपि की अपेक्षा कहीं अधिक है। गुजराती, गुरुमुखी आदि लिपियाँ भी देवनागरी से पर्याप्त समानता रखती हैं।

इन गुणों के होने पर भी देवनागरी लिपि में कुछ ऐसी ही त्रुटियाँ हैं, जिनके कारण यह लिपि अनावश्यक रूप से बोझिल बन गई है और वर्तमान यांत्रिक युग में इनका प्रयोग कुछ कठिनाई का कारण बन गया है। वैसे सिद्धान्ततः हम यह मानते हैं कि यत्र भाषा और लिपि के लिये बनाये जाते चाहिये, भाषा या लिपि को यत्रो की सुविधा के लिए मोड़ना-तोड़ना उचित नहीं है। परन्तु देवनागरी की कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ने वाली त्रुटियों के प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते।

जहाँ यह सत्य है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक-एक संकेत है, वहाँ अप्रोजे की 'कैट' और 'टाप' शब्दों में आने वाली 'ऐ' और 'आ' की ध्वनियों के लिए देवनागरी में कोई संकेत नहीं है। अब यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि 'ए' और 'आ' के ऊपर अक्षर चन्द्र लगाकर इन ध्वनियों को ध्वनित किया जाये। जैसे—'०' और 'आ'।

हिन्दी में 'इ' और 'उ' का प्रयोग लगभग नहीं होता है। इसलिये इन वर्णों को वर्णमाला से निकाल दिया जाये। इसी प्रकार 'क्ष' 'त्र' समुक्त अक्षर हैं। इन्हें वर्णमाला में पृथक् स्थान न दिया जाये। मे त्पिति यह है कि यदि 'अ' को वर्णमाला से निकाल दिया

को वर्णमाला में से नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि यह अक्षर 'ज' और 'ञ' का संयोग है।

कुछ लोगों का यह भी कथन है कि 'ख' को पढ़ने में 'र' 'व' का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार 'व' और 'ब' के लिखने में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है। ये दोनों दोष निराधार हैं और इस सम्बन्ध में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमग से अग्र नियम में कठिनाई नहीं रहती।

टाइप मशीनों और छपाई मशीनों की सुविधा के लिए कई विद्वानों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहला सुझाव तो यह है कि 'इ' 'ई' 'उ' 'ऊ' 'ए' 'ऐ' स्वरों को इस रूप में न लिखकर 'अ' के ऊपर मात्रा देकर उसी तरह लिखा जाये, जिस तरह 'ओ' और 'औ' लिखे जाते हैं। वर्णों की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने तो इस विचार को क्रियान्वित भी कर दिया था परन्तु प्रचलन और समर्थन न पा सका। हमारा विचार है कि यह परिवर्तन बिल्कुल अनावश्यक है और इससे कोई विशेष सुविधा नहीं होगी। इसमें टाइप केस में दो-तीन खाने आवश्यक बच जाएंगे किन्तु उनके बदले कम्पोजीटर को दुगुनी मेहनत करनी पड़ जायेगी।

इसी प्रकार कुछ लोगों का कथन है कि वर्णमाला में से महाप्राण अक्षरों को बिल्कुल उड़ा दिया जाये और उनके उच्चारण के लिए अल्पप्राण अक्षरों के आगे कोई विशिष्ट संकेत, जैसे 5 लगा दिया जाये। उससे वर्णों की बहुत बचत हो जायेगी। किन्तु हमारा विचार है कि वर्णों की बचत ही सब कुछ नहीं है। इस प्रकार परिवर्तन कर देने से लिपि लिपि न रहकर कुछ अंक गणित की पहली सी बन जायेगी और उससे सुविधाएँ इतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी असुविधाएँ बढ़ जायेंगी।

देवनागरी लिपि पर यह आक्षेप किया जाता है कि उसमें 'ग' 'ज' 'क' इत्यादि के लिए संकेत नहीं है। किन्तु हमारा विचार है कि पहले तो ये ध्वनियाँ ही विदेशी हैं और इनका प्रयोग भारतीय भाषाओं में बहुत कम होता है और यदि कभी आवश्यक ही हो, तो इन्हें अक्षरों के नीचे बिंदी लगाकर उसी तरह लिखा जा सकता है जैसे हमने यहाँ लिखा है।

हमारा विचार है कि देवनागरी लिपि अत्यन्त वज्रानिर है और भारतीय भाषाओं के लेखन के लिए अधिकतम उपयुक्त है। इसमें छोटे-छोटे दो एक सुधारों, जैसे 'ड' और 'झ' को हटाने और 'ड' और 'ढ' को वर्णमाला में स्थान देने इत्यादि के अतिरिक्त अग्र कोई भी बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन करना अन्ततोगत्वा भाषा और लिपि के स्वरूप के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा।

वर्तमान देवनागरी लिपि के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जाये, उतना ही भला होगा ।

सरकार ने देवनागरी का एक नया संशोधित रूप स्वीकृत किया है जिसमें 'ह्रस्व 'इ' की मात्रा भी अक्षर के वाद में लगाई जाया करेगी । वस्तुतः इस सुधार या बिगाड़ की कोई आवश्यकता न थी । सत्य तो यह है कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिये जितने प्रकार के भी प्रयत्न किये गए जनता ने उन्हें अपनाया ही नहीं । अतः वे सब स्वयं ही रह ही गये हैं । अपने प्रचलित परम्परागत रूप में ही यह लिपि अत्यन्त स्पष्ट एवं पूर्ण सार्थक है ।

८१ | अणु-शक्ति

अणु-शक्ति सम्पन्नता का अर्थ है पूर्ण प्रलय का सामान जुटाना । उसका प्रथम प्रमाण उस दिन मिला जब ६ अगस्त १९४५ को अमेरिकन हवाई जहाजों ने जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा पर पहला अणु बम फेंका । दूसरा अणु-बम उसके तीन दिन बाद ९ अगस्त को नागासाकी पर फेंका गया । इन दो बमों ने इन दोनों नगरों को कुछ ही मिनटों में भस्मसात और नष्ट-भष्ट कर दिया । सत्तार की वस्तु जनता ने अवाक इस नवीन शस्त्र-संहार की गाथा को सुना और शिद्द के साथ अनुभव किया । उससे पहले सामान्य लोगों के लिए यह बात कल्पना से भी परे की थी कि कोई एक बम पलक की एक झपक में लाखों व्यक्तियों के पूरे एक नगर को विध्वस्त कर सकता है । उसे अतीत की कहानी बना सकता है ।

अणु-बम का प्रथम परीक्षण मैक्सिको में लासवेगास में किया गया था । वहाँ लोह की बनी एक ऊँची मीनार पर से अणु-बम का विस्फोट किया गया था । विस्फोट के समय इतने जोर का धमाका हुआ कि वैसा इसके पहले मनुष्य निर्मित किसी भी बम से नहीं सुना गया था । प्रकाश की चमक इतनी तीव्र हुई कि देखने वाला एक व्यक्ति तो अंधा ही हो गया था । धुँएँ के बने विशाल बादल तेजी से आकाश में उठे । इस विस्फोट से इतना ताप उत्पन्न हुआ कि आस-पास मीलों तक मिट्टी इस तरह लाल हो उठी, मानो भट्टी में तपाई गई हो । उसके बाद से अब तक अणु-बमों के और उद्‌जन बमों के अनेक परीक्षण किये जा चुके हैं, जिनकी भयंकरता से समस्त सत्तार भयभीत हो उठा है । अब वैज्ञानिकों ने इसी अणु शक्ति का प्रयोग करके १०,०००

को वर्णमाला में से नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि यह अक्षर 'अ' और 'अ' का संयोग है।

कुछ लोगों का यह भी कथन है कि 'ख' को पढ़ने में 'र' 'व' का भ्रम हो जाता है। इसी प्रकार 'व' और 'व' के लिखने में प्रायः गड़बड़ी हो जाती है। ये दोनों दोष निराधार हैं और इस सम्बन्ध में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम से अथ निणय में कठिनाई नहीं रहती।

टाइप मशीनों और छपाई मशीनों की सुविधा के लिए कई विद्वानों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहला सुझाव तो यह है कि 'इ' 'ई' 'उ' 'ऊ' 'ए' 'ऐ' स्वरों को इस रूप में न लिखकर 'अ' के ऊपर मात्रा देकर उसी तरह लिखा जाये जिस तरह 'घो' और 'घौ' लिखे जाते हैं। वर्धा की राष्ट्र भाषा प्रचार समिति ने तो इस विचार को क्रियान्वित भी कर दिया था परन्तु प्रचलन और समयन न पा सका। हमारा विचार है कि यह परिवर्तन बिल्कुल अनावश्यक है और इससे कोई विशेष सुविधा नहीं होगी। इसमें टाइप केस में दो-तीन खाने अवश्य बच जाएंगे किन्तु उनके बदले कम्पोजीटर को दुगुनी मेहनत करनी पड़ जायेगी।

इसी प्रकार कुछ लोगों का कथन है कि वर्णमाला में से महाप्राण अक्षरों को बिल्कुल उड़ा दिया जाये और उनके उच्चारण के लिए अल्पप्राण अक्षरों के आगे कोई विशिष्ट संकेत, जैसे ऽ लगा दिया जाये। उससे वर्णों की बहुत बचत हो जायेगी। किन्तु हमारा विचार है कि वर्णों की बचत ही सब कुछ नहीं है। इस प्रकार परिवर्तन कर देने से लिपि लिपि न रहकर कुछ अक गणित की पहली सी बन जायेगी और उससे सुविधाएँ इतनी नहीं बढ़ेंगी जितनी असुविधाएँ बढ़ जायेंगी।

देवनागरी लिपि पर यह आक्षेप किया जाता है कि उसमें ग 'ज' फ इत्यादि के लिए संकेत नहीं है। किन्तु हमारा विचार है कि पहले तो ये ध्वनियाँ ही विदेशी हैं, और इनका प्रयोग भारतीय भाषाओं में बहुत कम होता है, और यदि कभी आवश्यक ही हो, तो इन्हें अक्षरों के नीचे बिंदी लगाकर उसी तरह लिखा जा सकता है जैसे हमने यहाँ लिखा है।

हमारा विचार है कि देवनागरी लिपि अत्यन्त वैज्ञानिक है और भारतीय भाषाओं के लेखन के लिए अधिकतम उपयुक्त है। इसमें छोटे-छोटे दो एक सुधारों, जैसे 'ङ' और 'ञ' को हटाने और 'ड' और 'ढ' को वर्णमाला में स्थान देने इत्यादि के अतिरिक्त अन्य कोई भी बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन करना अन्ततोगत्वा भाषा और लिपि के स्वरूप के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा।

वर्तमान देवनागरी लिपि के साथ जितनी कम छेड़छाड़ की जाये, उतना ही भला होगा।

सरकार ने देवनागरी का एक नया संशोधित रूप स्वीकृत किया है जिसमें 'ह्रस्व 'इ' की मात्रा भी अक्षर के बाद में लगाई जाया करेगी। वस्तुतः इस सुधार या बिगाड़ की कोई आवश्यकता न थी। सत्य तो यह है कि देवनागरी लिपि के सुधार के लिये जितने प्रकार के भी प्रयत्न किये गए, जनता ने उन्हें अपनाया ही नहीं। अतः वे सब स्वयं ही रद्द हो गये हैं। अपने प्रवर्तित परम्परागत रूप में ही यह लिपि अत्यन्त स्पष्ट एवं पूर्ण सार्थक है।

८१ | अणु-शक्ति

अणु-शक्ति सम्पन्नता का अर्थ है पूरा प्रलय का सामान जुटाना। उसका प्रथम प्रमाण उस दिन मिला जब ६ अगस्त, १९४५ को अमेरिकन हवाई जहाजों ने जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा पर पहला अणु बम फेंका। दूसरा अणु-बम उसके तीन दिन बाद ९ अगस्त को नागासाकी पर फेंका गया। इन दो बमों ने इन दोनों नगरों को कुछ ही मिनटों में भस्मसात और नष्ट भष्ट कर दिया। सत्तार की वस्तु जनता ने अर्थात् इस नवीन दस्त्र-संहार की गाथा को सुना और शिद्द के साथ अनुभव किया। उससे पहले सामान्य लोगों के लिए यह बात कल्पना से भी परे की थी कि कोई एक बम पलक की एक झपक में लाखों व्यक्तियों के पूरे एक नगर को विध्वस्त कर सकता है। उसे अतीत की सहानी बना सकता है।

अणु-बम का प्रथम परीक्षण मैक्सिको में लासवेगास में किया गया था। वहाँ लोह की बनी एक ऊँची मीनार पर से अणु बम का विस्फोट किया गया था। विस्फोट के समय इतने जोर का धमाका हुआ कि वैसा इसके पहले अनुपम निर्मित किसी भी बम से नहीं सुना गया था। प्रकाश की चमक इतनी तीव्र हुई कि देखने वाला एक व्यक्ति तो अर्धा ही हो गया था। धुँएँ के बने विशाल बादल तेजी से आकाश में उठे। इस विस्फोट से इतना ताप उत्पन्न हुआ कि आस-पास मीलों तक मिट्टी इस तरह लाल हो उठी, मानो भट्टी में तपाई गई हो। उसके बाद से अब तक अणु-बमों के और उद्‌जन बमों के अनेक परीक्षण किये जा चुके हैं, जिनकी भयकरता से समस्त सत्तार भयभीत हो उठा है। अब वैज्ञानिकों ने इसी अणु शक्ति का प्रयोग करके १०,०००

मील प्रति घंटे बल्कि इससे भी कम की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले भू-उपग्रहों का निर्माण किया है। इस अणु-शक्ति से मानव की चंद्रमा, शुक्र आदि लोको की भी यात्रा की कल्पना सत्य में परिणत हो रही है। अन्य ग्रह-यात्रा अभियान चल रहे हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधानों के दल पर प्रकृति की शक्तियों पर मनुष्य ने एक एक करके अधिकार प्राप्त किया है। पहले उसने भाप की शक्ति को अपने वश में किया और उसके द्वारा वे कार्य करने शुरू किए, जो उससे पूर्व मानवीय श्रम द्वारा किये जाते थे। बहुत समय तक वाष्प-शक्ति का युग रहा। उसके पश्चात् उन्नीसवीं शताब्दी में विद्युत्-शक्ति का आविष्कार हुआ। विद्युत् ने मनुष्य के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर दिया। न केवल वाष्प द्वारा किये जाने वाले काम बिजली से किये जाने लगे, अपितु रेडियो, टेलीविजन इत्यादि अनेक नये आविष्कारों द्वारा भी मनुष्य की सुख-सुविधा में वृद्धि हुई। अब विद्युत् से भी आगे बढ़ कर अणु-शक्ति का युग आ गया है। अन्तरिक्ष इतना है कि विद्युत् शक्तियों का प्रारम्भ निर्माण कार्य से हुआ था, और अणु शक्ति का शीघ्रगणेश महासंहार से हुआ और भाषी महासंहार के लिए निरन्तर हो रहा है।

प्रथम विश्व-युद्ध के दिनों में पहले-पहल प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टीन ने यह बात खोज निकाली थी कि अणु-तत्वों की सबसे छोटी इकाई का भी विभाजन किया जा सकता है। आइन्स्टीन के मतानुसार ये छोटे-छोटे अणु भी जो प्रोत्तों से दीख भी नहीं सकते, अपने-आप में शक्ति के पुत्र हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नामक अणु जो शक्ति का रूप हैं अत्यन्त तीव्र गति से एक-दूसरे के चारों ओर घबकर घाटते रहे हैं। यदि किसी प्रकार अणुओं के इन अंशों को सृष्टित किया जा सके, तो उससे अत्यधिक शक्ति उत्पन्न होगी। इस प्रकार जो जड़ पदार्थ बिल्कुल निष्क्रिय और निकम्मे दिखाई पड़ते हैं उन में भी वस्तुतः अनन्त अणु शक्ति भरी हुई है।

आइन्स्टीन के सिद्धान्त पर और अनेक वैज्ञानिकों ने खोज की। जर्मनी के वैज्ञानिक प्रोफेसर ओटोहॉन ने इस सम्बन्ध में अनेक परीक्षण किए और १९३८ में यह अणु का लखन कर पाने में समर्थ हुआ। उसकी यह खोज अणु-बम की जननी कही जा सकती है। उसके बाद प्रोफेसर बर्नर ही जनवर्ग और पैक्स-वान सेन ने भी इस सम्बन्ध में अनेक परीक्षण किये। द्वितीय विश्व-युद्ध के दिनों में जर्मनी में अणु-बम बनाने के लिए परीक्षण किए जा रहे थे। यदि युद्ध कुछ समय तक और चलता तो जर्मन वैज्ञानिक अणु-बम बनाने में सफल हो जाते। किन्तु उन्हें समय न मिला और उनके अणु-बम बन पाने से पूर्व ही

जर्मनी की सेनाएँ परास्त हो गईं। जर्मनी की पराजय के बाद अमेरिका में अणु-बम का पहले-पहल निर्माण हुआ। कहते हैं कि जर्मन से ही प्रक्रिया चुरा कर अमेरिका में जर्मन, अंग्रेज और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने मिलकर अणु बम तैयार किया। वैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षणों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि अणु-बम तैयार करने के लिए 'यूरेनियम २३५' धातु सर्वोत्तम है। जब यूरेनियम के अणु फटते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग-अलग हो जाते हैं। उनसे प्रचंड ताप और शक्ति उत्पन्न होती है। अब यह बात सिद्ध हो चुकी है।

जापान पर अणु-बम फेंके जाने का परिणाम यह हुआ कि जापान ने तुरंत पराजय स्वीकार कर ली। इससे युद्ध-कला में एक नई क्रांति हो गई। अणु-बम अब तक युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सब अस्त्रों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली और सहारक सिद्ध हो चुका है। अणु बम की तुलना में युद्ध के पुराने परम्परागत अस्त्र, तोपें और अणु बम बच्चों के खिलाफ प्रतीत होते हैं। अब मनुष्य की वीरता और साहस का भी मूल्य नहीं रहा और न सेना की अविद्यता का ही कोई मूल्य है। अणु-बम की सहायता से बहुत छोटी सी सेना भी बहुत बड़ी सेना को सरलता से परास्त कर सकती है।

युद्ध के पश्चात् कुछ समय तक तो अणु बम के रहस्य पर अमेरिका का ही एकाधिकार रहा, पर तु शीघ्र ही अणु बम का रहस्य रूस को भी ज्ञात हो गया। रूस में भी अणु-बम के सम्बन्ध में पर्याप्त उपयोगी अनुसंधान किया गया है। अमेरिका की भाँति अब रूस के पास अणु बम उदजन बम तो हैं ही, साथ ही लोगो का कथन है कि रूस के पास नष्टजन-बम भी विद्यमान हैं। जब तक अणु बम के रहस्य किसी एक देश तक सीमित थे तब तक यह अपने मन में सुरक्षा अनुभव कर सकता था, और अन्य देशों को आतंकित कर सकता था किन्तु अब अणु बम के रहस्य रूस, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैण्ड और चीन आदि अनेक देशों को ज्ञात है। भारत से भी उसका रहस्य अज्ञात नहीं। भारत अणु-बम नहीं बनाना चाहता, यह अलग बात है, पर इसके रहस्य से वह भली-भाँति परिचित है और उस परिवय का प्रमाण भी पोखरण में किए गए भूमिगत विस्फोट से मिल चुका है। पाकिस्तान और इस्राइल आदि देश भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं।

गत वर्षों में अणु-बमों और उदजन-बमों के जो परीक्षण हुए हैं, उनसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब कोई युद्ध हुआ तो वह गत दो विश्व-युद्धों की भाँति देर तक लम्बा नहीं खिचेगा। केवल कुछ सप्ताहों या दिनों में ही जय-पराजय का निणय हो जायेगा। बहुत सम्भव है कि अणु-बम युद्ध ने दोनों ही

पक्षी का ऐसा विनाश कर दें कि विजेता और विजित में कोई अंतर न रहे। यह भी सम्भव है कि बड़े परिणाम में अणु-बमों के विस्फोट के फलस्वरूप सारी मानव जाति ही समाप्त हो जाए। अणु बमों के विस्फोट से रेडियो सक्रियता उत्पन्न होती है और उसकी तरंगें, वायु, बादलों तथा समुद्र के जल के द्वारा पृथ्वी पर दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। इस रेडियो-सक्रियता का प्रभाव सभी जीवित प्राणियों पर अत्यन्त घातक होता है। यद्यपि इतना निश्चयपूर्वक जाना जा चुका है कि रेडियो-सक्रियता जीवित प्राणियों में भयकर और दुसाध्य रोगों को उत्पन्न कर देती है किन्तु इस सम्बन्ध में अभी और विस्तृत परीक्षण किए जा रहे हैं। ज्यों ज्यों इस सम्बन्ध में वैज्ञानिकों का ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों उन्हें अणु-बम की भयकरता अधिक प्रतीत होकर आतंकित करने लगी है।

सन १९४५ में अमेरिका में मासाचूसेट्स द्वीपों में एक छोटे द्वीप पर उदजन बम का विस्फोट किया था। यह विस्फोट इतना भयानक रहा कि जिस द्वीप पर यह विस्फोट किया गया वह समूचा द्वीप ही लुप्त हो गया। उस स्थान से कई सौ मील दूर एक जापानी जहाज पर इस विस्फोट से उड़ी हुई राख आकर पड़ी। इस राख के स्पर्श से उस जहाज के सभी नाविकों को विचित्र प्रकार के रोग हो गए, जिनका कोई इलाज नहीं किया जा सका। अणु-बमों की भयकर रेडियो-सक्रियता से सारा ससार आतंकित हो उठा और ससार के अनेक भागों से यह माँग की जाने लगी कि अणु बमों के परीक्षण पर रोक लगाई जाए और अणु शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण कर दिया जाए। अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने यह आशाका प्रकट की है कि यह बहुत संभव है कि परीक्षण में ही वैज्ञानिक कुछ ऐसा कार्य कर बैठें, जिसके परिणाम को वे पहले से भली-भाँति न सोच पायें हों और उसके फलस्वरूप सारी मानव जाति को भयकर क्षति उठानी पड़े।

सहारक शस्त्रों के रूप में अणु-बमों का प्रयोग अत्यन्त हृदयहीन और अमानवीय कृत्य है। अमेरिका ने जापान पर अणु-बमों का जो प्रयोग किया था, उसकी ससार के अनेक देशों ने निन्दा की थी। इन अणु-बमों के प्रयोग से हजारों ऐसे निरपराध नागरिक मारे गए, जिनका युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई हाथ न था। नागरिकों की ऐसी विवेकहीन हत्या का समयन कोई भी देश कैसे कर सकता है? अमेरिका ने इन बमों का प्रयोग पहले पहल एक एशियाई देश पर किया था इसलिए एशिया के सब देशों में अमेरिका के विरुद्ध प्रचंड रोष की लहर फैल गई। अणु-बम के भावी संकट को ध्यान में रखते हुए भारत तथा अन्य अनेक देशों ने यह माँग की है कि अणु-बमों के सम्बन्ध

मे और परीक्षण अविलम्ब, बन्द कर दिए जायें। पर इस माँग का कोई विशेष अभी तक लक्षित नहीं हो सका। इस प्रकार की माँग और प्रयत्न अब भी चल रहे हैं।

यद्यपि इस समय रूस के पास भी अणु-बम और उद्‌जन-बम विद्यमान हैं, किन्तु रूस शान्तिपूर्ण देश है। वह इस बात के लिए तैयार है कि अणु शक्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण कर दिया जाए। अणु शक्ति का प्रयोग सहायकारी कार्यों के लिए एकदम निषिद्ध कर दिया जाए। परन्तु ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका इस शान्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कथन है कि हम शस्त्रीकरण की दौड़ में पीछे नहीं रहना है। हमें सदा नवीनतम अणु-शस्त्रों से सुाज्जित रहना चाहिए, जिससे यदि किसी भी समय साम्यवादी गुट हम पर आक्रमण करे, तो हम उसका प्रतिरोध कर सकें। पूँजीवादी गुट की यह मनोवृत्ति विश्व शान्ति के लिए एक भयानक सकट है। शस्त्रीकरण की दौड़ अन्त में युद्ध में जाकर ही समाप्त होती है। पारस्परिक अविश्वास को दूर न किया गया और अणु शस्त्रों के परीक्षण तथा निमाण पर रोक न लगाई गई, तो मानव-जाति का भविष्य अत्यन्त अंधकारमय है। संयुक्त राष्ट्रसंघ ने १९४६ के प्रारम्भ में एक अणु-शक्ति नियन्त्रण आयोग की नियुक्ति की थी, जो सप्तर के विभिन्न देशों में अणु शस्त्रों के निर्माण पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रख सके। किन्तु इस आयोग का अपने काय में सफलता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि बड़े देशों ने उचित सहयोग देने में टालम-टोल की नीति से काम लिया है। अतः इस शक्ति का अघुाघुघ विकास जारी है।

अणु शक्ति अपने आप में कोई सहायक शक्ति नहीं है। वायु और विद्युत् की भाँति अणु शक्ति का प्रयोग भी रचनात्मक कार्यों के लिए किया जा सकता है। रूस में अणु शक्ति का प्रयोग विद्युत् उत्पन्न करने, गहरी खानें खोदने, पहाड़ों को उड़ाकर समतल मैदान बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत में भी अणु शक्ति का उपयोग ऐसे ही शान्ति कार्यों के लिए किया जा रहा है। अणु शक्ति का यह पहलू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अब तक हमें उससे उपयोग के लिए अधिकांश शक्ति पत्थर के कोयले और मिट्टी के तेल द्वारा प्राप्त होती थी किन्तु इन दोनों वस्तुओं के भंडार धर्तरे-धर्तरे समाप्त होते जा रहे हैं। इस समय अणु शक्ति के आविष्कार से तेल और कोयले के बिना भी हमारे सभी काम यथापूर्वक बल्कि पहले की अपेक्षा से भी वही अधिक अच्छी तरह चल सकेंगे। वैज्ञानिकों का कथन है कि अणु-शक्ति का प्रयोग रेनों, जलपोतों और विमानों को चलाने के लिए किया जा सकेगा। अणु-गलित विमानों की चाल पट्टोल से चलने वाले या छोट्ट विमानों की चाल की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्र होगी।

इसी प्रकार अणु-चालित रेलगाड़ियाँ भी अपेक्षाकृत तीव्र गति से भा-जा सकेंगी । अणु-चालित जलपोतों और पनडुब्बियों के परीक्षण तो सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं । अणु-शक्ति से उत्पादित बिजली द्वारा हमारे सभी काम पहले की भाँति सम्पन्न होते रहेंगे । इस प्रकार का उपयोग मानवता के लिए वास्तविक लाभदायक ही सकता है ।

अणु-शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा अन्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि की जा सकती है, उद्योग और व्यवसायों को बहुत बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त अब तक असाध्य समझे जाने वाले कसर जैसे भयानक रोगों का भी सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है । यदि विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के नेता विवेक से काय लें और पारस्परिक सन्देश और अविश्वास को समाप्त करके सहारकारी अणु शस्त्रों के परीक्षण और निर्माण को बन्द कर दें, तो अपने रचनात्मक उपयोगों द्वारा अणु शक्ति मानव जाति के लिए एक अपूर्व वरदान सिद्ध हो सकती है । मानवता के अभाव मिटाए जा सकते हैं । सभी समस्याओं का समाधान सम्भव हो सकता है । किंतु यदि विश्व के प्रमुख नेताओं ने इस समय विवेक से काम न लिया, तो यह मानव जाति का दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उस समय यह विज्ञान की मदद से देन मनुष्य जाति के लिए भीषण अभिशाप बनकर रहेगी । इस समय ससार के विभिन्न देशों के रत्न को देखते हुए यह भाशा बघती है कि अविश्वास पर विवेक की विजय होगी । विवेकपूर्ण जगत अणु-शक्ति का उपयोग मात्र मानव हित साधन के लिए ही करेगा ? विनाश के लिए नहीं ।

१८२ ' भारतीय सस्कृति

सस्कृति अन्तरात्मा की परिचायक होती है और उसी की सम्पन्नता से किसी राष्ट्र का स्थायित्व और पहचान बनती है । विश्व के इतिहास में यूनान, मिश्र, रोम तथा भारत की चार सस्कृतियाँ और सम्मताएँ प्राचीनतम मानी जाती हैं । इतिहासकारों और अनुसंधानकर्ताओं का इन सम्मताओं की प्राचीनता के विषय में मतभेद नहीं है । यह मत मन्मता तथ्यों तथा पक्षपात पर ही आधारित है । कुछ विद्वान चारों को थोड़े-थोड़े अन्तर से समकालीन मानते हैं और कुछ इनमें से किसी एक को प्राचीनतम प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं । कुछ भी हो, इतना तो सत्य ही है कि चार प्राचीनतम

सम्यताओं में भारतीय सम्यता, संस्कृति भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। चाहे वह प्रमुख हो अथवा समकक्ष—इससे सम्यता संस्कृति की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसकी भ्रान्तरिक ऊर्जा अपने-आप ही महानता का परिचय देने वाली है।

“भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ” से हमारा अभिप्राय यही है कि भारत की संस्कृति विशेष रूप से भारतीय क्यों कहलाई? इसमें शेष तीनों से क्या अन्तर था? साथ ही संस्कृति शब्द का महत्त्व क्या है?

प्रत्येक काल में, सृष्टि के आरम्भ और मनुष्य के आदि-जीवन से लेकर आज तक कोई-न-कोई सम्य संस्कृति रही है। कुछ लोग आदि-जीवन के ढंग को असम्य एवं असंस्कृत भी मानते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान युग में सम्यता का अर्थ केवल रहन-सहन की ढंग ही लिया जाता है। अतः आज की स्थिति को देखते हुए आदि-मानव को असम्य कहना भूल होगी। जिसे कुछ सम्यता कहते हैं हमारे विचार से यह असम्यता हो सकती है। इसी प्रकार हमारी सम्यता भी कुछ को असम्यता-सी प्रतीत हो सकती है। अतएव आगे ‘संस्कृति’ शब्द का प्रयोग आवश्यक मानकर अपना ही उचित प्रतीत होता है।

‘संस्कृति’ शब्द संस्कार से बना है। संस्कार आत्मा से सम्बन्धित होते हैं। आत्मा के गुणों का ही नाम संस्कार है। आत्मा को अपने उद्गम स्थान से सहज में ही स्वाभाविक रूप से ये गुण, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं प्राप्त होते हैं। संस्कृति शब्द भारत की विशेषता है। पारश्चात्य देशों में इसके लिए ‘कल्चर’ (Culture) शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है वे गुण जो मनुष्य के व्यवहार में उगाए (Cultivate) जाएँ, उत्पन्न किए जायें, मानुषी प्रयास से।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि अब हम ‘भारतीय संस्कृति की विशेषताओं’ के काफी निकट पहुँच गए हैं। समाज सक्रिय मनुष्यों की छोटी-से-छोटी इकाई से लेकर बड़ी-से-बड़ी इकाई को कहते हैं। वे मनुष्य जो समाज में प्रत्येक सामाजिक इकाई के उत्तरदायित्व का वहन करने में क्रियाशील होते हैं समाज के सदस्य माने जाते हैं। इस प्रकार समाज एक मिश्रण है तथा समाज की प्रत्येक वस्तु इसके सदस्यों के सम्मिलित प्रयास का फल है। यहाँ तक कि स्वयं सदस्यता भी समाज के सदस्यों के सम्मिलित प्रयास की व्युत्पत्ति है।

समाज की अन्तिम सीमा कभी-कभी भौगोलिक सीमाओं में निर्धारित होती है तथा कभी धर्म, सम्यता व संस्कृति की समानता के आधार पर। भारत अपनी भौगोलिक व सांस्कृतिक दोनों एकताओं के कारण एक सुव्यवस्थित

सामाजिक इकाई बनने में सफल रहा है। मनुष्यों के स्वभाव अक्सर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि एक समाज के अधिकांश व्यक्ति जीवन के एक ही लक्ष्य को लेकर प्रयास करें, इसी से समाज के अंदर एकता की ठोस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। सामाजिक जीवन की एक-लक्ष्यता तथा स्वयं वह लक्ष्य ही भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ हैं। प्रत्येक समुदाय संस्कृति में ये विशेषताएँ रहनी ही चाहियें और रहती भी हैं।

मानव-समाज में कितनी ही विचारधाराएँ प्रचलित रहती हैं। कुछ लोगों को 'ईश्वर' में विश्वास होता है कुछ को नहीं। कुछ लोग जीवन की सार्थकता ईश्वरीय नियमों का पालन करने में समझते हैं जो कल्पना के आधार पर संस्कार व सहज-वृद्धि से निर्धारित कर लिए जाते हैं, तथा अधिकांश लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हुए भी अपनी जीवन क्रियाओं को उसके साथ जोड़ने के प्रति उदासीन रहते हैं। वे जीवन को केवल एक भौतिक घटना मानकर केवल इसके भौतिक लक्षण और उपयोग में ही उसकी सफलता मानते हैं। पहले का आदेश है—'नर से नारायण होना', दूसरे का 'खामोशीमो मौन उदासी', दोनों एक-दूसरे से छतीस।

भारतीय संस्कृति की प्रथम विशेषता यह है कि उनमें मनुष्य को स्वभाव से देवी गुण सम्पन्न—अर्थात् नम्र विवेकशील, न्याय प्रिय सदाचार प्रिय आदि मान लिया जाता है उसमें पुनः सुपुत्र देवी संस्कारों के चेतन करने, जागृत करने मात्र की क्रिया गुरु व समाज द्वारा होती है। यहाँ मानव स्वभाव की श्रेष्ठता में विश्वास करने तथा उसको अच्छा व नेक मानने का पाठ पढ़ाया जाता है। इससे परस्पर द्वेष, मत्सर तथा घृणा के प्रचार के विपरीत सहज स्नेह सहयोग तथा प्रेम के सद्भाव का उदय व वृद्धि होती है। स्पष्टतः यहाँ मानव को जन्मजात रूप से सद्वृत्तियों वाला ही मानकर चला गया है।

दूसरी विशेषता समाज के आदेश की है। एक तो सम्पूर्ण समाज की प्रायः एकलक्ष्यता दूसरे स्वयं लक्ष्य। भारतीय-मान के ईश्वर प्रदत्त अमूल्य जीवन का एक उच्च लक्ष्य था, नर से नारायण बनना। मनुष्य द्वारा अपने अंदर संस्कार प्राप्त देवी गुणों का विकास करना तथा जीवन के अंतिम समय बिंदु पर उद्गम शक्ति में दिलीप हो जाना यही इसका अर्थ है।

मनुष्य जन्म से ही पूर्ण मनुष्य अथवा मनुष्यता से परिपूर्ण माना जाता है। उस मनुष्यता से प्रभूता की ओर चलने में जीवन की सार्थकता मानी जाती है। मानव देहधारी पक्ष को मनुष्यता का कृत्रिम पाठ पढ़ाकर मानुषी प्रथा से 'मनुष्य' बनाने का ढोंग नहीं रचा जाता वरन् यह स्वीकार कर लिया गया

था कि भगवान् से भूल नहीं होती। वह परीक्षा के लिए खेल में घबरा विनोद में भी असत्य का घासरा नहीं लेता है। भ्रत मनुष्य शरीर में इस आत्मा को बन्द करते ही उसने इसे मनुष्य बना दिया भ्रयात् मनुष्य बनाकर ही इस प्राणी को माँ की कोख से घरती माता की पावन गोद में उतारा है। यह विचार अपने आप में अनोखा है।

भारतीय सस्कृति की यह अतीव विशेषता है कि उसे 'सत्य' की कल्पना में से ही 'सत्य' मिला। समाज योग्य व्यक्तियों से भरपूर रहा। यो उद्योगी, कला प्रिय व्यक्ति तो समाज में होते ही हैं, किंतु भारत में नवजीवन की प्रगति का चिंतन रूपी मूल स्रोत प्रवाहित रहा। भारत में विशेषज्ञ मनो-वैज्ञानिकों व दाशनिकों ने जन्म लिया। अपनी तपस्या और साधना के बल पर उन्होंने मानसिक स्थितियों का प्रत्येक दशा में विस्तृत विवेचन-विश्लेषण किया। जीवन के कोलाहल से दूर रहकर भी उनके मस्तिष्क में उसकी प्रतिमूर्ति व प्रतिध्वनि, उपस्थित रह गूजती रही तथा वे समाज के लिए आचरण के सत्य तथा तक्ष्य की ओर ले चलने वाले नियमों की रचना करते रहे। इसका कारण उनके मानस में तथा लोक-कल्याण के भावों का मूल रूप में होना नहीं बरन् यही उनका 'नर से नारायण' की ओर बढ़ने का मार्ग था। इसी पथ पर अग्रसर होते-होते, यात्रा करते हुए वे समाज को चेतना, जागृति तथा स्फूर्ति देते रहे। समाज नम्र, बुद्धिमान तथा स्वाभाविक कल्पना से ही सदभाव-पूर्ण था। इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ और वह अपने चरम-उत्कर्ष पर पहुँचा। देवत्व की साधना ही यहाँ की सस्कृति का मूल प्रेरणा स्रोत रहा, इसका साक्षी सारा ससार है।

भारतीय सस्कृति की चौथी महान विशेषता है, जीवन का समय और जागरूकता के साथ किया गया आध्यात्मिक विकास। आज हमें प्रायः 'क्रान्ति' शब्द की ध्वनि वायु मण्डल, प्राचीरो में आकाश और पाताल में होती हुई सुनाई दे रही है। यह इस युग की विशेषता की सूचना नहीं है बरन् एकांगी दृष्टिकोण की द्योतक है। क्रान्ति तो प्रकृति के जीवन और मानव का सहजात स्वभाव है। घुप समाप्त हो रही है सुरन्त छाह प्रारम्भ हो रही है। अवकाश नहीं है यही क्रान्ति है। जीवन में श्रुटियाँ होती हैं, तपस्या और साधना के बल पर उनके सुधारार्थ क्रान्ति की जाती है, विद्रोह होता था राक्षसी वृत्तियों के प्रति। किंतु क्रान्ति का एक नारा एक उदघोष न था। एक उमाद न था एक भ्रान्ति न थी। आमूल चल परिवर्तन का ही नाम क्रान्ति है, आसुरी वृत्तियों के प्रति विद्रोह ही नहीं, देवी वृत्तियों के प्रति अनुराग भी होता था। इसी का नाम है विकास। प्राकृतिक क्रम में जिस सिद्धांत के अनुसार अन्य

जीवधारी विकसित होते हैं, उससे मानव-जीवन भी विकास पाता है। सतत् प्रयत्न इसी बात का रहता था कि विकास हो बिनाश नहीं। असह्य जीवन में छोटी छोटी त्रुटियाँ असह्य होती हैं, जीवन का निष्पन्न तथा सापेक्ष अध्ययन किया जाना चाहिए। मानव मात्र से चिन्तन का आभास व अनुराग होता है। जीवन की प्रत्येक घटना को पूर्व विकसित कमल की भाँति सजाने व सवारने का प्रयास होता है। चिन्तन-रहित अनुशासन अथवा अवहेलनापूर्ण जीवन के द्वार बन्द थे। प्रेरणा का प्रभाव न था किंतु प्रेरणा द्वारा किए गए कार्यों की सार्थकता सिद्ध करने का उत्तरदायित्व स्वयं व्यक्ति पर होता था। पहले मनुष्य पर राज्य का भार कम-से-कम तथा सामाजिक बंधन कड़ा नहीं, मनु किन्तु सुदृढ़ था। त्याग कोई असाधारण घटना नहीं थी। जो वस्तुएँ, विचार, भावनाएँ अथवा वृत्तियाँ त्याग्य समझी जाती थी उनका त्यागना प्रयत्न की एक कड़ी मात्र समझा जाता था। बलिदान का मूल्य था, क्योंकि बलिदान से सुन्दर स्वार्थों का यहाँ तक कि पुण्य सचय तक का बलिदान करके समाज में सद्भाव व सहयोग बनाए रखा जा सकता है यह धारणा दृढ़ थी।

पहले अधिकारों के पीछे अघी दौड़ नहीं होती थी। किसी को यह चिन्ता नहीं थी कि उसे अधिकारों के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अपने कर्तव्यों के पालन की धुन ही सबकी थी। सीधी सी बात है यदि सभी अपने 'कर्तव्य पालन' में लगे रहें तो सबके सबको अधिकार अनायास ही मिल जायेंगे। गीता का यह वचन 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' भारतीय सस्कृति की अथ सस्कृतियों से पृथक्ता का द्योतक है। कर्म करने को सभी करते हैं। पर यहाँ कर्म करना कर्तव्य मात्र ही नहीं वरन् कर्म करने का अधिकार है। यह सस्कृति यही न रहकर अग्रे बढ़ती है और 'मा फलेषु कदाचन' कहकर फल प्राप्ति के पीछे सत्यासत्य विवेक का त्याग करके की जाने वाली अघी दौड़ को रोकती है।

ये तो बात जीवन दशन की हुई। सस्कृति में भाषा तथा निर्माण कला का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ की सम्यता-सस्कृति ने जीवन-दशन के साथ भाषा का सुन्दर सामञ्जस्य स्थापित किया था। सस्कृति की चेतना की अभिव्यक्ति का मूल भाषा गिनी जाती है। भारतीय सस्कृति तो नहीं किन्तु मध्य पूर्व एशिया की सस्कृति भाषा विश्व भाषाओं का उद्गम मानी जाती है। सभी भाषाओं ने कोई न कोई मौलिक चरित्र अपने में विकसित किया है किन्तु भारत ने मूल सस्कृति का प्रत्येक गुण अपने में समो कर विश्व को वेदा की अमर वाणी के रूप में भारतीय सस्कृति को निचोड़ दिया है। अपने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के कारण सस्कृत भाषा एक सर्वांग सम्पूर्ण भाषा रही और है।

निर्माण कला के उदाहरण तो भारत जैसे कहीं भी नहीं मिलते। मिस्र के

पिरामिड जो कि आज तक मानव-जीवन की अनित्यता की-साक्षी दे रहे हैं उनके सामने रोते से लगते हैं। यद्यपि प्रकृति, परिस्थिति और कालदर्श वह सब कुछ आज नहीं के समान ही शेष है किन्तु उसके अधिष्ठित धर्म से त्रमा पौराणिक इतिहास, वेदो व ग्रन्थ खोजो से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह यही है कि यहाँ विज्ञान अपने चरम उत्कृष्ट पर था।

यदि संक्षेप में कहें तो भारतीय सस्कृति की विशेषता केवल यही है कि वह एक समग्रतापूर्ण सस्कृति है स्वयम्भू है, प्रकृति प्रदत्त है उसमें कृत्रिमता नहीं, उसमें रस है उसमें जीवन का सूक्ष्मतम विश्लेषण है। सामजस्य तथा सयम है जिसमें जानने की उत्सुकता है, एक जागृत मस्तिष्क है, सयत हृदय है। उसमें सुसस्कृत, उससे उच्च, उससे महान उससे श्रेष्ठ, सरल और सात्विक, दूसरी कौन सस्कृति हो सकती है? जिसने अपना लक्ष्य प्रभु के चरण बनाया हो, जो वही जाकर प्रभु में विलीन होकर धालोकित हो, उसी का नाम भारतीय सस्कृति है। इसी कारण मुक्ति का चरम लक्ष्य ही यहाँ सबके सामने रहा है और आज भी है। मुक्ति का लक्ष्य पाने के लिए ही यहाँ की समस्त साधनाएँ और उनकी पद्धतियाँ समन्वय पर बला देती आई हैं।

भारतीय सस्कृति उदार है, विशाल है, उसने अपना सीखा है, ठुकराना नहीं। उसका आदर्श सिद्धान्त है 'वसुधैव कुटुम्बकम्'। सर्वोदय तथा सम्पूर्णोदय पर उसकी दृष्टि सदा सगा रहती है। किसी की हानि उसे प्रसन्न है, सबका हितचिन्तन उसे प्रतिक्षण रहा है। और देखें तो इसमें विशेषता ही क्या है, यह सब तो वह 'यूनतम बोध' है जो कि मानव सस्कृति में होना चाहिए। प्रभु हमें इसे पुनः जागृत करने की शक्ति, क्षमता और प्रेरणा दें। ताकि फिर से भारत अपने गुरुत्व के अधिकार और खोए स्थान को प्राप्त कर सके।

एक ही हित भाव और समान साधना में निरत मानव समूह को समाज कहा जाता है। सामाजिकता का भाव मानवता की प्रभाव विशेषता भी है। मनुष्य समाज एक घोडा-गाड़ी के समान है जिसके दो पहिये पुरुष और नारी हैं। पुरुषों की दशा तो लगभग सभी देश और समाज में स्त्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ रही है परन्तु स्त्रियों की दशा समय-समय पर बिगड़ती और मुधरती रही है। विशेष रूप से हमारे देश में स्त्रियों की सामाजिक दशा में समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं।

इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में स्त्रियों की सामाजिक दशा बहुत अच्छी थी। उस समय स्त्रियाँ न केवल शिक्षा की दृष्टि से, बल्कि कला-जीवन और युद्ध विद्या की दृष्टि से पुरुषों के समकक्ष थीं। वेदों के मात्र दृष्टा ऋषियों में जहाँ अनेक पुरुष हैं, वहाँ कई स्त्रियाँ भी हैं। वेदों में स्त्री-ऋषियों के सूत्रों का साह होना स्त्रियों की पुरुषों के साथ समानता का सूचक है। वैदिक काल के पश्चात् उपनिषद् काल में भी गार्गी और मैत्रेयी इत्यादि स्त्रियाँ ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं और उनका ज्ञान याज्ञवल्क्य और जनक जैसे ब्रह्मविदों के समान ही समझा जाता है। यहाँ तक कि अनेक बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने शास्त्राय में परास्त भी किया था। वाल्मीकि-रामायण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्त्रियाँ ऋषियों के आश्रम में रहकर पुरुषों के साथ साथ ही उच्च ऋषि की विद्या ग्रहण करती थीं। इसी तरह शास्त्र विद्या में भी स्त्रियों के पारंगत होने की बात स्पष्ट है। यँकेयी दशरथ के साथ युद्ध में उसकी सहायता ही गई थी।

वेद शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी स्त्रियों का स्थान बहुत उन्नत था। स्त्रियाँ जो सम्मति देती थी वह पुरुषों को आदरपूर्वक सुननी पड़ती थी। महाभारत में द्रोपदी इसका अच्छा उदाहरण है। वह पाण्डवों को यथासमय राजनीति विषयक परामर्श देती रहती थी। वैसे भी हमारे समाज ने विरवाकाल से ही स्त्री को पुरुष के समान ही आदर का पात्र बनाया। जहाँ राम और कृष्ण हिन्दू समाज के पूज्य हैं, वहाँ सीता और राधा भी उतनी ही पूजनीया हैं और इसी कारण इनका नाम पहले जुड़ता है।

जब तक हमारे समाज में स्त्रियों का समुचित आदर करने की भावना बनी रही, तब तक समाज उन्नति के शिखरों की ओर निरन्तर अग्रसर होता रहा। या था कहना चाहिए कि जब तक हमारा समाज उन्नत रहा, तब तक उसमें नारियों का समुचित आदर होता रहा। बुद्ध के आधिपत्य और अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के उपरान्त हमारे देश की राजनीतिक दशा तेजी से विगड़ती प्रारम्भ हुई। केन्द्रीय राजशक्ति क्षीण हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि देश पर विदेशी शक्तों और हूणों के आक्रमण प्रारम्भ हो गये। बहुत बार हमारे देशवासियों को परास्त होना पड़ा। परास्त देश की कोमलांगी नारियों पर ये विदेशी विजेता अनेक प्रकार के अत्याचार भी करने लगे। अतः उस दुबल अवस्था में स्त्रियों की स्वाधीनता की रक्षा कर पाना पुरुषों के लिए सम्भव न रहा। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को अतः पुर की सुरक्षा में बद्ध रखना आवश्यक समझा। भारतवर्ष में राजनीतिक अशांति का यह काय बहुत लम्बे समय तक रहा। ऐसे समय शिक्षा और कला का ह्रास हुआ करता है। पुरुषों के लिए भी

यथोचित शिक्षा प्राप्त कर पाना कठिन हो जाता है। अग्नि और उथल-पुथल के कारण जीवन-रक्षा की विन्ता ही सबसे बड़ी बन जाती है। ऐसी दशा में सबल शत्रु का की आँखा से परे रखने के लिए अन्तःपुर में रानी जाने वाली स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक था।

ज्यो-ज्यो पुरुष समाज अशक्त होता गया, त्या-त्यो स्त्रियों को अपने ही वश में रखने के लिए तरह तरह के विधि विधान बनाये जाने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पति के मरने पर उसके वियोग से व्याकुल स्त्रियों के मती हो जाने की प्रथा बहुत प्राचीन काल में ही प्रचलित हो गई थी। परंतु सभी स्त्रियाँ पति के मरने पर सती नहीं होती थी। केवल वे ही सती होती थी जो वैधव्य के कष्ट को सहने की बजाय स्वेच्छा से अग्नि में जलकर मर जाना पसंद करती थी। किन्तु अज्ञान और अधविश्वासा के कारण बाद में ऐसा होना एक विवशता भरा नियम-सा बन गया। इस राजनीतिक दुबलता के काल में यह व्यवस्था थी गई कि सभी स्त्रियाँ पति की मृत्यु के साथ सती हो जाना करें। शायद बहुत बार स्त्रियाँ को सती होने के लिए विवश भी किया जाने लगा।

इन विपन्न परिस्थितियों में स्त्रियाँ का सामाजिक गौरव भी क्रमशः क्षीण होता गया। इसका बड़ा कारण यह था कि उस काल में बाहुबल और शस्त्र-कौशल का गौरव ही प्रमुख हो गया। अपनी शारीरिक और सहजात कोमलता के कारण ये गुण स्त्रियों में कम पाये जाते हैं। इसलिए स्त्रियाँ उपेक्षित रही और उनका काम केवल पुरुषों का मनोरंजन करना भर रह गया। जिन दा-चार क्षत्राणियों ने वीरत्व प्रदर्शित किया उनके नाम इतिहास में अमर हो गए। दुर्गाबाई और लक्ष्मीबाई की गणना इन्हीं में की जा सकती है।

धार्मिक दृष्टि से स्त्रियाँ शायद कभी भी स्वतंत्र नहीं थीं। पुरुष-संस्कृतिक युग से पहले अर्थ का इतना महत्त्व भी कभी नहीं रहा। अर्थ-संघनता ने स्त्रियों को पूणतया पुरुषों पर निर्भर बना दिया। पुरुषों के स्त्रियों की प्रत्येक गतिविधि को ऐसे ढंग से नियंत्रित किया कि वे अपने ही समाज के लिए उपयोगी समझते थे, नारी का चाहे क्या चाहे है उत्पीड़न हो भी न होता हो।

तथाकथित जाति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए भी स्त्रियों पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए। वे उचित वे दा-सती, अमृत नियम कर सती सरल नहीं है। विधवाओं का पुनः विवाह निन्दित कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रयास था। पुनर्विवाह से नई सन्तान की सम्भावना थी, जो सम्पत्ति में धारण

दावा कर सकती थी। उसके झूठ से बचने के लिए विधवाओं के विवाह पर रोक लगाई गई। इस रोक का दुष्परिणाम वह हुआ कि विधवाओं का जीवन नरक से भी अधिक कष्टमय हो उठा। उनके इस जीवन को दुःखमय बनाने में स्वयं स्त्रियों का भी उतना ही हाथ था जितना पुरुषों का। स्त्री की सामाजिक दशा और नीचे गिर गई और वह भी अधिकतर स्त्रियों के कारण ही।

व्यवहारतः स्त्री समाज का प्राधा भग है। जब किसी समाज का प्राधा भग दुदशा ग्रस्त हो, तो सारे समाज की दशा देर तक अच्छी नहीं रह सकती। यही बात हमारे समाज पर लागू हुई। स्त्रियों के अधिकार छीन-छीनकर उन्हें पगु बना देने का दुष्परिणाम सारे समाज को भुगतना पड़ा। स्त्री केवल पत्नी ही नहीं है, वह माता, पुत्री और बहिन भी है। वैसे तो अशिक्षित माता भी पुरुष की सहायता करके उक्त-उतना उन्नत नहीं बना सकती जितना कि शिक्षित पत्नी बना सकती है। परन्तु माता का अशिक्षित होना तो शिशु के लिए और अन्ततोगत्वा समाज के लिए अभिशाप ही है, क्योंकि बालक का प्रारम्भिक शिक्षा माता से ही मिलती है। अच्छे या बुरे संस्कार, बचपन में जितनी दृढ़ता से बद्धमूल हो जाते हैं, उतने बाद में नहीं हो सकते। जब समाज में सभी माताएँ अशिक्षित और अघविश्वासिनी हों, तब उस समाज के शिशुओं और बालकों का भविष्य कैसा होगा, यह सरलता से सोचा जा सकता है।

नारी शिक्षा के अभाव का फल हमारे समाज को भुगतना पड़ा और आज तक भी भुगतना पड़ रहा है। सारे देश में अघविश्वासों, कुरीतियों और पाखण्डों का ऐसा जाल फैल गया कि उससे हमारी सर्वांगीण अवनति होती गई। राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और आर्थिक सभी दृष्टियों से हम हीन हो गए। फलतः शताब्दियों तक विदेशी दासता का भार हमें बोना पड़ा। हमारी सारी दुदशा का मूल कारण हमारे समाज में स्त्रियों की दुदशा के होने को माना जा सकता है। यह मान्यता एक तक सगत तथ्य भी है।

परन्तु समय सदा एक-सा नहीं रहता। जिस प्रकार हमारे देश में राजनीतिक चेतना जागी और हमने विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिए अथक संघर्ष किया उसी तरह सहृदय सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उन्होंने बताया कि जब हम समाज के प्राधे भाग को अशिक्षा और कुरीतियों के बंधन में जकड़े रहेंगे, तब तब सारे समाज की उन्नति सम्भव नहीं है। महर्षि दयानन्द, राजा राममोहनराय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और महात्मा गांधी इत्यादि नेताओं के प्रयत्नों के कारण स्त्रियों की दशा सुधारने की ओर लोगों का ध्यान गया, जगह-जगह स्त्रियों के लिए विद्यालय खोले गए, विधवाओं के विवाह की व्यवस्था की गई और परदे

की गृहित प्रथा के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन किया गया। यह परदा भी आजीवन कारावास से कुछ कम न था, जिसके कारण स्त्री की शेष सारे सप्ताह से अलग होकर जीवन बिताना पड़ता था। बंगाल में प्रचलित सती प्रथा को बाकायदा कानून बनाकर बन्द कर दिया गया। आज इस प्रकार की कुरीतियाँ और पाषाणिक नियम समूचे देश में वजित हैं।

स्त्रियों की दशा में विगत चार पाँच दशकों में बहुत अन्तर आया है। न केवल स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार दिनो-दिन बढ़ रहा है, बल्कि उन्होंने देश की स्वाधीनता के आन्दोलन में भी पुरुषों के साथ सक्रिय भाग लिया। पुरुषों की तरह उन्होंने भी सत्याग्रह किए, लाठियाँ और गोलियाँ सहीँ और वे जेलों में गईं। इससे स्त्री-समाज में एक नई धेतना और आत्मगौरव जाग उठा है।

अब स्त्रियाँ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। विरकाल तक आर्थिक पराधीनता में रहने के बाद अब उन्होंने आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न भी प्रारम्भ कर दिया है। अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, पुलिस वाहक-सवाहक इत्यादि सभी प्रकार के आजीवो (पेशों) में जाकर वे सफलतापूर्वक काम कर रही हैं।

इस समय हमारे समाज में वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों को और पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें उन्नति करने के लिए पुरुषों के बराबर अवसर प्राप्त हैं। परंतु हमारे देश की अधिकांश जनता गाँवों में रहती है जहाँ अभी तक शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुँच पाया है। इसलिए वहाँ पर अभी तक भी पुरानी परम्परायें ही चल रही हैं और सविधान वहाँ स्त्रियों की बहुत सहायता नहीं कर सकता। ग्रामों की तो बात ही क्या है नगरीय नारियाँ भी अभी तक सामयिक जागृति का उपयोग पूणतया नहीं कर पाई हैं। इस दिशा में नारियों के ही और अधिक जागरूक तथा सक्रिय होने की आवश्यकता है।

मध्यकाल में हमारे समाज में स्त्रियों की दशा को बिगाड़ने में विवाह और उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों का भी बहुत हाथ रहा है। पुरुष को अधिकार था कि वह एक ही समय में अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता था, किन्तु स्त्री पुरुष द्वारा परित्यक्ता होकर भी दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। इसी तरह उत्तराधिकार में पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को भाग नहीं मिलता था। अब सरकार ने नए कानून बनाकर पुरानी स्थिति में सुधार करने का प्रावधान कर दिया है। नये कानूनों के अनुसार कोई भी हिंदू पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह नहीं कर सकेगा और उत्तराधिकारों में ब्याप्रा का भाग भी लड़कों के समान ही माना जाएगा।

इस प्रकार अब हमारा समाज उन दोषों को हटाने के लिए प्रयत्नशील

है, जिनके कारण स्त्रियों की दशा बिगड़ी थी। पिछले दस पाँच सालों में हुई प्रगति को देखते हुए यह निश्चय से कहा जा सकता है कि शीघ्र ही स्त्रियों की स्थिति इतनी सुधर जाएगी कि वे प्रत्येक क्षेत्र में न केवल पुरुषों का मुकाबला करने लगेंगी, बल्कि उनसे कुछ आगे भी निकल जायेंगी। समस्या के दूसरे पहलू स्त्रियों की बढ़ती असुरक्षात्मक स्थिति भी विचारणीय है। सुरक्षा व्यवस्था और भावना ही सम्पूर्णता समाधान कर सकती है।

८४ नारी और नौकरी

आधुनिक अय-प्रधान युग में, स्वावलम्बन और स्वाधीनता के नाम पर नारी को नौकरी के लिए बाधा होना पड़ रहा है। या हिन्दू धर्म को मानने वाले नर की नारायण से और नारी की लक्ष्मी से उत्पत्ति मानते हैं। भारतीय सस्कृति में तो नारी को पुरुष से भी अधिक सम्मान दिया गया है। एक स्थान पर स्वयं मनु ने कहा है— यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता ।” भारतीय धार्मिक अनुष्ठान बिना पत्नी के सहयोग के पूरा नहीं हो सकते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियाँ विद्याध्ययन एवं धार्मिक कृत्यों में भाग लेने के साथ-साथ रणक्षेत्र में भी पति को सहयोग दिया करती थी। कैकेयी ने युद्ध में दशरथ के रथ की रक्षा करके उनसे दो वरदान प्राप्त किए थे। स्वयंवरों के द्वारा वे अपनी इच्छानुसार पति चुनती थीं। सती भद्रालसा की तरह वे अपने पुत्र एवं पुत्रियों को उत्तम उपदेश देकर मुक्ति का अधिकारी बना देती थीं। गृहस्थ की गाड़ी को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दो पहियों के समान माने जाते हैं। इस प्रकार नारी प्रत्येक कदम पर पुरुष की सहयोगिनी के रूप में आती है।

कालान्तर में पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारी अपने उच्च पद से पतित कर दी गई। दया एवं कृपा की मूर्ति नारी ने भी प्रेमवश अपने को पुरुष के सम्मुख समर्पित कर दिया किंतु निंदयी पुरुष ने उसे बंधनों में जकड़ दिया। स्त्रियों ने गृहलक्ष्मी बनकर सेवा का जो भार उठाया था, उसे उनकी शक्ति-हीनता एवं कायरता सगम्भ कर पुरुष ने उन्हें झबला बना दिया। अधीगिनी के स्थान पर उसे केवल दासी एवं वासना-भूति का साधन बना दिया गया। घर की चारदीवारी में कूद करके उनके स्वतंत्रता के अधिकार का अपहरण कर लिया गया। इसने लिये परिस्थितियाँ कहाँ तक जिम्मेदार रहीं, यह बात अवश्य विचारणीय है।

बीमवीं शताब्दी के आरम्भ तक पहुँचते-पहुँचते स्त्रियो की दशा और भी अधिक शोचनीय हो गई। पर्दा प्रथा, उच्च शिक्षा का अभाव आदि कुछ ऐसे अवगुण आ गये थे जिनके फलस्वरूप वह केवल मात्र करुणा की एक कहानी बनकर रह गई। उसकी हृदय विदारक अवस्था को देखकर कवि के हृदय से ये पक्तियाँ स्वतः निःसृत हुई थी—

“अबला जीवन हाथ, तुम्हारी यही कमानों ।
घाँचल में है वृष और आँसों में पानी ।”

युग बदलते देर नहीं लगती। शनैः शनैः नारी समाज में भी जागृति की लहर आई। पश्चात्य देशों में नारी-स्वतंत्रता के जो आंदोलन चले, उनकी हवा यहाँ भी पहुँची। शिक्षा के क्षेत्र में उसने कदम बढ़े और स्वातंत्र्य चेतना जागी। यहाँ क सुधारकों और प्रगतिशील राजनीतिज्ञों ने भी उसे प्रोत्साहन दिया। परिणामस्वरूप अपने अधिकारों के प्रति वह सजग हुई तथा उत्तम लिए वे सघष से भी पीछे न हटी। उन्होंने पुरुष के समान अधिकार प्राप्त किए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे पुरुष के साथ कंधा मिलाकर भागे बढ़ रही हैं तथा उन्होंने ससार को अपनी योग्यता का प्रमाण देकर चकित कर दिया है।

किन्तु आज भी कुछ ऐसे दकिमानसी प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति हैं जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार देने के विरोधी हैं। उनके विचार में यद्यपि विदेश में स्त्रियाँ पुरुषों के समान ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग ले रही हैं, किन्तु भारतीय स्त्रियों के लिए यह भाग उचित नहीं है। उसकी विचारधारा का सबसे प्रमुख आधार यह है कि वे स्त्रियों को अब भी अबला समझते हैं। अतः कुछ व्यक्तियों को स्त्रियों के नौकरी करने पर आपत्ति है। परन्तु इस आपत्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को गृहिणी कहा गया है। क्योंकि वे बाहर के अर्थ-कार्यों की तुलना में घर-बार का कार्य अधिक सहेजकर तथा सुन्दरतापूर्वक कर सकती हैं। यही कारण है कि कुछ व्यक्ति नारी के नौकरी करने के विरोधी हैं। उनके विचार में यदि स्त्रियाँ घर का कार्य त्यागकर कार्यालयों का काम संभाल लें तो घर की सारी व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। यदि वे कोई नौकर रख भी लें तो भी चतुर गृहिणी के हाथ से सजे हुए घर की सुन्दरता कुछ और ही होती है।

इसके विरोध में कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि हम पुरुषों न हा स्त्रियों को घर में कँद करके उन्हें बाहर के कार्यों के लिए अयोग्य बना दिया है। अतः यदि स्त्रियों के कार्यक्षेत्र को घर की चारदीवारी के क्षेत्र से अधिक व्यापक कर दिया जाय तो स्त्रियाँ बाहर के सभी कार्यों में भी उतनी ही चतुर हो

जायेंगी जितनी कि वे घर के कार्यों में हैं। इसके प्रतिरिक्त जो पुरुष स्त्रियों के नौकरी करने के पक्ष में नहीं हैं, उनका कहना है कि यदि स्त्रियाँ घर से बाहर कदम रखेंगी तो वे पुरुषों की कुवासनाओं का शिकार बन जायेंगी। स्त्रियों में वृद्धि के स्थान पर हृदय पक्ष अधिक सबल होता है। वे स्वभावतः कोमल एवं भावुक होती हैं। अतः पुरुषों के चंगुल में उनका फस जाना अधिक कठिन नहीं है। फिर भी पुरुष तो उन्हें फासने के चक्कर में अनवरत रहता ही है।

किंतु प्रगतिशील अधिकांश जन इससे सहमत नहीं हैं। यदि स्त्री आज कोमल एवं भावुक है तो उसका दोष भी पुरुष समाज पर ही है। उसने स्त्रियों को समुचित शिक्षा न देकर उनके मस्तिष्क को सकुचित और हृदय को सकीर्ण बना दिया है। एक शिक्षित स्त्री किसी भी अवस्था में कम नहीं बही जा सकती। नारी के नौकरी करने पर कुछ लोग इस कारण भी विरोध करते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में तो पुरुषों को नौकरी नहीं मिल रही है तब नारी का नौकरी करना कहाँ तक समीचीन है। किंतु यह बात कहने से पूर्व कहने वाले यह भूल जाते हैं कि नर और नारी में भेद की दीवार खड़ी करने वाले भी हमी हैं।

उपयुक्त विचारधारा में अब धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। हिन्दू कोड बिल के पास हो जाने से इसे अब कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार न दिये जाएँ। आज नारी वैधानिक दृष्टियों से पतक सम्पत्ति की भी भागीदार बन चुकी है। युगों से पद दलित नारी समाज आज जागा है। उसमें अपने दिये अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की महती अभिलाषा है। वह पुरुष समाज से अपने आपको किसी भी अवस्था में हीन नहीं समझता है। यही कारण है कि स्त्रियाँ भी आज नौकरी के लिए पुरुषों के साथ प्रतिযোগिता कर रही हैं। वे आर्थिक दृष्टिकोण से पुरुषों की सदा पराधीन रही हैं। अतः पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य भी बन जाता है कि वे अपने परो पर आप खड़ा होना सीखें। सभी पुरुष उन्हें अपने समान समझने लगेंगे। उनका सर्वांगीण महत्त्व पहचानेंगे।

नारी की दासता एवं अधिकार-वचना का कारण भी यही है कि वह जीवन-मरण के लिए पुरुषों के अधीन रही हैं। तब हम आज की सुशिक्षित एवं वायकुशल नारी से इस बात की कसौट्टा कर सकते हैं कि वह आर्थिक स्वतंत्रता की छोड़कर अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता से भी हाथ धो बैठे। कुछ काय जैसे डाक्टरा, बाल शिक्षा इत्यादि ऐसे हैं जिनके द्वारा नारी समाज का महत्त्व बल्ल्याण कर सकती है। आज तो प्रत्येक क्षेत्र में वह अपनी काय कुशलता का परिचय देती है। महगाई के जमाने में केवल पुरुषों

की आय में घर गृहस्थी का निर्वाह अत्यन्त कठिन हो गया है। अतः यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर कमाएँ तो उनके जीवन निर्वाह का स्तर बहुत ऊपर उठ जाएगा। अतः जिन व्यक्तियों को नारी के नौकरी करने में आपत्ति है, वह निराधार है।

स्वतंत्रता के मग्न में स्त्रियों ने भी पुरुषों के समान ही बलिदान दिया है। वे महात्मा गांधी के पद चिह्न पर उसी दृढ़ता से चली हैं जिस दृढ़ता के साथ पुरुष चले हैं। उसे किसी भी अवस्था में पुरुष से हीन या निबल मानना हमारी अपनी दुबलता का चिह्न है। उसमें भी उतना ही उत्साह धैर्य, बल, बुद्धि तथा साहस है जितना कि पुरुष में है। इसका प्रमाण वे नारियाँ हैं जो आजकल नौकरी करके अपने पति का हाथ बटा रही हैं एव घर की व्यवस्था स्थिर रखने में सहयोग दे रही हैं। यद्यपि हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार स्त्रियों का काय क्षेत्र घर ही है, तथापि समय पढ़ने पर वे अपनी उन्नति करने के लिए घर से बाहर के कम क्षेत्र में भी उतर सकती हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। सच तो यह है कि सांस्कृतिक दृष्टियों से नारी का सारा घर तक सीमित करना भी अधिकारी पुरुष समाज की एक घान मात्र थी। पर आज वह कुफ्र भी टूट चुका है और नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है। अब तो प्रायः सभी क्षेत्रों में उसने अपने-आप को पुरुष से अधिक सक्षम भी प्रमाणित कर दिया है। पुरुष समाज की हीन मानसिकता के कारण जो समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं, वह अलग से धादिरणीय विषय है।

२५. मातायात-समस्या

मानव-जीवन समस्याओं का घर है। जीवन-गति एक के बाद दूसरी समस्या को जन्म देती रहती है। जीवन के परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार की समस्याएँ आज केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व को आक्रान्त किए हुए हैं। फिर भारत को तो समस्याओं का देश ही कहा जाता है। यदि गम्भीरता से देखा जाय तो आज भारत और विश्व के सामने अनेकानेक समस्याएँ उपस्थित हैं, वैज्ञानिक युग की अनेकानेक उपलब्धियाँ ही इसके मूल में विद्यमान हैं। विज्ञान जहाँ पर एक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है, या उसके समाधान के लिए कोई नया उपकरण विश्व-मानवता को प्रदान

करता है, वही से किसी नवीन समस्या का समारम्भ हो जाता है। इसके विपरीत जब हम विगत-जीवन और उसके रहन सहन के ढंग पर विचार करते हैं तो निश्चय ही तब का ससार और उसका जीवन आज की तुलना में अधिक सुखी और अधिक शांत प्रतीत होने लगता है। कम-से-कम तब के जीवन में आज के समान मानव का प्रत्येक कदम समस्यात्मक तो नहीं ही था। आज विज्ञान ने जीवन को जो भणीनी गति सा चालित कर दिया है, अनेक समस्याएँ उसी के कारण हमारे सामने आई हैं। जहाँ तक यातायात की समस्या का प्रश्न है तब व्यक्ति बहुत कुछ इस बारे में निश्चिन्त था। उसे स्वतः ही अपने उपलब्ध साधनों के रूप में इसकी व्यवस्था करनी होती थी और निश्चय ही वह कर लिया करता था। आज के समान उसका जीवन निश्चय ही परमुलापेक्षी तो नहीं था। वह पैदल चलता था, या बैलगाड़ी पर, घोड़े पर चलता था या टमटम अथवा इक्के पर निश्चय ही वह निर्धारित समय पर अपनी निश्चित यात्रा तय करके निर्धारित स्थान या गन्तव्य पर पहुँच जाने में समर्थ हो जाता करता था। इसके विपरीत आज यातायात के अनेकानेक समुन्नत साधनों के उपलब्ध हो जाने पर भी यह कितनी विडम्बना की बात है कि आज मानव निश्चित समय पर अपने गन्तव्य पर पहुँच ही पाएगा, यह कोई निश्चित रूप में कह नहीं सकता। उसकी सुरक्षित यात्रा को भी कोई गारण्टी नहीं की जा सकती।

आज यातायात के अनेक साधन हमारे पास मौजूद हैं। जितने साधन हैं, समस्याओं के भी उतने ही रूप विद्यमान हैं। यातायात से यहाँ हमारा अभिप्राय केवल मनुष्य-यात्रियों के इधर उधर जाने माने से ही नहीं है, बल्कि व्यापारिक दृष्टियों से माल-असबाब के लाने-ले जाने से भी है। जहाँ तब व्यक्तियों के आने-जाने का प्रश्न है उनके लिए आज यातायात के अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। सम्पन्न लोगों के पास अपने साधन विद्यमान हैं। उनके पास मोटरें, कारें, जीपें, मोटर साईकिल, स्कूटर आदि विद्यमान हैं। अतः साधन-सम्पन्न लोगों के लिए न तो आज ही कोई समस्या विद्यमान है और न पहले ही कभी थी। इस प्रकार बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों ने अपने माल-असबाब को ढोने के लिए भी अपने अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध कर रखे हैं। दूर-दराज की यात्रा करने के लिए, अपने माल-असबाब को ढोने के लिए भी साधन-सम्पन्न लोगों के सामने कोई बड़ी समस्या नहीं है। वे लोग जाने माने के लिए हवाई जहाज तक का माथा देकर उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वे लोग अपने माल-असबाब को ढोने के लिए भी उपरोक्त साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मूल समस्या उन लोगों की है कि जो साधन-हीन हैं। इनमें

मजदूर किसान, छोटे वर्गों के व्यापारी, दफ्तरों के बाबू तथा अन्य सामान्य व्यक्ति आते हैं। इन्हें यदि कहीं जाना होता है तो यातायात की समस्या उनके सामने मुंह बाये खड़ी रहती है। यदि वे सामान्य कारोबार की दृष्टि से अपना माल असबाब नहीं भेजना चाहते हैं, तब भी उनके सामने यातायात की विकट समस्या मुंह बाए खड़ी दिखाई देती है। यहाँ हम अपनी बात एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहते हैं। उदाहरण देश की राजधानी दिल्ली को ही लिया जा सकता है। यहाँ स्थानीय बस-सेवा का जब अधिक विस्तार नहीं हुआ था तो लोग बिना किसी हील-हुज्जत के अपनी नौकरियों पर अपने ही साधनों के समय पर पहुँच जाते थे, कारोबारी और व्यापारी अपने सस्थानों तथा दुकानों पर भी उसी प्रकार यथासमय पहुँच जाया करते थे। उसके बाद अनेक रूढ़ियों पर बस-सेवा का विस्तार किया गया। यह विस्तार तो कर दिया गया किन्तु साधन यानि बसें, उतनी या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न की जा सकी, जितनी आवश्यक थी। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने परम्परागत यातायात के साधनों (पदल या साईकिल पर चलना भी) छोड़ कर बसों के मीहताज होकर रह गए हैं। उनकी आदत बिगड़ गई है। परिणाम स्वरूप उचित और उपयुक्त साधनों के अभाव में अब वे पहले साधनों का उपयोग करने की आदत भी बदल बैठे और नए साधन भी ठीक ढंग से उपलब्ध न हो सके। फलस्वरूप आज वे अपना समय, शक्ति और कई बार साधनों का भी जितना दुरुपयोग बसों की प्रतीक्षा या उन पर सवार हो पाने में करते हैं, उतना उन्हें न तो पहले करना पड़ता था और न किसी प्रकार की हानि ही उठानी पड़ती थी। शरीर और कपड़े आदि सुरक्षित रखते हुए बस-यात्रा कर लेना बड़ा गनीमत समझा जाता है।

दिल्ली की बस-सेवा एक उदाहरण मात्र ही है। अन्य बड़े नगरों और देहातों में भी उनके कारण आज लोगों की परम्परागत आदतें खराब हो चुकी हैं और यातायात की इस समस्या का लगभग यही रूप है। इस प्रकार की वैज्ञानिक सेवाओं ने लोगों की आदतों को किस सीमा तक बिगाड़ कर उन्हें अनाहिज और निष्क्रिय कर दिया है इसका मैं एक अन्य उदाहरण देना चाहूँगा। पंजाब और हरियाणा के ग्रामों में पहले बिजली नहीं हुआ करती थी। लोग कड़वा तेज या कैरोसिन के लैंप जलाकर अपना अंधकार काट लिया करते थे। जहाँ तक हवा का प्रश्न है, उसके लिए वे बिजली के पक्षों के मुत्तापेखी न होकर प्राकृतिक हवा के ही अधिक आश्रित थे। या फिर साधन-सम्पन्न लोगों ने घरों में रस्ती खींचकर हवा करने वाले पखे लगा रखे थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर आटा पीसने वाली चक्कियाँ भी बिजली पर आश्रित नहीं, बल्कि वे विशेष तेल

। मे चला करती था । या फिर लोग घराट या खराश पर पीस कर घाटा पकाया करते थे । किंतु अब बिजली तो अत्येक गाँव में कहने को पहुँच गई है, पर उसकी मात्रा इतना कम है कि उसका उचित और वाछित उपयोग ग्रामीण जन कभी भी नहीं कर पाते । हुआ यह है कि इस बिजली की पहुँच ने वहाँ के लोगों की परम्परागत आदतें बिगाड़ दी हैं । वहाँ नगरो की बिजली और बस-सेवा के समान हाय बिजली 'हाय बस' मची रहती है । अब वे लोग बिजली के बिना एक पल भी रह पाने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं । बिजली का अभाव आटा-बकिया तक को व्यर्थ करके रख देता है और ग्रामो का परम्परागत निजाम ही तहस-नहस या दरहम-बरहम होकर रह जाता है । ठीक यही स्थिति आज नगरो और ग्रामो में यातायात की भी हो गई है—हाय ! तौबा ! और बस ?

अब तनिक रेल-यातायात के सम्बन्ध में भी विचार कर लिया जाय । हमारे विचार में वहाँ की स्थिति स्थानीय बस सेवाओं से भी अधिक खराब है । दूर यात्री गाड़ियों की बात तो छोड़िए, उन पर चढ़ पाना चित्तौड़ गढ़ को फतह करने के समान तो है ही जहाँ यातायात के लिए स्थानीय रेल-सेवा विद्यमान है, वहाँ की स्थिति भी किसी प्रकार से अच्छी नहीं कही जा सकती । बम्बई, फलकत्ता और सीमित अर्थों में राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की सेवा उपलब्ध है । पर यहाँ स्थानीय रेलों में भी व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है उसे यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । आदमो पर आदमी चढ़ा होता है, हिलना डुलना तो क्या साम तक ले पाना दूभर हो जाता है और इस प्रकार के भीड़ मड़बके में यदि किसी की जेब या अर्थ सामान भी साफ हो जाय तो सामान्य बात ही बही जानी चाहिए । अब जरा दूर-दराज की यात्रा करने वाली रेलों का भी जायजा ले लिया जाये । उनमें तो हमेशा इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि बच्चो, बूढा और नारियो के लिए किसी डिब्बे में घुस पाना प्रायः असम्भव हो जाता है । यदि किसी प्रकार घुस भी गए तो भीतर सामान पर बैठ पाने की भी जगह प्रायः नहीं होती । कई बार तो कुछ लोग विचारे अपने हल्के-फुल्के सामान बड़े खड़े हाथों में उठा कर भी यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं । कहा जा सकता है कि दूर दराज की यात्रा करने वालो को अपना स्थान पहले से ही सुरक्षित करा लेना चाहिए । पर 'सुरक्षा विडम्बियो' पर क्या कम भीड़ होती है ? फिर वहाँ तो अठारह पन्द्रह दिन पहले ही सब सीटें भर चुकी होती है । क्योंकि ब्राह्म लोगो ने रिश्बत लेकर अपनी जेबें जो भरनी होती हैं । ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि जब किसी यात्री का प्रतीक्षा-सूची में नाम लिख लिया गया, बाद में स्थान रहने पर भी उसे तभी दिया गया कि जब उसने दो चार रुपये

देकर कड़कटर की पूजा कर दी। एक तो रेलों की कमी, उस पर रिश्वत और खुला भ्रष्टाचार, और आज दूर-दराज की यात्रा कितनी कठिन हो गयी है।

रेलवे की मालगाड़ियों में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। वहाँ भी रिश्वत दिए बगर आप अपना माल बुरा नहीं करवा सकते। बड़ी-बड़ी फर्मों ने तो प्रति नग के हिसाब से बाबुओं के साथ एक दर निश्चित कर रखी है, अतः उनका माल जाता-भाता रहता है। पर सामान्य व्यक्ति को दुर्भाग्य से यदि कहीं कुछ रेल से भेजना पड़ता है तो बिना बाबुआ की पूजा किए छोटे से पार्सल के लिए भी माल या ग्रय गाड़ियों में कोई स्थान नहीं रहता। इतना ही नहीं सामान्य व्यक्ति यदि कोई माल छुड़ाने जाता है, तो भी उसे पूजा चढ़ानी ही पड़ती है। नहीं तो माल पड़ा सड़ता रहेगा और बाद में जो समय पर न छुड़ाने के कारण जुर्माना देना पड़ेगा, वह अलग। उस पर गजब यह कि उनकी सुनने वाला वही कोई नहीं। इसी कारण कई बार उसे माल के दाम से अधिक जुर्माना देना पड़ता है और मजा यह कि तब भी भारतीय रेलवे का घाटा प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अनन्त यात्री हैं रेलों पर सफर करने के लिए, अनन्त माल भी है रेलों पर जाने के लिए— इनके लिये वहाँ जगह नहीं और घाटा, वाह! क्या बात है? इसके मूल में कारण है रेलवे बाबुओं की मिली-भगत। वे रिश्वत लेकर कम धजन लिख देंगे। बड़ी फर्मों को वक्त पर माल छोड़ देने या देर से छुड़वाने पर भी जुर्माना न लगने देने के लिए प्रतिनग के हिसाब से दर निश्चित है— फिर रेलवे को घाटा क्यों न हो? इस प्रकार यातायात का यह साधन भी आज सामान्य जन के लिए एक पहेली और अपहूँच का साधन बनकर रह गया है। वह जाए तो वहाँ? कोई पूछने वाला भी तो नहीं!

दूर दराज की यात्रा के लिये आज बस सेवा भी उपलब्ध है। वह भी इतनी अपर्याप्त है कि व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व एक तीखा ध्यग्य बनकर रह जाता है। हमारे विचार में आज सामान्य जन को यदि सर्वाधिक अपमानित होना और हीनता का अनुभव करना पड़ता है तो यातायात के साधनों तक पहुँच पाने के अवसर पर ही। ग्राम व्यक्तियों को कम से कम दो बार प्रतिदिन तो अवश्य ही इन स्थानीय बसों के साथ जूझना पड़ता है और उसका यह सघप युद्ध भूमि के सघप से कम नहीं होता। उस पर सवाहको का व्यवहार (रेल और बस-सेवा दोनों के) तो और भी अधिक अपमानजनक और सामंतवादी होता है। वे लोग यह समझते हैं कि जैसे यात्रियों को सवार होने देकर उनसे पैसे लेकर भी उन पर बहुत बड़ा ग्रहसान कर रहे हैं। उपरोक्त ध्यौरों और विवरणों से स्पष्ट है कि आज गावा जाही तथा ग्रय उपयोगों के लिए यातायात की समस्या कितनी उग्र एवं भयावह हो चुकी है।

उपरोक्त सरकारी या गैर-सरकारी साधनों के प्रतिरिक्त यातायात के कुछ अन्य साधन भी बड़े-बड़े शहरों में उपलब्ध हैं। ऐसे साधनों में हल्क रिक्शा या सार्जिनल रिक्शा, टैक्सो, स्कुटर और तागा आदि आते हैं। इनकी दुनिया भी अपनी और निराली है। जहाँ तब हाथ रिक्शा और सार्जिनल रिक्शा का प्रदन है उनके सम्बन्ध में कुछ न कहना ही उचित है। क्योंकि वे बेचारे तो किसी प्रकार मातृ का बोझा ढोते हुए अपने जीवन को भी ढो रहे हैं, किसी प्रकार पेट भरने की समस्या से पशुओं के समान जूझ रहे हैं। परन्तु धनमर देसा जाता है कि सवारी चाहने वाले को विषम परिस्थितियों में क्या देखकर यह भी अनुचित लाभ उठाने से बाज नहीं आते। परन्तु उनका यह अनुचित लाभ समस्त सीमाएँ तक प्रायः नहीं होता। फिर भी हमारे विचार में ये लोग अधिकांश मानव-सहानुभूतियों के ही अधिकारी हैं। परन्तु तागा, स्कुटर और टैक्सो वाले को तो मनमानी का कहना क्या? ये लोग आपको वहीं ले जायेंगे कि जहाँ उनकी इच्छा होगी। उस पर निर्धारित विराम से कबसर अधिक बसूली को ही चेष्टा करेंगे। विशेषकर जिस दिन या जिस समय बस आदि के साधन तनिय दुबल रहते हैं, तब तो ये लोग दोनों हाथों से सूटने की चेष्टा करते हैं। मेले, त्यौहार तथा उत्सवों के दिनों में तो इनकी सूट आत्याचार की सीमा तक बढ़ जाती है। कितनी विचित्र बात है कि अपने आपको माता अथ देवी-देवता का भक्त समझने वाला उनके नाम पर, दिन विशेष पर प्रसन्न होने वाला और उनके चित्र स्कुटर या टैक्सो में लगाकर चलने वाला सवाह उन्हीं के त्यौहारों या धार्मिक उत्सवों के दिनों पर जनता के कपड़े तक उठा लेना चाहता है। जैसे सन्धी फल वाले प्रतो और उत्सवों के दिनों पर जनता को मनमाने ढंग से लटते हैं उसी प्रकार ये तांगे स्कुटर और टैक्सो का भी। इससे लगता है कि हमारा धार्मिक सांस्कृतिक और नैतिक चरित्र को यह ही नहीं गया। यही कारण है कि सामान्य व्यक्ति यातायात के इन साधनों का भी प्रयोग नहीं कर पाता। यदि कभी विवशता से करता भी है तो बाद अपने आपको बुरा-बुरा सा अनुभव करने लगता है। फिर इस प्रकार के साधनों के सवाहकों की भाषा तो बस और रेल के सवाहकों से कहीं अधिक गिरी हुई तथा अपमानजनक होती है। बड़े रेलवे स्टेशनों से उतर कर जिनका पाल इनसे पड़ता है वे मुक्तभोगी अच्छी तरह इन की मनोवृत्तियों का निकार ह भाग्य को कोसते देखे जा सकते हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आज इस देश के ग्रामों से लेकर छोटे-बड़े नगरों तक सभी प्रकार के और सभी दृष्टियों से यातायात के साधनों की क्या दशा है। यह समस्या कितनी गहरी और कितनी व्यापक है, इनके

चक्कर में कैसे सामान्य जन कितने धन, शक्ति और समय का अपव्यय कर रहे हैं साथ ही कितने अपमानित और आतण्डित भी हो रहे हैं। बसों और रेलों में यात्रियों के सामान्य सुविधा के लिए अक्सर झगड़े भी हो जाते हैं। सिर फूटना यदि तो सामान्य बात है, प्राण जाने और हत्याओं तक की नौबत आ जाती है। सवाहको से झगड़े होते हैं। सवाहको का व्यवहार सभी दृष्टियों से अनुचित एवं अपमानजनक होने पर भी संरक्षण उन्हें ही प्राप्त होता है—क्योंकि वे सरकारी व्यक्ति होते हैं। प्राइवेट सबहन में यदि सवाहको के अनुचित व्यवहारों के प्रति दिखावे की कोई कायवाही भी की जाती है तो नाम मात्र की। इसी कारण उसका प्रभाव अधिक और वह भी प्रतिक्रियामक ही होता है। अतः चारों ओर यातायात के साधनों के चक्कर में बेचारी आम जनता पिस रही है। उसकी मुनने वाला, उसे उबारने वाला कहीं कोई दिखाई नहीं देता। वह मार खा रहा है और उसे मार खाते ही रहना है। अर्थ कोई चारा नहीं।

कभी कभी जनता का आक्रोश भी उन सेवाओं के प्रति प्रकट होता है। बसों और रेलों का घेराव होता है। विद्यार्थियों के आन्दोलन होते हैं। बाबू लोग और सामान्य जन भी अनेकश घेराव और आन्दोलन जैसा कुछ करते हैं। पर सबका परिणाम समय, शक्ति और धन के अपव्यय से अधिक कुछ भी नहीं हो पाता। समस्या ज्या की त्यो रह जाती है। आज जीवन का दैनिक वेग द्रुत से द्रुततर हाता जा रहा है। आवश्यक जीविका के साधन जुटाने के लिए सामान्य जन को दिन-रात बड़ी तेजी से भागना पड़ता है। पर दूरी इतनी अधिक होती है कि चलकर या भागकर व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अतः अनिवायत उसे यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वे इतने कम और अस्त व्यस्त हैं कि आबादी के अनुपात से आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते। इस कारण राष्ट्रीय शक्ति और धन का कितना दुरुपयोग होता है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अव्यवस्थित साधनों से अव्यवस्थित सा होकर जब कोई व्यक्ति कमचारी दफ्तर या कारोबार स्थल पर पहुँचता है तो व्यवस्थित होने में काफी समय बरबाद कर देता है। फिर वापसी पर उसे पहले से ही तैयारी आरम्भ कर देनी पड़ती है। विशेषतः सरकारी क्षेत्रों में इस सबके परिणाम स्वरूप शक्ति, समय और धन की कितनी राष्ट्रीय क्षति हो रही है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

अतः हम यही कहना चाहते हैं कि यातायात के साधनों में सुधार और व्यापकता लाने के लिए आज मुद्द-स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता की भी आवश्यकता है। सरकार यदि राजस्व की हानि बचाना और उनमें वृद्धि करना चाहती है तो

क्षेत्रों में भी बड़ी सावधानी से युद्ध-स्तर पर ही कार्य करना होगा। तभी इस समस्या का समाधान होगा। नहीं तो सदा अपमानित होने वाली जनता का हिंसक आक्रोश भाग के समान ही भड़कता रहेगा। बल्कि सघातक स्थिति तक भी भड़क सकता है। परिणाम कितना घातक होगा, इसका अनुमान छोटे-छोटे भड़कावों से सहज ही लगाया जा सकता है।

८६ नारी का आभूषण सौन्दर्य नहीं, सौम्य गुण

नारी स्वभाव से ही, प्रकृति से भी कोमल और सुन्दर होती है। वह समाज का प्रमुख अंग भी पुरुष के समान ही है। समाज की गाड़ी तभी ठीक चलती है कि जब पुरुष और स्त्री दोनों में ही आवश्यक गुण विद्यमान हों। दोनों का ही समाज के सामने सुन्दर, स्वस्थ रूप हो। पुरुष के लिए शील, माधुर्य और सौम्य स्वभाव के अतिरिक्त वीरता, साहस, निर्भीकता, दृढ़ सकल्य आदि प्रधान गुणों का होना भी अति आवश्यक है और नारी के लिए मधुर बाणी मधुर स्वभाव, शील, सेवा, कृतव्यपरायणता आदि सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में नारी का नारीत्व ही व्यर्थ है। वह एक सच्ची माता तथा सच्ची गृहलक्ष्मी नहीं बन सकती। अपने व्यक्तित्व में अपूर्ण और अधूरी ही समझी जाती है।

आज बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि प्राचीन काल में जो नारी पूजनीय समझी जाती थी, जो गृहलक्ष्मी तथा आदर्श माता होती थी, उसी नारी को समाज में पुरुषों की केवल वासनापूर्ति का साधन मात्र समझा जाता रहा है। आज नारी का केवल एक रूप ही समाज के आगे रहता है और वह है रमणी का। रमणी शब्द में तो केवल वासना पूर्ति की भावना विद्यमान रहती है और इसीलिए रमणी शब्द के सुनते ही उसके अप्रतिम सौंदर्य तथा रूप का स्मरण ही आता है। यह मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह सौंदर्य को ओर आकर्षित होता है। यही कारण है कि वह आदि काल से ही नारी को अधिक-से-अधिक आकर्षक रूप में देखने के लिए उत्सुक रहा है। दूसरी ओर नारी भी अपने जीवन का लक्ष्य पुरुष के सामने अपना अधिकतम आकर्षक रूप प्रस्तुत करना ही समझती रही है। वह इसी को अपने जीवन का सार्थकता समझकर अपने को कृतकार्य मान प्रसन्न होती रही है।

अपनी असमजसता की स्थिति में नारी पुरुष को अपनी ओर अधिकाधिक आकृष्ट करने के लिए अपने सौंदर्य को धन पुष्पो तथा सोने-चांदी के आभूषणों से शृंगार करके द्विगुणित करने लगी। समय व्यतीत होता चला गया और आज वह समय आ गया है कि सोने चांदी, हीरे, जवाहरात तथा मोतियों के आभूषण सौंदर्य वृद्धि के साथ साथ सम्पन्नता का भी गौरव बोध कराने लगे हैं। नारी की हीनता-पराधीनता के कारण भी बन गए हैं।

नारी का आभूषणों के प्रति आकर्षण आदि काल से ही चला आ रहा है। हाँ, इतना अवश्य है कि समय के परिवर्तन के साथ साथ आभूषणों की रचना और फैशन में परिवर्तन होता गया है। प्राचीन काल में पुष्प आभूषणों के प्रति जितना आकर्षण था, उतना आकर्षण सोने और चांदी के आभूषणों के प्रति नहीं था, परंतु आज उसका ठीक उल्टा है। लालसा विस्तार नारी पराधीनता का कारण बना है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में आभूषणों के प्रति नारी का आकर्षण उसके जीवन की सफलता है, क्या नारी का नारीत्व उसके प्राकृतिक सौंदर्य में है या फिर कृत्रिम सौंदर्य में? क्या इस शरीर का सुघडपन, सुंदर वण, सुंदर नाक, मृग जैसे नयन, गोल कलाइयाँ, चमक दमक वाला चेहरा तथा मनोहर अंग रचना ही सुंदर नारी के गुण हैं? वास्तव में नारी का सौंदर्य उसके शारीरिक सौंदर्य में उतना नहीं, बल्कि उसके महान गुणों में है। इन्हीं गुणों ने अतीत भारत में उसे पूजनीय बनाया और आज या प्रत्येक युग में इन्हीं गुणों से ही नारी-जीवन का विकास सम्भव है।

अब यह जानना आवश्यक है कि नारी के जीवन को सफल बनाने के लिए किन गुणों का आवश्यकता है और नारी का कम-क्षेत्र क्या है? यदि नारी जीवन का उद्देश्य केवल मात्र पुरुष की कामुक भावना को तृप्त करना ही होता तब तो उसके लिए यह उचित होता कि रात दिन अपना शृंगार करने में लीन रहती, आभूषणों तथा सुन्दर वस्त्रों से अपने सौंदर्य में वृद्धि करती रहती जैसा कि मध्य-युगों के सामान्ती वातावरण में किया जाता रहा है। परंतु उसके लिए तो उदारता, सहन-शीलता मधुर वाणी, नम्रता विनय सेवा, वात्सल्य, पत्नीव्रत आदि अनेक गुणों व धर्म-कार्यों का पालन करना अति आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में वह अपने नारीत्व को खो बैठती है।

प्रधानतया नारी के जीवन का विकास दो रूपों में होता है—एक माता के रूप में तथा दूसरा पत्नी या गृहलक्ष्मी के रूप में। माता की गोद ही सत्कार का सब से बड़ा विश्व विद्यालय है। सबप्रथम बच्चा माता की गोद में ही रहकर ज्ञान प्राप्ति करता है। उठना, फिरना, खाना, पीना सभी कुछ सीखता है। बच्चे

के जैसे सस्कार शैशव काल तथा बाल्यावस्था में पड़ जाते हैं वे ही उसके भावी जीवन में उसकी उन्नति के शिखर पर या पतन के गत में ले जाते हैं। पुत्र के चरित्र को बनाने तथा बिगाड़ने वाली उसकी माता ही होती है। यदि कोई बच्चा चोरी करता है और उसकी माता उसके इस कुकर्म के लिए उसे दण्ड देती है तो अवश्य ही उसका सुधार हो जायेगा। परंतु यदि माता ने उसे कुकर्म करने के लिए और अधिक उत्साहित किया, तो यह निश्चित है कि एक दिन वह एक बड़ा डाकू बनेगा। इसलिए यह कहना उचित है कि महान आत्माओं का विकास माता के गभ या गोद में ही होता है। परंतु एक नारी के लिए एक आदर्श माता बनना तभी सम्भव है जबकि उसमें पृथ्वी की-सी सदिष्णता, समुद्र की-सी गम्भीरता, हिम की सी शीतलता प्रवृत्ति की सी कोमलता और नक्षत्रा, गंगा के समान पवित्रता, वीणा जैसी मधुरता, गी की साधुता, हिमालय की उच्चता आसमान जैसी विशालता आदि गुणों का विकास हो। इसलिए माता का मौदय उसके इन सौम्य गुणों में ही है बनावटी आभूषणों या अन्य प्रकार की तडक-भडक वाले फैशन में नहीं।

माता की भांति ही पत्नी में भी सौम्य गुणों का विकास होना आवश्यक है। पतिव्रत धर्म का पालन शारीरिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि नारी के सौम्य गुणों के द्वारा ही हो सकता है। दिन भर काय करके थका हुआ पुरुष संध्या समय घर वापिस आता है। घर आने पर यदि उसकी पत्नी उससे हँसकर बोलती है उससे हाथ मुँट घुलाती है और उसे प्रेमपूर्वक भोजन कराती है, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। पर यदि स्त्री में इन गुणों का अभाव है तो उसका जीवन नारकीय बन जाता है। जब पुरुष घर में आता है, तो अपनी पत्नी की खटिमा में पड़ा पाता है, सब काम ऊट-पटाग ही पाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका जीवन दूभर हो जाता है, हँसी, मुस्कराहट तथा प्रसन्नता, उससे कौसों दूर रहती है। घर नरक और जीवन नारकीय बन जाता है।

यदि मनुष्य को रमणी के रूप में आनंद देने वाली, भगिनी के रूप में स्नेह करने वाली और माता के रूप में सेवा करने वाली नारी प्राप्त हो जाए, तो वह कठिन से कठिन काम को भी सफलतापूर्वक कर सकता है। स्त्री के शील-स्वभाव तथा मधुर वाणी से समस्त परिवार में प्रसन्नता छाई रहती है। ककशा नारी के घर में आ जाने पर पारिवारिक जीवन असह्य हो उठता है। ऐसी नारी अपने घर परिवार को ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों तक के जीवन को दूभर कर देती है। इसलिए नारी जीवन में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में कोई भी स्त्री आदर्श पत्नी या आदर्श माता नहीं बन सकती। वह सामान्य गरीब कहलाने को अधिकारिणी भी नहीं कही जा सकती।

केवल घर में ही नहीं, बाहरी सत्संग में भी सफलता प्राप्ति के लिए नारी जीवन में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करने वाली या अपने घर में ही रूप शौर्य का गव करने वाली नारी न तो अपने परिवार को प्रसन्न रख सकती है, न अपनी सत्संग का ठीक प्रकार से पालन-पोषण कर सकती है और न ही वह बाहरी सत्संग में सफलता प्राप्त कर सकती है। पंडित विजयलक्ष्मी, सरोजिनी नायडू, श्रीमती अरुणा आसफअली, राजकुमारी अमृतकौर आदि अनेक भारतीय नारियों ने अपने सौम्य गुणों के द्वारा ही राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में ही सम्मान प्राप्त नहीं किया, बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊँचा उठाया। इन आदर्श नारियों ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक कष्टों को सहन किया और समस्त नारी जाति में धर्म-देश-भक्ति का संचार कर उनका पथ प्रदर्शन कर अपने कर्त्तव्य तथा धर्म का पालन किया है। उन्होंने अपना श्रृंगार कर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन नहीं किया है बल्कि महान् काय करके मान-सम्मान कमाया। कर्म को ही सौंदर्य और श्रृंगार माना तभी सम्मान प्राप्त किया।

अतएव यदि पुरुष जीवन की सफलता के लिए उसमें अोज, वीरता, निर्भक्ता, दृढता, कठोर श्रम आदि गुणों का होना आवश्यक है तो नारी-जीवन की सफलता के लिए उसमें सौम्य गुणों का विकास अपेक्षित है। इसलिए यह निःसंदेह सत्य है कि नारी का आभूषण सौन्दर्य नहीं, उसके सौम्य गुण हैं। अतीत में इन्हीं गुणों के कारण वह सम्मानित रही और भविष्य में भी इन्हीं के विकास से रह सकती है।

८७ मद्य-निषेध

मद्यपान की प्रवृत्ति ने आज फैशन का रूप धारण कर लिया है। आज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार के जीवन व्यवहार में मद्यपान की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ि पाती जा रही है। मद्यपान को आज की व्यावहारिक सम्यता और प्रगति का अंग स्वीकार किया जाने लगा है। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान मद्यपान के अभाव में आज उसी प्रकार अधूरा अधूण एवं नीरस समझा जाने लगा है कि जैसे मध्यकालीन भारत में वाममार्गी साधना में सुरा-मुदरी का सेवन साधना का एक आवश्यक अंग बन गया था। उस काल में जैसे इस प्रवृत्ति ने तामसिक वृत्तियों को बढ़ावा देकर सहज

मानवीयता और उसके सद्धर्म को समाप्त कर दिया था, ठीक उसी प्रकार की स्थिति आज भी भारत में अनवरत वृद्धि पाती जा रही है। उन तामसिक प्रवृत्तियों एवं तद्जन्य दुष्परिणामों को देखकर ही आज गांधी के देश में एक बार फिर मद्यपान की बुराई के विरुद्ध सशक्त स्वर मुखरित होने लगा है। उस स्वर की अहर्निश अनुगूँज प्रायः सभी राज्यों में विद्वेकवान् व्यक्तियों द्वारा मुखरित की जा रही है। परन्तु वह आवाज नक्कलखाने में तूती की आवाज से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हो पा रही।

संसार के सभी देशों में आज यद्यपि मद्यपान मुक्तभाव से हो रहा है, पर परम्परागत धर्म और सांस्कृतिक दृष्टि न किसी भी युग में मद्यपान का औचित्य नहीं ठहूँराया, बल्कि इस बुराई और नरक की राह से सदैव दूर रहने की प्रेरणा और उपदेश दिया है। इसे एक असामाजिक कार्य बताकर, सहज मानवीयता से पतित करने वाला कहकर, इससे हमेशा दूर हो रहने की प्रेरणा दी है। तभी तो प्रत्येक युग के साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में 'मदत्र मद्यपी, शराबी-कवाबी' जैसे गालीमूलक शब्दों का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए मिलता है, जो किसी भी रूप में मदिरापान करते हैं। हमारे देश में मदिरा को आसुरी या राक्षसी सम्प्रदाय-संस्कृति की देन मानकर वज्य बताया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही इसी कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत को मदिरा आदि नशीले पदार्थों के सेवन से रहित, आदर्श राष्ट्र बनाने की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इसी कारण उन्होंने अपने आन्दोलनों में शराब की दुकानें बन्द कराने के लिए घरनों और घेराव तक का आयोजन किया था। पर दुःख की बात है कि उही राष्ट्रपिता के देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से मद्यपान की न केवल लत ही बढ़ती गई है, सरकारी स्तर पर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए सभी प्रकार की मदिरा बिक्री के लिए अधिक-से अधिक दुकानें आदि खोलकर उसके मुक्त एवं भरपूर वितरण की व्यवस्था भी की गई है। आज स्थिति यह है कि नगरों की बात तो जाने दीजिए सामान्य कस्बों और ग्रामों तक में कदम कदम पर मदिरा की दुकानों के जाल बिछे हैं और ये जाल केवल ठेके के स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी बिक्री केन्द्रों के रूप में बिछे हैं। इसे गांधी के देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है।

मद्यपान की अनवरत वृद्धि की प्रवृत्ति को हम आधुनिक भौतिक सम्प्रदाय की देन ही मूलतः मान सकते हैं। भौतिकता के प्रभय ने अथर्व विलास प्रवृत्तियों और सामग्रियों को तो बढ़ावा दिया ही है, मदिरा सेवन करके विलासिता की भाषना-पूर्ति को भी हवा दी है। तभी तो यह क्रिया आज सामाजिकता का अंग बन गई है। पहले यदि कोई पीता भी था, तो सामाजिकता के भय से छिप छिपा

कर पिया करता था, पर आज जब 'इस हमाम में सभी नगे' हैं तो फिर छिपाव कैसा ? सिनेमा में मुक्त पान की प्रवृत्ति ने भी मद्य पान की प्रवृत्ति को विशेष हवा दी है। उसी के प्रभाव से आज इसका प्रवेश स्कूलों, कॉलेजों और महिला-छात्रावासा तक में हो गया है। बनबो की चीज आज विद्या के पवित्र मंदिरों में भी पानी के समान ही पहुँच चुकी है। शादी-ब्याह या किसी भी प्रकार के सामाजिक उत्सव को मंदिरों के अभाव में सूखा और फीका माना जाने लगा है। इनमें भाग लेने की पहली शत के रूप में लोग मंदिरों-प्रवस्था की बात कहते हैं।

समर्थ-सम्पन्न लोग तो इसके अधिकाधिक आदी बनते ही जा रहे हैं, असा मद्य और निधन वर्गों में भी यह रोग कोढ़ के समान अधिकाधिक फैलता जा रहा है। घर में अभावों का नगा नाच हो रहा है, पर मुश्किल से दो जून की रोटी अपने बच्चों को दे पाने वाले की भी शराब का नाम सुनकर बाँछें खिल उठती हैं। पहले थोड़े से आरम्भ होता है, फिर लत बन जाती है और तब अभाव में भाव दूबने का प्रयास किया जाता है। अभाव में अर्धशराब का पान किया जाता है जो कभी तत्काल और अक्सर धीरे धीरे सभी प्रकार से व्यक्ति को खोखला बनाकर प्राणलेवा प्रमाणित होता है। इस प्रकार के समाचार हम लोग अक्सर पढ़ते सुनते रहते हैं। यह तो है असमर्थ अभावग्रस्त शराबी की बात, समय धरो के युवक भी शराब में लती होकर व्यभिचार, डकैती, चोरी आदि के शिकार होते देखे जाते हैं। सामाजिकता, नैतिकता आदि सभी दृष्टियों से शराबखोरी की लत अततोमत्वा हानिप्रद ही प्रमाणित होती रही है। फिर भारत जैसे गम देश में इसका अधिक सेवन यो भी उपयोगी नहीं। हाँ, ठण्डे जलवायु वाले देशों में इसकी कुछ उपयोगिता अवश्य स्वीकार की जा सकती है - यह भी तभी, जब व्यक्ति के पास इसे पचाने और उपयोगी बनाने के साधन सुलभ हों। नहीं तो वहाँ के देशों में भी अधिक अनाचार, शराब के नशे में, शराब के लिए ही होते हैं, ऐसा ठण्डे देशों यानी पाश्चात्य देशों के प्रबुद्ध विचारक भी अब मुक्त भाव से स्वीकारने लगे हैं। इस स्वीकृति के साथ ही अब उन देशों में भी शराब बंदी की प्रबल माँग की जाने लगी है। पर गाँधी का देश भारत, वह बहरा अर्थात् हाकर इस तेज धार में निरन्तर बहा जा रहा है।

इस प्रकार सिद्ध बात यह है कि शराब या इस प्रकार के अय नशे मागण के मूल स्वभाव और प्रवृत्ति के सबथा विपरीत हैं। यथासम्भव द्वासे सुधारों का सामूहिक स्तर पर अनवरत प्रयास आवश्यक है। पहले भी शीघ्रता से प्रांतीय स्तरों पर शराबबंदी का परीक्षण किया जा चुका है, जो

असफल रहा। परिणामतः उस बन्दी को ही बंद करना पड़ा। सरकार को आवकारी करके रूप में करोड़ों रुपये प्राप्त होता है, यदि एकाएक पूरा नशा बन्दी कर दी जाती है तो सरकारी अर्थ-व्यवस्था पर तो उसका प्रभाव पड़ना ही, पहले के समान समानान्तर पर तस्करी और अवैध शराब निर्माण की अर्थ-व्यवस्था चालू हो जायेगी, जो बंद आज भी नहीं और मुक्त भाव से चल रही है। उसका प्रभाव अर्थ व्यवस्था के साथ-साथ पीने वाले के स्वास्थ्य, मनोवृत्तियों को भी दूषित एवं चौपट कर रहा है। फिर यह आदत आज जिस सीमा तक बढ़ चुकी है, उसको केवल कानून बना देने से ही दूर नहीं किया जा सकता। जितने वष इस लत को व्यापक होने में लगे हैं, उससे नहीं अधिक इसके विरुद्ध वातावरण तयार करने में लगने चाहिए, तभी मद्यनिषेध के प्रभावकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।

मद्य निषेध की दिशा में सरकारी तौर पर कुछ कदम कई बार उठाए गये हैं। शराब बिक्री के दिन सीमित करना भी इसी प्रकार का एक कदम रहा है, जिसका कोई परिणाम न निकला और न निकलने वाला ही है। जिन्हें पीनी है वे सीमित दिन दुकानें खुलने पर अब भी बन्दी के दिनों के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, कानून के द्वारा तो अत्यधिक निमग्न बनकर ही इसे रोका जा सकता है। वह यह कि एक दिन में ही घोषणा करके शराब के कारखाने, दुकानें आदि सभी कुछ बन्द कर दिया जाए। उसके बाद पीने या इस प्रकार का वष अवैध घधा करने वालों को कठोर यातना दी जाए। देशी के साथ विदेशियों के लिए भी शराब पूरा प्रतिबन्धित रहे। वहीं कोई ढील न हो। या फिर, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वषों तक सशक्त ढंग से ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाए कि लोग स्वयं ही इस और से मुंह मोड़ लें। चार छ वष में मद्य निषेध करने की बात अपने आप को मुलावा देने से अधिक महत्त्व नहीं रखती।

अन्त में, हम यही कहना चाहते हैं कि शराब की आदत घर्म, समाज-संस्कृति, जलवायु अर्थव्यवस्था और मानव प्रकृति आदि किसी भी दृष्टि से इस देश के लिए लाभदायक नहीं। उसे बंद करने का सही दिशा में निश्चय और सही निणय करके ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि जो दूरगामी परिणाम ला सके। कोरी भावुकता और हठवादिता निश्चय ही शुभ नहीं हो सकती।

प्रेस की स्वतन्त्रता

स्वतंत्र प्रेस या प्रेस की स्वतन्त्रता से वास्तविक अभिप्राय है—अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता। प्रेस शब्द यहाँ मूलतः समाचार पत्रों का पर्याय एव स्रोतक है। समाचार-पत्र अपनी मूल नैतिकता में वही कहते और छापते हैं कि जो किसी युग या देश विशेष की जनता की सामूहिक या बहुमत की भावना, इच्छा आकांक्षा और माँग हुआ करती है। प्रेस ही वह माध्यम है जिससे जनता अपनी जागरूकता का परिचय देकर निर्वाचित सरकार और उसकी निरकुशता पर अपना अकुश लगाए रख सकती है। देश की सही स्थिति का, इच्छा आकांक्षा का पता सरकार को देकर उसे तदर्थ उचित कार्य करने के लिए अनुप्रेरित एव सतत यत्नशील रख सकती है। प्रेस की स्वतन्त्रता के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वस्तुतः जनतन्त्री देशों में जन स्वातन्त्र्य की वास्तविक परिचायक है। इसी कारण जनतन्त्री देशों में प्रेस का विशेष महत्त्व समझा जाता है, जबकि तानाशाही, एकतन्त्र और कुछ विशिष्ट रीति-नीतियों वाले देशों में प्रेस के कण्ठ पर हमेशा शासक वर्ग की अगुली रहा करती है जिसे स्वतन्त्रता के बुनियादी अधिकार की मायता देने वाला कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति अच्छा नहीं मानता। प्रेस पर अकुश तानाशाही प्रवृत्तियों का स्रोतक और पोषक ही माना जा सकता है।

यह एक निर्विवाद सत्य है कि स्वतंत्र और जागरूक प्रेस समय-समय पर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय गति विधियों का सही विवेचन विश्लेषण करके सरकारों को तो जागरूक-सावधान रखा ही करता है, जन मत के अध्ययन विश्लेषण और निर्माण में भी सहायक हुआ करता है। युद्धकाल जैसी भराजकतापूर्ण स्थितियों में अनेक बार प्रेस पर कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता करता है, या ऐसे प्रेस पर प्रतिबंध आवश्यक हुआ करता है कि जो किसी भी रूप में जन-भावनाओं को प्रतिगामी बनाता या भड़काता है। पर केवल सरकारी तानाशाही या दुष्प्रवृत्तियों के प्रकाशन से रोकने के लिए जन अभिव्यक्ति के सबल और श्रेष्ठतम माध्यम पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसा करना अन्ततोगत्वा स्वयं सरकार के लिए ही हानिप्रद हुआ करता है यह बात अनेक बार और विशेषकर आपातकाल में प्रमाणित हो चुकी है।

आपात स्थिति की घोषणा एक सीमा तक स्वीकार कर भी हैं कि जनहित

असफल रहा। परिणामतः उस बंदी को ही बंद करना पड़ा। सरकार को आवश्यकारी बरखि रूप में करोड़ा रकमा प्राप्त होता है, यदि एकाएक पूरा नशा बन्दी कर दी जाती है तो सरकारी अर्थ व्यवस्था पर तो उसका प्रभाव पडगा ही, पहले के समान समानान्तर पर तस्कारी और अर्थ धरात निर्माण की अर्थ-व्यवस्था चालू हो जायेगी, जो बंद भाज भी नहीं और मुक्त भाव से चल रही है। उसका प्रभाव अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ पीने वाले के स्वास्थ्य, मनोवृत्तियो को भी दूषित एव चौपट कर रहा है। फिर यह आदत भाज जिस सीमा तक बढ चुकी है, उसको वेवल कानून बना देने से ही दूर नहीं किया जा सकता। जितने वष इस लत को व्यापक होने में लगे हैं, उससे वही अधिक इसके विरुद्ध वातावरण तयार करने में लगने चाहिए, तभी मद्यनिषेध के अभावकारी परिणाम सामने आ सकते हैं।

मद्य निषेध की दिशा में सरकारी तौर पर कुछ कदम कई बार उठाए गये हैं। शराब बिक्री के दिन सीमित करना भी इसी प्रकार का एक कदम रहा है, जिसका कोई परिणाम न निकला और न निकलने वाला ही है। जिन्हें पीना है वे सीमित दिन दुकानें खुलने पर अर्थ भी बन्दी के दिनों के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, कानून के द्वारा तो अत्यधिक निमम बनकर ही इसे रोका जा सकता है। वह यह कि एक दिन में ही घोषणा करके शराब के कारखाने, दुकानें आदि सभी कुछ बन्द कर दिया जाए। उसके बाद पीने या इस प्रकार का अर्थ अर्थ धरात करने वाला को कठोर यातना दी जाए। देशी के साथ विदेशियो के लिए शराब पूरा प्रतिबन्धित रहे। कहीं कोई डील न हो। या फिर, जैसा कि उ कहा जा चुका है, वषों तक सशक्त ढंग से ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया कि लोग स्वयं ही इस और से मुह मोड लें। चार छ वष में करने की बात अपने-आप को मुलावा देने से अधिक रखती।

अन्त में, हम यही कहना चाहते हैं कि शराब की आदत धम, संस्कृति, जलवायु अर्थव्यवस्था और मानव प्रकृति आदि किसी भी इस देश के लिए लाभदायक नहीं। उसे बंद करने का सही दिशा में और सही निणय करके ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि जो परिणाम ला सके। कोरी भावुकता और हठवादिता निश्चय ही शुभ न सकती।

तक पहुँचा सकता है और इस प्रकार जनता के साथ-साथ जन हितकारी सरकारों का भी अनुचित एवं हितकारी हो सकता है। जन रुचियों के परिष्कार, समय स्थिति के अनुरूप जन-रुचियों को मोड़ने, निर्माण कार्यों में जुटने, भुराइयों से सपर्य कर उन्हें जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लिए जन को तैयार करने जैसे कार्य व्यापक स्तर पर, सरल ढंग से प्रेस के द्वारा ही सम्पादित किए जा सकते हैं। किसी भी उचित बात के लिए जन-मत तैयार करना और अनुचित के लिए जन विरोध करना प्रेस का बाएँ हाथ का खेल है। प्रेस में वह शक्ति है कि उसकी एक ही धावाज पर सारा राष्ट्र एक पक्ष में खड़ा हो सकता है। पर यह सखेद कहना पड़ता है कि कभी-कभी प्रेस भी निहित स्वार्थियों के हाथों खेला जाता है। यह भी सखेद स्वीकारना पड़ता है कि केवल भारत ही नहीं, विश्व का प्रेस अभी तक पूर्णतया निष्पक्ष होकर जन मानस का चितेरा नहीं बन सका। इस प्रकार की स्थितियों में ही कई बार मद्रास प्रेस एक्ट या बिहार-प्रेस विधेयक जैसे बार्ते सामने आती हैं, जिनका न चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ता है। यदि प्रेस सावधान रहे तो ऐसे कानूनों की आवश्यकता ही क्यों पड़े ?

प्रेस को मुख्यतः (अभिव्यक्ति की दृष्टि से) दो वर्गों में रखा जा सकता है। मद्यपि प्रेस पर पूँजीपति वर्ग का ही अधिक अधिकार है, तो भी एक वर्ग पूँजीपतियों का है, दूसरा सामान्य वर्ग का, कि जो सभ्य आदि की दृष्टि से काफी दुबल है। इस भेद-भाव को मिटाकर ही प्रेस वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीयता का, जन-सामान्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जनता का मुख बन सकता है। कई बार कुछ पत्रिकाएँ विशिष्ट राजनीतिक दला का मुख बन कर भी सामने आती हैं। ऐसा होने से भी दृष्टि एषागी हो जाती है। प्रेस जन आकांक्षाओं का वास्तविक पूरक तभी बन सकता है कि जब वह सभी धरातरलो पर पूण स्वतंत्र एवं निरपेक्ष हो। आंतरिक्ष-बाह्य सभी प्रकार क दवावों से मुक्त हो। पर सखेद स्वीकार करना पड़ता है कि अभी तक विश्व में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है और शीघ्र आती प्रतीत भी नहीं आती। इसके लिए जिस साहस और सकल्प शक्ति की आवश्यकता है, वह न तो समर्थ प्रेस-मालिका में है न सरकार में और न विविध राजनीतिक दलों में ही है। अतः निस्तार निकट नहीं प्रतीत होता।

जो हो, आज हमारे देश और वि. व. के प्रेस क्षेत्र में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो सभी प्रकार के निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर, जन हित के लक्ष्या की पूर्ति की दिशा में समय समय पर महत्त्वपूर्ण और साहसिक कदम उठाते रहते हैं, सभी प्रकार के अनाचारों के विरुद्ध साहसिक आलोचनात्मक

मे की गई थी। पर उस समय सबसे बड़ी गलती तत्कालीन सरकार ने प्रेस का गला घोट कर अर्थात् प्रेस पर ससरशिप या प्रतिबंध लगाने के रूप में ही की। परिणामस्वरूप तथाकथित उत्साही लोग जो भी मनमानियाँ करते रहे, वे सब न तो आम जनता के सामने ही आती रही और न सरकार के शीपस्थ नेताओं के सामने ही। परिणामतः सदभावना से प्रेरित कार्य भी एक विपम-करण एवं जघन्य कृत्य बनता रहा। आम जनता और शीपस्थ नेता दोनों गुमराह रहे और आपात स्थिति का समर्थन करते रहे। यदि प्रेस पर प्रतिबंध न होता और सही स्थितियाँ सामने आती रहती तो बहुत सम्भव था कि आपात स्थिति का दुष्परिणाम जनता और तत्कालीन सरकार को न भोगना पड़ता। यह एक उदाहरण है, आपात स्थिति का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं। अन्य कई देशों में भी प्रेस की स्वतंत्रता के अभाव में ठीक ऐसा ही घट चुका है जैसा कि यहाँ घटा। पाकिस्तान आदि तानाशाही वाले देश भी इसका प्रमाण हैं।

मानव स्वभाव से स्वतंत्र प्राणी है और चाहता है कि उस पर नैतिकता के दायरे में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगे। इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता का मूल्य प्राणों का बलिदान देकर ही चुकाना पड़ता है। प्राणों के बलिदान के प्रतिरिक्त कुछ वैयक्तिक या सीमित वर्गीय स्वार्थों का बलिदान भी महत्त्वपूर्ण हुआ करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया जाना चाहिए, वहाँ प्रेस से भी यह आशा की जानी चाहिए कि वह व्यक्तिगत या सीमित वर्गीय निहित स्वार्थों को तिलाजलि देकर कार्य करे। एक प्रकार में सामाजिकता, राष्ट्रीयता और मानवता के व्यापक हितों के सन्दर्भ में प्रेस के लिए स्वनिर्मित आचारसंहिता अवश्य रहनी चाहिए कि जिसका पालन अनिवार्य हो। तभी वह जन-भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है और 'स्वतंत्रता' शब्द की वास्तविक गरिमा की रक्षा भी कर सकता है। कई बार निहित स्वार्थों की पूर्ति और रक्षा के लिए प्रेस का दुरुपयोग भी किया जाता है। एकतंत्री, तानाशाही और विशेष सिद्धान्ती देशों में सरकार तक इसी दृष्टि से प्रेस का दुरुपयोग करती है, जबकि जनतंत्री देशों में पीली पत्रकारिता आदि का माग अपना कर प्रेस का दुरुपयोग किया जाता है। दोनों ही प्रकार के दुरुपयोग को नितान्त गद्दित ही कहा जायेगा। जन-भावना को स्वस्थ सबल अभिव्यक्ति मिले प्रेम-स्वतंत्रता का यही वास्तविक अर्थ और उद्देश्य है। इसी दृष्टि से उसका समर्थन भी किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

प्रेस जन-जागरण का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साधन और माध्यम है। वह देश-विदेश में चलने वाले मानव हित साधक कार्यों को सुर्निबर्ण ढंग से जन-जन

तक पहुँचा सकता है और इस प्रकार जनता के साथ-साथ जन हितकारी सरकारों का भी शुभचिन्तक एवं हितकारी हो सकता है। जन-शक्तियों के परिष्कार, समय स्थिति के अनुरूप जन-शक्तियों को मोड़ने, निर्माण कार्यों में जुटाने, बुराइयों से सभर्य कर उन्हें जड़-मूल से उखाड़ फेंकने के लिए जन को तैयार करने जैसे कार्य व्यापक स्तर पर, सरल ढंग से प्रेस के द्वारा ही सम्पादित किए जा सकते हैं। किसी भी उचित बात के लिए जन-मत तैयार करना और अनुचित के लिए जन विरोध करना प्रेस का बाएँ हाथ का खेल है। प्रेस में वह शक्ति है कि उसकी एक ही आवाज पर सारा राष्ट्र एक पक्ष में खड़ा हो सकता है। पर यह सखेद कहना पड़ता है कि कभी-कभी प्रेस भी निहित स्वार्थियों के हाथों खेला जाता है। यह भी सखेद स्वीकारना पड़ता है कि केवल भारत ही नहीं, विश्व का प्रेस अभी तक पूणतया निष्पक्ष होकर जन मानस का चित्तेरा नहीं बन सका। इस प्रकार की स्थितियों में ही कई बार मद्रास प्रेस एक्ट या बिहार-प्रेस विधेयक जैसी बातें सामने आती हैं, जिनका न चाहते हुए भी समर्थन करना पड़ता है। यदि प्रेस सावधान रहे तो ऐसे बानूनों की आवश्यकता ही क्यों पड़े ?

प्रेस को मुख्यतः (अभिव्यक्ति की दृष्टि से) दो वर्गों में रखा जा सकता है। यद्यपि प्रेस पर पूजीपति वर्ग का ही अधिक अधिकार है, तो भी एक वर्ग पूजीपतियों का है, दूसरा सामान्य वर्ग का, कि जो सधन आदि की दृष्टि से काफी दुबल है। इस भेद-भाव को मिटाकर ही प्रेस वास्तविक अर्थों में राष्ट्रीयता का, जन सामान्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जनता का मुख बन सकता है। कई बार कुछ पत्रिकाएँ विशिष्ट राजनीतिक दलों का मुख बन कर भी सामने आती हैं। ऐसा होने से भी दृष्टि एवागी हो जाती है। प्रेस जन आकांक्षाओं का वास्तविक पूरक तभी बन सकता है कि जब वह सभी धरारतलों पर पूण स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष हो। आंतरिक-बाह्य सभी प्रकार के दवावों से मुक्त हो। पर सखेद स्वीकार करना पड़ता है कि अभी तक विश्व में ऐसी स्थिति नहीं आ पाई है और शीघ्र आती प्रतीत भी नहीं होती। इसके लिए जिस साहस और सकल्प शक्ति की आवश्यकता है, वह न तो समय प्रेस-मालिकों में है न सरकार में और न विविध राजनीतिक दलों में ही है। अतः निस्तार निकट नहीं प्रतीत होता।

जो हो, आज हमारे देश और विश्व के प्रेस क्षेत्र में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जो सभी प्रकार के निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर, जन हित के लक्ष्या की प्रति की दिशा में समय समय पर महत्त्वपूर्ण और साहसिक कदम उठाते रहते हैं, सभी प्रकार के अनाचारों के विरुद्ध साहसिक आलोचनात्मक

स्वर मुखरित करते रहते हैं। यदि यह साहसिक नैतिकता स्व विनिर्मित आचार-सहिता के द्वारा समूचे प्रेस जगत में आ जाए, तो निश्चय ही मानवता का बहुत बड़ा उपहार होगा। निश्चय ही उस दिन मानवता का भाग्य खुल जाएगा, जिस दिन प्रेस-जगत केवल राजनीतिक या ऊपरी दृष्टि से ही स्वतंत्रता का वरण नहीं कर लेगा, बल्कि आन्तरिक वरण कर लेगा। पर कब आयेगा वह दिन? इस देश में तो वह बीसवीं शताब्दी के चार-पाँच दशकों तक रह कर एक बार तो चला जा चुका है। दुबारा आने की आशा अवश्य करनी चाहिए। आशा ही मानवता का शुभ सम्बल है।

८६ | अनुशासन की महता

‘अनुशासन’—अर्थात् शासन या नियमानुकूल आचरण। अतः साधारण अर्थों में अनुशासन का अभिप्राय किसी आदेश का, व्यवस्था या प्रबंध का, विधान या नियम का विधिवत पालन है। इस पालन में जितनी अधिक तत्परता, स्फूर्ति, तमयता, कर्मठता आदि का परिचय मिलेगा उतना अधिक अनुशासन को आदेश तथा उत्तम समझा जायेगा। ऐसे अनुशासन में जिसमें अनुशासित का केवल तन ही नहीं मन का भी सह्य योग हो, सच्चा अनुशासन कहा जायेगा। वास्तव में व्यक्ति किसी भी व्यवस्था में, विधान में सभी पूर्ण शक्ति और वेग के साथ काय कर सकता है जबकि उसके मन का विश्वास साथ हो। मन की शक्ति तन से कहीं अधिक होती है। मनुष्य के मन का यह जीवट और साहस ही है जो दहाडते सिंहों और चिंघाडते हाथियों को दश में कर सका है न कि तन और उसकी शक्ति। शेरों के साथ खेलने वाले शकुन्तला के पुत्र भरत का समय चला गया। मनुष्य की शारीरिक शक्ति भले ही क्षीण हो गई है किन्तु मन के साहस का आज भी कोई अन्त नहीं। अतएव अनुशासन का विश्वस्त रूप वही होगा जहाँ तन के साथ मन को भी साधा गया हो। व्यक्ति स्तर पर ही नहीं, समाज, देश और राष्ट्रीयता के स्तर भी यह साधना परमावश्यक है। इसके बिना प्रगति और विकास सम्भव ही नहीं।

भारतीय दर्शन शास्त्र आदेश जीवन की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जीवन का मूल आधार साधना है और साधना का अर्थ भी एक प्रकार का यौगिक अनुशासन ही होता है। इसी दृष्टि से भारतीय मनीषियों ने इन्द्रिय-निग्रह पर बल दिया है। इन्द्रिय-निग्रह क्या है? यह वास्तव में तन के अना-

चार को और मन की स्वेच्छाचारिता को ही नियंत्रित करता है। मन खचल है और तब उसके सकेत पर बन्दर की भाँति नाचता है। यदि मन स्वच्छन्द छोड़ दिया जाए तो ससार के असह्यक प्रलोभनों से इसका बच निकलना असंभव है। मन का विश्वामित्र कभी भी वासना की मेनिका के प्रागे तप से डोल सकता है। इसलिए हमारी धर्म और समाज व्यवस्था में साधना की कठोरता पर बल दिया गया है। जीवन को चार आश्रमों में बाँट कर और समाज को चार वर्णों में बाँट कर वास्तव में अनुशासन वृद्ध व्यक्ति और समाज को ही कल्पना की गई थी जो युगों तक चली। और आज लक्ष्य भ्रष्ट हो कर अस्त व्यस्त हो रही है। इस प्रकार भारतीय जीव की मूल मन्त्र ही साधना की निरन्तरता या अनुशासन था। इसकी महत्ता से हमारे ऋषियों ने समझा तो था ही, अपितु अपने जीवन में ऐसे असह्यक उदाहरण भी छोड़े हैं, जिनसे भारतीय सदा ही अनुप्रेरित हैं।

भारतीय साधना के विपरीत पश्चिम में अनुशासन का अभिप्राय अधिकार में तब के अम्यासों से ही लिया जाता है। व्यावहारिक जीवन में नियमित आचार और व्यवस्था प्रायः इस दृष्टि से चर्चा का विषय ही नहीं रहे। पश्चिमी विद्वानों का मत है कि समाज कल्पना की पूर्ति के लिए अनुशासन की आवश्यकता हुई होगी। ज्यो ज्यो व्यक्ति में सामाजिक जीवन की व्यवस्था विकसित तथा जटिल होती गई होगी त्यों-त्यों अनुशासन की माँग बढ़ती गई होगी। वास्तव में सामूहिक जीवन में ही अनुशासन की महत्ता भी प्रतीत होती है और यही इसकी अग्नि परीक्षा भी होती है। इस दृष्टि से पश्चिम में सेनाओं के अनुशासन की विशेष चर्चा रही और इस क्षेत्र में विभिन्न आचारों पर सेनाओं की सुसंगठित करने के कई प्रयोग किए गये। किन्तु यह वास्तविक स्थिति नहीं है। पश्चिमी देशों में सेनाओं की व्यवस्था का मूल-मन्त्र देश की रक्षा तथा सकट में सहायता का न होकर युद्धों में विजय का रहा है। सेनाएँ आक्रामक नीति पर संगठित की गईं न कि बचाव की नीति पर। अतएव पहले तो सेना के सिपाहियों के लिए कष्ट साध्य अम्यासों की व्यवस्था की गई। सेनापतियों के आदेशों को अनु-लघनीय समझा गया और यह आशा की गई कि सेनाएँ उनकी हर आज्ञा का प्राणों पर खेलकर भी पालन करें। इस आशय से कठोर दण्ड व्यवस्था भी की गई, ताकि युद्ध भूमि से सैनिकों के भागने का प्रश्न ही न हो। सेनाओं का कठोर प्रशिक्षण, दृढतर दण्ड-व्यवस्था और आनक सेनाओं को चिरकाल तक

सबल सगठन तथा अनुशासन में बंधे रहने को विवश करता रहा। विश्व के महान् युद्ध इसी आधार पर जीते गये। पर यह अनुशासन का एकांगी रूप ही कहा जा सकता है, जिससे समूचे जीवन-समाज को बाध रखने की शक्ति नहीं है।

भारतीय पुराण तथा इतिहास इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ की सेनाएँ सदा से अनुशासन-बद्ध रही हैं। देश का काय चलता रहा था और सेनाओं के युद्ध होते रहते थे। सेनाएँ केवल युद्ध-भूमि में ही लड़ती थी। सेनाओं के प्रयाण के समय भी प्रजा को किसी सकुट का सामना न करना पड़ता था। किसान हल चलाते रहते थे, फसलें खेतों में लहलहाती रहती थी और बिना किसी क्षति के सेनाएँ आती-जाती रहती थीं। युद्ध का आदेश तो और भी ऊँचा था। रात को युद्ध नहीं होता था। निहत्थे शत्रु पर भी आक्रमण नहीं किया जाता था। पीठ या घट के नीचे आक्रमण नहीं किया जाता था। युद्ध-भूमि से भाग जाना अधम समझा जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय सेनाओं का स्वरूप एक आदर्श अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें नैतिक मूल्यों का विशेष स्थान था।

यहाँ तक तो हुई सैनिक सगठन में अनुशासन की महत्ता। अब सामान्य जीवन में अनुशासन की उपयोगिता पर विचार किया जाए। आज विश्व का नैतिक पतन हो चुका है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक—हर दृष्टि से अनाचार हो रहा है। प्रतीत होता है कि बदलते हुए मानव मूल्यों के साथ समाज राजनीति आदि के विचार कदम रख कर नहीं चल सके। मानव प्रगति के अरम शिखर पर पहुँच रहा है किन्तु उसकी व्यवस्थाओं को विधानों को बना भी आदिम मनुष्य का स्वार्थ लोभ, तृष्णा आदि जैसी प्रवृत्तियाँ धुन को भाँति खोए जा रही हैं। दिव्य शक्तियों में सम्पन्न मनुष्य मात्र के अचेतन का अधेरी गुफाओं में आज भी कही पशु छिपा है। तभी तो अविद्वान और हिंसा युद्ध और रक्तपात की भावनाएँ बराबर बनी हैं। अतएव ऐसी स्थिति में अनुशासन की माँग और भी बढ़ जाती है। अब जिस अनुशासन की आवश्यकता है उसे ईश्वर का भय दिखा कर राज्य-सत्ता का आतंक दिखा कर या दमन का भीषण चक्र एवं दण्ड की क्रूरतम अवस्था द्वारा नहीं पाया जा सकता। अब अनुशासन बाह्य विवशना नहीं आन्तरिक अनिवार्यता की प्रवृत्ति होने पर ही स्थापित किया जा सकता है। आप भ्रष्टाचार के विरोध में कानून बना सकते हैं, कठोर दण्ड-व्यवस्था द्वारा भ्रष्टाचारी को जेल की-यत्रणा में डाल सकते हैं किन्तु मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के आँकड़ें बताते हैं कि इससे

चोरी आदि के अपराध तो दूर हो नहीं पाते अपितु बढ़ते ही हैं दण्ड-प्राप्त व्यक्ति मुक्त होकर और भी अधिक उग्र होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। यह मानसिकता निश्चय ही और भी अधिक घातक प्रमाणित हो रही है। भ्रष्टाचार जैसी लोकव्यापी प्रवृत्ति का कैसे अन्त हो सकता है। ऐसी कठोर व्यवस्थायें अव्यवस्था को कुछ देर के लिए दबा भर पाती हैं, स्थायी अनुशासन नहीं ला पाती, रोग को समूल नष्ट नहीं कर पातीं। फिर आज विश्व के सामने केवल भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार जैसी कई दुःसाध्य समस्याएँ हैं जिन्होंने ससार का नैतिक पतन कर दिया है। अतएव बाह्य अनुशासन से कहीं अधिक आन्तरिक अनुशासन की आवश्यकता है। हृदय से आई हुई आवाज ही व्यक्ति का उत्थान कर सकती है। अतएव सत्ताधारियों को समझ लेना चाहिए कि यह युग गया कि जब कानून और कायदे बना देने से ही काम चल जाता था। आज के अनुशासन को बनाने के लिए जनता के मस्तिष्क के मनोवैज्ञानिक अध्ययन और आमूल-बूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

सामान्य जीवन का प्राण है युवा-वर्ग और यह वर्ग अधिकांश में विद्यार्थी होता है। आज की सरकारों को विद्यार्थियों के विश्व-व्यापी विक्षोभ और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। आज विद्यार्थी अनुशासन के लिये बड़ा विकट प्रश्न चिह्न है। इनकी समस्याएँ भले ही कुछ हों, उनका सम्बन्ध कॉलेज विशेष की व्यवस्था से हो या विश्व के किसी आन्दोलन से, आप इन्हें और इनके क्षोभ की चरम सीमा पर पाएंगे। तोड़ फोड़ से, भाग से इन्हें तनिक भी भय नहीं, हिचक नहीं। इंट का उत्तर पत्थर से देना जानते हैं। इस अव्यवस्था का अग्ने चलकर बड़ा घातक परिणाम निकलने की संभावना आज ही की जा सकती है। क्योंकि यदि आप किसी राष्ट्र के भविष्य का अनुमान लगाना चाहें तो उसके युवा-वर्ग को देखना होगा, उनमें कार्य कर रही चतनता की शक्तियों का विश्लेषण करना होगा। यदि युवा-वर्ग अनुशासन का आदर नहीं करता, विधान को नहीं मानता तो निसन्देह उस देश का भविष्य अंधकारमय है। आज का विद्यार्थी युवक ही तो कल का नागरिक होगा, नेता होगा देश का कर्णधार होगा। यदि शक्ति का यह स्तम्भ ही निराधार है इसके प्रशिक्षण की नींव ही खोखली है, विक्षोभ ही इसकी शिक्षा है तोड़-फोड़ ही इसका कम सूत्र है, भाग लगने में ही इसकी रुचि है व्यवस्था को तोड़ना ही इसका चरम लक्ष्य है असंतुष्ट रहना ही इसकी प्रवृत्ति है तो हम ऐसे देश के भविष्य की सहज में ही कल्पना कर सकते हैं। यह स्थिति तब और भी निराशाजनक प्रतीत होने लगती है जब हम राष्ट्रीय आन्दोलन के

सेनानियों में भी, राज के नेताओं में भी ऐसी अनुशासन हीनता प्रकट रूप में पाते हैं। किंतु राज के नेता कुछ भी करें युवा-वर्ग का कर्तव्य है कि वे दलों की दलदल से दूर रहकर आदर्श युवक बनें और देश के सामने अनुशासन का उदाहरण उपस्थित करें। गांधीजी ने कहा था कि "विद्यार्थी को दलगत राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। राष्ट्र के विद्यार्थी राष्ट्र के आशादीप होते हैं। वे अपनी मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक शक्तियों का तो विकास करें और उन्हें अपनी राय रखने और प्रकट करने की भी पूरी आजादी होनी चाहिए, पर जब तक वह अध्ययन कर रहे हैं तब तक उनके लिए सक्रिय राजनीति में भाग लेना लाभकर नहीं। वास्तव में विद्यार्थी का आदर्श है अनुशासन और अनुशासन बौद्धिक चर्चा करते रहने से या तक और विवेक बुद्धि की प्रतीक करने रहने से नहीं आ सकता। अनुशासन तो विपत्ति की पाठशाला से सीखा जाता है। जब उतसाही युवक बिना किसी ढाल के जिम्मेदारी के काम उठाएंगे और उसके लिए अपने को तैयार करेंगे, तब ही वह समझेंगे कि जिम्मेदारी और अनुशासन है।" गांधीजी के ये शब्द युवा वर्ग के लिए ध्यान देने योग्य हैं। उन्हें अपनी समस्याएँ प्रधिकारी वर्ग के सामने अवश्य रखनी चाहिए किन्तु एक सत्याग्राही की भाँति, न कि अनुशासन को भंग करते हुए। ऐसी प्रवृत्ति से भले ही सामयिक सफलता मिल जाए किंतु अन्ततः अनुशासनहीनता घातक ही होती है, व्यक्ति के लिए ही नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी परिणाम सुखद नहीं कल्पित किया जा सकता।

प्रजातन्त्रीय देशों में, वास्तव में प्रजातन्त्र का ढाँचा जिन आदर्शों पर आधारित है उसे देखते हुए किसी प्रकार की कठोर और जटिल अनुशासन पद्धति की आवश्यकता ही न होनी चाहिए। सत्ता आपके हाथ में है। देश की नीतियों का निर्धारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ही करते हैं। और फिर ये नियम ही ही सुविधा के लिए हैं। शासन भी आप करते हैं, शासन होता भी आप पर है और इसमें आप का ही हित है। अतएव यदि आप ही इस स्थिति को समझते हुए विधिवत् जीवन-यापन करें तो क्या जरूरत है उपवन में यह सूचनापट लगाने की कि फूल तोड़ना मना है। इसी प्रकार अनुशासन सम्बन्धी कानून-धायदे आपके लिए ही हैं, इनसे आपका ही हित होता है, आप ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। किन्तु प्रश्न तो यह है कि स्वार्थों की इस आपा-धापी में, एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की इस होड़ में नतिक पतन के इस युग में ऐसे जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक कहाँ से लाएँ ? जब पथ प्रदर्शक व नेतृत्व वर्ग ही अनुशासनहीन हो, तो युवा पीढ़ी किसके आदर्श को सामने रख कर चले ?

इस स्थिति में कहा जा सकता है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से भले ही प्रजातंत्र में किसी कठोर अनुशासन की आवश्यकता न हो किन्तु व्यावहारिक दृष्टि तथा प्रजातंत्रात्मक देशों का अनुभव यह बताता है कि इसमें अनुशासन की महत्ता छोटे-बड़े, सामान्य-विशेष सीमा के लिए और भी बढ़ जाती है।

प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति में अनुशासन उतना ही अनिवार्य है जितना कि प्राण वायु के लिए ऑक्सीजन। अथ शासन पद्धतियों में शासकों का शासक उनका दमन चक्र, उनकी निम्न कठोर-नीति तथा अपार सैनिक शक्ति राज्य-व्यवस्था में नहीं होने देती। पर प्रजातंत्र में न यह सब संभव है और न ही ऐसी सुविधा और साधन प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में जनता अपने अधिकार तथा अभिव्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र होती है। अतएव उसे नियंत्रण में रखने के लिए और भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनता की भीड़ वृत्ति कभी भी कोई सकट खड़ा कर सकती है। इस प्रकार प्रजातंत्र को सरकार को एक सजग प्रहरी की भाँति कार्य करना पड़ता है।

प्रजातंत्र का व्यस्क—मताधिकार और दलगत राजनीतिक संगठन अनुशासन को बनाये रखने में बहुत बड़ी बाधाएँ हैं। चुनाव के मूल से भयभीत नेता अनुशासनहीन राजनीतिक गठजोड़ में ही उलझे रहते हैं और जनता दुःख पाती रहती है। प्रजातंत्र कार्य तभी कर सकता है जब उच्च स्तर का अनुशासन जनता में पाया जाता हो। इसके लिए सबसे पहले और सर्वाधिक सभी प्रकार के नेतृत्व वर्ग का अनुशासित होना आवश्यक है।

इस प्रकार आज व्यक्ति हो या समाज, सैनिक हो या असेनिक, विद्यार्थी हो या राजनीतिक नेता, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, विकास तभी हो सकता है, प्रगति तभी संभव है कि जब हम अनुशासन-बद्ध होंगे। अब यदि हम सुव्यवस्था के साथ जीना चाहते हैं तो हमें अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। एक ओर प्रगति समृद्धि तथा अनुशासन है, दूसरी ओर पतन, विपन्नता तथा विनाश। आज जीवन के चौराहे पर खड़े हम मानवों की नियंत्रण करना है कि हम किधर जाना चाहते हैं। अनुशासन का मग करना भीत है और अनुशासन का पालन जीवन। निर्णय हम सब के हाथ में है कि हमने अनुशासित होकर जीवन-पथ पर चलना है न कि अनुशासनहीन मृत्यु-पथ पर।

६० श्रीमती इन्दिरा गाँधी

भारत अपनी उदात्त मानवीय परम्पराओं के कारण अपने अस्तित्व को जाने के काल से ही महान रहा है। ऋग्वेद, जो विश्व-साहित्य का प्रथम उपलब्ध साहित्यिक ग्रन्थ माना जाता है, उसके मन्त्र-द्रष्टाओं में जहाँ अनेक पुरु ऋषियो-महर्षियो के नाम बड़े सम्मान के साथ लिए जाते हैं, वहाँ विदुषं नारियो की गणना भी उनमें उसी भाव से की जाती है। अथ विविध क्षेत्रों में भी भारतीय नारियाँ आरम्भ से ही महत्त्वपूर्ण योगदान करती आ रही हैं। घर परिवार और समाज के निर्माण, सुपालन एवं विकास में तो भारतीय नारी ने उचित योगदान किया ही, राजनीतिक जैसे फठोर और दुर्दुह समझे जाने वाले जीवन-क्षेत्र भी भारतीय नारी के सशक्त चरण चिह्नो से अछूते नहीं रहे आज भी नहीं हैं। महान देश भारत नाम की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी उसी महान भारतीय नारी परम्परा की ध्वज वाहक हैं। कवल भारतीय नारी ही नहीं, आज विश्व के समस्त देशों के अग्रगण्य राजनेताओं में उनका प्रमुख एवं सवप्रथम रूप अ परिगणित किया जाता है। सारा विश्व इस महान भारतीय महिला के महत्त्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकारते हुए एक स्वर से कहता है कि विश्व राजनीतिक रंगमंच पर श्रीमती इन्दिरा गाँधी से बढ़कर उदय नेता अथ कोई नहीं।

विश्व की इस अग्रणी नेता और महान महिला का जन्म स्वतंत्र भारत के निर्माता और प्रधान मंत्री पण्डित मोतीलाल नेहरू जैसे महान पिता के इकलौते बेटे पण्डित जवाहरलाल नेहरू के घर एकलौती पुत्री के रूप में १९ नवम्बर, सन १९१७ में इलाहाबाद के आनन्द भवन (वर्तमान स्वराज्य भवन) में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। पिता के हमेशा राजनीतिक कारणों में उलझे हुए या फिर जेल में रहने और माता के निरंतर अस्वस्थ रहने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं हो सकी। देश विदेश के अनेक स्थानों पर इन्हें शिक्षा के लिए भटकते रहना पड़ा। कुछ वर्षों तक इन्होंने शांति निकेतन में निवास कर कवि कुल गुणरवीन्द्रनाथ ठाकुर के समीप रह कर भी सुशिक्षा अर्जित की। इस प्रकार आरम्भ से ही इनके व्यक्तित्व पर अपने-अपने क्षेत्र के महापुरुषों के सत्कारों

का प्रकाश प्रभाव पड़ता रहा। परिणामस्वरूप इनका व्यक्तित्व भी क्रमशः निखरता हुआ दृढ़ से दृढतर होता गया। श्रीमती गांधी की आज दृढ़ता, निर्भीकता और सुनियोजित फायसमता, सूझ-बूझ एवं दूरदर्शिता उसी सब का परिणाम है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के दादा, पिता, माता, बुआ (श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित) तथा अन्य सभी प्रमुख रिश्तेदार तत्कालीन राजनीति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, शास-पास का समूचा वातावरण भी अपने युग के महान नेता महात्मा गांधी के राजनीतिक आन्दोलन से पूर्णतया प्रभावित था, अतः शैशव के सुकुमार क्षणों से ही इनका सम्बन्ध स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की राजनीति से सीधा जुड़ गया। इसी कारण श्रीमती इंदिरा कहा करती हैं कि "राजनीति मुझे घुट्टी के सग पिला दी गई थी।" घुट्टी के सग मिला दी गई इस राजनीति ने ही आज उन्हें राजनीति के क्षेत्र में सब प्रकार की सफलता और लोकप्रियता प्रदान की है। स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों में जब इंदिरा जी महज एक बच्ची ही थी 'इहोने बच्चों की एक वाजर सेना' का गठन किया था। इसके अतगत इन्हें अंग्रेजों के आतंकपूर्ण, दमनकारी राज के दिनों में भूमिगत तथा अन्य नेताओं के पास आन्दोलन-सम्बन्धी गुप्त सूचनाएँ तथा समाचार पहुँचाने का काम करना पड़ता था। इस जोखिमपूर्ण काम को इन्होंने बड़ी कुशलता से निभा कर अपनी काय क्षमता सभी को सुगंध कर दिया था। सन् १९४९ में जब यह मात्र तेईस वर्ष की युवती थी, गांधीजी ने इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने जैसा गुरु काय सौंपा। यह काय इहोने तब तो कुशलनापूर्वक सम्पादन किया ही आज भी इस दिशा में इहें अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी सश्रिय देखा जा सकता है। इसी बीच इंदिरा जी का एक देशभक्त पारसी युवक फिरोज गांधी के सम्पर्क में आईं। यह सम्पर्क मंत्री और प्रेम के बाद सन् १९४२ में विवाह में परिणत हो गया। विवाह के बाद इंदिराजी पति के साथ और भी अधिक सश्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगी सन् १९४२ में चलने वाले 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय इंदिरा जी को भी अपने पति के साथ १३ मास के लिए जेल-यात्रा करनी पड़ी। इस प्रकार एक बार इनका जो कदम राष्ट्र सेवा के माग पर बढ़ा, वह निरन्तर बढ़ना ही गया। उधर सुखद गृहस्थी के फलस्वरूप इन्हें राजीव और सजय नामक दो पुत्ररत्न भी प्राप्त हुए, जिनका देश की राजनीति में अपना महत्त्व रहा और है।

सन १९४२ में भारत स्वतंत्र हुआ। पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और इन्दिराजी अपने पिता की सेवा और देश के लिए उन्हीं के साथ रहने लगी। यहाँ रहते समय वह अपने पिता से प्रौढ राजनीति की सर्वांगीण शिक्षा तो लेने ही लगी, खाली समय में अनेक प्रकार के समाज-कल्याण के कार्यों में भी हिस्सा बटाने लगी। नेहरूजी के साथ देश विदेश की अनेक यात्राएँ करके इन्होंने विश्व राजनीतिक घटनाचक्र का समीप से प्रदर्शन और अनुभव किया। परिणामस्वरूप इनकी सूझबूझ एवं काय पद्धति में भी प्रौढता आती गई। उसी का देश को पूरा लाभ पहुँचाने के लिए सन १९५६ में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर रहते हुए इन्होंने प्रत्येक काय इस महान राष्ट्रीय संगठन की गरिमा के अनुरूप करके बड़े बड़े घाग राजनीतिज्ञों को चकित कर डाला। परिणामस्वरूप इनके भावी प्रधान मंत्री बनने की चर्चाएँ भी इसी युग में होने लगी थी। सन १९६० में श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने पति के स्वर्गवास का कठोर आघात सहन करना पड़ा। उसे भावी का निश्चित योग मानकर एक वीरगना की तरह इन्होंने सहा और अपने निर्वाचित क्षेत्र के निर्धारित कार्यों पर अनवरत बढ़ती गई।

सन १९६४ में पण्डित जवाहर लाल नेहरू के स्वर्गवास के बाद यद्यपि इन्दिरा जी को प्रधान मंत्री बनाने का प्रयास हुआ, पर उस समय की दुखद मानसिकता में इन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। हाँ, श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधान मन्त्रित्व में केन्द्रीय सचिव-मंत्री बनकर काय अवश्य करने लगी। फिर जब ताशकन्द में शास्त्री का असामयिक निधन हो गया, तब सब सम्मति से देश की तीसरी प्रधान मंत्री बनकर इन्दिरा जी बड़ी कुशलता से देश का नेतृत्व करने लगी। प्रधान मंत्री बनने के बाद राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक औद्योगिक, सांस्कृतिक, अन्तर्राष्ट्रीय आदि सभी क्षेत्रों में अपने पिता के सपनों और मानदण्डों के अनुरूप काय करते हुए देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करने लगी। बीमा कम्पनियों और वकीलों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं को मिलने वाले प्रिवी पर्स की समाप्ति, कोयला खानों और तेल-कम्पनियों का राष्ट्र हित में पुनर्गठन, भू सुधार कृषि-कार्यों की प्राथमिकता और कृषि भूमि-पुनर्गठन, मजदूरों के लिए उचित मजदूरी-दर निर्धारण, गरीबी-उन्मूलन के लिए अनेक प्रकार के उपयोगी काय, अनुशासन और आत्मनिर्भरता की और सशक्त कदम आदि इनके प्रधान मन्त्रित्व काल की प्रमुख उपलब्धियाँ

रेखाङ्कित की जा सकती हैं। इसी प्रकार पोखरण में होने वाला प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट अनेक कृत्रिम उपग्रहों की कुशल योजनाएँ आदि उनके काल की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं, तो पाक कार्यक्रम का मुहूर्तोज्ज्वल और अनेक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दबावों के रहते हुए भी बंगला देश के उदय में सहयोग, शिमला-नममौता आदि इनकी महान राजनीतिक उपलब्धियाँ इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित रहगी।

प्रत्येक स्थिति में धैर्य एवं दूरदर्शिता बनाए रखना इन्दिरा जी के स्वभाव की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसी के बल पर इन्होंने प्रत्येक राजनीतिक या अर्थ प्रकार के उतार चढ़ावों को शांतिपूर्वक सहन किया और प्रत्येक बार विजय पाई। इनके धैर्य और सूक्ष्म सूक्ष्म के दशन श्री बी० बी० गिरि को राष्ट्रपति बनाने के समय तो हुए ही, आपात्काल की घोषणा और परवर्ती परिस्थितियों के कठोर सघर्ष काल में भी हुए। इनकी काय विधि और कार्य समता का सामना कर पाने का ताव न ला, अपने को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझने वाले पुराने घाघ काँग्रेसी अलग होकर नये दल गठित करते रहे, पर यह अकेली ही काँग्रेस की पुरानी नाव पर सवार हो, उसमें नवीन नवीन रक्त का संचार कर आगे बढ़ती रही आज भी निरन्तर एवं अव्यथ गति से बढ़ रही हैं। इसी धीरज और साहस से ही इन्होंने आपात्काल समाप्त कर सन् १९७७ में मध्यावधि चुनाव कराए। हार कर फिर जनता पार्टी के राज में बदले की भावना से बैठाए गए अनेक आयोगों का सामना करते हुए भी हार नहीं स्वीकारी। उसका ही परिणाम था कि सन् १९८० में हुए १९८० चुनाव में इन्हें फिर से भारी जनमत का विश्वास प्राप्त हो सका। वह पुनः प्रधान मंत्री के गुरुत्वपूर्ण पद पर आसीन हो सकीं। इन वर्षों में इन्होंने अपने स्वर्गीय पुत्र सत्य का जो सक्रिय सहयोग प्राप्त हो सका, वह भी अविस्मरणीय है। अपने उस सुपुत्र की दुष्टता में होने वाली मृत्यु को भी इन महान महिला और माँ ने बड़े धैर्य से सहन किया। इस प्रकार न केवल राजनीतिक, बल्कि पारिवारिक और वैयक्तिक स्तर पर भी इन्दिरा जी पर अनेक प्रकार के आघात किए उन्हें सहज दृढ़ता से सहते हुए इन्दिरा जी भारत के उन्नत भविष्यनिर्माण में निरन्तर गतिशील हैं।

सन् १९८० में दुबारा प्रधान मंत्री बनने के बनने के बाद इन्दिरा जी ने देश को जो नया बीस सूत्री कार्यक्रम दिया है, उस पर सक्रिय कार्य हो रहा है। इन्दिरा जी की उस पर गहरी नजर है। रूस के साथ मंत्री-दडना, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध-सुधार की नई प्रक्रियाएँ

६१. ओलम्पिक खेल

खेलों का महत्त्व सर्वविदित है प्रायः समझा जाता है कि खेल व्यायाम का एक सुखद एवं मनोरंजक अंग है और उनसे व्यक्ति को शारीरिक शक्ति बढ़ती है परन्तु वास्तव में खेल स्वास्थ्य और शारीरिक विकास में-तो, सहायक होते ही हैं उनसे व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। खेलों को इसी महत्त्व को स्वीकार करते हुए उन्हें शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया गया है। यह उक्ति कि 'वाटरसू का यूट इटन के खेल मैदान में जीता गया' इसी और सकेन करती है कि खेल के मैदान में व्यक्ति अनेक गुणों अनुगायन, सहयोग-भावना योजनाबद्ध कार्य करने की क्षमता धैर्य, सहिष्णुता आदि को प्रजित करता है। अतः अब सभी मानते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में खेलों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और सभी खेल खेलों को लोकप्रिय बनाने तथा उनके लिए आवश्यक सुविधायें जुटाने में जी-जान से लगे हुए हैं।

सबसे पहले यूनानी दार्शनिक और विचारक प्लेटो ने खेलों का महत्त्व समझ कर उनकी उपयोगिता को रेखांकित किया। वह माने हुए थे कि दृष्ट-ग्राह्य शिक्षा-व्यवस्था के प्रवर्तक फीबेस नामक शिक्षा शस्त्री ने खेल को शिक्षा पद्धति का आधारभूत सिद्धान्त मानकर उसे शिक्षा का अविभाज्य अंग बनाया। उसका मत था कि खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और यह खेल-खेल में बहुत कुछ सीख सकता है। इसके बिना मस्तिष्क पर भार पड़े और शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न हुए बालक बहुरंजित नदी बालक की तरह जाता है। जो कुछ ने भी खेल को शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग माना क्योंकि खेल में बालक रचनात्मक प्रवृत्तियाँ प्रकट होती हैं।

होती थीं—संघी दौड़ और छोटी दौड़। दौड़ में भाग लेने वाले पुरुष होते थे और वे नगे शरीर में दौड़ते थे। अतः महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। विजेताओं का अभिनन्दन जैतून की पत्तियों से किया जाता था। बहुत समय तक ये खेल प्रतियोगितायें यूनान तक सीमित रहीं फिर यूनान में आंतरिक संघर्षों के कारण ये बन्द हो गयीं।

धार्मिक युग में ये प्रतियोगितायें फ्रांस के एक घनाड्य सामंत बरन पाहरे कैबरडीन के प्रयत्नों से पृन 1896 में एथेस में आयोजित की गयीं। उस समय उन्होंने कहा था, 'जीवन जीतने के लिए है, अच्छी तरह से लड़ने के लिए है। खेल युगो तक मानवता के हित के लिए चलते रहेंगे। मानव के साहस और आत्मविश्वास का इतिहास इन खेलों के माध्यम से जीवित रहेगा।' तब से आज तक प्रति चार वर्ष बाद ओलम्पिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है—कभी यूरोप में कभी अमरीका में तो कभी एशिया में। इसमें विश्व के विभिन्न देशों से हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं। पिछली चार ओलम्पिक प्रतियोगितायें मांट्रियल (1976) मास्को (1980), लॉस एंजिल्स (1984) तथा सियोल (1988) में सम्पन्न हुई हैं।

ओलम्पिक खेलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व है। इन खेलों के प्रबन्ध के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति संयोजित की जाती है जिसमें प्रत्येक भाग लेने वाले राष्ट्र का कम से कम एक सदस्य और अधिक से अधिक तीन सदस्य हो सकते हैं। यही समिति खेलों के लिए स्थान का चुनाव करती है और खेलों की देख रेख तथा व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व उमी पर होता है। ये खेल प्रतियोगितायें दो मप्ताह से कुछ अधिक समय तक चलती हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने खिलाड़ियों का खर्च स्वयं उठाता है।

ओलम्पिक खेल प्रतियोगिताओं की एक विशिष्टता है मशाल। ओलम्पिक पर्वत पर जलाई गयी इस मशाल को लेकर खिलाड़ी सभार के विभिन्न भागों से होते हुए उस नगर में पहुँचते हैं जहाँ खेलों का आयोजन होता है। 1972 में यह मशाल 28 जुलाई को प्रज्वलित की गयी और बस 21 दिन 7 घंटे बाद 5976 घावकों के हाथों में होती हुई अंत में म्यूनखि पहुँची। उसने लगभग 5500 किलोमीटर की दूरी तय की।

ओलम्पिक के पहले दिन मुख्य क्रीड़ागार (स्टैडियम) में एक परेड का

आयोजन होता है। इसमें सभी प्रतियोगी देशों के खिलाड़ी अपने अपने देश की आकषक वेशभूषा में अपने देश की राष्ट्रीय छाप लेकर मार्च पास्ट में भाग लेते हैं। इसके बाद मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष समारोह का उद्घाटन करता है जैसे 1984 में राष्ट्रपति रेगन ने या 1988 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इन खेलों का उद्घाटन किया। ओलम्पिक ध्वज सफ़ेद वस्त्र का बना हाता है और उस पर पाच रंगीन गोले बने होते हैं जो एक दूसरे से सम्बद्ध होते हैं। इस ध्वज को फहराया जाता है और सब प्रतियोगी शपथ लेते हैं, "हम शपथ लेते हैं कि हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से ओलम्पिक खेलों के नियमों का आदर करते हुए अपने देश का सम्मान और खेलों की प्रतिष्ठा के लिए सच्चे अर्थों में खेल की भावना से ओलम्पिक खेलों में भाग लेंगे।" उसके बाद प्रतियोगिताएँ आरम्भ होती हैं। ओलम्पिक खेलों में इतने अधिक और विविध प्रकार के खेलों को प्रतियोगिताएँ होती हैं कि किसी एक नगर में उनका आयोजन नहीं हो सकता। अतः उनके लिए विभिन्न नगरों में स्थित क्रीडाकेंद्र का प्रबंध किया जाता है।

ओलम्पिक खेलों का समापन समारोह भी बड़ा भव्य और रोमाचक होता है। ओलम्पिक मशाल को स्कोर बोर्ड पर अंकित किया जाता है और खिलाड़ी धर्मलो प्रतियोगिता के लिए निर्दिष्ट स्थान का नाम लेकर 'फिर मिलेंगे' के निमन्त्रण और विश्वास के साथ विदा होते हैं। उस समय खिलाड़ियों का हसते मुस्कराते, गाते-नाचते, धूम मचाते एक दूसरे से विदा होने का दृश्य दशकों के मन पर अमिट छाप छोड़ जाता है। रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम तथा आतिथ्य-बाजी इस समापन समारोह को और भी आकर्षक बना देती है।

ओलम्पिक खेलों की दिन प्राप्ति बढ़ती लोकप्रियता और उनके महत्त्व पर प्रकाश डालने के लिए हम पिछले दो ओलम्पिक आयोजनों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। 23वाँ ओलम्पिक खेल आयोजन अमरीका के लॉस एंजिल्स नामक नगर में सन् 1984 को आयोजित किया गया। इस नगर को ही यह गौरव प्राप्त हुआ है कि वहाँ दूसरी बार ओलम्पिक खेल आयोजित किये गये। 28 जुलाई 1984 से 12 अगस्त 1984 तक आयोजित इस खेल समारोह का उद्घाटन अमेरिका के राष्ट्रपति रेगन ने किया। यह उद्घाटन समारोह बड़ा ही भव्य और मनमोहक था। इस उद्घाटन समारोह पर

रग-बिस्केट गुब्बारे तो उड़ाये ही गये एक विशेषता यह रही कि इस अवसर पर एक मुपार्मेंट ने आकाश में उड़कर दशकों को आश्चर्य चकित कर दिया। सदा की तरह ओलम्पिक मशाल जलाने के बाद खेलों का धीमगेश किया गया। इस अवसर पर धमकीकी कलाकारों ने अपने परम्परागत नृत्य और संगीत से दशकों का मनोरंजन किया।

इन 23वें ओलम्पिक खेलों में विश्व के 142 देशों के लगभग 12 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेलों की सुचारु व्यवस्था और संचालन के लिए लगभग 4000 अधिकारी नियुक्त किये गये थे। इन खेलों को देखने के लिए विश्व के कोने-कोने से लगभग छ लाख दर्शक और उनका समाचार देने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन के आठ हजार सम्वाददाता आये थे। इन सबके आवास और भोजन का समुचित प्रबंध किया गया था। इतने पेट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से प्रतियोगिता परिणामों को सीधे-आतिशीघ्र प्रेषित करने की व्यवस्था भी प्रगतनीय रही। कम्प्यूटर द्वारा संचालित दूर संचार प्रणाली ने विश्व के दो करोड़ से अधिक लोगों को घर बैठे इन खेलों की जीती-जागती तस्वीरें दिखाकर उनका मनोरंजन किया। केवल एक कमी सभी को छटकी थी। अमेरिका में आयोजित होने के कारण रूस आदि साम्यवादी देशों ने इन खेलों का बहिष्कार किया जिससे यह प्रतियोगिता विश्व-स्तरीय की नहीं हो पायी।

ओलम्पिक खेलों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब इन खेलों के आयोजन का दायित्व सरकार ने न उठाकर एक निजी व्यावसायिक संगठन ने उठाया था। अमरीकी ओलम्पिक कमेटी के अध्यक्ष विलियम सियोन के अनुसार इस आयोजन पर लगभग 5000 साल बालर व्यय हुए और इस निजी संगठन को 1.0 लाख डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ। इस खेल-आयोजन में तीर-दाजी, एथेलेटिक्स, जिमनास्टिक, गोका-दौड़, तैराकी, बुद्धमचारी आदि 23 खेलों में 223 प्रतियोगिताएँ हुईं। इनमें अनेक नए विश्व कीर्तिमान स्थापित किये गये। अमेरिका का स्थान प्रथम रहा क्योंकि दो अन्य प्रबल प्रतिद्वंद्वी देशों रूस और पूर्वी जर्मनी ने इन प्रतियोगिताओं का बहिष्कार किया था। अमेरिका ने इन प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, 61 रजत तथा 30 कांस्य पदक जीते थे।

पश्चिमी जर्मनी को, चीना चीन को तथा पांचवां इटली को मिला था। हाकी का पदक पाकिस्तान ने जीता था। विश्व विख्यात मैराथान दौड़ में पुतगाल का प्रथम स्थान रहा था, जहाँ तक भारत का प्रश्न है उसे कोई पदक नहीं मिला। फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेल-भावना का पश्चिम दिया अपने पहले कीर्तिमानों को तोड़ा, बहुत कुछ सीखा और प्रेरणा ली। कुल मिलाकर यह आयोजन सफल रहा।

कोरिया एशिया का एक छोटा सा देश है। विश्व राजनीति के दुष्चक्र में फँसकर जब वह दो भागों में बँटा—उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तब तो उसकी स्थिति और भी गौण हो उठी। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सिओल परत जब ओलम्पिक खेलों की व्यवस्थापिका समिति ने घोषणा की कि 1988 के ओलम्पिक खेल सिओल में होंगे तब कुछ देशों की घबका सगा था और उन्होंने इस आयोजन की सफलता पर आशंकाएँ भी व्यक्त की थीं परन्तु इस छोटे से देश ने साधनों और जन शक्ति की अडचनों के बावजूद जो कर दिखाया और जिय सफलता के साथ 2 वें ओलम्पिक खेल सम्पन्न हुए उससे न केवल अनेक देश आश्चर्यचकित रह गये अपितु उन्होंने प्रशंसा भी प्राप्त की और इस उचित में उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है।" ओलम्पिक खेलों के समायोजन के लिए अमृत साधन, राष्ट्रीय सकल्प, प्रथक परिश्रम और आयोजन क्षमता चाहिए। दक्षिण कोरिया ने दिखा दिया कि छोटा राष्ट्र हाते हुए भी उसमें ये सब गुण हैं।

घोषणा के बाद दक्षिण कोरिया के लोगों ने इसकी सफलता को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। वे जी-जान से जुट गये। रात दिन खून पसीना एक कर उन्होंने अमम्भव को सभव बना दिया। सिओल हन नदी के तट पर स्थित है। अनेक ओलम्पिक खेलों का मुख्य स्टेडियम इसी नदी के तट पर निर्मित किया गया है। यह 105 मीटर लंबा और 67 मीटर चौड़ा है। इसकी दशक दीर्घा इतनी विशाल है कि उसमें एक समय में 70 हजार दर्शक बैठ सकते हैं। इसमें रंग चिरंगी सुन्दर कुर्सियाँ लगी थीं। इसके ऊपरी छड़ और निचले छड़ में कुल मिलाकर 52 प्रवेश द्वार थे। तलखड में खिलाड़ियों की व्यवस्था थी। मुख्य स्टेडियम में सभी प्रतियोगिताएँ नहीं हो सकती थीं। अनेक अन्य खेल प्रतियोगिताओं के लिए अन्य 34 खेल स्टेडियम बनाये गये थे। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए 72 अन्य केंद्र भी

बनाये गये। हन नदी के प्रतिरिक्न जहाँ नौका टोनों का आयोजन था अनेक इनडोर सरणताल बनाये गये थे जहाँ तैराकी, गोताखोरी आदि की प्रतियोगिताये आयोजित की गयी। अनेकी बात यह थी कि स्टेडियम, आवास गृह आदि एक दूसरे से पांच किलोमीटर से दूर नहीं थे। अतः खिनाइयों, पत्रकारों, रेडियो और टेलीविजन के लिए काम करने वालों को ठानक भी असुविधा नहीं हुई।

सिमोल में ओलम्पिक खेल 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चले। 17 सितम्बर 1988 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 6 बजे 24वें ओलम्पिक खेल समारोह का उद्घाटन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति महामहिम रोह टे-वो ने किया। सदा की तरह इस बार भी ओलम्पिक मशाल प्रज्वलित की गयी, कबूतर और गुब्बारे उड़ाये गये जिनसे सिमोल आकाश पर एक अद्भुत दृश्य अंकित हो गया। 13740 नर्तको, गायको और कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उत्सव की शोभा में चार चाँद लगा दिए।

विद्योत ओलम्पिक आयोजन समिति के अध्यक्ष थे पार्क सेह जिंक। उन्ही के मार्गदर्शन में सारा आयोजन सम्पन्न हुआ। सिमोल ओलम्पिक का आदर्श उद्देश्य वाक्य था, "एकता और प्रगति"। उसका शुभकर था— होदोरी अर्थात् कोरियाई बाघ का बच्चा जिसकी धारियाँ पीली काली होती हैं। सिमोल ओलम्पिक का आधिकारिक विन्ड था— सामताणुक।

इस प्रतियोगिता में 700 पदक दिये जाने वाले थे। आयोजन की समाप्ति पर जब गणना की गयी तो परिणाम इस प्रकार थे—

देश	स्वर्ण पदक	रजत पदक	कंस्य पदक
सोवियत संघ	55	31	26
पूर्वी जर्मनी	37	35	30
अमेरिका	36	31	27
दक्षिण कोरिया	12	10	11

मेजवान देश दक्षिण कोरिया का निष्पादन आशातीत था क्योंकि पहले के ओलम्पिक खेलों में एशिया से चीन और जापान ही सर्वाधिक पदक प्राप्त करते आये थे।

इन खेलों में अनेक विश्व कीर्तिमान अस्त हुए नए कीर्तिमान बने, अनेक

खिलाड़ियों को निराशा हुई। नए सितारे चमके। एक विशेष बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह कि यद्यपि खिलाड़ियों के लिए मादक द्रव्यों का सेवन पहले भी बर्जित था पर वह सूके-छिपे चलता था। सिओल ओलम्पिकस में परीक्षण प्रणाली इतनी कड़ी और कुशल रही कि कई खिलाड़ियों को विजयी घोषित करने और पदक प्रदान करने के बाद भी जब दोषी पाया गया तो उनसे पदक वापिस ले लिए गये और उन्हें दण्डित भी किया गया। यह भविष्य के लिए चेतावनी तो है ही खेलों और खिलाड़ियों के लिए शुभ भी है।

जहां तक घाय-व्यय का प्रश्न है अनुमान है कि इस आयोजन पर 3 घरब डालर खर्च हुए और शुद्ध लाभ की राशि 19 घरब डालर रही। यद्यपि दक्षिण कोरिया को निर्माण कार्यों आदि पर हमसे कहीं अधिक खर्च करना होगा पर आयोजन की सफलता से उसे जो गौरव और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है उसे देखते व्यय कुछ भी नहीं है।

६२ | **मन के हारे हार है, मन के जीते जीत**

मन समस्त इन्द्रियों का स्वामी और गति विधियों का केन्द्र माना जाता है। उसी के सकेत और प्रेरणा से शरीर चलता है। अपने प्राप में मनुष्य का शरीर बड़ा लाचार है। उसकी अपनी सीमाएँ हैं। उन्हें वह पार नहीं कर सकता। शरीर प्राग में जल जाता है पानी में गल जाता है और वायु में सूख जाता है, शीत, घाम और वर्षा सभी इसे विचलित कर देती हैं। यह तन थक जाता है, टूट जाता है और हिम्मत हार बैठता है। इस बेचारे शरीर से मनुष्य वह सब कुछ नहीं कर सकता जो उसने मात्र कर दिखाया है। धाज की वैज्ञानिक सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियाँ मनुष्य के शरीर के कारण नहीं अपितु उसके मन के कारण हैं। शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसे धाजो संचालन के लिए मन से ही आदेश और शक्ति प्राप्त होती है, दशातिष्ठ गत कहना ठीक है जो आदमी मन से हार जाता है वही जीवा-नाशक में पराजित होना है, किन्तु जो दृढ़ मनुष्य अपना साहस बनाए रखता है, वह शरीर भी नहीं हारत।

शारीरिक दृष्टि से ससार के लोगों में विभिन्नता कम है, साम अधिक। जलवायु, आर्थिक अवस्था या अधिक कारणों से किसी एक बर्षा

कल्पनाओं को मूर्त रूप देने के प्रयत्न में जुट भी जाते हैं, किन्तु पथ की बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर वे शीघ्र ही उस कार्य से विरत हो जाते हैं। साधारण मनुष्य के माग में कठिनाई न आती हा या उसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न करना पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है। साधारण और साधारण मनुष्य के बीच अन्तर है तो केवल इतना कि साधारण जन जल्दी ही अपना मन हार देते हैं जबकि असाधारण व्यक्ति पथ की बाधाओं से प्रोत्साहित होकर और अधिक लगन तथा उत्साह से अपने पथ में जुट जाते हैं और अन्त में सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

हमें ऐसे अनेक व्यक्तियों के वृत्तान्त पढ़ने को मिलते हैं जो आजीवन कठिनाइयाँ झेलते रहे किन्तु अन्त में सफल हुए। आज इन लोगों को साधारण महापुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन लोगों ने विषम परिस्थितियों के आगे हार न मानकर अपने निजी जीवन में भी सफलता प्राप्त की और विद्व के सम्मुख एक ऐसा ज्वलन्त आदर्श उणस्थित किया जो दूसरे लोगों को मार्ग की बाधाओं को कुचलते हुए अथवा और अनवरत रूप से परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की पहचान उसके बुरे समय में ही होती है। इस सत्कार में विजयी बही होता है जो शक्ति भर, बल्कि अपनी शक्ति से भी अधिक सधप करता है। इस सधप में साहसी, शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना हौसला नहीं सोता, इसलिए उसे सफलता मिलती है।

जीवन विरोधी प्रकृति की वस्तुओं और विरोधी प्रकृतियों का अद्भुत मिश्रण है। इसमें सब दिन, सब बातें और परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहती। सत्कार का अर्थ है जो सत्करण करता रहे अर्थात् प्रतिफल परिवर्तित होता रहे। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख, आशा के बाद निराशा और निराशा के बाद आशा, उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन सत्कार का यही ऋम है। मनुष्यी लोभ सत्कार की इस प्रवृत्ति को पहचानते हैं और विपरीत परिस्थितियों में नहीं घबराते।

आशा एक ऐसा मूल है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। मनुष्य को अपने तथा इस विद्व के अगतमय भविष्य के प्रति सदैव आशावान रहना चाहिए और कम में आस्था रखनी चाहिए। जो व्यक्ति कम से विरक्त नहीं होते, मन में निराशा नहीं आने देते, वे लोग ही अपने उद्देश्यों में सफल

प्रान्तों के लोग दूसरे देशों अथवा प्रान्तों के लोगों से अधिक या कम स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य का मनोबल अन्य मनुष्यों से भिन्न होता है, और यह मनोबल ही प्रधान है, शारीरिक बल नहीं। हम प्रायः महापुरुषों के जीवन वृत्तान्त और उनके जीवों में घटने वाली घटनाओं पर आश्चर्य करते हैं और सोचते हैं कि इन लोगों में ऐसी क्या बात थी जिसने इनसे ऐसे असाधारण कार्य करा लिए जिनकी हम साधारणतः कल्पना भी नहीं कर सकते। शारीरिक दृष्टि से इन लोगों में कई असाधारणता नहीं थी, चाहे वे बुढ़ा हो अथवा गांधी, जवाहरलाल हो या रवीन्द्रनाथ टैगोर, कार्लिन हो अथवा रसेल फॉरड हो या लिंकन। वास्तव में इन महापुरुषों को महत् मनोबल ही इन्हें असाधारण जनों की पक्ति में ला बैठाता है।

मन न हारने का अर्थ है हिम्मत न हारना या होसता बनाए रखना। जब तक यह होसला बना रहता है तब तक मनुष्य घान्त-होकर नहीं बैठता और उद्यम से मुंह नहीं मोड़ता। बार-बार असफल होकर भी सफलता की राह पर गतिशील रहता है। जीवन एक सघर्ष है और जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है—“किसी भी लड़ाई में तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि जीत न ली जाए।” वास्तव में कोई भी सघर्ष में से हारता या हारा जाता है, शरीर तो एक साधन मात्र है। जब मनुष्य का मन हार जाता है तो उसका तन भी बिना किसी प्रतिरोध के पराजय स्वीकार कर लेता है। परन्तु यदि मन नहीं हारता तो वह तन को भी अपने साथ सफलता प्राप्ति के सघर्ष-कार्य में लगाए रहता है।

इच्छा शक्ति एक बड़ी विचित्र शक्ति है इसके अभाव में महत् कार्य नहीं हो पाते। यह इच्छा शक्ति उसी व्यक्ति के पास हो सकती है जिसके पास परिस्थितियों से कभी न झुकने वाला सुदृढ़ मन हो। जिस घातक रोग से सामान्य मनुष्य मर जाता है प्रबल इच्छा शक्ति वाले लोग उसी रोग से बरसों जूमते रहते हैं और जिस रोग से सामान्यजन को अघोषित विज्ञान के बड़े-बड़े चमत्कार नहीं बचा पाते उसे मनस्वी अपनी इच्छा शक्ति से परास्त कर देते हैं। मन की इस विचित्र शक्ति के कारण ही लाखों और करोड़ों विपत्तियों का समुदाय उन लोगों के सामने घुटने टेक देता है, जो शारीरिक दृष्टि से नितान्त सामान्य होते हैं। गांधी जी का शरीर नहीं, मन ही उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के सघर्ष पथ पर चलाए रखकर अन्तिम सफलता दिला सका।

मन कल्पनाओं का अक्षय भण्डार है। साधारण जन के मन में भी असाधारण कल्पनाएँ जन्म लेती रहती हैं। अनेक साधारण जन इन असाधारण

वल्पनाओं को मूल रूप देने के प्रयत्न में जुट भी जाते हैं, किन्तु पथ की बाधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर वे शीघ्र ही उस कार्य से विरत हो जाते हैं। असाधारण मनुष्य के मार्ग में कठिनाई न आती हो या उसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न करना पड़ता हो, ऐसी बात नहीं है। साधारण और असाधारण मनुष्य के बीच अन्तर है तो केवल इतना कि साधारण जन जल्दी ही अपना मन हार देते हैं जबकि असाधारण व्यक्ति पथ की बाधाओं से प्रोत्साहित होकर और अधिक लगन तथा उत्साह से अपने कार्य में जुट जाते हैं और अन्ततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं।

हमें ऐसे अनेक व्यक्तियों के वृत्तान्त पढ़ने को मिलते हैं जो प्राजीवन कठिनाइयों झेलते रहे किन्तु अन्त में सफल हुए। आज इन लोगों को असाधारण महापुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इन लोगों ने विषम परिस्थितियों के आगे हार न मानकर अपने निजी जीवन में भी सफलता प्राप्त की और विश्व के सम्मुख एक ऐसा ज्वलंत आदर्श उपस्थित किया जो दूसरे लोगों को मार्ग की बाधाओं को कुचलते हुए अथक और अनवरत रूप से परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की पहचान उसके बुरे समय में ही होती है। इस सत्कार में विजयी वही होता है जो शक्ति भर, बल्कि अपनी शक्ति से भी अधिक सधर करता है। इस सधर में साहसी, शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपना हौमला नहीं सोता, इसलिए उन्हें सफलता मिलती है।

जीवन विरोधी प्रकृति की वस्तुओं और विरोधी प्रवृत्तियों का अद्भुत मिश्रण है। इसमें सब दिन, सब बातें और परिस्थितियाँ एक ही नहीं रहती। सत्कार का अर्थ है जो सत्कार करता रहे अर्थात् प्रतिफल परिवर्तित होता रहे। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख आशा के बाद निराशा और निराशा के बाद आशा, उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन संसार का यही क्रम है। मनस्वी लोग सत्कार की इस प्रवृत्ति की पहचानते हैं और विपरीत परिस्थितियों में नहीं घबराते।

आशा एक ऐसा सूत्र है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। मनुष्य को अपने तथा इस विश्व के अगलमगल भविष्य के प्रति सदैव आशावान रहना चाहिए और कर्म में आस्था रखनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से विरक्त नहीं होते, मन में निराशा नहीं आने देते, वे लोग ही अपने उद्देश्यों में सफल

होते हैं। एक कहावत है—“हाग्रिये न हिम्मत विसारिये न राम”। यह लोकोक्ति सीधे-सीधे शब्दों में मनुष्य के सामने एक ऐसे उच्च आदर्श को प्रस्तुत करती है जिसे जीवन में सरलता से रूपान्तरित किया जा सकता है। यह आदर्श है—मनुष्य को किसी भी मूल्य पर हौसला नहीं खोना चाहिए और हर समय यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि राम जो कुछ करेंगे वह उसके हित में ही होगा। इस कहावत से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का माग अनेक बाधाओं से भरा हुआ है और उसके सामने ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आ सकती हैं, जिनसे वह हिम्मत हार सकता है, लेकिन सुन्दर और मंगलमय भविष्य में विश्वास रखते हुए उसे अपनी हिम्मत न हार कर निश्चित मन से काय करत रहना चाहिए। कठम व्यक्तियों के चरण ही सफलता चूमा करती है।

सारांश यह है कि मनुष्य को अपने काम में मनोबल से ही सफलता प्राप्त होती है। उसे हर मूल्य पर इस मनोबल को बनाए रखना चाहिए और अधिक से अधिक ऊँचा उठाना चाहिए। उसे भविष्य के प्रति आशावान रहना चाहिए और यदि मन में दुर्बलता आए तो भी उसे निवाल फेंक फिर से काम में जुट जाना चाहिए जीवन में सफलता का यही मूल मंत्र है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मन की दृढ़ता पराजय को भी जय में तभी बदल पानी है।

६३

जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान

जीवन की सफलता के अनेक रहस्य हैं। उनमें से, भारतीय सस्कृति में सन्तोष को परम धन और सन्तोषी को परम सुखी माना गया है। सन्तोष की जो महिमा हमारे देश में मानी गई है वह बहुत कम देशों में पायी है। आज के इस अर्थ प्रधान युग में तो सन्तोष का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है जबकि पश्चिम के मनीषी भी यह सोचने लगे हैं कि विश्व की मुक्ति भारतवर्ष द्वारा बनाए गए सनातन मार्ग पर चलने से ही सम्भव है। उन्हें लगता है कि यदि भारतीय आदर्शवाद को विश्व-जीवन-दर्शन में यथोचित स्थान न दिया गया तो रास्त्रों की यही अन्धी दीड किसी दिन मानवता को विलुप्त ही कर देगी। सन्तोष भारतीय आदर्शवादी सस्कृति की एक बहुत ही प्रमुख विशेषता और पुरुषार्थपूर्ण उपलब्धि है।

जब आगे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान

सन्तोष मन की उस अवस्था को कहते हैं जब मनुष्य अपनी स्थिति के प्रति कोई पछतावा, असन्तोष या आक्रोश न अनुभव करता हो। यह अवस्था उस सम्पूर्ण सुख की अवस्था है, जिसमें दुःख भी मनुष्य के मन को विचलित नहीं कर पाता। मनुष्य उसी से सन्तुष्ट होता रहना है। जो कुछ उसे प्राप्त होता है। जो प्राप्त नहीं है, उसके लिए वह प्रयत्न अवश्य करता है किन्तु आयाधापी करके दूसरो के सुखभाग पर अनुचित रूप से अधिकार करने की नहीं सोचता, वह न अपनी स्थिति को शोचनीय या कष्टपूर्ण बनाता है और न दूसरो को उसका दोषी या उत्तरदायी ठहराता है हर हाल में सन्तुष्ट रहना ही धर्म मानता है।

इसका मतलब यह नहीं कि सन्तोषी भाग्यवादी, भालसी या विरक्त होता है। वह कम और भाग्य दोनों में विश्वास रखता है। कर्म से भाग्य को सुन्दर बनाने का प्रयत्न भी करता है, किन्तु अपने प्रयत्नों में असफल होने पर वह बौखला नहीं उठता, बल्कि उसी असफलता को अपना भाग्य समझकर सन्तुष्ट हो जाता है और फिर एक नए सिरे से सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न आरम्भ कर देता है। वह भालसी नहीं होता, क्योंकि भालसी मनुष्य अपनी हीन अवस्था से सन्तुष्ट न रहकर उसके लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराता है। भालसी बिना कर्म किए उसके फल में अपना हिस्सा चाहता है जबकि सन्तोषी यथाशक्ति कर्म करता है और यदि कर्म करने के पश्चात् भी उसे फल की प्राप्ति नहीं होती तो भी विरगुण्य नहीं होता। समरसत्ता उसका प्रमुख लक्षण है।

सन्तोषी व्यक्ति को साधारण जन की अपेक्षा सासारिक सुखों की अभिलाषा बहुत कम होती है। यश, धन, रूप आदि ऐसे विषय हैं जिनकी प्यास या कोई अन्त नहीं है। सामान्य जन नाना प्रकार के राग द्वेष से घिरे हुए जीवन-मर इस प्यास को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। सन्तोषी व्यक्ति समझता है कि सासारिक सुख मगतत्वा के समान मिथ्या है। इसलिए वह उनका पीछा करने का प्रयत्न ही नहीं करता। मन की इस स्थिति में डालने के प्रयत्न में वह स्वयं तो सुखी होता ही है। अपने आस पास को भी सुखी कर देता है।

सन्तोष एक बड़ा ही दुर्लभ गुण है इस प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के स्वभाव में अनेकों सदगुणों का समावेश अपने-आप हो जाता है। अनेक दुर्गुणों से वह अन्वयास ही बच जाता है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन और समाज में जितनी भी बराइयाँ हैं उन सब का कारण मानव मन की कोई-

न कोई अतृप्त तृष्णा है। महात्मा कबीर ने इस तृष्णा को डायन बताया है और इस बात पर बल दिया है कि ससार में फैली अनेक बुराइयों का मूल कारण यही है। रूप, यौवन शक्ति, विजय, यश, धन, भूमि आदि अनेक वस्तुओं की तृष्णा के कारण ही समाज में हुएाएँ होनी हैं, संग्राम होते हैं, भाग मगाई जाती है तथा इसी कारण के अर्थ जघन्य कृत्य किये जाते हैं। जब मनुष्य को सन्तोष ही जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन इन दुर्गुणों से दूर नहीं जाता।

संतोषी मनुष्य सासारिक सुखों की मृग मरीचिका का रहस्य जानता है और दुःखों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। स्वाभाविक रूप से उसकी प्रवृत्ति नीति और आध्यात्मिकता की ओर हो जाती है। सामान्य जन अपना समय या तो सासारिक सुखों की प्राप्ति में लगाते हैं अथवा अपने शेष समय में वे उन सुखों की प्राप्ति के उपायों का चिन्तन करते रहते हैं। तत्त्ववेत्ता संतोषी व्यक्ति इन दोनों ही कामों में अपने समय को नहीं गवाता। संतोषी व्यक्ति प्रायः धर्म-परायण और ईश्वर भोक्त होता है। इसी से उसे शांति मिलती है।

जब मनुष्य के पास संतोष रूपी धन आ जाता है, तब उसके लिए अन्य सभी प्रकार का धन व्यर्थ हो जाता है। वह समझ जाता है कि धन की लिप्सा का तो कोई अन्त ही नहीं है इसलिए मनुष्य को धन के लिए अर्घ्य बनकर व्यय की भागमभाग न करके अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहना चाहिए।

संतोषी मनुष्य को ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो मनुष्य दूसरा की चीजा पर अपना अधिकार जमाने की सोचता रहता है वह दूसरों के धन को मिट्टी के समान कैसे समझ सकता है? गीता में लोभ को सब बुराइयों में जड़ बताया गया है। लोभ से मनुष्य में परिग्रह (सभी चीजों पर अपना अधिकार जमाए रखने की प्रवृत्ति) आता है और फिर इससे दूसरी बुराइयों जन्म लेती हैं। मध्ययुगीन सन्त कवियों ने मनुष्य को बार-बार इस बात की चेतावनी दी है कि दूसरों की चुपड़ी रोटी या धन सम्पत्ति की तरफ देखने से तुम्हें क्या लाभ? तुम्हें तो हल्की मूखी मिलती है उसी से सन्तुष्ट रहने की प्राप्ति डालो—

‘देख पराई चुपड़ी क्या लसचावे जी।

हल्की सखी क्षाय के टण्डा पानी पी ॥’

इसी प्रकार कबीरादि महान सन्त कवियों ने मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को कम-से-कम करने का उपदेश दिया है। अपनी आवश्यकताओं को

मनुष्य जितना चाहे घटा बढ़ा सकता है, यह उसके हाथ की बात है। शरीर को सुख भोग की जितनी आदत डाली जाय, उतना ही वह झालसी और विलासप्रिय बन जाता है। एक बार जब आवश्यकताएँ बढ़ जाती हैं, और उनकी पूर्ति नहीं होती तो फिर मनुष्य को कष्ट होता है। वह हर समय धुन्ध, असन्तुष्ट और अपरितृप्त रहने लगता है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि विहारी का कहना है कि जिस प्रकार तालाब में पानी बढ़ने से कमल बढ़ जाता है, उसी प्रकार सम्पत्ति बढ़ जाने पर मनुष्य के खर्चे बढ़ जाते हैं, किन्तु जिस प्रकार पानी कम होने से बढ़ा हुआ कमल घट नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य फिर अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और उसका मन कमल की भाँति मुरझा जाता है। इस स्थिति से सतोषी ही बच सकता है।

सतोषी मनुष्य न तो अधिक कमाने के लिए दुःखी होता है और न फिर न्याय-पूर्ण ढंग से कमाए गए धन का अपव्यय करता है। उसकी तो सीमित आवश्यकताएँ होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए वह यथोचित ढंग से यथा-शक्ति कमाने का प्रयत्न करता है। अपने बाकी समय को वह परोपकार आदि दूसरे सत्कार्यों में लगा देता है, और हर समय परमानन्द में लीन रहता है। उसे न कोई चिन्ता रहती है न किसी प्रकार का असन्तोष उसे बेचैन कर पाता है। वह शरीर का धर्म का साधन मात्र समझता है और 'शरीरमाद्य' खलु धर्म साधनम् में विश्वास रखता हुआ धर्म के इस माध्यम की रक्षा करना तो अपना कर्त्तव्य समझता है किन्तु इसे अनेक प्रकार के भोग-विलासों में लिप्त करना पाप समझता है। ऐसे सतोषी व्यक्ति के लिए सतोष ही परम धन होता है, गाधन, गजधन और वाजिधन आदि उनके लिए मिट्टी के समान होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सुखी जीवन के लिए प्रयत्न पूर्वक सतोष धन का अजन ही अमूल्यतम उपाय है।

गोस्वामी तुलसीदास की यह उक्ति अपने आप में जीवन का महान दर्शन समाए हुए है। मानव-जीवन में पराधीनता और स्वाधीनता दो परस्पर विरोधी छोर हैं। इन दोनों का एक ढाँचे में अन्तर स्पष्ट करते हुए ब्रजभाषा और

सतसई-परम्परा के अतिम कवि माने जाने वाले श्री वियोगी हरि ने भी अपनी वीर सतसई' में लिखा है

“पराधीन जो जन, नाहि स्वर्ग-नरक ता हत ।

पराधीन जो जन नाहि, स्वर्ग-नरक ता हेत ॥”

अर्थात् जो व्यक्ति पराधीन है, परबस और गुनाम स्थिति और मनोवृत्ति वाला है उसने लिए स्वर्ग-नरक का कोई महत्त्व नहीं हुआ करता, क्योंकि उस हर प्रकार से अपने को अधीन बनाने वाले की इच्छाओं का ध्यान रखकर ही चलना पड़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से पराधीन नहीं है—अर्थात् स्वाधीन है, स्वर्ग-नरक का वास्तविक महत्त्व उसी व्यक्ति के लिए ही हुआ करता है। ऐसा इसलिए कि वह अपनी इच्छा से व्यवहार एवं आचरण करके जान सकता है कि कौन सा कार्य स्वर्ग के समान सुख देने वाला है और कौन-सा नरक के समान यातनादायक है। कवि की इस उक्ति में जीवन का, विशेषकर स्वतंत्र और स्वाधीन जीवन का निश्चय ही वास्तविक महत्त्व छिपा हुआ है। निबन्ध की दीर्घक-वृत्ति ‘पराधीन सपनेहुँ सुख नाहि’ भी उपरोक्त तथ्यों की ओर ही संकेत करती है। भला जो व्यक्ति प्रत्येक बात में, प्रत्येक कदम पर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वह वास्तविक सुख पाने के सपने भी कैसे देख सकता है? निश्चय ही किसी भी प्रकार का सुख पराधीनो के लिए नहीं बना, वह तो स्वाधीनो की ही सम्पत्ति है। बेचारा पराधीन! उसकी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं हुआ करती। उसकी स्थिति खुले वातावरण में रहते हुए भी कारागार की अंधेरी बन्द कोठरियों में जीवन व्यतीत करने वाले नितान्त असहाय व्यक्ति के समान हुआ करती है। तभी तो पराधीनता से मुक्ति के लिए लोग और राष्ट्र अपना तन मन धन सभी कुछ योछावर कर दिया करते हैं। स्वाधीनता को जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं।

तन मन, न का वास्तविक महत्त्व भी केवल स्वाधीन व्यक्ति ही जानता समझता है। तन पर कोई रोग हा गया है पराधीन के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं, उसके पास उस रोग से छुटकारा पाने का साधन भी तो नहीं। मन दुःखी है धन नहीं है—तो भी पराधीन के लिए सब बराबर है। कुछ कर या मन को दुःख में बचाने के लिए प्रयत्न करके वह अपने दुःख को सिवाए और भी बड़ा लेने के अर्थ कुछ नहीं कर सकता। धन तो उसे मिल ही नहीं सकता कि वह उसकी सहायता से दुःखों के कारणों को दूर कर पाने में समर्थ

सके। इसी कारण तो महापुरुषों ने सभी प्रकार के दुखों और विताओं
 एवमात्र कारण पराधीनता को मानकर उसमें छुटकारा पाने अर्थात् अपने
 आपको सभी प्रकार से स्वाधीन बनाने की अनवरत प्रेरणा दी है।

मुख्य रूप से पराधीनता के दो ही प्रकार हो सकते हैं—एक बाह्य
 पराधीनता और दूसरी मानसिक या आंतरिक पराधीनता। आर्थिक अभाव,
 राजनीतिक गुलामी आदि बातें बाह्य पराधीनता के अन्तर्गत आती हैं। यदि
 व्यक्ति का मन सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त हो तो फिर उपरोक्त
 सब प्रकार की बाह्य पराधीनताओं में निश्चय ही छुटकारा सम्भव हो सकता
 है। व्यक्ति मन की दृढ़ता से काम लेकर वे सारे साधन जुटाने में समर्थ हो
 सकता है कि जिनके द्वारा बाह्य पराधीनता से छुटकारा पाना सम्भव हो सकता
 है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति मानसिक दृष्टियों से अपने आपको पराधीन
 बना लेता है तब तो उसके छुटकारे या निस्तार का कोई भी उपाय नहीं रह
 जाता। जब दिल ही बुझ गया तो फिर कैसा सुख और कैसी स्वाधीनता ?
 फिर तो सिवाए रो धोकर जीवन बिता देने के अन्य कोई चारा नहीं हुआ
 करता। इसी कारण राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक या अन्य प्रकार की
 पराधीनताओं से बढ़कर मन की पराधीनता को बुरा एव अकाट्य माना जाता
 है। इसी कारण मन को स्वच्छ सबल और सब प्रकार के दबावों से मुक्त
 रखने की प्रेरणा दी जाती है। मन सभी प्रकार की कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों
 का स्वामी कहा गया है। जब स्वामी अर्थात् गुरु ही उचक्के हो गये हैं तो
 इन्द्रियों का उचक्के का चौधरी बनकर रह जाना स्वामाधिक है। यही सब
 देखकर तो उदू के किसी शायर ने उचित ही कहा है—

“क्या लुप्त अजुमन में—
 जब दिल ही बुझ गया है।”

दिल या मन के बुझ जाने पर निश्चय ही ससार में कोई लुप्त या आनन्द
 नहीं रह जाता। मन तभी बुझता है कि जब वह अच्छी या बुरी किसी भी
 प्रकार की भावना का गुलाम बन जाता है। भावनाओं में श्रौतिक्य का ध्यान
 रखना तो निश्चय ही आवश्यक है, पर जीवन का वास्तविक सुख भोगने के
 लिए, स्वर्ग नरक के मूल अन्तर जानने के लिए, मन को कभी भी, किसी भी
 भावना का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए यही महापुरुषों की मांगता है।

इस विवेचन से स्वाधीनता और स्वतंत्रता का महत्त्व स्पष्ट है। स्वतंत्रता
 का सुख ही निराला है। तभी तो उसे पाने या बनाए रखने के लिए जागरूक

लोग प्राणो तक का बलिदान कर देते हैं। स्वतन्त्रता और स्वाधीनता सत्ता के छोटे-बड़े प्रत्येक प्राणी का जन्मजात स्वभाव है। कोई भी अपने आप को किसी भी स्तर पर पराधीन नहीं रखना और देखना चाहता। आप एक नन्ही कीड़ी का रास्ता रोकने का प्रयत्न कीजिए, वह तलमला कर उस अवरोध से बचने का प्रयत्न करेगी। वह पक्षी जो नीले आकाश की छाया में उगे किसी वृक्ष की डाली पर बैठकर मधुर स्वरो में चहचहाया करता है, सोने के भरे-भूरे पिंजरे में बंद होकर निश्चय ही वह मधुर स्वरो में चहचहाना भूल कर गमगीन हो जाया करता है। भला पराधीनता में, फिर चाहे वह कितनी ही सुनहली क्यों न हो, किसे मुक्त भाव में गाना सूझता है ?

बन्धन किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं माना गया। बन्धन में सुख नहीं छटपटाहट ही हुआ करती है। फिर चाहे वह प्रेम का बन्धन हो क्यों न हो पराधीन व्यक्ति न तो अपना विकास कर सकता है और न देश-जाति का ही। सभी प्रकार की वैयक्तिक और सामाजिक प्रगतियाँ मुक्त वातावरण में ही सम्भव हुआ करती हैं। तभी तो अपनी स्वाधीनता को बचाए और बनाए रखने के लिए छोटे-से छोटे राष्ट्र भी अनेक बार मर मिटा करते हैं। वे जानते हैं कि वास्तविक सुख—कोठी कल्पना का सुख नहीं, केवल स्वाधीनता में ही प्राप्त हो सकता है। पराधीनता में तो कतई नहीं।

इस सारे विवेचन से निष्पत्ति की शीपक-उक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यही बात इस उक्ति में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कही गई है। उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जो व्यक्ति पराधीन है, वह अपने में भी सुख नहीं पा सकता। सुख तो बना ही स्वाधीनता के लिए है, फिर वह पराधीनता को मिले भी तो कैसे ? अतः व्यक्ति को आन्तरिक-बाह्य सभी प्रकार की पराधीनताओं से बचे रहने के लिए हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। स्वाधीनता में ही मानव जीवन उसकी जाति और उसकी राष्ट्रीयता की भी सफलता एवं सार्थकता है। तन मन, भाव, विचार आदि सभी स्तरों पर स्वाधीन राष्ट्र ही सच्ची प्रगति कर पाते हैं।

वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे

जन्म यदि जीवन का आरम्भ है, तो मृत्यु उसका अन्तम परिणाम, जो अवश्यम्भावी है। अतः मरना ! जी हाँ, मरना तो एक दिन सभी ने है। जन्म का निश्चित परिणाम ही जो मृत्यु है। जन्म की मृत्यु को दी जाने वाली आवाज का दोनों के बीच आने वाले मध्यान्तर का नाम ही तो जीवन है। तो फिर निश्चित रहा कि जन्म का अन्तिम परिणाम मृत्यु ही है और वही है अन्तिम सत्य। अन्य सभी से तो मनुष्य भाग सकता है। छिपकर या उपेक्षा करके अपने प्राण को बचा सकता है, पर मृत्यु ? नहीं, उल्लूकी पहुँच से न तो भागा जा सकता है और न अपने-प्राणको कहीं छिपा कर बचाया ही जा सकता है। जब मरना ही है, तो क्यों न मनुष्य किसी महत् उद्देश्य को लेकर मरे ? जीवन में कोई महान् कार्य करके मरे। क्यों वह गली के कुत्ते के समान केवल भौंक कर मर जाए कि बाद में उसका कोई नाम-लेवा भी न रह जाए। सचमुच, महान् व्यक्ति जिस ध्यान से जीते हैं, मरते भी उसी ध्यान से हैं। उनका जीते रहना जितना महत्त्वपूर्ण हुआ करता है, उनका मरना उनके महत्त्व को और भी अधिक बढ़ा देता है। जिस प्रकार सोना या हीरे-मोती तो मूल्यवान् हुआ ही करते हैं, उनकी राख अधिक गुणकारी होने के कारण और भी अधिक मूल्यवान् तथा महत्त्वपूर्ण हो जाता करती है; ठीक उसी प्रकार महान् व्यक्ति जीवित रहकर तो मानव-मात्र की सुख-समृद्धि के लिए कार्य करते ही हैं वे यो ही मर भी नहीं जाते, मरते-मरते भी मानवता के लिए अनेक प्रकार का आदेश छाड़ जाया करते हैं। तभी तो मृत्यु के बाद भी उनके नाम अमर रहते हैं। लोग उनकी गाथाएँ उदाहरणों के रूप से कहा-सुना करते हैं। पर उन्हीं मनुष्यों की कि जो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि मानवता के महान्-हित साधनों के लिए मरते हैं। तभी तो स्वर्गीय राष्ट्र कवि मैथिली-शरण गुप्त ने निवृत्त की शीघ्र-शक्ति में मनुष्य और मनुष्यता की परिभाषा करते हुए कहा है—

“वही मनुष्य है—

कि जो मनुष्य के लिए मरे।”

ब्राह्मणों और स्वार्थी से भरी इस दुनिया में मनुष्यों का मनुष्यों के लिए मरना कोई सरल काम नहीं है। उसके लिए तो बड़ी ही कठोर साधना भी आवश्यकता हुआ करती है। अपने ग्रहकार को मिटाकर उसे समूची मानवता के ग्रह में मिला देने की जरूरत रहा करती है। ऐसा करके ही कोई मनुष्य 'मसूर' के रूप में मानवता की भलाई के लिए विष का प्याला पीकर मर सकता है। कोई भीरा दीवाना होकर घर बाहर से निकल कर मानवता को मुक्ति का संदेश देने के लिए मृत्यु के महा पथ पर निकल सकती है। अपने ग्रह को ससार की दुख-पीड़ाओं में घुंटाकर करके ही कोई मनुष्य-कबीर बन कर, चौराहे पर लडे होकर अथ मनुष्यों को चुनौती भरे स्वरों में ललकार सकता है—

‘कबिरा लडा बाजार में, लिए लुकाठा हाथ।

जो घर फूँके अपना, चले हमारे साथ।’

सो भैया, मनुष्य अपना घर अर्थात् अपनी मोह-ममता और अपने ग्रह भाव को जलाकर ही बना जा सकता है। पहले ऐसा करके मनुष्य बनने की आवश्यकता है, उसके बाद ही कोई अथ पीड़ित मनुष्यों के लिए मर कर मनुष्यता को पा सकता है, उसके मस्तक का तिलक बन सकता है। दूसरे 'गन्दों' में अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को मनुष्यों के लिए मिटाकर ही साधक तथा सफल किया जा सकता है। यही इस उक्ति का अर्थ एवं रहस्य है।

आखिर यह देश, जाति, राष्ट्र समाज आदि होते क्या हैं? समान हितों और आस्थाओं वाले मनुष्यों के समूह ही तो हुआ करते हैं। जब उनमें अनेक प्रकार के अनाचार हों, विषमताएँ हों दुखों-पीड़ाओं के कारण आह और कराह हो, तो क्यों न उनके सीने में गोली मार कर कोई भगतसिंह फाँसी के फंदे को यह गाते हुए चूम लेगा कि—

‘सरफरोशी की तमना है तो सर पंदा करो।’

क्यों न कोई सुभाषचंद्र बोस घर परिवार के समस्त सुखों का परित्याग कर, घर-देश से मीलों दूर जाकर सब प्रकार के मानवीय अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा देगा। जब मानवता कुछ सिरफिरे मानवों की प्रतिहिंसा का शिकार होकर दम तोड़ रही होगी तो क्यों न कोई मोहनदास कामराव गांधी हाथ में केवल एक भ्रमण या सैर करने वाली छड़ी लेकर मृत्यु वरसा रही नवास्तियों की गलियों और बाजारों में यह कहते हुए पहुँच जाएगा कि—
मारने से ही तुम्हारी प्यास शांत होती है, तो पहले मुझे मारो। आहा!

सही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे

मनुष्य के लिए मर-मिटने की साध में यह किस प्रकार का आत्मिक सुख है कि एक फकीर ने एक जालिम बादशाह की हिंसा वृत्ति की शान्ति के लिए अपने शरीर को चमड़ी अपने ही हाथों से उधेड़ कर बादशाह को सौंप दी। यह मनुष्यता के सत्य की रक्षा के लिए शहीद हो गया, तभी तो दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद के सामने वन उसके माजार पर आज भी हजारों मनुष्य श्रद्धा के फूल प्रतिदिन अर्पित करते हैं।

इतिहास क्या है? मनुष्यों के कारनामों का लेखा जोखा ही तो इतिहास है। हम उसे पढ़ते हैं। किसी के कारनामे पढ़कर हम वितृष्णा से नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं, जबकि किसी अन्य के कारनामे पढ़कर हमारा सीना फूट उठता है, स्फूर्त होकर मस्तक तन जाता है और फिर अपार श्रद्धा-भक्ति से झुक जाता है। क्यों आखिर ऐसा क्यों होता है? इतिहास है तो मरन वालों की कहानी और लेखा-जोखा ही न। नहीं, केवल इतना ही इतिहास नहीं है। वह एक ओर तो उन लोगों का ब्योरा देता है, जो केवल अपने लिए जीए और अपने लिए ही मरे भी। उनका ब्योरा पढ़कर ही वितृष्णा से हमारी भवें तन जाती हैं। दूसरी ओर वह उन लोगों का ब्योरा हमें सुनाता है कि जो अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों और मनुष्यता की रक्षा के लिए जीए और मरे। तभी तो हमारा मस्तक उनके नाम के सामने स्फूर्त होकर अपने-आप ही झुक जाता है। ऐसे लोगों को हम देश-काल की सीमाओं से ऊपर उठकर आदर्श पुरुष कहकर श्रद्धा भक्ति से नमन करते हैं। यह नहीं देखते कि वह भारतीय है या अभारतीय हिन्दू है या मुसलमान। नहीं, उसे तो हम केवल मनुष्य मानकर ही पूजते हैं। इसलिए पूजते हैं कि वे जीए तो मनुष्य के लिए, मरे तो मनुष्य के लिए और इसलिए वे सभी प्रकार से पूज्य मनुष्य थे—मात्र मनुष्य, पर महान और आदर्श मानवीयता की उदात्त भावनाओं से मण्डित मनुष्य!

मनुष्य और मनुष्यता के लिए मर मिटने की साध, दम-खम रखने वाले व्यक्ति ही जातियों, देशों और राष्ट्रों का निर्माण करते हैं, उनका इतिहास और सृष्टियाँ बनाते हैं। उनके लिए समुन्नत एवं समतल जीवन-पथ का निर्माण किया करते हैं। उनके लिए सबका दद अपना और अपना दद सबका बन जाया करता है। उनकी दृष्टि में सबकी प्रसन्नता ही अपनी प्रसन्नता और सबकी जीत ही अपनी जीत बन जाया करती है। उनके लक्ष्य एवं उद्देश्य तुच्छ स्वार्थों से परिघासित कभी नहीं हुआ करते, बल्कि महत् मानवीय।हृत् की भावना से अनुप्राणित रहते हैं। वह इसलिए कि वे मनुष्य होते हैं—विशुद्ध मनुष्य उनका निर्माण उन तत्त्वों से हुआ करता है कि जहाँ पर-हित-साधन के

उगते हैं, अपनी पावन-भूत सुगन्धि से सभी के जीवन-उपवन को महका दिया करते हैं ।

सो, जीना-मरना तो निश्चित है । उससे बचाव का तो कोई उपाय है नहीं । क्यों न फिर सहज मनुष्यत्व की भावना से अनुप्राणित होकर, सहज मानुषिक तस्वा की रक्षा करते हुए अपने अस्तित्व को घुला मिटा देने की भावना से जिया जाए, मरा जाए । नहीं, अद्य किसी भी रूप में मानव जीवन की सायकता नहीं है । मनुष्य और उसकी मनुष्यता की रक्षा होनी ही चाहिए, चाहे उसके लिए मानवीय चोले में घिरने वाले अमनुष्यों का सहार ही क्यों न करना पड़े । यही मनुष्य और मनुष्यता की महत् भावना है । इनकी रक्षा में अपना तन-मन, अपना सबस्व अर्पित करने वाला ही सच्चा-मनुष्य कहा जा सकता है, इसमें तनिक भी सन्देह या असत्य नहीं है । मानव की महानता का रहस्य भी इसी में अन्तहित है ।

६६ | करत-करत अभ्यास के जडमति होत सुजान

करत-करत अभ्यास के, जडमति होते सुजान ।

रसरी आवत-जात ते, तिल पर परत निसान ॥

हिंदी के रीतकालीन प्रसिद्ध कवि वृद्ध की यह प्रसिद्ध भीति उक्ति है । कवि ने पूरा आत्मविश्वास के साथ अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि कोमल रस्सी के बार-बार आने-जाने से तिल अर्थात् पत्थर भी घिस जाता है । रस्सी अपने कोमल पर समथ व्यक्तिपरत्व की छाप भी निशान—घिसाव के रूप में छोड़ जाती है । काव के विचार में उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने के कारण जड बुद्धि भी समथ, वृद्धिमान और सुजान बन जाता है । अर्थात् निरन्तर परिश्रम और अभ्यासों से अमम्भव कार्य भा सम्भव हो जाया करता है । असफलता भी सफलता बन जाती है ।

कवि वृद्ध की इस उक्ति या सूक्ति का साफ स्पष्ट अभिप्राय एव प्रयोजन वास्तव में निरन्तर परिश्रम के महत्त्व को प्रतिपादित करना ही प्रतीत होता है । मनुष्य अन्ततः मनुष्य है । वह प्रकृति एव परिस्थितियों के सामने नितान्त असमथ है, यह बात भी स्वीकार की जा सकती है । भाग्यवादियों के कथाना नुसार यह भी एक सीमा तक स्वीकारा जा सकता है कि मनुष्य के हाथ में कुछ

सका है अन्य कोई उपाय नहीं। यदि जीवन की भूँ को बेमेल एव अनगढ़ ही नहीं रहने देना चाहते हो तो उसे अनवरत अभ्यास के चॉक पर चढ़ा दो। उसे कर्मों के चक्कर में अनवरता घूमने दो। जीवन का सोना निरंतर अभ्यास और परिश्रम की घाव में तप कर ही खोटे से रहित होकर बुद्धन बनकर दमकेगा। धर्म के मूलावे और चक्करदार मत-वादों के फेर में पडकर जीवन की रस धारा को यो ही मत सूख जाने दो। सुनो, समय का इतिहास का आह्वान सुनो। वह यही कह रहा है कि रस्सी की बोगलता में भी पत्थर को घिसाने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। उसी प्रकार निरंतर अभ्यास में ही जड़ मतियों को सुजान बनाने का अनंत प्रवाह प्रवाहित है। उसे पहचानो! उसके रूख को अपनी ओर मोड़ने का प्रयत्न करो। यही जीवन का सत्य और सफलता का रहस्य है।

अभ्यास करना एक साधना है और सब्जे मन से की गई साधना कभी विफल नहीं जाया करती। निराशा को कभी भी मन में नहीं घाने देना चाहिए। अभ्यास ही सीढ़ी दर-सीढ़ी उस शिखर तक ले जायेगा कि जिसकी रूपहली चोटियाँ बार-बार मन को आकर्षित करके वहाँ तक चले घाने के लिए आमंत्रित किया करती हैं। बढना है उसके निश्चय के साथ ऊपर ही बढना है। रुकना नहीं। रुकने का अर्थ है जड़ मृत्यु जो किसी का काम्य नहीं।

६७

अपना हाथ जगन्नाथ

जीवन अनुभवों से स्यूत अनेक प्रसिद्ध कहावतों के समान 'अपना हाथ जगन्नाथ'—यह भी एक लोक प्रसिद्ध कहावत है। जाने कब और किस मन-स्थिति में कहने वाले ने यह कहावत या लोक-वाक्य कही होगी। हमारे विचार में निश्चय ही कहने वाले के सामने कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा कि जिन परावलम्बी होने के कारण निराशा और असफलता का मुन्ड देखना पडा होगा। उसकी निराशा मिटाने, हारस बधाने और उसके हताश मन में आशा और उत्साह का संचार करने के लिए पहले कब्र ने उसे डेर मारा बढया मीठा उपदेश पिलाया होगा। अंत में अपनी अनुभूतियों को निर्णायक माड पर सारकर कहा होगा—'मैया, जो व्यक्ति केवल दूसरों के कर्मों का सहारा लेकर चलना जानता है, एक दिन अचानक बरखा हट जाने के कारण उसे मंड

एक साधक और योगी निरन्तर योग का अभ्यास करके परमात्मा या परमात्म तत्त्व के दधान कर लेता है कि जिसकी सत्ता अरूप और निराकार है। फिर क्या कारण है कि प्रयत्नपूर्वक निरन्तर अभ्यास करने रहने वाला, अनवरत परिश्रम में लगा रहने वाला व्यक्ति सफलता की मजिन के दर्शन न कर पाये ? नहीं, आज के युग में भाग्यवाद या नियतिवाद के नाम पर कोई भी समझदार व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अभ्यास और परिश्रम का फल नहीं मिलता। पूर्व जन्म के कर्मों की ही सब कुछ सानने वाला व्यक्ति भी आज अभ्यास और परिश्रम योग की मरुतता पर अविश्वास का चिह्न प्रकट नहीं कर सकता। लगन होती चाहिए, धरने कर्म के प्रति निश्चय एवं दृढ़ ध्यास्था होनी चाहिए, फिर यह हो ही नहीं सकता कि फल न मिले। अरे, मेहदी को जब त रगड़ नहीं जाएगा, वह रंग कैसे लायेगी ? इसीलिए तो उर्दू के किसी शायर ने कहा है

“रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद”

पत्थर पर घिसने के बाद ही हिना अर्थात् मेहदी रंग लाया करती है। ठीक उसी प्रकार अपने मन-मस्तिष्क को अपने समूचे व्यक्तित्व की प्रतीक रस्मी को कर्म के पत्थर पर घिसकर ही अपने परिश्रम की मेहदी का रंग देखा जा सकता है। कठिनता और अवरोध रूपी पत्थरों पर कोमल रस्मियों का घिसाव देखा जा सकता है। नहीं तो बैठे रहो। सुख तुम्हारे पीछे भाग कर कभी नहीं आयेंगे, वे तो तब आयेंगे कि जब अपने व्यक्तित्व को निरन्तर कर्म, परिश्रम और अनवरत अभ्यास रूपी सान पर चढ़ाकर उसे धार देने का प्रयत्न करोगे। याद रखो, धन्य कोई चारा नहीं। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने का यही एक मात्र और प्रतिम चारा है। अनुभवियों के जीवन का सार-तत्त्व है।

इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि निरन्तर अभ्यास करने वाले ही उसके घिसरों पर चढ़कर आज भी तुमुल स्वरो में चुनीती अरे विगुल बजा रहे हैं। उन अलक्षित ध्वनियों के सम्मूल आज भी दुनिया नतमस्तक हो रही है। उन्हीं सबसे प्रेरणा लेकर, अनुभवों में सार-तत्त्व को निचोड़ कर ही कविवर वृन्द ने शीर्षक-पत्रियों में अभ्यास-योग के अवश्यम्भावी फल का विदोष पीटा है। सफल व्यक्तियों के जीवन इतिहास आज भी चित्ला चित्ला कर चह रहे हैं और निरन्तर बहते रहेंगे अभ्यास के चोक पर चढ़ा कर ही कोई तुम्हारे जीवन-रूपी मुन्दर सिताने और उपयोगी षट् का निर्माण कर

मण्डल को भी भेद कर चन्द्र लोक तक को अपने चरणों से चिन्हित कर रहे होते। कला, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान आदि के विभिन्न और विविध क्षेत्रों में जितनी भी गतियाँ प्रगतियाँ सम्भव हो सकी हैं, वे सब स्वावलम्बियों की सतत क्रियाशीलता का ही परिणाम हैं, परावलम्बियों की परमुखापेक्षिता का नहीं। प्रत्येक युग के मानव ने शीपक कहावत के मम को समझ कर व्यक्ति और राष्ट्र के स्तर पर सगठित होकर निरंतर अपने ही बल एव साधनों से प्रयत्न किया, तब कही जाकर चाँद धरती पर उतर सका। अर्थात् असम्भव समझे जाने वाले लक्ष्य भी मानव जीवन के लिए सम्भव हो सके।

जब किसी विशेष गन्तव्य पर पहुँचना हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ही चलना पड़ेगा। हमारे स्थान पर दूसरा चलने वाला तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, हम कभी भी नहीं पहुँच सकते। अतः स्पष्ट है कि अपने प्रयत्न और परिश्रम ही अपने लिए सफलता के विधायक हो सकते या हथ्था करते हैं अन्यो के नहीं। अर्थों के प्रयत्न अर्थों के ही हैं, फिर वे भला उनके स्थान पर हमें कैसे सफलता के लक्ष्य तक पहुँचा सकते हैं? अपने स्थान से कलकत्ता या बम्बई जाने के लिए चल कर ट्रेन हमें पकड़नी पड़ेगी, तभी हम वहाँ पहुँच पायेंगे, किसी अर्थ के पकड़ने से नहीं। भला खाना तो कोई अर्थ ध्याये और पेट हमारा भर जाए, यह परा प्राकृतिक लोक के चमत्कारों में तो शायद सम्भव हो सकता हो, प्रत्यक्ष और व्यवहार जगत में नहीं। यहाँ तो अपना रोग मिटाने के लिए स्वयं दवाई खानी पड़ेगी। अपने को सुन्दर दिखाने के लिए अपना ही स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा अपने ही तन मन का श्रु गार-प्रतापन करना पड़ेगा। भला किसी दूसरे को सजा-सवार कर हम सुन्दर-स्वस्थ कैसे लग सकते हैं? ऐसा करके सो-दय की अनुभूति ता कर या पा सकते हैं, पर अनुभूति का प्रत्यक्ष एव व्यावहारिक रूप तो हमारा नहीं करता, अतः वह अनुभूति व्यावहारिक दृष्टियों से व्यर्थ ही कही जाएगी। फिर जीवन कोरी अनुभूति नहीं, क्रिया का परिणाम और नाम है।

जीवन का व्यावहारिक सत्य केवल इतना ही है कि यहाँ सभी को अपना रास्ता बननी ही कुदाली में ऊबड़ खावड़ को काट-छाँट कर बनाना पड़ता है। यहाँ तक कि वह रास्ता जिस गन्तव्य तक ले जाता है, उसका निर्धारण और स्वरूप निर्माण भी व्यक्ति को स्वतः ही करना पड़ता है। इस सत्य को जो व्यक्ति जितनी जल्दी या और समझ लेता है, उतनी ही जल्दी वह परावलम्बन और पर मुखापेक्षिता त्याग कर अपनी बाहों की शक्ति को टटोलने लगता है। पर सत्य तो यह है कि अपने हाथों या बाँहों की शक्ति को टटोल कर, उससे

के बल गिरना ही पड़ता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरों का सहारा ठाकना छोड़ कर वह अपने हाथों में ही इतनी शक्ति उत्पन्न करे कि उसे सफलता रूपी जगन्नाथ की प्राप्ति हो सके।" और तभी अचानक उसके मुँह से निकल गया होगा कि 'अपना हाथ जगन्नाथ' और यह लोकोक्ति या कहावत एक पथ-प्रदर्शक भ्रालोक-स्तम्भ बनकर रह गई होगी। निश्चय ही, हमेशा दूसरों के कंधों पर रख कर अपना निधाना साधने का प्रयत्न करने वाले परावलम्बियों के लिए आज भी यह कहावत समुद्र में भटके जहाजों का पथ प्रदर्शन करने वाले भ्रालोक-स्तम्भ के समान ही है। पर उन्हीं के लिए कि जो उस भ्रालोक का सहारा लेकर, अपने भीतर शक्ति और कूबत जागृत करके अपनी जीवन-नया की किसी निश्चित तट पर ले जाने के इच्छुक हों, अथ किसी के लिए नहीं। परावलम्बियों के लिए तो कतई नहीं।

परावलम्बन व्यक्त को शारीरिक दृष्टियों से ही नहीं बल्कि मानसिक दृष्टियों से भी हीन तथा दुबल बना दिया करता है। ऐसा व्यक्ति अपने तीर पर न तो कुछ सोच ही सकता है और न कुछ कर पाने में ही समर्थ हुआ करता है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति का जीवन परिस्थितियों का झूला, ढावाँ डोल और अस्थिर बनकर रह जाया करता है। इस प्रकार के व्यक्ति से जीवन के वास्तविक सुख कोसों दूर रखा करते हैं। वह इनकी और मात्र सतर्काई दृष्टियों से देख तो सकता है, पर अपने में शक्ति और आत्मविश्वास न रहने के कारण उन्हें प्राप्त कभी भी नहीं कर पाता। उसके लिए सुख, निश्चितता और धार्मिक दूर का सुहावना डोल मात्र हुआ करती है, कण-घो में जीवन का मधुर संगीत उड़लने वाला समीपस्थ वाद्य-यंत्र नहीं। अतः यदि हम जीवन के संगीत को प्रत्यक्ष सुनना चाहते हैं तो आवश्यक है कि अपने हाथों में ही जगन्नाथ को खोजने और पाने का, अपने ही पवि पर सठे होने का अनवरत प्रयत्न करें। यह प्रयत्न ही वास्तविक जीवन-संगीत का साधन कर आनन्द प्रदाता बन सकता है।

यह एक सवमा-य तथ्य है कि जिस जाति और देश के लोग स्वावलम्बन का दामन छोड़ कर परावलम्बी बन जाया करते हैं, वह जाति, उसकी प्रगतियों और उन्नतियों का इतिहास अतीत की एक भूली बिसरी गाथा बन कर रह जाया करती है। इतिहास गवाह है कि मानव-संस्कृति के आरम्भ से लेकर आज तक जिन व्यक्तियों, जातियों, देशों और राष्ट्रों ने उन्नति की है, वह अपने ही बल-भरोसे पर की है, अर्थों का आश्रय लेकर नहीं। यदि वे लोग पराया देखते बैठे रहते तो आज उनके यान बल-बल और सहज मानवीय बाधु

की स्मृति में हम आगे स्वर्णिम क्षणों को भी मिट्टी में मिलाते रहते हैं। उस स्थिति में और हो भी क्या सकता है ?

मनुष्य एक चेतनशील प्राणी है। अन्य अनेक समानताओं के होने पर भी बुद्धि का तत्त्व उसे पशु-वर्ग से अलग बनाए रखता है। इसी बुद्धि के साधारण पर वह वर्तमान में रहता हुआ भी भूत एवं भविष्यत् में विहार करता रहता है। अपने किए गए प्रत्येक काय के फल को वह प्रत्यक्ष या अनुमानत जान लेता है यह उसकी महती विशेषता है। अतः यह उसका मनुष्य होने के नाते ही कर्तव्य हो जाता है कि वह इस प्रकार का काय करे जिसके परिणामस्वरूप उसे बाद में पछताना न पड़े।

अच्छा बीज बोने मात्र से उसे फलापेक्षी नहीं हो जाना चाहिए। फसल को पकाने और पकने पर उसकी सावधानी पूर्वक रक्षा करना और भी अधिक अपेक्षित है। अपने अधिक परिश्रम से उसने बीज बोया है, खून का पसीना बना कर जिस धरती को उसने उबरा बनाया और रात दिन की अधिक साधना से, श्रीष्मातप को तिद्ध-द्वि भाव से सहते हुए उसने जिस बीज को पल्लवित अवस्था में देखा है उसकी अन्तिम समय में रक्षा करना भी उसी का कार्य है। या यो कहिए कि फल मिलने के क्षणों में आँखें मूँद कर बैठे रहना उचित नहीं होता। इसी तथ्य की और इंगित करते हुए इन प्रचलित कहावतों से ही मेल खाती हुई बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है—

‘का धरया अब कृषि सुखाने ।
समय खूँकि पुनि का पछिताने ।’

जिस प्रकार कृषि के सुख जाने पर वर्षा व्यर्थ होती है, उन दुष्कृतियों में पुनः जीवन संचार नहीं कर सकती, उसी प्रकार समय भीत जाने पर पश्चात्ताप करना अपनी प्रयत्न की गई गलती को और अधिक मजबूत करना ही है। समय के रहते हुए ही चेत जाएँ और समय के रहते हुए ही हम अपने अभीष्टित कायक्षेत्र में अपना मार्ग प्रशस्त करें, यह एक सफलता का अंशोष मात्र एवम् सिद्धि का अपूर्व साधन है। जो व्यक्ति समय की नाडी को पहचानता है और तदनुकूल साधारण करने का अभ्यस्त हो जाता है, सकलता उराही चेरी बन जाती है, यह अनुभव सिद्ध तथ्य है।

दीपक के बुझने से पूर्व उसमें जरा-सा तेल डालना ही प्रकाश को बचाए रखता है। उसके बुझ जाने पर तेल से उसे भर देना ही प्रकाश भी उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः यह स्पष्ट है कि समय के रहते हुए प्रकाश एवं हमारी साधारण-ही सावधानी भी जितना

अनुरूप अन्वयत काय एव परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही वह सब कुछ पा लेता है कि जो केवल इच्छा ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक एव अपरिहाय भी है। उस अज्ञात चित्तक भीर सक्रिय विचारक ने अपना हाथ जगन्नाथ' कह कर संक्षेप में जीवन के इही महत् तत्त्वों को उजागर करने का बड़ा ही साधक-एव सफल प्रयत्न किया है।

जीवन जीना भी एक उपयोगी और ललित से समन्वित कलात्मकता से भ्रम नहीं। इस कला में पारगत वही हो सकता है कि जो परावलम्बन को त्याग कर स्वावलम्बन का महत्त्वपूर्ण पाठ पढ़ लेता है। केवल पाठ ही नहीं पढ़ता, बल्कि उसे सन्त व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न करता है। इसके लिए दृढ़ निश्चय आत्म विश्वास, रात दिन की जागरूकता और निरन्तर अध्यवसाय जैसे तत्त्व परमावश्यक हैं। इही के द्वारा अपने हाथों को जगन्नाथ के उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अतः आज व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक—विशेषकर हमारे देश के व्यक्ति और राष्ट्र के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण और प्राथमिक आवश्यकता है कि हम लोग अपने हाथों में शक्ति और कूबत पदा करें और फिर जापान के जगन्नाथों की तरह सारे ससार को यह चुनौती दे सकें कि एक दिन अपनी उगलियों के बल पर हम विश्व विजय करके दिखा देंगे। जापान ने यह मन्त्र केवल पढ़ा नहीं, बल्कि क्रियात्मक सचि में ढाला, अन्व भयानकता से उजड़ कर वह आज पहले से कहीं अधिक समृद्ध है। हमारे देश ने इस मन्त्र का आविष्कार तो किया, पर आचरण नहीं, अतः उसकी दशा दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। इस बुरी दशा से उद्धार उस अमूल्य मन्त्र को क्रियात्मक रूप देने से ही सम्भव हो सकता है।

६८

अब पछताए होत का

अन्य अनेक स्वानुभूत सत्यों की द्योतक कहावतों के समान "अब पछताए होत का, जब चिडिया चुग गई खेत" भी एक प्राचीन भारतीय कहावत है। टीक भी है। जीवन के अगणित स्वर्णिम क्षणों की काल रूपी चिडिया चुगती रहती है और हम अंध मुँदे हुए बैठे रह जाते हैं। जब वह चिडिया फूर से उड़ जाती है तब हमारी आँसू खुलती हैं। तब फिर उन विगत स्वर्णिम क्षणों

त्रेयस्कर है। अन्यथा यह कहावत स्वयं हम पर ही चरितार्थ हो जायेगी
के—

“अब पछिताए होत का, जब चिडिया चुग गई खेत।”-

६६

वन-सुरक्षण : आवश्यकता और महत्व

मानव-जीवन के स्थायित्व एवं सुख-समृद्धि के साथ माय सुरक्षा के लिए भी वन प्रकृति की अमूल्य देन है। इसी कारण जब अनेकविध मानव-सम्पदाओं की गणना की जाती है, तो वन-सम्पदा का महत्व भी अर्थात् अर्थ रूप में स्वीकारा जाता है। प्रकृति के सुकुमार पुत्र वृक्ष अपनी सामूहिक अवस्थिति से वनों की रूप-रचना और निर्माण करते हैं। वृक्ष जलाने के लिए लकड़ी, छाया, फल फूल और अनेक प्रकार की औषधियाँ तो मानव-कल्याणार्थ प्रदान करते ही हैं, वे उस वर्षा का कारण भी हैं, जो खेती-बाड़ी, वनस्पतियों के लिए तो आवश्यक है ही, ऋतु क्रम के अनुसार अनेकविध रोगों और महामारियों से न केवल मानव, बल्कि जड़ चेतन प्राणीमात्र एवं पदार्थों की रक्षा के लिए भी परम आवश्यक है। वर्षा और हिमपात के कारण होने वाले भू-स्तरण से सम्भावित विनाश से बचाव भी वनों द्वारा ही सम्भव हुआ करता है। यों ही प्रकृति के ये सुकुमार पुत्र शांति और सौंदर्य प्रदान करने में अग्रोड हैं। मानव मात्र का पालन-पोषण सुवर्णित का आयोजन रक्षाविति आदि तो वन-सम्पदा से सम्भव हीनी ही है समस्त प्रमुख जातियाँ-उपजातियों के मानवतर प्राणियों का तो आघार ही सघन तथा हरे भरे वन ही हैं। मनुष्यों की अनेक वन्य कही जाने वाली जातियाँ भी अनादि काल से इन सघन वनों में ही आश्रय पाए हुए हैं। पशु-पक्षी वनों के अभाव में क्या अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं? इन सब प्रमुख तथ्यों के आलोक में ही आज वन-सुरक्षण का प्रश्न प्रत्यक्ष स्वरों में उठाया जा रहा है। वनों के अवनवन एवं अवाधुन्य बटाव ने ऊपर जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है उन सबके अस्तित्व के समक्ष एक गम्भीर प्रश्न चिह्न टकित कर दिया है। उनके साथ-साथ स्वयं मानव का अस्तित्व भी वनों के अभाव में गहरे संकट की ओर उन्मुख होता जा रहा है। अतः वनों का महत्व समझ कर उनके सुरक्षण-संवर्धन का प्रश्न निरवय ही प्रमुख है।

उतना कार्य के बिगड़ जाने पर, समय के निकल जाने पर हमारा दिन-रात का घोर अनवरत परिश्रम भी नहीं कर सकता ।

बहुत पहले 'रहिमन बिगरे दूध की मये न माखन न होय' कहकर रहीम जी ने भी इसी बात को दोहराया है । दूध को हम बिगड़ने से पूर्व ही उसमें से मक्खन निकाल लें, इसमें हमारी बुद्धिमत्ता है । क्योंकि उसके बिगड़ने पर तो उसमें से मक्खन निकालने का प्रयास एकमात्र शक्ति का अपव्यय मात्र हो होगा । अंग्रेजी में भी—“Beat the iron when it is hot” के द्वारा गरम लोहे को पीटकर उसे रुचि के अनुसार रूप देने की बात कही गई है । उसके ठंडा होने पर वह टूट सकता है किन्तु हमारा इच्छित रूप प्राप्त नहीं कर सकता और फिर बाद में पछताने से होता भी क्या है ? हमारे पश्चात्ताप से वर्तमान भूत को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जिससे हम उसमें आवश्यक सुधार कर सकें, अपितु मनस्ताप एवं खेद के साथ-साथ हमारा वर्तमान भौतिक ही उठता है । पूर्व सावधानी ही इस तिव्रता से बचे रहने का श्रेयतम उपाय है ।

व्यक्ति और राष्ट्र में व्यष्टि और समष्टि का भाव निहित है जो बात व्यष्टि के लिए हिनकर है, सिद्धान्ततः वह समष्टि के लिए घातक बन जाए ऐसा कोई नियम नहीं है । समय पर ही कार्य करने की उपादेयता जहाँ व्यक्तिगत जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है वहाँ राष्ट्रीय जीवन के लिए भी उसका औचित्य एवं महत्त्व असन्दिग्ध है । हम देखते हैं कि राष्ट्र की अनेक योजनाएँ यदि समय के अनुसार कार्यान्वित नहीं होती हैं तो कालांतर में वे निमूल्य हो जाती हैं । अतः उन सभी योजनाओं को उन सभी राष्ट्रीययोगी कार्यों की समय भी परख करते हुए, समय की उपादेयता को दृष्टि में रखते हुए ही करना हिनकर है । क्योंकि आचार्य शंकर के मत में भी जो व्यक्ति समय पर बोलने में या सुनने में समर्थ नहीं है, वही वास्तव में मूक एवं बधिर है, अर्थात् असमय और असफल है ।

यदि वर्तमान काल में विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध स्वरूप हमारे बस की आवश्यकता है तो उसका सही उपयोग इसी समय ही बनता है । आज यदि हम परमुखापेक्षी बन कर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रमुखता देकर राष्ट्रीय जीवन की उपेक्षा करते रहे तो फिर ऐसी शक्ति शेष नहीं रह जाएगी जो हमारा पुनः उद्धार कर सके ।

सभी स्तरों पर व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय जीवन की उपयोगिता को समझते हुए, समय के रहते और उसके महत्त्व को समझते हुए कार्य करना

मे लकड़ी का प्रयोग कहीं अधिक होने लगा है। पैगम हो, पर ध्यातव्य तथ्य यह है कि वनों को काटने वाला का क्या यह शायित्व नहीं हा जाता कि वे कटाई के अनुपात और आवश्यकता के अनुपात से भी वृक्ष गणण करें ? कतव्य तो अवश्य हो जाना है, पर कौन ध्यान देता है वृक्ष-पालन की ओर।

वनो की उपयोगिता एव महत्त्व को जानते-समझते हुए ही सरकार ने अनेक वन-क्षेत्र सरक्षित घोषित कर रखे हैं। पर कौन नहीं जानता कि उन सरक्षित क्षेत्रों में भी लालचियों की मिली भगत से वन-सम्पदा का कटाव और विनाश नहीं हो रहा ? वे पावत्य प्रदेश और तराई के इलाके जो कभी अपनी प्राकृतिक वन सुपमा के कारण देखने वालों को विमुग्ध-वमत्कृत करवे रख दिया करते थे, लालची ठेकेदारों और वन अधिकारिया की दुष्प मिलीभगत के कारण आज नग्न और वजर होकर रह गए हैं। वृक्षों की अनवरत कटान के कारण वहाँ से निकलने वाली नदियों में भू क्षरण और नट घसान होकर मैदानी इलाको में भी नदियों के पाट अनावश्यक रेत और मिट्टी से भर कर बाढ के विनाश का कारण बन रहे हैं। इन प्रदेशों के निवासियों को वनों से जो संरक्षण और सम्पदा प्राप्त होती थी, अब वे लोग उस सबसे वंचित होते जा रहे हैं। उनके सम्मुख वतमान और भविष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न भूँह बाए खड़ा है। इसी कारण वहाँ विगत कुछ वर्षों से 'चिपको आन्दोलन' नाम से एक व्यापक आन्दोलन चल रहा है। पावत्य प्रदेश के निवासी इस आन्दोलन के माध्यम से न केवल भारत बल्कि विश्व के जागरूक लोगो का ध्यान वनों के विनाश को रोकने की ओर आकर्षित करना चाहते हैं क्योंकि पावत्य प्रदेशों और तराई के लोगो का जीवनाधार वन ही है, अत वे लोग वन-कटाव को अपने प्राणों के मूल्य पर भी रोकने को बटिबद्ध हैं। जब ठेकेदारों के लोग वृक्ष काटने आते हैं, तब वहाँ के स्त्री पुरुष वृक्षों से चिपक कर उ हैं काट पाने से रोक लेते हैं। निश्चय ही इस आन्दोलन ने बड़ी तीव्रता से सरकारी गैर सरकारी स्तर पर लोगो का ध्यान वन-संरक्षण की ओर आकर्षित किया है। परिणामस्वरूप आज न केवल वनों के कटाव को रोक संरक्षण के प्रयत्न ही होने लगे हैं, बल्कि नए पेड़ लगाने का अभियान भी व्यापक स्तर पर चल रहा है। वन उगाने और उनके संरक्षण का महत्त्व भी सभी प्रचार-माध्यमों द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है। आशा करनी चाहिए कि परिणाम सुखद होगा।

वनो के निरन्तर कटाव और विनाश के प्रमुख दो कारण ही रेखांकित किए जाते हैं। पहला प्रमुख कारण है औद्योगिकरण और उद्योगों के भ्रष्टाच्युत विस्तार की प्रवृत्ति, जबकि दूसरा कारण है मानव की घन कमाने की सुगम गति से बढ़ती लालसा। इन दोनों प्रवृत्तियों ने न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के सामने प्रदन खड़ा कर दिया है कि क्या हम तात्कालिक लाभ और स्वायत्त सिद्धि के लिए मानवता के दूरगामी हितों का बलिदान इसी प्रकार करते जाएंगे? सोचने की बात है। पहले गाँवों के आस-पास भ्रष्टाच्युत हरे भरे छोटे बड़े वन और उनमें अवस्थित चरागाहें हूमा करती थीं। नगरी महानगरों के आस-पास अनेक प्रकार के फल-फूलों से लदे रहने वाले बाग-बगीचे हूमा करते थे। प्राचीन काल में तो वनवासी ऋषि, मुनि, तपस्वी वन्य जातियों के लोग और यात्री भी वनों में मुक्त भाव से उत्पन्न होने वाले कन्द-मूलों फल फूला का मुक्त आहार करके ही जीवित रहा करते थे। उस अत्यंत प्राचीन की बात जाने भी दी जाए, तो भी चालीस-सैंतालीस वर्ष पहले तक गाँवों के आस पास मुक्त वनो और नगरी के आस-पास बड़े-बड़े बाग-बगीचों का अभाव नहीं था। इस सदी के पाँचवें दशक तक भी स्थिति उतनी खराब नहीं थी कि जितनी उसके बाद से क्रमशः होती गई और आज होती जा रही है। आज गाँव के आस-पास के वन काट कर समथ लोगों ने उन पर अपना अधिकार जमा लिया है। नगरी के आस-पास के बाग-बगीचे सघन और उबड़-खाबड़ वस्तियों में तबदील हो चुके हैं। इस प्रकार का वन रूप में प्रकृति का वैभव गाँव-नगर कहीं भी अब देखने को नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वायु-मण्डल प्रदूषण, वर्षा का अभाव, सू-क्षरण, अप्राकृतिक बीमारियों आदि की अनेक सघातक समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं।

प्रकृति ने वन-सम्पदा अर्थात् पेड़ पौधों को निश्चय ही मानव के उपयोग के लिए ही उगाया है। पहले भी इनका उपयोग होता था। पर इस बेरहमी से नहीं, जिससे आज हो रहा है। ग्राम-नगर-जन पहले भी लकड़ी का प्रयोग जलाने के ईंधन के रूप में करते थे इमारती लकड़ी का ही मकानों भवनों में अधिकधिक उपयोग होता था। पर तब एक तो आवादी कम थी और दूसरे जितने वन काटे जाते थे, उतनों के रोपण का भी अलिखित लिखित नियम था कि जिसका पालन सभी करते थे। पर आज का स्वार्थी मानव वन काटता तो जा रहा है, उनके रोपण की ओर उसका कतई ध्यान नहीं। यह तथ्य भी आँकने वाला है कि आज इमारती के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग कहीं कम होता है। हाँ, विज्ञान के अन्य अनेक प्रकार के साधनों-प्रसाधनों के निर्माण

समय-समय पर समृद्धि और विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार के योजनात्मक सूत्र निर्धारित किए गए हैं, उनमें वृक्षारोपण जैसा सूत्र वन-संरक्षण और विकास का ही एक अंग है। जो अर्थभारण्य पशु पक्षियों के संरक्षण एवं मुक्त विहार के लिए बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य निवृष्ट होनी पशु-पक्षी जातियों की रक्षा तो है ही, वन संरक्षण और विकास भी है। इस प्रकार की सभी योजनाओं को निश्चय ही मानवोपयोगी और मानव हित-साधक कहा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम व्यक्ति और परिवार-हित से ऊपर उठकर राष्ट्र और मानव हित की भावना से इस दिशा में सच्चे मन से, सालची प्रवृत्तियों से मुक्त होकर प्रवृत्त हों।

मानव और प्रकृति का सम्बन्ध चिरन्तन है। मानव नन भी प्रकृति के ही विभिन्न तत्त्वों से बना हुआ है। इस दृष्टि से वन या प्रकृति अथवा प्राकृतिक उपादानों की रक्षा सर्वद्वय का अर्थ वस्तुतः मानव-तन-जीवन ही रक्षा है। औरों की रक्षा से गार्फिल रहा जा सकता है, पर अपनी रक्षा से गार्फिल रहने वाला तो बन्ध भूख ही कहा जाएगा। निश्चय ही मानव बन्ध भूख नहीं है। वह वनों वृक्षों की आवश्यकता, उपयोगिता और महत्त्व से सहज परिचित हो उनकी संरक्षा और विकास की दिशा में अनवरत गतिशील रहेगा—ऐसी आशा उचित ही की जा सकती है। आज हम सरकारी और सरकारी दोनों स्तरों पर इस दिशा में अनवरत सक्रिय हो उठे हैं, इसे शुभ लक्षण कहा जा सकता है।

१००

हरिजन समस्या और समाधान

‘हरिजनों की पूरी बस्ती जलकर राख, हरिजनों की सामूहिक हत्या, हरिजन युवती के साथ सवण युवकों का सामूहिक बलात्कार, हरिजनों के खेतों की फसलें बलपूर्वक काट ली गई, हरिजनों की भूमि से बेदखल कर दिया गया, हरिजनों को लाठी के बल पर मतदान से वंचित रखा गया, हरिजनों को जिंदा जला दिया गया, डकैतों द्वारा हरिजन बस्ती की लूटपाट और आगजनी, हरिजन युवक युवती को पेड़ से बांधकर मारा गया, गांधी जी बाद हरिजन के साथ अमानुषिक अत्याचार से मृत्यु, हरिजन युवती रात तक हवालात में बंद रखे और यत्रणाएँ दी गई

वन संरक्षण और नये वन उगाने के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कई लाभ हैं। प्रायः के अनवरत औद्योगीकरण ने अनेक प्रकार से वातावरण और वायु-मण्डल को दूषित कर रखा है। अनेकविध आण्विक परीक्षण भी इस प्रदूषण के कारण हैं। वनों के फैलाव से ही प्रकृति के माध्यम से प्रदूषण का व्यापक फैलाव रूक सकता है। वनों के कटाव का प्रभाव मौसम और ऋतुओं पर भी पड़ता है। उपयुक्त मात्रा में वर्षा के लिए भी वन-संरक्षण और विकास आवश्यक है। नदियों के तट-बन्धों तथा निकास-स्थानों के कटाव रोकने के लिए, नदियों को गहरा रखकर बाढ़ से बचाव के लिए भी वन-विकास और संरक्षण अनिवार्य है। कृषि की बढ़ोत्तरी, चारे की समस्या के समाधान, वन प्राणियों के जीवन की सुरक्षा, विविध औषधिमूलक वृक्षों-वनस्पतियों की प्राप्ति हेतु भी इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यातव्य है। वह है धरती और प्रकृति का सौंदर्य जो वन विकास एवं संरक्षण से ही अक्षुण्ण बना रह सकता है। हमारी सौंदर्य-पिपासा की वास्तविक तृप्ति प्रकृति के इन वरदानों की रक्षा से ही सम्भव हो सकती है।

कुछ लोग यह आशंका व्यक्त करते हैं कि वृक्षों वनों का विकास खेती के लिए हानिकर हो सकता है। पर यह धारणा ठीक नहीं। कई फसलें तो वृक्षों के झुरमुटों, वनों या बाग बगीचों में और भी अच्छी तरह उगाई जा सकती हैं। एतत्सम्बन्धी विज्ञान सत्याओं ने अपने अनुसंधानों के द्वारा ऐसे वन-वृक्षों की जातियों का पता लगाया और विकास किया है, जो खेतों के आस पास या बीच में भी उगाई जा सकती हैं। ऐसा करके किसान प्रकृति से प्राप्त अनेक लाभ तो निश्चिन्त प्राप्त कर ही सकते हैं, पुराने वृक्षों की सफाई कटाई कर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामों को पुरानी चरागाहें, जलाने के लिए लकड़ी और नगरों को प्राकृतिक सौंदर्य भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आवश्यकता है निस्पृह काम, सावधानी और सहृदयता की। वनों वृक्षों को काटकर अच्छी आय पाई जा सकती है—इस वान के साथ यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि नए वृक्ष उगाना भी हमारा कर्तव्य है।

विशाल मानवता के व्यापक हित साधन को ध्यान में रखकर ही प्रायः राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर वन महोत्सव जैसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। वन महोत्सव वष, महीने और सप्ताह मनाए जाते हैं। इन अवसरों पर व्यापक स्तर पर वृक्षों वनों का रोपण किया जाता है। ताकि जीवन प्रदूषण, वह जैसी आपत्तियों से बचकर हरा भरा, सुखी-समृद्ध एवं शांत रह सके। प्रकृति-दशन का आनन्द प्राप्त कर सके। हमारे देश में

करने के लिए निरन्तर बाध्य किया जाने लगा। धीरे-धीरे उनकी मानसिकता भी कुछ उन्नी प्रकार की बनती गई। इस प्रकार 'बल-न्याय' के आधार पर एक नई वण व्यवस्था सामने आई—ब्रह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सर्वाधिक निचले पर दिमागी तौर पर मजबूत और प्रखर जन्म-क्रम से ब्राह्मण कहलाने लगा। कसरती और शारीरिक दृष्टि से पुष्ट लडाकू प्रवृत्ति के लोग क्षत्रिय कहे जाने लगे। विभिन्न व्यवसायों में लगे लोग वैश्य कहे जाने लगे और बाकी लोगों के जिम्मे इन तीनों की सेवा-मुख्यता का काम डाल दिया गया और इन्हें सबसे निम्न वग या वण 'शूद्र' नाम से पुकारा जाने लगा। इस वग को शूद्र के अतिरिक्त 'प्लेच्छ', 'अस्पृश्य' जैसे सम्बोधन भी दिए गए। 'अस्पृश्य' शब्द से ही विकसित होकर 'अछूत' शब्द रूपाकार में आया, जिसे बीसवीं शती के पूर्वार्द्ध या पहले चरण में गांधीजी ने 'हरिजन' नाम दिया।

इस हरिजन कहे जाने वाले वग या वण की दशा यों तो अत्यन्त प्राचीन काल—ब्राह्मण काल से ही दयनीय रही, पर मध्यकाल में जब सामाजिकता की मानसिकता शिखर पर थी, यह वर्ग भी मात्र भोज्य और भोग्य बनकर रह गया। जाति-पाति और छुआ छूत का भेद-भाव इस सीमा तक बढ़ा कि इन लोगों का जीवन तक दुमर होकर रह गया। इन लोगों की परछाई तक को दूषित एवं अस्पृश्य माना जाने लगा, सजीव अस्तित्व की तो बात ही क्या थी। हिन्दू जाति का भग होते हुए भी इन्हें मन्दिरों में प्रवेश कर भगवान की मूर्ति के दर्शन कर पाने तक से वंचित कर दिया गया। इनकी बस्तियाँ सवणों की बस्तियों से अलग, नगर-गाँव से काफी हट कर बाहर बसाई गईं। सवणों के कुम्भों से ये लोग पानी तक नहीं ले सकते थे। अपनी परछाई तक को भी उनसे दूर रखकर उनकी सेवा-मुख्यता करते हुए जीवन बिता देना, भूखे-प्यासे रहकर भी उच्च वर्गों के लिए खटते रहना ही इनकी नियति बन गई। सवणों जिस राह में गुजर रहे होते, उस राह से गुजरना तक इनके लिए वर्जित रहता था। इनकी सुन्दरी युवतियों का भोग करके भी तथाकथित उच्च वर्ग उच्च ही बने रहते और इनकी फरियाद तक करने वाला कोई न था। गन्दे से गन्दा काय करने के लिए इन्हें बाध्य किया जाता। परिणामस्वरूप एक कुपित प्रतिक्रिया ने इन अछूत कहे जाने वाले लोगों के मन-मस्तिष्क में जन्म लिया। मध्य काल में जब इस्लाम के धर्मांध प्रचारक यहाँ आए, तो इनसे से बहुतो ने इस्लाम स्वीकार लिया। फिर भी अपने को उच्च कहने वालों की भाँसे नहीं खुलीं और उनका व्यवहार उनके साथ पाशविक ही रहा। यही कारण है कि जब पाश्चात्य धर्म के प्रचारक यहाँ आए, तो इनके

बलात्कार ' और इसी प्रकार की लोमहर्षक सबरों प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती रहती हैं। इन्हें पढ़कर शापद शानव का हृदय भी कांप उठना होगा। पर घय हैं वे लोग, जो बीसवीं सदी के समतावादी युग के अन्तिम चरणों में भी सहज मानवीयता को ताक पर रखकर इस प्रकार के घिनौने एवं अमानवीय कृत्य करने में सलग्न हैं। उनका हृदय पता नहीं किस अमानवीय धातु से बना है, जो अपने जैसे ही मनुष्यों के साथ इस प्रकार के घोर कृत्य करते हुए दहलता नहीं। पाप पुण्य, दया धर्म, स्वर्ग-नरक, भगवान या बानुन आदि किसी का भी तो भय नहीं इस प्रकार के नारकीय कर्म करने वालों के मन में। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इस प्रकार के जघम्य कृत्य कैसे कर लेता है? वह कैसे मानसिकता और कौन से कारण हैं कि आज भी मानवता के बीच विभेद की दीवारें खड़ी करके कुछ लोगों का दम्भ मानवता का इस प्रकार का उपहास कर रहा है? हमारे विचार में इन और इस प्रकार के सारे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है—व्यवस्था-दोष जिसकी तह तक पहुँचने के लिए हमें अपने अतीत की वण-व्यवस्था के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा।

हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि सुदूर अतीत काल—वदिक काल में यहाँ जाति-पाति या ऊँच-नीच का कोई बंधन, वण-व्यवस्था जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तब मात्र कम के आधार पर ही मनुष्य की श्रेणी (वण या वर्ग) निर्धारित होती थी। श्रेणी निर्धारित की यह व्यवस्था इतनी लचीली थी कि उच्च समझा जाने वाला व्यक्ति निम्न या नीच कम करने पर निम्न श्रेणी का और निम्न-नीच वर्ग का समझा जाने वाला उच्च कम करने पर उच्च श्रेणी में सहज ही स्थान प्राप्त कर लेता था। स्पष्ट है कि तब श्रेणी, वग या वण का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर हुआ करता था। पर जैसे-जैसे मानव-सभ्यता के विकास-चरण प्रागे बढ़ते गए, क्रिस्तले और निकम्मे व्यक्तियों का कर्म के आधार पर बन गया उच्च वग का दम्भ सामने उभरने लगा और तब वग निर्धारण की प्रक्रिया का आधार कर्म को नहीं, बल्कि जन्म को बना दिया गया। परिणामस्वरूप चार वर्गों की व्यवस्था समाज में बँठोरता से लागू हो गई। अच्छे और उच्च कर्म करके प्रागे बढ़ने के इच्छुकों की इच्छाओं का इस नई व्यवस्था ने बँठोरता से दमन कर दिया। ब्राह्मणवाद जीवन और समाज पर बुरी तरह से हाँकी हो गया। धीरे धीरे वण-व्यवस्था के निकले में कसे सामान्य वग की प्रागे बढ़ने की इच्छाएँ दमन का शिकार होकर दम तोड़ती गईं। उन्हें निम्नतम काय

भर सकने के अधिकार दिलाए। गांधी जी के प्रयत्नों से एक व्यापक मानवी वातावरण ती बना, पर लगता है, वह उनके जीवन के साथ ही समाप्त हो गया। तभी तो आज, भारत की स्वतंत्रता के छत्तीस-सत्तीस वर्ष बाद भी उस प्रकार के समाचार प्रतिदिन मिलते रहते हैं, जिनका उल्लेख आरम्भ में किया जा चुका है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत का जो संविधान बना, उसमें इन अस्पृश्यों या हरिजनों को अनेक प्रकार के संरक्षण प्रदान किए गए। उनको भूमि दी गई, शिक्षा की व्यवस्था की गई, छुआछूत को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दे दिया गया। बाद में विनोबा भावे का भूदान आन्दोलन भी बहुत कुछ इस भेद भाव को मिटाने का ही प्रयत्न था। पर इन सारे प्रयत्नों का कोई वास्तविक परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। संरक्षण ने हरिजनों में ही बग भेद पैदा कर दिया। संरक्षण सुविधाएँ पाकर भी वे लोग स्वयं अपनी विषमताओं को पाट सकने में समर्थ न हो सके। संरक्षण और सुविधा ने संविधान के कुछ मुद्दों ने उनको कुछ लापरवाह दम्भी एवं हीन मानसिकता वाला भी बना दिया है। वे कर्तव्य पालन तक से विमुख रहने लगे। परिणामस्वरूप उनकी दशा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका। कुछ सुविधाएँ पाकर स्वयं ही अपने बग से घणा करने वाले लोग जब सामने आने लगे तो परिवर्तन की परिकल्पना की भी कैसे जा सकती है? दूसरे भारत के कुछ प्रांतों में कानून बन जाने पर भी मध्य युगीन सामंती मानसिकता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सका है। समय सबर्णों के साथ भ्रष्टाचारी सरकारी मशीनरी की मिली भगत भी अमवर्णों या हरिजनों के उभर न पाने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है। वस्तुतः अधिकांश सरकारी मशीनरी समय सबर्ण लोगों के बीच से ही आई हुई होती है। फिर दूर देहातों में भूमि आदि सभी साधनों पर अधिकार भी अभी तक सबर्ण भूमिपतियों का बना हुआ है। सरकार यदि हरिजनों को भूमि आविष्कृत करती है, तो बड़े भूमिपति या तो उन्हें बोलने ही नहीं देते या फिर खून-पसीना बहाने उगाई फसलें काट ले जाते हैं। विरोध करने पर वही परिणाम सामने आते हैं जिनका उल्लेख हो चुका है। इनसे बेगार तक ली जाती है, सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी भी नहीं दी जाती। विरोध करने पर मरणान्तक, सघातक परिणाम सुगतन पड़ते हैं। सो कहा जा सकता है कि मध्यकालीन कबीर आदि वे लेकर गांधी और सरकारी कानूनी प्रयत्नों के बावजूद भी हरिजन समस्या के निराकरण में कोई विशेष प्रगति सम्भव नहीं हो सकी। कभी कभी तो लगता है कि बिहार तथा दक्षिण भारत

भाए, तो सबणों के व्यवहार से प्रभावित इनमें से अनेक ने ईसाइयत स्वीकार ली। आज भी यह क्रम जारी है। अक्सर इन हरिजनों के वैयक्तिक या सामूहिक स्तर पर इस्लाम या फिर ईसाइयत ग्रहण कर लेने के समाचार मिलते रहते हैं। इस सबको भारत की भावनात्मक एकता, एक राष्ट्रीयता और हिन्दू जाति के लिए भी शुभ लक्षण नहीं कहा जा सकता।

मध्यकाल में भक्ति धारा के अन्तगत जो सन्त आन्दोलन सगमग सारे भारत में सक्रिय हुआ, कबीर, रंदास, दादू दयाल, गुरु नाक तथा अन्य अनेक जिस आन्दोलन के सक्रिय समर्थक एवं अभिभावक माने जाते हैं, उन सबका मूल एवं मुख्य उद्देश्य इस कट्टर जातिवाद, मानवीय भेद-भाव और छुआछूत की समाप्त कर चिरन्तन काल से लगे भारतीयता के मस्तक के इस कलक को मिटाना ही था। उसका काफी मुकल भी सामने आया। पर सामान्य मानसिकता और दम्भ भी उतना ही उग्र बनकर इस भेद भाव को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति और हितों को बनाए रखने के लिए सामने आता रहा। परिणामस्वरूप छुआछूत का यह कलक धोया न जा सका। मध्यकालीन सन्तों के प्रयत्न व्यर्थ होकर रह गए। आधुनिक काल में आकर जब गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण प्रखरता के साथ स्वतंत्रता आन्दोलन चला, तो एक बार फिर स राष्ट्रीय भावात्मक एकता बनाए रखने और स्वतंत्रता-आन्दोलन में सभी का सहयोग पाने की दृष्टि से गांधी जी के सामने अछूतोद्धार और उन्हें मानव समाज में समान अधिकार दिलाने का प्रश्न उठकर सामने आता उनसे पहले धर्म समाज और उस जैसी कुछ अन्य समस्याएँ भी इस दिशा में सक्रिय थी। कट्टर ब्राह्मणवाद या हिन्दूवाद तो इन समस्याओं को सबणों के समान मानने में बाधक था ही 'बाण्यो और राज करो' की नीति पर चलकर देश को अन्त काल तक परन्त बनाए रखने के इच्छुक अंग्रेजों भी एक बहुत बड़ी बाधा थे। मुसलमानों की तरह जब उन्होंने हरिजनों को भी अलग राजनीति महत्त्व देना, विधान समारोहों में उनके लिए अलग स्थान निर्धार करने का प्रयत्न किया तो गांधी जी चौंके। अन्य राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान भी इस ओर गया। गांधी जी मत्प्राप्त करके ही अंग्रेजों को विभाजन की मानसिकता को रोक पाने में सफल हो सके। गांधी जी ने अंग्रेजों, अस्पृश्यों या अछूतों को कबीर आदि की परम्परा में 'हरिजन' नाम देकर, इनके उद्धार के लिए वायकादा आन्दोलन चलाए। 'हरिजन' नाम से समाचार पत्र प्रकाशित किया, विशेष बस्तियाँ बसाईं, अपने साबरमती और सेवाग्राम जैसे आश्रमों में इन्हें समान अधिकार दिलाए। मन्दिर-प्रवेश और सबणों के कुम्भों से पानी

जतना महत्त्व रहना है, प्रतिपक्ष या विरोधी दल के सदस्यों का महत्त्व एवं शायित्व भी उनसे कम कभी नहीं स्वीकारा जाता। तभी तो कहा जाता है कि प्रजातन्त्री शासन प्रणाली में संसद रूपी रथ के संचालन में शासक दल और प्रतिपक्षी दल दोनों का महत्त्व दो समान ऊर्जा वाले रथ चक्रों के समान हुआ करता है। जिस प्रकार एक रथ चक्र में विकृत या भ्रष्ट-तुलित हो जाने पर दूसरा चक्र अपने धाम ही बेकार होकर रथ की गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न कर देता है उसी प्रकार एक दल की निबलता एवं असमर्थता दूसरे को भी व्यर्थ, भ्रष्टतुलित एवं भ्रष्टयमित बना दिया करती है। इन रथ चक्रों के उ-हरण से किसी भी प्रजातंत्र की शासन-व्यवस्था में संसद के महान् दायित्व और उसके साथ प्रतिपक्ष के दायित्व को भली प्रकार से समझा बूझा जा सकता है। शासक-दल का मूल्य महत्त्व भी इसी प्रकार भली भाँति रेखांकित किया जा सकता है।

प्रजातंत्र या जनतंत्र में प्रजा अधिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रजा या जनता के हित रक्षण, सम्बन्धन एवं सुख-समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। प्रजा द्वारा प्रदत्त मनो के आधार पर ही चुनकर वे लोग संसद या विधान सभामें भी आते हैं। संसद का मुख्य कार्य होता है देश की सार्वभौमिकता, अखण्डता, जनता के अधिकार-कृतियों की सुरक्षा बनाए रखना, 'नायपालिका' और कार्यपालिका के लिए उचित नियम विधान बनाना और फिर उन्हें मन्त्री प्रकारसे लागू करना ताकि सारे देश में व्यवस्था बनी रह सके शासन-व्यवस्था का ढंग से संचालन होता रहे, किसी के साथ अ-ध्याय भ्रष्टाचारपूर्ण व्यवहार न हो और सभी जन पूरा सुरक्षा, व्यवस्था का अनुभव करते हुए अपने अपने कार्यों में दक्षिण हो सकें। संसद में जो नियम विधान आदि बनाए या पारित किए जाते हैं, वे सब बहुमत के आधार पर ही किए जाते हैं। यह स्पष्ट है कि संसदीय प्रणाली में प्रजातंत्र में बहुमत शासक दल का ही हुंदा करता है। अपने बहुमत के आधार पर शासक दल निश्चय ही कोई भी कानून विधान बना सकता है। प्रयत्न करने पर भी अल्पमत वाला विपक्ष उसे रोक नहीं सकता। फिर भी विपक्षी सदस्य अपनी एकता के बल पर शासक दल को मनमाना करने से इस सीमा तक तो रोक नहीं सकते हैं कि वह एकदम निरकुश न हो जाए, पूणतया जन-विरोधी कार्य न करने लगे। विपक्ष का संगठित हर शासक दल के लिए ऐसे तट-बन्धो का काम अवश्य करते रह सकता है कि उसकी कार्य धारा व्यर्थ में क्षर-उक्षर न बह कर देश की शक्ति, समय और

में कई स्थानों पर हरिजनों की स्थिति मध्यकाल से भी वहीं अधिक दयनीय, उग्र एवं भ्रमानवीय हो गई है। निश्चय ही आज के मूल्यों-मानों की दृष्टि से इस स्थिति को मानवीय एवं शुभ नहीं कहा जा सकता।

हरिजनों की समस्या की सुलझाने के लिए आवश्यक है कि मध्य कालीन सामान्ती वृत्तियों प्रवृत्तियों में घामूल-चूल परिवर्तन लाया जाए। ऐसा परिवर्तन कबीर, नानक और गांधी जैसे निस्वार्थ सन्त सुधारक ही आगे आ कर ला सकते हैं। दूसरे जो सविधान-सम्मत अधिकार हरिजनों को दिए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनका कठोरता से पालन किया जाए। हरिजनों के अधिकारों का हनन करने वालों को मानवताघाती मानकर उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए। हरिजनों को भी चाहिए कि वे लोग प्रारक्षण एवं सुविधाएँ पाकर उनका सामूहिक स्तर पर सदुपयोग करने की दिशा में प्रयत्नशील हों, न कि कोई दम्भी और झालसी या जाति घाती ही बन कर रह जाएँ। इस सब के लिए विधुद्ध मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज बीसवीं सदी के अन्त में भी मानवीय व्यवहारों के कारण कोई मानव-वग पीडित शोषित रहे, निश्चय ही यह समूची मानवता और समन्वयवादी भारतीय मानसिकता के लिए घोर कलक की बात है। जितनी जल्दी ही इस कलक से छुटकारा पा लिया जाए, सामूहिक हित-साधन की दृष्टि से उतना ही देश-जाति का भला है।

१०१

संसद में प्रतिपक्ष

भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफल प्रजातन्त्री शासन प्रणाली वाला देश माना जाता है। प्रजातन्त्री शासन-प्रणाली में जनमत द्वारा निर्वाचित बहुमत वाला राजनीतिक दल शासन-व्यवस्था-संचालन के लिए उत्तरदायी हुआ करता है। शेष दलों के निर्वाचित सदस्यों को ही संसद में प्रतिपक्ष या विरोधी सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार के सदस्यों के बहुमत वाला दल संसद और विधान-सभाओं में विरोधी दल के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रजातन्त्री शासन में संसदीय व्यवस्था के संचालन, जनता के प्रति संसद के दायित्वों संसदीय चर्चा एवं निष्पक्ष परम्पराओं के निर्वाह में शासक या बहुमत वाले दल का

बाहर सर्वत्र भाज विपक्ष की भूमि का नकारात्मक एव ध्ययं होकर रह गई है। भविष्य में उसका कोई सकारात्मक महत्त्व और भूमिका बनती हुई भी दिखाई नहीं देती।

जनतंत्र में, संसद के भीतर और बाहर ऐसे सगठित, सुदृढ़ एव अधिक नहीं तो राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत वाले विपक्ष की आवश्यकता हुआ करती है, जो समय आने पर शासकदल का उचित एव समय विकल्प बन सके। जिसका स्वरूप और अस्तित्व सावदेशिक ही। ऐसा विपक्ष ही उदात्त राष्ट्रीय भावनाओं से अनुप्राणित रहकर संसद एव उसके बाहर निर्माणात्मक भूमिका निभा सकता है। समय पड़ने पर शासक दल का विकल्प भी प्रस्तुत कर सकता है। परन्तु यह तथ्य सखेद स्वीकारना पड़ता है कि इस देश में ऐसा विपक्ष अभी तक नहीं पनप सका, जो केन्द्र तो क्या प्रान्तों में ही शासक दल का विकल्प दे सके। यहाँ वस्तु स्थिति इससे भी निम्न स्तर की है। राज्यों की विधान सभाओं की तो बात ही जाने दीजिए, उनके लिए तो कोई अखिल भारतीय दल अभी तक बन ही नहीं सका जो विपक्ष की भूमिका निभा सके। यहाँ तो निचले स्तर के सदनों अर्थात् नगर पालिका और नगर निगम, कि चुनाव लड़ने के लिए भी विपक्षी दलों को सामयिक और बेमेल ताल-मेल बैठाने पड़ते हैं। एक ही नगर के किसी भाग में यदि एक दल के समर्थक हैं, तो दूसरे, तीसरे आदि भागों में अन्योन्य दलों के। ऐसी स्थिति में कोई विपक्ष संसद के लिए बन ही कैसे सकता है? यदि एक दो बार राज्यों या केन्द्र में विपक्षियों ने संयुक्त होने के प्रयत्न किए भी तो अदूरदर्शी और दुराशावादी नेताओं के कारण वे प्रयत्न शीघ्र ही निष्फल होकर रह गए। भारत में अपने आपको अखिल भारतीय दल कहने, बोलने की दुदशा का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ प्रान्तों में स्थानीय या क्षेत्रीय दल विजयी होकर अपनी सरकारें गठित कर रहे हैं। देखने में तो यहाँ तक भी आता है कि जो स्थान भाज एक दल के पास है, अगले चुनाव में उससे वह स्थान ही नहीं छिनता, उस दल का सफाया ही हो जाता है। ऐसा एक-दो बार नहीं अनेक बार हो चुका है। विपक्ष की भूमिका की दयनीयता का इस ब्यौरे से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

भारतीय संसद में विपक्ष की विफलता का एक मुख्य कारण है स्वार्थपरता धन कमाने की इच्छा और सत्ता प्राप्ति की अदम्य भूख। इसी कारण यहाँ विपक्षी सदस्य अधिक बिकते एव दल-बदल करते हैं। ऐसा करके वे लोग अपनी निष्ठा के भाव एव सिद्धान्तहीनता का परिचय तो देते ही हैं, साहस

साधनों का अपव्यय न कर सके। यदि विपक्ष ससद में मात्र इतना कर पाने में भी समर्थ हो जाता है, तो निश्चय ही उसे सफल, उसकी भूमिका को काफी हद तक सार्थक कहा जा सकता है।

जहाँ तक भारत के ससद में विपक्ष की कार्य-विधि का प्रश्न है, उसे प्रारम्भ से ही पूण स्वस्थ एवं सुखद नहीं कहा जा सकता। प्रारम्भ में, जब तक पण्डित जवाहरलाल नेहरू सरकार और ससद के नेता रहे, तब तक का विपक्ष का काय परवर्ती काल की तुलना में कुछ अच्छा ही कहा जा सकता है। तब तक विपक्ष था भी काफी अल्प मत में। कोई भी ऐसा दल नहीं था, जो अपने ही दल पर विपक्ष की भूमिका निभा सके। इस प्रकार की स्थिति में विपक्ष आज भी नहीं है, बल्कि यो कहना चाहिए कि आज का विपक्ष तब की तुलना में अधिक विखरा हुआ है। तब विपक्ष में जो और जितने भी सांसद थे, उनकी कोई अपनी स्वस्थ, सन्तुलित और स्पष्ट दृष्टि थी। अपना कोई स्पष्ट एवं चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम भी था। उनमें पढ़े लिखे, समझदार और दूरदर्शी लोगो की संख्या भी अधिक थी। उनका दृष्टिकोण मात्र विरोध के लिए विरोध न हाकर सजक हुआ करता था। पर अपने अल्प मत के कारण सरकार को प्रभावित वे भी विशेष रूप से नहीं कर सके थे, यद्यपि निरंकुश भी नहीं होने देते थे। ससद और ससद के बाहर भी उनकी बात बड़े मनी योग से सुनी जाती थी। डॉ० राम मनोहर लोहिया, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि का स्मरण इस दृष्टि से विशेष रूप से किया जा सकता है। उनमें अपनी, अपने दलो और ससद की भी गरिमा बनाए रखने की पूर्ण क्षमता थी। पर इस पीढी के बाद के प्रतिपक्ष के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज के प्रतिपक्ष का काम ससद के भीतर-बाहर शासक दल को बदनाम कर, अपने ही साधनों की टाँग घसीट मात्र सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना रह गया है। नेहरूत्व का संकट यो तो शासक दल में भी है पर विपक्ष के नेतृत्व का संकट अपनी चरम स्थिति में अनुभव किया जा रहा है। आज विपक्ष के नाम पर अनगिनत दल बल्कि गुट बन गए हैं और प्रत्येक गुट बनाने वाला अपने सिवाए अन्य किसी व्यक्ति, बात या तथ्य को समझ ही नहीं पाता। वह समझता है कि केवल मैं ही ठीक सोच, देख और देश का उत्थान कर सकता हूँ। इसी कारण, व्यक्तिगत और दलगत स्वार्थों में घाबरेले मन रहने के कारण आज के विपक्षी स्वल्प मत वाले दल राष्ट्रीय मामलों पर भी सरकार को क्या आपस में भी एकमत नहीं हो पाते। परिणामस्वरूप ससद या उससे

मनमानियो पर कोई धकुश नहीं लग सका । ससद के अधिवेशन होते हैं । जनता के खन पसीने की कमाई का प्रत्येक मिनट पर बेतहाशा खच किया जाता है । सांसदो को कायकाल मे वे विशिष्ट सुविधाएँ मिलनी ही है, पंशन की भी व्यवस्था है । फिर चालू किस्म के सांसद भ्रय तरीको से जो कमाई करते हैं, उसका हिसाब किसी के पास नहीं । तभी तो आज प्रत्येक छुटभंषा राजनीतिज्ञ तक समद तक पहुँचने को व्याकुल रहता है । एक सीट के लिए कई-कई उम्मीदवारो का चुनाव लडना इसी तथ्य की और सकेत करता है । इससे ससद और सासदों का भ्रय जनों की दृष्टि में भ्रवमूल्यन ही हुआ है ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि समझदार जनहित के सच्चे आकांक्षी और निस्वाध जन ससद के पक्ष विपक्ष मे आएँ । वैदालिक एव दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ एक सबल विपक्ष का गठन हो । तभी ससद की मम-मर्यादा तो सुरक्षित रह ही सकती है, भारतीय जनतन्त्र के महत्व उद्देश्यो के गन्तव्य तक भी पहुँचा जा सकता है । अन्याया जो स्थिति आज है, वह देश को कहीं ले जा रही है और ले जाएगी, सभी जागरूक जन इसका अनुमान सहज ही लगा सकते हैं ।

१०२ | दूरदर्शन : जन-शिक्षण का माध्यम

अनवरत जिज्ञासा और नव्यावेपण की सहजात मानवीय प्रवृत्ति ने अपने क्रमिक विकास की प्रक्रिया मे नित नए क्षितिजो का अन्वेषण और उद्घाटन किया है । जिज्ञासा मानव के लिए उनीसवी शती के आरम्भ मे जो कुछ असम्भव एव कल्पना मात्र था शती वा अन्त आते आते वह सब सम्भव और कल्पनाएँ मृत रूप मे सारकार होने लगीं । शक्तियो के अनवरत चिन्तन, मनन और अन्वेषण के द्वारा प्राचीन वैज्ञानिक ने जो आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए थे, उन्हें और उनकी प्रक्रिया को भागे बढते हुए अपने नव्यावेपण एव अध्यवसाय से, नित नये प्रयोगों से आधुनिक वैज्ञानिक ने उन सिद्धांतों को कायरूप मे परिणत करना शुरू किया । परिणाम स्वरूप नित नए मानव-जीवनोपयोगी आविष्कार सामने आने लगे । वायरलेस, दूरभाष (टेलीफोन), रेडियो, सिनेमा और उसके बाद सभोपता का आभास करने वाला दृश्य-श्रव्य आविष्कार दूरदर्शन (टेलीविजन) उसी प्रक्रिया की आज तक की धन्यतम

घोर विद्वान् भी खो बैठते हैं। इस प्रकार की गति-विधियों, छोटी महत्वा काशाभी घोर दिशाहीन राजनीति के कारण ही भारत की राजनीति में इंग्लैण्ड अमेरिका जैसे अन्य जनतन्त्री देशों के समान कोई सगठित, सक्षम विपक्ष तैयार नहीं हो पाया। ससद में विपक्ष की क्या महत्त्व और भूमिका हो सकती है, इसका अनुमान इस बात से हो जाता है कि इंग्लैण्ड में सञ्जियों या उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढ़ने पर ही वहाँ का विपक्ष सरकार को त्यागपत्र देने और बदलने में समर्थ हो जाता है। विपक्ष के नैतिक दबाव के कारण अमेरिका के राष्ट्रपतियों का धासन कई बार टोल चुका है। पर हमारे देश की ससद ? बड़ी-से-बड़ी अपटनीय घटना घट जाने पर भी वहाँ बिलेरे और अत्यल्प विपक्ष के शोर शरावे के कारण सरकार का पत्ता तक नहीं हिल पाता। भारत जैसा दक्षिणहीन, नकारात्मक रूढ़ि अपनाते वाला विपक्ष किसी सोशतन्त्री तो क्या अन्य मायताओं वाले देश में भी नहीं है। इसे अत्यधिक विडम्बना एवं दयनीय स्थिति ही कहा जाएगा।

राजनीतिज्ञ सबल-समर्थ विपक्ष को जनतन्त्र की रीढ़ मानते हैं। पर उसी अवस्था में कि जब शासक-दल के साथ उसका उनीस-बीस या अधिक से अधिक इक्कीस तक का अंतर हो। जब अन्तर बहुत बड़ जाता है—जैसा कि भारतीय ससद और विधान सभाओं में अब तक रहा और है, उस स्थिति में विपक्ष प्रायः दिशाहीन हो जाता करता है। कारण स्पष्ट है। वह यह कि तब उसके सामने अपने कार्यक्रम या बहुमत से सत्ता में आने का विकल्प तो रहता नहीं अतः वह अपने शोर शरावे और हल्लडबाजी से ही जानता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए रहना चाहता है। उस अवस्था में वह नैतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी शासक दल से सहमत नहीं हो पाता। मात्र विरोध की ही अपना शस्त्र बना लेता है। हमें यह तथ्य स्वीकार करने में तनिक भी सकोच नहीं होना चाहिए कि विगत दो दशकों से भारतीय ससद में समूचा विपक्ष इसी प्रकार की बेकार भूमिका निभाता आ रहा है। यही कारण है कि अभी तक भारतीय ससद और प्रजातन्त्र अपनी रीढ़ पर सीधा खड़े हो पा। म समर्थ नहीं हो सका। भारतीय ससद जन-मत से चुना अवश्य जाता है, पर वह भारतीय जनमत या जनाकाशाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ तक कर पाता है, यह सांसदोंसमेत सभी जागरूक व्यक्तियों के लिए विचारणीय ज्वलंत प्रश्न हो सकता है।

उन्नत एवं सगठित विपक्ष के अभाव के कारण ही भारतीय जनतन्त्र लाल-क्रीताशाही से मुक्त नहीं हो पाया। महंगाई, भ्रष्टाचार और अनेकविध सरकारी

स्वयं करें, वस्तुतः दूरदर्शन का प्रयोग भी इसी रूप में जन जागरण और जन-शिक्षण के लिए सम्भव हो सकता है और कुछ भ्रष्टों में हो भी रहा है। इन तथ्यों से इस वैज्ञानिक माध्यम की ऊर्जा, शक्ति और प्रभविष्णुता का अनुमान सहज ही हो जाता है।

दूरदर्शन पर आज कल जन शिक्षण और जन जागरणियों को व्यापक बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित-प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे स्कूली बच्चों के लिए विविध विषयों के पाठ, किसानों के लिए कृषि-दर्शन, उद्योग घरों की जानकारी देने वाले कार्यक्रम, तकनीकी जानकारी वाले कार्यक्रम, देश विदेश में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रदर्शक सूचनात्मक कार्यक्रम, अनेक प्रकार के रोचक और जीवन-तथ्यों की उजागर कर दिशा-दर्शन कराने वाले नाटक, मञ्चकियाँ, ललित तथा उपयोगी कलाओं से साक्षात्कार कराने वाले समयबद्ध कार्यक्रम, देशी विदेशी महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से साक्षात्कार, नित्य प्रति के समाचार आदि निश्चय ही इन और इस प्रकार के आयोजनों का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना ही नहीं होता, मानव-चेतना को प्रबुद्ध करके उसका परिष्कार और संस्कार करना भी होता है। योगाम्यास जैसे कार्यक्रम यदि और सगन बनाए जाएँ तो वे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और समग्र मानवीय चेतना के परिष्कार संस्कार में और भी अधिक सहायक हो सकते हैं। यह तो ठीक है कि इस प्रकार के प्रबोधक और जन-चेतना की उत्तेजित-जागृत करने वाले कार्यक्रम भारतीय दूरदर्शन पर प्रदर्शित-प्रसारित किए जाते हैं पर अभी तक उनकी दृश्य-श्रव्य अभिव्यञ्जना में वह परिष्कार, वह रोचकता और प्रभविष्णुता नहीं आ पाई कि दर्शक उससे वास्तव में लाभान्वित हो सके। प्रदर्शित प्रसारित कार्यक्रम बहुत हल्के, अपरिपक्व, अपरिष्कृत और धरोचक रहते हैं कि वस्तुतः फिल्मों, चित्रहारों जैसे कुछ कार्यक्रमों को छोड़ कर दर्शकों को उनकी प्रतीक्षा प्रायः नहीं रहती। इससे भारतीय दूरदर्शन के अभी तक के इतिहास को जन शिक्षण की दृष्टि से अभी प्रारम्भिक स्थिति में ही कहा जा सकता है।

दूरदर्शन द्वारा जन शिक्षण के लिए यह भी आवश्यक है कि जो भी कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाए, एक तो वह जन रुचियों, जन-मानसिकता, जन-भूमि और मनोभूमि की सोची समझ के साथ जुड़ा होना चाहिए, दूसरे जनता की अपनी भाषा, भावना और शैली-शिल्प में होना चाहिए। इस दुस्तद तथ्य को धत्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दूरदर्शन अभी तक अपनी

वैज्ञानिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के द्वारा धाज का मानव पर बैठे ही सुदूर प्रदेशों में घटित हो रहे जीवन को अपने घर में बैठ कर ही न केवल सुन सकता है, बल्कि प्रत्यक्ष देख कर सजीव रूप से अनुभव भी कर सकता है। यों भी कहा जा सकता है कि उस समय का सजीव भग तब बन सकता है। महानारत मे घाता है कि संजय ने हस्तिनापुर मे बैठ कर दूर कुशसेत्र के रण म घटित हो रहे घटना क्रम का वर्णन-श्वोरा प्रत्यक्ष दशक के समान ही अपने महाराज धृतराष्ट्र को सुनाया था। वह किसी परा प्राकृतिक दायित, योग विद्या या आध्यात्मिक चेतना का धमत्कार था भ्रमवा उस समय भी दूरदशन जसा कोई दूरदशक यत्र-माध्यम रहा होगा, पर धाज स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सता। पर धाज का वैज्ञानिक आविष्कार दूरदशन स्वस-सूक्ष्म, दृश्य-श्रव्य सभी कुछ से पर बैठे सहज ही साक्षात्कार करा पाने में समथ है, इस बात में सन्देह की तनिक भी गुजायश नहीं। निश्चय ही दूरदशन बीसवीं सभी के गान विज्ञान की एक महत्तम उपलब्धि है।

सामान्यतया लोग यह मानते हैं कि खेल-कूद, रेडियो, सिनेमा आदि विभिन्न एक विविध मनोरजन के साधनों, उपकरणों के समान दूरदशन भी मनोरजन का ही एक दृश्य-श्रव्य साधन है। निश्चय ही इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस घरेलू सिनेमा-सेट-धर्यात दूरदशन के माध्यम से घर पर बैठकर ही वे सभी प्रकार के मनोरजन सुलभता से पाए जा सकते हैं कि जो खेलकूद, रेडियो सिनेमा आदि मानव की प्रदान करते या कर सकते हैं। पर निश्चय ही दूरदशन का प्रयोग और उपयोग मात्र मनोरजन तक ही सीमित नहीं है और न इसे इसी सीमा रेखा तक सीमित रख कर इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि का महत्व घटाया ही जा सकता है। यह वह भ्रूचूक माध्यम है, जिसके द्वारा सामूहिक एक व्यापक स्तर पर जन जागरण और जन शिक्षण का महान काय सहज-सरल भाव से सम्पादित किया कराया जा सकता है। वह भी धमशास्त्र के आदेश आदेश या राजनीति के कठोर नीति नियमादि के कठोर निर्देश टाए नहीं, बल्कि उसी प्रकार मनोरजक ढग से कि जैसे एक सन्मित्र अपनी मनोरजन बातचीत द्वारा दूसरे मित्र की हीनताओं, कमिययो की उजागर कर परोक्षा रूप से उस भ्रष्ट मित्र का पथ प्रदशा कर देता है। इस तथ्य के आलोक में दूरदशन की तुलना हम ललित साहित्य से कर सकते हैं। जैसे सत्साहित्य जीवन के जीवन्त अनुभवों को अपने विघात्मक स्वरूपा मे चित्रित करके भी कोई आदेश निर्देश नहीं देता, सभी कुछ पाठकों प्रेक्षकों पर ही छोड देता है कि वे लोग सत्य-असत्य, उचित-अनुचित, भले-बुरे का निर्णय

ही सम्भव हो सकता है। एक तो भारतीय मानसिकता ही अभी तक श्लील-प्रश्लील के धाये मानो मूल्यों से मुक्त नहीं हो पाई, दूसरे दूरदर्शन पर इस दिशा में जो विज्ञापन या कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे भी श्लीलता-प्रश्लीलता की स्पष्ट सीमा रेखा न होने के कारण अप्रभावी हाकर रह जाते हैं। अक्सर लोग इस प्रकार के विज्ञापन और कार्यक्रम देखते ही नहीं। या फिर बाल-बच्चों के साथ देखते समय हिचक महसूस होने के कारण उनकी और उचित ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तब ध्यान बटाए रखने के लिए इधर उधर की बातें करने लगते हैं और कुछ लोग अपना दूरदर्शन सेट तक बंद कर देते हैं। क्या इस प्रकार के कार्यक्रमों की सहज-स्वाभाविक कल्पना का सहारा लेकर ऐसा नहीं बनाया जा सकता कि उन्हें सुनने-देखने में किम्बक या शम महसूस न हो? श्लील प्रश्लील का प्रश्न ही न उठे? निश्चय ही बनाया जा सकता है। आवश्यकता है जागरूक सूझ-बूझ एवं समय-सापेक्ष कल्पना शीलता की। समझदार लोगों के सहयोग की, जिसे राजनीति या निहित स्वार्थों के कारण यह विभाग से नहीं पाता। परिणाम? वही अब, नकारात्मकता और प्रयत्नों की समग्र ध्येयता।

हमारे देश में आज एक स्वस्थ राजनीतिक चेतना का भी अभाव बल्कि राजनीतिक नेतृत्व का सखट उपस्थित है। इस सखट से छुटकारा पाने के लिए आज किसी भी स्तर पर कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा। परिणाम स्वरूप चुनाव, ससद, विधान सभाएँ और छोटे स्तर तक की सरकारी-नगर सरकारी जन-संस्थाएँ सूटपाट का साधन और मदारियों का तमाशा बन कर रह गई हैं। दूरदर्शन द्वारा समय-सापेक्ष, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों आवश्यकताओं के अनुरूप उचित राजनीतिक चेतना का विनिर्माण कर इस घोर अंधाल और सखट से छुटकारा तो सम्भव हो सकता है, किन्तु जब जन-जागरण का यह माध्यम बेचल दासक दल के प्रचार और भाई भतीजों के रोजगार का साधन बन कर रह गया हो, तो ऐसी आशा की भी कैसे जा सकती है? आज आवश्यकता इस बात की है कि दूरदर्शन को दलगत राजनीतिक हृत्पकाण्डों से मुक्त रखकर, वास्तविक और स्वार्थ मुक्त लोगों के माध्यम से इसे स्वस्थ राजनीतिक जागरण का केन्द्र बनने दिया जाए। यही बात धम और सामाजिकता के मन्दनों में भी रही जा सकती है। बिना ऐसा किए वस्तुतः दूरदर्शन का सक्षय पूरा नहीं हो सकता। वह केवल—या तो फिल्मों चित्रहारों का सस्ता मनोरंजन-प्रदाता ही बना रह सकता है, या फिर ऐसे कार्यक्रमों

देशी भूमि और जन मानस-भूमि से नहीं जुड़ पाया। भाषा और शैली शिल्प की दृष्टि में भी अभी तक वह पश्चिम का मुखापेक्षी अधिक है। उसके प्रायः कार्यक्रम भी पश्चिम की नकल और बासी होते हैं। जब तक वे नितान्त अपने और ताजे सीधे भारत भूमि और जन-मानस से जुड़े हुए नहीं होते, तब तक यह शिकायतें तो बनी ही रहेगी, अपनी समग्रता में दूरदर्शन उद्देश्य की दृष्टि से अप्रभावी भी रहेगा।

दूरदर्शन का काय केवल जन-मनोरजन ही नहीं जन-शिक्षण-प्रशिक्षण भी है यह बात ऊपर बल देकर कही जा चुकी है। फिर भारत जैसा देश, जहाँ पर समस्याओं के अम्बार लगे हो, उचित दृष्टि एवं कार्यक्रम अपना कर उन सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान जुटा पाने में निश्चय ही सफल हो सकता है। दूरदर्शन साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार का उत्तम माध्यम तो बन ही सकता है रोजगार से सम्बन्धित विविध प्रकार की तकनीकी शिक्षाएँ भी इसके द्वारा दी जा सकती हैं। आज भारत में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक-दृष्टियों से भी बहुत अधिक जागृति एवं शिक्षण की आवश्यकता है। उचित शिक्षा उचित मानसिकता और वातावरण की सृष्टि कर सकती है। अनेक प्रकार के अंधविश्वास, रूढ़ियों और कुरीतियाँ इस देश में अशिक्षा एवं उचित शिक्षा के अभाव के कारण ही हैं। धर्माघता, साम्प्रदायिकता, छुआछूत और ऊँच-नीच के भेद-भाव इनके कारण होने वाले दगे फसाद और भारक दुघटनाएँ सभी के मूल में अशिक्षा, सामयिक चेतना का अभाव और अदूरदर्शिता ही है। दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों को इन दिशाओं में नियोजित निर्धारित कर निश्चय ही जन-मानस में नव प्रकाश, नव ऊर्जा, जागृति एवं सहिष्णुता उत्पन्न कर सकता है। जिस भावनात्मक एकता और मानवीय मूल्यों के हास के कारण आज का जन मानस समस्त है उनके कारणों पर प्रहार करके दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों द्वारा सहज मानवीय विश्वास के लिए उर्वरा और उपयोगी भूमि प्रस्तुत कर सकने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। खेद के साथ स्वीकार करना और कहना पड़ता है कि इस सब के लिए जिस प्रकार की कल्पना शीलता सजगता और सतकता की आवश्यकता हुआ करती है, हजारों दूरदर्शन के संचालकों में उसका अभाव खलने वाली सीमा तक है।

भारत एक विशाल देश है। जनसंख्या के अनुपात से यहाँ उपभोक्ता वर्तुओं, जीवनोपयोगी सामग्रियों का अभाव है। इसके लिए जन-संख्या की अबाध वृद्धि को रोकना बहुत आवश्यक है। यह जन शिक्षण एवं जागरण द्वारा

लक्षण प्राज चारों ओर स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगे हैं। लगने लगा है कि यह देश एक बार फिर से कई-कई विभाजनों के बगार पर पहुँचता जा रहा है। मध्यकाल में जैसे भारत छोटी-बड़ी अनेक इकाइयों, रियासतों और राज्यों में बटा रहकर एक ही भू-भाग के अन्तर्गत निवासियों (राज्यों) के लिए सिर दर्द का कारण बना रहता था, और जिसका लाभ विदेशी आश्रमणकारियों को मिला करता था, आशावादी होना स्वाभाविक है कि कहीं हमारी सक्षीण-सकुचित प्रवृत्तियाँ फिर से वैसे ही माहौल न उत्पन्न कर दें। ऐसी विघटन स्थिति में प्राज प्रत्येक देश-भक्त, राष्ट्र प्रेमी और जागरूक भारतीय के लिए आवश्यक हो गया है कि वह अपने वाली विषम स्थितियों के प्रति सावधान हो, उन्हें अपने ही न देने की दिशा में सन्नद्ध हो जाए।

देश और राष्ट्र की उपाय उस भव्य एवं विशालतम भवन से की जा सकती है, जिसके निर्माण में अतीतकालीन समय लगा करता है। उसकी एक एक ईंट को परिश्रम से बहाये खून पसीने, विचारों भावों की उदात्त, सम्पन्न तरतीबों से जोड़ा जाता है। उसकी नींव में सदियों का चिन्तन, प्रेम, सौहार्द, अथर्व और भाईचारा रहा करता है। उसमें युग-युगों तक अनेक सभ्यता-संस्कृतियों का उदय विलय होता रहा करता है। तब कहीं जाकर ग्राम, प्रान्तर कस्बे, नगर, महानगर, प्रांत और प्रांतों के समुदाय—देश और सभ्यता-संस्कृतियों के उदात्त तत्वों के समन्वय से राष्ट्र का निर्माण सम्भव हो पाता है। अपने उस सजन, उस निर्माण की सरदा के लिए भी आवाल-वृद्ध सभी को एकत्व के उदात्त भाव से, समन्वित रूप से सज्ज रहना पड़ता है। तब कहीं जाकर देश और राष्ट्र अस्तित्व बनाए रख पाते हैं। किंतु जब कुछ मूल और सिर फिरे लोग महज जातीय या वर्गीय स्वार्थों से परिचालित होकर, अपने दो चार सौ सालों के संक्षिप्त वर्गीय अस्तित्व की ही सब-कुछ मान कर व्यापक राष्ट्रधारा से अपने को विलगने का उत्तर मुल-रित करने लगते हैं, अलगाव की दिशा में प्रवर्तनीय ही उठते हैं तो देश और राष्ट्रीयता की नींव का हिलने लगना एक स्वाभाविक नियति हो जाता करती है। बड़े खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि शासक और विरोधी सभी दलों की निहित स्वार्थों एवं दुःसमुल रीति-नीतियों के कारण प्राज एक देश और राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष की स्थिति विघटन की कठकारण राह पर अग्रसर हो उठी है। इसे यदि अभी से रोकने का सुझाव पूर्ण साधन कदम न उठाया गया, तो परिणाम बहुत विपरीत होया। इस समय में भी सदेह नहीं।

का समझ कि जिनका इस देश की भूमि, जन-मानसिकता आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आज दूरदर्शन श्वेत-स्याम से रंगीन युग में प्रवेश कर चुका है। तकनीकी स्तर पर भी उसने बहुत उन्नति कर ली है। उसके माध्यम से देश विदेश का सम्बन्ध भी सहज ही जुड़ जाता है। देश में केन्द्र से राष्ट्रीय प्रसारण की योजना भी फलीभूत हो रही है। पर वह वस्तुतः कहने की ही राष्ट्रीय है। ऐसा इसलिए कि एक तो कुछ दक्षिणात्य (तमिलनाडु) प्रदेशों में सम्पूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होता, राजनीतिक दबाव के सामने राष्ट्रहित और भावनात्मक एकता के साथ-साथ समग्र राष्ट्रीयता की भावना ने भी (क्षेत्रीयता के सामने) अपने घुटने टेक दिए हैं, दूसरे इस राष्ट्रीय कार्यक्रम-प्रसारण के अन्तर्गत जो कुछ प्रसारित किया जाता है, वह राष्ट्रीय कम और अराष्ट्रीय अधिक होता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों से परिचित कराना बुरी बात नहीं, पर राष्ट्रीयता की बलि देकर, रजकता रोचकता और कल्पनाशीलता के अभाव में निश्चय ही बुरी बात है। आवश्यकता है नगर-ग्राम सभी स्तरों पर भारतीय जन-मन को झालोड़ित कर जागृति लाने की। वस, यही हमारा दूरदर्शन कर पाने में अभी तक समर्थ नहीं हो सका।

स्वस्थ, सही, जनोपयोगी, कल्पनाशील, मनोरंजक एवं राजनीति-मुक्त निरपेक्ष रीति-नीति अपना कर ही ज्ञान-विज्ञान का यह आधुनिक साधन दूरदर्शन जन-शिक्षण के अपने लक्ष्यों को पा सकता है। अपनी भूमि, भाषा, शिल्प आदि भी अपनाया जाना आवश्यक है। जनतंत्र में सभी कुछ जनता के हित-साधन के लिए हुआ करता है इस तथ्य को सामने रख कर चलना दूरदर्शन और सभी के लिए बहुत आवश्यक है।

१०३

प्रान्तीयता और राष्ट्रीयता

प्रान्तीयता या प्रान्तवाद की विघटनकारी प्रवृत्तियों का उग्र उदय निश्चय ही इस देश के लिए एक विकट समस्या का रूप धारण करता जाता है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक पल में अधिकाधिक सामने आकर हमारी राष्ट्रीयता, समग्रता और सार्वभौम एकत्व के सामने एक मोटा प्रश्न बिहटकित कर रही है। राष्ट्रीयता, एकत्व एवं भावनात्मक एकता के विघटन के

नागालैण्ड, मिज़ोरम, अरुणाचल आदि प्रदेशों में भी स्थिति अच्छी नहीं। यहाँ भी प्रान्तीयता की भावना जगल में फँसी घाग ने समान सुलग कर निरन्तर बढ़कती जा रही है। पेंतीस-छत्तीस वर्षों में जम्मू-काश्मीर का अलग दर्जा समाप्त नहीं किया जा सका। बहने को जम्मू-काश्मीर भारत का ही अंग है, पर भारतवासी यहाँ तिस भर जमीन नहीं खरीद सकते। यहाँ की कच्चा अय प्रांतों में ब्याही जाने के बाद यहाँ की—अपनी भारत भूमि की कच्चा तक नहीं रह जाती! अय प्रांत की स्थिति भी सुखद नहीं बही जा सकती। प्रांतीयता की यह निम्नकोटि की भावना उग्र होकर अनेक जगह साम्प्रदायिकता के संघात्मक विष के फैलाव का भी कारण बन रही है। अय प्रांतों के लोगों को हरबद खदेड कर भगा देने का प्रयत्न चल रहा है। प्रांतों के लिए अधिकाधिक स्वच्छन्दता, स्वच्छारिता एवं अधिकारों की मांग सब तरफ से निरन्तर उठती रहती है। यदि यह मांग सदभावनायुक्त उठे तो सत्य भी बही जा सकता है। पर बात ऐसी होती नहीं। ऐसी मांगों के मूल में कट्टर प्रान्तीयता की भावना ही प्रमुखतः रहा करती है। यह भावना देश के टुकड़े-टुकड़े कर देगी इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। पहले एक पाकिस्तान बना या प्रान्तीयता की आड में अथ किई पाकिस्तान बनाने की जो सुनियोजित चिष्टा हो रही है, राष्ट्रीय अखण्डता के लिए उसका सिर कुचला जाना बहुत ही आवश्यक है।

प्रांतीयता का भावोदय, जैसा कि हम पहले भी कह आए हैं, अनेकविध साम्प्रदायिकताओं की भी जन्म दे रहा है। सभी नो आज हर साम्प्रदाय प्रत्येक बात में विशेष स्थिति और सरक्षण की मांग करने लगा है। भारत विभाजन का मूल कारण मुस्लिम लीग और उसके समय जातीयता के आघार पर सरक्षण नीकरियों तथा अय सुविधाओं की गुहार करने लगे हैं। इस प्रकार की बातें अय साम्प्रदायों, वर्गों की तरफ से भी उठाई जा सकती हैं। इस सबको प्रांतवाद के उग्र उदय के समान ही राष्ट्रीयता एवं देश की अखण्डता के सदन में अनुचित, राष्ट्र विरोधी एवं सघातक स्वीकार किया जाना चाहिए। जब भी किसी देश और राष्ट्र में इस प्रकार की प्रवृत्तियों का उदय होता है राष्ट्र और देश की नीच की इटें खिसकने लगती हैं। एक इंट का खिसकाव उस अय भवन की समग्रता को तहस-नहस कर सकता है, जिसका निर्माण करने में अतान्द्रियों तक रक्त-पमीना एक किया गया है। इसलिए आज समस्त बुद्धिमानों को जागरूक राष्ट्र जनों और देश-भक्तों को एक होकर एक स्वर में इस प्रकार की सघातक प्रवृत्तियों के विरुद्ध आवाज-उठानी चाहिए।

विविध और विभिन्न आधारहीन मत बार्दों में बड़े अनेक प्रकार के दलों के कारण आज भारत में प्रांतीयता की भावना उग्र से उग्र होती जा रही है। आज इस देश में पंजाबी, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्रियन, तमिलनाडुयिन, असमी, बर्माटकी, हरियाणवी, बिहारी, राजस्थानी आदि तो रहने हैं, पर विपुल भारतीय कहीं कोई भी दृष्टि गोबर नहीं होता। यो यहाँ गणतन्त्री शासन व्यवस्था है, पर उससे सही धर्म और स्वरूप को भूल कर केवल धरना प्रान्तीय स्वरूप ही सभी को याद है। सभी तो पंजाब और पंजाबी का धर्म केवल असामी देश के उग्र तत्त्व तमिलनाडु निवासी का धर्म केवल तमिल भाषी, असमी का धर्म असमी भाषा बोलने वाले, बंगाली का धर्म बंगला भाषी, गोवानी का धर्म गोवानी भाषा भषी और इस प्रकार अन्य प्रांतों और प्रांतवासियों का धर्म-धर्मिग्राम लिया जाने लगा है। उदाहरणों में जिन धर्म लोगों ने भी धर्म प्रांतों में भारतवासी के नाते रह कर यहाँ की जनता और विभागा में अपना सुन-ससीना एव किया है उन्हें निकाल बाहर करने की साजिशें की जा रही हैं। केन्द्र से असम होने की धमकियाँ तक दी जाती हैं। कहीं खासिस्तान की माँग उठ रही है तो कहीं तेलगू देश की, कहीं तमिलनाडु राष्ट्रीय असलों पर भी केन्द्र को धमकता है तो कहीं गोवा में इस कारण दंगे होते हैं कि यहाँ से महाराष्ट्रियन तथा धर्मों को निकाल बाहर किया जाए। त्रिपुरा, बंगाल और असम की स्थितियों से कौन परिचित नहीं। यहाँ के मुख्य मंत्री और शासक दल यदि केन्द्र के विरुद्ध हड़तालें करते चरवाते हैं तो तमिलनाडु के मुख्य मंत्री धनशन तक करने की बचकाना हरकत कर बैठते हैं। केन्द्र राष्ट्र के स्तर पर जो नियम करता है, उन्हें प्रान्तीयता की उग्र भाग में सुलगते हुए ये निर्णय तक स्वीकार नहीं होते। बात-बात में धमक हो जाने की धमकियाँ देते रहते हैं। केन्द्र ने यदि रेडियो को सावदेशिक स्तर पर 'आकाशवाणी' कहने की घोषणा की तो तमिलनाडु सरकार ने प्रांतीयता के उमाद में विलगता और बुरे परिणामों की धमकी देकर उसे धस्वीकार कर-करा दिया। दूरदशन से राष्ट्रीय प्रसारण के अन्तर्गत हिन्दी समाचारों का प्रसारण तक बन्द करवा दिया। धर्म धमकाया जा रहा है कि एयर इण्डिया जो घोषणाएँ हिन्दी में करती है वे भी बन्द होनी चाहिए सबसे दुखद एव विस्मयकारी तथ्य यहाँ है कि इस प्रकार की धमकियों के सामने भुक्त केन्द्र-सरकार अपनी नपु सकता का परिचय तो देती ही है, इस प्रकार प्रान्तीयता और बिलगाव की भावनाओं एव धमकियों को भी परोक्ष रूप से । पहुँचाती है ।

१०४ कर्मप्रधान विश्व रचि राखा

गोस्वामी तुलसीदास कृत 'रामचरित मानस' से उद्धृत पूण पमितयी
है—

कर्मप्रधान विरव रचि राखा

जो अस करिय सो तस फल आखा

पहली पक्ति का अर्थ है परमात्मा ने सृष्टि की रचना कर्म के लिए की है। जीवन में कर्म की प्रधानता है। कर्म ही हमारे जीवन की गति है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किये बिना नहीं रहता—सास लेना भी तो कर्म है, बिना कर्म के शरीर-ध्याना भी पूरी नहीं होती।

अब प्रश्न है कि कर्म क्या है? गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी गहन है। विद्वान लोग भी नहीं जानते कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है? भजु न की समझाते हुए वह आगे कहते हैं कि मनुष्य कर्म ता करे पर स्वयं को कर्ता मानकर अहंकार न करे, कर्म फल की आकांक्षा न करे, केवल कर्तव्य समझकर काय करे, कर्म केवल अपने शरीरिक सुखों को प्राप्त करने या महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न करे, लोक कल्याण के लिए करे।

इन बातों को ध्यान में रखकर कर्म करने से ही मनुष्य अपना और जगत का कल्याण कर सकता है। यह ससार कर्मभूमि है कर्मवीर ही जीवन में सफल होता है यश कीर्ति प्राप्त करता है। नीति वचन है, 'पुरुषो मे सिंह के समान उद्योगी पुरुष को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है।' तथा 'सभी काय उद्योग से सिद्ध होते हैं केवल मनोरथ या मन के लड्डू फोडने से नहीं।' शास्त्रों में जिन चार चीजों को प्राप्त करने का परामर्श दिया गया है जो चार लक्ष्य—धर्म, अर्थ, काम मोक्ष—वे भी कर्म से ही प्राप्त होते हैं।

मनुष्य को पूण बनने के लिए अपना मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना होता है। इन सबके लिए भी परिश्रम तथा उद्योग आवश्यक हैं। विश्व में आज हर क्षेत्र में जो उन्नति और विकास दिखाई देता है, कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ति, दुग्ध उत्पादन में सफेद क्रान्ति, बड़े बड़े उद्योग, सयंत्र, सिंचाई के लिए नहरें बांध, बिजली उत्पादन के लिए आणविक शक्ति से चलाये जाने वाले या ताप बिजली घर, सबसे पीछे मनुष्य का श्रम है,

प्रांतीयता एक ऐसा घीमा विष है, जो प्रत्यक्ष रूप से न तो दिखाई हा देता है और न उतना घातक ही प्रतीत होता है। परन्तु देश और राष्ट्र की घमनियों में असहिता रूप से धीरे-धीरे फैलकर, भीतर ही भीतर उभे निजां सोसना और स्पृतिहीन बना देता और बना रहा है। इस विष का उपचार है सजग एवं उदार राष्ट्रियता की भावना का प्रबल उदय। इससे लिए जानीए और वर्गीय निहित स्वार्थों का समग्र परिव्याग भी नितात आवश्यक है। स्वयं और वक्तिदान ही देशों राष्ट्रों का मूजन निर्माण किया करते हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार हर बात को केवल थोट प्राप्ति के तराजू पर ही न सोले, भविष्य म भी केवल कुत्तियों से चिन्ते रहने की नीतिना न अपनाए। बल्कि राष्ट्रियता की उदम भावना से परिव्यासित होकर प्रांतीयता या साम्प्रदायिकता मात्र की बात करने वालों की घायाज को घरिा से कुपस डाले। प्रांतीयता भी एक प्रकार की साम्प्रदायिकता—बल्कि साम्प्रदायिकताओं का भी निहृष्टतम रूप है। राष्ट्रिय सावभौमिकता की पिरकानिक मुरदा से लिए इस प्रकार की प्रवृत्तियों की निममता से कुपस डालना आवश्यक है।

इस बात से इकार नहीं किया जा सकता कि गणतन्त्री सासा-अवस्था में एक इकाई के रूप में राज्यों या प्रांनों का अघना विरोध अविचार एवं महत्व हूषा करता है। उम महत्व को पीई भी नकार नहीं सकता। राजनों के यथागम्भव विकास के लिए उन्हें उचित स्वत्व्याधिकार और साया अरण उपलब्ध कराए जान चाहिए—पर राष्ट्रियता के अघभूत रूप में ही, न कि उनका अविचार्य एवं अस्तित्वा अलग मानकर या अगाए गकर। एकर पहली शर्त है देश की और राष्ट्र की भी। उम अण्डित करने का प्रयाज करने वालों को देश राष्ट्र छोही ही कहा जा सकता है और उनके साय छोड़िनों केना बडोर अयवहार ही होना चाहिए। इसके लिए यदि हमें अजने संवीच संविधान में भी बिनी प्रकार का परिवलन करता पड़े तो बिना मय अकार करना चाहिए। तभी देश राष्ट्र की अणवडना, सावभौमिकता बनी रह सकती है।

प्रांतीय साम्प्रदायिकता का अवर उद्य शोरे गया है। उने मम-मूई की वेगावनी मानव असावधान हो जाता अण्ड ही अाव-उर है। दरि अने अिवाविक या दर्शनी निहित स्वार्थों के कारण उम दिना म अअने मन्वत अउ उअने में हम अात्र अर मण तो इणिम होने काभी शमा नहीं कोना। अ अने को शोहराय करता है। हमारी वेगा अह जोई वाणि कि अ अने को उम अण में न राहरण जो अण मनु १९५७ में पअने क मअण एर ८४ अरार अणों अर रहा है। अगे मअण का अवर और अकाज है।

‘पूर्वं जन्म कृत कर्म तद्देव इति कथ्यते’

भारतीय चिन्तन में तीन गुण—सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण माने गये हैं। अतः कर्म के भी तीन रूप हैं—सात्त्विक कर्म, रजोवृत्ति प्रधान कर्म और तामस वृत्ति प्रधान कर्म। सात्त्विक कर्मों को दैवी सम्पदा भी कहा गया है। सामान्य शक्ति कष्टना, दया, क्षमा, परोपकार आदि कर अपना ही नहीं समाज का भी हित कर सकता है। रजोगुण प्रधान कर्म शक्ति और समाज को वैभव सम्पन्नता और भौतिक सुखों की ओर ले जाते हैं, अतः वे भी काम्य हैं। हाँ तामस वृत्ति प्रधान कर्म—श्रेष्ठ घृणा, हिंसा, द्वेष आदि से युक्त कर्म समाज और व्यक्ति दोनों को अधोगति के मार्ग पर ले जाते हैं। अतः उनको न करना ही श्रेयस्कर है। चोरी, डाका, हत्या, रक्तपात, व्याभिचार, पर पीड़न समाज विरोधी कर्म हैं।

आलस्य और कर्म परस्पर विरोधी हैं। आलस्य व्यक्ति को पशु बनाता है, कर्म पुरुषार्थी। आलसी व्यक्ति समाज का हित तो दूर रहा, अपना भला नहीं कर सकते। कर्म मनुष्य को स्वावलम्बी बनाता है उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। आलसी सदैव दूसरों की ओर ताकता है सहायता के लिए गिड़गिड़ाता है ‘दश दैव आलसी पुकारा’ जब तक चीन के लोग अफीम के नशे में घुल आलसी बने रहें, वही कोई विकास नहीं हुआ और जब से उन्होंने कर्म का मार्ग अपनाया है, वे विश्व की प्रमुख शक्तियों में माने जाने लगे हैं।

निष्पत्त्य यह कि कर्म हमारी जीवन पद्धति का वह व्यवस्थापक तत्त्व है जिससे हम अतुमुन्धी प्रगति कर सकते हैं और जिसके अभाव में हम शून्य की ओर लानते हुए शून्य बन कर रह जायेंगे। आज तक सभ्यता, सभ्यता, विज्ञान आदि क्षेत्रों में जो भी हमने विकास किया है उसके पीछे कर्म या पुरुषार्थ ही है। अतः गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति कर्म प्रधान विश्व रचि राधा’ अपने में एक ऐसा सारय छिपाये है जो सावकालिक और सावदशिक है।

१०५ दैव-दैव आलसी पुकारा

गोस्वामी तुलसीदास के ‘रामचरित मानस’ में जब विमोक्षण राम को परामर्श देते हैं कि वह समुद्र पर कुपित न होकर धैर्य से काम लें, तो सधर्मण को उनकी यह सलाह अच्छी नहीं लगती, और वह अपने स्वभाव के अनुसार ये उग्र बचन कह उठते हैं—

उसकी सकल्प शक्ति है, करो या मरो की भावना है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' का नारा देकर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अंग्रेजी की उक्ति 'ईश्वर उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो' और गीता की उक्ति 'योग कर्मसु कौशलम्' भी कर्म के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

कर्म का महत्त्व बताने वाली उक्तियों के विरोध से कुछ लोग कभी गोरक्षामी तुलसीदास की पकितियाँ—

'होइ है सोइ ओ राम रवि राखा,
को करि तर्क बढ़ावै साखा'

अथवा मल्लूक दाम की मुबपात पकितियाँ—

'अजगर करै न चाकरी, पछी करै ना काम
दास मल्लूक कह गये, सबके दाता राम'

उद्धृत करते हैं। उनके अनुसार पुष्पाय करना, कठिनाई या सकट पर विजय पाने के लिए प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि अतत होता तो बही है जो भाग्य में लिखा है। ये लोग अपने को भाग्यवादी या नियतिवादी कहते हैं और नियतिवाद एक दशन ही बन गया है।

प्रथम तो इन उक्तियों का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि मनुष्य हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे क्योंकि अजगर और पलियों को भी पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, फिर पलियों और पशुओं और पशुओं से मनुष्य कहीं अधिक उच्च कोटि का प्राणी है, उसमें विवेक है, चिन्तनशक्ति है। ईश्वर भी हमारी भाग्य लिपि का निर्माण हमारे कर्मों के अनुसार ही करता है। भारतीय दशन में तो केवल इसी जन्म के कर्मों के विषय में ही नहीं पूव जन्मों के कर्मों के फल की भी बात कही गयी है। नियतिवाद से हम यह अर्थ क्यों लें कि जो होना है होकर रहेगा, अतः हम चुपचाप बैठे रहें। जयशंकर प्रसाद के समान हमें भी नियति की डोरी पकड़ कर कर्मरूप में कुदने के लिए तृप्त सकल्प होना चाहिए। कर्म से आप मुक्त नहीं हो सकते, वे संस्कार रूप में अपना सत् असत् परिणाम दिखाते रहते हैं। पूव जन्म का सिद्धान्त भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अच्छे कार्य करें, बुरे कार्यों से दूर

हिंदुओं के लिए बड़ा कष्टमय समय था। अतिपर, अज्ञात और शासकों के क्रूर तथा अत्याचारपूर्ण आचरण से त्राहि त्राहि खर्बा थी अतः जनमानस को दादस बधाने और उन्हें सतोष देने के लिए कवियों ने ये बातें कही। वस्तुतः यहाँ के नीतिविदो, शास्त्रकारो या कवियों ने कभी आलस्य और अकर्मण्यता को अच्छा नहीं कहा।

मानव के अनेक शत्रु हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मात्स्य आदि। आलस्य भी उनसे कम हानिकारक और घातक नहीं है। आलस्य उसे न पारोरिक परिश्रम करने देता है और न बौद्धिक विकास या आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न। आलसी व्यक्ति न ध्यायाम करता है, न अध्ययन में मन लगाता है और न आजीविका के लिए परिश्रम करता है। परिणाम होता है अभाव दरिद्रता, निराशा और दूसरो में दोष निकालने की प्रवृत्ति। स्वावलम्बन जिसकी एक झलक पर कुवेर का क्रोध योछावर करने की बात कही गयी है, का स्थान ले लेता है परावलम्बन, परावलम्बी व्यक्ति को न मान मिलता है, न सम्मान।

‘पराधीन सपनेट्टु सुख नाही’

ऐसा व्यक्ति निरन्तर पतन, अपकथ, अपमश, के गड्डे में गिरता चला जाता है।

आलसी बनने के पीछे मुख्य कारण हैं—पारस्थितियाँ, जन्मजात संस्कार और जीवन दशन। कुछ बालक जन्म से ही आलसी होते हैं और माता-पिता के साथ प्रयत्न करने पर भी आलस्य नहीं त्याग पाते। कुछ की परिस्थितियाँ—सम्पन्नता सुख मुक्धियाँ, नौकर चाकर—ऐसी होती हैं कि उनमें रहने वाला व्यक्ति आलसी बन जाता है और कुछ लोग नियतिवादी या भाग्यवादी होने के कारण सब कुछ भाग्य पर छोड़ निरुद्यमी हो जाते हैं।

आलसी व्यक्ति का पतन और उद्यमी की सफलता देखकर, पशु पक्षी, चीटी आदि को निरन्तर उद्योग करते देख मनुष्य ने बहुत पहले यह अनुभव किया था कि सफलता की कुजी है श्रम, परिश्रम, अध्यवसाय। पराजित और निराश मुसलमान शासक ने चीटी को बार बार चढ़ते, गिरते और फिर चढ़ते देख कर ही अपनी निराशा त्यागी, मुद्द किया और शत्रु पर विजय प्राप्त की। पक्षी प्रातः पौसले से निकलकर शाम को ही लौटते हैं और दिन भर जगम सेतो में भटक कर, भोजन पाते हैं। ससृष्ट मनीषी की उक्ति, ‘आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्यो महान् रिपु’ तथा तुलसीदास का कथन

कायर मन कर्हे एक अयारा
देव देव आलसी पुकारा

उनका कहने का तात्पर्य है कि कायर मनुष्य ही देव, भाग्य, प्रारब्ध, नियति का आश्रय लेते हैं, जो कमवीर हैं, उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं वे तुरन्त काय करते हैं, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते और न निणय को भाग्य के सहारे छोड़ते हैं। ऐसे लोग प्रयत्न तो स्वयं नहीं करते, परिश्रम से कतराते हैं और जब उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है तो दोष भाग्य को या परमात्मा को देते हैं।

संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं—कमवीर और कमधीर। कमधीर लोग ही कुतर्कों और भ्रम में डालने वाली उक्तियों का सहारा लेकर अपनी अकर्मण्यता, आलस्य, भीरुता, आदि पर पर्दा डालना चाहते हैं और परिश्रम न करके भी बड़े भारी विचारक कहलाना चाहते हैं।

पुरातन काल से ही कुछ शास्त्रों में ऐसी भ्रामक उक्तियों के दशन होते हैं। जहाँ एक ओर ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं 'उद्योगिन पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी' अर्थात् लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का ही वरण करती है वहाँ दूसरी ओर 'भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्' अर्थात् भाग्य प्रबल है, उसके सामने विद्या और पुरुषार्थ की कुछ नहीं चलती। कदाचित् इसका कारण इतिहास की ऐसी दुषटनाएँ हैं जो पुरुषार्थी, पराक्रमी, सदाचारी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के साथ घटीं। रावण जैसे प्रतापी, राजा हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महात्मा को भी जब हम कष्ट पाते देखते हैं तो सोचने को विवश हो जाते हैं कि अवश्य कोई ऐसी शक्ति है जिसके सम्मुख मनुष्य विवश है, असहाय है।

हिन्दी में ऐसी उक्तियाँ मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में मिलती हैं। सूर कहते हैं 'करम गति टारे नहीं टरे', तुलसी कहते हैं, 'हानि साम, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ', मल्लकदास का कथन है, 'अजगर करे न चाकरी, पछी करे न काम, दास मल्लूका कह गये, सब के दाता राम' और बिहारी लोगों की परामर्श देते हैं—

'दोरघ सांस न लेहु बुद्ध, सुख साइहि न भूल
बई बई क्यों करत है' बई बई सो कबूल"

हिंदी साहित्य का मध्यकाल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना

कहना उसके हृदय में निवास करते हैं, वह अपने कर्तव्य को पहचान कर उसे करने में सलग्न हो जाता है। जो भी काम करता है सोच-विचार कर, उसके परिणामों को समझकर, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को पहचानकर, ऐसा व्यक्ति न अधीर होता है और न जल्दबाज। परिणाम यह होता है कि जो भी काम हाथ में होता है, उसमें उसे सफलता मिलती है, सफलता सुख-समृद्धि और शान्ति को जन्म देती है और व्यक्ति इसी पृथ्वी पर स्वर्ग—सुख का अनुभव करता है। चाहे अध्ययन हो, चाहे व्यापार, चाहे परिवार नियोजन हो या परिवार की समस्याएँ सब बातों में यदि हम सुमति से काम करेंगे तो हमें यश, कीर्ति मिलेंगे। चाहे व्यक्ति हो और चाहे राष्ट्र, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे जाति या सम्प्रदाय के सुमति के मार्ग पर चलकर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज पीढ़ियों के अन्तर की बात कही जाती है, युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी पुत्र और पिता, बहू और मास के झगड़ों की बात कही जाती है पर यदि सुमति से काम लिया जाय, एक दूसरे की बात को समझें, भावनाओं का आदर करें सहिष्णुता दिखायें तो सघष समाप्त हो सकता है।

आज हमारे देश में अलगाववाद, अंतकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिक विद्वेष, भाषा विवाद आदि सिर ताने हैं और सगता है जैसे देश टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा। उसका कारण सुमति का अभाव है। यदि सुमति हो तो हम एकता का महत्व समझेंगे और विचारों में, भावों में लाएंगे मिल जुन कर काम करने में गौरव समझेंगे। रस्सी विभिन्न सूत्रों के सगठित होने पर ही मजबूत होती है, बूढ़े बाप और बेटों की कहानी जिसमें लडकियों के इकट्ठा करने पर उनके न टूटने का दुष्प्रांत देकर बाप बेटों को समझाता है, संस्कृत की उक्ति 'सघे शक्ति वलियुगे' अर्थात् की कहावत 'unity is strength' हिंदी की कहावत अकेला घना भाड़ नहीं फोड़ता—सभी एकता की शक्ति का धोप करती हैं और एकता आती है सुमति से।

परिवार के सदस्यों में यदि एकता है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वे मिल जुन कर आने वाले सकट का सामना करेंगे और सम्मिलित शक्ति से बड़ी से बड़ी बाधा टल जाता है। अगुलियाँ और अगूठे जब मिलकर घूसा बन जाते हैं तो प्रहार सहन नहीं होता, अलग अलग अगुली कुछ नहीं कर पाती।

सन्तोष को परम सुख कहा गया है, आन्तरिक सुख सबसे बड़ा सुख है

“देव देव आलसी पुकारा” उनके दीप अनुभव और प्रौढ़ चिन्तन का ही परिणाम है।

मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, उसके कम ही उसे सुख या दुःख प्रदान करते हैं। पुरुषाय ही सफलता की कुंजी है। आसत्य का त्याग कर ही मनुष्य अपने सध्य को प्राप्त कर सकता है। भयानक सकट और घोर विपदा भी उद्यमी मनुष्य को विचलित नहीं कर पाते जबकि आलसी व्यक्ति बहाना मिसते ही काम को टालता है और सकट को स्वयं नियंत्रण देता है।

बहुत पहले कृष्ण न अजु न को कम करने का उपदेश दिया था, आज भी विज्ञान न ईश्वर को मानता है न भाग्य को। काय कारण सिद्धान्त का समयक आज का वैज्ञानिक परिश्रम और उद्योग को ही महत्व देता है। इतिहास साक्षी है कि आदिम युग (पाषाण युग) से आज तक जो भौतिक समृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति या ज्ञान भंडार में वृद्धि हुई है उसके पीछे मनुष्य की जिजीविषा (जीने की इच्छा) है और जीने के लिए आसत्य के बराबर शत्रु और परिश्रम के बराबर मित्र नहीं है। पुरुषाय से ही उसने आकाश, सागर और पृथ्वी पर ही विजय नहीं पाई, पृथ्वी के नीचे अमूल्य सम्पदा को खोज कर तथा उसका उपयोग कर जीवन को सम्पन्न बनाया है। पशु भी आलसी नहीं होता, फिर मनुष्य क्यों आलसी बने। आसत्य को छोड़ उद्यमी बनने से ही मनुष्य अपना अपने समाज और अपने देश का कल्याण कर सकता है। अतः आसत्य और भाग्य के भरोसे बैठे रहने की प्रवृत्ति को त्याग हमें उद्यमशील बनना चाहिए।

१०६ जहाँ सुमति तहँ सम्पत्ति नाना

ससार में ईश्वर ने केवल मनुष्य को मस्तिष्क दिया है। इसीलिए वह ससार के जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। मस्तिष्क की जिस शक्ति से हम सोचते-विचारते, भले बुरे की पहचान करते, हित अहित का निणय करते तथा सवत्प करते हैं, उसे बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि दो प्रकार की होती है—(क) सुबुद्धि, सुमति या विवेक तथा (ख) कुबुद्धि, कुमति या अविवेक। सुमति हमें देवता बना देती है और कुमति दानव। सुमति हमें अच्छे कार्यों में लगाती है और कुमति के कारण हम गलत और अमर्यादित काम कर बैठते हैं।

सुमति का सम्बन्ध मानव चरित्र के सदगुणों से है। सुमति होने पर वह के काय करता है, माय के माय पर बुलता है, दया, ममता,

बिना विचारे जो करे सो पाये पछिताय

आधुनिक युग में हम भौतिक सुखों, ऐन्द्रिय भोगों, चमकीली भटकीली वस्तुओं की आकृष्ट हो आध्यात्मिक मूल्यों को, समय मर्यादा को, सदाचार और चारित्रिक गुणों को भूलते जा रहे हैं। यह कुबुद्धि ही तो है, मृगमरीचिका ही तो है। इसी दूषित मनोवृत्ति के कारण सबत्र शक्ति स्वर्धा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति, अहमयता, घ्रष्टाचार, उच्छृंखलता, ईर्ष्या द्वेष का विय फल रहा है। इस सकट के समय सुमति ही हमारी रक्षा कर सकती है। अतः हम गांधी जी के शब्दा को ही स्मरण करें—

ईश्वर अस्ताह तेरे नाम

सबको समति दे भगवान ।

गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा था जहां सुमति है वहां सफलता है सुख शांति है, स्वर्ग है और जहां कुमति है वहां असफलता जन्म निराशा है, दुःख दारिद्र्य है, नक है।

जहां सुमति तहें सम्पति नाना

जहां कुमति तहें विपव निदाना ।

१०७ अपनी करनी पार उतरनी

इस उक्ति के दो स दर्थों में अर्थ किये जा सकते हैं—भौतिक स दर्थ में तथा आध्यात्मिक स दर्थ में। भौतिक स दर्थ में इसके पुन दो अर्थ हैं। प्रथम, मनुष्य अपने कर्मों का फलें भोगता है। यद्यपि देखा गया है कि दूमरो के कर्मों और परिश्रम का फल भी कभी कभी हमें मिल जाता है। पिता की अर्जित सम्पत्ति पुत्र का प्राप्त होती है, चुनाव में मित्रों, सहायकों तथा परिचितों के प्रयत्नों से प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है, चोरी कोई करता है पकड़ा कोई ज्ञाय जाता है और जो पकड़ा जाता है वह निरपराध हाते हुए भी दंड पाता है। पर तु ऐसे अवसर और व्यक्ति कम ही होते हैं। अधिकतर मनुष्य अपने कर्मों का ही अच्छा या बुरा फल भोगता है। यह सत्तार कमकीर्ण है। हर प्राणी को यही क्राय करना पड़ता है। पशु पक्षी भी जीवन यात्रा के लिए नर तर कम करते हैं। प्रकृति स्वयं अविध्या त भाव से कम रत है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र नदियां, ऋतुएँ सब गतिशील हैं। सृष्टि का अर्थ ही है सजन। इसीलिए कहा

और ये दोनों बुद्धि से आते हैं। बुद्धि मानव को निराश नहीं होने देती, यह कहती रहती है, 'नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो' और परिणाम होता है सफलता।

सुमति सम्पन्न व्यक्ति अपने भावावेश पर नियंत्रण रखता है, उच्छ्वल नहीं होता, पबल मन को नियंत्रित करता है, इन्द्रियों की आसक्ति में नहीं फँसता। काम, क्रोध, मद, भोम के वश में नहीं होता। सुमति अशुश का काम करती है। अतः उसे पछताना नहीं पड़ता।

सुमति का अभाव होते ही सुमति अपना आधिपत्य जमा लेती है उसी प्रकार जिस प्रकार सद्गृहिणी के आते ही कुसञ्जनी पर प्रवेश कर उसका सरयानाश कर देती है। सुमति के कारण ही मनुष्यों में कलह, ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, क्रोध, परस्पर फूट आदि दोषों का जन्म होता है। पुराणों में रावण, कौरव, कंस आदि का अमानक अतः सुमति के कारण हुआ। मध्यकाल में राजपूत राजा यदि अपने सकुचित स्वाय में पड़कर, आपसी कलह फूट के कारण अपनी रिवाजत को ही राष्ट्र समस्त कर अपार शोच पराक्रम होते हुए भी पराजित हुए तो उसका कारण सुमति थी। अंग्रेजों की यदि 'Divide and Rule' की नीति सफल हुई तो उसके पीछे भी हिन्दू मुस्लिम एकता का अभाव, कठमुल्लासन सकीणता, सकुचित स्वाय आदि ही थे जो सुमति के विपरीत फल हैं। आज भी यदि भारत में हिन्दू सिक्खों का झगडा है या विश्व मंच पर दो महान शक्तियों—अमेरिका और रूस के बीच सघष है तो दुबुद्धि के कारण। यदि यह दुबुद्धि दूर न होई, शस्त्रास्त्रों की होड जारी रही, स्पर्धा भाव बना रहा तो विनाश के कगार पर खड़ी मानव जाति एक घडे में ही रसातल को खली जाएगी।

सस्कृत में उक्ति है, 'विनाश काले विपरीत बुद्धि'। इसका अर्थ यह है कि विनाश काल उपस्थित होने पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे तो लगता है मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होने पर ही विनाश काल उपस्थित होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही लिखा है—

जाको प्रभु दाखण दुख बेंहों

ताकी मति पहले हर लेहों।

सोच विचार कर काय करना सुमति का लक्षण है। जिसमें सुमति नहीं है वह बिना सोचे विचारे काम करता है, कष्ट पाता है और फिर पश्चात्ताप आग में जलता है—

अत इसीलिए कहा गया है ।

जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोय ।

बाल न बाँका कर सकँ, जो जग घरी होय ॥

इसके विपरीत मौत आने पर बड़ से बड़ा डाक्टर वैद्य, कीमती से कीमती औषधि, सफल शल्प चिकित्सा, यत्र अनुदान सब धरे वे धरे रह जाते हैं और आदमी चल बसता है । भूकम्प, बाढ़ अग्निबाढ़ में कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं । गांधी जी प्रायना समा में, श्रीमती इंदिरा गांधी अपने घर में, श्री लालबहादुर शास्त्री ताशबन्द में अचानक मौत की गोद में सो गये । ऐसी आकस्मिक मृत्यु और अप्रत्याशित घटनाओं को देखकर ही लगता है कि जीवन मरण अपने यश की बात नहीं, केवल उस परम शक्ति के सकेत पर ही कालचक्र चमता है ।

पुत्र की इच्छा सबको होती है । पर क्या चाहे से पुत्र होता है ? लड़किया जन्म लेती खली जाती हैं और पुत्र की मुछ देखने को नहीं मिलता मले ही माता पिता कितने ही यत्न करें, धार्मिक अनुष्ठान करें धन-उपवास रखें, उपचार करायें, गण्डे ताबीज बाधे । इसके विपरीत सात पुत्रो वाली माता बेटी के लिए तरस जाती है । धनवान माता पिता सतान के लिए तरस जाते हैं और गरीब के यहाँ इतनी सतान कि वह उनके लिए दो समय का भोजन तक नही जुटा पाता इसे आप क्या कहेंगे—भाग्य की विडम्बना, पूवजर्मों के कर्मों का फल या विधि की इच्छा ।

यश अपयश के सम्बन्ध में भी यही देखा जाता है । किसी को परिश्रम करने पर भी, पुण्य कम करने पर भी यश नहीं मिलता । 'कोयले की दलाली में हाथ काले' की उचित चरितार्थ हाती है । कँकेयी को राम भरत से भी अधिक प्रिय थे परंतु उसी के कारण राम को बनवास मिला और कँकेयी पर सोतेली माँ, तथा पति हत्या दोषों का दोष लगा—

युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी ।

रघुकुल में भी थी एक अभागि रानी ॥

इसके विपरीत काय की सफलता के पीछे होता है परिश्रम तथा अध्यवसाय अधीनस्थ कमचारियों का श्रेय, मिलता है उच्चाधिकारी को । मरते हैं युद्ध में सैनिक, विजय श्री की माला पडती है सेनापति के गले में । अपयश के लिए भी सुअवसर, सोभाग्य तथा सुबुद्धि चाहिए जिन

१०८ हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश विधि हाथ

ब्रह्मज्ञानी ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, अद्वैतवादी ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं, ईश्वर को अशरी और जीव को उसका अश मानते हैं, "ईश्वर अश जीव अविनाशी"। ईश्वर का अश होते हुए भी जीव अपूर्ण है, अपूर्ण होने के कारण ईश्वर के इशारे पर चलता है, स्वतन्त्र न होकर परवश है, "परवश जीव, स्वरूप भगवता"। जीव की इस परवशता को देखकर ही मनुष्य को अपनी योजनाओं की सफलता के लिए साधु प्रयत्न करने पर भी उस असफल देखकर 'Man proposes, God disposes' ही कुछ लोग नियति, प्रारब्ध या भाग्य को सबशक्तिमान मानते हैं और मनुष्य को नियति का 'क्रीडा कटुक' इतिहास और पुराण भी साक्षी हैं कि पूरी तरह निर्दोष होते हुए भी, सद्गुण से प्रेरित होकर भी, पूरी योजना बनाकर काम करने वाले भी किसी अदृश्य शक्ति के कारण सफल नहीं होते, दारुण कष्ट झेलते हैं। राम, सत्य हरिश्चन्द्र, राजा नल, महाराणा प्रताप आदि इसके ज्वलत उदाहरण हैं। राम और सीता ने क्या क्या कष्ट नहीं भोगे सत्य हरिश्चन्द्र को परोपकारी और सत्यवादी होते हुए भी चाण्डाल के महा शमशान रक्षा का काम करना पड़ा, महादानी कण को बचपन में माँ ने त्याग दिया गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी, द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया, छल से कबच कुण्डल छीन कर उसका घात किया गया।

ऐसी ही बातें पढ़कर, सुनकर या जीवन में अनुभव कर लोग नियति और भाग्य को प्रबल मानने लगे।

'भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्'

हिंदू शास्त्रों में तीन एषणाएँ मानी जाती हैं—पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा और इनकी पूर्ति जीते जी ही होकर होती है अतः इन तीन के अतिरिक्त जीवन भी बहुमूल्य हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'त्रिजीविधा' को मानव की दुदम कहा है, जीवन शक्ति को निमम कहा है। परन्तु क्या इन चारों पर उसका वश है? क्या जीना मरना उसके हाथ में है? कर्म में पैर लटकाये बूढ़ा, खटिया गोडती बूढ़ा, पक्षाघात से पगु बना व्यक्ति मृत्यु की कामना करता है पर वह मागे नहीं मिलती। प्रह्लाद और ध्रुव की मारने के क्या क्या नहीं किया गया लेकिन उनका बाल बाल भी न हुआ। कदा

का यश कर्म होता है, भाग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

प्रत्येक व्यक्ति धन चाहता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। पर जिसका भाग्य अच्छा होता है, लक्ष्मी जिस पर कृपा करती है वह कुछ ही समय में थोड़ा परिश्रम करने पर भी शीघ्र ही धनवान बन जाता है और बड़ा अद्योगपति, करोड़पति व्यापारी एक क्षणके में दर दर का भिखारी बन जाता है। किसान बप भर मेहनत करता है और एक रात की उपलब्धि उसको दरिद्र बना देती है। अग्निकांड या भूकम्प में आसीशान इमारतें धराशायी हो जाती हैं। हुमायूँ की रक्षा करने वाला मिस्त्री राजा बन गया भले ही एक दिन को एडवड अष्टम को इंग्लैंड की गद्दी छोड़नी पड़ी। यह सब भाग्य का ही को खेल है।

“विधि का लिला को मेटनहारा।”

परन्तु यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे मनुष्य अकमण्य बनता है। आज की भौतिक उत्थिति, विविध साधनों की उपलब्धि, समाधनों का विकास, पृथ्वी, जल, आकाश पर मनुष्य की विजय हमें बताती है कि बिना कम किये, खून पसीना एक किये, दड़ सकल्प और कमठता के हम कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है।

अतः इस उक्ति से हमें यही सीखना चाहिए कि मनुष्य कम करे, उसके फल की आशा ईश्वर पर छोड़ दें। वही गीता का ‘अनाशक्ति कमयोग’ कृष्ण के वे ही वचन “कम करने का अधिकार है, फल आकाशा मत कर।

दूसरा सदेश यह मिसता है कि मनुष्य अहंकार न करे, अपने को सय-शक्तिमान ईश्वर के हाथों एक यज्ञ समझे। मनुष्य की अनेक कठिनाइयों की जड़ है उसका अहंकार। यदि वह समझने लगे कि वह ईश्वर की प्रेरणा से ही कम करता है तो उसमें विनय भाव आ जाएगा। दम दूर हो जाएगा। अहंकार विमूर्धता को जन्म देता है। स्वयं को कर्ता समझने का दम ही उसे विमूर्ध बनाता है।

अहंकारविमूर्धतारमा कर्ताहमिति मयते।

निष्कण यह कि न तो मनुष्य अकमण्य बने, भाग्यवादी होकर कर्म से मुक्त मोटे। न उसे अहंकार करना चाहिए कि वही सब कुछ है और सब कुछ कर सकता है। सच्चा माग तो निष्काम कर्म का ही है—फल प्राप्ति की आकांक्षा करते हुए सतत कम करने का।

